राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 2

सोमवार,
1 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भगराज जी।

जिला जालौर का ग्रेनाइट उद्योग

26. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में करीब 400 ग्रेनाइट लघु औद्योगिक इकाइयां घासलेट (केरोसीन) की सहायता से चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो इनके लिये कितना घासलेट (केरोसीन) आबंटित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने हेतु सरकार द्वारा केरोसीन तेल रियायती दर पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिस कारण इनका उत्पादन महंगा हो गया है एवं प्रतियोगी बाजार में इन्हें बेचने में कठिनाई आने के कारण काफी इकाइयां बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कितनी इकाइयां कब से बन्द कर दी गयीं ?

(3) क्या सरकार इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने हेतु रियायती दर पर घासलेट (केरोसीन) उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा): (1) जी हां। जालौर जिले की ग्रेनाइट इकाइयों के लिये 6000 किलो लीटर वार्षिक केरोसीन तेल का आबंटन किया गया है।

(2) केरोसीन की दर भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत निश्चित की जाती है। औद्योगिक इकाइयों को केरोसीन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ निर्धारित दर पर दिया जाता है। रियायती दर पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ केरोसीन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। रियायती दर पर केरोसीन नहीं दिये जाने से किसी इकाई के बन्द होने बाबत सूचना विभाग की जानकारी में नहीं है।

(3) केरोसीन वितरण का मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीतिगत निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के भाग संख्या दो में यह नहीं बताया

(श्री मगराज चौधरी)

है कि केरोसीन रियायती दर पर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण से जालौर में करीबन 400 ग्रेनाइट उद्योग जो लगाये गये हैं, उनमें आधे से अधिक बन्द हो गये हैं और पिछले साल से वह सारी इकाइयां बन्द पड़ी हैं। आपने इस प्रश्न को बिलकुल टाल दिया है जबकि सही मायने में तो आपको यह मालूम करना चाहिये था कि जो औद्योगिक इकाइयां लगी हैं उनमें से कितनी बन्द पड़ी हैं और उनके बन्द करने का कारण क्या हैं ? यदि किसी फाइनें-शियल दिक्कत के कारण से बन्द हुई हैं तो वह बताना चाहिये। मेरे ख्याल से तो इस का मुख्य कारण यह है कि बाजार में फ्री सेल में करीबन सात रुपये–साढ़े सात रुपये प्रति लीटर की दर से केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है और उस दर से खरीदने पर ये औद्योगिक इकाइयां चल नहीं पाती हैं, उत्पादन महंगा पड़ता है, महंगे पड़ने के कारण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन बिक नहीं पाता है और नहीं बिकने के कारण पिछले करीब डेढ़-दो साल से घाटे में चल रही थीं जिसके कारण से करीब आधी इकाइयां साल भर से बन्द पड़ी हैं। दूसरे प्रान्तों में, कर्नाटक वगैरह में जहां इस तरह की औद्योगिक इकाइयां लगायी गयी हैं वहां पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अधिक घासलेट का आबंटन तो करवाया ही जाता है और साथ ही मेरे ख्याल से सस्ती दर से, कुछ रियायती दर से घासलेट आबंटित किया जाता है जिससे उनका उत्पादन सस्ता पड़ता है और वह बेच पाते हैं। इसी कारण उनकी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं और हमारी चल नहीं पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है। एक तरफ तो सरकार औद्योगिक इकाइयां लगाने का प्रोत्साहन देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बेरोजगार युवकों ने जो औद्योगिक इकाइयां लगा रखी हैं उन्हें भी आप चला नहीं पा रहे हैं। आप केवल हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायं और यह कहें कि यह तो केन्द्र सरकार की नीति के अन्तर्गत आता है, किस दर से दें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, मेरे खयाल से आपका यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये और केन्द्र सरकार से बात करके इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिये सस्ती दर पर घासलेट उपलब्ध हो सके, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये।

नम्बर दो, करीब 6 हजार किलोलीटर केरोसीन का आबंटन वार्षिक किया जाता है जो कि कुल रिक्वायरमेंट का 40 प्रतिशत ही है। एक औद्योगिक इकाई को साल भर में करीबन 150 गैलन की आवश्यकता होती है और चार सौ-साढ़े चार सौ औद्यो-गिक इकाइयों के लिये साल भर में करीबन 12 हजार किलोलीटर घासलेट की आव-श्यकता होती है जिसके मुकाबले केवल मात्र 6 हजार किलोलीटर उपलब्ध कराया जाता है जो कि रिक्वायरमेंट का मात्र 40 प्रतिशत ही है। इसमें भी आपको बढ़ोतरी करवानी चाहिये अन्यथा औद्योगिक इकाइयां, समय पर केरोसीन नहीं मिलने के कारण डीजल से चलायी जा रही हैं और बहुत सा घास-लेट जो कि आज डीलर्स के मार्फत सिविल कंजम्पसन को ही देते हैं, उसको औद्योगिक

(3)

(श्री भगराज चौधरी)

इकाइयां काला बाजार में खरीदती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जुड़े हुए हैं जिन पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करिये और इस बारे के आप क्या करने जा रहे हैं, कृपया संतोषजनक जवाब देने का कष्ट करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जालौर जिले में कोई इकाई केरोसीन सप्लाई नहीं होने के कारण बन्द नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य और जानकारी प्राप्त कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

जहां तक केरोसीन सप्लाई का प्रश्न है, औद्योगिक इकाइयों को देश में किसी भी राज्य में रियायती दर पर केरोसीन सप्लाई नहीं किया जाता। औद्योगिक इकाइयों का केरोसीन का अलग से कोटा था, पहले भी कोटा बना हुआ था और उस कोटे के मुताबिक उनको कार्मशियल रेट पर दिया जाता था। बीच में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने वह कोटा बन्द कर दिया। हमारे पास जब इसकी शिकायतें आयीं तब हमने लिखा-पढ़ी की, उनसे बातचीत की और वह कोटा 1994 में चालू करवाया। बीच में एक बार फिर बन्द कर दिया तो हमने दुबारा 1995 में चालू करवाया। जालौर जिले में टोटल रिक्वायरमेंट 500 किलोलीटर प्रतिमाह की है, उसके हिसाब से राजस्थान में सारे जिलों में हमने जो आवंटन किया है उसमें सबसे ज्यादा 6 हजार किलोलीटर जालौर जिले का ही है। जोधपुर को 360 किलोलीटर है, पाली को 6(0 किलोलीटर, बाड़मेर 120 किलो लीटर, अजमेर को 120 किलोलीटर किया है। कुल मिला कर आप देखेंगे कि 6 हजार किलो लीटर जालौर जिले को मिल रहा है।

जहां तक रेट का प्रश्न है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन में रेट कम है और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की पालिसी के मुताबिक यह उस वितरण प्रणाली में शामिल नहीं है। लेकिन पेरेलल मार्केट में जो रेट है उस रेट से जो कार्मशियल रेट उनसे चार्ज की जा रही है वह कम है। जयपुर में रेट है वह 6.50 रुपये से 6.75 रुपये तक है। यह हैं कार्मशियल रेट जो उनसे चार्ज की जा रही है जबकि जालौर में सात रुपये और साढ़े सात रुपये के बीच में है। खुले बाजार में यही आठ रुपये और साढ़े आठ रुपये की रेट है। इसलिये जालौर जिले में औद्योगिक इकाइयों को जो केरोसीन मिल रहा है वह खुले बाजार की रेट से कम है, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की रेट से ज्यादा है और इस को लेकर कोई शिकायत नहीं है, कम से कम अभी कोई शिकायत नहीं है और इसके कारण किसी भी उद्योग के बन्द होने का सवाल ही नहीं है। जैसाकि आपने बताया, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के डिप्टी सैक्रेटरी की चिट्ठियां हैं, उन्होंने अपनी स्थिति इसमें स्पष्ट की है कि जितना वह मैक्जिमम कर सकते हैं खास तौर से राजस्थान के लिये, उन्होंने उतना अलाटमेंट किया है, उसकी सप्लाई निरन्तर जारी है और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि केरोसीन आयल की सप्लाई की कमी की वजह से किसी भी उद्योग-धंधे को बन्द नहीं होने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : मेरा एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में ही नहीं, सिरोही जिले में भी अधिकांश फैक्ट्रियां जो ग्रेनाइट की छोटी टाईल्स बनाती थीं, सब बन्द पड़ी हैं। केरोसीन की वजह से बन्द नहीं हैं तो किस वजह से बन्द हैं ? क्या उनके प्रोजेक्ट बनाने में कोई गलती रही है या सब्सिडी पाने के लिये ही फैक्ट्रियां लगायी गयीं, कहां कमी रह गयी ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस बारे में जांच करायें। सारी फैक्ट्रियां जो छोटी टाइल्स की हैं, सिरोही में भी बन्द हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में 240 किलो लीटर प्रति वर्ष की हम सप्लाई करते हैं इससे ज्यादा वहां गुंजाइश नहीं है।'

जहां तक फैक्ट्रियां बन्द होने का प्रश्न है, आप अलग से सवाल करिये, जांच करके बता देंगे कि कौनसी फैक्ट्री किस वजह से बन्द है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि अलग से सवाल करें। बात यह है कि इस सरकार ने ग्रेनाइट पालिसी बनाकर, केरोसीन की तो एक समस्या है ही लेकिन इस सरकार ने जितनी नीतियां बनायी हैं वह नीतियां इसलिये बनायीं कि उस धंधे को बन्द कैसे किया जाए। उद्योग विभाग की लापरवाही के कारण, उद्योग विभाग की इन्काम्पिटेंस के कारण ग्रेनाइट जो कि राजस्थान में एक उद्योग पनपने वाला था उसका सत्यानाश किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ग्रेनाइट पालिसी का माननीय सदस्य ने भी समर्थन किया है।

श्री विष्णु मोदी : मैंने नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया है।

श्री विष्णु मोदी : मैंने आपकी किसी भी पालिसी का समर्थन नहीं किया है और मेरा यह आरोप है कि इस सरकार ने जितनी भी नीतियां बनायी हैं, इस सदन में चर्चा नहीं करायी गयी और सदन में चर्चा कराने से हमेशा डरते हैं, उन नीतियों के कारण, जिन-जिन की नीतियां बनायीं उन सबमें राज्य सरकार द्वारा उनको बन्द किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मिनरल पालिसी हो, चाहे ग्रेनाइट पालिसी हो, उस सम्बन्ध में जितने भी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उन लोगों की सलाह से और जो सुझाव उन्होंने दिये, उपयुक्त सुझाव आये उसके आधार पर पालिसी बनायी गयी है। माननीय सदस्य आज यहां इंकार करें तो मैं इनको रोक नहीं सकता लेकिन जिस समय पालिसी बनायी गयी उस समय तो तालियां बजाकर इन्होंने एप्रीशियेट किया था।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां राजस्थान में बढ़

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रही हैं। इस बार जब बंगलौर में जो फेयर हुआ था उस फेयर में लगभग चार सौ ग्रेनाइट के और मार्बल के व्यापारियों, उद्योगपतियों ने भाग लिया जबकि उसके पहले 13 और 15 से ज्यादा ने कभी भाग ही नहीं लिया, इससे अन्दाजा लगा लीजिये कि घट नहीं रही हैं, ग्रेनाइट की इण्डस्ट्रीज बढ़ रही है और ज्यादा उसमें विकास हो रहा है।

श्री मगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस धंधे में अभी तक एन्टर नहीं हुए हैं और जिनको जानकारी नहीं है कि इसमें घाटा हो रहा है वह व्यक्ति लेने आ रहे हैं। बाकी जो पहले से लगे हुए हैं उनकी मैनेजमेंट बिलकुल ठीक है उसके उपरान्त भी जालौर और सिरोही के अन्दर आधी से अधिक इकाइयां साल भर से बन्द पड़ी हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है और उसके मुकाबले में मार्केट के अन्दर उसकी प्राईस उनको कम मिल रही है। आप इसका पता लगाइये। प्रश्न का भाग संख्या दो तो मुख्य है। मैंने प्रश्न यही पूछा था कि इतनी औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं इसका यही कारण है। अब अगर केरोसीन नहीं मिलने के कारण से नहीं है तो और कोई दूसरा कारण है तो आपका यह दायित्व था कि इसकी छान-बीन करते, जांच कराते और कोई मुकम्मल जवाब देते।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न शार्ट करें। आपने घासलेट यानि केरोसीन के बारे में ही पूछा है और मंत्रीजी ने यह भी कह दिया कि किसी प्रकार से रूग्ण नहीं होने दी जायेगी और इसमें देखेंगे।

श्री मगराज चौधरी : आप जांच करवा लीजिये कि आधे में अधिक इकाइयां बन्द क्यों पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्न आने हैं।

श्री मगराज चौधरी : जैसा कि सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है। आप जांच तो करवाइये इसकी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसकी जांच तो निरन्तर होती रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

जोधपुर की उचित मूल्य की दुकान प्रकरण

27. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास(जोधपुर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर की उचित मूल्य की दुकान सं. 19/17 के विरुद्ध जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो रिपोर्ट कब दर्ज करायी गयी और आदेश कब दिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि मूल राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाने के कारण एफ. आर. दे दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) क्या यह भी सही है कि एफ.आर. देने के बाद किसी अन्जान व्यक्ति ने रजिस्ट्री द्वारा सम्बन्धित मूल कार्ड जिला रसद कार्यालय भेज दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डा. रामप्रताप):(1) जी नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि दुकान सं. 19/71 से सम्बन्धित 12 राशनकार्ड डबल बने होने से इनके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाने हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर ने 23.4.94 को आदेश दिये थे। इसके बाद दि. 30.3.95 को एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गयी।

(2) जी, नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि राशनकार्ड बनाने हेतु मूल फार्म्स उपलब्ध नहीं कराने के कारण पुलिस द्वारा एफ. आर. दी गयी।

(3) जी, हां। मूल फार्म कार्यालय में प्राप्त होने पर माननीय विशिष्ट न्यायाधीश जोधपुर को प्रेषित किये गये, जिस पर पुनः अनुसंधान के निर्देश सम्बन्धित पुलिस थाने को न्यायालय द्वारा दिये गये। अनुसंधान जारी है। पुलिस को वांछित रिकार्ड 23.5.96 को दे दिया गया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है इस उत्तर से साफ जाहिर हो रहा है कि गोलमाल करके उत्तर दे दिया है, इसमें साफ भ्रष्टाचार की बू आ रही है कौन अधिकारी इसके अन्दर जिम्मेवार है, इसका हवाला भी नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि 23.4.94 को जिला कलक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश दिये थे। उन्होंने एफ. आई. आर. 30.3.95 को एक वर्ष के बाद दर्ज करायी है। उस समय कौन जिला रसद अधिकारी थे व साल भर तक रोके रखने का क्या कारण रहा ? इसके अन्दर कौन अधिकारी जिम्मेवार है और उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया है–जी, नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि राशन कार्ड बनाने हेतु मूल फार्म्स उपलब्ध नहीं कराने के कारण पुलिस द्वारा एफ. आर. दी गयी। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने एफ. आर लगा दी इसका कारण क्या रहा ? अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से इसकी जानकारी देना चाहती हूं, उन्होंने मूल राशनकार्ड आवेदन-पत्र और राशनकार्ड आवेदन-पत्र पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया फोटो स्टेट कापी दी। जिसके कारण मजबूरन पुलिस को एफ. आर. लगाने का बहाना मिल गया। अध्यक्ष महोदय, जबकि इसका चालान पेश होना चाहिए था वह चालान पेश नहीं होने के कारण एफ. आर. लगानी पड़ी, क्योंकि मूल राशन कार्ड आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं थे और फोटो स्टेट के ऊपर पुलिस को एक मौका मिल गया, इसलिये उन्होंने एफ. आर. लगा दी।

अध्यक्ष महोदय, तीसरे प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि मूल राशन कार्ड आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को प्रेषित किये गये जिस पर पुनः अनुसंधान के निर्देश सम्बन्धित पुलिस थाने को न्यायालय द्वारा दिये गये

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और अनुसंधान जारी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी कि असल राशन कार्ड आवेदन फार्म कहां से टपक कर आ गये ? साल भर तक फार्म कहां से आये और किसने प्राप्त किये ? ऐसे ही आ गये क्या ? रास्ते के अन्दर मिल गये ? मंत्री महोदय यह बतायें कि फार्म कहां से उपलब्ध हुए हवा में आ गये, कहां से उड़कर आ गये, ऊपर से, आकाश से टपक गये, क्या हुआ ? यह गोलमाल उत्तर देते हैं। अगर विधान सभा के अन्दर इस तरीके से उत्तर देंगे और फर्जी राशन कार्ड बनायेंगे तो गरीब जनता के साथ क्या अन्याय होगा ? सामान भी नहीं मिलेगा किसी को। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका गोलमाल उत्तर दिया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से कतई संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। उनका उत्तर सुन लें।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जैसा बताया कि मूल फार्म गायब हो गये थे, इसके लिये मैंने डी. एस. ओ., जोधपुर को निर्देश दिये हैं कि इसकी विस्तृत जांच करके फार्म गायब हुए और किसकी वजह से गायब हुए, यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और दोषी आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। निश्चित रूप से उसमें जब फोटो कापी थी तो उसकी वजह से एफ. आर. दी और जैसे ही उपलब्ध हुए, जैसा सदस्या महोदया ने बताया कि आसमान से टपके या कहां से, इसकी तो विस्तृत जांच हो जाएगी। निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण संतुष्टि आपको होगी तब ही मैं इसका पीछा छोड़ूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, साल भर से तो एफ. आई. आर. दर्ज हुई, उसके साल भर बाद यह हुआ और अब आगे न मालूम क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कहें कि कितने दिन के अन्दर कौन अधिकारी इसकी जांच करेगा, कौन सीनियर आफिसर करेगा। इसके अन्दर कौन अधिकारी है, नाम तो बतायें एक दो का, इनको तो सारी जानकारी है। फर्जी राशन कार्ड अगर बनते हैं तो रजिस्टर के अन्दर एण्ट्री होती है, इंस्पेक्टर उसकी जांच करता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस तरह से जवाब दिया है और कहते हैं जांच करेंगे। साल भर बाद यह हुआ और अब दो साल लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह दुबारा बतायें कि कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी इसमें दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। इन्होंने कह दिया कि जांच कर लेंगे। ऐसा तो पहले भी इन्होंने कहा था। अगर मैं उस समय यह सवाल नहीं करती विधान सभा में तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : प्रश्न ही पूछ रही हूं। आप मेरे को बोलने नहीं देते हैं फिर मैं भूल जाती हूं। अध्यक्ष महोदय इसका तो जवाब दें कि वह कौन अधिकारी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है । वह जवाब देने में सक्षम है या नहीं है ? मैं यह जानकारी मंत्री महोदय से इस सदन के अन्दर जरूर चाहूंगी । इसका मेरे को उत्तर दिलवा दें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर से आने वाली माननीय सदस्या का प्रश्न बिलकुल स्पष्ट है । मंत्रीजी ने उत्तर दिया है, मुझे इस बात का बहुत ही दुःख है, सदन में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी ने उत्तर यह दिया कि एफ. आई. आर. दर्ज करने का कलेक्टर ने आदेश दिया और साल भर तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई । मेरा सबसे बड़ा आरोप तो इस बात का है कि इसके अन्दर निश्चित रूप से अधिकारी शामिल थे । मंत्रीजी ने यहां जवाब किस आधार पर दे दिया ? मंत्रीजी को क्या प्रश्न को स्वीकार करते वक्त यह बात समझ में नहीं आयी ? यहां सदन के अन्दर लीपापोती का बयान दिया है इन्होंने । माननीय सदस्या ने साफ तौर पर पूछा है कि अधिकारी जिम्मेदार है, क्या प्रश्न को स्वीकार करते वक्त आपने इस बात को भी तय नहीं किया ? सदन में इस तरह से लीपापोती कर उत्तर देने का जो प्रयास सरकार कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : स्पेसिफिक जवाब चाहिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, इसमें सीधा सा सवाल है । मंत्री महोदय ने अभी कहा था कि ओरिजिनल रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया और साल भर तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी, उसकी हम जांच करेंगे । क्या जांच करेंगे ? यह तथ्य सामने आ गया कि साल भर तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी । रिकार्ड जिसके पास था, एफ. आई. आर. दर्ज करवायी तब पुलिस को सौंपा नहीं । यह सब जांच हो चुकी है । क्या जांच करायेंगे ? जिनके पास रिकार्ड था, जिनके पास फाइल गयी और एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करवायी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न भी आने दें ।

श्री भरसादीलाल मीणा (लालसोट) : मंत्री महोदय यह बतायें कि जिनके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी है उसका लाइसेंस सस्पैंड किया या नहीं किया ? मूल सवाल यह है कि लाइसेंस सस्पैंड किया कि नहीं किया । क्या वही डीलर आज तक बदस्तूर है ? यदि है, तो मंत्रीजी लाइसेंस सस्पैंड नहीं किया + + + ! कृपया हाउस को यह बतायें कि इनका लाइसेंस सस्पैंड किया कि नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करिये इसको । + + + आप इसको एक्सपंज करिये ।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें डीलर का कोई दोष नहीं है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दोष किसका है ? माननीय सदस्या का दोष है ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

डा. रामप्रताप : राशन कार्ड बनाने की निरन्तर प्रक्रिया है और उसकी जांच की भी निरन्तर प्रक्रिया है। जांच करते वक्त मूल फार्म थे, जिनकी वजह से राशन कार्ड बनते हैं उनमें यह डबल थे। इसको बनाने में किसी कर्मचारी का दोष है तो उसके लिए मैं डी. एस. ओ. से जांच करवाने का कह रहा हूं और डीलर को जो राशन कार्ड....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : यह जवाब सही नहीं है मंत्रीजी का। जब उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी, कलेक्टर ने किस आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज करवाने के आर्डर दिये ? आज तक उसका लाइसेंस आपने सस्पेण्ड नहीं किया। वही डीलर आज भी नियुक्त है। यह कहां का तरीका है ? एक तरफ उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी और वही डीलर आज तक काम कर रहा है। माननीय मंत्रीजी, आप सोचिये, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। आपने आने के बाद भ्रष्टाचार के चारों दरवाजे खोल दिये। आज डीलर सरेआम ब्लैक खोरी करता है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। कलेक्टर के लिखने के बाद वह आपके हस्तक्षेप से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। सुनिये। यह प्रश्नोत्तरकाल है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, क्या सुनेंगे हम इनका जवाब। कलेक्टर ने एफ आई. आर. दर्ज करवाने के आदेश किस आधार पर दिये ?....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो उत्तर मंत्रीजी ने दिया है उस उत्तर के अन्दर बिलकुल स्पष्ट है कि एक साल तक एफ. आई. आर. के आदेश करने के बाद भी दर्ज नहीं हुई। अब किस बात का उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। यह कह रहे हैं कि कौन अधिकारी जिम्मेदार है, अब आप और जांच करेंगे। (व्यवधान) आप सदन को सन्तुष्ट कीजिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : मंत्रीजी बचायेंगे तो इसमें कई तरह के संशय पैदा होंगे। इसलिए सदन को जब तक स्पष्ट रूप से सन्तुष्ट नहीं किया जाता....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मनमाने पूर्ण तरीके से डीलर नियुक्त किये जाते हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज हुई, लीपा-पोती क्यों हुई, इन सब तथ्यों को आपको छिपाना नहीं चाहिये। जिन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की उनके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर सके तो अब क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश दिया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. दर्ज किसके खिलाफ करने का आदेश दिया ? बतायें तो सही....(व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे। किस आधार पर दिया, क्या जांच में कलेक्टर महोदय के सामने तथ्य आये, जिसके आधार पर उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश दिये, उस

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

एफ. आई. आर. में किन-किन लोगों के नाम हैं ? यह बता दीजिये।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)... आप थोड़ी बात सुनेंगे तब तो पता चलेगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : एक बात तो यह है कि न तो डीलर नियुक्त करने की कोई समिति है, न कोई नीति है। जो मर्जी आये, अपने आदमियों को जिनको खुश करना हो उनको नियुक्त कर दिया... (व्यवधान) .. इसके बारे में क्या नीति बनायी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिलाधीश ने एफ. आई. आर. किन लोगों के खिलाफ दर्ज करने को कहा ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुनिये।

डा रामप्रताप : माननीय सदस्य ने पूछा है कि जब कार्ड्स आर्थेन्टिकेटेड है, और सिविल डिफेन्स के आदमियों ने बना कर दिये हैं तो उसमें डीलर का प्रश्न कहां से आता है कि उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिलाधीश ने किनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश दिया उनके नाम बता दीजिये।

डा. रामप्रताप : मैं आपसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने पूछा है उनका जवाब दे रहा हूं। जब डीलर को आर्थेंटिकेटेड राशनकार्ड दिये गये तो उसके खिलाफ, एफ. आई. आर. कहां से दर्ज करवाओगे। उसका क्या कसूर है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फिर किसके खिलाफ है ?

डा. रामप्रताप : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप बीच में बार बार उठ रहे हैं।

दूसरा सवाल जो पूछा गया, उसके बारे में मेरा स्पष्ट निवेदन है कि मूल फार्म्स जो बने थे उनके बनाने में अगर किसी बनाने वाले अधिकारी की बदनीयति है या जिस आदमी ने बनाया है उसने कोई मिली भगत की है तो उसकी जांच के लिये मैंने डी. एस. ओ. स्तर के अधिकारी को लगाया कि मूल फार्म आपके गायब कहां हुए और किसने गायब किये। उसकी जांच होने के बाद में दोषी के खिलाफ, अगर कोई उसका पक्ष लेता है, या उसको बचाने की कोशिश करता है तो मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपकी मर्जी आये वह सजा दीजिये।....(व्यवधान)....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मंत्रीजी मेरे प्रश्न का उत्तर गायब कर गये। एफ. आई. आर. किसके खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिये हैं ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : एफ. आई. आर. किनके खिलाफ दर्ज करने के आदेश दिये ? (व्यवधान)।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप सन्तुष्ट हैं क्या ?....(व्यवधान)

(11)

डा. रामप्रताप : जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनाये उनके नाम हैं : सुलेमान पुत्र श्री करीम, फजलूद्दीन पुत्र श्री अब्दुल शकूर, अशरफ पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद, महबूब पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अकरम पुत्र श्री इकबाल, ईशाक मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल रहमान, करीम पुत्र श्री अल्लाबक्श, उमर पुत्र उमरदीन, अनवर पुत्र श्री गुलाम हुसैन, रजाक पुत्र श्री हाजी, शकील पुत्र श्री अल्लादीन, मोहम्मद युसूफ पुत्र, अल्लादीन । यह है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, अधिकारी कौन थे यह बतायें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह जनता के आदमी थे या सरकारी/कर्मचारी थे ? (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : यह कर्मचारी नहीं थे । एक ही आदमी का, राज्य सरकार ने यह तय किया कि राशन कार्ड बनाने के लिये जो मूल फार्म एप्लाई किया जाता है उसमें परिवार के मुखिया की फोटो लगनी चाहिए । तो यह जो राशन कार्ड मिले हैं उसमें एक ही व्यक्ति के मुखिया के दो अलग–अलग राशन कार्ड पर फोटो मिले हैं । जिससे यह अन्देशा हुआ कि यह फर्जी बनाये गये हैं । इसमें मुद्दा सिर्फ इतना है कि मूल फार्म, जो माननीय सदस्य महोदय ने बताया, मैं इस बात से इत्तफाक कर रहा हूं कि वह गायब हुए, उसमें कौनसा अधिकारी दोषी है, मुद्दा सिर्फ इतना ही है । इसमें न डीलर का दोष है और न किसी और का है । यह जो मूल फार्म गायब हुए हैं आफिस में से उसकी वजह से देरी हुई है । मूल फार्म लाखों की तादाद में थे उनमें से छंटनी करके निकालकर कि शायद यह मिल जाये, इस वजह से एफ. आई. आर. में देरी हुई है, इन लोगों के खिलाफ एफ. आर. आर. हुई है । अब मैंने डी. एस. ओ. को आदेश दिया है कि इसकी विस्तृत जांच करके जो भी दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, मूल बात का तो उत्तर ही नहीं आया । यह कह रहे हैं कि डी. एस. ओ. ने तो, आपने रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं करवाये तो वह क्या जांच करेगा । अध्यक्ष महोदय, आप न्याय करवायें ।... (व्यवधान) ....बात का कोई उत्तर ही नहीं मिला.... (व्यवधान) इतना अच्छा प्रश्न है उसको गोल–माल कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । श्री हबीबुर्रहमान जी ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह क्या बात हो गयी । यह तो बताये साहब कि कौन जांच करेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजे ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, कौन जांच करेगा यह तो तय करवायें । मुख्य मंत्रीजी हमारी रक्षा करेंगे इस बात के अन्दर । कौन इसमें दोषी अधिकारी हैं उसको तो बताइये साहब । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि जांच करवा रहे हैं ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आप जवाब तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। जवाब दिया है इसकी जांच डी. एस. ओ. स्तर के व्यक्ति कर रहे हैं। आप बिराजें। दूसरा प्रश्न आने दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : डी. एस. ओ. क्या जांच करेगा, डी. एस. ओ. तो खुद दोषी है इसके अन्दर। सप्लाई ऑफिसर तो खुद दोषी है। वह क्या जांच करेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि आपको सारी बात बता देंगे और उन्होंने जो लिखा है, डी. एस. ओ. को जांच करने के लिये लिखा है। बिराजें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि डी. एस. ओ. जांच करेगा, डी. एस. ओ. क्या जांच करेगा? वह तो खुद ही इसके अन्दर दोषी है वह क्या जांच करेगा। और रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराये तो वह क्या जांच करवायेगा। यह तो अन्याय होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : किसी डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक में दुकान संख्या....19/17 है उसके विरुद्ध कलेक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश दिये हैं? व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसका स्पष्टीकरण दिलवायें। यह क्या बात हो गयी (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि किसी डीलर के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश नहीं दिये हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आने दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हो गयी। माननीय सदस्या चीख रही है और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तमाशा हो गया सदन में।

श्री टीकमचन्द कान्त : डी. एस. ओ. की जगह किसी अधिकारी को नियुक्त करने का मंत्रीजी ने मानस बना लिया होगा तो पूछ लें मंत्रीजी से।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बोल रही हैं, वह कह रही हैं कि डी. एस. ओ. दोषी है तो वह क्या जांच करेगा। वह तो खुद दोषी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सारे प्रकरण से....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : जब माननीय सदस्या पूछ रही है कि कौन अधिकारी जांच करेगा तो कम से कम आप खुद तो एनश्योर करिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये... (व्यवधान)..

श्रीमती उजला अरोड़ा : डी. एस. ओ. ने अपराध किया है, डी. एस. ओ. ने कागज छिपाये हैं और वह कैसे न कैसे निकल आये हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : क्या सवाल है और क्या जवाब हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : ए. डी. एम. साहब से जांच करवा दीजिये ना ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ए. डी. एम. से करवा रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण से स्पष्ट होता है कि जिला रसद अधिकारी दोषी हैं, उनके माध्यम से यह राशन कार्ड निकलते हैं तो माननीय मंत्री महोदय, अन्य किसी अधिकारी से जांच करवायें । डी. एस ओ. खुद ही खुद का बचाव करेगा और अपने विभाग के अन्य का भी बचाव करेगा यह कोई तर्क संगत जांच नहीं होगी । (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मुख्य मंत्रीजी जयपुर से भिजवाएंगे किसी भी अधिकारी को । मुख्य मंत्रीजी हमारी रक्षा करेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष अधिकारी लगाया जाए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मुख्य मंत्रीजी किसी को नियुक्त करें और उसके माध्यम से जांच हो ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ए. डी. एम. क्या करेगा, वह तो सारे अधिकारी जोधपुर में ही बैठे हैं । उनको कोई जानकारी नहीं थी क्या ? उनको सब जानकारी थी और सारे मिले हुए हैं । मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूं कि हमारी बात की रक्षा करें और जयपुर से कोई सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी इसकी इनक्वायरी करे कि कितने अधिकारी लिप्त हैं ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : यह मामला बहुत गम्भीर है । सत्ता पक्ष की सारी महिला सदस्य एक राय से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो एक प्रकरण सामने है पता नहीं किस तरह की कितनी बातें वहां हो रही हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी इनकी बात सुनिये । भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग ही भ्रष्टाचार को नहीं रोकें । सारी महिला सदस्य बोल रही हैं । बताइये, कौनसी महिला सदस्य है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोल रही है । मुख्य मंत्रीजी आप इंटरफियर कीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । रामनारायण जी बिराजिये ।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । जिस विभाग की बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी आप इंटरफियर कीजिये न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निर्दिष्ट करें कि वह इसका समुचित जवाब दें ।

श्री रामनारायण मीणा : एक महिला सदस्य इसके पक्ष में नहीं है, भ्रष्टाचार के सारी खिलाफ हैं । आप कृपा करके इंटरवीन कीजिये । मंत्रीजी को कहिए मंत्री जी नहीं तो आप इसकी जांच के आदेश दीजिये। डी.एस.ओ., जिसने भ्रष्टाचार किया है उसी से आपजांच करवा रहे हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे प्रश्न, प्रश्न हमारा घुल जाएगा इस तरह। आप बैठ जाइये। आपकी जरूरत नहीं है। हम अपनी बात खुद कह सकते हैं। आप बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा : मुझे ताज्जुब होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात का समुचित, संतोषजनक उत्तर दिलवायें....(व्यवधान) आप बैठिये। हम आपके प्रश्नों के बीच में बोलते नहीं हैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप सारी महिला सदस्यों की बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्य मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देते नहीं हैं, हमसे लेने की कोशिश करते हैं। बहुत....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमें तो इतना ही चाहिये कि जांच कौन करेगा और कौन अधिकारी है। यह है मुख्य बात तो।

श्री परसादीलाल मीणा : डीलर के खिलाफ शिकायत है और यह राशन कार्ड बनाने वालों की बात कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मुख्य मंत्री जी हमारी रक्षा करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : शिकायत डीलर के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी दे दीजिये कि कौनसा डी.एस.ओ. दोषी है? नाम क्या है उसका ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मिस्टर ढिल्लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्रीमती सूर्यकान्त व्यास : ढिल्लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पक्की बात है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां, पक्की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो इनसे जांच नहीं करवाएंगे उनसे सीनियर ऑफिसर से जांच करवाएंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जयपुर से आप भेजोगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयपुर-बीकानेर का सवाल नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है कि किसी डीलर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के लिये लिखा है। आप प्रश्न के भाग एक में देखिये कि कलक्टर, जोधपुर ने दुकान संख्या 19/17 के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये लिखा है और आप राशन कार्ड वालों की बात कर रहे हैं। यह दुकान के खिलाफ शिकायत है, डीलर के खिलाफ शिकायत है और आप उस सवाल को डाईल्यूट कर रहे हैं। राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ आप जवाब देते हैं आप पहले सवाल तो पढ़िये मंत्री जी कि यह एफ.आई. आर. किसके खिलाफ दर्ज करायी है,

(श्री परसादीलाल मीणा)

किस के खिलाफ कलक्टर ने लिखा है। दुकान संख्या 19/17 के खिलाफ लिखा है और आप उस सवाल को डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या शिकायत है उनकी ? आप राशन कार्ड बनाने वालों की शिकायत कर रहे हैं। आपको होश नहीं है जवाब देने का।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप मुझको चैलेंज कर रहे हैं। दुकान संख्या 19/17 के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप सवाल क्या है और जवाब क्या देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कलक्टर ने लिखा है और आप जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सवाल क्या और जवाब क्या देते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : क्या जवाब दे रहे हैं आप ? इसके अन्दर साफ लिखा हुआ है कि कलक्टर ने इसके खिलाफ आदेश किये हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : दुकान संख्या 19/17 के खिलाफ कलक्टर ने लिखा है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, क्या जवाब है यह ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : साफ लिखा हुआ है कि दुकान के खिलाफ है।

श्री परसादीलाल मीणा : एफ. आई. आर. देखिये, अध्यक्ष महोदय, कलक्टर ने क्या एफ. आई. आर. लाज करवायी है। सवाल पढ़कर नहीं आते हैं।

श्री विष्णु मोदी : उस एफ.आई.आर. को पढ़िये। एफ. आई. आर. क्या है ? वह हाउस में पढ़कर सुना दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दुकान के खिलाफ कलक्टर ने आदेश दिया है एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये उसके खिलाफ की या नहीं की। प्रश्न को पढ़िये पहले आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मुख्य मंत्री जी आप मंत्रियों को यह निर्देश दें कि यह होमवर्क करके आयें। यह सवाल पढ़कर नहीं आते हैं। अधिकारी इनको जवाब देते हैं वह पढ़कर सुना देते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह किस तरह का जवाब दिया जा रहा है यहां पर ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप मेहरबानी करके इनको निर्देश दें कि यह होमवर्क करके आयें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : किस तरह का जवाब दिया जा रहा है यहां पर ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : परसादी लाल जी को मंत्री बना दिया जाए। यह होमवर्क करके आएंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय सदस्य को चैलेंज किया है। माननीय मंत्री महोदय यह प्रश्न इतना जरूरी है कि कलक्टर ने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी उसको पढ़कर सदन में सुना दें। कलक्टर को तो सुप्रीम आपने बना रखा है, आपके शासन ने बना रखा है इसलिये कम से कम इस विधान सभा के अन्दर जिसमें आप शक्ति प्राप्त करके बैठे हैं इसका तो इतना स्टैंडर्ड नहीं गिरायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कलक्टर किसके लिये है ?

श्री विष्णु मोदी : कलक्टर तो आपके लिये है। कलक्टर तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ओरिजिनल एफ.आई.आर. की नकल पढ़ दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : वह दुकान मालिक बी.जे.पी. का मैम्बर है। इसलिये मंत्री जी उसके खिलाफ पढ़कर नहीं सुनाना चाहते।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : आप पढ़कर सुनाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री महोदय से जो स्पेसिफिक एफ आई. आर. है वह हमको पढ़कर सुनवा दीजिए। (व्यवधान) आप माननीय मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वह एफ.आई.आर. पढ़कर के सदन को जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जानकारी दें अध्यक्ष महोदय। मुझे चैलेंज किया है मंत्री जी ने। मैं चैलेंज करता हूं, एफ.आई.आर. पढ़कर सुनायें।

श्री भीमसेन चौधरी : इस प्रश्न को स्थगित करें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : अगर एफ.आई.आर. नहीं है तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। लेकिन सवाल यह है कि वह एफ.आई. आर. पढ़कर सुनायें। प्रश्न को स्थगित करें। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नौनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मामला है और प्रश्न को इस तरह डाइल्यूट कर दिया है। दूसरी तरफ क्वेश्चन का जवाब.... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल। क्या एफ. आई.आर. जिलाधीश द्वारा दुकान संख्या 19/17 के खिलाफ थी ? हां-नां में कह दीजिये। मैं एफ.आई.आर. नहीं सुनना चाहता। आपने कहा है जी, हां। आपने उत्तर में जी, हां कहा है। मेरे पूरक प्रश्न में दूसरे नाम ले लिये।

श्री परसादीलाल मीणा : यह कह रहे हैं राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : भाग एक में जी, हां कहा है। आपने जी, हां कहा है। दुकान के खिलाफ मुकदमा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप प्रश्न पढ़िये प्रश्न के पहले भाग में साफ लिखा है कि दुकान के खिलाफ कलक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। साल भर तक उस दुकान के खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज नहीं हो सकी। इसके नाम पढ़ रहे हैं यहां पर। इस प्रश्न को आप स्थगित करवायें और पूरी सूचना मंगवायें।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, यह दो इश्यू हैं, इसमें दोनों को मिक्सअप किया जा रहा है। एक तो राशन कार्ड गलत बनाने का मामला है और एक फार्म गुम होने का मामला है। दोनों को मिक्सअप किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : कलक्टर ने दुकान के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने का आदेश दिया या नहीं दिया? साफ लिखा है इस प्रश्न में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। बात तो सुनें आप। बात भी नहीं सुनना चाहते।

डा. रामप्रताप : यह मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : इनका इस्तीफा ले लो मुख्य मंत्रीजी।

डा. रामप्रताप : इस्तीफा ऐसे मामले में नहीं देते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें परसादीलाल जी। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : पहले तो आपने जो सवाल पूछा है, अध्यक्ष महोदय....

श्री हरजीराम बुरडक : इस प्रश्न को स्थगित करिये और आगे लीजिये। यह क्या पढ़ रहे हैं?

डा. रामप्रताप : यह सवाल ही 19/71 का है, आपने 19/17 का पूछा है। इसको आप पढ़कर सुना रहे हो जबकि यह प्रकरण 19/71 का है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 19/17 का है या 19/71.... (व्यवधान)....इसमें छपा सवाल होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप ही मंत्रीजी को पढ़कर बता दें कि भाग संख्या एक में क्या लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परसादीलाल जी बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बता दें कि भाग संख्या एक में क्या लिखा है?

श्री राजेन्द्र चौधरी : जो प्रश्न सर्कुलेट किया है उसको आप देखिये। प्रश्न संख्या एक में क्या लिखा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलक्टर ने आदेश दिया है कि उस दुकान के खिलाफ मैं अब साल भर तक उसके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई। इसका जवाब दें। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : 19/17 का कोई प्रकरण नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : 19/17 ही है।

डा. रामप्रताप : इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने उत्तर में हां कैसे कहा। आप उत्तर पढ़ दीजिये।

डा. रामप्रताप : 19/71 का जवाब है। मैंने 19/71 का जवाब दिया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने उत्तर में हां कहा है।

डा. रामप्रताप : यह 19/71 का है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : अब सवाल इस बात का है कि जिलाधीश ने क्या एफ. आई. आर. दर्ज कराने की सिफारिश की। उस एफ. आई. आर. को पढ़कर सदन को अवगत करायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। 19/17 का है और यह 19/71 का आया है। बिराजें आप। 19/71 छप गया है। आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : 17 ही छपा हुआ है। 19/17 ही छपा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 19/17 है और जवाब में 19/71 दिया है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यही तो हम कह रहे हैं कि जवाब गलत दिये जा रहे हैं। स्थगित करवायें इस प्रश्न को आप। जवाब गलत दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 17 का पूछा जा रहा है और 71 का जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : आपकी क्या व्यवस्था है? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आपकी क्या व्यवस्था है? अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न को स्थगित करवायें। इसमें कई तरह की टेक्निकलीटिज खड़ी हो गयी हैं। आपका सचिवालय भी इसमें आ गया है। मंत्रीजी कहते हैं वह यह है, वह कोई दूसरा जवाब दे रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : उत्तर ही गलत दिया गया है। प्रश्न ही स्थगित करवा दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप अपनी व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था चाहते हैं हम तो।

श्री अध्यक्ष : पौन घंटा तो बहस करा ली है इस पर। आप बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : कहां की बहस हो गयी है? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आ। आपकी व्यवस्था बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : आप अपनी व्यवस्था बताइये, व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्थगित कर दीजिये.... (व्यवधान) आधे घंटे की चर्चा करिये।

श्री अध्यक्ष : यहां पर 19/17 की बजाय 19/71 आ गया है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : स्थगित करवा दीजिये। इसको, अध्यक्ष महोदय, 19/17 की बजाय 19/71....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब एक प्रश्न तो आने दें आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : अगर गलत छपा है तो आप स्थगित कर दीजिये....(व्यवधान) आप इसको स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : मैं फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह दुकान निश्चित रूप से बन्द है फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य जानना चाहे तो मैं अपने एडिशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मुख्य मंत्रीजी खुद भी परेशान हैं कि ऐसे कैसे मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, वह क्या जवाब देंगे। खाली फौज इकट्ठी हो रही है, ऐसी फौज इकट्ठी कर दी यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रश्न का जवाब ठीक नहीं है और इसमें जिद् क्या है, इसको पोस्टपोन करवा दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इसको पोस्टपोन करवा दें, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पोस्टपोन हो जाय तो जवाब ठीक आ जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न 19/17, 19/71 का विवाद खड़ा हुआ। मूल तथ्य यह है कि कुछ लोगों ने राशन कार्ड गलत बनायें। जिन्होंने गलत बनायें उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान) आप बैठ जाइये, आप बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : बात सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कितने अल्पसंख्यक समुदाय से प्रसन्न हैं मुझे पता नहीं था। 13–14 आदमियों ने बना लिया उसका तुरन्त चालान किया जाय, यह मांग है।

श्री विष्णु मोदी : यहां समुदाय की बात कहां आ गयी... (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं ? कोई समुदाय की बात नहीं है, बात प्रश्न की है। (व्यवधान) कौन सा समुदाय आ गया, यह समुदाय कहां से आ गया इसमें (व्यवधान) समुदाय कहां से आ गया ?'

श्री रतनलाल ताम्बी : मुख्य मंत्री महोदय, आपकी गरिमा से ऐसे डायलॉग नहीं होने चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : समुदाय कहां से आ गया ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप ऐसे डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, यह आपकी गरिमा के खिलाफ बात है।

श्री विष्णु मोदी : यह समुदाय कहां से

(श्री विष्णु मोदी)

आ गया ? बात प्रश्न की हो रही है । एफ. आई. आर. की हो रही है और आप उसको ले जा रहे हैं पाकिस्तान बोर्डर पर । (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी यह आदत है कि जो सवाल हो, उधर से कश्मीर में हो तो कन्याकुमारी की बात करते हो आप । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मुख्य मंत्रीजी आपके गरिमा के विरुद्ध बात है, आप यह नहीं कहिये, अच्छी बात नहीं है आपके लिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । मुख्य मंत्रीजी की बात सुनें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही है, सदन में एक समुदाय विशेष की बात कही है उसको हटायें सदन की कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से हटायें । समुदाय विशेष की बात कैसे कही । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्रजी बैठ जाएं आप । यह आप मूल प्रश्न के लिये....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करिये आप । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को एक्सपंज करिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री विष्णु मोदी : यहां कोई माननीय सदस्य ने मंत्री के लिये एक बात कही तो उसको तो आपने एक्सपंज करवा दिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर एक समुदाय की बात करते हैं उसको आप एक्सपंज नहीं कराते । आप एक्सपंज करिये उसको ।

श्री अध्यक्ष : पहले बात सुनिये आप । पहले बात सुनें पूरी । पूरी बात तो सुनिये पहले ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिये ।

श्री विष्णु मोदी : आप उसको एक्सपंज करिये ।

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी बात तो आने दीजिये ।

श्री विष्णु मोदी : पहले मंत्रीजी से मिलीभगत की बात कही तो उसको आपने एक्सपंज करवा दिया और मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर एक समुदाय का नाम लेते हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप उत्तर भी नहीं सुनना चाहते हो ...

श्री विष्णु मोदी : क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर भी नहीं सुनना चाहते हैं यह कोई बात नहीं हुई ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मैं तो आपकी व्यवस्था चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यह जो बात कही है समुदाय विशेष पर कार्यवाही करने की .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी चौधरी, जिनका प्रश्न है वह उतना नहीं बोल रहे हैं जितना आप बोल रहे हैं । बिराजें आप ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह इशारा किया कि हम एक समुदाय के खिलाफ चाहते हैं। अगर भाषा इस तरह की लिखी गयी तो यह निश्चित रूप से एक्सपंज होनी चाहिये और यदि मुख्य मंत्रीजी की यह भावना नहीं है तो उसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बात पूरी तो सुनें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने यह बात हमारी कोर्ट में फेंक दी जबरदस्ती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, मैंने प्रश्न का उत्तर सुना है। उत्तर सुना और उन्होंने जवाब दिया कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने राशन कार्ड गलत बना दिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये।

श्री विष्णु मोदी : आपके तो मन में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुनिये। प्रश्न का उत्तर आपने भी सुना, मैंने भी सुना है। प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि अमुक-अमुक आदमियों ने राशन कार्ड गलत बनायें उसकी जांच करायी जाए, नम्बर एक। नम्बर–दो इसकी जांच के लिये ओरिजिनल पेपर्स न भेज कर उनकी फोटो स्टेट कापी भेजी जिसके कारण से एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी हुई और फिर उसके ऊपर आगे कार्यवाही नहीं हो सकी। अब क्वेश्चन यह है कि ओरिजिनल राशन कार्ड हैं वे इनके पास उपलब्ध नहीं हैं। वे उपलब्ध क्यों नहीं हुए, कहां गये, इसकी जांच करवाने के लिये इन्होंने क्या किया। अब जांच करवाने में 19/71 की कोई संख्या या 19/17 का प्रश्न नहीं है; प्रश्न केवल इतना सा है कि जिन्होंने गलत राशन कार्ड बनाये उनकी जांच में विलम्ब क्यों हुआ, किस अधिकारी ने जिसने जांच की उसने विलम्ब किया, उसके लिये भी मैंने कहा कि जो दोषी हैं उसके अलावा किसी दूसरे सीनियर अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी। अब इसमें प्रश्न क्या रह गया। तीसरा, आपने कहा कि... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने मूल प्रश्न पढ़ा नहीं। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : प्रश्न यह है कि कलक्टर ने बिना जांच करवाये ही आदेश दे दिये क्या ? पहला प्रश्न यह है कि कलक्टर ने जांच करके आदेश दिये या बिना जांच के ही एफ. आई. आर. दर्ज कर ली ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय ने कहा है कि जी, हां। आप नम्बर एक पढ़िये प्रश्न संख्या 27 का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न चाहे पढ़ूं या न पढ़ूं, पर सार यह है कि गलत राशन कार्ड बनाने का... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सार नहीं साफ लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, साफ लिखा है इसमें।

एक माननीय सदस्य : इसमें साफ लिखा हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है कि गलत राशन कार्ड ....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : प्रश्न संख्या 27, उचित मूल्य....

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या यह सही है कि जोधपुर की उचित मूल्य की दुकान संख्या 19/17.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इसका उत्तर भी पढ़ लीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : उत्तर नहीं, पहले प्रश्न पढ़िये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि जोधपुर की उचित मूल्य की दुकान संख्या 19/17 के विरुद्ध जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे ?....(व्यवधान) आगे पढ़िये । बात सुनें तो सही आप । यदि हां, तो रिपोर्ट कब दर्ज करायी गयी और आदेश कब दिये गये ? जवाब है, जी, नहीं । अब किस बात का झगड़ा कर रहे हैं ? आदेश ही नहीं हुए । आप कहते हैं कि एफ.आई. आर. पढ़ें । मेरी समझ में नहीं आता कि इतना इस एक छोटे से क्वेश्चन पर.... (व्यवधान) ठहरो तो सही । आप बैठ जाओ । मैं केवल यह कह रहा था कि....

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी ने जी हां कहा है । मुख्य मंत्री महोदय, जवाब में जी हां कहा गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न पूछा है ।

श्री हरजीराम बुरडक : फिर एफ.आई. आर. दर्ज कैसे हुई ? कोई आदेश नहीं, जांच नहीं तो एफ.आई.आर. दर्ज किसने करायी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक यह बोल रहे हैं कि एफ.आई.आर. की कापी पढ़ कर सुनाओ । मंत्रीजी कह रहे हैं जी, नहीं, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई । अब कहां एफ.आई.आर. की कापी पढ़ कर सुनाएंगे । (व्यवधान) मुझे खेद है खेतसिंहजी, इस बात का बहुत खेद है कि आपने प्रश्न का उत्तर सुने बिना ही इस सदन का आधा घंटा बेकार खो दिया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, अब हो गया । माननीय हबीबुर्रहमान ।

श्री जुबेर खान : क्या आपने एक्सपंज करवा दिया ? जो मुख्य मंत्रीजी ने एक समुदाय की तरफ इंगित किया है उसको आपने एक्सपंज करने के आदेश दिये कि नहीं दिये ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई एक्सपंज की जरूरत नहीं है । वह रिकार्ड पर है नाम बोले हैं तो । मैंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इस तरह से राशन कार्ड बनाये केवल उनको किस प्रकार से सजा मिले इसकी बात कही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री जुबेर खान : क्या मुख्य मंत्रीजी आपके कानून समुदाय के आधार पर बनते हैं ? आपकी मंशा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मंशा साफ है । आप बिराजें ।

श्री जुबेर खान : कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, अपराधी हो, तो आप उसको व्यक्ति के नाम से कहें न कि समुदाय के नाम से। यह आपको दर्शाती है कि आप एक समुदाय विशेष के खिलाफ गलत धारणा रखते हैं। आपकी गलत नीतियां हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 28.

जोधपुर एवं नागौर जिले की जलप्रदाय योजनाएं

28. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर एवं नागौर जिले में कहाँ कहाँ पर 40 लीटर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति जल देने की योजनाएं कब-कब स्वीकृत की गयीं ?

(2) कौन-कौन सी योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया एवं कौन-कौन सी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो गयी तथा किन-किन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जोधपुर एवं नागौर जिले में 40 लीटर से 70 लीटर की योजना से वंचित ग्राम हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कब तक इन ग्रामों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना से ग्रामों को वंचित रखने के लिए विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 28

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 29

श्री हबीबुर्रहमान।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय रमाकांतजी।

श्री जुबेर खान : आपका राज है और साम्प्रदायिकता के आधार पर आप भेद-भाव बरतें....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक नहीं अनेक, साढ़े चार लाख राशन कार्ड फर्जी बने हैं, एक-दो राशन कार्ड फर्जी नहीं बने। आप सुनते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, अब आपका क्या किया जाए, पहले सुनिये उसको, हम जो प्रकरण बता रहे हैं, साढ़े चार लाख राशन कार्ड बने। हमारी बात का जवाब नहीं देने दे रहे हैं और तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। न पढ़ते, न लिखते, न समझते हैं।

श्री जुबेर खान : समझने का ठेका तो आप लोगों ने ले रखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकांत जी।

रेड्या बांध (थानागाजी) की डूब में आयी भूमि के विस्थापितों को मुआवजा

30. **श्री रमाकांत** (थानागाजी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रमाकांत)

(1) क्या यह सही है कि 10 वर्ष पूर्व 500 बीघा कृषि भूमि रेड्या बांध (थाना गाजी) की डूब में आने के कारण अधिग्रहित की गयी थी ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की डूब में आयी भूमि का किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन किसानों की जमीन डूब में आयी है उनके पास अन्य कोई कृषि कार्य हेतु भूमि नहीं है ?

(4) क्या सरकार अब किसानों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) (1) जी, हां। रेड्या बांध हेतु कुल 402 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की जा रही है।

(2) जी, नहीं। इसमें 60 बीघा 6 बिस्वा भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है।

(3) जी, नहीं। कुल 89 काश्तकारों में से 49 काश्तकारों के पास 228 बीघा 12 बिस्वा भूमि कृषि हेतु उपलब्ध है एवं 40 काश्तकारों के पास कृषि हेतु अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है।

(4) जी, हां। भूमि अवाप्ति सम्बन्धी धारा 4 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं धारा 5 की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही पूर्ण होने पर काश्तकारों को मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री रमाकांत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि 10 वर्ष हो गये किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मंत्रीजी ने जोर से कहा है, जी, हां। 10 वर्ष से नहीं दिया गया है, जी, हां। कहीं पश्चाताप नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं है कि 10 वर्ष से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। फिर आगे बताया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है, जमीन पर आपने वैधानिक तरीके से कब्जा नहीं किया, आपने सैक्शन चार से आगे की कार्यवाही नहीं की और उस जमीन पर पानी भर दिया और बांध बना दिया। क्या यह ट्रेसपास की श्रेणी में नहीं आता है 447 में ? क्या विभाग के अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलना चाहिये इसके लिये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी फरमा रहे हैं कि नवासी काश्तकारों मे से चालीस के पास तो जमीन नहीं है और बाकी के पास है। चालीस काश्तकार जिनके पास जमीन नहीं है, दस वर्ष से उनके परिवार भूखे मर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। विभाग ने कभी जाकर पूछा कि आपके पास जमीन नहीं हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिलकुल जंगल में बैठे हुए हैं, आपके परिवार के पास आय का कोई अन्य जरिया नहीं है ? इस बात को दस वर्ष हो गये और जवाब दिया जा रहा है कि सिर्फ चालीस ऐसे काश्तकार हैं जिनके पास भूमि नहीं है, बाकी के पास भूमि है। अर्थात् बाकी 49 के पास भूमि है इससे सारा का सारा विभाग संतुष्ट है।

अध्यक्ष महोदय, सैक्शन चार, सैक्शन पांच की कार्यवाही चलते 10 वर्ष हो गये।

(श्री रमाकांत)

अभी तो उसके बाद सैक्शन नौ है, सैक्शन ग्यारह है, सैक्शन सत्रह है, आप कितने दस वर्ष और लगायेंगे ? सैक्शन चार में दस वर्ष लगे हैं तो इस हिसाब से पूरी कार्यवाही होने में पचास वर्ष लगेंगे। क्या यह स्थिति सही है ? माननीय मंत्री महोदय बतायें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इतनी देरी हुई है, माननीय मंत्रीजी इस कोताही के लिए क्या विचार रखते हैं ? चार-चार, पांच-पांच, दस वर्ष तक कार्यवाही नहीं हो, लोग भूमिहीन पड़े रहें, फिर एक बात इसमें और है जो आज से पन्द्रह साल पहले सर्वे किया था, उसमें बताया गया था कि 402 बीघा जमीन ही डूब में है, वास्तव में सात सौ बीघा जमीन डूब में है और पिछले चार वर्ष से डूब में है। चार वर्ष से बांध बन चुका है और विभाग का इरादा उसको और ऊंचा करके लोगों की ओर जमीन डुबोने का है। बाकी के बचे हुए लोग हैं, जिनकी जमीन सर्वे में नहीं आयी है, उनके बारे में कितने साल में कार्यवाही होगी ? यह अत्यन्त शोचनीय प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी इसके बारे में बतायें ।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है वह वाकई में चिन्ता का विषय है कि जिस समय कृषि भूमि का अधिग्रहण हो या अन्य जायदाद की अवाप्ति की कार्यवाही हो, निश्चित तौर पर समय पर होनी चाहिये। यह काश्तकार के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस बात पर मैं इनकी ताइद करता हूं कि इन्होंने यह मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1990 में यह बांध पूर्ण हुआ। अध्यक्ष महोदय, तब तक इसमें काश्तकार बराबर काश्त करते रहे। इस बांध के पाल और बोरो एरिया का हमने 1980-81 में ही मुआवजे का भुगतान कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। माननीय सदस्य ने जैसा आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिये कि इतने समय तक धारा चार-छह के नोटिसों की कार्यवाही क्यों नहीं हुई, मैं आज ही इसकी जांच के आदेश दे रहा हूं। जिसने इसमें कोताही, ढिलाई बरती है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छह महीने के अन्दर-अन्दर सारे काश्तकारों के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी सवाल है। मुआवजा देने में इतनी देरी हुई है तो क्या मुआवजे की रकम के 25 प्रतिशत के हिसाब से सरकार मुआवजे के साथ उसका ब्याज देगी ? महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय भुगतान नहीं हुआ है तो रिवाइज रेट पर हम इनको मुआवजा देते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : रिवाइज रेट का सवाल नहीं है। उस वक्त उनके हाथ से जमीन चली गयी और वे मुआवजे के हकदार हो गये। तो चाहे उनको मुआवजा रिवाइज रेट पर दो लेकिन उसका ब्याज

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देना तो उचित है। रिवाइज रेट बढ़े हैं तो मुग्रावजे का ब्याज....(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बारह प्रतिशत इंटरेस्ट कानून में है ग्रौर तीस प्रतिशत सोलीशियम होता है। बिराजें ग्राप। श्री रामपाल जी उपाध्याय।

पंचायत समिति.सहाड़ा एवं रायपुर (भीलवाड़ा) के रिक्त पद

31. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तथा रायपुर पंचायत समितियों में सभी तरह के ग्रस्सी प्रतिशत पद विगत 5 वर्षों से रिक्त हैं? यदि हां, तो किस तिथि से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन रिक्त पदों के कारण ग्रामीण विकास कार्यों को ग्रत्यधिक धक्का लगा है? यदि हां, तो सरकार ग्रब ये स्थान कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षकों को सचिव पद पर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या ऐसे सचिव उनके मूल विभाग के निर्देशों, पंचायत कानूनों की जानकारी का ग्रभाव, ग्रप्रशिक्षण, रूचि का ग्रभाव आदि कारणों से सर्वथा ग्रसफल हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है?

(4) क्या इन कृषि पर्यवेक्षकों को पंचायत सचिव बनाने हेतु विभागीय निर्दिष्ट निर्देशन व सिद्धान्त तय किये गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार का पंचायती राज व ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ व ठोस आधार देने व लक्ष्यों को सुनिश्चित व नियमित करने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था यथा ग्रामीण विकास सेवा का गठन करने का विचार है?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह) : (1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम सेवक का पद रिक्त है और वहां कृषि पर्यवेक्षक का मुख्यालय भी है तो ऐसी ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार कृषि पर्यवेक्षक द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ ग्रतिरिक्त रूप से किया जाता है। दो पदों का कार्य करने में कृषि पर्यवेक्षकों को ग्रसुविधा हो रही है। ग्राम सेवकों के स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा चयन करने सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पंचायती राज ग्रौर ग्रामीण विकास मंत्री महोदय जिस कदर हल्के-फुल्के ढंग से उत्तर दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह इस देश के ग्रामीण विकास ग्रौर पंचायती राज व्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ है।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आपने इसका अध्ययन नहीं किया या फिर आपको समय नहीं मिला। आपने सब में जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, उत्तर दिया है। मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है। मैंने इसमें पूछा कि 80 प्रतिशत पद कितने समय से रिक्त है, आपने कह दिया कि जी, नहीं। मैं कह देता हूं कि 75 पर्सेण्ट जो हमारे पद हैं कितने समय से रिक्त है? इसके बारे में बताइये।

दूसरे में आपने "जी नहीं" बताया है। वह यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के यहां सचिव, उप सचिव, प्राइवेट सैक्रेटरी और अन्य पद रिक्त पड़े हों तो उनके कार्य में बाधा पड़ती है या नहीं पड़ती है, कोई धक्का पहुंचता है या नहीं? ठीक यही बात सहाड़ा और रायपुर पंचायत समितियों के लिये है। आपने कह दिया कि जी नहीं। तो फिर आप सबको हटा दीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, चीफ सेक्रेटरी साहब को हटा दें, सारे मंत्रियों को हटा दीजिये। यह क्या बात हो गयी; यह क्या जवाब दे दिया आपने?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या पद भरना ग्रामीण विकास कार्य में सहयोग नहीं है। नम्बर तीन पर आपने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया है। उसके लिये आपने कहा है कि कोई निर्दिष्ट नीति नहीं बनायी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या निर्देशन और सिद्धान्तों के अभाव में ग्रामीण विकास और पंचायती राज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना सम्भव है? जब आपने इतना परिवर्तन किया और ग्रामीण विकास का पंचायतों का भार कृषि पर्यवेक्षकों को सौंपा उनके लिये कोई नीति निर्देशन नहीं है। आपने कह दिया कि जी, नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह नीति निर्देशन का पत्र है जो कृषि विभाग के निदेशक ने 30.11.1995 को निकाला है, आप कृपया इसे देखिये। इसमें यह लिखा है कि चार गुरुवार और दो शनिवार को यह देखेंगे और शनिवार को तो ग्रामीण विकास का काम भी अपने कृषि कार्यालय में ही देखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 8–8, 10–10, 12–12, 15–15 हजार की पंचायतें हैं, क्या इसमें यह सम्भव है? आपने कह दिया कि हमने कोई नीति निर्देशन तय नहीं किया है।

मैं अगला निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, आपने यह कहा है कि ग्रामीण विकास सेवा का गठन करने का विचार नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? ग्रामीण विकास और पंचायती राज को कहां ले जाना चाहते हैं? या आप इसके दर्शन से परिचित नहीं है या विकास सेवा गठित किये जाने को आप उचित और उपयोगी नहीं समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या ऐसा समझ करके पंचायती राज अधिनियम में आपने इसका कोई प्रावधान नहीं किया है? कृपया इसका जवाब दें।

श्री नाथूसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग दो में जी नहीं, इसलिये कहा है कि आपने पूछा कि 80 प्रतिशत पद रिक्त है। 80 प्रतिशत रिक्त नहीं है

(श्री नाथूसिंह)

इसलिये मैंने ऐसा कहा... (व्यवधान).... ग्राप सुन लीजिये, जब ग्राप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। दूसरे में ग्रापने लिखा है कि इससे अत्यधिक धक्का लगा है। जहां-जहां पद खाली थे, वहां कार्य करने के लिये दूसरे लोगों को लगा रखा है इससे विकास को विशेष धक्का लगा हो, ऐसी बात नहीं है इसलिये कहा है जी, नहीं। हमने कृषि पर्यवेक्षकों को लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की थी क्योंकि लगातार ग्राम सेवकों के पद खाली....(व्यवधान).... आप पूरा सुन लेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। **I think you will be satisfied.**

(12.00)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा में भी यह मामला काफी डिस्कस किया था ग्रौर उसमें यह सोचा गया कि यह जो पद खाली हैं वह एक साथ नहीं भर सकते थे। नयी पंचायतें बनी थीं–7 हजार पंचायतों से बढ़कर 9 हजार ग्रौर समथिंग हुई थीं इसलिये कुछ पुराने पद खाली चले ग्रा रहे थे। तुरन्त इनकी किस तरह से व्यवस्था की जाएं इसलिये हमने अतिरिक्त भार कृषि पर्यवेक्षकों को दिया और जहां कृषि पर्यवेक्षक नहीं थे, वहां पर जो टीचर्स थे उनको यह कार्यभार दिया। लेकिन विभाग का जो व्यवहारिक पक्ष सामने ग्राया वह यह ग्राया कि न तो यह टीचर्स और न ही कृषि पर्यवेक्षक, जो सचिव काम करते हैं वह नहीं कर सकते। इस तरह का हमको फीड बैक मिला। इसलिये, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात की और मुझे खुशी है कि लगभग 1700 से ज्यादा ग्राम सेवकों के पद स्वीकृत हुए हैं, इनकी हम तुरन्त भर्ती करने वाले हैं यह रेगुलर ग्राम सेवक बन जाएंगे इसके बाद में हमारे यहां पर कोई दिक्कत नहीं ग्राएंगी।

इसी तरह से जो बाकी के पद थे, हमारे यहां पर विकास ग्रधिकारी दूसरे विभागों से ग्राये ग्रौर उसमें से ज्यादातर पशुपालन के होते हैं तो हमने कोशिश की कि डिफरेंन्ट विभाग से आयें ताकि एक ही विभाग के न हों। उसके तहत जो विकास ग्रधिकारियों के पद खाली चल रहे थे वह हमने भरे हैं। ग्राज की स्थिति में हमने लगभग सभी विकास ग्रधिकारियों के पद इस समय भर दिये है। जे. ईएन. के पद कुछ खाली थे वह हमने भरे हैं। हमने कोशिश की है कि यह जितने भी पद है वह तुरन्त भरे जाएं।

हमने इतना ही नहीं किया, ग्रध्यक्ष महोदय, इसके ग्रलावा हमने एक कमेटी बनायी थी, 1959 के बाद जितना भी पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा था एडमिनिस्ट्रेटिव वह वैसा का वैसा चला ग्रा रहा था। हमने एक कमेटी बनायी ग्रौर कमेटी बनाकर कहा कि ग्राज की इन परिस्थितियों में चूंकि पंचायत समिति के ऊपर ज्यादा कार्यभार ग्रा गया है, जिला परिषदों के ऊपर ज्यादा कार्यभार ग्रा गया है, आज की स्थिति में क्या प्रशासनिक ढांचा होना चाहिये इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। हमने यह रिपोर्ट प्राप्त की। उसके बाद फाइनेंस कमीशन की स्थापना हो गयी ग्रौर फाइनेंस कमीशन ने ग्रपनी रिपोर्ट में कुछ इंगित किया, उसको मिला कर विभाग ने उस पर एक्सरसाइज की ग्रौर हमने डी.

(श्री नाथूसिंह)

ओ. पी. फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ बैठकर चर्चा की और इन पंचायती राज संस्थाओं में किस तरह के पुराने पद भरे जाएं और किस तरह से उनका सुचारू काम हो इस पर अभी विचार चल रहा है....

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो मूल रूप में यों ही रह जाएगा। यह अपने विभाग में क्या कर रहे हैं और अभी आप कह देंगे कि प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मेरा प्रश्न तो अधूरा ही रहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड आएगी तब देख लेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 प्रतिशत खाली नहीं हैं तो कितने प्रतिशत खाली हैं, इसका जवाब तो आप दे दीजिये। 80 प्रतिशत नहीं है तो क्या 79 प्रतिशत है ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दो पंचायत समितियों का पूछ रहे हैं वह बता रहा हूं....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : 80 प्रतिशत नहीं है तो क्या 79 प्रतिशत है ? कितना प्रतिशत है ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दो पंचायत समितियों का पूछा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि कितने पद भरे हैं। विकास अधिकारी के पद भरे हुए हैं, शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद भरे हुए हैं, सहकार प्रसार अधिकारी के पद भरे हुए हैं...

श्री रामपाल उपाध्याय : शिक्षा प्रसार अधिकारी के कितने पद हैं और कितने पद भरे हुए हैं ? एक भरा हुआ है....

श्री नाथूसिंह : जितने भी स्वीकृत पद हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद भरे हुए हैं, पंचायत प्रसार अधिकारी का पद अक्टूबर से रिक्त था, प्रगति प्रसार अधिकारी का पद रिक्त है, कनिष्ठ अभियन्ता का पद भरा हुआ है, लेखाकार का पद भरा हुआ है, कनिष्ठ लेखाकार का पद रिक्त है। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ लिपिक का पद भरा हुआ है, कनिष्ठ लिपिक का पद भरा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी का पद भरा हुआ है। अब इसमें से कितने खाली हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नाथूसिंह : इसी तरह से यह देख लीजिये मैंने जो सूची दी उसको पढ़कर देख लीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपने मुझे कोई सूची नहीं दी।

श्री नाथूसिंह : कनिष्ठ अभियन्ता का पद भरा हुआ है, शिक्षा प्रसार अधिकारी का पद भरा हुआ है, लेखाकार का पद भरा हुआ है....

श्री रामपाल उपाध्याय : यह मेरे पास

(श्री रामपाल उपाध्याय)

एक कागज आया है इसमें कोई सूची नहीं है।

श्री नाथूसिंह : कनिष्ठ लिपिक का पद भरा हुआ है। यह आपके पंचायत समिति की लिस्ट है वह बता रहा हूं..(व्यवधान)..

श्री हरिसिंह (महुआ) : और पंचायत राज मंत्री का भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। अब आप बिराजें....(व्यवधान)....

प्रश्नकाल समाप्त हुआ. (व्यवधान)..

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरे अन्तिम प्रश्न के लिये आपका क्या विचार है ?.... (व्यवधान)....

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

मूण्डवा–दिल्ली बस सेवा

29. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मूंडवा में मूंडवा से खवचाना-मेड़ता रोड़ होते हुए अजमेर, जयपुर, दिल्ली बस सेवा चालू करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस मार्ग का परमिट स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो परमिट जारी होने के बाद भी इस मार्ग पर बस नहीं चलाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) जी, हां। परिवहन निगम जुलाई के पहले पखवाड़े से यह सेवा प्रारम्भ कर देगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील लाडपुरा (कोटा) में रीको द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

36. **श्री शान्तिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा ग्राम रानपुर, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि ?

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की जानी है उन्हें मुआवजे के रूप में राशि का चुकारा किया जाना है ? यदि हां, तो किस दर से ?

(3) क्या उक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही से जो काश्तकार भूमिहीन हो जाएंगे उनको अन्यत्र भूमि का आवंटन किया जाना अथवा रोजगार की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। काश्तकारों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी, हां। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान किया जावेगा। अभी केवल धारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मुआवजा तय होना बाकी है।

(3) उक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही उपरान्त जो काश्तकार भूमिहीन हो जाएंगे, उन्हें नियमानुसार मुआवजे का नकद भुगतान किया जाएगा ताकि वे अपनी सुविधानुसार अन्यत्र भूमि क्रय कर सकें। इसके अतिरिक्त काश्तकारों को लाभान्वित करने हेतु दो।

निम्न दो योजनाएं लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

1. ग्रामीण सुविधा विकास योजना।

2. दक्षता संवर्द्धन योजना।

इन योजनाओं की क्रियान्विति हेतु अवाप्त भूमि के मुआवजे की राशि की 1 प्रतिशत राशि के बराबर एक कोष (प्रत्येक योजना हेतु) की स्थापना प्रस्तावित की गई है।

1. ग्रामीण सुविधा विकास योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित गांवों में विशिष्ट विकासशील परियोजनाएं एवं कल्याणकारी योजनाएं जैसे सामुदायिक भवनों, पाठशालाओं के निर्माण, हैण्डपम्पों का प्रावधान जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, बस स्टैण्ड आदि के निर्माण का प्रावधान है। विकास कार्यों में प्राथमिकता सम्बन्धित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की अभिशंषा पर दी जावेगी।

2. जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की जाती है उनके कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा दक्षता संवर्द्धन योजना के क्रियान्वयन का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के मुआवजे की राशि के 1 प्रतिशत के बराबर राशि का एक कोष स्थापित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य जिन गांवों में भूमि अवाप्त की गयी है उनमें प्रभावी व्यक्तियों में प्रशिक्षण और दक्षता को बढ़ावा दिया जाना है।

इस योजना के क्रियान्वयन से वे काश्तकार लाभान्वित होंगे, जिनकी भूमि अवाप्त की गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में हस्तशिल्प बोर्ड का गठन

37. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने प्रदेश में हस्तशिल्प बोर्ड के गठन किये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त बोर्ड में किन-किन सरकारी अधिकारी/कर्मचारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को पदाधिकारी/सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) हस्तशिल्प बोर्ड के गठन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हस्तशिल्प के प्रोत्साहन विपणन आदि का कार्य राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा हाल ही में एक इंस्टीट्यूट आफ क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में की गयी है। इस इंस्टीट्यूट द्वारा हस्तशिल्पियों के लिये प्रशिक्षण का कार्यक्रम अगस्त, 1996 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट के भवन हेतु जयपुर में भूमि प्राप्त करली गयी है। तथा शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) बोर्ड के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से उसके सदस्य अथवा पदाधिकारी चिह्नित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

नगर निगम (जोधपुर) द्वारा क्रय की गई मशीनें

38. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास**(जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम चुनावों के पश्चात् 30 मार्च, 1996 तक लोडर, ट्रेक्टर, ट्रोली और गटर साफ करने की मशीनें, खरीदी गई ? यदि हां, तो कुल कितनी ? उपरोक्त समस्त प्रकार की मशीनों का विवरण निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :-

(अ) मशीन का नाम।

(ब) खरीदने की दिनांक।

(स) टैण्डर का दिनांक।

(द) प्रत्येक मशीन में कौन-कौन टैण्डरदाता थे एवं उन्होंने क्या-क्या दर प्रस्तुत की ?

(य) मशीन की खरीद के पश्चात् रूल्स के अनुसार टेस्टिग का प्रमाणीकरण किससे करवाया गया ?

(2) उपरोक्त मशीनों की खरीद के पश्चात् आज तक किन-किन मशीनों को प्रत्येक माह में कितने घण्टों तक काम में लाया गया ? लॉग बुक के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त नौ मशीनों की खरीद पश्चात् आज तक नागरिकों की जन सुविधाओं एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रतिमाह प्रति मशीन से औसतन 300 घंटे कार्य लिया गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

सीकर हाउस, जयपुर में निर्मित व्यावसायिक परिसर प्रकरण

39 **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को जयपुर नगर में तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा रिहायशी

(श्री हरजीराम बुरडक)

भूखण्ड आबंटित किये गये थे ? यदि हां, तो डी.डी. कालोनी, सीकर हाउस के पास चांदपोल के बाहर भूखण्ड संख्या 21 क्षेत्रफल 177 वर्गगज किसके नाम से, किस कार्य के लिये, कब आबंटित किया गया था तथा आबंटन की क्या-क्या शर्तें थी ? आबंटन-पत्र व जारी किये गये पट्टे की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूखण्ड पर रिहायशी मकान को तोड़कर मार्च, 1995 में व्यावसायिक परिसर बनाते समय नगर परिषद् ने इसे बन्द करवाने का नोटिस भी दिया था ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं रुका तथा यह भवन कितनी भूमि पर कब बनकर तैयार हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह परिसर आबंटित की गयी भूमि से अधिक भूमि पर तथा नगर परिषद् की बिना इजाजत के बना है ? क्या रिहायशी भूमि को व्यापारिक कार्य में लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या इस क्षेत्र में और भी व्यापारिक परिसर बनाये गये हैं या बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। डी.डी. कालोनी, सीकर हाउस के पास चांदपोल के बाहर भूखण्ड संख्या 21 जिसको जारी किये गये साइट प्लान तथा भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल 243–20 वर्गगज था। श्री वासुमल पुत्र श्री दयाराम को आवासीय उपयोग हेतु आबंटित किया गया था। आबंटन की शर्त आबंटन पत्र में अंकित है। पट्टा जारी नहीं किया गया है। आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। नगर निगम द्वारा मार्च, 1995 में एवं समय-समय पर व्यवसायिक अवैध निर्माण को रोकने हेतु नोटिस दिये गये तथा कार्य भी बन्द करवाया गया, परन्तु पार्टी मौका पाकर व्यवसायिक निर्माण करती रही। वह व्यवसायिक निर्माण वर्तमान में 261–86 वर्गगज भूमि पर निर्मित है। यह भवन वर्ष 1995 में पूर्ण हो गया।

(3) जी, हां। यह सही हैं कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार यह भूखण्ड 17.86 वर्गगज अधिक भूमि पर बनाया गया है एवं नगर निगम की स्वीकृति बिना ही रिहायशी मकान को तोडकर व्यवसायिक निर्माण किया गया है और व्यवसायिक कार्य में लिया जा रहा है। राज्य सरकार नगर निगम को निर्देश देगी कि वह भवन निर्माता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।

(4) इस क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 58 पर व्यवसायिक परिसर का निर्माण हो चुका है तथा भूखण्ड संख्या 22, 23, 25 का व्यवसायिक निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार नगर निगम को निर्देश देगी कि वह भवन निर्माता के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

स्वायत्तशासी संस्थाओं में अभियन्ताओं के पद

40. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में नगर निगम, परिषदों, पालिकाओं में कौन-कौन से सहायक अभियन्ता (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) कार्यरत हैं तथा उनके पैतृक विभाग कौन से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राजस्थान नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं में बजट के अनुसार एवं स्टाफिक पैटर्न के अनुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) के कितने-कितने स्थाई व अस्थाई पद किस-किस जगह स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत पद कार्यरत सहायक अभियन्ताओं से कम हैं ? यदि हां, तो क्या शेष पद स्वीकृत किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ? क्या अतिरिक्त सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को हटाया जावेगा ?

(4) वर्तमान में कौन-कौनसे कनिष्ठ अभियन्ता/अभियान्त्रिक अधीनस्थ कार्यवाहक/सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर कार्यरत हैं तथा कब से ? क्या इस प्रकार कार्यवाहक सहायक अभियन्ताओं (सिविल) के पद पर लम्बे समय से भर्ती, नियमों के विपरीत नहीं है ?

(5) सहायक अभियन्ताओं (सिव्लि) के पदों पर कब-कब पदोन्नति दी गई ? उक्त पदोन्नति विभागीय चयन समिति द्वारा की गई अथवा एडहोक बेसिस पर ? पदोन्नत अभियन्ताओं की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता/अभियांत्रिक अधीनस्थ सिविल के सहायक अभियन्ताओं सिविल के कितने-कितने पद पदोन्नति के कब से रिक्त पड़े हैं ? उक्त पद पदोन्नति से कब तक भर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) वर्तमान में प्राप्त सूचनानुसार राज्य की नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्तमान में नगर निगमों, परिषदों पालिकाओं के बजट के अनुसार सहायक अभियन्ताओं के पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(6) अभी 17 पद पदोन्नति से भरे जाने शेष है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

3.5

हैण्डीक्राफ्ट्स एसोसिएशन, उदयपुर को आबंटित वाणिज्यिक भूखण्ड प्रकरण

41. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, उदयपुर हैण्डीक्राफ्ट्स एसोसिएशन, हाथीपोल बाहर, उदयपुर को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दूधतलाई रोड पर हैण्डीक्राफ्ट्स काम्पलैक्स के लिए प्रन्यास की सामान्य बैठक दिनांक 23 मई, 1990 के निर्णय की अनुपालना में वाणिज्यिक भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो कुल कितने भूखण्ड किन-किन व्यक्तियों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन वाणिज्यिक भू-खण्डों की राशि प्रति वर्ग फीट किस दर पर वसूल की गयी और कुल कितनी राशि इस काम्पलैक्स के भूखण्डों से प्राप्त हुई ? क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) प्रन्यास द्वारा अपनी सामान्य बैठक दिनांक 23 मई, 1990 में लिये गये उक्त निर्णय की अनुपालना में हैण्डीक्राफ्ट्स काम्पलैक्स के विकास, सड़क और नाली निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त व्यावसायिक भूखण्डों को नियमित करने में प्रन्यास को क्या कठिनाई है ?

(5) क्या यह सही है कि दूधतलाई पर इस काम्पलैक्स की जगह को लेकर नगर विकास प्रन्यास और नगर परिषद् में कोई विवाद रहा है और सरकार ने अपने पत्रांक एफ. 16 (46) डी.एल.बी./91/1900 दिनांक 23 अप्रेल, 1991 से इस विवाद के समाधान हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर को अधिकृत किया है ? यदि हां, तो जिला कलक्टर, उदयपुर ने इस संदर्भ में क्या निर्णय लिया और क्या उसकी क्रियान्विति की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है । न्यास की सामान्य बैठक दिनांक 23.5.90 में लिये गये निर्णयानुसार उदयपुर हैण्डीक्राफ्ट्स एसोसियेशन (संस्था) हाथीपोल बाहर, उदयपुर को दूधतलाई रोड पर 48 व्यावसायिक भूखण्ड 48.00 रु. की दर से कुल क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट 6,72,000.00 में इस न्यास पत्रांक 107/योजना/90–91 दिनांक 19.6.90 से आबंटित किये गये । सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) इन 48 वाणिज्यिक भूखण्डों की राशि प्रति वर्ग फीट 48.00 रु. की दर से क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट की कुल 6,72,000.00 रु. वसूल की गयी ? सभी को कब्जा दिनांक 3.8.91 को दिया जा चुका है ।

(3) न्यास द्वारा इस काम्पलैक्स पर निम्न व्यय किया जा चुका है—

1. सड़क निर्माण कार्य 2,86,553.00 रु.

(स्वायत्त शासन मंत्री)

2. विद्युत कार्य 2,18,000.00 रु.

उपरोक्त कार्य करा दिये गये हैं। इसके अलावा न्यास द्वारा सी.सी. रोड, मुख्य नाली रिटेनिंगवाल की 6,86,000.00 रु. का तखमीना तैयार कर स्वीकृत किया जा चुका है निविदा दिनांक 25.7.96 को खुलेगी।

(4) न्यास निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड केवल ग्राउण्ड फ्लोर व टाइप डिजाइन के अनुसार ही निर्माण करने हेतु दिये गये लोगों द्वारा टाइप डिजाइन के विरुद्ध व ऊपर भी निर्माण कर लिया। इस सम्बन्ध में दिनांक 1.12.95 को जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, न्यास की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। निर्णयानुसार नियमन की राशि न्यास कोष में जमा कर नियमित किये गये हैं।

(5) नगर परिषद् द्वारा उक्त भूमि सिटीवाल के अन्दर होने से अपनी होने का उजर किया, किन्तु उक्त भूमि शहर की ख.नं. 413 क्षेत्रफल 0–1000 हैक्टेयर एवं ख.नं. 414 क्षेत्रफल 0–1500 एयर जो नजूल लैंड नहीं होकर बिला नाम (सिवाय चक) आबादी है जिसकी न्यास से कैपिटलाइज वेल्यू की राशि वसूल की जाकर जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक 4/12/389 राजस्व / 86 / 7178 / 89 दिनांक 31.12.86 द्वारा आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ न्यास को हस्तान्तरित की गयी थी। राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 16(46)डीएलबी/91/1900 दिनांक 23.4.91 में इस विवाद के समाधान हेतु जिला कलक्टर, उदयपुर को अधिकृत किये जाने से न्यास की बैठक दिनांक 12.7.91 के निर्णयानुसार 50% राशि रुपये 3,36,000 दिनांक 31.7.91 को नगर परिषद्, उदयपुर को भेजे गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

सागवाड़ा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप

42. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ अब तक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं ? यदि हां, तो किन-किन अनियमितताओं के व अब तक प्राप्त हुई विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या जांच करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मामले की जांच नहीं कराये जाने से दोषी को आपसी फैसले का मौका मिला है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अनियमितताओं की जांच जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद्, डूंगरपुर से करायी गयी। प्राथमिक जांच में दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत प्रकरण न्यायिक जांच में भेजा गया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी, नहीं। न्यायिक जांच अभी तक विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल (जयपुर) को रियायती दर पर आवण्टित भू-खण्ड प्रकरण

43. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि संतोकबा दुर्लभजी हास्पिटल, जयपुर में किसी भी गरीब, गम्भीर बीमार को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध नहीं करायी जाती ? यदि हां, तो वर्ष 1995–96 में किस-किस को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा नहीं की जाती ? यदि हां, तो इस संस्था को रियायती दर पर भूमि किस आधार पर आवंटित की गयी ?

(3) क्या सरकार इस संस्था द्वारा प्रार्थना पत्रों, आवंटन शर्तों की अवहेलना करने पर व्यावसायिक दर पर भूमि की राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह चिकित्सालय राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अतः सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) यह चिकित्सालय राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। अतः जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है। भूमि आवंटन के समय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की शर्त नहीं लगायी थी।

(3) आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है।

हथरोई फोर्ट स्कीम (जयपुर) में व्याप्त गंदगी

44. **श्री प्रभूराम गरासिया**(पिण्डवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गोपाल बाड़ी, जयपुर स्थित हथरोई फोर्ट स्कीम के सोमानी मार्ग एवं आस-पास के क्षेत्र में काफी गन्दगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गन्दगी को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में नियमित सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों की एवं कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो कर्मचारी वहां नियुक्त हैं वे वहां रहने वालों से पैसा वसूल कर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या वर्षा के मौसम को दृष्टिगत

(श्री प्रभूराम गरासिया)

रखते हुए अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र की नालियों/नालों की भी सफाई की गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गोपाल बाड़ी, सोमानी मार्ग एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्ण सफाई व्यवस्था है।

(2) जी, हां। उक्त क्षेत्र में नियमित सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था है। उक्त क्षेत्र में तीन फावड़े वाले एवं चार झाड़ू वाली सफाई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं।

(4) नालियों की नियमित रूप से सफाई व्यवस्था है तथा इस क्षेत्र में कोई बड़ा नाला नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

मण्डल द्वारा आबंटित मकानों के भुगतान की प्रक्रिया प्रकरण

45. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि यदि किसी आवेदक ने मूल आवेदन बोर्ड की किश्त भुगतान योजना (हायर पर्चेज स्कीम) के अन्तर्गत कराया था परन्तु उसकी इच्छा के विरुद्ध आबंटन नकद भुगतान योजना (आउट राइट स्कीम) के अन्तर्गत कर दिया गया तो उस आबंटी को पुनः आबंटन हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत किया जावेगा ? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ आबंटियों को उपरोक्त निर्णय के अनुसार मण्डल द्वारा आवास आबंटित किये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर की काला कुआ योजना में आवास संख्या 4/433 का आबंटन भी एक आवेदक (बोर्ड कर्मचारी) को उसके मूल आवेदन, जो कि हायर पर्चेज योजना के अन्तर्गत था, के विरुद्ध आउट राइट स्कीम में कर दिया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त आबंटी (बोर्ड कर्मचारी) के बार-बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत भी उसका आबंटन आउट राइट पर्चेज स्कीम के स्थान पर हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है ? इस ढिलाई के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ?

(5) आबंटी को उपरोक्त मकान (4/433) हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत कब तक आबंटन कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डल द्वारा यह निर्णय माह सितम्बर, 1994 में लिया गया था।

(2) जी, हां।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) काला कुआ योजना में आवास सं. 4/433 के आवंटी का मूल आवेदन हायर परचेज के तहत ही था, किन्तु आवेदक द्वारा नकद भुगतान पद्धति में विकल्प देने के उपरान्त उन्हें आबंटन जिला आवंटन समिति की 23 वीं बैठक दिनांक 17.12.93 में नगद भुगतान पद्धति पर किया गया।

(4) उपरोक्त आबंटी के द्वारा उनके मूल हायर पर्चेज के विपरीत नगद भुगतान पद्धति का स्वतः विकल्प देने के पश्चात ही चूंकि उन्हें नगद भुगतान पद्धति पर आवास सं. 4/433 काला कुआ एस. डब्लू. बी. स्कीम में किया गया, अतः इसे हायर पर्चेज स्कीम के तहत आबंटित किया जाना संभव नहीं है।

(5) उपरोक्त आबंटी को 4/433 का आबंटन हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत किया जाना संभव नहीं है।

नागतलाई (जयपुर) में प्राधिकरण द्वारा आबंटित आवासीय भू–खण्ड

46. श्री काली चरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सूरजपोल नागतलाई जयपुर में प्राधिकरण के बनाये आवासीय क्वार्टर्स वर्ष 1988 से अब तक किस प्रकार आबंटित किए गए? उक्त समस्त हस्ताक्षरित प्रमाणित लाटरी की सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(2) कुल 171 क्वाटर्स किन-किन को किस किस समय आबंटित हुए उनके नामवार, नम्बरवार एवं तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने क्वाटर्स बिना लाटरी के एवं किस प्रकार आबंटित किए गए एवं कितने क्वाटर्स न्यायालय के निर्णय से आबंटित किए गए?

(4) किन–किन क्वाटर्स की किश्तों की राशि मय पेनल्टी के बकाया है? समस्त आबंटियों की बकाया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) प्राधिकरण द्वारा पिछले दो साल में कितनी राशि (बकाया) प्राप्त करने का प्रयास किया गया?

(6) आबंटन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कितने क्वाटर्स पर बे-दखली का नोटिस दिया एवं कितने क्वाटर्स से आबंटी को बे–दखल कर राशि प्राप्त की गयी? यदि नहीं, तो क्यों एवं बे–दखल नहीं किया गया तो क्यों?

(7) कितने कार्नर क्वाटर्स (आबंटन के पश्चात्) परिवर्तित किये गये एवं उनसे पूर्व आवास गृह की कितनी राशि (किश्त-पैनल्टी) वसूल की गयी? एवं किन-किन कारण से उन्हें कार्नर क्वाटर्स परिवर्तित किए गए? कार्नर एवं सामान्य क्वाटर्स परिवर्तन के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूरजपोल नागतलाई में प्राधिक-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रण द्वारा बनायी गयी आवासीय क्वाटर्स की योजना में क्वाटर्स का आबंटन लाटरी पद्धति द्वारा किया गया है जिन चार क्वाटर्स का आबंटन बिना लाटरी के किया गया था, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। सूची "अ" संलग्न है।

(2)इस योजना में कुल 171 क्वाटर्स के आबंटन की सूचि 'ब' संलग्न है।

(3) इस योजना में कुल चार क्वाटर्स बिना लाटरी के आबंटित किये गये थे जिन्हें निरस्त कर पुनः लाटरी द्वारा आबंटित कर दिया गया है। तीन क्वाटर्स का मामला न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन है।

(4) जिन क्वाटर्स की किस्तों की राशि मय शास्ति बकाया है उनकी सूची परि. "ब" संलग्न है।

(5) प्राधिकरण द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 12.00 लाख रुपये बकाया राशि के मांग पत्र जारी कर राशि प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

(6) आबंटन पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार 72 आबंटियों को क्वाटर्स से बेदखल करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जा चुके हैं। बेदखल को कार्यवाही जारी है।

(7) कुल 6 कार्नर क्वाटर्स परिवर्तित किये गये हैं जिनमें से एक कार्नर क्वार्टस के आबंटी को कार्नर क्वार्टर हो दिया गया है। शेष 5 कार्नर क्वार्टस बाद में आबंटित किये गये हैं। इनसे कुल 20, 980/–रुपये किश्ते/शास्ती के रूप में वसूल किये गये हैं। जिन कारणों से कार्नर क्वार्टस परिवर्तित किये गये हैं उनका मामला जांच में विचाराधीन है सामान्य रूप से कार्नर क्वार्टस आबंटन के लिये 500/–रु. अतिरिक्त राशि ली जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मारवाड़ जंक्शन व देसूरी के ट्यूबवैल व कुओं पर विद्युत् कनेक्शन प्रकरण

47. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन व देसूरी उप खण्ड में विभाग द्वारा ट्यूबवैल व कुओं पर विद्युत् मोटरें लगायी हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कितना विद्युत व्यय का भुगतान किया जा रहा है ?

(2) क्या जिन ट्यूबवैल व कुओं पर विद्युत कनेक्शन लगे हुए हैं वे सभी ट्यूबवैल चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्या मण्डल द्वारा इनका भी बिल भिजवाया जाता है एवं क्या सरकार द्वारा इनका भी भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा गत वर्ष औसतन 33,83,472/– रुपये का विद्युत व्यय का भुगतान किया गया है।

(2) जी, हां। सभी नलकूप एवं कुए चालू नहीं हैं परन्तु पांच नलकूपों के विद्युत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बिल प्राप्त हो रहे थे एवं उनका भुगतान किया जा रहा था। अब इन परित्यक्त 3 नलकूपों एवं अस्थायी रूप से बन्द 2 नलकूपों के विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करवा दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्रामों हेतु पेयजल व्यवस्था

48. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करें :–

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के किन-किन ग्रामों को टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या इन ग्रामों को समुचित रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

उल्लेखित विधानसभा क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों को टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है :–

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	कोड सं.
(1)	कुम्हेर	अजान	24
(2)	भरतपुर	टहरकी	25
(3)	,, ,,	नगला हरचन्द	64
(4)	,, ,,	धानौता	5
(5)	,, ,,	मोरोली कलां	67
(6)	,, ,,	मोरोली खुर्द	66

उपरोक्त में से ग्राम अजान, धानौता, मोरोली कलां, मोरोली खुर्द की योजनाएं स्वीकृत होकर कार्य प्रगति पर हैं। इन्हें वर्ष 1997 की गर्मियों से पूर्व पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम टहरकी हेतु योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है, एवं ग्राम नगला हरचन्द हेतु योजना के लिये उपयुक्त स्रोत का सर्वेक्षण किया जाने के पश्चात योजना बनाकर धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वियन हो सकेगा।

जवाई बांध से पेयजल व्यवस्था

49. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में जवाई बांध से कुल कितने शहरों/कस्बों/गांवों को पीने हेतु पानी दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जालोर जिले के जालोर एवं आहोर विधान सभा क्षेत्रों में ऐसे कुल कितने गांव हैं, जिनकी स्वयं की सरहद में पीने योग्य भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त गांवों को जवाई बांध से पीने का पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाई बांध से पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले तीन शहरी एवं 217 ग्रामों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) उल्लेखित विधानसभा क्षेत्रों में जहां भूजल निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है उनकी वांछित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं ।

(3) वर्तमान में जवाई बांध का पानी जोधपुर, पाली एवं जालौर जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है जोधपुर शहर को भविष्य में इन्दिरा गांधी नहर से वांछित मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने के उपरान्त इसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाकर ही निर्णय लेना संभव होगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले की पेयजल योजना

50 श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिरोही जिले में कुल कितने क्षेत्रों में लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं ?

(2) क्या यही है कि सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में पीने हेतु शुद्ध पानी देने के लिये कोई योजनाएं बनाई गयी हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां के लिये ?

(3) उन योजनाओं की क्रियान्विति कब तक होगी ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्तमान में 30 ग्रामों में उपलब्ध पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक है ।

(2) जी, हां । निर्धारित मापदण्डों से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले ग्रामों में उचित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कंसलटेंट्स के माध्यम से एक प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार किया गया है । इस क्षेत्र के ग्रामों का एपिडमोलोजिकल सर्वेक्षण भी कराया गया है ।

(3) उक्त परियोजना हेतु संभावित स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वित्तीय सहायता के प्राप्ति के पश्चात इन्हें क्रियान्वित किया जाना संभव होगा ।

मांडल (भीलवाड़ा) की ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था

51. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मांडल तहसील जिला भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत बागोर, मेजा, अमरगढ़ एवं भादू के लिये उचित मूल्य की दुकानों की क्या व्यवस्था है ? किन-किन व्यक्तियों को दुकानें आबंटन कर रखी हैं इनमें से केरोसिन कौन वितरण कर रहा है ?

(2) क्या उक्त पंचायतों के उचित मूल्य की दुकनों के लाइसेंसधारियों के विरूद्ध जनता द्वारा शिकायतें पेश की गयी हैं ? यदि हां, तो अब तक इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या इन लाइसेंसधारियों के विरूद्ध

(श्री कालूलाल गूजर)

जांच कराकर दोष साबित होने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही कर इनके लाइसेंस निरस्त करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) मांडल तहसील की ग्राम पंचायतों में निम्न प्रकार से उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत है :–

1– श्री नन्दराम जाट एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति, बागोर

2– श्री रामस्वरूप अजमेरा, मेजा के लिए

3– श्री जगदीशचन्द्र सुवालका, अमरगढ़ के लिए

4– क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मांडल की शाखा मादु, मादु के लिए उक्त दुकानदारों द्वारा केरोसीन का वितरण नहीं किया जाता है ।

(2) उपरोक्त पंचायतों के उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंसधारियों के विरुद्ध जनता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(3) जी, नहीं । जबकि शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनस्पति घी निर्माण उद्योग

52. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वनस्पति घी निर्माण की एकाधिक फैक्ट्रियां लगी हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रत्येक की उत्पादन क्षमता, ब्राण्ड, आशय पत्र, उत्पादन वर्ष, गुणात्मकता आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त फैक्ट्रियों में प्रबन्ध संचालक मंडल कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनमें सरकार का कितना दखल है ? अलग–अलग फैक्ट्रीवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त सभी फैक्ट्रियां कार्यरत हैं ? यदि हां, तो प्रदेश की सम्पूर्ण आवश्यकता का कितना प्रतिशत घी इनसे उत्पादित होता है ?

(4) क्या वनस्पति घी वृद्धि हेतु सरकारी क्षेत्र में तथा निजी क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी, हां । प्रदेश में 13 वनस्पति घी निर्माण की इकाईयां लगी हुई हैं । इन इकाईयों की उत्पादन क्षमता, ब्राण्ड आशय पत्र एवं उत्पादन वर्ष का वर्णन परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । लिमिटेड कम्पनियों में संचालक मण्डल कार्यरत हैं । राज्य सरकार द्वारा वित्तीय हिस्सेदारी की इकाई के संचालक मण्डल में राज्य सरकार/राज्य सरकार के निगम के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । इकाईवार सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) 13 इकाईयों में से 9 इकाईयां

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

कार्यरत हैं। प्रदेश की वनस्पति घी की सम्पूर्ण आवश्यकता का आंकलन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(4) सरकारी क्षेत्र में वनस्पति घी की इकाई लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निजी क्षेत्र में 40 इकाइयों ने केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्रालय को वनस्पति घी, इकाई की स्थापना के प्रस्ताव (आई.ई.एम.) प्रेषित हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पार्वती बांध (धौलपुर)

53. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पार्वती बांध (धौलपुर) को सुदृढ़ एवं मरम्मत कराये जाने की दृष्टि से खाली करने की कार्य योजना हाथ में ली गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि व्यय की जाकर कब से कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा इस बांध से पुनः कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(2) क्या सरकार इस बांध से प्रभावित होने वाले काश्तकारों के लिये इस परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक कोई वैकल्पिक रोजगार के अवसर मुहैया कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। पार्वती बांध जिला धौलपुर को मजबूत एवं इसकी मरम्मत का कार्य 2770.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से माह अक्टूबर, 1996 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस बांध के पूर्ण होने पर 24667 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(2) जी, नहीं। राजस्थान जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 32 (ब) के तहत विधि में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

इंदिरा गांधी नहर से फलौदी लिफ्ट योजना पर व्यय

54. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर से फलौदी लिफ्ट योजना के नाम से कोई योजना चल रही है ? यदि हां, तो कब से एवं वर्तमान में इस योजना के शुरू होने से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अब तक कौन-कौनसा कार्य हुआ एवं कितनी कितनी धन राशि का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रखा गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996–97 के लिए क्या वित्तीय प्रावधान है ?

(3) इस योजना की कितनी लम्बाई है, कितनी वितरिकाएं हैं एवं उनकी लम्बाई क्या–क्या है ? उनमें से कितना कार्य हो चुका है एवं कितना बाकी है ?

(4) इसके निर्माण से कितना एवं कौन कौन सा क्षेत्र सिंचित होगा एवं कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें इसके अन्तर्गत जाती हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1984 से मार्च, 1996 तक वर्षवार निम्न प्रकार वित्तीय प्रावधान/व्यय हुआ और फलौदी मुख्य लिफ्ट नहर का 11.01 कि.मी. व वितरण प्रणाली में 0.35 कि.मी. का निर्माण हुआ।

राशि करोड़ रुपये

वर्ष वित्तीय	3/85 तक	85–86	86–87	87–88	88–89	89.90	90–91
व्यय	0.03	0.23	0.22	1.63	1.04	0.59	1.30
वर्ष वित्तीय	91 92	92–93	93–94	94–95	95–96	योग	
व्यय	1.11	0.69	1.19	2.10	3.17	= 13.3.	

(2) वर्ष 1996–97 में 3 (तीन) करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(3) मुख्य लिफ्ट नहर की लम्बाई 34 किलोमीटर व वितरण प्रणाली की लम्बाई 297 किलोमीटर है। इनमें से मुख्य नहर 11.01 किलोमीटर व वितरण प्रणाली 0.35 किलोमीटर बन चुकी है।

(4) इसके निर्माण से फलौदी, पोकरण एवं कोलायत तहसीलों का लगभग 63 हजार हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा। ग्राम पंचायतों के बारे में सूचना विस्तार से क्षेत्र के चक प्लान अनुमोदन के पश्चात ही दी जा सकती है।

सिंचाई तालाबों व नहरों की मरम्मत पर व्यय

55 श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के लिए प्रदेश के लघु व मध्यम सिंचाई तालाबों व नहरों की मरम्मत के लिए किस किस मद में कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार वर्ष 1996–97 में प्रदेश के बांधों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए कितनी राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त राशि को बांधों व नहरों की जर्जर हालत को देखते हुए समुचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के लिये प्रदेश में लघु सिंचाई तालाबों व नहरों की मरम्मत हेतु राशि शीर्षलेखा 2702 लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1534.64 लाख का वर्ष 1994–95 के लिये एवं वर्ष 1995–96 के लिये 1696.66 लाख का वितरण सम्बन्धित सिंचाई खण्डों को किया गया। लेखा शीर्ष 2701 के अन्तर्गत 1994–95 के लिये रुपये 550.02 लाख का एवं वर्ष 1995–96 के लिये रुपये

(सिंचाई मंत्री)

591.69 लाख का विभिन्न सिंचाई खण्डों को वितरण किया गया।

(2) वर्ष 1996-97 में प्रदेश के बांधों की मरम्मत व रख-रखाव के लिये विभाग हेतु 2487.00 लाख रुपये आय–व्ययक अनुमानों में पूरे वर्ष के लिए रखा गया हैं उसमें से प्रथम चार माह के लिये 829.00 लाख प्राधिकृत किया गया हैं। इसमें गंगनहर के मरम्मत/रख-रखाव कार्य सम्मिलित हैं। रख-रखाव/मरम्मत हेतु 580.00 लाख एवं कार्यप्रभारी कर्मचारियों के लिये रुपये 1907.00 लाख सम्मिलित हैं।

(3) जी, नहीं। उपरोक्त राशि को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला परिषद्/पंचायत समितियों के कार्मियों की पदोन्नति

56. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) एवं **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17 (10) एफ.डी. आर. 2/83 आर.एस.आर. 12/92 दिनांक 26 मई, 1992 द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि देने के आदेश जारी किये गये हैं ?

(2) क्या उक्त आदेश के अनुसरण में जिला परिषद्/पंचायत समिति में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिये गये हैं ? यदि हां, तो जिलेवार व कर्मचारीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि उक्त आदेशों की पालना जिला परिषद्/पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं की गयी है तो उसके लिये कौन दोषी है ?

(4) क्या अब सरकार उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जिला परिषद व पंचायत समिति स्वतंत्र निकाय हैं। वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ 17 (10) एफ.डी.जी. आर 2/83 आर.एस आर. 12/92 दि. 26.5.92 जिला परिषद एवं पंचायत समितियों पर लागू नहीं होता है। फिर भी जिला परिषदों व पंचायत समितियों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति अवसर बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है, और राज्य वित्त आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की गयी है, उस पर भी विचार किया जा रहा है।

(3) इसका उत्तर उक्त पैरा 2 में दिया गया है।

(4) इसका उत्तर भी उक्त पैरा 2 में दिया गया है।

ग्राम पंचायत सीहोड़ी (सीकर) में पंचायत भवन का निर्माण

57. श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीहोड़ी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर में पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की ?

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त पंचायत भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाना था ?

(4) उक्त निर्माण कार्य को प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) अब उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर की स्वीकृति पत्रांक 4092–99 दिनांक 29.12.94 से 99,000/– रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(2) जी, नहीं। पंचायत भवन हेतु उपयुक्त स्थान के अभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) उक्त पंचायत भवन का निर्माण कार्य पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर के माध्यम से ग्राम पंचायत सिहोड़ी के द्वारा करवाया जाना था।

(4) पंचायत भवन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया था, इसलिये कार्य प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के लिये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) उक्त पंचायत भवन हेतु ग्राम सिहोडी के निवासी श्री मुगताराम पुत्र श्री बालुराम जाट एवं श्री घीसाराम पुत्र श्री मुगताराम जाट ने अपनी कृषि भूमि में से 195 वर्गगज भूमि का दानपत्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया है। उपयुक्त स्थान का चयन होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

ग्राम पंचायत कोचरिया (भीलवाड़ा) के हिसाब का अंकेक्षण

58. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सुवाणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोचरिया के सरपंच पद पर श्री शिवसिंह शक्तावत चुने गये और सरपंच रहे ? यदि हां, तो कौन-कौन से वर्षों में कब से कब तक ?

(2) क्या उक्त श्री शिवसिंह के सरपंच रहने के दौरान ग्राम पंचायत कोचरिया के हिसाब का कोई ऑडिट कराया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से वर्षों का ऑडिट किस-किस से व कब-कब कराया गया और

(श्री कालूलाल गूजर)

उसमें क्या पाया गया ? यदि ऑडिट नहीं कराया गया तो क्यों ? इसमें कौन-कौन दोषी हैं ? सरकार कब तक ऑडिट करा देगी ?

(3) क्या उक्त पूर्व सरपंच द्वारा भारी घोटाला कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । ग्राम पंचायत कोचरिया में जून, 1988 से 1991 तक श्री शिवसिंह सरपंच रहे ।

(2) जी, हां । वर्ष 1994–95 तक का ऑडिट हो चुका है । वर्ष 1995–96 के लिये आडिट पार्टी का जुलाई, 1996 में कार्यक्रम प्रस्तावित है । आडिट में कोई दोषी नहीं पाया गया है ।

(3) जी, नहीं । ऐसी कोई शिकायत जांच हेतु लम्बित नहीं है । अतः इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम बोराज (जयपुर) में कुए की खुदाई हेतु स्वीकृत राशि

59. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम बोराज तहसील दूदू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1573 की खातेदारी किसके नाम है ? खतौनी नकल सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 1573 के कुए हेतु 5000/– रुपये स्वीकृत किये गए ? यदि हां, तो इसको दूसरी किस्त क्यों नहीं दी ?

(3) क्या यह सही है कि जनता द्वारा इस कुएं के बारे में शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) जनता की शिकायत किसके पास कब से लम्बित है ? लम्बित रहने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार सरपंच, उपसरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम बोराज तहसील दूदू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1573 के रकबा एक बिस्वा गैर मुमकीन चाह की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 के अनुसार श्री सजनसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज है जमाबन्दी की नकल संलग्न है ।

(2) ग्राम पंचायत बोराज द्वारा जवाहर रोजगार योजना की वार्षिक योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा 5,000/– रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसके अनुसार पंचायत द्वारा 4,965/– रुपये का व्यय किया गया। जवाहर रोजगार योजना की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सीधे ही भेजी जाती है, और उक्त राशि पंचायतों द्वारा ही व्यय करने का प्रावधान है ।

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

स्वीकृत राशि योजनानुसार 5,000/– रुपये थी अतः दूसरी किस्त देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी, हां। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(4) जनता को शिकायत जिला परिषद में प्राप्त हुई थी जिसकी जांच पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा कर ली गयी है। अतः यह लम्बित नहीं है।

(5) जी, हां। कार्यवाही प्रारम्भ कर सरपंच, उपसरपंच को नोटिस दिये जा चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया).

लेखा संवर्ग के रिक्त पद

60. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में लेखा संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद किन-किन जिला परिषदों एवं किन-किन पंचायत समितियों में कब-कब से खाली हैं? क्या सरकार इन्हें भरने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इन संस्थाओं में प्रीचैक व्यवस्था लागू करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में लेखा संवर्ग में स्वीकृत पदों का मानचित्र निम्न प्रकार है :–

स्वीकृत पद	जिला परिषदें	पंचायत समितियां
लेखाधिकारी	13	—
सहा. लेखाधिकारी	18	—
लेखाकार	32	237
क. लेखाकार	30	237 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 237 द्वारा विशिष्ट योजना संगठन विभाग

(2) स्वीकृत पदों में से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियोंवार जब से रिक्त पद है, की सूची परिशिष्ट अ, ब, स, द, संलग्न है।

इन पदों को भरने की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर व्यय

61. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर निर्माण का कार्य अभी चल रहा है ? यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ हुआ ? कितने चरणों में निर्माण कार्य सम्पादित हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस नहर से प्रदेश की कुल कितनी भूमि सिंचित होती है, कितने ग्रामों/कस्बों को पेयजल उपलब्ध होता है तथा कितने जिले लाभान्वित होते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्रारम्भ से 31 मई, 1996 तक इस नहर पर कुल कितना धन खर्च हुआ, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इस नहर से वन विकास, चरागाह विकास, पेयजल सप्लाई आदि में जो वृद्धि हुई है उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । इन्दिरा गांधी नहर निर्माण का कार्य अभी चल रहा है । परियोजना का कार्य 31 मार्च, 1958 को प्रारम्भ किया गया था । इस परियोजना का कार्य दो चरणों में विभाजित है । प्रथम चरण में हरिके बैराज से 204 कि.मी. लम्बी फीडर नहर व 189 कि.मी. मुख्य नहर तथा 3400 किलोमीटर लम्बाई की वितरिका प्रणाली है । द्वितीय चरण में मुख्य नहर की 189 कि.मी. से 445 कि.मी. तक एवं 5780 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली है ।

(2) इस योजना से कुल 1869 लाख हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा । नहर में पेयजल व औद्योगिक कार्यों हेतु 1200 क्यूसेक जल आरक्षित है जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, झुन्झुनूं, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के निवासी लाभान्वित होंगे । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सूचना के अनुसार इन जिलों के लगभग 3461 गांव व 29 कस्बों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

(3) माह मई, 1996 तक नहर निर्माण पर 1437 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं जिसमें 1032 करोड़ रुपये (राज्य पर) योजना मद में, 40 करोड़ रुपये विशिष्ट योजना मद में (केन्द्रीय सहायता) 346 करोड़ रुपये सीमा क्षेत्र विकास मद में (केन्द्रीय सहायता) तथा 19 करोड़ रुपये अकाल (केन्द्रीय सहायता) में व्यय हुए हैं ।

(4) सिंचित क्षेत्र विकास की सूचना अनुसार अब तक 1.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (चरागाह विकास सहित) कार्य किया गया है । पेयजल के बारे में उत्तर भाग–2 में दिया है ।

तहसील पचपदरा में बाढ़ से बचाव के कार्य

62. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या बाढ़ एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) तहसील पंचपदरा में लूनी नदी में बांढ़ आ जाने के खतरे से बचाव हेतु सन् 1995–96 और 30 मई, 1996 तक क्या-क्या कार्य किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कानाना की सरहद में प्रवीणकरण के कुए के पास और ग्राम सराणा की सरहद में मोमाराम चौधरी के वेरा हटो वाले के पास लूनी नदी में थोड़ा पानी आने पर भी भूमि का कटाव प्रारम्भ हो जाता है जिससे उपजाऊ भूमि यदि तटबन्दी नहीं की गई तो नष्ट होने की पूरी सम्भावना रहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) तहसील पचपदरा में लूनी नदी में बाढ़ आ जाने के खतरे के बचाव हेतु सन् 1995–96 और 30 मई, 19 6 तक करवाये गये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट–'क')

(2) जी, हां । इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा जिले को लूनी नदी से प्रभावित क्षेत्र सिगोर से बालोतरा तक तटबन्दी करने की योजना 16.09 करोड़ रुपये की तैयार की जाकर स्वीकृति हेतु भिजवाई गयी है । जिसके स्वीकृत होने पर इन कृषि बेरो की तटबन्दी का कार्य करवाया जा सकेगा । फिलहाल इन कृषि बेरो को नुकसान से बचाने हेतु रेत के थेले भरवाकर समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी, जिससे नुकसान की सम्भावना कम रहेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 63

(स्थगित)

अजमेर जिले के अकालग्रस्त गांव

64. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कौन–कौन से गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति केकड़ी व भिनाय में अकाल राहत कार्यों के तहत कौन–कौन से कार्य कब-कब खोले गये तथा उनमें श्रमिक संख्या कितनी मंजूर की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपरोक्त मंजूरशुदा कामों में से कुछ काम पूरे किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में अभाव घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट–'अ')

(2) पंचायत समिति केकड़ी व भिनाय में स्वीकृत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट 'ब')

(3) मंजूर शुदा कार्यों में से पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–'स')

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या 65

(स्थगित)

कोटा शहर हेतु बाढ़ राहत कार्य

66. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर को बाढ़ मुक्त करने की दृष्टि से गत वर्ष संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक महनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार कोटा के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाले पानी को चैनल द्वारा चंबल नदी में डाला जाना था ? यदि हां, तो यह योजना अब तक किन कारणों से मूर्त रूप नहीं ले पायी है ?

(3) क्या सरकार कोटा शहर को बाढ़ मुक्त कराने की दृष्टि से उक्त योजना पर अब युक्त स्तर पर कार्य करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 26.8.95 को कोटा में आयी बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 6.11.95 को संभागीय आयुक्त कोटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें बाढ़ की पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में कोटा नगर का सर्वे व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात् प्रारम्भिक सर्वे करवा कर रिपोर्ट तैयार की गई थी।

(2) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(3) जी, हां। इस योजना की क्रियान्विति हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

जगतपुरा (जयपुर) से निगम की बसों का संचालन

67. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जगतपुरा (जयपुर) से वर्तमान में निगम की बसों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा कहां-कहां से कितनी-कितनी बसें संचालित की जा रही है ? संचालित की जा रही बसों की समय-सारणी मय किराये के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर यात्रियों का काफी मात्रा में आवागमन होने के कारण इस मार्ग पर और बसें चलाने के सुझाव समय-समय पर नागरिकों द्वारा विभाग को दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार यात्रियों की संख्या को देखते हुए वर्तमान में इस मार्ग पर और बसें भी संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी मात्रा में कहां-कहां तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा जगतपुरा से दी जा रही सेवाओं, उनकी समय सारणी एवं किराये का विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट 1 के रूप में रख दिया गया है।

(2) निगम द्वारा इन मार्गों पर संचालित बस सेवाओं को वर्तमान में औसतन क्रमश: 86, 89 एवं 48 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हो रहा है, जिसे देखते हुए इन मार्गों पर बस सेवाओं में वृद्धि किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय वाहनों पर लालबत्ती

68. **श्री हरेन्द्र मिर्धा** (नागौर) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय वाहनों पर से लालबत्ती हटाने के लिये समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितनी गाड़ियों पर लालबत्ती लगी हुई है तथा अनधिकृत उपयोग करने वालों पर कब-कब क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "क–1" से "क–3" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–प. 13(14) परि/90 दिनांक 22–10–94 द्वारा जिन उच्च पदस्थों को लाने ले जाने वाले अथवा उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लालबत्ती के उपयोग की अनुमति दी गयी है उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। समय-समय पर वाहनों पर अनधिकृत रूप से लगी लालबत्ती हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा, बून्दी तथा बारां डिपो में चालक तथा परिचालकों के रिक्त पद

69. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ डिपो में वर्तमान में चालक व परिचालक के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं।

(2) स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद विभिन्न डिपो में रिक्त चल रहे हैं ?

(3) कुल स्वीकृत पद व रिक्त पदों का विवरण डिपोवार सदन की मेज पर रखें। रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आगारों में चालक, परिचालकों के पद निम्नानुसार स्वीकृत है :-

आगार का नाम	स्वीकृत पद	
	चालक	परिचालक
कोटा	213	213
बूंदी	187	187
बारां	192	192
झालावाड़	163	163

(2) इन स्वीकृत पदों में से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आगारों में चालक, परिचालकों के पद निम्नानुसार रिक्त हैं :-

आगार का नाम	रिक्त पदों की संख्या	
	चालक	परिचालक
कोटा	20	9
बूंदी	14	15
बारां	22	12
झालावाड़	—	3

(3) आगारवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती करने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

मकराना औद्योगिक क्षेत्र हेतु यातायात व्यवस्था

70. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार मकराना औद्योगिक कस्बे में मजदूरों के आवागमन के लिये पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में औद्योगिक कस्बे मकराना में मजदूरों के आवागमन के लिये 14 मार्गों पर 79 निजी बसें और 37 मार्गों पर निगम की 130 सेवाएं उपलब्ध हैं। नये परमिट अथवा नये मार्गों पर परमिट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

राज्य एवं अन्तरराज्यीय स्तर पर बसों को जारी परमिट

71. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में दिसम्बर, 1993 से मई, 1996 तक कितनी बसों को राज्य एवं अन्तरराज्यीय परमिट जारी किये गये ? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में दिसम्बर, 1993 से मई,

(राज्य मंत्री, यातायात)

1996 तक जारी किये गये राज्य एवं अन्तरराज्यीय परमिटों की संख्या निम्नानुसार है :–

राज्य	अन्तरराज्य
4175	936

प्रावधायी निधि खाते में जमा राशि का भुगतान

72. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीमा पालिसी संख्या 151970, प्रावधायी निधि खाता संख्या 361148 धारक की सेवानिवृति होने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व से ही बीमा एवं जी. पी. एफ. राशि का भुगतान करने की कार्यवाही की जाकर सेवानिवृत्ति के समय उक्त राशि का भुगतान किये जाने के लिये सरकार द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त प्रकरण में देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा नियम एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम में प्रावधान है ।

(3) कर्मचारी द्वारा क्लेम फार्म जुलाई, 1994 में भेजे जाने के परिप्रेक्ष में भुगतान में कोई विशेष विलम्ब नहीं हुआ है ।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री मुलकराज थिंद, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 27-6-1996 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मुलकराज थिंद, सदस्य, विधान सभा ने आंखों का इलाज नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में करवाने के कारण 27-6-1996 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है । क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में हरिजन महिलाओं आदि पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय बने रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री शांतिकुमार जी धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शांतिकुमारी नहीं है, शांतिकुमार धारीवाल है।

श्री अध्यक्ष : शांतिकुमार जी है। मैं कुमारजी कह रहा हूं। आप "जी" नहीं सुनना चाहें तो अलग बात है। जीकारा लगाना सीखे हैं हम सब।

(3) श्री शांतिकुमार जी धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अलवर में नवोदय समाज कल्याण समिति, अलवर में कार्यरत एक महिलाकर्मी के साथ कथित देह शोषण प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत एवं एक अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में राजनेताओं और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से महिलाओं का यौन शोषण की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : महीनेभर में भी नहीं आएगी जानकारी। आप कोई डेट निश्चित कर दीजिये दो दिन बाद की। क्या तय है? तय तो आपने कर लिया, बयान भी आपने तय करके बदलवा दिये लेकिन सदन में चर्चा भी तय है क्या? आप तारीख तय कीजिये वरना अनिश्चितकाल के लिये इसको मत टालिये।

श्री अध्यक्ष : अभी बिराजें आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तारीख तय कीजिये। अनिश्चितकाल के लिये मत टालिये।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था तो सुन लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने व्यवस्था दे दी। तारीख आप जब तक निश्चित नहीं करेंगे तब तक सारी बातें सदन में नहीं आयेगीं। सरकार तो महीनेभर तक चर्चा नहीं कराएगी पहले भी ऐसा हो चुका है। आप डेट निश्चित कर दें उसके बाद व्यवस्था को चालू करिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप समय निर्धारित करें। अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है और महिलाओं के साथ इतना घृणित कार्य हो रहा है... इसमें आप समय निर्धारित करें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : तारीख तय

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कीजिए। अलवर में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख तय कीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इतना गम्भीर मामला है। इसका समय निर्धारित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। मेरी बात सुन लें आप।

(5) श्री आर. पी. शर्मा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की डीग, नगर कामां, नदबई, कुम्हेर तथा भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ आने से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की कुम्हेर, कामां, नगर, भरतपुर, नदबई आदि तहसीलों में बाढ़ का पानी भरा होने से जन-धन की हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सीकर के लोसल कस्बे एवं कतिपय गांवों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को आज बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के वन्य प्राणियों के स्वतंत्र विचरण में आ रही कथित बाधा के निराकरण के लिए सरिस्का पैलेस होटल को बंद करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्या, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर की तहसील बगरू में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के तहत पौधे लगाने हेतु खोदे गये लाखों खड्डों के समतल हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तीर्थराज पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पुष्कर क्षेत्र में दोहन किये जा रहे अत्यधिक जल को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने तथा पुरानी नहरों व बांधों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न भाषा अकादमियों की सुव्यवस्था के सम्बन्ध में।

(7) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिजौलिया खनन

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र में खातेदारी भूमि में खनन आबंटन हेतु न्यायालय के निर्णय से हुई विसंगति दूर कर आबंटन की प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत अभी तक नियम नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से शास्त्री नगर, थाना, जयपुर की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भंवरसिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मंडियों की आय से भूमि विपणन बोर्ड द्वारा बनायी गयी सड़कों की सालाना मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा नगर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में यौन शोषण का जो प्रकरण चल रहा है इसको चलते हुए करीब तीन वर्ष होने को है लेकिन उसकी जांच के बारे में, अभी आपने कहा कि राज्य सरकार अभी सूचना एकत्रित कर रही है जबकि इसकी रिपोर्ट लिखने के लिये मना कर दिया गया। उक्त महिला के घर वालों को धमकाया गया....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री मदन मोहन : उसके साथ मार-पीट की गयी और आप इस मुद्दे को इतनी शालीनता से ले रहे हैं, +++ इसके ऊपर आप सदन में चर्चा भी नहीं कराना चाहते। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस तरह के जो राज्य में यौन शोषण के प्रकरण चल रहे हैं और अलवर का जो प्रकरण है उसमें केवल शालिनी शर्मा ही नहीं है, मैं कहता हूं कि इसमें राजस्थान सरकार के बहुत से अधिकारी और मंत्री भी लिप्त मिलेंगे इसलिये इसकी सी.बी.आई. से जांच करायी जाए। यदि इस प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से नहीं करायी गयी तो जिस तरह से बिहार में चारा घोटाले के अन्दर हुआ था जिसके अन्दर राज्य सरकार के अधिकारी लिप्त हैं, इसलिये इसकी वहां जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती वैसे ही यहां भी नहीं हो सकती। इसलिये मैं भी आपसे यह निवेदन करता हूं कि इसकी जांच सी.बी.आई. से करायी जाए न कि राज्य सरकार की सी. आई. डी इकाई से।

मैं आपसे एक और भी निवेदन करता हूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री नामक स्कूल इन्होंने खोली थी उसके अन्दर इस लड़की को...., अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन मोहन)

निवेदन है कि सरकार एक समय तय करें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। मैंने यह व्यवस्था दी है। आज ही और कल ही प्राप्त हुए हैं, आखिर जवाब देने में समय तो लगेगा ही। जानकारी पूरी लेनी पड़ती है। आप बिराज जाएं। मैं पूरी अभी वात करके बताऊंगा। अभी बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : यह बहुत गम्भीर मामला है। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। (व्यवधान) पूरे राजस्थान को जानकारी है, पूरे मैम्बर्स को जानकारी है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जानकारी के लिये सरकार... (व्यवधान) लेकिन कोई समय सीमा तो निर्धारित कर लीजिये कि जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य सरकार की ओर से इसका जवाब कल दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय को दे देंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि सरकार का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आज अभी व्यवस्था दी है कि सरकार से सारी की सारी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अब आज तक आ जाएगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो एडजोर्नमेंट मोशन हैं उन सब की समय सीमा निर्धारित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बात तो पूरी सुन लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रश्न का जवाब अध्यक्ष महोदय को दे देंगे। जो तारीख तय करेंगे उस पर चर्चा हो जाएगी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ टोंक में जो कुछ हुआ है, गंगानगर में जो हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार के मामले हुए हैं उन सब की चर्चा भी इस शालिनी शर्मा के मामले के साथ करायी जाए।

इसी के साथ अखबारों में रोज आ रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार के केसेज इस साल दुगुने हो रहे हैं। तो इन सारे पर चर्चा इसके साथ की जाए और जवाब के लिये भी अभी से कहें नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सरकार से जवाब लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : राजस्थान की भैरोंसिहजी की सरकार पूरे राजस्थान में भारी तादाद में .. (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पहले यह तय करिये कि सरकार का जवाब कब तक आयेगा, इस अलवर कांड में सरकार का जवाब कब तक आएगा। वह तो तय हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपने पूरा सुना ही नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, शालिनी शर्मा को समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाने में समाज कल्याण मंत्रीजी की रिकमंडेशन है। (व्यवधान) उन्होंने समाज का कल्याण नहीं करके समाज का विनाश किया है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : गंगानगर में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कारी अभी तक नहीं पकड़े गये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, शालिनी शर्मा को गिरफ्तार करवायें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उनके बयान हो चुके हैं उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : असली नाम तो शालिनी शर्मा बतायेगी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बड़े-बड़े अधिकारी लिप्त है। (व्यवधान) यह सरकार अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : और उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : समाज कल्याण मंत्रीजी का इस्तीफा चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, उसको गिरफ्तार किया जाए। (व्यवधान) उसको गिरफ्तार करना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान) जवाब आज ही आये और आज ही बहस करायी जाए। (व्यवधान) इस मामले में सारे सबूत ही नष्ट कर दिये गये हैं। सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। (व्यवधान) पुलिस ने जान-बूझकर ढिलाई बरती है। सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया है। अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करके उनको बचाया जा रहा है, उनको संरक्षण दे रहे हैं। गृह विभाग दोषी है पुलिस अधिकारी दोषी है और सरकार जो संवेदनशील होने की बात करती है वह निराधार है। जान-बूझकर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तत्काल उनको गिरफ्तार कराया जाए और सारे सबूत नष्ट किये गये हैं इसलिये इसकी सी.बी.आई. से जांच करायी जाए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करायी जाए। राजस्थान की पुलिस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 साल की बच्ची के साथ गंगानगर शहर में बलात्कार हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, उसके वहां जो बयान करवाये गये वह कपड़े बदलकर करवाये गये। उससे

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

समझौता किया गया रात को 12 बजे तक। एफ.आई.आर. में जो नाम थे उनको दबाने के लिये उससे समझौता किया गया है। दूसरे दिन बयान करवाने के लिये कपड़े बदलकर ले जाया गया और बन्द कमरे में बयान करवाये गये। इन सारी की सारी बातों की जांच होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जो नाम लिवाये गये हैं वह गलत हैं और असली नाम छिपाये गये है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बड़े-बड़े मंत्रियों को छिपाने के लिये यह सब काम किये जा रहे हैं। इसकी जांच सी.बी.आई. से करानी चाहिये। हमें राजस्थान सरकार पर बिलकुल भरोसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी एक साथ बोल रहे हैं तो सुनेंगे कैसे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, शालिनी शर्मा के जो कलमबन्द बयान हैं उनको यहां सदन की टेबल पर मंगवाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष . आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यौन शोषण, बलात्कार आदि ऐसे मामले आयें तो उसमें किसी महिला का नाम यहां पर लेना, उसका अपमान वहां स्थानीय हुआ है वह तो हुआ ही है, आप दुनिया भर में उसको और प्रसारित कर देते हैं। तो इस मामले में...

श्री परसादीलाल मीणा : शालिनी शर्मा तो अपराधी है, मुलजिम है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : मैं समझ गया, साहब। अखबार में भी पढ़ता हूं लेकिन....

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी शर्मा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष के लिये नाम रेफर किया है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शालिनी शर्मा वाला मामला तो अखबार में आया हुआ है। मैं तो जनरल सुझाव दे रहा हूं कि किसी महिला के साथ यदि ऐसा अपकृत्य हुआ तो कृपया नाम लेकर के यहां नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इससे उसकी इज्जत और भी ज्यादा घटा देते हैं। यहां पर नाम लिया जाता है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : शालिनी शर्मा की तो घटेगी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जो मंत्री है उनके नाम आने चाहिये। जो मंत्री और अधिकारी हैं उनके नाम आने चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : शालिनी शर्मा कल्प्रिट है। कल्प्रिट का नाम लेने में कहां दिक्कत है ?

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट आरोप कुछ मंत्रियों पर लगाया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : अधिकारियों और मंत्रीगण पर भी लगाये है । स्पष्ट कहा है कि तीन साल से कुकृत्य चल रहा था । सभी मंत्रियों का तो नाम नहीं लिया गया है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो-जो मंत्री लिप्त हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाय और जो नहीं हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाय । विधान सभा के समक्ष मैं समझता हूं. सदन के नेता इस स्थिति को बिलकुल स्पष्ट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । श्री दीपेन्द्र सिंह जी ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक तो पहले यह निवेदन करना है कि अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि अध्यक्ष जी ने एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं । उन पर+++फैसला किया है जो काल अटेंशन दूसरा आरोप लगाया कि कुछ मंत्री इन्वाल्व हैं । इतना बड़ा गम्भीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने आप पर+++आरोप लगा दिया और दूसरा मंत्रियों पर भी लगा दिया । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि एडजोर्नमेंट मोशन पर आपने+++फैसला दे दिया, इस पर भी आप निर्णय देने की कृपा करें । वह नाम तो बता दें मंत्रियों का कि कौनसे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं । आप कुछ कहना चाह रहे थे इसलिये मैंने आपका नाम पुकारा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में पत्रावलियां कल माननीय अध्यक्ष महोदय को दे देंगे । उसमें विलम्ब इसलिये हुआ कि एफ.आई.आर. लिखी हुई थी वह हाथ से लिखी हुई थी, 161 के बयान थे वह हाथ से लिखे हुए थे, 164 के बयान हाथ से लिखे हुए थे । उनको पढ़ने में मुझे समस्या हो गयी और मैंने उनसे कहा कि टाइप करके दो ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : वीडियो कैमरा पर बयान लिखे गये हैं उसको देख लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे वीडियो कैमरा से मतलब नहीं है । जो 164 में बयान लिये हुए हैं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मतलब इसी में है । कलक्टर का नाम उसी में स्पष्ट लिया हुआ है । जिसको रफा–दफा किया जा रहा है । आडियो कैसेट तैयार है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जानकारी दे दी । वह मिल जाएगे तो मिलते ही मैं अध्यक्ष महोदय को दे दूंगा । मैंने कहा कल तो इसलिये कि वह सारी फोटो कापी थीं, उन फोटो कापी को टाइप करा लें तो पढ़ने में सुविधा होगी । मैं तो उसकी पांच लाइन भी नहीं पढ़ पाया । एक तो यह बात है । दूसरी बात, 'अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के ऊपर यूं ही आरोप लगाना उचित नहीं है । कोई मंत्री इसमें दोषी नहीं हैं । (व्यवधान) देखिये, मैं बता दूं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने पूरा पढ़ा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने पूरा पढ़ा नहीं है अभी तक ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और निवेदन कर दूं, मैं एक और जानकारी दे दूं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने पढ़ा होता तो पता लगता, आपने पढ़ा ही नहीं है (व्यवधान) ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं यह जानना चाहता हूं । (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी, आपको मालूम था कि विधान सभा में यह प्रश्न उठाया जाएगा ...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : Kindly don't preach me.

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर कहां से (व्यवधान) अगर आप पढ़ लेते तो पता लगता ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तो फिर आप पहले से तैयारी कर लेते माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो रफा–दफा करने की व्यवस्था है ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की बाढ़ के विषय के बाद में यही बिन्दु ऐसा है जिस पर विधान सभा में सबसे पहले चर्चा की अपेक्षा थी और 15 दिन से पहले सब मुख्य मंत्रीजी के पास चले जाते हैं ।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : और अब यह कह रहे हैं कि डिटेल्स अब आयी है, बड़े दुःख की बात है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निवेदन कर दूं....(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसका मतलब यह है कि आपका तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि इसके ऊपर आपकी कोई पकड़ नहीं रही जो इन्फोर्मेशन लेने के लिये भी 15–15 दिन का समय आप चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी पकड़ है या नहीं, इसको तो आप छोड़िये लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये सेन्सिटिव मैटर है और इन सेन्सिटिव मैटर्स के ऊपर बिना तथ्यों की जानकारी किये किसी प्रकार का आरोप-प्रत्यारोप लगाना, यह परम्परा ठीक नहीं है (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये । अब आप चाहे अलवर का मामला लें, चाहे गंगानगर के मामले का उन्होंने जिक्र किया, सांगानेर से आनी वाली माननीय सदस्या ने और बातें कहीं । जानकारी सब है, आप जिस समय भी जानकारी चाहेंगे अचानक, मैं कल भी, आज भी जानकारी दे सकता था लेकिन कल बाढ़ के कारण से मेरा सारा समय प्रधान मंत्रीजी के साथ लग गया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे सुबह कागज मिले तो मैं स्वयं पढ़ नहीं पाया नहीं तो मैं आज ही अध्यक्ष महोदय को इसका जवाब दे देता, आज ही इस पर चर्चा हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी (व्यवधान) इसलिये मैंने निवेदन किया कि मैं इन कागजों को थोड़ा पढ़ लूं। जो भी इन्वेस्टिगेशन आयी है, इसको एक बार देख तो लूं। क्या स्थिति है, क्या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के कागज देखने के बाद में आप चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कल चर्चा कर लें, मैं अभी कागज दे देता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) **:** नहीं, आपको तो यह भी जानकारी नहीं है कि आपके कार्यालय में .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बात-बात में खड़े होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बिराजिये आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता महोदय समय चाहते हैं। कल कागज आपके पास पेश हो जाये, परसों इस पर चर्चा रख दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रख दीजिये, रख दीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : परसों रख दीजिये। टाइम तय कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रख लीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठीक है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है, मात्र एक अलवर की घटना ही नहीं, बल्कि लॉ एण्ड आर्डर से सम्बन्धित जितने मुद्दे हैं....

श्री अध्यक्ष : वह पुलिस की डिमांड आएंगी सब उसमें है।

श्रीमती कमला : कितने कत्ल हो चुके हैं, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, कितने अपराध हो चुके हैं। इस तरह के मुद्दे हैं इसलिये पूरा का पूरा विषय ही परसों चर्चा के लिये रखा जाएं, न सिर्फ अलवर का एक कांड है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमला जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस की डिमांड के ऊपर....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ....महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं।

श्रीमती कमला : कितने कत्ल हुए हैं, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, कितने अज्ञात शव रोजाना मिल रहे हैं, कितने बलात्कार हो चुके हैं। इन सब के ऊपर, पूरे लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर परसों आप चर्चा कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम करिये। पुलिस की डिमांड आएंगी, अगर आप चाहती हैं कि इन मामलों पर जल्दी चर्चा हो तो उसके लिये भी मैं तैयार हूं (व्यवधान) मेरी बात सुन लें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अलवर वाला एक तो हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहती हैं कि पुलिस के इन सारे मामलों पर चर्चा पहले हो जाये तो पुलिस की डिमांड मत रखिये, इसकी जब चाहें तब चर्चा कर लें। अब पुलिस की डिमांड में चर्चा तो यही होगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, नेता महोदय, अलवर के मामले में तो तय हो गया कि परसों टेकल कर लेंगे, बाकी मामलों की कह रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाकी के मामलों में मैं कह रहा हूं। बाकी के मामलों में यदि आप चाहते हैं कि तुरन्त इन पर चर्चा होनी चाहिये तो राज्य सरकार उसके लिये भी तैयार है। अब चूंकि पांच तारीख के बाद में या आठ के बाद में पुलिस की डिमांड पर चर्चा फिर करेंगे। अच्छा हैं पुलिस की जगह चाहे इरिगेशन ले लें या और कोई डिपार्टमेंट ले लें और पुलिस की चर्चा चाहे तो कल तो नहीं, परसों के बाद में जब भी रखना चाहें रख लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब जो आपने कहा कि आपने +++ काम किया, मैं चाहूंगा कि इसको प्रोसिडिंग्स से एक्सपंज किया जाएं।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दें। (व्यवधान) आप विराजिये। कंट्रोवर्सी खड़ी मत कीजिये। विराजिये आप। और भी कई माननीय सदस्यों ने कह दिया, उधर से भी कह दिया, मैं उसका कोई बुरा नहीं मानता ज्यादा। विराजिये आप। हां, आप बोलिये।

श्री मदन मोहन : मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : दीपेन्द्र सिंह जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में पूर्ण रूप से मानवता के उपर आधारित एक प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि पुष्कर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति, हिन्दू धर्म की रिसर्च के लिये कुछ विदेशी युवतियां आती हैं और दो साल तक वे यहां रहकर खोज करती हैं। पिछले दिनों, यह मजाक का विषय नहीं है मुख्य मंत्रीजी, पूर्णतः मानवता पर आधारित सीरियस बात आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या है, यह एडजोर्नमेंट मोशन है या और क्या है?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, विशेष उल्लेख के लिये आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे इजाजत दी है, इजाजत से बोल रहा हूं।

जो युवतियां यहां अनमैरिड आयीं, रिसर्च के लिये यहां रूकी दो साल। उनमें से कुछ

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

युवतियों के भारतीय लोगों से सम्पर्क के बाद बच्चे पैदा हुए हैं। उन युवतियों का वापस अपने देश लौटने के लिये उनके वीसा का समय समाप्त होने जा रहा है। उन बच्चों को पासपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण वापस नहीं ले जा पातीं, हिन्दुस्तान में वे उनको रख नहीं सकती क्योंकि उनकी अवधि समाप्त हो रही है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया से जब उन्होंने सम्पर्क किया तो जवाब यह मिला कि इनके जन्म का प्रमाण पत्र पेश करिये। वहां की लोकल नगरपालिका जन्म का प्रमाण पत्र पेश करना नहीं चाहती। जन्म प्रमाण पत्र पेश करने से भारत की नागरिकता साबित होती है। मामला उलझ गया है। अब उन बच्चों को न तो यहां अनाथ आश्रम में छोड़ा जा सकता न वे विदेशी युवतियां उनको साथ लेकर जा पाती हैं। उन अबोध बालकों का क्या होगा? यह बहुत बड़ा गम्भीर प्रश्न है। बहुत सी युवतियों के वीसा का समय सितम्बर से नवम्बर, 1996 में समाप्त हो रहा है। मानवता के आधार पर कोई न कोई हल उन बच्चों का निकलना चाहिये। विदेश भेजने की व्यवस्था राजस्थान सरकार भारत सरकार के माध्यम से कर सके या अनाथ आश्रम में उनको रखने की व्यवस्था कर सके या नगरपालिका, पुष्कर के माध्यम से उन्हें सर्टिफिकेट दिलायें ताकि पासपोर्ट में एंट्री करा सकें। मानवता के आधार पर उन बच्चों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई न कोई निर्णय लेकर, नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से मानवता के आधार पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, यह प्रश्न वाकई गम्भीर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रश्न यह आता है कि विदेशी युवतियों के यहां जो बच्चे हो गये, वे हमारे सिटीजन एक्ट के अनुसार यहां के नागरिक हो चुके हैं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तो फिर सर्टिफिकेट दिलाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....और जब यहां के नागरिक हो गये तो उनको मां के साथ विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मामला कई दिनों से भारत सरकार के विचाराधीन है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाप के साथ भेज दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाप का पता लगे तो भेजें ना।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : तो मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको गोद लें। आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। आप सरकार की तरफ से उनको गोद ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है। मैं एक को ले लूं, दो को ले लूं। बाकी खेतसिंह जी तैयार हों तो हम बंटवारा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप बच्चों की पहचान करने का काम माननीय सदस्य को सौंप दें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उसमें कहीं

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

जुबेर खान जी का नाम निकल आया तो ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : ऐसी स्थिति में मामला वास्तव में गम्भीर है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इस सम्बन्ध में मैं आज ही दिल्ली की सरकार से बातचीत करूंगा कि इसका कोई समाधान निकाला जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे कितने मामले हैं, आपको तो मालूम होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई ज्यादा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको मालूम होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको मालूम है कि कितने हैं ? (व्यवधान) मुझे तो आज सुबह ही इन्होंने बताया।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, आप मुख्य मंत्री हैं। राजस्थान की सरकार बोल रही है, मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं भारत सरकार से बात करूंगा। कृपया यह भी बता दीजिये कि सरकार के सामने ऐसे कितने मामले है अवैध संतान के ? और उन संतानों को उनकी मां छोड़ना नहीं चाहती हैं, वे उनको साथ ले जाना चाहती हैं। ऐसे कितने मामले हैं और नगरपालिका के अन्दर उनकी मां का नाम क्यों नहीं आप दर्ज करा देते ? आप लिंग का भेद क्यों करते है। मां का बेटा होता है तो बाप का भी बेटा होता है। वह किसका बेटा है, इसलिये आप उसमें मां का नाम दर्ज करा दीजिये। नगरपालिका तो आपकी है, इसमें क्या दिक्कत आती है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ठीक हो, उस प्रकार की व्यवस्था कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत सरकार की बिना अनुमति के कुछ नहीं होगा। मुझे माननीय सदस्य ने आज बताया था, बताने के बाद आपसे चर्चा भी की है और चर्चा करने के साथ ही आज इनसे और जानकारी लेकर भारत सरकार को लिख देंगे।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत सरकार से बात करने का है, प्रश्न सिर्फ इतना है, जो इस तरह से बच्चे पैदा हुए, उसका उन्होंने नगरपालिका से सर्टिफिकेट मांगा है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमारे सिटीजन कानून के तहत जो बच्चा यहां पैदा हो जाता है वह यहां का नागरिक हो जाता है। अभी अपने जवाब में कहा है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उनको नगरपालिका बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न भारत सरकार से बात करने की जरूरत है, न कुछ और जरूरत है। खाली नगरपालिका उनको बर्थ सर्टिफिकेट दे दे तो उनकी जिम्मेवारी है, वह सब कुछ कर लेंगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपने जो बात कही, मैं इसको दिखवा लेता हूं कि इससे समस्या का समाधान होता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह सही है कि अगर उनको जन्म प्रमाण-पत्र मिल जाता हैं तो वह अपने आप जाते वक्त में,

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जिस मुल्क में भी जायेंगे, वहां का वीजा ले लेंगे और अपने बच्चों को साथ ले जाएंगे। उनको सिर्फ जन्म सर्टिफिकेट ही मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नाजायज रूप से भी कोई सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता, कोई मिस यूज करे तो।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये। गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से जो सन् 1965 और 1972 में शरणार्थी आये थे उनमें कइयों को नागरिकता मिल गयी जो कैम्पों में थे। कई लोग कैम्पों से बाहर आकर अपनी मेहनत-मजदूरी करके जो खाना-कमाना चाहते थे, उनके राशन कार्ड वहां कैम्पों में न होने की वजह से नागरिकता आज तक नहीं मिली है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिये।

एक आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग 1965 और 1972 में यहां आये, यहां आकर शादी की, उन बच्चियों के, जो जायी-जन्मी यहां की हैं, जिनकी नागरिकता यहां की हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में से निकाल दिये गये, नागरिकता न मानने से उनको जो दिक्कत आती है, यह भी कृपया हटायी जाए। जो बच्चे यहां आने के बाद में पैदा हुए हैं उनके भी फार्म मांग रहा है सी.आई.डी. और दूसरा विभाग कि आप अपने फार्म भरो और नागरिकता नहीं मिलेगी तो जाना पड़ेगा। तो जो बच्चे 1965 और 1972 में शादी के बाद यहां पैदा हुए हैं उनको नियमानुसार नागरिकता नये सिरे से लेने का तो मेरे ख्याल से प्रावधान नहीं है, अगर है भी तो उन लोगों को सुविधा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शांतिलाल जी खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष प्रदेश के बहुत बड़े भू-भाग पर वर्षा औसत से बहुत कम होने के कारण जो अकाल की स्थिति पैदा हुई थी और उसके कारण राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अकाल राहत के कार्य आरम्भ हुए। जिन कारणों से अकाल राहत के कार्य आरम्भ हुए हैं वह आज भी बरकरार हैं और आज भी स्थिति यह है कि वहां पर पेयजल का संकट है, घास का संकट है, रोजगार का संकट है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अकाल राहत की जो सीमा 30 जून तक की निर्धारित थी उसे 31 जुलाई तक कन्टीन्यू करा दें तो उस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामनारायण जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सिरोही भी जोड़ा जाए।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बाढ़ के बारे में चर्चा

(श्री रामनारायण मीणा)

होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा, स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, जिन इलाकों में बरसात नहीं हुई है, जिन इलाकों में पहले बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है उनमें कोटा भी एक है। कोटा में उड़िया बस्ती 30 साल से बसी हुई है, उनके नालियां तक नहीं है। ऐसी 19 बस्तियां हैं। अध्यक्ष महोदय, उड़िया बस्ती ही नहीं, दशहरा मैदान के पास भी बस्ती बसी हुई है माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी। कोटा में 19 बस्तियां ऐसी हैं, कभी भी थोड़ी भी, सामान्य से ज्यादा बरसात नहीं बल्कि सामान्य भी बरसात हुई, उनकी हालत खराब हो जायेगी। उनके पास आवश्यक सुविधाएं अभी भी नहीं हैं और जितनी उनकी हालत खराब है, शायद यहां जयपुर में इतनी खराब उन बस्तियों जैसी हालत नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कोटा की जो कच्ची बस्तियां हैं, वह उड़िया बस्ती हो दशहरा मैदान की हो, सारी देहरा बस्ती हो, और राजस्थान में दूसरी जगह भी ऐसी हो तो उनके बारे में तुरन्त ही कोई कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से, अकाल राहत या बाढ़ राहत के माध्यम से ऐसा कोई कार्यक्रम निर्धारित किया जाय ताकि राज्य में दुबारा दुबारा से विप्लव, जैसे कोटा में गये साल भी बहुत नुकसान हुआ है, इस तरह का कोई न हो। फिर बरसात आने के बाद और बाढ़ आने के बाद हम यहां आंसू बहायें, +++ इससे कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में राज्य सरकार कुछ करे और सदन को अवगत कराये कि हम यह-यह तरीके अख्तियार करने जा रहे हैं, इन एडवांस यह कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम कागजों में नहीं रखे जाएं और उसको प्रेक्टिकल में करवाने की बात करें। इसी के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत दौसा जिले में 380 कार्य स्वीकृत हुए थे जिनमें से मात्र 110 कार्य चालू किये गये। 30 जून खतम हो गयी तब तक एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। यह अकाल राहत के कार्यों की दौसा में प्रगति है। यहां तीन करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए थे जिसमें से मात्र 29 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मेरा अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन है कि लेबर की सीलिंग को बढ़ावा देते हुए अभी एक महीने के लिये समय बढ़ाया जाय जिससे कि जनोपयोगी कार्य, जिसमें कि सम्पर्क सड़कें, तालाबों की खुदाई या और जो स्टोनिक कंस्ट्रक्शन हैं, वह हो और यह जो पैसा अकाल राहत का करोड़ों का, वह बगैर बात अपूर्ण कार्य होने के कारण बारिश में बह नहीं जाए, जैसा कि गये सालों में हुआ है। अतः आज ही, क्योंकि कल ही 30 तारीख हुई थी और एक अप्रेल से लेकर 30 जून तक की कार्य की अवधि थी, अध्यक्ष महोदय, एक जुलाई आज है, आज

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पूरे राजस्थान में अकाल राहत कार्य अपूर्ण अवस्था में ही छोड़ दिये गये, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अतः अकाल राहत मंत्री आज ही घोषणा करें कि एक महीने का समय बढ़ाया जाता है ताकि करोड़ों रुपयों की जन-धन की हानि को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीपजी धनखड़।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्योंकि बी.जे.पी. की सरकार कहती है कि संवेदनशील प्रशासन है इसलिये आज ही घोषणा की जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। धनखड़ साहब।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन के नेता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक ऐसे मुद्दे पर, जो जयपुर के रत्न व्यवसाय से सम्बन्धित है जयपुर की अर्थ व्यवस्था का इस व्यवसाय से अटूट सम्बन्ध है। करीब 15 साल पहले जयपुर के एक व्यवसायी, जिनका ब्राजील में काफी काम था, हवाई जहाज से उतरे और उनको गोली मार दी। कोई जांच नहीं की गयी। 10 साल पहले जयपुर के एक दूसरे व्यवसायी वहां गये, हेमचन्द गोलेछा, इन्टरपोल की मदद ली गयी, उनका अपहरण हुआ, कोई जांच नहीं की गयी और मामले को रफा-दफा कर दिया। अब, मान्यवर, एक ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है। जब-जब जयपुर में रत्न व्यवसाय के विकास की बात होती है, क्योंकि विश्व में जयपुर का एक विशिष्ट स्थान है और जब यहां कोई विकास की बात करते हैं कि दुनिया के नक्शे पर इसका एक विशेष स्थान आये, ऐसी घटनाएं खास तौर से ब्राजील में होती है। आपके माध्यम से मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि जो घटनाएं निरन्तर होती जा रही हैं, वह विदेश मंत्रालय से बात करें और इन्टरनेशनल एजेंसीज और इन्टरपोल की मदद लेकर कम से कम इनके बारे में कोई न कोई निर्णायक स्थिति में पहुंचे ताकि जयपुर के रत्न व्यवसाय को धक्का नहीं लगे और यहां के जो व्यवसायी हैं उनका मनोबल ऊंचा रहे, उनके मन में यह भावना आये कि राज्य सरकार हमेशा उनकी सेवा में कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसादजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक तरफ बाढ़ आ रही है, परन्तु कई क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई है और पेयजल का संकट व्याप्त है। मेरे क्षेत्र बिजौलिया में भयंकर पेयजल संकट है। एक महीने से लगातार टैंकरों के द्वारा वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है और वहां का दृश्य यदि आप देखें, अध्यक्ष महोदय, जब टैंकर आकर खड़ा होता है तो औरतें जिस ढंग से पहले भरने की होड़ लगाती हैं और छीना-झपटी करती हैं तो बड़ा विचित्र दृश्य होता है। माननीय मंत्री महोदय ने बिजौलिया के पेयजल संकट को देखते हुए डेढ़ करोड़ की एक रिवाइज्ड स्कीम पास की है। परन्तु अफसोस है कि आज छह महीने हो गये, उसकी वित्तीय स्वीकृति हो गयी, एक करोड़ रुपये उसके भीलवाड़ा एस.ई. आफिस में आ गये, परन्तु तकनीकी स्वीकृति नहीं होने से उसके ऊपर

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

कोई कार्य नहीं हो सका। इसीलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मैंने कई बार निवेदन भी किया है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। रामस्वरूप जी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : कि ऐसी योजनाओं पर तुरन्त काम चालू कराने को प्राथमिकता दें जिससे कि पेयजल संकट से हम छुटकारा पा सकें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हुए एक भयंकर काण्ड, हत्या काण्ड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हाल ही की बात है। नादौती जो थाना है तहसील टोडाभीम में, नादौती थाने के अन्दर ग्राम पूंजेला है, मिलकसरा और पूंजेला, उन गांवों के अन्दर बदमाश लोग आये और बदमाशों ने आकर सरेआम लोगों को लूटा। आठ ताले तोड़े उन्होंने, सारे जेवरात वगैरह ले गये और दो व्यक्तियों की हत्या करके वह चले गये और आठ आदमियों को उन्होंने घायल किया है। उसके साथ-साथ एक बच्ची थी बेचारी, जो अपने बाप को बचाने के लिए वहां भाग कर आयी थी, उस बच्ची को उन्होंने बुरी तरह मारा और उस बच्ची के साथ बहुत बुरा कर्म किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस जघन्य अपराध की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी से हमारा डेपुटेशन मिला था, आपके घर पर हम गये थे, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा था कि आप निश्चित रहिये, मैं आज ही इसकी जांच करवा रहा हूं, जो बदमाश लोग सरेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने डकैती की है, जिन्होंने लड़की के साथ बदमाशी की है, उनको मैं निश्चित रूप से गिरफ्तार करवाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा हत्या काण्ड जो ग्राम पूंजेला के अन्दर हुआ है थाना नादौती में, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने अब तक उसके बारे में क्या किया। अगर आपकी बेटी होती, आपका कोई भाई होता, इसी प्रकार उसके साथ काण्ड होता, उसके साथ बलात्कार होता, उसके साथ लूट होती....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये अब। हो गयी आपकी पूरी बात। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसकी हत्या होती तो आप क्या करते। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, क्या कार्यवाही अब तक हुई है ? माननीय गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है। वह हत्यारे क्षेत्र के अन्दर सरेआम खुले घूम रहे हैं। जो लोग बच गये हैं उनको खतरा पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है साहब। अगर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा तो उनकी जान को खतरा है। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने हत्या की है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उन हत्यारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है ? मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में क्या कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय इतना बड़ा कांड हुआ है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, डकैती हुई, हत्या हुई, और गृह मंत्रीजी को अवगत करा दिया गया। आज 5 दिन हो गये गृह मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा अपराध हुआ है उसके बारे में आपने अब तक क्या कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? बलात्कार हुआ, हत्या हुई, चोरी हुई और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को क्यों नहीं कहते? यह + + + सरकार, यह + + + सरकार, जिसके राज में ऐसा बुरा कर्म होता चला जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : एक बात को बार-बार रिपीट मत करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : और आप कह रहे हैं कि चुप रह जाइये। मैं चुप नहीं रहूंगा जब तक न्याय मुझे नहीं मिलेगा, जब तक हत्यारों को नहीं पकड़ा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ना चाह रहे हैं, आपका नाम है। विराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय इतना गम्भीर मसला है माननीय मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं वो इस बात के लिये आश्वासित करें कि उनके साथ क्या कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : 295 में पढ़िये आप। मैं दूसरे का नाम पुकार रहा हूं। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री रामस्वरूप मीणा : हत्यारों को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा ? बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, डकैती हुई है....

श्री अध्यक्ष : सात बार सुन लिया है मैंने बिराजिये अब आप (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो सदन में इस बात के लिये धरना दूंगा जब तक मुझे इस बात के लिये आश्वासन नहीं दिया जायेगा कि हत्यारों के साथ क्या कार्यवाही की जायेगी, बलात्कारियों के साथ क्या कार्यवाही कर रहे हैं। 5 दिन हो गये आज तक गृह मंत्रीजी ने क्या कार्यवाही की ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं एक बहन के साथ बुरा कर्म हुआ है, एक भाई मारा गया है, हत्या की गयी है। गृह मंत्रीजी जवाब क्यों नहीं देते ? आप गृह मंत्रीजी को क्यों बचा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजें। मैंने आपको मौका दिया है इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोलते चले जाएं। अब बिराजिये आप।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री रामनारायण मीणा : गृह मंत्रीजी बोलना ही है तो पहले ही बोल दें। गृह मंत्रीजी से माननीय सदस्य सुबह-सुबह मिलकर आये हैं गृह मंत्रीजी आप पहले ही जवाब दे दीजिये कि क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने अपनी बात बता दी है, अपनी बात रख दी है, अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है उन हत्यारों के साथ आप क्या कर रहे हैं। उन हत्यारों को आप पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे ? मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से इतना बड़ा हत्या कांड हुआ है सारे अखबार रंगे पड़े हैं और उसके बाद गृह मंत्रीजी चुप बैठे हैं इसका मतलब +++ उसके अन्दर कि आप हत्यारों को नहीं पकड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मीणा साहब बिराजिये आप। आप थक गये होंगे। एक्सपंज करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : या तो आप जवाब दीजिये, बताइये हत्यारों को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे वरना मैं इस बात के लिये धरने पर बैठ जाऊंगा कि हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी जवाब दें इस बात का।

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, अब आप बिरज जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं पकड़वाऊंगा। आज तक क्यों नहीं पकड़ा उनको ?

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, मीणा, अब बिराज जाएं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : हत्या का मामला है साहब, हत्या का, और डकैती का मामला है। ग्राम पूंजेला मिजकसरी में हत्या हुई है, डकैती हुई है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें अब बहुत थक गये होंगे आप। अब बिराजें आप। (व्यवधान) कोई सीमा होती है नहीं तो वह जीरो आॅवर का जो सिलसिला है, 2–4 माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बात रखी है पर एक ही बात को बार-बार रिपीट करना यह कोई अच्छी बात नहीं है। अब सुनिये मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो एक निवेदन करना चाहता हूं, सारे सदन सदन के सदस्यों से सहयोग भी चाहता हूं और मानीय अध्यक्ष महोदय आपसे प्रोटेक्शन भी चाहता हूं। जीरो आॅवर में किसी विषय को तत्काल उठा करके और उसी समय उस पर जवाब चाहना यह एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जो जवाब देना सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 9 बजे तक चिट ले लीजिये और 10 बजे तक हमको कह दीजिये कि इस विषय पर आपको जानकारी देनी है। मैं लैटेस्ट ज्ञानकारी उपलब्ध करा दूंगा। मेरे यहां डेपुटेशन लेकर आये थे इनके सामने मैंने उच्चाधिकारियों

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

को पुख्ता निर्देश दिये। ये उस निर्देश से संतुष्ट होकर चले गये और आज अगर मुझे यह सवेरे मालूम हो जाता तो मैं वहां से जानकारी लेकर आता। यह तो कतई सम्भव नहीं है कि जितने मुकदमे एवं जितने प्रकरण हैं, उनके बारे में सारे का एक कैटेलॉग लेकर यहां आ जाऊं कि उसमें लैटेस्ट क्या हो रहा है। मैं यह चाहता हूं ...

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : सरकार ने आपको वायरलैस किस लिये दे रखे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आजकल तो कम्प्यूटर आ गये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जानकारी तो यहां की है, कम्प्यूटर नहीं है। ऐसा कोई कम्प्यूटर हो कि आप उधर से बोलें और यहां कम्प्यूटर से जानकारी मिल जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे सकता।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी बिराज जायं आप। श्री रामस्वरूप जी, बिराज जाइये आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मसला जिस पर अधिकार पूर्वक बोलना होता है। जिसमें कोई भी स्थिति यहां बोलने वाली जो है कई तरह से प्रभावित हो सकती है ऐसे मसलों को उठाने देने की इजाजत देने के पहले या तो आप हमको घंटा दो घंटा पहले सूचित कीजिये तो हम उसका जवाब दे सकें। बाकी इस तरह से कोई माननीय विधायक कहे कि अभी का अभी जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं धरना दे दूंगा अगर यह सदन इसी तरह से चलाना चाहते हैं तो मुझे कोई निवेदन नहीं करना है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी विषय उठाया जाए और जिसका माननीय विधायक जवाब चाहते हैं वो तत्काल नहीं आप भी रहे हैं इस शासन में, आप में से भी मंत्री रहे हैं। एक आपने व्यवस्था दी है इसमें बोल के बैठ जाना तो ठीक है लेकिन अभी का अभी जवाब दिया जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कल जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का कहना भी सही है और माननीय सदस्य का कहना भी सही है। इस सदन में कोई प्रकरण उठ जाए, और सरकार की तरफ से अननोटिस्ड चला जाए तो सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा का प्रश्न भी उसमें पैदा हो जाता है। कोई चीज यहां से गम्भीरता से उठायी जाय उसका उत्तर तो सरकार को देना ही चाहिये। इसमें आपको व्यवस्था करनी चाहिए मान्यवर, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि आप एक टाइम तय कर लीजिये, उसके पहले आप उनके पास पहुंचा दीजिये ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए ताकि

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसका जवाब, सरकार का कोई रिएक्शन तो आना ही चाहिये अन्यथा यहां उठाने से फायदा ही क्या है क्यों इस तरह आप महार्णी बुलवाते हैं, गुरुजी महार्णी बुलवाते थे वैसे महार्णी आप बुलवाते हैं, 295 में, इस चिट के ऊपर इसका कोई अर्थ नहीं है। इसमें भद्दापन भी जाहिर होता है और सदन की गरिमा, सदन की जो अथोरिटी है वो भी कम होती है और आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। तुरन्त आपके सामने या तो आप पहले माननीय सदस्य से रिएक्शन डलवाओ मत डलवाते हो, तो आप सरकार को बाध्य कीजिये कि वह रिएक्शन दें कि क्या कर रही है। वरना हमें कह दीजिये कि मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलने देते हैं तो ये सारे दिन बोलते ही रहें। मेरे नहीं कहने के बावजूद भी बोलते ही हैं माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं, मान्यवर, आप मुझे कह दीजिये कि मैं रामनारायण आपको अनुमति नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को रेस्ट्रेंट करें आप। इतनी देर बोलें वो आप रेस्ट्रेंट तो करते कम से कम....

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे बुलाते हैं तो सरकार को कहिये कि इसमें गवर्नमेंट को अपना रिएक्शन देना चाहिये वरना यहां कहने का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह रखा है कि 9-9.30 बजे तक आप दे दें। और यहां लेकर करके चिट पकड़ा रहे हैं। विराजें आप। मैं आइन्दा से ध्यान रखूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आप टाइम तय कर दें 8.00 बजे का हम आपके घर आकर देंगे।

एक माननीय सदस्य : नहीं 9 बजे का कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं 8.00 बजे का कर दें हम आपके घर पर आकर देंगे। (व्यवधान) सम्भव है तो आप देखियेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मण्डावा से आने वाले मानीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वो वास्तव में गम्भीर है। यह सही है कि सदन में कोई चर्चा उठायी जाए और उसका सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिया जाए, उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार की ओर से उत्तर देंगे और देने के लिये हम तैयार हैं लेकिन उत्तर देने के लिये समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप इमीजियेटली कोई मामला उठाएंगे और सदन में जवाब दिया जाए तो माननीय सदस्य क्या उठायें वो तो बात दूसरी है लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाये उसमें कहीं थोड़ी सी भी कोताही रह गयी, तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य फिर आपत्ति करेंगे और मुकदमे पर भी उसका असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमों में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रावधान है एडजोर्नमेंट मोशन का, इन नियमों में प्रावधान है 295 का ग्रौर किसी तरह का प्रावधान नहीं है। यह चिट सिस्टम कब से चालू हुग्रा, नियमों में कहीं इसका स्थान नहीं है तो मैं समझता हूं कि चिट फंड को किस प्रकार से बंद किया जाए इस बारे में भी ग्रापको विचार करना चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, नियमों की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बात की है ग्रौर मेरा इस सरकार पर शुरू से आरोप रहा है कि विधान सभा के नियमों की ग्रवहेलना करने का कीर्तिमान भैरोंसिहजी की सरकार ने किया है। यह 295 के शुरू के सत्र में इस सदन में पढ़ा गया था उसका जवाब ग्राज तक नहीं मिला ग्रौर एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनका जवाब तक नहीं ग्राया।

श्री ग्रध्यक्ष : यह ग्रभी बाद में करना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो चिट है इसका मतलब क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : उसका तात्पर्य तो जीरो आवर का है। वह चिट तो ग्रापने ग्रननेसेसरी सदस्यों के अधिकारों पर रोक लगायी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई ग्रधिकारों पर रोक नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह ब्रिटिश, इंग्लैंड से हमने यह डेमोक्रेसी ली और कांस्टीट्यूशन बना, यह असेम्बली बनी, ग्रसेम्बली के नियम बने। जीरो ग्रावर तो जहां-जहां विधान सभा या पार्लियामेंट है तो वहां जीरो ग्रावर होता है ग्रौर जीरो आवर में कहीं चिट देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जीरो ग्रावर कोई भी प्रश्न उठाया जाए बिना ग्रध्यक्ष की अनुमति के नहीं उठाया जा सकता। ग्रध्यक्ष ग्रनुमति देंगे....

श्री विष्णु मोदी : सदन में ग्रध्यक्ष की बगैर अनुमति के तो कुछ भी नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष की ग्रनुमति लेना है ग्रौर अध्यक्ष ग्रनुमति दे रहे हैं तो सरकार को भी उसकी सूचना मिलनी ही चाहिये ताकि सरकार उसका प्रति उत्तर दे सके। यह नहीं होगा कि माननीय सदस्य को तो बोलने का ग्रधिकार मिल जाएं ग्रौर सरकार को उसका नोटिस नहीं मिले तो वह जवाब नहीं दे सकती। मेरा तो केवल इतना सा ही कहना है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह बात तो समझ में ग्राती है कि सरकार तत्काल उत्तर नहीं दे सकती।

श्री किशन मोटवानी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह चिट सिस्टम जो माननीय नेता महोदय ने कहा इसका उद्‌भव कैसे हुग्रा। जीरो आवर्स अन ब्रिडल्ड चलता था, अन कंट्रोल्ड चलता था, उसको कंट्रोल करने की नीयत से यह चिट सिस्टम बना ताकि आपका उस पर ग्रंकुश रहे और बोलने में भी ग्रंकुश रहे। इसका उद्‌भव इसीलिए हुग्रा ग्रन्यथा ग्राप लोग शनैः

(श्री किशन मोटवानी)

शनैः इस जीरो आवर की इम्पोर्टेंस को खतम करते जा रहे हैं। जीरो आवर्स का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और पार्लियामेंट में आज विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। जीरो आवर को खतम मत करो। इसलिए चिट सिस्टम आपका एक वे ऑफ कंट्रोलिंग है, इसलिये इसको चलना आवश्यक है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मुझे निवेदन करना है इस मामले में। (व्यवधान) एक सैकण्ड मुझे कहा है उन्होंने आप बाद में कहना। अध्यक्ष जी, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि माननीय सदस्य सदन में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनमें से काफी सीरियस भी होती हैं और उनका जवाब सरकार की तरफ से आये वह यह चाहते भी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो इसके माध्यम से हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं। इमिजिएट उनका उत्तर मिले, नहीं मिले इसके लिये हम सरकार को पाबंद नहीं कर सकते। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो सिस्टम आपने डाला है, चिट सिस्टम, अच्छा है। जीरो आवर में हम आपको पर्ची देते हैं, जिसको आप ठीक समझते हैं, हमें बोलने के लिये आप अवसर देते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं जो माननीय सदस्य यह चाहे कि मेरी चिट का जो मैं कहूं उसका सरकार की तरफ से रिएक्शन आये वह बहुत समय पहले आपको दे दे, आप सरकार को दे दें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह चिट सिस्टम बंद हो जाए, माननीय मुख्य मंत्रीजी जैसा कह रहे हैं, यह तो लोक सभा में भी चल रहा है और यह जीरो आवर के समय को कन्ट्रोल में रखने के लिये और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिये एक साधन है। इस माध्यम को, अच्छा माध्यम है, यह होना चाहिये, चालू रहना चाहिये। दूसरा समय सीमा के लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हर आदमी के पास गाड़ियां नहीं है। माननीय सदस्य यहां ग्यारह, पौने ग्यारह बजे के करीब आते हैं। इसलिये आप चेयर पर यहां पधारें और उससे पहले आपके पास जिसकी पर्ची पहुंच जाए उनको आप इजाजत दे दीजिये जो उनमें से ठीक नहीं समझें उनको मत दीजिये। लेकिन जैसा मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आठ बजे घर पर दे देंगे। इनके पास गाड़ियां हो सकती हैं हमारे पास गाड़ियां नहीं हैं। हम तो सदन में आने के बाद ही आपको देंगे। इस चेयर पर आप पधारे उससे पहले हम आपको दे देंगे। आप उचित समझे हमको बोलने की इजाजत दीजिये वरना मत दीजिये। लेकिन जो माननीय सदस्य यह चाहे कि मेरे जवाब का इमिजिएट रिएक्शन होना चाहिये वह समय रहते हुए आपको भी दे दें सूचना और सम्बन्धित मंत्री महोदय को दे दें। इस सिस्टम को चालू रखेंगे तो थोड़ा सा कंट्रोल रह सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सिस्टम को चालू रखें.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी बोलेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, घनश्याम जी

(श्री अध्यक्ष)

बोलेंगे। आप बिराजें, एक मिनट बिराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा चली चिट सिस्टम की, वास्तविक स्थिति यह है कि पहले जब माननीय पूनमचन्द जी अध्यक्ष थे तो स्थगन प्रस्ताव काफी संख्या में निरस्त होते थे और निरस्त स्थगन प्रस्तावों पर दो–दो मिनट बोलने की व्यवस्था थी। अब सवाल यह है कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जिन पर माननीय सदस्यों को निश्चित समय पर जवाब मिल जाते हैं और कुछ अधिकार विपक्ष के माननीय सदस्यों का है, उदाहरण के लिये स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष के माननीय सदस्य बोल सकते हैं या उन पर वक्तव्य आ सकते हैं। वह उनका एक परमानेंट अधिकार था जो हमको प्राप्त नहीं है। जब काल अटेंशन मोशन हैं, उनका समय है, 295 में जो उल्लेख करना चाहते हैं उनका जवाब आने का समय निश्चित हैं। यह जो चिट सिस्टम के द्वारा दो दो मिनट बोलते हैं वह बोलने का अधिकार उधर के माननीय सदस्यों को प्राप्त है और हमको भी वह अधिकार प्राप्त है लेकिन उस पर बोलते ही किसी भी माननीय मंत्री से तुरन्त उस पर वक्तव्य की मांग करना, उस हिसाब से यह सिस्टम नहीं रखा गया था। यह सिस्टम उस हिसाब से बिलकुल गलत है। कोई माननीय मंत्री चाहें उसका खड़ा होकर, उनकी जानकारी में हो तो वह जवाब दे दें वरना उसके लिये इंसिस्ट करने के लिये यह सिस्टम नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की कोई ऐसी ज्वलंत समस्या रखना चाहे जो उसको उस समय पर ध्यान आ गयी हो उसके लिये यह सिस्टम है।

इसलिये मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो समयबद्ध आने वाले प्रस्ताव हैं 295 का जवाब आता है, काल-अटेंशन का जवाब आता है, लिखित में प्रश्नों का जवाब भी आता है, जो भी जवाब आता है लेकिन जो यह चिट सिस्टम है उसमें अपनी बात इस सदन के सामने रखने के लिये बनाया गया है और इस आधार पर कि जीरो आवर ठीक प्रकार से नियंत्रित हो सके, इसलिये दोनों ओर के माननीय सदस्यों का अधिकार है और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह अधिकार तो रहे लेकिन माननीय सदस्य तुरन्त मंत्रीजी से जवाब लेने के लिये इंसिस्ट नहीं करें, बाध्य नहीं करें। इसी प्रकार यह सिस्टम चलना चाहिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं एक मिनट निवेदन करना चाहूंगा। यदि हम स्ट्रिक्टली नियमानुसार चलें तो कोई कठिनाई खड़ी नहीं होगी। यह चिट सिस्टम आपने दिया है, इसका नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है। जीरो आवर का है। कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है, 119 के माध्यम से उठाया जा सकता है, 127 के माध्यम से उठाया जा सकता है, 129 के माध्यम से उठाया जा सकता है, 50 के नियम के अन्तर्गत उठाया जा सकता है, 295 में उठाया जा सकता है। 50 के अन्दर आम तौर से जीरो आवर में हम जो प्रस्ताव लेते थे उनके बारे में जानकारी आ जाती थी और आप वक्तव्य दिलाना उचित समझते तो सरकार से वक्तव्य दिलाते वरना सरकार

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

से लिखित में उत्तर आ जाता था और उसको आप पढ कर के यहां सुना देते थे, वह पर्याप्त था। चिट सिस्टम के अन्दर आप बात कह देंगे तो नियम 50 में तो आप लेना चाहते नहीं, दूसरे नियम हैं उनका उपयोग करना नहीं चाहते, तत्काल आप उत्तर चाहते हैं, इससे मैं समझता हूं, अव्यवस्था फैलती है। इससे तो पहले वाला ज्यादा अच्छा था कि अर्जेंट है तो 50 में दे दीजिये, उस वक्त बोल दीजिये, सरकार के जवाब आने के बाद में बोल दीजिये। अगर उचित आप समझें तो सरकार से वक्तव्य दिला दीजिये। पहले चालीस सालों में बराबर यह व्यवस्था चलती आ रही है और अच्छी तरह चलती आ रही है। उसमें सवाल यही है कि ज्यादा लम्बा नहीं हो। ढाई-तीन बजे तक जीरो आवर और वक्तव्य वगैरह सब समाप्त हो जाएं, यह व्यवस्था आप कर दीजिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी सदन के नेता महोदय ने कहा कि यह पर्ची, सिस्टम का नियमों मे कहीं उल्लेख नहीं है। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि नियमों का हवाला देकर इसको बंद नहीं किया जा सकता। पहले नियम जो अपनी विधान सभा के बने हुए हैं, एक मिनट, नियम जो बने हुए हैं नियमों में यह व्यवस्था है कि यह हाउस कितने दिन चलेगा साल भर में। सरकार उसे आधे दिन भी नहीं चलाती। अगर नियमों की बात सरकार करे तो इस पर्ची सिस्टम को आप आज ही बंद कर दीजिये और नियमों में जो व्यवस्था है उतने दिनों तक आप हाउस चला लीजिये। यह आप कह दीजिये ताकि यह भी बंद हो जाएगा और यह नियमों की पालना भी हो जाएगी। सरकार तो नियमों की पालना करें नहीं और हम सदस्यों से आप नियमों की बात करके हमारे अधिकारों को बंद करें, यह कतई उचित नहीं है। इसलिये आप अगर इसको बंद करना चाहें तो नियमों के अनुसार आप सदन की बैठकें साल में तीन बार और कम से कम कितनी सीटिंग होनी चाहिये उसके हिसाब से आप यहां उतनी सीटिंग होगी, वह दीजिएगा। हम तो यह सारा यहां छोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी, 295।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बगरू (जयपुर) में सीनियर सैकण्डरी स्कूल

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष जी, कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर तहसील का बगरू सबसे बड़ा कस्बा है। जयपुर से करीब 25 किलोमीटर होने के कारण यहां की छात्राएं जयपुर अध्ययन के लिये नही आ सकतीं। साथ ही आज सरकार महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। बगरू के आसपासभी 20कि.मी. तक लड़कियों का कोई 10+2 विद्यालय/महाविद्यालय नहीं हैं जबकि यह नगर छपाई हेतु भी विदेशों तक में ख्याति प्राप्त है।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यहां छात्राओं के लिए 10+2 स्कूल होना नितान्त आवश्यक है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित निर्णय लेने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी गहलोत (अनुपस्थित) श्री विष्णु मोदी।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में पानी का दोहन

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : पुष्कर विधान सभा क्षेत्र से अत्यधिक मात्रा में पानी के दोहन किये जाने से करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक आस्था के प्रतीक तीर्थराज पुष्कर सरोवर का अस्तित्व दिन–प्रतिदिन खतरे में पड़ता जा रहा है। पुष्कर क्षेत्र से पुष्कर सरोवर में 1.80 लाख गैलन पानी, पुष्कर कस्बे को ढाई लाख गैलन पानी, गनाहेड़ा से साढ़े चार लाख गैलन पानी एवं लीला सेवड़ी से 6 लाख गैलन पानी अजमेर शहर को तथा बूढ़ा पुष्कर से छह लाख गैलन पानी रेलवे को प्रतिदिन सप्लाई हो रहा है। अर्थात् 20.80 लाख गैलन पानी प्रतिदिन तथा साढ़े सात हजार लाख गैलन पानी प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में दोहन हो रहा है।

मान्यवर, पुष्कर में वर्षा की मात्रा इतनी कम नहीं हुई कि उससे सरोवर में पानी की कमी हो गयी हो। वर्ष 1995 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्षा की मात्रा में सिर्फ 23 मिलीमीटर की ही कमी आयी है। पहले यह 425 मिलीमीटर थी जो अब घटकर 403 मिलीमीटर रह गयी है। पुष्कर क्षेत्र से पानी की अत्यधिक निकासी ही इसकी जिम्मेदार है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहां भू–जल रिचार्ज अच्छा उक्त क्षेत्र में वर्षा के कुल पानी का 21 प्रतिशत पानी वाष्पीकरण होता है जबकि यहां प्रति मिनट 7 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी सोखने की क्षमता है।

मान्यवर, 1996 में भू–जल सरोवर की सतह से 4.30 मीटर नीचे था, 1971 में घटकर वह 12 मीटर और 1995 में वर्षा के बाद भी यह साढ़े बीस मीटर सतह से तथा सरोवर के तल से करीब 11 मीटर नीचे चला गया है। भू–जल का स्तर पूरे पुष्कर क्षेत्र में गिरने के कारण ही सरोवर के अस्तित्व का संकट आया है। पुष्कर में 1970 में जल–दोहन 3.73 मिलियन क्यूबिक मीटर था जो 1995 में बढ़कर 5.92 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नये कुओं की खुदाई और उनसे कृषि और घरेलू उपयोग के लिये पानी निकाला जाना ही रहा है।

मान्यवर, गनाहेड़ा से भी पानी का अत्यधिक दोहन होने से भू–जल स्तर गिरा है। इस क्षेत्र से जलदाय विभाग, अजमेर द्वारा पानी का वितरण किया जा रहा है। गनाहेड़ा में 1955 में जो भू–जल स्तर 7 मीटर था वह 1968 में घटकर 16 मीटर पर गया और अब यह समाप्त प्रायः सा हो गया है। बूढ़े पुष्कर क्षेत्र के भू–जल स्तर में भी अत्यधिक गिरावट आयी है, 1961 से 1971 के बीच यहां पर 3 मीटर था जो 1984 से 1994 के बीच 10 मीटर तक उतर गया और वर्तमान में डेढ़ मीटर की रफ्तार से यह स्तर घटता जा रहा है।

(श्री विष्णु मोदी)

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुष्कर सरोवर का केचमेंट एरिया 21.60 वर्ग किलोमीटर, सरोवर क्षेत्र एक लाख 11 हजार 500 वर्गमीटर तथा स्टोरेज क्षमता 865 क्यूबिक मीटर है। साथ ही इस क्षेत्र में ऐसी फसलों की खेती तेजी से बढ़ी है जिनके लिये पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है तथा रेत के ऊंचाई वाले टीलों को भी लोगों ने समतल कर खेती के काम में लेना शुरू कर दिया है जिससे बरसात का पानी रास्ते में ही काम आ रहा है।

मान्यवर, पुष्कर सरोवर से मिट्टी निकलवाने का काम और समानान्तर सरोवर बनाने का काम हाथ में ले लिया गया है। उसके लिए तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, परन्तु मेरा ऐसा निश्चित अभिमत है कि पुष्कर सरोवर से मिट्टी निकालने से तो सिर्फ इसकी भराव क्षमता बढ़ सकेगी लेकिन पानी का स्थायी स्रोत विकसित नहीं हो सकेगा।

मान्यवर, पुष्कर हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ है। पुष्कर राज कोई मंदिर भी नहीं है, जलकुण्ड ही पुष्कर राज है अतः तीर्थ के रूप में इस कुण्ड का ही विशेष महत्व है। यदि यह जलाशय पानी के अभाव में जलाशय नहीं रहता है तो तीर्थराज पुष्कर तीर्थराज नहीं रह जाएगा। अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये ध्यान में लाना चाहता हूं और सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीर्थराज पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पुष्कर क्षेत्र से वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में दोहन किये जा रहे पानी को अविलम्ब रोके जाने के लिये सरकार से यह अपेक्षा की जाए कि वह इस सम्बन्ध में एक समयबद्ध एवं ठोस कार्यवाही करने के सभी आवश्यक कदम शीघ्र उठाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र स्थित पैलेस होटल को बन्द किया जाना

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, आजकल पर्यावरण की बात बहुत ज्यादा हो रही है। इसके विपरीत जो बातें हो रही हैं, हमारे राष्ट्रीय उद्यान में जिस तरह से बड़े-बड़े लोगों के द्वारा गड़बड़ियां की जा रही हैं और सरकार मूक दृष्टि से उन बड़े लोगों का जिस तरह से पक्ष ले रही है, उसके बारे में आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इसको पढ़ें। बाद में और कई मौके आएंगे भाषण देने के। अपने को अभी 295 में पढ़ना है।

श्री रामनारायण मीणा : आप बोले, इतनी देर में तो मैं पढ़ना ही शुरू कर देता।

मान्यवर, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. (11) (22) राज–8/78, दिनांक 27 अगस्त, 1982 को जारी करके "राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का" का गठन करके उसकी सीमाओं का विवरण जारी किये जाने के पश्चात् उप जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा जारी की गयी जांच (अवार्ड) रिपोर्ट, दिनांक 24.6.85 में भी

(श्री रामनारायण मीणा)

क्रम संख्या 2 पर अंकित "सरिस्का पैलेस" से सम्बन्धित क्लेम एवं एतराज" बाबत स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाये जाने से सरिस्का होटल को बंद कराने सम्बन्धी मामला अभी तक भी अनिर्णीत ही रह गया है। जबकि उक्त होटल के कारण वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण में विघ्न पैदा हो रहा है। वन्य प्राणियों के स्वच्छन्द विचरण में विघ्न पैदा करने वाले सरिस्का पैलेस होटल को बन्द करने के लिये दिनांक 27.8.82 की अधिसूचना में उत्तरी चतु-र्सीमा सम्बन्धी बदलाव करना आवश्यक हो, तो उसे बिना किसी देरी के किया जाना न्याय हित में होते हुए भी अधिकारीगण जानबूझकर सीमा बढ़ोतरी में देरी करके होटल मालिकों को लाभ पहुंचा रहे हैं। उक्त होटल के विक्रय दिनांक 27.1.82 को शून्य प्रभावी घोषित किये जाने तथा कोठी सरिस्का में होटल व्यवसाय नहीं चलाने के लिये राजस्थान राज्य की ओर से दिनांक 26.7.85 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर के यहां वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् भी उक्त वाद के शीघ्र निस्तारण के लिये उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा 11 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पूरी साक्ष्य नहीं करवायी जा सकी है। इससे भी स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारीगण सरि-स्का कोठी क्रय करने वालों को जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रहे हैं।

अतः वन्य जीवों के स्वतंत्र विचरण में बाधा पहुंचाने वाले सरिस्का पैलेस होटल अविलम्ब ही बन्द किया जाकर सरिस्का कोठी, कब्जे वन विभाग ली जावे तथा न्या-यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलवर के यहां विचाराधीन वाद का तुरन्त निस्ता-रण करवाये जाने के लिये सक्षम अधिका-रियों की एक कमेटी गठित की जाकर वास्तविक स्थिति से आम जनता को अव-गत कराया जावे। साथ ही वाद के प्रति-वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं अब तक हुए साक्ष्य की प्रतियां मुझे भी उप-लब्ध करवायी जावें, ताकि सही स्थिति स्पष्ट हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

भरतपुर जिले में पुरानी नहरों व बांधों की मरम्मत

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में गत वर्ष भी भयंकर बाढ़ आयी थी और इस वर्ष भी बाढ़ का पानी जिले के सैंकड़ों ग्रामों में भर गया है। राजस्थान सरकार ने इस जिले की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने तथा पुरानी नहरों व बांधों की मरम्मत करने का आश्वासन भी दिया था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार इस कार्य में पूर्णतया विफल रही है। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि होम्स कैनाल की, जो डीग तथा नगर क्षेत्र से पानी को मोती झील में लाकर डालती है जहां से पानी उत्तर प्रदेश को चला जाता है, अनेकों बार निवेदन करने के बावजूद भी मरम्मत व सफाई नहीं की गयी। जिस कारण वर्तमान की बाढ़ में भी तबाही हो रही है। साथ ही अन्य नहर व बांधों की भी मरम्मत नहीं की गयी है। मैं राजस्थान

(श्री हरिसिंह)

सरकार से अपेक्षा करता हूं कि अविलम्ब कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

शिक्षा विभाग के अधीन कायरत भाषा अकादमियों को सुव्यवस्था

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न भाषायी अकादमियों को राज्य सरकार प्रतिवर्ष लाखों रुपये नियमित वार्षिक अनुदान देती है लेकिन इस अनुदान देने के न तो नियम अभी तक बने हैं और न इनकी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग मे कोई जांच होती है। इसके अभाव में उचित व्यय तथा हिसाब की पारदर्शिता मालूम नहीं होती है। राज्य सरकार के विभागों में आवश्यक तालमेल की कमी और इच्छाशक्ति के अभाव के कारण जांच कराने का निर्णय आज तक नहीं हो सका है। विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अतारांकित प्रश्न के उत्तरों में राज्य सरकार यही उत्तर देती रही है कि विचार किया जा रहा है।

विधान सभा में दिनांक 21.09.1992 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10/शि.म./शिक्षा/अतारां/में आडिट कराने हेतु पत्राचार का उत्तर दिया गया और प्रश्न संख्या 94/शि. म./शिक्षा/अतारा. का उत्तर पत्र क्रमांक प. 10(61)शिक्षा–6/95, दिनांक 5.8.1995 में ऑडिट कराने सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन बताया है। इसी तरह पत्र संख्या 10(93)शिक्षा–6/95 दिनांक 2.2.1996 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में पैरा संख्या–4 में अंकेक्षण कराने के सन्दर्भ में विचार किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार आज तक भाषायी अकादमियों में ऑडिट करने का कोई निर्णय नहीं ले पायी है।

भाषायी अकादमी की समस्याओं, समाधान एवं उत्थान हेतु एक ज्ञापन दिनांक 27.12.1994 को माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैंने दिया था, जिसका न तो परीक्षण किया गया और न आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही होने की सूचना प्राप्त हुई है। जबकि मेरे प्रश्न संख्या–94/शि. म./शिक्षा/अतारां. का शिक्षा विभाग ने पत्र संख्या 10(61)शिक्षा–6/95, दिनांक 5.8.1995 से प्रत्युत्तर दिया है कि परीक्षण कर कार्यवाही की जाएगी। डेढ़ वर्ष बीतने पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही न होना इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है।

अकादमी के कर्मचारियों को प्रोविडेंट फण्ड स्कीम की बजाय पेंशन देने के संदर्भ में बराबर यही उत्तर विधान सभा में दिये जा रहे हैं कि प्रकरण विचाराधीन हैं जबकि अकादमियों के अध्यक्ष और सचिव के सम्मेलन दिनांक 13.4.1987 के विवरण, जो पत्र संख्या एफ 13(1)शिक्षा/3/87, दिनांक 5.5.1987 से जारी हुआ है, राज्य सरकार ने बताया है कि प्रोविडेंट फण्ड के मुकाबले पेंशन देने में अधिक भार नहीं पड़ेगा। अकादमियों की कार्य समितियों ने प्रस्ताव पारित किये हैं और कर्मचारियों में इस सम्बन्ध में निर्णय न होने से तीव्र असन्तोष है।

(84)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अध्यक्षों और सचिवों की एक बैठक माननीय शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 5.12.1995 को सचिवालय में सम्पन्न हुई थी, जिसका विवरण आज तक जारी नहीं हो सका है जबकि इससे पहले ऐसे सभी बैठकों के विवरण नियमित रूप से जारी हुए हैं। इस विवरण को जारी न करने के क्या कारण रहे हैं, अज्ञात है।

राज्य सरकार की अकादमियों के विकास और समस्याओं के समाधान में कोई रुचि प्रतीत नहीं हो रही है और न इच्छा शक्ति झलक रही है, अन्यथा गत पांच वर्षों में विधान सभा में उत्तर देने के बाद भी अनुदान नियम, आडिट, पेंशन आदि के सामान्य प्रकरणों में सरकार कोई ठोस निर्णय कर सकती थी। परिणाम यह है कि साहित्यकारों तथा कर्मचारियों में तीव्र असंतोष पैदा होता चला जा रहा है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

बिजौलिया खनन क्षेत्र में खातेदारी भूमि में खनन आबंटन की प्रक्रिया

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बिजोलियां खनन क्षेत्र में खातेदारी भूमि में खनन आबंटन हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से हुई विसंगति दूर कर आबंटन की प्रक्रिया अपनाने हेतु मेरा निवेदन है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का बिजौलिया क्षेत्र खनन क्षेत्र के नाम से विख्यात है। जहां बिजौलिया क्षेत्र की धरती उपजाऊ है, वहीं खनिज सम्पदा का भी भण्डार है। वहां की विपुल खनिज सम्पदा का, जो धरती के नीचे छिपी हुई है, वहां के किसानों को लाभ देने के लिये पूर्व में राज्य सरकार ने खातेदारी भूमि में उसी खातेदार को या उसकी एन. ओ. सी. पर अन्य को खनन पट्टे आबंटन करने का आदेश निकाला था, जिसमें प्लाट की साइज 60 × 30 मीटर व रेंट वर्तमान में इस साइज के क्वारी की रेंट से चार गुना रेंट लेने का तय किया था। राज्य सरकार के उक्त आदेश के विरुद्ध कुछ संस्थाएं माननीय उच्च न्यायालय में गयी और उन्होंने तर्क रखा कि इस प्रकार खातेदारी में प्लाट आबंटन से क्षेत्र का पर्यावरण बिगड़ जाएगा, जमीन बरबाद हो जाएगी, जो आज उपजाऊ है। इस रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश देकर इसकी क्रियान्विति रुकवा दी। दौराने सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी तरफ से इस कमेटी का गठन किया जिसने मौके पर जाकर स्थिति को देखा और अपनी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को दी। राज्य सरकार द्वारा उक्त कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करने के आश्वासन के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने रिट खारिज कर दी और कमेटी के सुझावों के अनुसार खातेदारी भूमि में खनन पट्टे देने के आदेश प्रदान कर दिये।

राजस्थान में सेंड स्टोन क्षेत्र में दो प्रकार की पद्धतियां लागू हैं। माइनिंग लीज एवं क्वारी लाइसेंस। बिजौलिया क्षेत्र में शुरू से ही क्वारी लाइसेंस पद्धति है। वहां पर डेलिनेटेड बाउण्ड्री खोल कर 200 ×

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

200 फीट, 100 × 200 फीट, 50 × 50 फीट की प्लाटों की साइज रखी गयी जिसके कारण अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार कमेटी ने 200 × 200 मीटर के ब्लाक बनाने का सुझाव दिया है। यदि उक्त साइज के ब्लॉक बनाये जाते हैं तो बिजोलियां क्षेत्र में खातेदारी भूमि में खनन आबंटन होना ही असम्भव है क्योंकि यहां पर छोटे-छोटे किसान हैं। किसी के पास एक बीघा जमीन है तो किसी के पास दो, किसी के पास तीन, पांच-सात बीघा जमीन तो कुछ ही व्यक्तियों के पास है। जबकि 200 × 200 मीटर की साइज के लिए कम से कम 25 बीघा जमीन तो चाहिये ही और रेंट के भी 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष बनते हैं।

अतः बिजौलिया क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 100 × 200 फीट या 200 × 200 फीट ही प्लाट की साइज रखते हुए खातेदारी भूमि में खनन आबंटन के आदेश प्रदान करायें, जिससे वहां के किसानों को रोजगार उपलब्ध हो सके व अवैध खनन भी बन्द हो सके। यदि इस सम्बन्ध में विधि विभाग की राय लेनी हो तो वह भी अविलम्ब लेकर इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने का आदेश प्रदान करायें, साथ ही रेंट जो चार गुना किये जाने के पूर्व के आदेशों में तय था, उसे कम करके अभी जिस प्रकार रेंट एक प्लाट का लिया जा रहा है, उसी प्रकार रेंट लेने की व्यवस्था करायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक।

पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम बनाये जाने

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत निम्न विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की जो उपेक्षा की है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत अभी तक नियम नहीं बनाये हैं, जिसके कारण बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं। संस्थाएं अलग-अलग रूप से इस कानून का अर्थ लगाकर कार्य कर रही हैं और उनमें मुख्यतया विकास अधिकारियों का पद इतना हल्का कर दिया और कार्य विस्तृत है। कम से कम राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी विकास अधिकारी होना चाहिये। इसकी आवश्यकता महसूस करके सरकार ने राजस्थान विकास सेवा का गठन करने का निर्णय लिया था, उसकी भी पालना नहीं हुई और जो मौजूदा विकास अधिकारी है, वह बिलकुल असक्षम है। अधिकंतर सहकारी निरीक्षकों को इसमें भर दिया गया जो बिलकुल ही सक्षम नहीं है।

इस प्रकार एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जिला योजना समितियों का गठन होना चाहिये था जो अभी तक नहीं हुआ है, जो आवश्यक था। इसके अलावा सचिव पद पर अध्यापकों व कृषि पर्यवेक्षकों को लगा कर पंचायतों का तो सत्यानाश ही कर दिया गया। इनको पंचायत राज संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि

(श्री हरजीराम बुरडक)

विकास अधिकारी से मार्ग-दर्शन चाहे तो विकास अधिकारी इनसे ही कोरे हैं।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा के कारण सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के नियम शीघ्र बनाये जाएं। विकास अधिकारी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा का किया जाए तथा जिला आयोजना समितियों का गठन किया जाए तथा प्रत्येक पंचायत में सक्षम सचिव लगाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

शास्त्री नगर (जयपुर) स्थित नाले की सफाई

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान जयपुर शहर एवं शास्त्री नगर के नाले की सफाई के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रति वर्ष वर्षा के दिनों में चांदपोल बाजार एवं आस-पास के रास्तों में मिट्टी आ जाती है तथा उसे हटाने में सरकार का लाखों रुपया खर्च होता था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये शास्त्री नगर में एक एनीकट (बांध) का निर्माण एवं बंधे से एक पक्का नाला अमानीशाह के नाले तक निर्माण कराया गया। सरकार का लाखों रुपया इस पर खर्च हुआ तथा इससे राहत भी मिली। जिस नाले का निर्माण किया गया, वह गत अनेक वर्षों से कचरे से ऊपर तक भरा हुआ है। जहां-जहां खाली है, उन गड्ढों में पानी भरा होने से सड़ रहा है। मच्छरों का आतंक है। वहां से नाक पर कपड़ा लगाये बिना निकलना मुश्किल है। स्थानीय निवासियों का जीना दूभर है। स्थानीय निवासियों ने अनेकों प्रयास किये हैं। पिछले कई वर्षों से नालों की सफाई का अभियान लेते हैं। सभी अधिकारी समय-समय पर मौका मुआयना भी करते हैं। स्थानीय निवासियों को आश्वासन भी दे आते हैं।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को याद होगा, गत वर्षा में पचासों अधिकारीगण एवं पच्चीसो सरकारी गाड़ियों का काफिला लेकर मेरे आग्रह पर वहां पहुंचे। मैं भी उनके साथ था। बड़ी उम्मीद मुझे एवं स्थानीय निवासियों को थी। जब मंत्री जी आते हैं तब तो अधिकारीगण भी हरकत में आ जाते हैं। आनन-फानन में सभी साधन जुटा दिये गये। कई गाड़ियां कचरा उठाने के लिये लगायी गयीं। जब काफिला पहुंचा तो एक गाड़ी नाले के अन्दर से कचरा निकालने के कार्य में लगी थी। परन्तु इधर काफिला लौटा, उसके साथ ही सभी साधन अपने-अपने स्थान को चले गये।

जो बांध बना है वहां दुर्भाग्य से अनेकों मकान अवैध रूप से निर्मित हो गये और होते जा रहे हैं। बंधे की पाल पर भी अतिक्रमण हो गया है। गत सत्र के सिंचाई मंत्री के सामने मैंने यहां इस मुद्दे को उठाया तो पुलिस ने भी लीपापोती कर दी। उत्तर भेज दिया गया। बारह व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा-दर्ज कर दिया गया, क्या हुआ पता नहीं? शहर में यदि तेज वर्षा आयी तो सम्भव है वह मिट्टी फिर शहर में आ

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

जाए। इससे भी अधिक चिंता कच्ची बस्ती निवासियों के घर टूट जाने व जनहानि हो जाने की है।

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अति आवश्यक समझ कर तत्काल इस नाले को साफ करने के निर्देश दें। यदि इसके लिये अलग से भी बजट दिया जाना आवश्यक हो तो देने की व्यवस्था करायें। यदि समय रहते समस्या का समाधान न हो पाया तो गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना रहेगी।

शहर में प्रति वर्ष नाले सफाई का अभियान लिया जाता है, यह उचित नहीं लगता और इतने कम समय में सम्भव भी नहीं। इस पर जो रुपया सरकार का खर्च होता है इसके बदले जोन अनुसार स्थायी कार्य हाथ में लेकर वर्ष भर यह कार्य होता रहे अन्यथा इन दिनों जल्दी-जल्दी में जो नाले ऊपर से तोड़े जाते हैं वह वर्ष भर ठीक नहीं हो पाते, इससे भी राहत मिलेगी। मैं मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडियों की आय से कृषि विपणन बोर्ड ने आज तक सड़कें बनायी हैं, उनकी सालाना मरम्मत भी नहीं हो रही। गत वर्ष राज्य सरकार ने निर्णय किया कि यह सड़कें आयन्दा रख-रखाव के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दी जावें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह कह कर कि या तो सड़कों को कृषि विपणन बोर्ड पूरी मरम्मत कर सड़कें हस्तान्तरित करे या सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुमानों के अनुसार मरम्मत हेतु राशि इस विभाग को कृषि विपणन बोर्ड दे तो ही सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ले सकता है।

सरकार इन सड़कों की जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, मरम्मत की व्यवस्था करावे।

मेरे क्षेत्र की एक सड़क मेड़ता से चून्दिया तक का एक किलोमीटर का भाग गत वर्ष ही पानी में बह गया था, अतः इसकी विशेष मरम्मत करने की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

बालोतरा (बाड़मेर) में कन्या महाविद्यालय

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बालोतरा में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बालोतरा एक औद्योगिक नगर है जहां करीब 40 वर्षों से अधिक समय तक जिला सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, परगना अधिकारी का कार्यालय, पंचायत समिति का कार्यालय, अधिशाषी

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

ग्रभियन्ता, जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिकी विभाग, ग्रधिशाषी ग्रभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ग्रौर ग्रधिशाषी ग्रभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड ग्रौर कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं। इस नगर के ग्रास-पास दो बड़े-बड़े गांव, पचपदरा सिटी और जसोल हैं। वर्तमान में इसकी ग्राबादी लगभग 60,000 से भी ग्रधिक हो गयी है। ऐसे महत्वपूर्ण शहर में कन्या महाविद्यालय के लिये जनता व सरकारी कर्मचारी कई वर्षों से ग्राशा लगाये हुए बैठे हैं। ग्राज बाड़मेर जिले में करोड़ों रुपये सरकार द्वारा साक्षरता के लिये व्यय किये जा रहे हैं जो एक ग्रच्छा कार्यक्रम है। लेकिन बालिकाग्रों के लिये समय की मांग के ग्रनुसार कालेज की शिक्षा अलग होना ग्रति ग्रावश्यक है। विशेष तौर से पिछड़े जिलों में कन्या महाविद्यालय ग्रलग होनी चाहिये। सरकार ने कुछ स्थानों पर ऐसे निर्णय भी लिये हैं। आज बालोतरा में 300 से 400 कन्याएं कालेज शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं लेकिन अलग से महाविद्यालय नहीं होने से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह रही हैं। पढ़ी-लिखी महिलाएं दो घरों में उजाला करती हैं, पीहर ग्रौर ससुराल में।

इन बातों को मध्य नजर रखते हुए बालोतरा जैसे महत्वपूर्ण नगर में कन्या महाविद्यालय शीघ्र खोलने का ग्रादेश करने का सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वित्त विभाग की 38 ग्रधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

ग्रधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. ग्रधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) एफ.डी./कर-अनुभाग/95–32 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर ग्रधिनियम, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा कतिपय वस्तुग्रों पर कर की दरें निर्धारित की गयी हैं;

2. ग्रधिसूचना क्रमांक प. 4(69) वित्त/कर ग्रनुभाग/95–33 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर ग्रधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय माल के क्रय ग्रौर विक्रय को कर से छूट दी गयी है;

3. ग्रधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर ग्रनुभाग/95–34 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर ग्रधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय विद्युत माल में विक्रय पर कर से छूट दी गयी है;

4. ग्रधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–35 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय मोटर वाहनों के पुर्जों व उप साधनों को कर से छूट दी गयी है;

5. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग 95–35 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स मोबाइल क्रेंस और हाइड्रोलिक डम्पर्स के विक्रय में कर की छूट दी गयी है;

6. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–37 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में चाय के सीलबन्द पैकेटों के पण्यावर्त के सम्बन्ध में उस पर संदेय कर में छूट देने के सम्बन्ध में रीति और शर्तें निर्धारित की गयी है;

7. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–38 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्बल स्लरी पर आधारित औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य में विनिर्मित उत्पादों के विक्रय पर कर में छूट दी गयी है ;

8. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–39 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्लाइंग एश पर आधारित विनिर्मित उत्पादों के विक्रय में कर से छूट दी गयी है;

9. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–40 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्वार गोंद के विनिर्माण में उपयोग के लिये निर्यातोन्मुख नये ग्वार गोंद की ऐसी इकाइयों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर से छूट दी गयी है ।

10. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–41 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 100 और राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 74 के साथ पठित अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुर्गी खाद के क्रय या विक्रय को कर से छूट दी गयी है;

11. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–42 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(11) एफ.डी./ग्रुप–4/95–54 दिनांक 27 मार्च, 1995 में संशोधन किया गया है;

12. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–43 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(11) एफ.डी./ग्रुप–4/95–

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

10 दिनांक 3 मई, 1995 विखंडित किया गया है।

13. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–44 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोरगम सूडान के विक्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर से छूट दी गयी है;

14. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–45 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में खाद्य या अखाद्य तेल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त तिलहनों के क्रय या विक्रय को कतिपय शर्तों के अधीन कर में छूट दी गयी है;

15. अधिसूचना क्रमांक एफ 4(69) वित्त/कर अनुभाग 95–46 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक या हस्तशिल्प और हाथकरघा निर्यात निगम द्वारा किये जाने वाले बुलियन के विक्रय को कतिपय शर्तों पर कर से छूट दी गयी है।

16. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–47 दिनांक 15 मार्च, 1996;

17. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–48 दिनांक 15 मार्च, 1996 एवं

18. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–49 दिनांक 15 मार्च, 1996—

जिनके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के की उप धारा 5 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में खाद्य तेल, नमदा, फेल्ट और फेल्ट उत्पादों, खली के निर्माण एवं विक्रय के सम्बन्ध में कर की दरें निर्धारित की गयी है;

19. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–50 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप-4/87 दिनांक 23–5–1987 में संशोधन किये गये हैं;

20. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–51 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87 दिनांक 23–5–1987 में संशोधन किये गये हैं;

21. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–52/ दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/82–72 दिनांक 26–9–1987 में संशोधन किये गये हैं;

22. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वित्त/कर अनुभाग/95–53 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87–73 दिनांक 26–9–1987 में संशोधन किये गये हैं;

23. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–54 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87–38 दिनांक 6–9–1989 में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–55 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ. डी./ग्रुप–4/87–39 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–56 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ.डी./ग्रुप-4/82–40 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95-57 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ डी./ग्रुप–4/82–41 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) वित्त/कर अनुभाग/95–58 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप धारा 2 के अन्तर्गत 31–3–2000 तक सनिर्मित किसी नये सिनेमाघर द्वारा संदेय मनोरंजन कर में 5 वर्ष के लिए छूट दी गयी है;

28. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/कर अनुभाग/95 दिनांक 15 मार्च, 1996 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं एवं रीको द्वारा समझौते के अधीन किये गये भूमि के क्रय से संबंधित लिखतों को रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दी गयी है;

29. अधिसूचना संख्या प. 2(1) वित्त/कर अनुभाग/95 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 द्वारा राजस्थान में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1996 की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों, नगरपालिकाओं एवं रीको द्वारा आबंटित/विक्रीत आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भू-खण्डों और मकानों के संबंधित लिखित पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 10% से 6% किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–59 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

संख्या एफ.4(35)एफ.डी./ग्रुप-4/87 दिनांक 23–5–1987 में संशोधन किये गये हैं;

31. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–60 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87 दिनांक 23–5–1987 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–61 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ.डी./ग्रुप–4/82 दिनांक 26–9–1987 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–62 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ.डी./ग्रुप–4/82–73 दिनांक 26–9–1987 में संशोधन किया गया;

34. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./ टैक्स/ डिवि/ 95–63 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87–38 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–64 दिनांक 15 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(35) एफ.डी./ग्रुप–4/87–39 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–65 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ.डी./ग्रुप–4/82–40 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–66 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66) एफ.डी./ग्रुप–4/82–41 दिनांक 6–7–1989 में संशोधन किया गया है, एवं

38. अधिसूचना संख्या एफ. 4(69) एफ.डी./टैक्स/डिवि/95–67 दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 15 के अन्तर्गत :—

(i) टैण्ट, छोलदारी, शामियाना–कनात

(ii) पैकिंग सामग्री, पी.वी.सी. रोल, प्लास्टिक रोल के विक्रय हेतु निर्धारित सीमा में छूट दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रोहिताश्वजी, परिवहन राज्य मंत्री परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

1. अधिसूचना क्रमांक प. 6(125)

(श्री रोहिताश्व)

परि/कर/कर मुक्त दिनांक 15 मार्च, 1996 जिसके द्वारा छात्राओं एवं अध्यापकों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु बसें कर मुक्त की गयी हैं,

2. अधिसूचना क्रमांक प. 6(96) परि/मु./कर मुक्त/93–II दिनांक 19 मार्च, 1996 जिसके द्वारा तीर्थ यात्री बसों को कर में छूट दी गयी है,

3. अधिसूचना क्रमांक प. 6(178) टी. आर/टैक्स/95 दिनांक 13 मई, 1996 जिसके द्वारा वाहन संख्या जी.सी.बी. 1408 को कर मुक्त किया गया है,

4. अधिसूचना क्रमांक प. 7(3) परि/रूल्स/एच. क्यू./95 दिनांक 21 जून, 1996 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 7(3) परि/रूल्स/एच. क्यू. 95 दिनांक 21 जून, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी मीणा, श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री, श्रम तथा नियोजन विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्रम एवं नियोजन विभाग

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री श्रम एवं नियोजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम तथा नियोजन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

1. अधिसूचना संख्या एफ. 14(7) एल. एण्ड. ई./86 दिनांक 23 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत राजस्थान में एस्बेस्ट्स अथवा उसके उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में कतिपय शर्तें विहित की गयी हैं;

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4(7) श्रम/95 दिनांक 23 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना अधिनियम, 1951 के नियम 64 बी (1) के उपनियम (ए) के उपनियम (II) के अन्तर्गत सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गयी है; एवं

3. अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) श्रम/82 दिनांक 6 फरवरी, 1996 एवं अधिसूचना संख्या एफ. 4(10) श्रम/92 दिनांक 6 फरवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के नियम 64 के अन्तर्गत कतिपय कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों की शारीरिक क्षति, विषाक्तता, बीमारी अथवा स्वास्थ्य पर अन्य संकटपूर्ण स्थिति के लिये सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

प्रतिवेदन व लेखे

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल), एवं विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1994–95 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि., जयपुर का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि., जयपुर का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकान्तजी, विशेषाधिकार समिति, 1995-96 का 14वां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न से सम्बन्धित समिति का 14वां प्रतिवेदन

श्री रमाकांत (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जगदीप धनखड़, सदस्य राजस्थान विधान सभा के विरुद्ध श्री शिवकिशोर सनाढ्य एवं 15 अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रश्न से सम्बन्धित समिति का 14वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री परसराम पदेरणा : This relates to the Hon'ble Member of this House.

श्री रमाकांत शर्मा : समिति का विचार है कि यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बनता।

श्री परसराम मदेरणा : वैरी गुड, था ही ऐसा यह मामला। Your judgement is that of a judicial officer.

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का 16वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :-

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 27 जून, 1996 को मध्याह्न पश्चात् 12.40 बजे हुई। समिति दिनांक 1 जुलाई, 1996 से 8 जुलाई, 1996 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 1996 :

बाढ़ की स्थिति पर विचार

मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 1996 :
बुधवार, दिनांक 3 जुलाई, 1996 :
गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई, 1996 :

आय-व्ययक (बजट) 1996-97 पर सामान्य वाद-विवाद

शुक्रवार दिनांक 5 जुलाई, 1996 :

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995,

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996

(3) राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996; एवं

(4) राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण।

शनिवार, दिनांक 6 जुलाई, 1996
रविवार, दिनांक 7 जुलाई, 1996 :

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 1996 :

आय-व्ययक (बजट) 1996-97 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : बहुत ही इम्पोर्टेंट है।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं खड़ा हूं।.... (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बनवारीलाल जी बैरवा।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, आपको मौका दे रहा हूं। श्री बनवारीलाल जी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

दतवास से नांगल बूसर पंचायत समिति निवाई जिला टोंक में सड़क बनवाया जाना

(1) दतवास से नांगल बूसर पंचायत समिति निवाई जिला टोंक में सड़क बनवाने बाबत एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं,

दतवास से बोंली जाने वाली सड़क पर दतवास में प्रवेश से पहले वाले नाले पर पुल/रपट बनाया जाना

(2) दतवास से बोंली जाने वाली सड़क पर दतवास में प्रवेश से पहले वाले नाले पर पुल/रपट बनवाये जाने बाबत एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर और पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, यह दोनों इतने इम्पोर्टेंट इश्यू होते हैं इनमें तमाम काम स्थगित करके आपको माननीय सदस्य को मौका देना जरूरी हो जाता है। माननीय सदस्य का पाइंट आफ इन्फोर्मेशन, न जाने कैसी इन्फोर्मेशन हो, वह माननीय सदस्य के लिये भी हो सकती है, वही नहीं लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं वही ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कृपा करके, अध्यक्ष महोदय, आपको....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। मैं जब खड़ा हूं तो उनको बैठ जाना चाहिये। माननीय माधवसिंह जी दीवान। हां, भाटी जी पहले आप फरमायें।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत इस सदन को एक बहुत ही दुःखद सूचना देना चाहता हूं। हमारे पाली विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चेंडा जो रोहट पंचायत समिति में है, वहां पर कल और परसों रात को, एक तो सती माता की मूर्ति है, उसको तोड़ दिया गया और एक जो भोलाराम जी साधु है, उनकी समाधि बनी हुई है, सालों पहले उन्होंने जीवित समाधि ली थी, उस समाधि पर बैठकर कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब पी और शराब पीकर उस समाधि को तोड़ दिया। एक वहां राजाराम जी का आश्रम बना हुआ है, राजाराम जी के आश्रम में जाने के लिये वहां एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को तोड़ कर उन असामाजिक तत्वों ने तालाब में गिरा दिया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस की मौजूदगी में राजाराम आश्रम की जो साध्वी है भगवती बाई, उनके साथ उन असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया और आज की तारीख में हालात यह हैं कि यहां पर असामाजिक तत्व खुले आम घूम रहे हैं। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और उनकी वजह से पूरे गांव में जबरदस्त तनाव फैला हुआ है और उस तनाव की वजह से वहां पर भारी नुकसान और फसाद होने की आशंका है। इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को सूचना देना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील मामले में तुरन्त राज्य सरकार कुछ न कुछ कठोर कदम उठाकर उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल जाट, अकाल सहायता राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, रात को एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई है जो किसी अखबार में नहीं आयी है। इसलिये मैं एनर्जी मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रात को इलेक्ट्रोक्यूशन से 4 आदमियों की टिबरी गांव के अन्दर मौत हो गयी है। इमिजियेटली आपको उसकी जानकारी लेनी चाहिये और आज सदन के समाप्त होने से पूर्व इस सदन को बतलाना चाहिये कि यह किस तरह से घटना घटी है। चार आदमी

(श्री परसराम मदेरणा)

मरे हैं एक ही घर में। बिजली के तारों से मरे हैं। आप भी भगवान के घर हैं लेकिन किसकी गलती है ये ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : कहां पर यह घटना हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : टिबरी गांव में। टिबरी के अन्दर तो आपका 132 जी. एस.एस है। एल.टी. पर हुई है या 11 के.वी पर हुई है तार टूटने से, वह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मेरे पास अभी टेलीफोन आया था 11.30 बजे, इसलिये मैं कह रहा हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल जाट, सहायता राज्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाए।

राज्य में बाढ़ की स्थिति पर विचार

श्री सांवरलाल जाट (सहायता राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : Sir, it is in respect of the note you have circulated to the Hon'ble Members of this august House ...

श्री अध्यक्ष : पहले आप स्टेटमेंट दे दें। श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)। (व्यवधान) दे रहे हैं क्या आप ?

श्री सांवरलाल जाट : हां, दे देंगे। बिलकुल तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं that even at the stage of Parliament, introduction of the bill, the salient feature of the bill जो मिनिस्टर रिलेट करता है कि यह बिल मैं लाया हूं, यह इसके फीचर्स हैं, शोर्ट में। I do not say that. आपको रिप्लाई तो सबकी सुनकर बाद में देनी पड़ेगी। लेकिन शोर्ट में अगर आप थोड़ा सा सदन को अवगत करा दें और जानकारी करा दें तो मैं समझता हूं यह उचित ही रहेगा।.... (व्यवधान) आप तो सुपरसोनिक स्पीड से बोलते हैं। एक तो मेहरबानी करके सुपरसोनिक स्पीड से न बोलें। क्योंकि जब आदमी मेंटल स्टेट में होता है तो कौनसी चीज उचित है, किसका औचित्य है, उसका नहीं करके और जल्दी-जल्दी बोल जाता है। शोर्ट में, शांति से आप (व्यवधान) और जो इसके कारण हैं, वह कारण आप नहीं जानते। बड़े रहस्यमय कारण है। वह परवरदीगार जानता है। इसलिये आप ह्यूमन ट्रेजेडी में और इस पूरी क्षति के अन्दर कितने जिम्मेदार हैं या नहीं, आपके क्या प्रयत्न रहे और यह कैसे हुआ एकदम से इतने लोगों के मरने का यह हादसा। खैर यह वर्षाजनित मामला है। इसको संक्षेप में आप बता दीजिये।

(13.45)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मदेरणा जी से एक बात पूछना चाहती हूं कि आप अपनी बोलने की पद्धति को बदल सकते हैं क्या और कितनी देर तक के लिये बदल सकते हैं ? आपने जो सुझाव दिया, मैं उसके लिये नहीं कहना चाहती। मैं आपसे कह रही हूं....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या का बहुत आदर करता हूं परन्तु इनकी सलाह पर मैं गौर करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भी कम आदर नहीं करती, खूब आदर करती हूं आपका। इसलिये पूछ रही हूं कि हम तो जो बोले, सो ताला खोले। आप बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अभी पार्लियामेंट में हल्ला किया कि देवेगोड़ा जी हिन्दी नहीं जानते हैं। जो जिस लेंग्वेज को जानता है, आप संस्कृत जानती हैं, मैं संस्कृत नहीं जानता। मैं गीता पढ़ता हूं तो हिन्दी का अनुवाद मेरे सामने रखता हूं। आप संस्कृत में भी बोलती हैं कई दफे। इसलिये भाषा का जहां तक प्रश्न है, जिस भाषा को मैं आसानी से और सरलता से यहां अभिव्यक्ति दे सकता हूं इसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द भी हो सकते हैं, कुछ हिन्दी के शब्द भी हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर कोई उर्दू का शब्द भी है तो उसका भी मैं इस्तेमाल करूंगा। इसलिये आपकी तरह न तो मैं कहीं अध्यापक रहा हूं, न मैं कोई प्रोफेसर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा यह मतलब नहीं था....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जैसे हमारे प्रोफेसर मिनिस्टर हैं। इसलिये मैं जिस भाषा में बोलता हूं उसी भाषा में बोलूंगा। आपकी सलाह तो नेक है, लेकिन मैं अगर उसको ग्रहण कर लेता हूं तो जो कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं उसे तरीके से और प्रभावशाली ढंग से इस सदन में नहीं कह सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सांवरलालजी कैसे समझेंगे आपकी बात। वह कैसे अपनी भाषा बदलेंगे। शंका तो यही है।

श्री परसराम मदेरणा : शंका और आशंकाओं के अन्दर कई बातें होती रहती हैं, उसका समाधान समय के साथ हो जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जद थे कोनी कर सको तो वो कयां कर लेवलो ? वह भी नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री सांवरलाल जाट (सहायता राज्य मंत्री) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय के ऊपर चर्चा रखी गयी है। यह विषय राजस्थान की जनता के लिये बहुत गम्भीर है। किसी की कल्पना के बाहर था कि 20 तारीख को इस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से चक्रवात बनकर मानसून पूर्व की बरसात होगी और ऐसे जिलों के अन्दर, ऐसे क्षेत्रों में जहां सामान्यत: बरसात कम होती है और देरी से होती है, उसके कारण राजस्थान के जन-जीवन को काफी नुकसान पहुंचा है। पशुधन की हानि हुई है।

(श्री सांवरलाल जाट)

लोग बेघरबार हो गये। जन हानि भी हुई है और कई जगह आज की तारीख में भी जल-प्लावन चल रहा है और गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। यह विधि की विडम्बना है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। जहां राजस्थान में एक ओर अकाल के कार्य चल रहे थे दूसरी ओर बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ी। जैसे ही यह दुर्घटना घटित हुई राज्य सरकार ने सारी तैयारियों के साथ अधिकारियों को निर्देश दिये और यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर वर्ष राज्य सरकार बाढ़ से पहले बाढ़ बचाओ के सम्बन्ध में बैठक करती है और बैठक करके आवश्यक धनराशि जिला कलक्टर्स को, सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराती है। जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर यह कहने की स्थिति में नहीं रहे हमारे प्रशासन के पास धन की कमी रही इस वजह से हम यह कार्यवाही नहीं कर सके या जनता को राहत नहीं पहुंचा सके। मैंने सचिव एवं अन्य अधिकारियों की 5 जून को बैठक ली और मैंने निर्देश दिये कि सम्बन्धित को धनराशि आवंटित करायें। चूंकि जो घटना हुई है वह अप्रत्याशित हुई और यहां तक कहते हैं कि नागौर के अन्दर सौ साल का रिकार्ड टूटा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने विधान सभा में कहा था कि 52 वर्ष पहले ऐसी घटना हुई थी, इतनी भयंकर बरसात हुई, दो दिन के अन्दर इतनी बरसात हो गयी दो वर्ष में नहीं होती।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि मुख्य मंत्रीजी नेशनल कौंसिल की मीटिंग अटैंड करने भोपाल गये थे और वहां से उन्होंने फ्रैंटिक एफर्ट्स किये कि रिलीफ मिनिस्टर को काम पर आइडेन्टीफाई किया जाए। अखबार में यह आया था कि मुख्य मंत्रीजी घूमते ही रहे लेकिन राहत मंत्रीजी का पता ही नहीं लगा कि वह कहां पर हैं इसलिये यह बात आयी है। आप मुख्य मंत्रीजी की चिलम भर रहे हो। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपने धन राशि आवंटित कर दी? हमारी कहावत है न मारवाड़ी में कि—

"मरो ही परा हो जाओगे राम
बरसोगे परायां खेतां।"

लेकिन बात यह है कि उस दिन आप कहां गायब थे? मुख्य मंत्रीजी के साथ उस दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर श्री चतुर्वेदीजी, साहब आपके साथ थे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): हम तो सीधे भोपाल से ही आये थे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं—नहीं, आप तो सीधे ही भगवान के पास पहुंचने की तैयारी कर रहे हो लेकिन मैं यह कह रहा था कि वह सीधे ही जाएंगे, क्योंकि वह ओ प्लाइट है उसका एक कारण भी था कि आपके प्लेन के आवर्स खतम हो रहे थे। यहां आकर के आप जाते तो शायद प्लेन को लेट करनी पड़ती और मैं यहां पर सब जगह तैयारी करके बैठा हुआ था कि आते ही मुझे बतायें और घर भी नहीं आते तो मुझे जोधपुर छोड़ दें। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि वह तो सीधे ही चले गये। इसका एक कारण भी है टेक्निकल नहीं तो पायलट का लाइसेंस कैंसिल

(श्री परसराम मदेरणा)

हो सकता हैं तो वह बात तो थी लेकिन इससे पहले मुख्य मंत्रीजी ने श्री दिग्विजय सिंहजी की हॉट लाइन के ऊपर राहत मंत्रीजी को ढूंढ़ने की कोशिश की। यह नदारद थे, कहां थे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुख्य मंत्रीजी ने आपको घर में सब बातें बता दीं।

श्री परसराम मदेरणा : घर में बहुत सी बातें बताने की हैं, कुछ बातें बताने की नहीं हैं। जिस वक्त यह आपके साथ में आये उस दिन भी कई बातें अखबार में आयी थीं।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने किसी अखबार का हवाला देकर के यह बात कही। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं अजमेर जिले की जवाजा तहसील में था और चूंकि गांव के अन्दर था इसलिये सम्पर्क नहीं हो पाया। जैसे ही मुझे सूचना मिली उसके बाद मैं तत्काल यहां आया, माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा की।

मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी हिस्टोरिकल रेन फाल हुई। इससे शताब्दी के रिकार्ड टूटे और मैं यह कह सकता हूं कि ऐसी परिस्थिति में कोई विशेष प्रयास करना किसी के लिये सम्भव नहीं है। जो सरकार कर सकती थी, वायुसेना की मदद ली, सभी प्रकार के इन्तजाम किये। जहां-जहां, जैसे-जैसे सरकार कर सकती थी, प्रयास किया है। जैसलमेर जिले में पोकरण में, नोखा में अभूतपूर्व बरसात हुई। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 219 गांव प्रभावित हुए तथा करीब ग्यारह हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। बीकानेर जिले में 58 गांव, कोलायत मे 44 गांव, नोखा में 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। बीकानेर शहर व नोखा शहर में जन-जीवन प्रभावित हुआ, लगभग 4 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जिला प्रशासन ने अब तक 22 लाख रुपये बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों के लिये राहत के लिये व्यय किये। नागौर में 160 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब तक के सर्वे के अनुसार लगभग 6,500 मकान क्षतिग्रस्त हुए। एक हजार मवेशी बाढ़ की शिकार हुई और 26 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जोधपुर जिले में 61 गांवों में बाढ़ का प्रकोप रहा, करीब 1500 मवेशी मरे और 12 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। अलवर जिले में 164 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। प्राप्त सूचना के अनुसार 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 3 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ के कारण सर्वाधिक हानि भरतपुर जिले में हुई है। लगभग 750 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए जिनमें से 425 गांव विशेष रूप से प्रभावित हुए। भरतपुर व अलवर जिलों में हुई वर्षा का पानी रूपारेल नदी मे सीकरी बांध में आने तथा भरतपुर जिले के डीग, नदबई, कामां, पहाड़ी, कुम्हेर क्षेत्रों मे अधिक पानी आने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। भरतपुर में प्रारम्भिक सूचना के अनुसार 33 हजार मकान क्षतिग्रस्त होने और 20 व्यक्तियों की मृत्यु होने का अनुमान है जो आज की तारीख में 28 के लगभग हैं। मेरे स्तर पर व मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें ली जाकर सभी विभागों को व जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिये गये। इसके फलस्वरूप

(श्री सांवरलाल जाट)

अप्रत्याशित रूप से अधिक वर्षा होने की स्थिति में... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसमें हनुमानगढ़ का तो आपने जिक्र किया ही नहीं है, पांच आदमियों की मृत्यु हो गयी, सैकड़ों मकान गिर गये, उसका कोई जिक्र ही नहीं है।

श्री सांवरलाल जाट : आप मेरी बात सुनिये। जब राजस्थान का जिक्र आ गया तो सारे जिक्र हो गये रह जाए तो आप बाद में चर्चा में भाग ले लीजिये।

बाढ़ पीड़ितों को अविलम्ब सहायता पहुंचायी गयी। वायुसेना व सेना की सहायता ली गयी। वायुसेना की सहायता तो प्रभावित क्षेत्रों में खाने के दो लाख इकतालीस हजार पांच सौ पैकेट गिराये गये। इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी लगभग एक लाख पैकेट भोजन का वितरण करवाया गया। अभी भी वायुसेना के दो हेलीकोप्टरों की सेवाएं हमें उपलब्ध हो रही हैं। सेना की सहायता जोधपुर व भरतपुर में बाढ़ राहत के लिए ली जा रही है। इस समय सेना की तेरह टुकड़ियां भरतपुर जिले में कार्यरत हैं। नावों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आदमी और पशुओं की चिकित्सा के लिये विशेष दल लगाये गये हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। अब तक डेढ़ लाख पशुओं की चिकित्सा की गयी। बाढ़ के कारण कई स्थानों पर विद्युत वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है, उसके कारण पेयजल व्यवस्था भी बिगड़ी है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर लगाकर पानी की व्यवस्था की गयी है। विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष दल बनाये गये हैं। विद्युत व्यवस्था के सुधारों के साथ-साथ अब पेयजल व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया गया। वर्षा से विभिन्न जिलों में कुल 1361 गांव प्रभावित हुए, 83 लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 70 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। छोटे-बड़े लगभग 300 बांधों के टूटने का अनुमान है। सही स्थिति तो पानी हटने पर वास्तविक सर्वे करवाने के बाद ही सामने आ सकेगी। जोधपुर, नागौर और जैसलमेर के नमक उद्योग को भी बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ। जोधपुर लिफ्ट कैनाल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी जिसको युद्ध स्तर पर ठीक करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ऐसा करना जोधपुर की पेयजल की आपूर्ति के लिये आवश्यक है। बाढ़ की स्थिति का आंकलन करने के लिये मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी एवं विपक्ष के नेता माननीय श्री परसरामजी मदेरणा ने हवाई सर्वेक्षण किया। उप मुख्य मंत्रीजी ने नागौर में, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने और मैंने भरतपुर में, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने जोधपुर में राहत कार्यों की व्यवस्था की व आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जैसलमेर, नागौर व जोधपुर की स्थिति के बारे में बैठक लेकर 23 जून को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उसमें उप मुख्य मंत्रीजी, विपक्ष के नेता व मुख्य सचिव को भरतपर भेजा एवं स्थिति का

(श्री सांवरलाल जाट)

आंकलन किया। प्रधान मंत्रीजी ने भी अलवर–भरतपुर जिलों के क्षेत्रों का 30 जून को हवाई सर्वेक्षण किया।

श्री परसराम मदेरणा : मीटिंग तो 23 जून को ली उसमें उप मुख्य मंत्रीजी के साथ कहां जोड़ रहे हो? 23 जून को आये थे भोपाल से, उस वक्त की बात है। जल्दी बोल रहे हैं न। उन्होंने लिया और उसको भेज दिया। मैंने सोचा 23 को ही भेज दिया।

श्री सांवरलाल जाट : राज्य सरकार द्वारा बाढ़ एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिये जिला कलेक्टरों/विभागाध्यक्षों को अब तक 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें से बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को 550 लाख रुपये सिंचाई विभाग को, 460 लाख रुपये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को, 100 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को, 100 लाख रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, 25 लाख रुपये भेड़ व पशु पालन विभाग को राशि आबंटित की गयी है। इस प्रकार इस वर्ष 13 करोड़ रुपये के लगभग राशि स्वीकृत की गयी है। बाढ़ की स्थिति के कारण प्रभावित लोगों को काफी कठिनाइयां आयी हैं। सरकार ने उनकी कठिनाई को कम करने का भरसक प्रयास किया है। अप्रत्याशित रूप से हुई भारी बर्षा को सरकार रोक नहीं सकती थी परन्तु सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिये यथासम्भव सभी प्रयास किये। बाढ़ के कारण आवागमन के मार्ग बन्द होने से अवश्य राहत कार्यो में बाधा आयी है। हेलीकाप्टरों से खाद्य सामग्री गिराकर राहत दी गयी। नावें लगाकर खाद्य सामग्री पहुंचायी गयी। अब राहत व्यवस्था में और गति लायी जाएगी। मैं इस कार्य में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं और सरकार की ओर से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता को राहत पहुंचाने में सरकार द्वारा किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जायेगी। मैं प्रदेश की जनता व स्वयं सेवी संस्थाओं से भी इस कार्य में सहयोग की अपील करता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ का जिक्र ही नहीं हुआ। पिछली बार गंगानगर में बाढ़ आयी जब जिक्र नहीं हुआ, पांच आदमी मर गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं आप बिराजें। बैठिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय खड़े हैं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उनकी बात को भी निवेदन कर देता हूं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हनुमानगढ़ के अन्दर अखबारों में भी यह आया था कि इन बस्तियों के अन्दर पानी चला गया है और वहां डेथ्स शुरू हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में यदि आपके पास इन्फोर्मेशन नहीं है तो आप कलक्टर गंगानगर से इन्फोर्मेशन लें ताकि आप उस फैक्चुअल पोजिशन से सदन को अवगत करा लें।

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने सवा लाख पशुओं की चिकित्सा तो कर दी लेकिन इन्सान जो बीमार पड़े हैं, मैंने खुद ने देखा है बीमार पड़े हुए, लोग जो प्रभावित हुए हैं और कई लाख की पापुलेशन प्रभावित हुई है जो टीबों के ऊपर और ऊंची जगहों पर पड़ी हुई है आसमान के नीचे। आपने कुछ लोगों की, इन्सानों की चिकित्सा की या नहीं? इस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले का....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में 8 मौतें हुई हैं। नीमकाथाना में घरों में पानी भर गया। मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो फिर क्या राहत मिलेगी उन लोगों को, आठ मौतें हुई हैं वहां और घरों में चार–चार फीट पानी भर गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है तो राहत कहां से मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, इस पर वाद–विवाद शुरू हो रहा है। माननीय मंत्रीजी बाद में जवाब देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय जानकारी करें और हाउस को बतायें। हाउस में आपने भाषण दे दिया और सीकर जिले का तो नाम ही नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार मानती है इस सप्ताह में राजस्थान के अन्दर बाढ़ की भयंकर विभीषिका से विनाश लीला हुई है, मैं समझता हूं इस शताब्दी में इससे पहले कभी नहीं हुई। यह मानने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अप्रत्याशित वर्षा हुई है और अप्रत्याशित वर्षा के काणर बाढ़ आयी।

मैं विशेष रूप से भरतपुर जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में कि बाढ़ कामां और नगर से प्रारम्भ होकर भरतपुर तक, इस जिले का पूरा हिस्सा, जितने भी गांव पड़े थे उसमें होकर 6–6, 7–7 फीट पानी खड़ा चला। जितने गांव इसके अन्दर आये बीच में सब गांवों के अन्दर पानी भर गया और गांवों में लोगों को अपने मकानों की छत के ऊपर जाकर जीवन बचाने का एकमात्र स्थान मिला। उपाध्यक्ष महोदय, वहां भी लोग बच नहीं सके। भयंकर विनाश लीला हुई, सैंकड़ों इन्सान उस बरसात के अन्दर बह गये, हजारों पशु समाप्त हुए और ऐसी रोमांचकारी घटनाएं हुई हैं कि एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिये आगे बढ़ रही है, बच्चा भी बह गया, मां भी बह गयी। हमारे भरतपुर के अन्दर ही किन्हीं बस्तियों के अन्दर बच्चे जिनके रह गये थे, उनको बचाने के लिये नौजवान गये और वह रास्ते में ही बह गये। इस प्रकार की अनेक घटनाएं इस क्षेत्र में बाढ़ के अन्दर हुई हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि वह वर्षा को रोक तो नहीं सकते लेकिन मुझे यहां कहने

104।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

में भी कोई संकोच नहीं है कि भरतपुर जिले का सिंचाई का सिस्टम है वह बाढ़ के लिये फुल प्रूफ सिस्टम है। कितना भी पानी आये, उस पानी को रोककर उस बाढ़ के प्रकोप को, बाढ़ के बहाव को रोका जा सकता है। यहां मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस काम में सरकार बिलकुल विफल रही है। मैं जुबानी बात नहीं कहता।

इससे गत वर्ष भी बाढ़ आयी थी और उस समय हमारे जिले के जितने भी बांध टूट गये थे उसके सम्बन्ध में मैंने सरकार से विधान सभा में प्रश्न पूछा था कि क्या इस वर्ष भरतपुर में आयी बाढ़ से भरतपुर जिले से कौन-कौन से बांध व नहरें या सिंचाई के अन्य साधन जैसे मोरियां, गेट, बंधे इत्यादि क्षतिग्रस्त हुए ? कितने मूल्य की सम्पत्ति विभाग की नष्ट हुई ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें। उत्तर मिला, इस वर्ष भरतपुर में आयी बाढ़ से जो क्षति हुई है उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

टूटे बांधों की संख्या	104
टूटी नहरों की संख्या	40
टूटे हुए तटबंधों की संख्या	36
क्षतिग्रस्त बांध	54
क्षतिग्रस्त नहरें	62
क्षतिग्रस्त तटबंध	21

इस प्रकार से 323 बांध टूटे। अगर सरकार ने इन बांधों की मरम्मत करा दी होती तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं हमारा सिस्टम यह है कि पानी आकर के पहले एक बांध में रुकता है और उसमें हजार सी.एफ.टी. पानी चलता है, अगले बांध में एक हजार रुक गया, उसके बाद अगले में एक हजार रुक गया, उसके बाद अगले में एक हजार रुक गया। इस प्रकार से रुकते-रुकते उसका वेग कम होता है। अब इतने बांध जो इनके टूटे, जो एक ही सिस्टम के हैं। भरतपुर से सीकरी सिस्टम का मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। यह बांध टूटे, इसका एस्टीमेट भी इन्होंने सरकार को पेश किया था। उत्तर है इनका 28 फरवरी, 1996 का, उसमें आपने यह कहा है कि इन कार्यों में क्षतिग्रस्त मोरी अथवा वेस्ट वीयर व पुलिया इत्यादि भी सम्मिलित है। इनको भी सही कराने हेतु 35.64 लाख के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं और यही वास्तविक क्षति है। इन कार्यों की तहसील वाइज सूची संलग्न है।

अब यह प्रस्ताव जो पेश हुए उसमें करीब सात करोड़ एक लाख के प्रस्ताव थे, इनको ठीक करने के। यह बात है फरवरी, 1996 की। फरवरी, 1996 के बाद इस पूरे सिस्टम को सुधारने में मैं यह कह सकता हूं कि इन्होंने न होम्स कैनाल, न सीकरी बांध और उसके बाद जितने भी बांध हैं, जलूथर बांध है, डबरा बांध है, कुचावती बांध है, अहो बांध है, कटडा बांध है, यह सब के सब बांध खुले हुए पड़े थे। इनकी किसी की मरम्मत नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि वहां से जितना पानी आया, बड़े वेग से इकट्ठा होता हुआ मोती झील के अन्दर आया और मोती झील की जो कैपेसिटी थी 13 फीट की वह ओवर चाक हुई और उसके बाद में उसमें से जो भरतपुर से

(श्री हरिसिंह)

पानी निकालने के लिये आगे है, गिर्राज कैनाल है, आपकी एस्केप चैनल है, सी.एफ. सी.डी. है, यह तीनों नहरें ओवर चाक करके भरतपुर शहर के अन्दर पानी आ गया। मेरा पहला निवेदन तो यह है कि वर्षा को आप नहीं रोक सकते लेकिन कम से कम इस सिस्टम को ठीक करने के लिये तो आपके पास पैसा था, इसे ठीक कराते। आप अपने रिकार्ड देख करके बता दीजिएगा कि आपने इस सिस्टम को ठीक करने के लिये कितना पैसा खर्च किया।

दूसरा सवाल उस समय ही पूछा था कि आपका कटीन्जेंसी प्लान क्या था बाढ़ से बचने के लिये? बाढ़ से पूर्व क्या क़दम एहतियात के तौर पर जिला स्तर पर पानी रोकने के उठाये थे, उसका आपने उत्तर तो दिया है कि हमने वायरलैस सैट लगा दिये हैं, हमने टेलीफोन लगा दिये हैं, हमने यह काम कर दिया, वह काम कर दिया। लेकिन आप अपने रिकार्ड्स देख लीजिये कि किस बांध पर, किस नहर पर, किस जगह पर आपका टेलीफोन सैट है, किस जगह पर वायरलैस सैट है और कहां क्या काम किया है। भरतपुर जिले की फ्लड कंट्रोल की परफैक्ट स्कीम और उसके अन्दर यहां तक मिलता है आगे के लिये कि किस बांध पर वर्षा से पहले किस दिन क्या मैटीरियल पहुंच जाना चाहिये। उसमें यहां तक है कि कितनी माचिस होगी, कितनी सुतली होगी, कितनी ग्रीस होगी, कितने आदमी होंगे, कितनी लालटेनें होंगी। आपने उस सारे सिस्टम को उठा कर ताक पर रख दिया और फिर जब वर्षा हुई उस समय आप भगवान के हवाले भरतपुर जिले को छोड़ कर के आराम से बैठे हुए थे। मैं यह तो नहीं कहता कि आपका वहां का प्रशासन निकम्मा था या नाकारा प्रशासन था लेकिन प्रशासन ठीक है, कलक्टर के फादर की डेथ हो गयी थी लेकिन फिर भी वह पहुंचे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किया क्या? कर क्या सकते थे, जिस प्रकार से एक निहत्था सिपाही रण के मैदान में कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार से वे भरतपुर जिले के अन्दर बाढ़ के समय क्या कर सकते थे।

आपने खुद ने कहा है कि चार-पांच सौ गांव डूब गये थे। उन चार-पांच सौ गांवों में पहुंचने के लिये आपके प्रशासन के पास क्या साधन था? आपने सेना को बुलाया। सेना को बुलाकर आपने कहा कि हमने बोट मंगायी, 38 नावें लेकर आप आये। मैं राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप हेलीकाप्टर खरीद सकते हैं, आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं, आप बसों की फ्लीट खरीद सकते हैं। आपके पास असंख्य गाड़ियां हो सकती हैं लेकिन राजस्थान सरकार के पास एक नाव है? जिससे लोगों की जान बचायी जा सकती है। क्या कारण है इसका, इतने बचाव के कार्यों में, भरतपुर में इतनी बाढ़ आती है, आप एक नाव नहीं रख सकते। आप नाव नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास सौ नावें होती तो भरतपुर जिले के अन्दर इतने लोगों की मौतें नहीं होती। आप गांवों के अन्दर आराम से पहुंच सकते थे। आप हर काम के लिये ट्रेंड कर सकते हैं। जहां कहीं दंगा हो जाता है गांव के अन्दर कहीं लाठी चल जाती है, आपके सैंकड़ों पुलिस वाले पहुंच जाते हैं काम करने के लिये, क्या आप आर.ए.सी. के आदमियों

(श्री हरिसिंह)

(14.00)

के लिये, पुलिस के आदमियों के लिये इतना नहीं कर सकते कि वह नाव चला करके वहां गांव में पहुंच सके। नाव अगर आ गयी मिलिट्री की तो वहां पर उनको ले जाने वाले आदमियों की कमी थी। कहीं से आप ने बाहर से नाव लगायी, बाहर नाव पडी हुई थी उसको ले जाने वाला कोई आदमी नहीं था। उस बात को आपका प्रशासन और आप और सरकार यह सब देख रही थी। गांव के अन्दर आप आदमियों को देखें कि छतों के ऊपर बैठे हैं। इतनी तेज धूप पड़ रही थी। तीन दिन तक आदमी लगातार छतों के ऊपर बैठे रहे, उनको न पानी का साधन था न उनको खाने का साधन था। बच्चे बिलख रहे थे पानी के लिये। धूप की बात आप छोड़ दीजिए। खाने की बात आप छोड़ दीजिए, उनसे एक संवाद स्थापित नहीं कर सकते थे। क्या आपका एस.डी.एम. करेगा और क्या आपका कलक्टर करेगा। जब उनके पास पहुंचने के लिये आपके पास में साधन नहीं है तो इस स्थिति के अन्दर मैं कुम्हेर की बात कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरा क्षेत्र है। माननीय मंत्रीजी गये 29 तारीख की शाम को, उनको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे पहुंचे, लेकिन 29 से पहले क्या एक छटांक भी आटा कुम्हेर में पहुंचा था, क्या एक भी आदमी, राहत कार्य के लिये एक भी नाव वहां पहुंची थी? 26 से फ्लड आयी है। 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख की सुबह मिलिट्री के दो कोलम जाते हैं नाव को लेकर। पांच दिन तक आदमी छत के ऊपर बैठे-बैठे पुकार रहे थे। गांव के लोग कह रहे थे कि एम.एल.ए. साहब वहां के आदमी छत के ऊपर बैठे-बैठे पुकार रहे हैं और हम सुन रहे थे इस बात को लेकिन असहाय थे। कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सरकार के पास में इस रैसक्यू आपरेशन के लिये, मैं सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा कि सरकार की नीयत उनको मारने की थी लेकिन सरकार के पास में इस बात का साधन नहीं था कि उनको किसी प्रकार से बचाया जाए। नहीं बचा पाये, लोग मरे। उसके लिये आप तो कहते हैं कि 27 आदमी मरे, 28 आदमी मरे। सैंकड़ों आदमी मर गये इसके अन्दर। कुम्हेर से भरतपुर का रास्ता बन्द था। आपकी बी.एड. की परीक्षा चल रही थी इन दिनों में और बी.एड. की परीक्षा में आने के लिये लड़कियां ट्रेक्टर ट्रोली में बैठ कर आयीं। ट्रेक्टर ट्रोली उलट गयी। कई बच्चियां उसके अन्दर मर गयीं। वहां कुम्हेर के अन्दर न थानेदार थे, न एस.डी.एम. थे, न कोई और अधिकारी थे.... (व्यवधान) .. एस.डी.एम. कह रहे थे कि हम भरतपुर में फंस गये, पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, हमको नहीं बताया गया।.... भगवान जाने कहां गये लेकिन कोई नहीं था। पोस्ट-मार्टम करने का इन्तजाम बड़ी मुश्किल से रात को हुआ, वहां से लोगों ने यहां भी शायद टेलीफोन किया था। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं इस विषय में कि आज स्कूल आपने खोल दिये भरतपुर के अन्दर, गांव के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूलों के अन्दर। मेहरबानी करके कम से कम स्कूलों की सात दिन की छुट्टी तो कर दीजिए कि बच्चे नहीं आ जाये। बी.एड. की परीक्षाएं आपको सोच कर स्थगित कर देनी चाहिए थीं। इसलिये निवेदन कर रहा

(श्री हरिसिंह)

था कि उस समय स्थिति इस प्रकार की बनी। उसमें मंत्रीजी भी गये, मंत्रीजी ने दौरे किये जाकर। लेकिन मंत्रीजी के पास में कौनसी नाव थी। आज भी भरतपुर के अन्दर 38 नाव जो मिलिट्री की हैं उनके अलावा आप प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं।

अब रहा सवाल इस बात का, श्रीमन्, आप जानते हैं कि भरतपुर में मोती झील ही ऐसी सेविंग लाइन है जो अब से नहीं, स्टेट के जमाने से भरतपुर शहर को प्रोटेक्ट करती रही है। उसे निकालने के लिये भरतपुर स्टेट के जमाने में गिर्राज कैनाल थी और उसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में सिटी को प्रोटेक्शन करने के लिये सी.एफ.सी.डी. बनी (सिटी फ्लड कण्ट्रोल ड्रेन) और मैन ड्रेन बनी उसका पहले नाम एस्केप चैनल था। यह सब जो ड्रेंस हैं वह ड्रेंस मोती झील के अन्दर पानी की जो आवक है, उसके अन्दर जितना पानी आ सकता है उतना पानी वह निकाल नहीं सकती। सरकार को पता था इस बात का, पहले ही पता लग गया था इस बात का कि जितना भी पानी इसमें आता है उतना पानी निकालने के साधन नहीं हैं। अब साधन बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए। आपने गिर्राज कैनाल की मरम्मत तक नहीं की। कोई ज्यादा पानी से थोड़े ही टूटी हैं, गिर्राज कैनाल में नक्के पड़े हुए थे, वहां से टूट गयी वह तो, वही मोती झील की हालत थी। मोती झील, 13 फीट पानी उसमें आता है, 12 फीट पर मोती झील टूट गयी, क्यों टूट गयी? क्योंकि आपने मरम्मत नहीं की इसलिये मोती झील टूट गयी। अगर उसकी मरम्मत की गयी होती, अगर लास्ट ईयर के बाद आपने यह बात सोच ली होती कि हमको गिर्राज कैनाल को पक्का कर देना चाहिये तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर शहर के अन्दर पानी हरगिज नहीं आता। पहली बार यह हुआ कि 60 साल में भरतपुर के सर्कुलर रोड के अन्दर पानी आया, उसकी रणजीत नगर की बस्तियों में पानी आया, हाउसिंग कालोनीज में पानी आया और पानी इतना आया कि लोगों को छतों के ऊपर जाकर बैठना पड़ा और भरतपुर शहर के पास में नाव प्रोवाइड नहीं कर सके। तीन आदमी दो बच्चों को निकालने के लिये गये तो तीनों की डेथ हो गयी। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है। आपके एम.पी. और एम.एल.ए. साहबान आपसे नाव मांगते रहे मोती नहर पर आने-जाने के लिये, मुझ से खुद कहा था एम.एल.ए. साहब ने, एम.पी. साहब से बात नहीं हुई। एम.एल.ए. साहब से बात हुई थी कि हमें अगर नाव मिल सकती है तो नाव दिलवा दीजिये। उन्होंने कहा कि नाव का प्रबन्ध हो जाएगा, तो उनके लिये रेसक्यू करने के लिये नाव भिजवा देंगे। कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय प्रशासन की। नीयत की बात नहीं कह रहा, साधन की बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी स्थिति दयनीय हो चुकी थी उसके बाद में आपने रेसक्यू आपरेशन क्या किये? मिलिट्री वालों के अलावा जो आदमी लाये उनके अलावा प्रशासन के कितने आदमी लेकर आये, कहां से लेकर के आये, कितने लोगों को गांव में जाकर आपने साधन उपलब्ध करवाये, कितने लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध करवाये आपने? कुम्हेर में तो मैं आपसे कहता हूं कि 29 तारीख से पहले

108

(श्री हरिसिंह)

एक भी पैकेट नहीं तैयार हुआ था। जो कुछ भी साधन वहां के लोगों ने, हम लोग मिल कर उपलब्ध करवा सकते थे वह दिये और जनता कितना कर सकती है इसमें आप कहेंगे, सरकार कहेगी कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये लेकिन स्थिति को देखते हुए जबकि लोग विप्लव में होते हैं उस समय सरकार को आगे आना चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा था।

मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुम्हेर के कम से कम 60 गांवों के अन्दर पानी अभी तक भरा हुआ है। अभी तक वहां का आने-जाने का सिस्टम बना नहीं है। इसके अलावा खाना वहां पहुंचाने का अभी तक साधन नहीं बना है। पानी का साधन, श्रीमन्, बड़ा मुश्किल हो गया वहां पर लोगों को पानी पहुंचाने के लिये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर कोई न कोई ऐसी स्कीम बनायें कि जब ग्राम घिर जाये पानी से तो वहां पानी कैसे उपलब्ध कराया जाये। बरसात के पानी को कैसे पीये ये लोग इसका कोई अरेंजमेंट करें कि क्या ट्रीटमेंट किया जाय लोगों को यह बात भी बतायी जाय नहीं तो लोगों के सामने काफी समस्या पैदा हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या सुझाव है इसमें। सुझाव दीजिये आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सुझाव यह है कि हैल्थ डिपार्टमेंट से कोई तरीका ऐसा निकालें कि उसमें क्या फिटकारी डालें या कोई ब्लीचिंग पाउडर डालें या क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताना चाहिये कि लोग उसको कर सकें। उबाल तो सकते नहीं हैं पानी को, क्योंकि वहां तो पानी का ही साधन नहीं बन पाता है, हैण्ड पम्प हमारे यहां गांवों के अन्दर हैं नहीं, खारा पानी है। हैण्ड पम्प जिन गांवों में है वहां पानी पी लेते हैं बाकी तो सिस्टम करना पड़ेगा। हम जानते होते तो हमने कर दिये होते गांवों वालों के लिये। यह तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा कि उस पानी को कैसे ट्रीट करके इमीजियेट ट्रीटमेंट हो जाए। लोग कर सके वहां पर और पानी पीने के लिये मिल सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अगर पानी इतना कंटेमिनेट हो गया है, मवेशी उसमें मर गयी है तो उस पानी में आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो तो भी वह पीने के लायक तो नहीं है। इसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का दिमाग बहुत फटाइल है और व्याव-हारिक भी है। जहां पानी बिलकुल ही नहीं है, हैण्ड पम्प खारे हैं, ट्यूबवैल है नहीं, वहां पीने का पानी कैसे पहुंचाया जाये, मुख्य मंत्रीजी, ऐसी कोई आती है क्या सूत की बनी हुई बड़ी-बड़ी मसकें जैसे ऊपर से हेली-काप्टर से खाने के पैकेट डाल रहे हो, उस तरह से ऐसे गांव जो बिलकुल ही महरूम हैं या जहां पर लोग सब्मर्ज हैं। मैं समझता हूं कि कामां, डीग और पहाड़ी के गांव भी काफी घिरे हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा महरूम गांव कुम्हेर के हैं आज वर्तमान स्थिति में, पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो पीयेंगे कैसे, वह पानी पीयेंगे जो मैं देख कर आया हूं तो उससे तो बीमार ही पड़ेंगे लोग।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्षजी मैं निवेदन आपसे कर रहा था, यह आप समझ रहे हो कि बाढ़ का खतरा टल गया है ऐसी बात नही है। यह तो जून के अन्दर वर्षा बढ़ने से बाढ़ आ गयी। भरतपुर में तो अगस्त के पहले हफ्ते में बाढ़ आती है आप रिकार्ड उठा लीजिये। जुलाई के लास्ट में या अगस्त के पहले हफ्ते में बाढ़ आती है और अब भी अगर वर्षा हो गयी तो हालत क्या होगी? या तो बाढ़ आयेगी आपके सिटी सिस्टम की तरफ से आपके बाण गंगा सिस्टम और गम्भीरी सिस्टम यह भरतपुर जिले के अन्दर तीन सिस्टम हैं। तीनों सिस्टम बाण गंगा, गम्भीरी और यह परफेक्ट सिस्टम हैं। आप अगर इनको ठीक से रखें तो अगर गम्भीरी के अन्दर ज्यादा पानी आयेगा तो सेवड़ा हैड से पानी को यू.पी. में निकाल सकते हैं। आपके अगर बाण गंगा में ज्यादा पानी आयेगा तो आप अजान बांध से यू.पी. में निकाल सकते हैं और अगर इसमें रूपारेल सिस्टम जैसा कि मैं आपको हुणस कैनाल बता रहा था, उसको सफाई करायी नहीं। हुणस कैनाल के माध्यम से अगर रूपारेल से पानी ज्यादा आयेगा इसमें तो आप इसको गिर्राज कैनाल, मैन ड्रेन सी.एफ.सी.डी. के माध्यम से यू.पी. में निकाल सकते हैं। अब आप देखिये चिकसाना के अन्दर। चिकसाना में जो हैड था उसमें हैल्ड अप था, जितना पानी निकल सकता था वहां से, आपने दो दिन बाद चिकसाना हैड को खुलवाया है। अन्यथा इतना पानी हैल्ड अप नहीं होता। आप अपने फैक्ट्स निकाल लें कि मेरी खबर कहां तक सही है। क्योंकि मैं तो गया नहीं चिकसाना हैड पर। लेकिन जो वहां की खबर थी उसके हिसाब से कहना चाहता हूं कि चिकसाना हैड को साफ करने में आपको दो दिन लगे। उसके बाद पानी निकल कर गया।

मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाह रहा हूं कि विभीषिका में, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वह तो सरकार भी मानती है कि सैकड़ों आदमी मर गये भरतपुर के अन्दर, हजारों पशु चले गये, करोड़ों रुपयों की लोगों की सरसों बह गयी. करोड़ों रुपयों का लोगों का गल्ला बह गया और लोग परेशानी के अन्दर रहे। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक आर.ए.सी. की बटालियन या 2–4 कंपनीज इसके लिये खड़ी करवाइये जो कि फ्लड रिलीफ की हों। आप दंगों के लिये जब पुलिस को काम में ले सकते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। एक बटालियन को आप इस काम के लिये ट्रेंड करें कि इस प्रकार के रेस्क्यू आपरेशंस में वह काम कर सके। उनके लिये आप कम से कम 200–250 नावें खरीद दीजिये जो इसमें काम कर सके। अब नाव है मल्लाह नहीं हैं। गर्ग साहब पूछ रहे थे कि नाव तो आ गयीं लेकिन मल्लाह कहां से लायेंगे आप। कर सकते हैं इस काम को कोई बड़ी बात नहीं है।

आप ग्राम के लिये कम से कम दो होमगार्ड्स को इस रेस्क्यू आपरेशंस के लिये ट्रेंड कर दीजिये। कितना पैसा लगेगा इसके लिये। आप यह काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यह मैंने आपको बताया कि कहीं भी यह काम आपकी फोर्स कर सकती है। इसके अलावा अभी मौका है आपके बाण गंगा सिस्टम और गम्भीरी सिस्टम

(श्री हरिसिंह)

को सही करने का, इसको कर दीजिये आप। यह जो टूटे-फूटे बांध पड़े हैं यह ग्राप कर सकते हैं कि नहीं। यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कितना समय है, कितनी बरसात की बात है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो पानी इसमें सीधा ग्रायेगा। पानी ग्राएगा तो बाढ़ पैदा होगी और इसमें अगर भगवान कहीं पानी पड़ गया आपके किसी भी सिस्टम के अन्दर तो पानी वहीं की वहीं ग्राएगा। कहीं रोकने का सिस्टम नहीं है। इसको ग्राप जितना कर सकते हैं उतना आप कर लीजिये।

इसके बाद एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आपकी सरकार ने ड्रिंकिंग वाटर के परपजेज के लिये दो-तीन महीने पहले एक ग्रच्छे सीनियर आफिसर के तहत पर एक मंत्रीजी को भेजकर के आपने जिलेवार मीटिंग की थीं। उनका अच्छा असर हुआ। क्योंकि डिपार्टमेंट में भी सतर्कता हुई और काम हुआ उस हिसाब से। इस प्रकार से क्यों नहीं आप हर गांव में हर जिले पर बाढ़ के तीन-चार महीने पहले किसी एक सीनियर ग्राई.ए.एस. ग्राफिसर को किसी मिनिस्टर को इन्चार्ज बना करके बाढ़ के काम का जायजा लें। अन्यथा जब बाढ़ की मीटिंग्स होती है हमने देखा है कि कागज पर हो जाती हैं और टेलीफोन भी लग जाते हैं, सब काम हो जाता है और होता-जाता कुछ नहीं है। जब बाढ़ आती हैं तो कहते हैं कि टूट गये। सिंचाई डिपार्टमेंट के लिये तो हमारे यहां भरतपुर जिले के अन्दर बड़ा आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि सिंचाई डिपार्टमेंट जो काम करता है वह केवल दिखावे का काम करता है। सही काम एक्चुअल होता नहीं है। इसमें आप कोई सीनियर आफिसर लगायें और मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हम जन-प्रतिनिधियों को तो महकमे ने कभी बुलाया ही नहीं। कोई मीटिंग के अन्दर तो बुलाया नहीं कि हमारी कोई राय ले ले कि कहां क्या काम होना चाहिये, कितना काम हुआ, हम भी बता सकें। आप एक मीटिंग कर लें 3-4 महीने पहले और हमारी राय ले लिया करें, उसके हिसाब से आप करें और उसको ओब्जर्व कर लिया करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया पीने के पानी का प्रबन्ध गांव के अन्दर कैसे हो, आप यह करें।

एक और सवाल आया बीमारी फैलने का। निश्चित रूप से बीमारी फैलेगी, क्यों फैलेगी बीमारी। भरतपुर शहर में आप देखें जो माल गोदाम थे उनके अन्दर जितना गल्ला भरा हुआ था सबमें पानी भर गया। बड़ा हैवी नुकसान हुआ है। एक-एक आदमी का किसी का सीमेंट भरा हुआ था दुकान में। 25–25 लाख का सीमेंट खतम हो गया। सीमेण्ट, गल्ला खतम हो गया, लोगों की सरसों खतम हो गयी। यानि किसान को तो फसल बरबादी से ज्यादा नुकसान हुआ है। फसल बरबाद तो खड़ी खेत में होती है। फसल लाकर के घर में जो रखी हुई थी जो साल भर खाता वह खतम हो गयी। वह सब सड़ रहा है उससे बदबू आ रही है। निकल नहीं सकते आप सड़क पर होकर के। आप किस प्रकार से इस बीमारी से बचने के, रोकथाम के लिये क्या-क्या प्रयास करेंगे? मेहरबानी करके सतर्कता के साथ में अभी से उसके प्रयास कर दीजिये। अभी तो सड़क तक चली नहीं है और हमारे

(श्री हरिसिंह)

यहां कुम्हेर में 2600 भेड़ फंस गयीं डामर के ऊपर । मंत्रीजी को भी निवेदन किया था ये देख कर आये थे। अब 2600 भेड़ों और 10-5 ऊंट को वह कैसे निकालें उसमें से होकर । पी.डब्ल्यू.डी. वालों से कहा कि इसका रास्ता बना दें । तो वे सब आयें-बायें-तायें । कैसे रास्ता बने तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पांच साल पहले भी हमने मंत्रीजी को सुझाव दिया था इस बात का कि जहां सड़क कटती है फ्लड के पानी से वहां पुलिया बना दीजिये या पाइप डाल दीजिये । जिससे हर साल नहीं कटेगी । किसी ने सुनी नहीं । इस प्रकार से मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि यहां पर जो सड़क कटी है बाढ़ के पानी के बहाव से वहां आप किसी प्रकार से पुलिया बना दें या उसके ऊपर कोई आने-जाने का ऐसा करें कि जिससे दुबारा वह नहीं कटे ।

एक अब आप देखें, मंत्रीजी के सामने की बात है। यानि कोई भी रास्ता भरतपुर से कामां तक साफ नहीं हुआ है । भरतपुर से कुम्हेर आने के लिये भी सीधा रास्ता नहीं है । नदबई होकर के आते हैं और नदबई के बीच में एक जरा सा बाईपास बनना है उसके ऊपर मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हजार-दो हजार का खर्चा होगा वह काम भी सरकार नहीं करा पायी है । सरकार तो क्या मगर आफिसर्स नहीं करा पाये हैं । तो इन सब कामों के लिये सतर्कता से अभी से आप इसका इंतजाम करें कि रास्ते टूटे नहीं ।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी तक जितने आदमियों की डैथ हुई हैं, किसी को मुआवजा मिला हो, मेरी जानकारी में नहीं है, किसी को राहत नहीं दी गयी है । अभी तक कुछ नहीं दिया गया है । वह आप कृपा करके जल्दी दिलवायें ।

इसके अलावा अब किसान को खेत बोने के लिये, उसके घर में तो खाने के लिये भी अनाज नहीं रहा, तो किसान के बोने के लिये बीज का, खाद का प्रबन्ध आप करें । किस प्रकार से करेंगे ? सब्सिडाइज्ड रेट पर आप करेंगे या क्रेडिट पर करेंगे ? क्योंकि मैं यह कह सकता हूं कि किसान के पास में आने वाले साल में खाने के लिये नहीं है । जितने गांव हमारे कुम्हेर के अन्दर हैं उनमें आप क्या प्रबन्ध कर सकते हैं कि वह जीवन निकाल सकें । यह आप भी प्रबन्ध करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ की जो विभीषिका हुई है इसमें मेरे हिसाब से मुख्य कार्य यह रहा कि हमारे जो सिस्टम हैं उन सिस्टमों को सही नहीं कराया और सरकार के पास में रेस्क्यू आपरेशंस के साधन नहीं थे । इन दो बातों की मुख्य कमी है । इन्हें कृपा करके आप ठीक करेंगे तो आभारी होंगे । धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, एक बात और निवेदन करना चाहता था वह रह गयी कि हम लोग चाहते हैं और जनता भी चाहती है कि इस सबके लिये इन्क्वायरी तो करायें कि इस सब काम का दोषी कौन है, किसकी गलती से यह हुआ है, क्यों नहीं यह सिस्टम ठीक हुआ, पैसा जो लगा है उसमें वाकई में लगा है कि नहीं लगा ? यह हर साल होता है करोड़ों रुपये आप

(श्री हरिसिंह)

खर्च करते हैं, आप बता देंगे कि कितना करोड़ रुपया खर्च हो गया है। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमीशन या कोई सीनियर आफिसर्स इस बात की इन्क्वायरी करे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का इसमें कितना लेप्स है, क्या कितनी गलती है और कौन इसका दोषी है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में....

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाढ़ पर विचार होने को है। इनके तो कोई बाढ़ आई नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर जिले में बाढ़ नहीं आयी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोधपुर जिले में आयी भोपालगढ़ में। तो भोपालगढ़ का एम.एल.ए. बोलेगा....(व्यवधान)....जोधपुर जिला भी ..

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी इस सदन का सदस्य बोल सकता है। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को तो सबसे बड़ी चिन्ता है जोधपुर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो वहां जगह-जगह से टूटी है। उसकी बात को उठाते रहे हैं। इनको तो घुमा-फिरा कर इसी पर आना है इसलिये वह बात को कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपको मुझे देखकर लिफ्ट कैनाल याद क्यों आती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : जोधपुर का नाम लेते ही खेतसिंह जी आप को क्या आपत्ति हुई ? आपको आपत्ति है क्या जोधपुर से ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाढ़ नहीं आयी ....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : खेतसिंह जी को आपत्ति इस बात की है मुख्य मंत्रीजी कि इन्होंने कोशिश की थी कि जोधपुर ड्रिंकिंग वाटर लिफ्ट स्कीम है वह शेरगढ़ के जो वर्स्ट एफेक्टेड विलेजेज हैं जिसको इधर थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाये। आपने पूरी स्कीम के प्लान के अन्दर डाइवर्ट नहीं किया। स्टेटिंग ग्राउज खेतसिंह जी के फेग एण्ड आफ द लाइज में आज जो चुभ रहा है और उसकी वजह से वह यह महसूस करते हैं कि यह पानी की नहर उनके पास से जा रही है। मेरे गांव रह गये, इसलिए खेतसिंह जी की यह बात थी कि आप थोड़ा सा हमारी तरफ भी कर देते तो खेतसिंह जी बोल जाते। खेतसिंहजी के वहां बरसात ज्यादा नहीं हुई लेकिन बुवाई के लिये ठीक बरसात हो गयी। इसलिये वे कह रहे हैं कि बोलने वाला नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता अच्छी तरह जानते हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इन्होंने कहा कि खेतसिंह जी के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : चूंकि गुलजारी लाल जी नंदा की आयु अभी 92 ईयर्स की है और मैं समझता हूं कि खेतसिंह जी की

(श्री परसराम मदेरणा)

102 वर्ष की आयु के लिये भगवान से कामना करता हूं, वह दीर्घायु हों। इसलिये मैं उसको विदड़ा करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम जिस समय बनी थी उस समय खेतसिहजी मंत्री थे। उस समय इसका ले आउट हुआ था उस ले आउट में शेरगढ़ नहीं था। फलौदी तक का काम तो आपके जमाने में हो गया और फलौदी से आगे आया तो आप मुझे बता दीजिये कि फलौदी से शेरगढ़ होकर कोई रास्ता है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है, तो वह आती कहां से है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां रेगिस्तानी इलाकों में बूंद-बूंद पानी के लिये और मानसून के लिये वहां के निवासी तरसते हैं वहां एक ही दिन में इतनी बरसात होगी इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वैसे पश्चिमी राजस्थान में 13 जून से बरसात प्रारम्भ हो गयी थी, लगातार बरसात के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी के टीले हैं उन टीलों में पानी धीरे-धीरे जमा हो गया और 22 तारीख को जब बरसात तेजी से आयी तो पानी का बहाव तेजी से बहा जिसमें पोकरण, फलौदी, ओसियां और नागौर जिले के गांवों में यह पानी भर गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी अपने प्राकृतिक बहाव के अनुसार बहता है। फलौदी के लोग यह कहते हैं कि 1912 के अन्दर वहां जोरदार बाढ़ आयी थी, इसी तरह की बाढ़ आयी थी और जिन क्षेत्रों में अभी बाढ़ का पानी बहा है उसी तरह से बाढ़ का पानी उस समय बहा था। मेरा निवेदन यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन दे रहे हैं। आपने 13 जून का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं किया है। आप 23 जून पर कहां आ गये सीधे ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : वर्षा प्रारम्भ हुई है यह मैंने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : 13 जून से लगातार होते-होते बारिश जब ज्यादा आ गयी और पानी सब टिब्बों में, टीलों में भर गया, यह तो आपने कहीं लिखा ही नहीं है। आप तो सीधे-सीधे 23 पर आ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, सीधे 23 पर आना चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह अपनी जानकारी दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, इन्दिरा गांधी कैनाल और जोधपुर लिफ्ट कैनाल की जब योजना बनी उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि प्राकृतिक रूप से पानी बहेगा वह पानी कैसे निकलेगा। उसका रास्ता रोक दिया गया जिसके कारण से जीरो आर.डी. से लेकर 70 आर.डी. तक कैनाल में टूटन हुई है और क्रेक्स हुए हैं, उसका एक कारण यह भी रहा है। अब मैं यह निवेदन

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

करना चाहूंगा जलदाय मंत्रीजी कि इसकी मरम्मत करवाते समय पानी का जो बहाव है उसको रोकने का, उसके बहने के लिये जो रोकने की जगह है वहां नहीं रोक कर उसके नीचे पानी निकालने की व्यवस्था करें जिसके कारण से कैनाल हमेशा के लिये सुरक्षित हो सके ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फलौदी क्षेत्र के अन्दर सबसे प्रमुख उद्योग नमक का है और नमक की करीब 700 इकाइयां वहां काम कर रही हैं । इस बाढ़ के कारण नमक की 700 इकाइयां प्रायः नष्ट सी हो चुकी हैं । इसके लिये मैं उद्योग मंत्रीजी से यह मांग करूंगा कि उसका सर्वे करवा कर उस क्षेत्र के अन्दर नमक उत्पादन की इकाइयों के जो उद्यमी हैं उनको कम्पनसेशन दिया जाए और पुनः उनका उद्योग प्रारम्भ हो सके उसके लिये राजस्थान वित्त निगम से उनको कर्ज दिलाया जाए जिससे जल्दी से जल्दी वे अपना काम प्रारम्भ कर सकें ।

इसके साथ-साथ किसानों की भूमि जो उपजाऊ थी, पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी बह गयी थी, फलौदी और इस क्षेत्र के अन्दर पहले एक फसल हुआ करती थी और पिछले कई वर्षों से वहां पर ट्यूब वैल के कारण किसानों ने दो फसल लेना प्रारम्भ कर दिया है । बाढ़ के कारण से किसानों ने ट्यूब वैल और खेती पर जो उन्होंने पैसा लगा रखा था वह उनका प्रायः नष्ट हो गया है । इसके लिये सर्वे करवा कर उनको कम्पनसेशन दिया जाए ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अन्दर पशुपालकों के पशु मर गये या बह गये हैं उनका सरकार सर्वे करवा कर कम्पनसेशन दें । साथ ही सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी बाढ़ के समाचार सुनते ही भोपाल से जोधपुर पधारे और आपने सारी बाढ़ का जायजा लिया, इसके लिये तो मैं जोधपुर जिले के नागरिकों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तुरन्त यह व्यवस्थाएं कीं और उन व्यवस्थाओं के कारण सारे जोधपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर अच्छी व्यवस्था हो सकी और उसके लिये आपने बहुत प्रयास भी किया है ।

इसके साथ-साथ मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषकर पी. एच. ई. डी. सैक्रेटरी श्रीमती कृष्णा भटनागर का बड़ा आभारी हूं कि उनको जब पता लगा कि जोधपुर लिफ्ट क्षेत्र के अन्दर बाढ़ आयी है, तो 21 तारीख को ही वे जोधपुर पहुंच गयीं और वहां पर 3--4 दिन रह कर सारी समस्याओं का समाधान करने के लिये लोगों से मिल कर समस्या की जानकारी की और समाधान करने का प्रयास किया । इसी तरह से सरकार ने जितने प्रयास हो सकते थे वह किये । इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर की सेवाभावी संस्थाओं ने रातों-रात फूड पैकेट्स बना कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिये भेजे । इस तरह की व्यवस्था जोधपुर में प्रशासन ने की है । इसके साथ-साथ बरसात, बाढ़ के कारण से उत्पन्न होने वाली जो स्थितियां हैं उनके लिये सरकार सर्वे करवा कर सबको कम्पनसेशन देने की व्यवस्था करे । जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर की विचित्र लीला है कि पिछले साल फलौदी में राजस्थान में सबसे कम वर्षा हुई 70 मिलीमीटर और जहां का एवरेज है 250 मिलीमीटर। इस बार मौसम वैज्ञानिक बरसात आने की कई तारीखें दे रहे थे कि बीच में ही बरसात शुरू हो गयी 21, 22, 23 को और उसमें जो तबाही हुई है वह मुख्य मंत्रीजी हमारे विपक्ष के नेता और स्थानीय विधायक हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक फलौदी और जोधपुर जिलों के कुछ हिस्से का प्रश्न है वहां हर पहली बात तो जैसा कि सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह लिफ्ट कैनाल की जो स्कीम है, जिससे जोधपुर पानी लाया जाना है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बातें न करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह कई जगहों से डेमेज हो गयी। और जैसा कि पूर्व में कहा गया कि हमारे वहां पर मुख्य उद्योग है वह नमक का है, बाप में है और पोकरण में भी थोड़ा सा नमक का उद्योग है। नमक का सभी जानते हैं कि बड़े–बड़े ढेर खुले के अन्दर लगाये जाते हैं और कुआं खोदकर उसमें से कड़वा पानी निकाला जाता है। मशीनें, पट्टे यह सब लगे हुए रहते हैं और अलग-अलग क्यारी वगैरह बनायी जाती है। तो कोई 100 एस्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बाप और मलाड रिण, जोर, हिण्डाल गांव है। बाप खास कर बहुत से एरिया के अन्दर है अनाप-शनाप पानी फैला हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ कि जनहानि तो बिलकुल नहीं हुई, एक बच्ची की खबर है लेकिन मवेशी का काफी नुकसान हुआ है और नूरे की खुर्द, देदास खुर्द और बाप आसपास के जो गांव हैं, उनमें जितने कच्चे मकान थे, क्योंकि मकानों में जलवायु के हिसाब से सामग्री काम में ली जाती है, जितनी बरसात होती है उस हिसाब से ही बनाये जाते हैं। तो नतीजा यह हुआ कि कम बरसात के हिसाब से कच्चे मकान बने थे। करीब-करीब कई गांवों के अन्दर पूरे के पूरे मकान नष्ट हो गये। गरीब आदमी के ठीक है मामूली मकान हैं लेकिन उनकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

नमक उद्योग के अन्दर नुकसान हुआ है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। एक-दो गांव हैं जो पानी के अन्दर डूबे हुए हैं तो उनका भी इन्तजाम करना चाहिये।

भरतपुर और अलवर के अन्दर वास्तव में सर्वाधिक तबाही हुई है। सड़कें जहां पर इतना पानी निकला है वह पानी से भरी पड़ी हैं, उनका क्या हाल हुआ है। वहां पर जो तालाब और सिंचाई के छोटे-मोटे साधन हैं या गांव के पेयजल तालाब हैं उनकी क्या हालत हुई है....जब गांव में ही पांच-पांच, छह-छह फीट पानी है और आदमी जान बचाकर ऊपर बैठा है तथा घर का सब असबाब, अनाज वगैरह वगैरह जितनी वस्तुएं हैं, सब पानी के अंदर रह गयी। कहने का मतलब यह है कि इसमें करोड़ों, अरबों रुपये का नुकसान हुआ है।

मुख्य मंत्रीजी मजाक में ही कह सकते हैं, बात सही भी है कि बरसात के आड़े हम कोई छतरी तो तान नहीं सकते। बरसात होती है तो उससे कई फायदे हैं तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कई तरह के नुकसान भी हैं लेकिन सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको पूर्व के उदाहरण देकर के बताऊंगा कि सरकार की किस तरह की लापरवाही रही है। सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी चाहे इंजीनियर हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वे सब वहां की जियोग्राफी, वहां की परिस्थितियों से बिलकुल अनभिज्ञ रहते हैं। इस तरह के नक्शे, पुस्तकें वगैरह उपलब्ध ही नहीं हैं कि पानी किधर से आता है, किधर से नहीं, पता ही नहीं है।

मैं आपको 1979 की फ्लड का उदाहरण दूंगा, उसमें सरकार की कितनी लापरवाही रही। आप मुख्य मंत्री होते हैं तो अतिवृष्टि होती है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिये श्रेय भी लेते हैं। लेकिन जब हमारे शिवचरणजी साहब मुख्य मंत्री बने थे, उस वक्त भी बहुत भारी वर्षा हुई थी। उस वक्त सबसे ज्यादा वर्षा अजमेर में हुई थी।

श्री परसराम मदेरणा : 1979 में तो आप मुख्य मंत्री थे, जहां-जहां पांव पड़े....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पांव पड़ते ही वर्षा आती है, आपके पांव पड़ते हैं वहां अकाल आता है।

श्री परसराम मदेरणा : बरसात आती है तो बीमारी फैलती है। बरसात होनी है तो ठीक होनी चाहिये, यह थोड़े ही है कि फेल्यूज हो जाएं, पूरे के पूरे एरियाज साफ हो जाएं। मुख्य मंत्रीजी मैं कह रहा हूं कि लोगों की जो उपजाऊ जमीन क्षतिग्रस्त हुई है वह दो हजार करोड़ रुपये की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूनमचंदजी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो जून का ही महीना था, जुलाई तो अब लगी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब मैं बोलता हूं तो कहते हैं पूनमचंदजी अच्छे बोलते हैं और जब मदेरणाजी बोलते हैं तो कहते हैं कि मदेरणाजी अच्छे बोलते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : पूनमचंदजी साहब, अगर ऐसे पांव पड़ते हैं जिनसे अकाल पड़ता हो और ऐसे पांव पड़ते हैं जिनसे बाढ़ आती हो, तो दूसरे पांव की व्यवस्था करें।

श्री परसराम मदेरणा : "स्वामीजी धूणी तप रहे हो, तो बोले बेटा, जी जानता है", तो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य का जी जानता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 1979 में आपको मालूम है कि भीषण बाढ़ आयी हुई थी। मेरी ढाणी ऐसे स्थान पर है जहां अजमेर–किशनगढ़ से लगा करके पाली तक का अरावली पर्वत का पश्चिमी ढाल सिवाय जवाई, मारवाड़ की सब नदियां मेरी ढाणी के पास इकट्ठी होती हैं। वहां जब पानी चलता है तो इतना चलता है जैसे ब्रह्मपुत्र में चल रहा हो। जब मैं छोटा था तब हम वहां जाकर बसे थे, क्योंकि वहां पशु चराने की काफी जगह है और हम मुख्यतः पशु

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पालक थे। मेरी माताजी कहती थी कि कहां लाकर के यहां बैठा दिया नदियों के किनारे, डूब जाएंगे। मेरे पिताजी अनुभवी थे, उन्होंने कहा कि यह स्थान तब डूबेगा जब आठ मील पहले पड़ने वाला अपना गांव डूबेगा, अपना गांव पहले डूबेगा।

1979 में जब बाढ़ आयी थी तो मेरे खुद के भाई के बच्चे, परिवार तो निकल गया लेकिन मेरी बड़ी बहन के परिवार के सात लोग बाढ़ में बह गये। उनमें से चार तो बच गये, तीन मर गये। उसमें सरकार की लापरवाही क्या हुई, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। 16 तारीख को सुबह 11 बजे बिलाड़ा और पीपाड़ से कलक्टर, जोधपुर जो बुजुर्ग आदमी थे, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, को खबर आयी कि भयंकर बरसात हुई है जिसमें मेड़ता और अजमेर के पास अत्यधिक मात्रा में पानी आ रहा है, पिचयाक का बांध जसवंतसागर टूटने तक है। बहुत धीरे-धीरे बाढ़ चली है। आपको याद है कि उस लूणी की बाढ़ में साढ़े चार सौ आदमी मरे। सुबह तीन बजे लूणी जंक्शन पर वह बाढ़ पहुंची। लूणी वालों ने कलक्टर को इत्तला दी कि साहब इस तरह की बाढ़ आ गयी है। तो कलक्टर ने उनको डांटा कि झूठ बोल रहे हो बाढ़ तो बिलाड़ा और पीपाड़ में आयी है, यहां उड़कर आ गयी क्या? इसका मतलब कि वह अनभिज्ञ थे कि बिलाड़ा और पीपाड़ में जो बाढ़ आयी है उसका पानी लूणी तक तो पहुंचता ही है। तब उन्होंने कहा कि आपके पास सब-इंस्पेक्टर खड़े हैं। छत के ऊपर से सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पानी बह रहा है। सुबह आठ बजे मेरे भतीजे ने रेलवे वालों को मैसेज दिया, बाकी सब सम्बन्ध कट चुके थे, सात आदमी टीबे पर घिरे हुए हैं। पांच सौ आदमी इकट्ठे हुए, बहुत सारे रस्से और थेरू इकट्ठे किये लेकिन पानी का वेग इतना था कि थेरू वगैरह उसमें जा नहीं सकते थे तो आठ बजे कलेक्ट्रेट में इत्तला हो गयी। रेलवे वालों ने कहा कि साहब हमने कह दिया है लेकिन अब सब कनेक्शन कट गये हैं। शाम चार बजे तक सात आदमी बहे। हेलीकाप्टर ऊपर उड़ रहा था, नीचे पांच सौ आदमी कपड़े हिला रहे थे लेकिन किसी ने नहीं देखा, वे बह गये। वहां से बाढ़ दूसरे दिन बालोतरा पहुंची और उसके बाद रन कच्छ में गयी। आप जानते हैं कि सिवाना तहसील में समदड़ी के पास बालोतरा, उससे आगे तीन दिन तक धीरे-धीरे बाढ़ गयी है। अथाह जल था लेकिन स्पीड थोड़ी धीमी थी। किसी को यह मालूम नहीं था शेरगढ़ की तरफ से जीप उतार कर इसकी इत्तला दें। आप जानते हैं लूणी से ठेठ सरवाना, रन कच्छ तक पक्की डामर सड़क उस वक्त भी जाती थी, उस मार्ग से भी इत्तला दे दी जाती तो आदमी एक भी नहीं मरता हालांकि बाढ़ तो आती लेकिन कोई इत्तला देने वाला ही नहीं था, टेलीफोन नहीं था, न इंजीनियरों में से किसी को मालूम था, न इरिगेशन वालों को मालूम था कि यह पानी किधर से आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा।

मैं धन्यवाद देता हूं जिसने जसवंतसागर बांध बनाया। उसके बीच में एक पक्की भींत दी है और उसके इर्द-गिर्द कच्ची मिट्टी है और उसमें ऐसी तजवीज रखी है कि वहां से ओवर फ्लो निकलता

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

हैं अगर उसमें दो फीट पानी एक्सीड होता है तो वेस्टवेयर एक जगह से बंधा आँटोमेटिकली टूट जाता है। जिस तरह से दूध देगची में उफनता है वहां से पानी उफनने लगा, अगर 10 मिनट पानी और उस तरह से पड़े तो बंधा फूट जाता और मैं आपको कहता हूं कि कम से कम सवा डेढ़ लाख आदमी मरते लेकिन यह तो उस इंजीनियर को धन्यवाद है कि वह पीछे से फूट गया और धीरे-धीरे करके उफनता हुआ पानी बैठ गया। यह सरकार की, इंजीनियरों की, और प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो और क्या है ?

मैं आपको बताता हूं, 1972 में विपक्ष के नेता महोदय, शायद इस सदन के वापस सदस्य हो गये थे, जवाई में बड़ी भारी बाढ़ आयी थी। जालोर वाले एम. एल. ए. साहिबान यहां पर बिराजमान हैं। 1973 में बाढ़ आयी थी, उसका कारण यह था कि जवाई बांध जब से बना था, तब से भरा नहीं था, उसके दरवाजे, स्लूज गेट्स की सम्भाल नहीं हुई थी, जब बंधा भरने लगा तो कहने लगे कि यह फूट जाएगा। जब गेट्स खोलने की कोशिश की तो खुले नहीं तो तोड़ करके पानी निकाला उससे जन धन की भारी हानि हुई। कोई कहे इसमें सरकार क्या कर सकती है ? सरकार इसमें नहीं कर सकती थी क्या ?

इसी तरह से यहां पर जो रूपारेल, सोनारूपा जो चाँदी की बाढ़ लाती है यह वह नदी है। और चाहे गम्भीरी हो, चाहे बाणगंगा हो, चाहे रूपारेल हो इसका पानी सब तरफ फैले और बारानी रबी हो। इसलिये उसकी तजबीजों से वहां पर रचना की गयी। वहां पर क्या है कि इधर तो अलवर के पहाड़ आ गये, इधर दौसा के पहाड़ आ गये इधर जयपुर वाले पहाड़ हैं, यह पानी भी इधर जाता है और सवाई-माधोपुर वाला पानी भी बयाना के पास से भरतपुर जाता है। इधर तो ढाल ज्यादा है और उधर एकदम बिना ढाल के जमीन आ गयी है इसलिए जगह-जगह पानी भर जाता है। उससे बारानी रबी होती है लेकिन प्राचीन समय में यह पुस्तकाएं हमारे विपक्ष के नेता महोदय लेकर आये हैं उसमें प्राचीन समय से ही सिस्टम था कि इतना पानी आएगा तो उसमें इस तरह से करेंगे। इतना पानी आएगा तो वह उस ड्रेन में जाएगा लेकिन आजकल इंजीनियरिंग विभाग हो, चाहे प्रशासन हो इन बातों की ओर कतई ध्यान नहीं देते हैं इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हर जिले में कौन-कौन से बांध हैं, कौन-कौन से बड़े तालाब हैं, उनके टूटने से क्या नुकसान हो सकता है, कहां बाढ़ आ सकती है इस जियोग्राफी की जानकारी उस जिले में जितने भी अधिकारी हों, वे किसी भी विभाग के हों, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे पुलिस हो उन सब को इसकी इत्तला और जानकारी होनी चाहिये और आगे की जो भी योजनाएं हैं भूसंरक्षण की, जल संरक्षण की योजनाएं बना रहे हैं और दूसरी तरफ पानी पाताल में जा रहा है। अथाह जल है वह बहकर चला जाएगा। तो हमको इस तरह की स्कीमें बनानी चाहिये कि रूपारेल से इस तरह की खेती हो सके बारानी रबी की तो उन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिये और उस हिसाब से यदि कन्टरबंदी बड़े-बड़े तालावों में करते हैं तो ज्योंही ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा होने

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

लगा तो उसको तो ऊपर वाली धरती में डाल दिया ताकि पानी एकत्र नहीं हो जाए। कहीं 15 फुट है और कहीं पानी पहुंचा ही नहीं है। वैसी स्थिति आज के युग में बननी नहीं चाहिये लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाहे हमारी कांग्रेस सरकार हो और चाहे यह हों केवल किताबी ज्ञान और इम्पोर्टेड टेक्नोलाजी हो उसके आधार पर यह योजना बना दीं, लेकिन सामूहिक जितने भी नदी, और नाले जलबहाव क्षेत्र में उन सब का अनुसंधान करके पानी को जमीन के अन्दर कहां डाला जा सकता है इसका जियोलोजीकल सर्वे कराना चाहिये कि यहां पर भू-जल को ज्यादा जमीन में एकत्र किया जा सकता है, यहां पर डिप्लीट हो रहा है। मथानिया के अन्दर मेरे देखने में 40–45 फुट पानी था जो आज 500 फुट पर चला गया। तो उस पानी का किस तरह से हम पुर्नभरण कर सकते हैं ऐसे अवसरों पर ये चीजें काम आती हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से नम्र निवेदन हैं कि आप काफी अनुभवी और पुराने व्यक्ति हैं, तो यह एकदम छाता तो ऊपर नहीं तान सकते लेकिन बाढ़ की जो विभीषिका है उससे बहुत कुछ बचा जा सकता है और जो हम एक-एक बूंद जल के लिये तरसते हैं, इसके लिये कभी इस्राइल जाते हैं, कभी कहां विहार करते हैं तो इस पानी का हम उपयोग कर सकें ऐसी व्यवस्था और ऐसी योजना हमें बनानी चाहिये–यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुःख और टीस के साथ बोल रहा हूं कि पूर्वी द्वार राजस्थान का लोहागढ़ भरतपुर आज की तारीख में चारों कोनों से पानी से घिरा हुआ है। भरतपुर जिले का भगवान ही रखवाला है....

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह जी नहीं हैं ?

एक माननीय सदस्य : गिरिराज जी महाराज नहीं हैं क्या ? बोल गिरिराज महाराज की जय।

श्री अरुण सिंह : 1924 में रूपारेल ने भरतपुर जिले की तबाही की और अब 1996 है इसी रूपारेल ने इस जिले की तबाही की है। दो साल पहले मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री ठाकुर भैरोंसिंह जी शेखावत यमुना जल ले आये। पर विडम्बना की बात है एक बूंद आई नहीं। पर दो साल पहले भरतपुर फीडर में पानी आ रहा है, डीग एस्केप में पानी आ रहा गुड़गांव केनाल से हरियाणा सरकार दे-दबादव क्यूसेक्स पानी भेज रहा है। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध है मुख्य मंत्री महोदय से कि वह प्रधान मंत्री को जरूर कल राजस्थान ले आये पर इन पांच राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाओ और इस यमुना एकार्ड का अब उपयोग नहीं हो रहा है। भरतपुर जिले के साथ दुरुपयोग हो रहा है। 9 महीनों में भरतपुर जिले में तीसरी दफा बाढ़ आई है। 4 अगस्त, 1995, 4 सितम्बर, 1995 और 22 और 24 जून 1996 भरतपुर जिला राजस्थान के सिंचाई विभाग की लापरवाही से डूबा हुआ है। पिछली साल बाणगंगा नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया और भरतपुर, कुम्हेर नदबई, डीग में तबाही मचा दी। पिछली

(श्री अरुण सिंह)

साल इर्रिगेशन विभाग ने इस सरकार को 8 करोड़ रुपये के एस्टीमेट्स बनाकर दिये। 190 बंध हैं उनमें से 180 बंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें हमारा सीकरी सिस्टम है, ककड़ा बंध है, अजान बंध है–यह जितने भी बंध हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। 31 मार्च, 1996 को राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सरकार को 2 करोड़ रुपये दिये जो अगले दिन लैप्स हो गये। तो कहां इन बांधों की मरम्मत हुई? कल इर्रिगेशन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति दी की इस बाढ़ से 60 बांध भरतपुर जिले में क्षतिग्रस्त हुए हैं और मैं आरोप लगा रहा हूं कि यह एक असत्य बयान है। क्षतिग्रस्त हुए हैं वहीं 1995 में 180 बंध। जैसा मैंने कहा भरतपुर का भगवान ही रखवाला है। जब मुगल शासन समाप्त हो रहा था एक तवायफ ने गाना गाया–"हाय मेरी मैया भरतपुर डूब गयो रे, लुट गयो रे, रात मेरी अम्मा भरतपुर लुट गयो रे।"....

मैं इसमें परिवर्तन कर रहा हूं 'हाय मेरी अम्मां भरतपुर डूब गयो रे।"

श्री परसादीलाल मीणा : अम्मां कौन है?

श्री अरुण सिंह : मैं आभारी हूं ठाकुर भैरोंसिंह का कि जैसे ही सूचना मिली वे भरतपुर गये। हवाई दौरा किया। मैं ज्यादा आभारी हूं श्री भवरलाल शर्मा का, श्री सांवरमल जाट का। पण्डित भंवरलाल शर्मा पहले इन्सान थे जो कामां क्षेत्र....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री अरुण सिंह : आज तक भी पूरे राजस्थान से कटा हुआ है। बिलकुल कटा हुआ है, रोड से, हवाई जहाज से, सब जगह से। पण्डित भंवरलाल शर्मा पता नहीं कोसी, मथुरा होकर कामां पहुंचे। बधाई के पात्र हैं। कामां पहुंचते ही, दो डिवीजन हैं सिंचाई विभाग के, सीनियर मंत्री वहां पहुंचे और इनको रिसीव करने के लिये सिंचाई विभाग का एक जे.ई.एन. भी नहीं मिला जबकि जिले में एडिशनल चीफ इंजीनियर था, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर था।

डीग में गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट के एक एक्स. ई.एन. का हैडक्वार्टर है वह तो 22 तारीख से फरार है। उस 22 तारीख से फरार है जब रूपारेल का पानी आया और आज की तारीख तक वह फरार है। सिंचाई मंत्रीजी आप सुनिये। आप चार्जशीट करेंगे छोटे-छोटे बाबुओं और जे.ई.एन. को। चार्जशीट होने चाहिये बड़े-बड़े एक्स.ई. एन.। आपने अभी 6 महीने पहले एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लगाया। हैडक्वार्टर तो उसका भरतपुर में है और अलवर, भरतपुर, धौलपुर उसके अण्डर में आते हैं पर वह सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, माफिया ठेकेदारों का एक दलाल जयपुर में नेतागीरी करता है। भरतपुर तो जाता ही नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या नाम है?

श्री अरुण सिंह : फिर उपाध्यक्ष महोदय टोक देंगे कि आप नाम मत लो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। हां, बोलिये आप।

श्री अरुणसिंह : सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर का नाम है वी. डी. शर्मा। गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट के एक्स. ईएन. का नाम है ओ. पी. शर्मा। डिविजनल कमिश्नर, जयपुर डिवीजन ने बाढ़ राहत की नहीं, बाढ़ की मीटिंग 12 जून को भरतपुर में ली। किसी जन–प्रतिनिधि को उस मीटिंग में नहीं बुलाया जबकि हम भी सदस्य हैं उस कमेटी के।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप आसन की तरफ देखें।

श्री अरुणसिंह : 12 तारीख को जिला कलक्टर के यहां मीटिंग हुई और उस मीटिंग की रिपोर्टों के आधार पर कि साहब कट्टे दिये, टार्च दिये, सारे बंध ठीक हो गये और 22 तारीख को यह बाढ़। 70 हजार कट्टों का एक्स ईएन. साहब आर्डर करते हैं धौलपुर से। भरतपुर में मिट्टी नहीं है? धौलपुर से क्यों मंगवाये?

श्री परसादीलाल मीणा : कमजोर मिट्टी है।

श्री अरुणसिंह : भरतपुर में तो पुख्ता मिट्टी है। मेरा सरकार से निवेदन है **3/4th of Bharatpur is under water.** इण्डस्ट्रियल एरिया, स्टेशन, सिमको, कुम्हेर कांड की बदौलत जो एक आर.ए.सी. हैडक्वार्टर बन गया, वह भी 8–8 फीट पानी में है। गृह मंत्री कुछ तो कराओ आप। राजा का महल ही डूब गया। मेरी भाभी सांसद, मेरा छोटा भाई विधायक, पर सुनवाई किसी ने नही की। एक किश्ती भी नहीं भिजवायी गयी। मुझे तैरकर वहां जाना पड़ा उनके रेस्क्यू के लिए।

चिकसाना बांध, दो दिन तक प्रशासन यह निर्णय कर रहा था कि हम इस बांध को काटें या नहीं काटें। जिला कलक्टर, कमिश्नर डिसिजन नहीं ले सके। मेरा सांकेतिक धरना था और मैं भरतपुर पहुंचा। दो आई.ए.एस. अधिकारियों के साथ हम रात को चार बजे चिकसाना पहुंचे और उस बांध को उड़वाया। आज 8 हजार क्यूसेक पानी यू.पी. जा रहा है। रिलीफ इन रूरल एरियाज अभी नेग्लिजेबल है, क्योंकि रूरल एरिया कट ऑफ है। मेरा निवेदन है कि तहसीलदारों को पाबन्द करो। आज की तारीख में लगभग 700 गांव पानी में डूबे हैं। मेरा खुद का पैतृक गांव सिनसिनी, सूरजमल के गांव में 8–8 फीट पानी है। पानी की टंकी गिर गयी But I am very grateful to Mrs. Krishna Bhatnagar Secrtary, PHED. जिन्होंने इस सिनसिनी गांव के लिये एक प्रोजेक्ट बनवाया है जो खारे पानी को मीठा करता है।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी का नहीं।

श्री अरुणसिंह : मंत्रीजी का नहीं। भैरोंसिह के राज में मंत्रियों की ना चले, सैक्रेटरियों की चले। मैं ग्रेटफुल हूं आर. एस.ई.बी. के चेयरमैन का कि सिटी या कस्बों में बिजली चालू कर दी पर आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं है।

पिछले साल भरतपुर, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़ में भयंकर बाढ़ आयी। राज-

(श्री अरुणसिंह)

स्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 120 करोड़ की सहायता मांगी। प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने राजस्थान को तो कुछ ना दियो, हरियाणा 50 करोड़ ले गयो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो कमजोरी है मुख्य मंत्रीजी की।

श्री अरुणसिंह : हमारा लाइजन नहीं था वहां दिल्ली में। पर बधाई के पात्र हैं मुख्य मंत्रीजी कि कल प्रधानमंत्री को यहां ले आये 300 करोड़ आपने मांगा तो थोड़ा कम है क्योंकि 200 करोड़ रुपये का तो भरतपुर जिले में ही नुकसान हुआ है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस उपेक्षित जिले को थोड़ा दिल से लगाओगे। आज हम जयपुर में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं कि यह भरतपुरी आ गया इसे भगाओ। आज हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। मैं यह चाह रहा हूं कि....मेरा तो एक सपना है कि एक ब्रज प्रदेश बने, चतुर्वेदीजी वहां के मुख्य मंत्री बनें क्योंकि यहां तो आप इनको बनने नहीं देंगे। इसलिये भरतपुर जिले को आप मेहरबानी करके दिल से लगाओ। न झंडी चाहिये आपकी, न वह बत्ती चाहिये, न वह संतरी चाहिये, क्योंकि हमारे जिले से जो कोई भी मंत्री रहा, अगले चुनाव में वह नहीं रहा। नत्थीसिंह जी की जमानत जब्त हो गयी, सम्पत्तसिंह जी की जमानत जब्त हो गयी। मैं तो खुश हूं निर्दलीय रहकर। बोल गिरिराज महाराज की जय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राकेश मेघवाल (अनुपस्थित) श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अतिवृष्टि से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला भी वंचित नहीं रहा। पीलीबंगा तहसील में सैकड़ों मकान नष्ट हो गये, गंगानगर में भी मकान नष्ट हुए हैं, परन्तु जितना नुकसान दूसरी जगह पर हुआ है, उसके बनिस्बत वहां नुकसान कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बरसात से नुकसान नहीं हुआ है। धन और माल का तो नुकसान नहीं हुआ परन्तु मकान नष्ट हुए हैं। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र व टीबी विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव सेमग्रस्त हैं और हमारी बदकिस्मती यह है कि जब भी बरसात या अतिवृष्टि होती है तो उस समय प्रशासन की तरफ से एक ही बात कह दी जाती है कि यह तो सारा सेम के कारण नष्ट हुआ है। हमारे ऊपर दोहरी मार पड़ती हैं अतिवृष्टि हो या चाहे कोई मकान गिर जाए तो कोई सहायता नहीं और कोई रास्ता बंद हो जाए, पक्की रोड क्षतिग्रस्त हो जाए तो प्रशासन एक ही बात कहकर हमें टाल देता है कि यह तो आपका सारा का सारा सेम के कारण से हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान न करें—इस तरह की बरसात अगर हनुमानगढ़ जिले के सेमग्रस्त इलाके में हो गयी तो वहां न तो कोई पशु मिलेगा और न कोई इन्सान जिन्दा मिलेगा और चारों तरफ नहरें, जिस तरह से जोधपुर लिफ्ट कैनाल टूटी है, अगर इस तरह से जी. डी. सी. और राजस्थान कैनाल कहीं से टूट गयी तो सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे और तबाह तो पहले से ही हम लोग हो चुके हैं।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

इसलिये मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे आवागमन के रास्ते बंद हो चुके हैं, आने-जाने के जो रास्ते हैं, वे क्षतिग्रस्त हो गये हैं, उन पर प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

इसके अलावा बाढ़ से सम्बन्धित मामला एक और है। जब भी नाली बेड में पानी आता है तो जी.डी.सी. में पानी छोड़कर डिप्रेशनों को भर दिया जाता है। सरदारपुरा और ठेठार गांव हैं, 30–40 गांव एक दूसरे से कट हो जाते हैं। छह-छह माह तक उनका आपस में आना-जाना बंद हो जाता है, कम से कम 100–100 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। यहां अकाल पर, बाढ़ पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और वहां पुल बनाने पर ज्यादा से ज्यादा दो-चार करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे सैकड़ों गावों को लाभ होगा। (व्यवधान) दो-चार करोड़ रुपये सैकड़ों गांवों के लिये ज्यादा नहीं है, यहां केन्द्र में एक-एक आदमी चार-चार करोड़ रुपये खा गया, क्या बात कर रहे हो आप।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि हमारे सीपेज वाले जो गांव हैं, उनका समय रहते बरसात से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था हो। जैसे उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा, जहां एक हजार रुपये में काम होने वाला है और कल अगर वह क्षतिग्रस्त हो गया तो बीस हजार रुपये में भी नहीं होगा। हमारे यहां मैंने नहरों के ऊपर देखा है। इंजीनियर इस बात का इंतजार करते हैं कि कब नहरों में खड्डे पड़े, कब हमें पैसा मिले और कब हम उसकी मेंटीनेंस के नाम पर पैसा खर्च करें। बहुत सी नहरों की पटरियों पर थोड़ा सा काम करने से, थोड़ा सा पैसा खर्च करने से नहर क्षतिग्रस्त नहीं होगी और नाली बेड के अन्दर जो बांध बंधे हुए हैं, उन पर कहीं मरम्मत की जरूरत हो तो पानी आने से पहले अगर उन बांधों की मरम्मत हो जाए तो वहां के लोगों को भी लाभ मिलेगा और सरकार के खजाने से पैसा भी कम खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा और उस के इर्द-गिर्द जो गांव हैं, 29 एस.टी.जी. है, 23 एस.टी.जी. है, 26 एस.टी.जी. है, निहालपुरा है. कई गांव हैं, जिनके चारों तरफ बांध हैं, वे गांव बिलकुल पानी के बीच में घिरे रहते हैं। एक बार राष्ट्रपति शासन में मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे। उस समय वहां के निवासियों ने यह मांग की थी कि हमारे गांव के जो बांध हैं उन पर मिट्टी डलवायी जाए, मरम्मत की जाए परन्तु आज तक पीलीबंगा के इर्द-गिर्द जितने भी गांव हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गयी, कोई मिट्टी नहीं डाली गयी है। वहां के लोगों ने उन बांधों पर स्वयं मिट्टी डाली।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप मंत्री थे, तब आपने वहां क्यों नहीं काम करवाया ?

श्री रामप्रताप कासनियां : मैंने बहुत काय करवाये इसीलिए मैं दुबारा आ गया, बाकियों का पता ही नहीं लगा। मैंने मंत्री बनकर नहीं, एम.एल.ए. बनकर काम करवाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफ

(श्री रामप्रताप कासनियां)

करना, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) मैंने मंत्रियों वाली थ्यौरी नहीं अपनायी, विधायक होकर ही काम किये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारा सत्यानाश आपके द्वारा किया हुआ है। ऐसी बात मत कीजिये। बात संवेदनशीलता की है, बात सुनें और समाधान ढूंढे। यहां पर बैठे हैं, कुछ काम करो, करने दो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, यह सेम वाला मसला बाढ़ से ही सम्बन्धित है। आज अगर उस इलाके में बरसात होती है तो तबाही होती है। मै माफी चाहूंगा, मैं सेम के मसले पर बोलना चाहूंगा। वैसे यह बाढ़ और अकाल पर चर्चा हो रही है पर यह इससे सम्बन्धित ही मुद्दा है। कई बार माननीय सदस्य शेम-शेम करते हैं तब मेरे दिल की धड़कन बन्द हो जाती है। पिछले छह वर्ष से हर तीसरे दिन मैं इस सेम के मामले को लेकर सिंचाई मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी से बार-बार निवेदन कर चुका हूं। मुख्य मंत्रीजी ने वहां जाने के लिए तारीख भी तय कर दी थी परन्तु हमारी बदकिस्मती है कि यह बाढ़ आ गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के बाद में नहीं, अगर मुख्य मंत्रीजी चाहें तो शनिवार और रविवार की भी छुट्टी होती है और मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : अखबारों में आया था कि मुख्य मंत्रीजी हनुमानगढ़ जा रहे हैं। उस वक्त बाढ़ नहीं आयी थी। (व्यवधान) नहीं, उसके पहले, प्रिवेंटिव स्टेप लेने के लिये, चूंकि पिछले साल बाढ़ थी इसलिये मुख्य मंत्रीजी ने अपना हनुमानगढ़ का प्रोग्राम बनाया है, यह बात अखबारों में आयी थी, वह क्यों नहीं जा सकें, बाढ़ वगैरह तो कुछ नहीं थी वहां। उस वक्त तो नहीं थी, बाद में आयी है बरसात।

श्री रामप्रताप कासनियां : वह 26-27 तारीख का....

श्री परसराम मदेरणा : मैं 26-27 की बात नहीं कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी ने प्रोग्राम बनाया है करीबन 14, 15 या 16 के बीच में।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, 26 और 27 तारीख के लगभग मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, कोई उस टाइम मतलब तारीख तय नहीं की थी।

श्री परसराम मदेरणा : वह दूसरी दफा हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनियां : हां, यह बात सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने बैठक ली सभी अधिकारियों की और उसमें मुख्य मंत्रीजी ने अब की बार यह कहा कि मैं स्वयं मौके पर जाकर ही निर्णय लेऊंगा। इस सेम की समस्या के समाधान के लिये मुख्य मंत्रीजी ने चार-पांच बार बैठक ले ली। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूगा कि क्यों न इस सेम की समस्या के समाधान हेतु कोई अलग से बोर्ड का गठन करके, वैसे तो मैं डरता हूं कि इस प्रक्रिया में कहीं और न उलझ जाऊं, परन्तु जो भी स्थिति है....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और इसका अध्यक्ष आपको ही बनाया जाए।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं इच्छुक नहीं हूं अध्यक्ष बनने का, न ही मैं आदी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं, किसी न किसी रूप में यह समस्या भी बाढ़ से जुड़ी हुई है, अतिवृष्टि से जुड़ी हुई है, इस समस्या का समाधान होना चाहिये। सालाना करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और अगर सरकार चाहे तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। हम भी इस राजस्थान के नागरिक हैं, हम भी यहां के रहने वाले हैं। हमारी जो हालत है, आज पांच-छह अंगुल बारिश हो जाए। हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हमारा पशु धन खेतों में नहीं जा सकता, न चारे के लिये कुछ है, न खाने के लिये कुछ अनाज है। उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि बाहर घूमने के लिये जगह नहीं है, लैट्रिन तक वहां हम नहीं बना सकते। कई बार मैं इस सदन में राज्य सरकार से मांग कर चुका हूं कि समय रहते इस समस्या का समाधान होना चाहिये। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा और न मेरी कोई ऐसी मंशा है, मेरी यह पीड़ा है, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं चाहते और मुझे मजबूरी में....

श्री राजेन्द्र पारीक : आत्मदाह करना पड़ेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : आत्मदाह नहीं करूंगा श्रीमानजी। लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसके तहत, और मैं आपकी तरफ मुंह करके नहीं, सत्ता पक्ष में ही इन्हीं साथियों की मदद से इस समस्या का समाधान कराऊंगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : हमारे साथ बैठोगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : अगर आप समस्या का समाधान करते तो आज हमारी यह हालत नहीं होती।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप पांच साल से क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रताप कासनियां : पिछले 20 वर्षों में कितने एजीटेशन हुए, धरने हुए, आन्दोलन हुए, कुछ न कुछ तो हुआ है, आज डिप्रेशनों में एस्केप बन रहे हैं, यह मुख्य मंत्रीजी और इस सरकार की ही देन है। काम हुआ है, मैं यह मान कर चलता हूं, परन्तु जितना होना चाहिये, नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी जिस गति से चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको यहां तक संदेह हो रहा है कि आप राजस्थान के नागरिक हैं या नहीं हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां : डिप्रेशन खाली करने के लिये एस्केप बना है। जो काम हुआ है उसको मैं स्वीकार करके चलता हूं, मान कर चलता हूं, परन्तु मेरी आशा जो थी, पिछले छह वर्ष से मैं हर तीसरे दिन इस बात पर चर्चा करता हूं, सरकार के लिये यह कोई बहुत महत्वपूर्ण मसला नहीं है, अरबों रुपये लगाकर....

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब तो घोषणा करो।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी चिन्ता के साथ तो मेरी सहानुभूति है जैसा कि सेम

(126)

(श्री परसराम मदेरणा)

के गांवों की स्थिति मैं देख कर आया हूं, जाखड़ों की ढाणी, आपके बड़ोपल वगैरह, लेकिन आपने कांग्रेस के लिये कहा कि उसने चालीस साल में नहीं किया, यह भाखड़ा सिस्टम कौन लाया ? भाखड़ा सिस्टम में सब जगह सेम नहीं है। आज जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की, गंग सिस्टम तो पहले आया हुआ था, फिर इन्दिरा गांधी कैनाल सिस्टम है, आज इस राजस्थान का कोई भी इर्रिगेटेड इलाका है जिस में 30 लाख एकड़ के आस-पास सिंचाई होती है, वह गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। आज गंगानगर के हर दूसरे घर में, जिसके पास दो मुरब्बा है उसके पास में जीप है, दो मुरब्बा है उसके पास ट्रेक्टर है। हिन्दुस्तान में ट्रेक्टर दो जिलों में सबसे ज्यादा है, फिरोजपुर और गंगानगर में। देश के ट्रेक्टरों की संख्या आप देख लीजिये। तो यह कह करके कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उस पर आप पानी फेरना चाहते हैं, वह सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह निवेदन किया है कि सेम की समस्या में योगदान कांग्रेस पार्टी का है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नही लेना चाहता, बिना सोचे, बिना समझे, हमारे जो प्रकृति ने....

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा माननीय सदस्य, यह बताइये, घग्घर डाइवर्शन कैनाल जो है, यह भी तो इस सेम की समस्या को बचाने के लिये है और जो 16 प्रेशंस हैं, जो एक-दूसरे को कनेक्ट किया, है किसने किया ?

श्री रामप्रताप कासनियां : यह कांग्रेस के समय में हुआ। कांग्रेस के समय में हुआ है पर, उपाध्यक्ष महोदय, आज डिप्रेशनों में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं और 15–15, 20–20 हजार क्यूसेक्स पानी चला कर उन डिप्रेशनों को भर दिया जाए और पानी की निकासी कोई नहीं और उनका लेवल....

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : पांच साल आप क्या कर रहे थे ?

श्री रामप्रताप कासनियां : हमारे जो यह गांव हैं, इनसे 30–30, 40–40 फीट पानी ऊपर खड़ा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह डिप्रेशन कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाये, यह प्रकृति के बनाये हुए डिप्रेशन हैं। इन पर कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, थोड़ा-बहुत कोई बांध, बांध कर इनमें पानी जैसे अभी नाली बेड में पानी आया और इन डिप्रेशनों में....

श्री परसराम मदेरणा : अगर घग्घर डाइवर्शन चैनल नहीं बनता तो प्रकृति क्या करती ? घग्घर डायवर्शन चैनल बनने के बाद में वह पानी डाइवर्ट किया, घग्घर के अन्दर ज्यादा फ्लड्स नहीं हो और आपकी फसल खराब नहीं हो। अब इन डिप्रेशनों के पास में नीचे पानी गया है, निश्चित तौर पर वहां की स्थिति बहुत खराब है। आपके वहां पर नहीं है, जहां पर भी हार्ड पेन है, आगे आप देख लीजिये, कोलायत से लेकर के चारणवाला के आगे जैसलमेर तक जहां हार्ड पेन है, वहां पर भी सेम की यह समस्या खड़ी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दिया सरकार का, सेम ही सेम कह रहे है आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिप्रेशनों का तो योगदान है ही है, इसके अलावा इन्दिरा गांधी कैनाल है चाहे सूरतगढ़ ब्रांच हो, उनसे सीपेज और हो रहा है। इसका कारण है कि घटिया सीमेंट लगी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक्स. ईएन. निहाल हो गये।

श्री रामप्रताप कासनियां : ईंट सही एक नम्बर नहीं लगी। जगह-जगह से, कागजों में तो सही पक्की पड़ी है और मौके पर टूटी हुई है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आपके टाइम में ठीक लगी है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब तो सीमेंट लग ही नहीं रही।

श्री रामप्रताप कासनियां : फिर आप चौंकेंगे, सीसेट हमारे टाइम में तो बनी नहीं है, आपके समय में बनी है। अब यह तो आप जानो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : श्रीमान्, अब तो सीमेंट लग ही नहीं रही, चूना लग रहा है।

श्री रामप्रताप कासनियां : वह चूना ही लगाया है, और किया क्या है आपने। तभी तो यह सारा बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक है नहरें आई, एरिया खुशहाल हुआ, यह बात सही है, परन्तु ऐसी खुशहाली क्या काम की जिससे हम लोग बरबाद हो गये। कुछ लोग खुशहाल हैं वह भी बरबाद हो जाएंगे, अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यह बरबादी पूरे राजस्थान कैनाल एरिया में होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में बाढ़ आने के सम्बन्ध में मैंने इस बाढ़ को सात भागों में बांटा है। नम्बर एक-भरतपुर में जो बांध हैं, नहरें हैं, कहां से बाढ़ आती है उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, दूसरा-बाढ़ क्यों और कैसे आयी, तीसरा-बाढ़ के खतरे के समय बाढ़ आने से पहले क्या-क्या कार्यवाही सिंचाई विभाग को और सरकार को करनी चाहिये थी, बाढ़ के बाद क्या कार्यवाही सरकार ने राहत सम्बन्धी की और इसके बाद बाढ़ से कितना नुकसान हुआ और इसके बाद बाढ़ से क्या-क्या राहत की आवश्यकता थी और क्या सरकार ने दी और बाढ़ आने से लेकर आज तक इसकी इन्क्वायरी सम्बन्धी मैंने सात भागों में इसको बांटा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 27 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और आज माननीय बाढ़ राहत मंत्रीजी ने एक भाषण दिया कि बाढ़ आने का मुख्य कारण अतिवृष्टि था। मैं और जिलों के बारे में नहीं कह सकता

(128)

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

लेकिन खास तौर पर भरतपुर जिले के बारे में कह सकता हूं कि बाढ़ ग्राने का कारण ग्रतिवृष्टि नहीं था। या तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गलत बयान दिया है या बाढ़ मंत्रीजी ने। क्योंकि भरतपुर का जो सिंचाई सिस्टम है वह इस तरह का है कि भरतपुर में तीन जगह हैं जहां से बाढ़ आती है। गम्भीरी नदी, बाणगंगा नदी और रूपारेल नदी। तीनों नदियों में जिस तरह से बांधों का सिस्टम है ग्रौर वहां से जो नहर निकलती है, एक्स्ट्रा वाटर अगर होता है उसको फ्लड कंट्रोल ड्रेन से ग्राउट करने का हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, राजा-महाराजाग्रों के टाइम का जो पुराना बना हुग्रा है वह सिस्टम इस तरह का है कि उसमें कितना भी पानी ग्राये, ग्रगर उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाता तो भरतपुर में किसी कीमत पर बाढ़ नहीं आती। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमें जो बताया गया, यह भ्रमित बात हमको कही गयी। मैं खास तौर से बाढ़ ग्राने के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग को दोषी ठहराना चाहता हूं। ग्रापको मालूम होगा कि हर जिले में यह सिस्टम है कि बाढ़ ग्राने से पहले बाढ़ कंट्रोल के सम्बन्ध में मीटिंग हुआ करती है। डिस्ट्रिक्ट कलक्टर वह मीटिंग लेते हैं। उसमें सिंचाई ग्रधिकारी ग्रौर जिले के सभी ग्रधिकारी बैठा करते हैं। उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है कि ग्रगर बाढ़ ग्राये तो बाढ़ ग्राने सम्बन्धी क्या सारी व्यवस्था हमारे जिले में पूरी हो गयी हैं, वह बतायें। मैं ग्रापको निवेदन करना चाहता हूं कि 13–6–1996 को भरतपुर में बाढ़ सम्बन्धी मीटिंग हुई जिला कलक्टर की ग्रध्यक्षता में। उसमें उन्होंने सब चीज़ों की हां भरी कि हमारे पास बाढ़ से निपटने के लिये जैसा सामान चाहिये, वह है। वायरलैस सैट जहां लगाने हैं वहां लगा दिये जाएंगे। जहां हमको लेबर की आवश्यकता है, लेबर दे दी जाएगी ग्रौर हमने सभी बांधों की व सभी गैट्स की रिपेयर कर दी है। सभी गैट्स हमने खोल कर चैक कर लिये हैं। रेगुलैटर्स हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कलक्टर ने मात्र केवल सिंचाई विभाग के कहने से इस बात पर विश्वास कर लिया कि उन्होंने जो कहा, सही है। क्या उन्होंने इस बात को चैक किया? नहीं किया। ग्रगर जिला कलक्टर, जिला प्रशासनिक अधिकारी किसी भी एक जगह जाकर चैक करते ग्रौर वो पाते, तो मैं ग्रापको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो बयान सिंचाई विभाग ने फ्लड कंट्रोल की मीटिंग में दिये वे +++ थे, भ्रमित थे और गलत बयान थे। उसको प्रशासनिक ग्रधिकारियों ने ग्रांख मूंदकर, ग्रांख बंद करके स्वीकार किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भरतपुर में बाढ़ आने का कारण भरतपुर में जो सूचनाएं दी गयीं सिंचाई विभाग द्वारा ग्रौर प्रशासन द्वारा वह +++ तौर पर दी गयी। उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1955 में बाढ़ ग्रायी। 1955 में बाढ़ ग्राने के बाद भरतपुर में तीन दफे बाढ़ ग्रा चुकी है। उसके लिये पैसा स्वीकृत सरकार से कब हुग्रा, क्या वह

+++ शब्द ग्रध्यक्षपीठ के आदेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

(श्री आर. पी. शर्मा)

पैसा खर्च हुआ ? उसके लिये कौन दोषी है ? यह सब बातें क्वेचन मार्क हैं ।

मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता । मैं किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें न तो सिंचाई विभाग अपनी गलतियों से बच सकता है और न सिंचाई विभाग को सरकार को छोड़ना चाहिये । मुझे इस बात का दुःख हैं कि बाढ़ पर बहस चल रही है और सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं है । सिंचाई मंत्रीजी ने इतना भी नहीं कहा कि बाढ़ जो आयी है उसके लिये सरकारी अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर दोषी पाये गये तो उनको सजा दूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक इस बात की गहराई को नहीं जाना कि भरतपुर में जहां एक-एक बूंद पानी की हमको आज जरूरत है, वहां पानी की कमी है, उस पानी के सिंचाई सिस्टम इतने मजबूत और अच्छे बने हुए हैं, उनको रखने के लिये क्या हमको प्रयास करने चाहिये थे, क्या उन्होंने प्रयास किये । इसलिये यह बात कहना कि भरतपुर में अतिवृष्टि से बाढ़ आयी है, बिलकुल +++ और निराधार है । भरतपुर में बाढ़ का कारण सिंचाई विभाग, वहां के प्रशासनिक अधिकारी और सिंचाई मंत्री स्वयं हैं । मैं आपसे यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जब 27 तारीख को बाढ़ आ रही थी हमारे यहां जो सिस्टम है इन-लैट और आउट-लैट सिस्टम, अगर पानी आता है तो उसको हम कैसे निकालें इसके लिये हमारे यहां बहुत अच्छा सिस्टम है, भरतपुर के प्रतिष्ठित लोग जो कि वहां पर मौजूद थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने जिला प्रशासन से जाकर गुहार की कि बाढ़ आ रही है, नगर में पानी आ चुका है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जिला प्रशासन के पास गये कि आप चिकसाना बांध जो हमारा है उसको खोल दीजिये, मोती झील को खोल दीजिए । अगर उसको आप नहीं खोलते हैं तो भरतपुर में बाढ़ आ जाएगी । लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि उनके प्रशासनिक अधिकारी इस बात का निर्णय नहीं ले पाये और उन्होंने न तो मोती झील खोली और न चिकसाना बांध खोला बल्कि मुझे यहां तक पता लगा है कि यह बात एडवोकेट जनरल तक भी की गयी और एडवोकेट जनरल ने सी. एम. साहब से कहा तो सी.एम. साहब ने यह कहकर टाल दिया, हां–मुझे इस बात की जानकारी है लेकिन तत्परता इस बात की नहीं बरती कि अगर भरतपुर में पानी पहुंच गया तो हम कैसे इस पानी को निकालेंगे । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि तकनीकी गलती यहां तक भी हुई है कि जब जिला प्रशासन को पता लगा और उस पर दबाव पड़ा, चिकसाना बांध तोड़ने के लिये भी मात्र कुछ लोग, जैसा अभी माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी कह रहे थे कि मैं गया और वहां तुड़वाया, बिलकुल गलत है । एक दफे वापस आ रहे थे । वहां की जनता ने जिद्द की कि अगर उसको नहीं तोड़गे तो हम तोड़ेंगे, हम मर जाएंगे । तब जाकर प्रशासन ने इस बांध को तोड़ा है और जहां तक मोती झील को खोलने का सवाल है, यहां पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी, किसी जे. ईएन. ने तो यहां तक भी गलती कर दी कि बजाय मोती झील बांध खोलने के सेवर

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री आर. पी. शर्मा)

का जो अपर साइड है उसको खोल दिया। उसका पानी और मोती झील में चला गया। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो बात रही कि भरतपुर में बाढ़ किस तरह से आयी।

जैसाकि मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया था कि थाने में अगर एक मौत हो जाए थाने में अगर पुलिस वाले की गलती से एक मौत हो जाए तो उस थाने को निलम्बित कर देते हैं लेकिन मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं, एक मौत नहीं भरतपुर में न जाने कितनी मौतें हुई है, कितनी मौतों का अब पता लगेगा, कितनी फैक्ट्रियों में नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर पानी से भरे हुए हैं, मैं कहता हूं कि तीन साल तक नहीं उठ पाएंगे। कितने जन की, धन की, जानवरों की हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने आज तक एक बयान नहीं दिया कि हम प्रशासन के खिलाफ और सिंचाई विभाग के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं चूंकि किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, इस तरह से अगर यह बात दोहराई गयी, अगर इन बातों पर इस तरह के फैसले नहीं लिये गये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की भूल करते रहेंगे और कभी भी वे अपने कर्तव्य को, जिस निष्ठा से करना चाहिये सच्चाई से करना चाहिये, वो नहीं करेंगे। लिहाजा मैं आपसे इस सदन में मेरा पुनः निवेदन है कि जो व्यक्ति इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त पाये जाए उनके लिये एक आयोग गठित किया जाए। चाहे वह जुडिशियल अधिकारी हो, चाहे अपने विधायकों का एक दल जाए, वह दल जाकर अगर यह निश्चित रूप से फैसला करे कि हां, सिंचाई विभाग की या प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि किसी व्यक्ति की जान की वो भरपाई नहीं कर सकते किसी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में, इतने बड़े ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। जो हमारे जान-माल की रक्षा नहीं कर सकें उनको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिये।

मैं दूसरी बात निवेदन करना चाह रहा था, यह निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब भी कभी बाढ़ आती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की होती हैं। चूंकि नगर में पानी आ गया था, रूपारेल से नगर में पानी आया, पानी आने की सूचना अगर भरतपुर में दे दी गयी होती तो भरतपुर के लोग अपना सामान खाली करके दूसरी जगह चले गये होते। लेकिन इस बात की सूचना न तो प्रशासन ने, न सिंचाई विभाग ने दी। किसी रेडियो, टी. वी. पर इस बात की सूचना नहीं दी गयी कि भरतपुर में बाढ़ आने वाली है, लोग सावधान हो जाए, अपने सामान को ले जाएं। इसलिए भी जिला प्रशासन इस चीज के लिये जिम्मेदार है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के आते समय सूचना देनी चाहिये थी। बाढ़ आने के बाद जब हमको पता है कि बाढ़ आ सकती है, हमको उनके खाने की, उनके कपड़े-लत्ते की, पीने के पानी की, दवा की, चारे की व्यवस्था करनी चाहिये थी और पब्लिक को निकालकर किसी ऊंची जगह पर पहुंचाना चाहिये था, या शरण

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

स्थल बनाना चाहिये था। लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि केवल मात्र, जैसाकि कुंवर ग्ररुण सिंह जी ग्रभी कह रहे थे वह सच है, ग्रादरणीय श्री भंवरलालजी शर्मा के ग्राने के बाद ही प्रशासन वहां का एक्टिव हुग्रा, वहां नावें चलीं। हम खूब चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने सुनी नहीं। मुझे दुःख है इस बात का कि साढ़े सात सौ गांव, जैसाकि माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि दो लाख लोग पानी में घिरे रहे। छतों पर भूखे-प्यासे लोग हाय पानी, हाय पानी चिल्लाते रहे। उनको बचाने के लिये कोई माकूल व्यवस्था भी प्रशासन नहीं कर पाया। हमारे माननीय मंत्रीजी भंवरलालजी के जाने के बाद उन्होंने जिस शालीनता से इस समस्या को हल किया, मैं भी इनका हृदय से ग्राभारी हूं। इनके ग्राने के बाद ही प्रशासन चुस्ती में ग्राया ग्रौर पुलिस प्रशासन ग्रौर ग्रार्मी ने जिस तरह से मदद की, उसके बाद पानी भी कम हुग्रा। मैं उनको हृदय से ग्राभार प्रकट करता हूं।

तीसरा, इसमें दो राय नहीं है कि कुछ विभागों ने अच्छे काम भी किये हैं जैसे, कि बिजली विभाग ने। मैं कह सकता हूं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जहां तक उनकी पेश पड़ी पानी में भी जाकर उन्होंने बिजली को कंटीन्यू रखा। जहां बिल्कुल जलमग्न थे वहां उन्होंने ग्रपनी इनएबिलिटी शो की। लेकिन जहां दवाई की व्यवस्था थी, ग्रस्पताल में पानी भर गया। ग्रस्पताल में जो लोग इलाज के लिए लेटे हुए थे उन लोगों को सिरिंज भी निकाल कर भागना पड़ा। एम्बुलेंस तक भरतपुर के ग्रस्पताल में नहीं थी कि उनको पहुंचा दे। लोग जाने कैसे खाटों पर लंगड़े हो करके लेटते-लेटते पहुंचे और उन्होंने ग्रपनी जान बचायी।

चौथी बात, बाढ़ के नुकसान से कितने लोग मारे गये, सरकार कह रही है कि हमारे 27 लोग मारे गये। चूंकि राजस्थान सरकार ने बाढ़ से मरे हुए लोगों के लिए 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति घोषणा की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति घोषणा की जाए। जो बाढ़ में लोगों की जमीनें ग्रा गयी हैं, उसका मुग्रावजा दिया जाय। किसान का जो फसल का नुकसान हुग्रा है वह नुकसान दिया जाए। इण्डस्ट्रीज में जो नुकसान हुग्रा है, माननीय भंवरलाल जी शर्मा खुद मुग्रायना करके आये हैं, चाहे सरसों की फैक्ट्री हो, चाहे तेल मील हो, चाहे दाल मिल हो, चाहे ग्राढ़तिया लोग हों, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहां नहीं बचा है जिसका 10 लाख से 20 लाख रुपये नुकसान न हुग्रा हो। एक-एक ग्रादमी का एक-एक करोड़ रुपये, सिमको ग्रौर जी. डब्ल्यू. तक में तो पांच-पाच करोड़ रुपये का नुकसान है ग्रौर उनकी एक ही डिमाण्ड है कि हमको सरकार इन्टरेस्ट फ्री लोन दे दे जिससे हम ग्रपने पैरों पर दुबारा खड़े हो जाए। हम यह निश्चित रूप से मानते हैं कि सरकार इस बात की भरपाई करने के लिये कोई न कोई प्रयास करेगी। रहा सवाल किसानों का, उनका जो ऋण है उस ऋण को माफ करने की या तो सुविधा दी जाय या उनके ऋणों की वसूली पर जो ब्याज है उसको रोका जाय ग्रौर जो हमारी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, हमारी जो नहर टूट गयी हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ग्ररुण सिंह जी कह रहे थे ग्रभी,

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

निश्चित रूप से पूरे बांध जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कराने के लिये जो पैसा सरकार को देना चाहिये, वह पैसा अभी देवे। अभी केवल रूपारेल का पानी ही भरतपुर को तबाह कर पाया है। चूंकि अभी बाढ़ का समय निकला नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अभी भी सजग होकर गम्भीरी और बाणगंगा पर तैयारी कर सके तो कर ले नहीं तो वहां पर भी अगर बाढ़ आ गयी तो भरतपुर का 75 प्रतिशत क्षेत्र तो अभी जलमग्न है ही और फिर दुबारा जलमग्न हो जाएगा और भरतपुर तबाह हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं कुछ और....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री आर.पी. शर्मा : नहीं मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर में बाढ़ आने से लेकर राहत सामग्री पहुंचाने तक, आजतक जो भी गलतियां जिस विभाग ने की हों, उनके लिये एक आयोग गठित किया जाए और आयोग की रिपोर्ट आने पर जो व्यक्ति दोषी हो उनको सजा दी जाए। मैं एक बात और पुनः कहना चाहता हूं, जैसा कि कासनियां जी कह रहे थे, अगर सरकार ने घोषणा आयोग गठित करने की नहीं की तो मैं भी, जब तक असेम्बली चलेगी, यहीं बैठूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसी गलतियों को हम बर्दाश्त नहीं करें तभी हम कह सकते हैं कि सरकार भी दोषी नहीं है। नहीं तो खुले रूप से हम मान सकते हैं कि सरकार भी जान बूझकर के इन गलतियों में लिप्त थी और उसका भी नेग्लीजेंसी में, इस गलती में हिस्सा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकांत जी।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर, भरतपुर और नागौर के अन्दर इस बार अनप्रीसिडेंटेड बाढ़ आई। मैं अलवर, भरतपुर की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा नागौर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह जो रेगिस्तानी इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, जिसमें नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि आते हैं, इनके साथ समस्या यह है कि जब भी गर्मियों के अन्दर आंधी आती है तो जो रेत के कण आसमान में ऊपर चले जाते हैं और आसमान के ऊपर जाकर के उनकी जब डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सारा का सारा रेत के कणों का एक पहाड़ सा ऊपर से गिरता है, करीबन हजार किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से वो गिरते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी वेक्यूम क्रियेट हो जाती है और वह वेक्यूम उस जगह क्रियेट होती है जहां आस–पास के अन्दर बादलों का स्तर होता है और वे बादल वहां आकर वहां चक्रवात आ जाता है और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन हम हमारी खरीफ की खेती का जो पेटर्न है उसको नहीं बदलेंगे। खरीफ की खेती में हम हल चलाने के बाद रेत के कणों को बिलकुल खाली छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं और अगली बार वह आंधी के अन्दर आसमान में जाते हैं। यह तो ऐसा होता है आस–पास में हर साल वह बरसात के बादल नहीं होते हैं खिंचाव के अन्दर वरना एबसोल्यूट वेक्यूम क्रियेट होता आसमान के अन्दर और एबसोल्यूट

(श्री रमाकांत)

वेक्यूम के कारण चारों तरफ से जो भी कुछ उधर होता है वह नजदीक आ जाता है। सालों के अन्दर बादल होते नहीं आसमान में इसलिये बच जाता है, जिस साल आसमान में बादल होते है, चक्रवात आ जाता है, तो हमको इस बारे में चिंतन करना है।

दूसरा, निवेदन यह है कि जो सारा का सारा पश्चिमी राजस्थान है उसकी समुद्री की सतह से जो ऊंचाई है वह जीरो है। समुद्र की सतह के बराबर ही है। वहां पर जो भी पानी बरसता है उसको निकाला नहीं जा सकता है। जो समुद्र की सतह के बराबर हो उसका पानी कहा जाएगा। केवल मात्र श्मशान वैराग्य से काम नहीं चलेगा कि आज बाढ़ आ गयी, हम परेशान हो रहे हैं कि वहां पर अब क्या किया जाए। जब तक कि आप दूरगामी कोई न कोई तौर–तरीका नहीं निकालेंगे और दूरगामी तौर–तरीके दो ही हो सकते हैं कि हम वहां पर जितने भी डिप्रेशन हैं उस पानी के बारे में सर्वे करें, कहां पानी बरसता है और किस प्रकार से वह धोरों के अन्दर जाता है और उन डिप्रेशन में कहां से इकट्ठा हो सकता है, हमको एक नहरों का बाकायदा वहां जाल बिछाना होगा और यदि इसके अन्दर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि जब भी डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो जाता है तो सीम का मामला आ जाता है, आस–पास की जमीन खराब होने का मामला हो जाता है, तो साथ के साथ हमें कोई एक नहर बना कर इस पानी को समुद्र में ले जाना होगा। अन्यथा किसी साल में आप तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करेंगे, किसी साल में चार सौ करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इस प्रकार से काम करते रहेंगे, इसी प्रकार से चीज चलती रहेगी। दूसरे देशों के अन्दर इस प्रकार की बात आई है, दूसरे देशों के अन्दर बिलकुल इसी प्रकार का वातावरण रहा है, उन्होंने इस प्रकार का काम किया है और इस तरह के काम करने से आज वहां बाढ़ नहीं आती है। इस बारे में राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में बाढ़ आई, मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही है, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी ने भी बात कही है। सीरीज के अन्दर आपके पांच–छह, दस–पन्द्रह बांध बंधे हुए हैं। हरेक बांध का आपने सोचा है कि केचमेंट के अन्दर इतना पानी आएगा और उसके हिसाब से उसकी मोटाई–ऊंचाई आपने निर्णय कर दी। परन्तु एक बांध कहीं से टूट जाता है तो फिर दूसरे बांध में उससे दुगना पानी पहुंच जाता है। दूसरा टूटना ही है, दूसरे के बाद में तीसरे में तिगुना पानी पहुंच जाता है रूक नहीं सकेगा। आगे के जितने बांध हैं, सारे के सारे टूटेंगे। तो जो पहला ही पहला बांध है, सिंचाई विभाग कभी देखता ही नहीं है। बागोड़ा का बांध सबसे पहले टूटा अलवर के अन्दर, रामगढ़ का सारा जल प्लावित करने के लिये। उस बागोड़ा के बांध पर कभी सिंचाई विभाग का आदमी देखने ही नहीं गया। देखता नहीं वहां पर जाकर कि कहां, कितना सारा पहले से टूट गया है, किधर से पानी जा रहा है, क्या उसके पक्के की हालत है, क्या उसके कच्चे की हालत है, कितना पानी पिछले सालों के अन्दर आया। सिंचाई विभाग की जो वर्किंग कल्चर है वह इतनी खराब है।

(134)

(श्री रमाकांत)

आमूल परिवर्तन जब तक आप सिंचाई विभाग में नहीं करेंगे नीचे से लेकर चीफ इंजीनियर तक, तब तक यह बात नहीं होने वाली है। आज रामगढ़ के अन्दर जो स्थिति है, रामगढ़ से लेकर तिजारा तक की स्थिति को देखकर आये हैं वह स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, सब तरीके से वहां तत्काल काम करने का काम उसने किया। तत्काल लोगों को पानी पहुंचाने की बात है, बचाकर लाने की बात है, जो मरून हो गये हैं उनको वहां से निकाल कर लाने की बात है, पशुओं को जहां बचाया जा सकता है, बचाने की बात है, लोगों को भोजन के पैकेट देने की बात है, तत्काल काम के अन्दर कहीं कोई कोताई नहीं बरती है इसके लिये जितनी भी भूरि-भूरि प्रशंसा राज्य सरकार की जाए, कम है। परन्तु जिस समय यह चीज आती है उस समय तो हम सारे के सारे परेशान होकर खर्च करें, सब कुछ करें। आप देखियेगा जब यह पानी हट जाएगा, तबाही तो तब आने वाली है जब यह पानी सूख जाएगा। आज जो पांच फीट पानी भरा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है जब पांच फीट पानी हट जाएगा और वहां पर सूखा होगा तो बाहर जंगल की, पशुओं की, गांव की जितनी गंदगी है, सडांध है, वह सारी की सारी गांवों में आ जाएगी। सफाई की समस्या पैदा होगी वहां पर उस समय बिजली नहीं पहुंच रही है, बिजली की समस्या पैदा होगी, मरे हुए लोगों की लाशें, पशुओं की लाशें, पक्षियों की लाशें वहां पर होगी, सडांध पैदा होगी वहां पर। इस प्रकार की बीमारी फैलेगी। उस वक्त कोई चिंता नहीं करेगा। उस वक्त तो बात गुजर गयी न, मर रहे हैं वह छोटे-मोटे लोग यदि इसका सारा का सारा हमारे पास कंटिजेंसी प्रापर प्लान हो और उसके अनुसार हमारी पूरी तरीके से तैयारी हो और इसके बाद में क्या क्या काम होने वाले हैं और उनसे भी बड़ा काम है, हमारे यहां पर क्यों बाढ़ आती है इसके बारे में चिंता करना इसमें थोड़ा सा भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। ये रूपारेल और यह बाणगंगा प्रतिवर्ष या हर दो वर्ष या हर तीन वर्ष के अन्दर भरतपुर में कुछ न कुछ तबाही पैदा कर देती है और करोड़ों रु. का, सैकड़ों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। बारां में पिकअप वियर बना हुआ है। 3/5 हिस्सा रूपारेल का भरतपुर जाना चाहिये, 2/5 हिस्सा अलवर में जाना चाहिये पर यदि रूपारेल में बहुत अधिक पानी आ रहा है तो वहां के वहां यह जो दो हिस्सों में पानी जा रहा है उसको आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया जाए और एक सामने गेट लगा दिया जाए तो उसको जयसमंद में दाखिल कर दीजिये। जयसमंद खाली पड़ा रहता है, कभी भरता ही नहीं है। जयसमंद के अन्दर यदि दो फीट की भराई भी ऊपर की हो जाए तो सारे भरतपुर का जो रूपारेल विनाश करती है वह विनाशनहीं हो। इसी प्रकार यह रूपारेल थानागाजी में से आती है। आपने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखा होगा। तोलावास के पास करीब-करीब, यह समझ लीजिये, 40 फीट गहरी है यह नदी और एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर चौड़ी है। वहा पर छोटे-मोटे इस प्रकार के, जिन्हें आप कह सकते हैं, जलाशय बनाये जा

(श्री रमाकांत)

सकते हैं, एनीकट बनाये जा सकते हैं, डाइवेंशन चैनल्स बनाये जा सकते हैं, कई प्रकार के ये इरिगेशन वर्क्स होते हैं जो बनाये जा सकते हैं और भरतपुर को कोई दिक्कत हो, तो उसके अन्दर गेट लगाये जा सकते हैं। यह भी आदेश दिये जा सकते हैं कि साधारणतः वह गेट चारों तरफ खुले रहने चाहिये। जितनी भरतपुर को आवश्यकता है वह सारा का सारा पानी वहां चला जाना चाहिये। हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब ज्यादा पानी आ रहा हो तो उस वक्त गेट बंद कर दीजिये और वह पानी वहां इकट्ठा हो जाए और इन जगहों पर, जहां एक तरह से सूखे से परेशान हैं पीछे की जनता, आगे बाढ़ आ रही है, पीछे की जनता पानी से परेशान है। यदि वह पानी रूक जाए, एक साल रूक जाए तो दस साल तक पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाए। वहां तो फ्लड हर तीन साल, चार साल के अन्दर आती है, क्या दिक्कत की बात है इस तरह से काम करने के अन्दर। दिक्कत आती है विभाग को। क्या दिक्कत आती है मुझे समझ में नहीं आता माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक साल चार महीने पहले यहीं विधान सभा के अन्दर भरतपुर के एम. एल. एज. और अलवर के एम. एल. एज. के साथ माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने मीटिंग ली थी और वहां तय हुआ था कि समरा बांध का जो वहां पर पानी जाता है, सैंट्रल के बांध के अन्दर जो बारह महीने ऊपर से पानी जाकर जमीन को खराब करता रहता है वहां पर बांध बना दिया जाए, उस सूखे इलाके का काम हो जाएगा। एक साल चार महीने चले गये लेकिन सिंचाई विभाग के मंत्री ने कागज इधर से उधर नहीं रखा। इसके बारे में मैं दस दफे मंत्रीजी के पास गया, नीचे के सारे अधिकारियों के पास गया हूं। चाहे वह हजारवां हिस्सा ही हो, हजारवें हिस्से की तो बाढ़ कम आती कम से कम भरतपुर जिले में वह बाणगंगा के अन्दर पानी जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि कैला के अन्दर हर साल रास्ता बंद हो जाता है। सड़क पर 4 फीट पानी आ जाता है। मंगलसर बांध के अन्दर पानी जाता है। पीछे नाडू का छोटा सा एक एनीकट है, वह भर जाए तो हमारे दो लाख रुपये जो सड़क की मरम्मत के लिये खर्च होते हैं, वे खर्च न हों। वह सारा का सारा खर्चा बच सकता है। सिंचाई विभाग से कहा जाता है कि दो काम में से एक काम तो करो। वहां मंगलसर के अन्दर 43 फीट का लेवल है, 38 फीट से कम नीचे पानी कभी खोला ही नहीं। 38 फीट तक वहां पर पानी भरा रहता है और 38 फीट से 43 फीट के अन्दर वेरी करता है। हर साल के अन्दर बाढ़ आने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी सी बरसात आती है और वहां कैला के रास्ते के अन्दर सड़क पर 5 फीट पानी आ जाता है। कैला का रास्ता 3 महीने के लिये, 4 महीने के लिये रुक जाता है और जब बरसात खतम होती है, सड़क ठीक करने में 2 लाख रुपये खर्च होते हैं।

नाडू का बांध बना दिया जाए, (व्यवधान) नहीं साहब, नहीं बांधा। हमने इधर-उधर से कर-कराकर सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्दर 13 लाख रुपये इस साल खर्च कराकर कहा कि सुनिश्चित

(श्री रमाकांत)

रोजगार योजना के तहत इसका एनीकट बनाया जाए। सिंचाई विभाग एनीकट नहीं बांधता है। सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पी. डब्ल्यू. डी. तो सड़क बनाता है, पर सिंचाई विभाग नहीं बनाना चाहता है। सुनिश्चित रोजगार योजना की या किसी योजना की बात ग्रा जाए, एक वर्ष डिले कर दिया उस काम को। नाडू का जो एनीकट है, यदि सिंचाई विभाग ने बना दिया होता, ग्रब तो बना रहा है, पीछे पड़ने के बाद बना रहा है, परन्तु कब बना रहा है उसे, जब बारिश शुरू हुई उसके 15 दिन पहले काम शुरू हुग्रा, ग्राज बंद हो गया। तो इसलिये बना रहा है कि 15 दिन के ग्रन्दर मिट्टी नाप नहीं सकें, जो हो गया सो तो हो गया। बरसात के बाद क्या होगा, यह देखा जाएगा। परन्तु यदि उसको बना दिया जाता तो इस साल फिर 2 लाख रुपये बच जाते उस सड़क के। वह सड़क तो डूब गयी, पहली बरसात के ग्रन्दर ही डूब गयी, चाहे उसको बाढ़ की श्रेणी में न लें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 साल पहले मंगलसर बांध बना हुग्रा है, उसकी नहरें कच्ची पड़ी हुई हैं। वहां तो प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति होती है। ज्योंही नहर खोलते हैं, सारा पानी 40-40, 50-50 फीट की चौड़ाई में बहता है। दोनों तरफ की जितनी जमीन है, सब से लाइन हो चुकी है। जिस गरीब ग्रादमी के पास में दो बीघा जमीन है उसके डेढ़ बीघा से लाइन हो चुकी है। इस प्रकार की स्थिति वहां पर पहुंच चुकी है। उनको पक्का नहीं किया जाता, 70 वर्ष हो गये। चाहे वह मंगलसर का बांध हो, चाहे वह मानसरोवर की बात हो। इस प्रकार से जितने भी बांध हैं, उनके ग्रन्दर सिंचाई विभाग को जो काम करना चाहिये या जो नये बांध बनाने चाहिये या जो रूपारेल ग्रौर बाणगंगा का पूरी तरह से सर्वे कराकर इनके बीच में जगह-जगह पर गेट लगाने चाहिये, उन पर कार्य नहीं होता है। यदि कार्य नहीं होगा तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष हम इन सारी की सारी समस्याग्रों की बातें करते रहेंगे, प्रतिवर्ष हमको महसूस करना पड़ेगा ग्रौर प्रतिवर्ष इस प्रकार की चीजें सामने आती रहेंगी।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी चौधरी।

श्री ग्रमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां 1979 के ग्रन्दर बाढ़ ग्रायी ग्रौर उसके बाद में 1990 के अन्दर बाढ़ आयी। इन दोनों समय में जो बाढ़ ग्रायी, वह इतनी भयंकर बाढ़ ग्रायी कि जिसमें 1979 की कहानी हृदय-विदारक है।

(15.45)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

आज जिन इलाकों में बाढ़ आयी ग्रौर जो लोग बाढ़ से घिर गये हैं, वहीं वहां की सही कहानी कह सकते हैं। उन पर क्या बीतती है, कितने हालात खराब होते हैं, किस प्रकार से बाढ़ के ग्राने के बाद लोगों

(श्री अमराराम चौधरी)

के खाने-पीने की गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है, लोग अपनी जान किस प्रकार से बचाते हैं, ऐसा सारा दृश्य मैंने भी देखा है।

1979 की ऐसी प्रलयकारी बाढ़ बालोतरा सब-डिवीजन में आयी जहां जालौर से लगाकर बालोतरा से 10 किलो मीटर उत्तर की तरफ पानी था। पूरा एरिया जलमग्न था, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और मेरे क्षेत्र में कुएं के पास में ही जो 24 व्यक्ति एक टीले पर चढ़ गये उनमें से एक खेजड़ी पर आगे जाकर अटका, बाकी 23 लोग पानी में बह गये। आज दिन तक उनकी लाश भी नहीं मिली, ऐसी हालत इस बाढ़ के कारण हमारे लोगों की होती है।

1979 में भी बी. जे. पी. की सरकार थी, 1990 में भी बी. जे. पी. की सरकार थी और दोनों बार भैरोंसिहजी ने वहां आकर मौका देखा। हैलीकॉप्टर से आये, कोई साधन, कोई रेलगाड़ी नहीं थी, कार या जीप नहीं जा सकती थी। लेकिन अभी हमारे यहां वर्षा अच्छी हुई है। करीब 24 घंटे तक बारिश हुई, रिमझिम बारिश हुई, ज्यादा बरसात नहीं हुई। लेकिन किसी भी समय अधिक बरसात होने पर लूणी नदी में बाढ़ आ सकती है। लूणी नदी की जो तटबंदियां हैं उन पर सिर्फ अर्थ-वर्क हुआ है और बहुत सी जगह अर्थ-वर्क नहीं होने के कारण भविष्य के अन्दर जब भी लूणी नदी के अन्दर पानी आएगा तो कई लोगों के खेत, कई लोगों के घर और बालोतरा जैसा बड़ा शहर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। मैंने अकाल मंत्रीजी के यहां बाढ़ बचाओ कार्य के लिये जिला प्रशासन को लैटर भिजवाया था। मैंने बार बार निवेदन भी किया कि जो आपके कच्चे काम हैं, जो अर्थ-वर्क आपने किये हैं उन पर समय रहते हुए पेचिंग यदि आप नहीं करेंगे तो नदी का कटाव हो जाएगा, किसानों के खेत कट जाएंगे। यहां माननीय इरिगेशन मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके इरिगेशन इंजीनियर्स हैं, जे.ईएन. हैं और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वे कोई भी तटबंदी या कोई भी बाढ़ बचाओ कार्य करते हैं तो वे क्या करते हैं कि किसान के खेत में करीब एक बीघा जमीन के अन्दर, जहां नदी का किनारा है उसके अन्दर करते हैं। उससे क्या होता है कि वह नदी का किनारा कटते-कटते, जो आपका कच्चा काम किया हुआ है, वहां जाकर सारी रेत नदी में गिर जाती है तो काश्तकार का पूरा खेत ही खतम हो जाता है। जो नदी है उसी में आप अर्थ-वर्क कराकर वहां पेचिंग करेंगे तो नदी का किनारा और अधिक नहीं कटेगा।

हमने लड़कर बहुत से जो काम कराये वे काम कायम रहे। सन् 1990 के अन्दर बहुत से जो हमारे कुएं थे, वे बाढ़ बचाओ कार्यों के कारण जो तटबंदी हुई उसके कारण बचे। लेकिन अभी कानना है, कानना में दो-तीन स्थान ऐसे हैं-जैसे प्रवीण करणजी का बेरा, मेरा खुद का कुआं, जहां अर्थ-वर्क आपने कराया, अभी तक पेचिंग पूरी नहीं हुई। उसके बाद सारणा के अन्दर भूमारामजी चौधरी के कुएं के पास जो बांध आपको अब तक प्रारम्भ कराना चाहिए था वह अभी तक

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

ग्रापने नहीं किया। बिटूजा के ग्रन्दर ग्रापने ग्र्थवर्क कराया है। जहां ग्रापकी सैकड़ों दवाइयों की इण्डस्ट्रीज के काम हो रहे हैं। वे कुएं बच सकते हैं लेकिन ग्रापका अर्थ-वर्क तो ज्योंही 10 फीट पानी नदी में ग्राया नहीं, वह कटना शुरू हो जाएगा। तो पानी के पहले जो पाल बांधना चाहिये वह जब तक ग्राप नहीं करेंगे तो बालोतरा में यह समस्या बनी रहेगी।

ग्रब जोधपुर के ग्रन्दर बरसात हुई। एक समय था, हमारी जोझरी नदी है, बिलकुल पानी नहीं ग्राता था। ग्रभी भीपालगढ़ ग्रौर जोधपुर में जो ग्रतिवृष्टि, वर्षा हुई जिसके कारण जोझरी के ग्रन्दर पानी आया, वह इतना अधिक नहीं ग्राया उससे हमारे खेतों में दो–तीन गांव जैसे डींली हैं, ग्रारांबा है, इनके दस–पन्द्रह रोड के। दोनों तरफ के जो खेत हैं, वह पानी से लबालब भर गये हैं लेकिन उससे नुकसान नहीं हुग्रा। लेकिन किसी भी समय ग्रतिवृष्टि के कारण ज्यादा पानी ग्रा सकता है। वैसे जोझरी नदी, जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, "जोझरी जरका करे" लेकिन वह नदी है, उस नदी का पानी मुल्तान चला गया। इसी कारण से यह जोझरी नदी नहीं ग्रा रही है। इस जोझरी नदी के कारण हमारा एरिया गन्ना पैदा करता था। आज भी वहां कोलू मौजूद पड़े हैं। हजारों लाखों मण हमारे यहां पर गन्ना पैदा होता था। जोधपुर से लगाकर पचपदरा तक इतनी बढ़िया समतल जमीन है, जहां पर ग्राज मूंग ग्रौर तिल हजारों–लाखों मण पैदा होते हैं। ऐसी जमीन जहां पर जोझरी नदी हमेशा बहती रहे, लेकिन वह बहाव रोक दिया। जगह जगह बांध भी बन गये ग्रौर इसका कारण यह भी था कि एक लाखण बंजारा था जिसके पास एक लाख मवेशी थे। वह वहां से गुड़ वगैरह भरकर, उस समय साधन नहीं थे, ले जाया करता था। उसकी औरत को कुछ शक्तिशाली लोगों ने किडनेप कर लिया तो उसको बहुत नाराजगी हुई, वह नाराज हुआ ग्रौर उसने जाकर ग्रपने एक लाख मवेशियों से मिट्टी डलवाकर जोझरी का रास्ता बन्द कर दिया। तीन साल के बाद में उसकी ग्रौरत को जिन्होंने किडनेप किया था, उन्होंने छोड़ा। एक पंक्ति मुझे याद है। उस बंजारन का नाम था समझी। "समझी तु समझी नहीं, मेहंदी का रंग कहां गया ? उतरया पानी मुल्तान गया।" वह उतरा हुग्रा पानी मुल्तान चला गया। इसी कारण से यह जोझरी नदी, यह जो ग्रतिवृष्टि हुई है ग्रौर यह भोपालगढ़ वगैरह से जो पुराना पानी है, जो नदी हमेशा चलती थी, वह पानी बन्द है। जो हमारा पुराना बहाव है ग्रौर जहां–जहां बंधे बन रहे हैं, यदि बंधे मजबूत नहीं बनते हैं तो नहीं बनाने चाहिये। पानी का जो नेचुरल फ्लो है, नहीं रोकना चाहिये ताकि आस–पास पीने के पानी के जो कुएं हैं, उनसे लोगों को पानी मिलता रहे। मैं ग्रापसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रब जो हालत पूरे राजस्थान में हैं, भरतपुर की सुन रहे हैं, नागौर ग्रौर जोधपुर की सुन रहे हैं कि बाढ़ से लोग घिरे हुए हैं, हजारों पशु मर गये हैं, ऐसी हालत ईश्वर दूसरी जगह फिर नहीं करें, यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : और इसके बचाव के लिए सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि पहले से ही आप सावधानी बरतें, ताकि दूसरी जगह इस प्रकार का प्रलय नहीं हो। इस बात को कहते हुए ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान जी।

एक माननीय सदस्य : फिर पांच बजे बाद में हमारा क्या होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरे सामने जो सूची है, उसके अनुसार ही चलूंगी।

श्री परसराम मदेरणा : सूची तो आपके सामने है सभापति महोदया, लेकिन अगर राजस्थान के अन्दर कोई भी गांव सबमर्ज्ड है, पूरा पानी के अन्दर बीस–बीस फीट में, तो वह गांव है–नागौर। बाढ़ की तबाही तो और जगह भी हुई है। मरूण्ड और बात है और सबमर्शन दूसरी बात है। इसलिये आप नागौर वालों को समय तो दीजिए।

श्री सभापति : नेता महोदय, यह सूची भी तो खेतसिंहजी राठौड़, मुख्य सचेतक की दी हुई है। उन्हें ही ध्यान रखना चाहिए था कि नागौर वालों को प्रिफरेंस देते। मैं तो सीट और सूची के अनुसार चलूंगी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं–नहीं, नाम तो है।

श्री सभापति : नाम तो होगा। (व्यवधान) आपके मुख्य सचेतक की दी हुई सूची है, मेरी बनायी हुई सूची नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैडम, लेकिन हमारी चर्चा तो अलग से है।

श्री सभापति : मैडम, विराजिये आप। बैठिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदया, बाढ़ पर चर्चा हो रही है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी जब वक्तव्य दे रहे थे, चर्चा शुरू होने से पहले तो मैंने उनका वक्तव्य बड़ा ध्यान से सुना। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भरतपुर और हरियाणा के अन्दर जितना भी बाढ़ से पानी जमा है, जितना भी क्षेत्र डूबा हुआ है, सारा बाढ़ का पानी अलवर जिले के रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से होता हुआ गुजरा है। चाहे यह पानी अतरिया डेम के टूटने से आया हो, जो किशनगढ़ के पास है। चाहे वह जेलोरी बांध, तिजारा क्षेत्र का टूटा हो, चाहे खानपुर बांध, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का टूटा हो, चाहे जैसे–भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, रूपारेल के माध्यम से भरतपुर में पानी आया हो, चाहे रूपारेल का रास्ता हो, सारा अलवर जिले के रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र और लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र होता हुआ पानी जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले अतरिया डाइवर्शन डेम, जो रामगढ़ और नौ-गांवा कस्बे के बीच का पांच किलोमीटर का स्पेन है, उसमें से गया। इरिगेशन विभाग के मुताबिक एक लाख क्यूसेक पानी वहां से निकला है। सभापति महोदया, आप इससे अन्दाज लगा लीजिए कि किस तरह से तबाही की होगी। मैं नहीं कहना चाहता मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए कि वहां के पांच लोग जिन्दा पानी में बहकर मर गये। मैं

(श्री जुबेर खान)

नहीं कहना चाहता उन लोगों के लिये जो पांच सो परिवारों के घर तहत-नहस हो गये। अनाज बह गया। कपड़े-लत्ते बह गये लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यह वही क्षेत्र है, सुन्हेडा का क्षेत्र है जहां भैरोंसिहजी, मुख्य मंत्री से लेकर नसरू खां राज्य मंत्री तक हवाई जहाज में बराबर हफ्ते में दौरे किया करते थे। सांवरलाल जी वहां गये। सिंचाई मंत्री वहां गये। अलका काठाजी, डिवीजनल कमिश्नर वहां गयीं। धर्मसिहजी. इरिगेशन सैक्रेटरी वहां गये और ताज्जुब करेंगे कि सुन्हेडा का नाम बी.बी.सी. लन्दन तक से आया और दुर्भाग्य की बात है कि आज वह गांव उसी स्थिति में है, जो नौ महीने पूर्व 4–5 सितम्बर, 1995 की स्थिति में था। पी. डब्ल्यू. डी. ने सड़कों को रेज नहीं किया। इरिगेशन विभाग ने पानी की निकासी के रास्ते नहीं बनाये। मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग ने वहां पर डिस्पेंसरी कायम नहीं की। जबकि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उसी गांव में गये थे और उन्होंने एट दी स्पाट घोषणा की थी कि यहां सब-सेंटर मंजूर कर दिया जाएगा, वह सब-सेंटर सुन्हेडा गांव में आज भी मंजूर नहीं किया है। हमारे यहां यह पीड़ा है, 15 हजार बीघा जमीन में तीन फुट से लेकर पांच फीट तक बालू रेता आ गया है। यहां यह भी पता नहीं चलता कि किस खेत की मेड कहां है? किस खेत की डोल कहां है? यहां पर दस फीट से लेकर तीस फीट तक गहरी खाइयां हो गयी हैं। जिस तरह से पानी का निकास वहां से हुआ है, पांच किलोमीटर के एरिये में 35 या 37 गांवों की जमीन नष्ट हो गयी। नरमे की फसल नष्ट हो गयी। मई के महीने में अलवर जिले में बुआई हो गयी थी। ज्वार, बाजरे और मक्के की फसल की निलाई और गुड़ाई शुरू हो गयी थी। इतनी भारी तबाही वहां पर हुई है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने एक लाख रुपये पी डब्ल्यू. डी को दे दिये। हमने एक लाख रुपये पी.एच.ई.डी.को दे दिये। हमने 25 लाख रुपये मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट को दे दिये। माननीय मंत्रीजी, सचिवालय में इस कागज में दे दीजिये, इसमें ट्रांसफर कर दीजिए और तीसरे में लैप्स करते रहिए। जनता तक आपका धेला नहीं पहुंच रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार सितम्बर में जितने भी बांध कटे थे, सबका एस्टीमेट इरिगेशन के लोगों के लिए भेजा था। माननीय श्री ललित किशोरजी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री मौजूद थे, श्री ज्ञानसिहजी मौजूद थे, बड़ी वाह-वाही घोषणा करके ली थी कि धन की कमी नहीं आएगी। कोई सड़क पर मरम्मत नहीं रहने दी जाएगी। माननीय सभापति महोदया, इनके टैक्निकल दो वर्ड होते हैं, अगर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। हमने पूछा कि दो वर्ड कौनसे हैं? पहला-रेस्टोरेशन और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन।

(16.00)

हमने कहा कि हम तो देहाती आदमी हैं हम को समझाओ। बताया कि रेस्टोरेशन का मतलब है रास्ते में मलवा डाल कर, किसी तरह पत्थर डाल कर रास्ता चला दो। यह रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा? बताया कि बाद में इसमें पुलियाएं बनेंगी, बिटुमन होगा और मरम्मत पक्की की जाएगी। वह

(श्री ज़ुबेर खान)

रिरेस्टोरेशन तो हो गया जो अब डिस्ट्रेक्शन हो गया लेकिन रिकंस्ट्रक्शन आज तक नहीं हुआ।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने, मुझे तो मिली थी, शायद सारे विधायकों को चिट्ठी लिखी होगी कि आपके फलां तारीख तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो पुनः मरम्मत नहीं हो तो आप मुझे सूचित कीजिए मैं उसको जरूर कराऊंगा। हमने माननीय मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी, सड़कों की हालत फिर भी आज भी वही की वही है। सभापति महोदया, जो यहां एक तालिका सर्व की गयी है इसमें 18 से 26 जून, 1996 तक जगह-जगह बरसात दिखायी है लेकिन अलवर जिले में 24 और 25 तारीख को दो दिन के अन्दर 679 मिलीमीटर बरसात हुई है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी भारी तबाही उस पानी ने की होगी जो पानी आज भरतपुर में खड़ा है और हरियाणा के सीमावर्ती गुड़गांवा और फरीदाबाद जिले में खड़ा है।

सभापति महोदया, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों के घर बह गये। पांच गांव हैं जहां पर अतारिया डैम टूटा था, एकदम वाश आउट हो गये घर। पक्के मकानों का पता नहीं है। टैंकर बह गये, ट्यूबवैल बह गये, पम्पसैट बह गये जिनका आज तक पता नहीं है। हजारों पशु मर गये और जिस तरह से बालू रेत हवा में उड़ रही है उस तरह से कहीं पर सींग नजर आ रहा है। कहीं पर पूछ नजर आ रही है। सडांध फैल रही है। भंगी कहते हैं हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनकी चमड़ी हमारे काम की नहीं है और मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम नहीं उठाएंगे। महामारी फैलने की स्थिति हो रही है। यह इस संवेदनशील सरकार की हालत है। यहां तक कि मुर्दे भी निकल रहे हैं, गांव की यह हालत हो गयी है कि अगर घरों में तीन से पांच फीट जमा हो रही मिट्टी को निकालें तो वहां तालाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ ऊंचाई है। आगामी जो बरसात होगी उसमें वहां तालाब बन जाएगा और मिट्टी नहीं निकालें तो दरवाजों में सर टच हो जाता है, अन्दर घुस नहीं सकते। यह हालत वहां हो रही है और कह रहे हैं कि प्रशासन संवेदनशील है, सचेत है। इसमें कोई शक नहीं है तहशील मुख्यालयों पर जाकर ए. डी. एम. कुर्सी लेकर बैठ गये हैं, गांव से कोई शिकायत लाते हैं तो मेडिकल वालों को वायरलैस करा देंगे, पी. एच. ई. डी. वालों को वायरलैस करा देंगे लेकिन मौके पर कोई आदमी नहीं पहुंच रहा है। यहां तक कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जिसका मकान गिरा है उसको एक हजार से ज्यादा नहीं दे सकते, मरने वाले आदमी के 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, हम यहां आकर बैठकर क्या करें। यह स्थिति इनके अधिकारियों की है। मैं मुख्य मंत्रीजी और अकाल राहत मंत्रीजी से मांग करूंगा कि आप देना चाहें तो लोगों को रिलीफ दिलाइये। आपके तहसीलदार पहुंचने से कुछ नहीं होगा बी. डी. ओ. पहुंचने से कुछ नहीं होगा, ए. ईएन., जे. ईएन. पहुंचने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनके हाथ में कुछ नहीं देंगे।

सभापति महोदया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री

(श्री जुबेर खान)

जी यहां बैठे हैं, पी.एच.सी. रेफरल हास्पिटल है, तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है, विधान सभा मुख्यालय है, आज तक वहां एक्स-रे मशीन मौजूद नहीं है। आज से दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी गये थे, मैं सर्किट हाउस में डेलीगेशन लेकर मिला था, उस समय इन्होंने सी. एम. एच. ओ. को पाबंद किया था कि रामगढ़ एक्स रे मशीन पहुंच जानी चाहिये। डेढ़ साल हो गये, आज तक एक्स रे मशीन नहीं पहुंची। सी.एम.एच.ओ. ने कहा एक्स-रे रूम नहीं है, डार्क रूम नहीं है। हमने मेवात योजना से पैसे मंजूर करा कर एक्स-रे मशीन के लिये रूम बनवा दिया, डार्क रूम बना दिया, एम्बुलेंस के लिये गैराज बना दिया, लेकिन आज तक न एम्बुलेंस पहुंची, न एक्स-रे मशीन पहुंची। यह स्थिति वहां की है और आज भी अलवर से दिल्ली का वाया रामगढ़ जो स्टेट हाई-वे है, आज भी 9 जगह से क्षतिग्रस्त है। आवागमन नहीं है, लोग तीन किलोमीटर पानी में निकल कर पैदल आते हैं तब आगे निकल कर जाते हैं। भेजने को पांच कश्ती भेज रखी हैं, चार रामगढ़ में खड़ी हैं, एक सुन्हेडा गांव के लिए चल रही है। एक कश्ती से लोग आ जाकर अपना सामान लायें या पानी लेकर आयें। पेयजल की भारी समस्या है। पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास तो आदेश नहीं है कि हम टैंकर से पानी पहुंचाएं। यह स्थिति वहां है। और किसी मंत्री ने दौरा नहीं किया। अगर दौरा किया भी तो परसों शाम को सहकारिता मंत्री श्री सुजान सिंहजी और उद्योग राज्य मंत्री, श्री नसरू खां जी, अभी नये कलक्टर ने जोइन किया है, उनको लेकर गये। पंचायत मुख्यालय पर बैठकर वापस आ गये। गांव में कोई नहीं गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इरिगेशन के ए. ईएन., जे. ईएन. को जिन्होंने मौके पर पर जाकर रात भर वहां 24, 25 और 26 तारीख को रह कर सारी मोरियां खोलकर थोड़ा बचाव अलवर और रामगढ़ के बीच में कर लिया, वहां स्थिति खराब होने से बच गयी वरना रामगढ़ और नौगांवा के बीच की स्थिति तो यह है; सभापति महोदया, आप गांव नोट करा लीजिये, खरखडा, बांबोली बीजवा, रसवाड़ा, रूपवास, नौगांवा, सुन्हेड़ा, टीकरी, जहां की कोई जमीन नहीं बची की जहां खेती हो सके।

सभापति महोदया, माननीय सदस्य कहते रहते हैं किसानों के प्रति बड़ी संवेदनशील सरकार है, तो दिलवाइये, मकान दो साल में बन जाएंगे, आदमी मर गये, दो साल में भरोती आ जाएगी लेकिन स्थिति यह हो गयी है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा इस सदन से कि एक समिति जाकर देखें, 10 साल से पहले उस जमीन में कुछ पैदा नहीं हो सकता। यह स्थिति हो गयी है, किसान कहां जाएगा? माननीय अकाल मंत्रीजी कहते हैं कि हम तो अकाल का समय बढ़ायेंगे लेकिन अलवर में नहीं बढ़ायेंगे, क्योंकि अलवर में तो पांच पांच मंत्री बना दिये अब अलवर का कोई हिस्सा इस सरकार में नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह पूर्वी राजस्थान के साथ कब तक अत्याचार किया जाएगा? कब तक भेदभाव बरता जाएगा? अधिकारी वहां जाएं नहीं, मंत्री मौके पर जाएं नहीं घोषणा

(श्री जुबेर खान)

करने के बाद वहां राहत पहुंचाए नहीं, यह सरासर अन्याय है पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ और अगर इस तरह अन्याय होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब एक दिन पूर्वी राजस्थान से भी अलग प्रान्त की मांग उठने लग जाएगी यहां सदन में क्योंकि कोई सीमा होती है। सारा रेवेन्यू अलवर और भरतपुर से लिया जाए, आज गंगानगर के बाद अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है तो अलवर और भरतपुर से आता है और जो व्यय होता है वह सब जिलों से कम होता है।

सिंचाई मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मंतोरिया बांध की मरम्मत कराइये, खानपुर बांध की मरम्मत कराइये, जेरौली बांध की मरम्मत कराइये और कंसखाल की स्थिति तो यह हो गयी कि मिलकपुर और रामगढ़ के बीच में तीन गांव को खतरा हो गया है क्योंकि इतना जबरदस्त पानी का कटाव हुआ है, रेलवे लाइन पर पानी रुका, रेलवे लाइन टूटी लक्ष्मण झूला बन गयी और एकदम पानी ने गांव की तरफ टक्कर मारी, एकदम तबाही हो गयी। रास्ते कट गये और गांव की स्कूल तक बह गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर कंसखाल, रामगढ़ और मिलकपुर के बीच में आपने फ्लड-प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं कराया तो इसी बरसात में गांव बहने लग जाएंगे। यह स्थिति हो जाएगी।

मेरा एक निवेदन और है, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, सब जगह हवाई सर्वेक्षण भी हो गये, आप अलवर मौके पर जाकर देखिये, क्योंकि अलवर के सब लोगों के तो आपने हाथ बंधवा रखे हैं झंडी, गाड़ी और संतरी देकर और रमाकान्तजी बोलते हैं थोड़े डर कर झंडी लेने के चक्कर में, मदनमोहन जी बोलते हैं तो आप कह देते हो कि यह असंतुष्ट हैं, तो हमारे सारे लोग बंधे हुए हैं। एक माननीय उपाध्यक्ष बन गये तो कुछ बोल नहीं सकते। अलवर के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है आप वहां व्यवस्था कराइये और खास तौर से रामगढ़ क्षेत्र में जो तबाही हुई है अगर बांधों की मरम्मत नहीं हुई....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री जुबेर खान : और मंत्री महोदय, सुनेहेड़ा की सड़क तो ऊंची करा दीजिये। आप के दो-दो मंत्री गये थे पहले, इस बार जा नहीं सकते क्योंकि लोगों को क्या जवाब देंगे, पांच-पांच फीट सड़क डूबी हुई है, पांच-पांच फीट बीच में पानी है। चार किलोमीटर जहां पुलियाएं नहीं हैं, इंतजाम नहीं है, शेरपुर की सड़क एक किलोमीटर बह गयी। मुबारिकपुर से निकच सड़क का पुल टूट गया। आप से तो मार्केटिंग बोर्ड वाले ही अच्छे हैं जिन्होंने थोड़ी-बहुत पुलियाएं बनवा दीं। यह भी मार्केटिंग बोर्ड ने 20 साल पहले बनाई थी लेकिन आपके विभाग से चिट्ठी गयी, पी.डब्ल्यू.डी. ने ले लिया, अब हम मरम्मत करायेंगे। पुलिया का एस्टीमेट बना दिया 50 लाख रुपये। आप न 50 लाख दें, न पुलिया बने। 25 गांवों का रास्ता बंद है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो मुबारिकपुर से निकच रोड....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : नौगांवा से शेरपुर

(श्री जुबेर खान)

रोड और रामगढ़ से नौगांवा रोड पर पुलिया बना कर जल्दी से आवागमन शुरू करवाइये ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधा हो सके। मैं यह निवेदन आप से करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रेवती प्रसाद कोली। (अनुपस्थित)। श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ भी आ गयी है। उसमें अलवर और भरतपुर भी शामिल है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने तत्काल दौरे किये, तत्काल उन्होंने वहां की व्यवस्था की सुरक्षा के लिये, वन के लिये। दवाई भिजवायी और खाने के पैकेट वगैरह भी उन्होंने पहुंचाये। यह ठीक हो सकता है, जैसे हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा, कुछ कमी रह गयी होगी पर मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने तत्काल सारा इन्तजाम किया। इसके लिये मैं उनको बार-बार धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदया, यह बात ठीक है कि हमारे यहां गांव और शहर में खेती, पशु, मकान, कपड़े, झोंपड़ी और अनाज का भारी नुकसान हुआ है। सड़कें धंस गयी हैं। इतने गड्ढे पिछले साल भी हो गये थे और इस साल भी हो गये बीस-बीस फीट लम्बे-चौड़े सड़क में गड्ढे हो गये मगर पी.डब्ल्यू.डी. को बराबर कहने के बाद भी वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। स्कूल की बिल्डिंग तक इतनी गिराऊ हालत में है कि पी.डब्ल्यू.डी. ने लिखकर दे दिया कि यह बिल्डिंग काम के लायक नहीं है मगर आज भी वहां गर्ल्स स्कूल चल रहा है। अधिकारी या मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री जुबेर खान जी ने कहा कि अलवर के पांच मंत्री हैं और सरकार भी उन्होंने बनवा रखी है फिर भी कोई कार्य के लिये एम.एल.ए. से नहीं पूछते हैं कि जनरल समस्या क्या है। कोई जनरल मीटिंग होती है तो हमारे मंत्री रोक देते हैं कि यह बात आप अलग करना पी.डब्ल्यू.डी. से, जब सारे अधिकारी बैठे रहते हैं तब नहीं। यह मंत्री का सहयोग है मुझे। (व्यवधान)

इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगी। मेरी बात में दखल नहीं देवें जिससे मैं भूलूं नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगी और माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगी कि वह शांत रहें।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्या को भुलावे में मत डालिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : सभापति जी. मैं एक बात और आपसे कहूंगी। कच्ची बस्ती के नाम से यू.आई.टी. को खूब पैसा मिलता है। मगर यू.आई.टी. कच्ची बस्ती में पैसा खर्च नहीं करती। अरावली पहाड़ से पानी आकर कच्ची बस्ती को बहा कर ले जाता है। तालाब भर जाते हैं, कालोनियों में पानी चला जाता है। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि उस पैसे का सदुपयोग हो, वहां नाला बनवाया जाए या मोटर पम्प के जरिये वहां का पानी बाहर निकलवाकर उस पानी को रोकें जिसमें वह पानी की कमी पूरी हो और उस पानी का इस्तेमाल हो।

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

सभापति महोदया, एक बात और आप से कहूंगी। हमारे प्राचीन काल में कई बांध अलवर में बने हुए हैं, नहरें बनी हुई हैं, अतिक्रमण के कारण नहरें डूब गयी, बांधों की भी मरम्मत नहीं हो रही है। मैंने उनका एस्टीमेट बनाकर सिंचाई मंत्रीजी को भेजा। मगर दो साल हो गये, मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। किस तरह हम बाढ़ से बचेंगे, किस तरह जनता को राहत मिलेगी? यह आपके जरिये मैं कहना चाह रही हूं।

माननीय सभापति महोदया, जिला अलवर हैड क्वार्टर है। ग्यारहें एम.एल.ए. वहां के बनते हैं। भरतपुर, आगरा, जयपुर और दिल्ली के नजदीक है। मगर ऐसी समस्या के समय एक भी उच्च अधिकारी वहां नहीं मिलते हैं जिला हैड क्वार्टर होने के बाद भी।

सभापति महोदया, बाढ़ में खेती की, पशु की और मकान की जितनी हानि हुई है इसके अलावा और भी हानि हुई है। पटवारी, तहसीलदार और अधिकारी जन-प्रतिनिधियों को लेकर जावें। उनके जरिये वहां का सर्वे करवाकर वहां पर जो नुकसान हुआ है उसके लिये राहत जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अलवर एक हैड क्वार्टर होने के बाद भी सिंचाई अधिकारी को सूचना मिलने के बाद भी वहं काम के लिये मना कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। मेरे पास यह लिखित में वहां के अधिकारी के पत्र की फोटो स्टेट है और यह मैं मंत्रीजी को दे चुकी हूं मगर कोई जवाब नहीं। 25 तारीख से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। यह आप देख सकते हैं मेरे पास। वहां के जे.ईएन. ने कैसे मना कर दिया काम करने को कि मैं काम नहीं करूंगा। इस बात की भी जांच करायी जाए। हमारी सरकार में आज अधिकारी लोग काम के लिये मना कर दें तो हमारे लिये भी धिक्कार है एम. एल.ए. बनना और मंत्री बनना। क्यों हमारे अधिकारी मना कर रहे हैं? इस बात की भी आप जांच करवायें।

एक आखिरी बात और कहूंगी बिजली डिपार्टमेंट के बारे में कि ढीले तार हैं और ट्रांसफार्मर काफी नीचे लटके हुए हैं। उससे भी काफी नुकसान होता है। पानी आ जाये, बाढ़ आ जाये तो करंट आ जाता है। करंट आ जाये तो बिजली काट देते हैं जिससे भी ज्यादा नुकसान होता है। करंट लगने से पशु मर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मरों को ऊंचे रखने की व्यवस्था करवायें।

मेडिकल डिपार्टमेंट से डाक्टर नहीं पहुंचते हैं। वह भी व्यवस्था करायें कि वहां डाक्टर पहुंचे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरेन्द्रजी मिर्धा।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : आपने लैटर देवड़ा जी को सिंचाई मंत्री समझकर दे दिया। सिंचाई मंत्री मैं हूं, लैटर मुझे देओ। (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) : सभापति महोदया, 21-22 जून को नागौर जिले में भारी बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर शुरू से

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

ही ऐसा बना हुआ है कि बाढ़ की हालत में सुचारू रूप से उसमें समा नहीं सका। बाद में नतीजा यह हुआ कई लोग मर गये, पशुधन नष्ट हो गया, कई मकान गिर गये और हजारों लोग घर से बेघर हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : और चारों तरफ, खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट – शिड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटीज के इलाकों में पानी भर गया और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोगों ने दरगाहों में शरण ली, कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये, कई लोग स्कूलों में चले गये, आपस में एक-दूसरे के घर पर जाकर शरण ली, मगर राज्य सरकार की तरफ से कोई उचित उपाय नहीं हो सके। न बिजली थी, न पीने का पानी, न केरोसीन की व्यवस्था थी। बिजली नहीं होने से जितनी भी चक्कियां थीं, वह सब बन्द हो गयी और पूरी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हो गयीं। 24 तारीख को माननीय उप मुख्य मंत्री जी नागौर पधारे थे और उसी दिन शाम को हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसमें समस्त डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी भी उपस्थित थे। उस मीटिंग में बड़े विस्तार से चर्चा हुई और यह राय की गयी कि स्थिति पर अब कैसे काबू पाया जाए। दुःख की बात यह है कि इस मीटिंग के शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के नागौर की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्री जीवनसिंह भाटी ने यह कहा कि हमने नागौर शहर से सारा पानी बाहर निकाल दिया है। इस पर हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति की तब भामड़ा जी ने भी यह कहा कि आप मीटिंग छोड़कर बाहर चले जाइये। इस मीटिंग में बैठने की आपकी आवश्यकता नहीं है। सब लोगों से राय लेने के बाद में हम लोगों ने उस कमेटी में कुछ राय दी। उस वक्त श्री भामड़ा जी ने और कलक्टर ने उस राय को मानने का हमको आश्वासन दिया। सबसे पहले तो हमने उनसे यह मांग की थी कि आटे की चक्कियां, जो बन्द हैं और जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर आप जनरेटर लगाकर उन आटे की चक्कियों को चालू करवायें और केरोसीन की भी व्यवस्था करवायें। खास तौर से पम्प सैट मंगाने की व्यवस्था करायें ताकि जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है उस पानी को उस इलाके से बाहर निकाला जा सके। पी.एच.ई.डी. के पास 100–100 हार्स पावर के तीन-चार पम्प मौजूद थे, स्टोर में भी वहां उनके पास पम्प मौजूद थे और उन्होंने हां तो जरूर भरी लेकिन बाद में पम्प देने से इन्कार कर दिया। कलक्टर ने यह आश्वासन दिया था कि राजस्थान कैनाल से हम लोग पम्प मंगाकर पानी को बाहर प्रमोट कर देंगे। उस मीटिंग के बाद दो दिन तक न तो कोई पम्प पहुंचा न कोई कम्पाउण्डर मोहल्लों में जाकर बात कर सका, न ही पीने के पानी की व्यवस्था हुई और न ही बिजली की व्यवस्था हुई। आज भी स्थिति वहीं की वहीं है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में अगर सुचारू ढंग से उन्होंने काम नहीं किया तो नागौर जिले के अन्दर भूखमरी,

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

बीमारी और आपस में बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। 24 तारीख को कुछ कार्यकर्ता कलक्टर से बात करने गये थे। उनकी बात सुनना तो दूर रहा, सभापति महोदया, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनको तितर-बितर कर दिया।

एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को हमेशा कहते हैं और सदन में आह्वान करते हैं कि जहां पर राजस्थान के हितों का सवाल हो वहां सारे मतभेद भुला कर, राजनीतिक मतभेद भुलाकर राजस्थान के लिये और राजस्थान के हितों के लिये हम एक रहें। आज भी वह विपत्ति है। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से सम्बन्ध रखता हो पर इस बात से तो सहमत हों कि राजस्थान के अन्दर जब ऐसा कोई समय हो, कठिनाई का समय हो, सब एकजुट होकर काम करें। हमारे साथ जो बीती है, सभापति महोदय। वह मैं आपके सामने बता दूं। एक भी कैंम्प नहीं खुला और कहीं भी राज की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं हुई।

नागौर से 40 किलोमीटर दूर खींवसर एक कस्बा है। सभापति महोदया, वह पानी से बिलकुल घिर गया था। हम लोग जब वहां पर पहुंचे तब पानी का लेवल काफी हद तक नीचे आ गया था पर वहां न कोई पीने के पानी की व्यवस्था थी, न कोई टैंकर पहुंचे थे, न कोई अनाज वहां पहुंचा और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा कस्बा बिलकुल बदबू मार रहा था, कादा भरा हुआ था और जितना भी अनाज था सड़कों पर पड़ा था और लोगों को वहां रहना मुश्किल हो गया था। यहां तक भी काम नहीं किया कि पीने के पानी की व्यवस्था हो, टैंकर की भी व्यवस्था नहीं कर सके। बार-बार इन बातों को बोलने के बाद, बार-बार इन लोगों से निवेदन करने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंचे कि राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में बिलकुल विफल रही है और उसका टोटल राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से बहुत ही धीमी गति से काम कर रही है। आज हम लोग जब कलक्टर से मिलने जाते हैं या वहां के नागरिक मिलने जाते हैं तब वह एक ही बात कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन से जाकर मिलो और म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के पास जाते हैं तो वह हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। न तो कोई आटा है, न कोई केरोसीन है और न हमारे पास कोई डीजल है। कलक्टर से यह कहते हैं कि हमको जीप की व्यवस्था कीजिये ताकि हम लोगों के बीच जा सकें, गांवों के बीच जा सकें, वह भी उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम हमारी खुद की व्यवस्था करके जाना चाहें तो उनके पास आटा और दूसरे कुछ राशन लेना चाहें, वह भी उनके पास नहीं है।

सभापति महोदया, हम लोगों को और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशासन का न तो कोई सहयोग मिला और बार-बार कहने के बावजूद भी बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को गाड़ियों से लेकर हेलीकाप्टरों तक, तथा हेलीकाप्टर से लेकर पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने से चल रहा है और आज स्थिति बहुत नाजुक है। बरसात कल रात को फिर हुई है तथा बरसात अगर

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

और आ गयी तो मैं समझता हूं कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सबको साथ लेकर काम करें ताकि बाढ़ के मसले पर सब एकजुट होकर काम करें, लोगों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपीचन्द गुर्जर।

श्री गोपीचन्द जी कृपया एक मिनट आप विराजें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्य ने अभी.. (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डावा) : सभापति महोदया, मैं अभी आया हूं एक बजे। मेरा नाम है नहीं, मुझे बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सभी बोलेंगे हम नागौर वाले। हम तो बोले ही नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर हम जबरदस्ती बोलेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नागौर के बारे में अभी माननीय सदस्य मिर्धाजी ने जो बातें कहीं हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं वहां मौजूद थे और इनके सामने सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थीं, जिस पम्प की बात कह रहे हैं कि अभी तक पम्प नहीं है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मंत्री महोदय, कितने पम्प चल रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये, आप बोल चुके। अब आप मेरी बात सुन लीजिये। आज वहां पर....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितनी तारीख से चल रहे हैं ? मैं 19 तारीख से वहीं हूं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आपने आदेश फरमा दिये थे मंत्री महोदय पर आपके आदेशों की पालना नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : माननीय श्री भाभड़ा जी, मैं कल 6.30 बजे करणु गांव के अन्दर गया और तहसीलदार ....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको करणु की भी बता रहा हूं, आप बैठिये।

श्री रामनारायण डूडी : पांच बजे करणु से....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, हां। करणु की ही बता रहा हूं, आप बैठिये। मैं 23 तारीख को....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें। आप सुन लीजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें कहीं हैं, असत्य कहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : सुनें क्या, इनका आदेश कोई मानता ही नहीं है।

श्री सभापति : एक बार आप सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वहां पर मिट्टी का तेल, वहां पर खाने की व्यवस्था तीन हजार आदमियों की, की। आज नागौर में

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

चेनार के जिस पानी के पम्प की बात कर रहे हैं, एक बूंद पानी वहां नहीं है। सारा पानी निकल चुका है। राउसर का पानी निकल चुका है। केवल करणु के अन्दर.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके कहने से ऐसा थोड़े ही होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक बार बिराजें। सुनिये तो सही, आपको मौका देंगे बोलने का। विराजिये तो सही। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, हम असत्य बात नहीं सुनेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं 23 तारीख को वहां पर पहुंच गया था।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : आप पहुंच गये थे, हमने देखा था, आप वहीं पर थे।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की गरिमा तो रखिये आप। बिराजें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : श्री परसराम जी और मैं दोनों गये। परसरामजी ने मुझे बताया कि मिर्धाजी शाम को आने वाले हैं। मेरे जाने के बाद ये उसी समय आये जिस समय मीटिंग हो रही थी। सारे जन-प्रतिनिधियों को बुलाया था, आम जनता को नहीं बुलाया था। वहां पर कुछ दिन पहले कलक्टर ने कुछ अनाधिकृत अतिक्रमण भी हटाये थे। ऐसे करीब 200 लोग मिर्धाजी के साथ थे, जो कलक्टर के विरुद्ध नारे लगाते घूम रहे थे। वह कलक्टर के विरुद्ध जितना कहना चाहिये... (व्यवधान) आज उसमें सहायता की जरूरत थी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय सभापति महोदया, यह पूरे राजस्थान में अभियान चला था। क्या केवल नागौर में ही चला था ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुझे यह कहते हुए खेद है कि एक भी उसमें स्वयं सेवक ऐसा नहीं था। दूसरे दिन वहां पर पानी निकालने के लिये एक नाला खोलने की बात थी। वहां 200 आदमी खड़े थे। हमने वहां 70 आदमी लगाये। मैंने कहा कि आप भी हाथ लगाइये तो घंटे भर में यह नाला खुद जाएगा। वह नारे लगाते रहे। उन्होंने कोई नाला खोदने में सहायता नहीं की। वह नाला खोद दिया गया। उसमें से पानी निकल गया। आज वहां पर पानी नहीं है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नाला तो ...(व्यवधान) उन्होंने खुद ने तोड़ा था।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब केवल नागौर में और करणु में भी जहां पर लोग बाहर बैठे हुए हैं, 1500 लोग बैठे हुए हैं, वहां पर नियमित रूप से राशन पहुंच रहा है, मिट्टी का तेल पहुंच रहा है.... (व्यवधान) और रात तक सब मुहैया करा दिये जाएंगे। अब आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि करणु चारों तरफ से कटा हुआ था। वहां पर बंशीलालजी एडवोकेट जिनका गांव वहां पास में पड़ता है....(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : वह कलक्ट्री के बाहर ही नहीं निकले एक दिन भी.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : उन्होंने कांट्रेक्ट किया ।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : बंशीलाल आपको गुमराह करते रहे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नागौर प्रोपर में 100 प्रतिशत बिजली रेस्टोर हो चुकी हैं । वहां पर....(व्यवधान) नागौर में तीन हजार आदमियों को नियमित खाना दिया जा रहा है उसमें माहेश्वरी सभा, अग्रवाल सभा, लायन्स क्लब और आर.एस.एस. के लोग रात और दिन लगे हुए हैं । लेकिन मिर्धाजी को जब तक मैं वहां रहा, मेरे सामने उन लोगों को लेकर भी आये । मैंने इनसे कहा कि ये वही लोग हैं जो अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है । इन्होंने कहा कि कुछ नहीं बोलेंगे । मेरी बात से वह सन्तुष्ट हुए । हमने यहां से पम्प मंगाये । 24 तारीख को शाम को पांच बजे वहां से पम्प रवाना हुए । (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : आप बिराजिये । आप की बारी आएगी तब बोलें । सदन की गरिमा तो रखिये । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मुझे आश्चर्य है इस बात का कि सरकार वहां काम कर रही थी और मिर्धाजी वहां राजनीति कर रहे थे । मैंने वहां कहा लोगों को, सरकार लगी हुई है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधायकों की अनसुनी करने से सदन की गरिमा बढ़ती नहीं है माननीय सभापति महोदया । विधायकों की गरिमा भी....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सभापति महोदया, उप मुख्य मंत्री महोदय को यह शोभा नहीं देता कि वह यह कहें कि श्री नाथूरामजी राजनीति कर रहे थे ।

श्री सभापति : श्री गोपीचन्दजी गुर्जर ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नाथूरामजी के लिये नहीं कह रहा हूं, हरेन्द्रजी मिर्धा के लिये कह रहा हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये ।

एक माननीय सदस्य : बिलकुल असत्य बयान हैं माननीय सभापति महोदया । (व्यवधान)

श्री सभापति : आपक मौका आएगा । जब समस्या ही नहीं होगी तो क्या लायेंगे ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले रूपारेल नदी की बाढ़ का श्रीगणेश मेरे विधान सभा क्षेत्र से होता है । बाढ़ का सबसे पहले आक्रमण नगर विधान सभा क्षेत्र पर हुआ । 23 और 24 तारीख को मूसलाधार वर्षा के बाद नगर कस्बे के अन्दर चार-चार, पांच-पांच फीट पानी अन्दर घुस गया । भरतपुर के प्रशासन को जानकारी दी । माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी फोन करके मैंने 24 तारीख को बताया कि इस तरीके से नगर में और भरतपुर में बाढ़ का आक्रमण हो चुका है । माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरन्त कमिश्नर साहब को भेजा और भरतपुर के जिला प्रशासन को निर्देश

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

दिया, जयपुर से भी अधिकारियों को भेजा। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य की बात यह है कि 1995 में भी बाढ़ आयी थी और 1996 में भी बाढ़ आयी, भरतपुर जिले के सिंचाई विभाग का एक भी अधिकारी आज दिनांक तक भी एक्टिव नहीं हो पाया, एक भी मिट्टी का कट्टा भर कर नह नहीं रख पाये। इतना भारी पैसा राज्य सरकार ने दिया। उन सबके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मरम्मत करनी चाहिये। केवल बांधों को ऊपर से छीला कल्टीवेटरों से। उस मिट्टी को ऊपर नीचे करके पैसे को एम.बी. के अन्दर दर्ज करके एडजस्ट किया, फर्जी बिल उठा कर पैसा उठाया। लेकिन उन लोगों ने असली काम नहीं किया। जहां-जहां पर ब्रीच थे, गीली मिट्टी करके उन ब्रीचों को रोकना चाहिए था,

(16.31)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

खेतों की सूखी मिट्टी को उन ब्रीचों में भरा गया इसलिये जरा सा पानी आने पर वह टूट गये। सीकरी सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, 15-20 नहरें उसमें से निकलती हैं। यदि सीकरी सिस्टम की सभी नहरों की मरम्मत कर दी गयी होती, खुदाई कर दी गयी होती और ठीक तरीके से जहां पहले टूटा था वहां पर पुल बना दिया गया होता तो शायद इस तरह का पानी नहीं आता, इस तरह की बाढ़ नहीं आती। इसी तरह से कस्बा नगर के चारों तरफ डेहरी कैनाल है और सपेरा नहर है। चारों तरफ गोल होकर कस्बा नगर की तरफ जाती है, पूरी नहर भर कर एक नाली का रूप ले रही है। इतनी बाढ़ आयी, पिछले साल भी इसके ऊपर चर्चा की गयी लेकिन एक किलो मिट्टी न उस डेहरी कैनाल में से उठायी गयी, न उस सहपन नहर में से उठायी गयी और जहां मिट्टी का भराव हो गया था, जहां-जहां पर,. यानि कि पानी के निकास पर अतिक्रमण हो गया था, एक भी व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता महसूस नहीं की।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भरतपुर जिले में सिंचाई विभाग में जो आदमी काम कर रहे हैं उनसे निकम्मा राजस्थान के अन्दर एक भी कर्मचारी नहीं होगा। इसलिये मैं इस बात की मांग करता हूं कि भरतपुर जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आंख मींचकर बिना सोचे-समझे आज ही निलम्बित कर देना चाहिये जिससे उनको होश आये, इस बात का आज इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है भरतपुर जिले को तो वह सिंचाई विभाग के कारण हुआ है। भरतपुर का जो नहरी सिस्टम है, सिंचाई सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है, हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं, दुनिया के अन्दर कहीं पर भी नहीं है कि बांध टू बांध, बांध टू बांध किस तरीके से पानी को निकाला जाता है। लेकिन भरतपुर के सिस्टम को बिलकुल डेमेज करके पटक दिया। न मोती झील की मरम्मत की गयी, न भरतपुर की जो जगीना आउट ले कैनाल है उसको खोला गया, न सिटी फ्लड कंट्रोल ड्रेन को साफ किया गया। यह सारी व्यवस्थाएं यदि पहले से कर ली होतीं तो बाढ़ तो आती, प्राकृतिक आक्रमण था, नुकसान भी होता लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। जब 24 तारीख को नगर में बाढ़ आने का मैसेज मिल गया था तो सिंचाई विभाग के लोगों को जो चिकसान

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

के बांध की मोरियों को खोलने की बात थी, यदि यह 26 और 27 में खोल दी गयी होती तो आज भरतपुर के अन्दर जो अरबों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, वह नहीं होता। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान तो एक-एक विधान सभा क्षेत्र में हो गया। आज भी नगर के अन्दर कम से कम पचास-साठ गांव पानी के अन्दर डूबे हुए है, सत्तर-अस्सी गांव कामां के अन्दर पानी में डूबे हुए हैं, कुम्हेर के अन्दर डूबे हुए हैं। भरतपुर की हालत तो देखते नहीं बनती। भरतपुर में इण्डिस्ट्रयल एरिया है ही नहीं। तेल की कुछ मिलें हैं। सारी तेल की मिलें आज की तारीख में पानी के अन्दर डूबी हुई हैं। इतनी बदबू उनमें से आ रही है, जिस दिन खाली होगी, कितनी महामारी फैलेगी, कितना बुरा हाल बनेगा भरतपुर का, कल्पना नहीं की जा सकती।

भरतपुर के अस्पताल के अन्दर पानी भर गया। एक करोड़ रुपये की दवाइयां अस्पताल के अन्दर गल गयीं। मरीज उसमें से भाग–भाग कर चारपाइयों से शहर में गये। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दुबारा से भरतपुर के अन्दर जो बाहर बना हुआ हास्पिटल है उसमें हास्पिटल को शिफ्ट नहीं किया जाए अन्दर वाले हास्पिटल के अन्दर ही अपनी लागत लगाकर हास्पिटल को चलाया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा, वह ज्यादा लाभदायक रहेगा। यदि वह पैसा वहाँ लगाया गया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। करोड़ों रुपयों का नुकसान स्वास्थ्य विभाग का नहीं होता।

जहां तक सरकार के काम करने की बात है इतना जरूर कहना पड़ेगा कि सरकार ने पैसा देने में अपनी सक्रियता दिखाने में कहीं कोताही नहीं बरती। यह जरूर हमारा दुर्भाग्य है कि भरतपुर का जिला प्रशासन, भरतपुर की मशीनरी को पता नहीं कौनसा सांप सूंघ गया, उसकी स्थिति जरूर मरणासन्न जैसी है। वह डंडा देने के बावजूद भी काम करने की स्थिति में नहीं है। जब माननीय भंवरलाल जी और सांवरलाल जी पहुंचे हैं उसके बाद कोई योजना बन पायी है, नहीं तो वह ऐसी होज–पोज जैसी स्थिति में हो गये कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं बन पायी। लेकिन सरकार की तरफ से सूचना मिलने के साथ, मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई कोताही बरती गयी हो। मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता की खाद्य समस्या की पूर्ति की जाए, गेहूं पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। उनके लिये दवाइयों की व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए और जो गांव के लोगों के मकान टूट गये हैं उनको हजार–हजार रुपये वितरण करने की व्यवस्था रही है। उससे भ्रष्टाचार पनपता है। तहसील के लोग दो–दो सौ, चार–चार सौ रुपये लेकर उल्टे सीधे नाम लिखें, इसके बजाय तो बिना इन्टरेस्ट के उनको दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह हजार रुपया ऋण पर दिया जाए ताकि वह अपना मकान मजबूती से बनाये और उनको कुछ लाभ भी मिले। बिना इन्टरेस्ट के पैसा उद्योगपतियों को भी दिया जाना चाहिये वरना भरतपुर का उद्योग निश्चित रूप से चौपट हो जाएगा। कम से कम 6-7 करोड़ रुपया भरतपुर के उद्योगपतियों को बिना इन्टरेस्ट के मिलना चाहिये।

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में किसान लोगों के लिये खाने के लिये खाद्य सामग्री के लिये, बीज के लिये, जुताई-बुवाई के लिये एक बार उनकी आवश्यकता के मुताबिक विदाउट इन्टरेस्ट ऋण यदि दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से भरतपुर का किसान खड़ा हो जाएगा। इस बाढ़ के भीषण आक्रमण को बर्दाश्त करने की केपेसिटी उसमें डवलप हो जाएगी। वरना तो इतना नुकसान हुआ है अब की बार भरतपुर के अन्दर कि न किसी के पास खाने को कुछ अनाज बचा है, न भूसा बचा है चाहे कोई लखपति, करोड़पति की स्थिति में हो, चाहे कोई मजदूर की स्थिति में हो; आज की स्थिति में जहां से बाढ़ निकल कर गयी है वह सारे लोग सड़क पर ऐसी गरीबी की स्थिति में आ गये है कि आज से कल के लिये उनके पास कोई व्यवस्था नहीं बच पायी है। मिनि प्रलय जैसी स्थिति भरतपुर जिले के अन्दर हुई है पहली बार। बुजुर्ग लोग भी कह रहे हैं कि ऐसी बाढ़ उन्होंने कभी भी नहीं देखी। इस मिनि प्रलय के टाइम पर निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले के लिये बहुत लम्बी चौड़ी इमदाद करने की आवश्यकता है। कम से कम दो सौ करोड़ रुपये की सहायता आप भरतपुर जिले को दें तो भरतपुर जिला खड़ा हो पाएगा वरना तो भरतपुर जिले में कितने लोग मरे होंगे इसकी कल्पना भी अभी नहीं की जा सकती। जब बाढ़ खतम हो जाएगी उसके बाद पता लग पाएगा कि एक–एक मंजिल पानी, सात-आठ लोग तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मर गये हैं। कामां के अन्दर कितने लोग मरे हैं, गांवों से सम्पर्क ही नहीं बन पा रहा है और भरतपुर के अन्दर भी एक–एक मंजिल तक पानी पहुंच गया है। वहां सिमको के कर्मचारियों की क्या स्थिति रही होगी, रेलवे के कर्मचारियों की क्या स्थिति रही होगी।

बाढ़ के उतरने के बाद यह पता लगेगा कि कितना पशुधन, कितना मानव इसके अन्दर बहा है, कितना नुकसान हुआ है उसको अपन कल्पना नहीं कर सकते। इस समय हम लोगों को इधर उधर की बातों में न पड़कर राजनैतिक सोच से ऊपर उठकर इस भीषण संकट के समय में किस ढंग से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से इस संकट का मुकाबला कर सकते हैं, वह करना चाहिये। दोनों राजनैतिक दलों को गम्भीरता से सोचकर ऐसी योजना बनानी चाहिये और सिंचाई विभाग के माननीय देवीसिंह जी भाटी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कि भरतपुर जिले के सिंचाई विभाग के जे. ईएन. स्तर के लोग तो थोड़े बहुत ठीक हो सकते हैं लेकिन ए.ईएन. से लेकर एस.ई. तक आपके बहुत निकम्मे हैं। उनको वहां से निलम्बित करके बुला लिया जाए। अबकी बार एक–एक पैसा लगाकर इस तरह की निगरानी की व्यवस्था हो, वहां कमेटियां बनें जन प्रतिनिधियों की, क्षेत्रीय लोगों की। वरना यह लोग काम नहीं करते, केवल पैसे को एडजस्ट करते हैं। यहां से पैसा चला जाता है सरकार के खजाने से और सरकार को बदनामी भी भुगतनी पड़ती है। भ्रष्टाचार वह करते हैं, पैसे को एडजस्ट वह करते हैं और गुनाह और गालियां हमको सुननी पड़ती हैं। आपदा जब क्षेत्र की जनता के ऊपर

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

ग्राती है तो ग्राफत तो हमारे ग्रौर सरकार के ऊपर ग्राती है। इसलिये ग्रबकी बार जो पैसा भरतपुर के हिस्से का मिले वह पैसा लगे। इस तरह की निगरानी की व्यवस्था रखी जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें ऐसी स्थिति पहुंच गयी है कि देखने पर ऐसा लगेगा कि यहां गांव था ही नहीं। थोरी भूडा की, भूरिया का नंगला, ग्रालम-शाह पुरकैन, मेवात में पचासों गांव ऐसे हैं जो बिलकुल साफ हो गये हैं। वहां पर ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां पर कोई गांव भी बसा हुग्रा था। ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से यह सुविधा जल्दी से जल्दी मुहैया करायी जाय। इस बाढ़ के तुरन्त बाद निश्चित रूप से बीमारी फैलेगी तो एक शहर का ग्रस्पताल हमारा बिलकुल डेमेज हो चुका है, उसमें डाक्टर बैठने की स्थिति भी नहीं है। दवाइयां भी हम सुरक्षित नहीं रख सकते। इसलिये जो ग्रावश्यक सेवाएं हैं उनकी जो बिल्डिंग टूटी हैं उनको अनिवार्य ग्रौर प्राथमिकता से तुरन्त प्रभाव से ग्रभी की ग्रभी चालू कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम इस भीषण संकट का सामना करने की स्थिति में होंगे। ग्रापने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ए. खान।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रभी नगर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां का जिला प्रशासन मरने की स्थिति में ग्रा गया है; ग्रान-बान नहीं निकली है। तो फिर इसके लिये ग्रान्सरेबल कौन है, किसकी जवाबदेही है ? प्रशासन मान लो निकम्मा है, लापरवाह है, इस सदन के अन्दर ग्रान्सरेबल वह सरकार है। इसलिये सरकार की तो कर दो तारीफ ग्रौर प्रशासन को कह दो निकम्मा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है। वह कह रहे हैं कि प्रशासन ने वहां काम किया है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापकी तो तीन लोक से मथुरा जा रही है। हर ग्रादमी जो उठता है वह पहले ग्रापकी बहुत तारीफ करता है। यहां ग्रलवर से ग्राने वाली माननीय सदस्या ने ग्रापकी खूब तारीफ की ग्रौर तारीफ करने के बाद वहां पर पीछे जाकर कोई सुखी ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप क्यों खड़े हो रहे हो ?

श्री एमादुद्दीन ग्रहमद खां (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रलवर की बाढ़ की स्थिति का पूर्व वक्ताग्रों ने, ग्रलवर के एम. एल. एज. ने काफी विस्तार से जिक्र किया, और रामगढ़ जो मेरे क्षेत्र तिजारा से जुड़ा हुग्रा हिस्सा है उसके बारे में काफी जिक्र हुग्रा। इन इलाकों में पिछले साल 1995 में बहुत भयंकर बाढ़ की स्थिति हुई थी। उसी तरह से इस साल उन्हीं इलाकों में दुबारा बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। पिछले साल वहां रिलीफ का काम जरूर हुआ ग्रौर वहां एड भी पहुंचायी

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

गयी। मगर जिस तरह पहुंचनी चाहिये थी, जिस तरह के लोंग टर्म के काम होने चाहिये थे वह नहीं हुए। अगर पिछले साल यह ध्यान दिया जाता कि इन इलाकों में बाढ़ आती है और उसका उसी टाइम पर समाधान हो जाता तो इस साल शायद इतनी भयंकर विषम स्थिति नहीं होती। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि यह देखा जाए कि जो भी काम वहां किये जाएं वे लोंग टर्म बेसिस पर लेकर किये जाएं चाहे पैसे ज्यादा खर्च हों। और एक वहां के लोगों का यह सेन्टीमेंट है कि जो एड दी जाती है वह चूंकि एक तो बहुत कम होती है, कम्पनसेशन तो खैर नहीं कहते उसे, वह बहुत लेट पहुंचती है, तो उस एड के बजाय अगर पैसा लोंग टर्म डवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाएं जिससे आयन्दा साल उनको इस बाढ़ में नहीं फंसना पड़े। तो वह प्रोजेक्ट्स लाये जाए। यह मेरा एक सुझाव है। अभी हाल की बाढ़ में अलवर जिले की पंचायत समिति कोटकासिम की ग्राम पंचायत बीलाहेडी के गांव बीलाहेडी, जखोपुर गुजरीबास, आलमपुर, ग्राम पंचायत उजोली के ग्राम देवसीका, हाजना का जाटूबास व ग्राम पंचायत बघाना के ग्राम बघाना, कासिमपुर, रानियावास, मेवली, बड़सरा, ग्राम पंचायत धीकाका का ग्राम धीकाका, ग्राम पंचायत कतोपुर के ग्राम शेरपुर, दाई का चौकी, ग्राम पंचायत भौंकर के ग्राम भौंकर में बाढ़ से भारी तबाही हुई, काफी कच्चे पक्के मकान गिरे। इन गांवों में पिछले साल भी बाढ़ की स्थिति से हालत अच्छी नहीं थी। क्षेत्र की फसलें बह गयी। यही हाल पंचायत समिति तिजारा के गांव राबड़का, मीण्डूसी, रामबास, गोठड़ा का रहा। जद्रोली गांव में एक आदमी की मृत्यु हो गयी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कम्पनसेशन दिया जा रहा है वह तुरन्त दिया जाएगा। जहां और जगह दिया जा रहा है वहां भी दिया जाए। किसानों का अनाज, चारा बह गया। काफी नुकसान हुआ। इस सम्पूर्ण नुकसान का कारण साबी नदी के पानी का इन गांवों में प्रवेश है। बीमारी फैल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में तुरन्त राहत कार्य चालू करवाया जाएं, व पीड़ित परिवारों को तुरन्त उचित राहत पहुंचायी जाय। फसलों के नुकसान में मुआवजे के रूप में सहायता दी जाए। सिंचित भूमियों का लगान माफ किया जाए। साथ ही भविष्य में साबी नदी की चपेट से बचाने हेतु कस्बा कोटकासिम की तरह इन प्रभावित गांवों में भी सुरक्षा दीवारें तुरन्त बनवायी जाकर भविष्य में बाढ़ के विनाश से सुरक्षा किये जाने के आदेश आज ही सम्बन्धित अधिकारियों को दिये जावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

घंटे के लिये बढ़ा दिया जाए।....(व्यवधान) कहां बचना चाहते हैं ? दो घंटे बढ़ा दिया जाए।....(व्यवधान) यह चर्चा जब तक चले और उसका उत्तर हो तब तक बढ़ा दिया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्थिति बनी है उसकी सरकार को जानकारी दे रहे हैं और सुझाव भी साथ में दे रहे हैं। अभी तो शुरूआत ही है इस मानसून की। आप कह रहे हैं कि यह मामला हुआ है। मानसून का पूरा मौसम आगे पड़ा हुआ है। इसलिये जो सजेशंस आगे आ रहे हैं आप उनको बहुत शान्ति से सुनिये, क्योंकि इससे सरकार को इफेक्टिव स्टेप लेने में मदद मिलेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिये मैंने निवेदन किया कि यह चर्चा समाप्त हो और उसका उत्तर हो जाए तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना नुकसान हुआ है बाढ़ से, पूरी प्लानिंग हो रही है, प्रधान मंत्री भी आकर गये हैं इसलिये एक दिन और बढ़ा लें, इसमें क्या फर्क पड़ता है। क्यों रात काली कर रहे हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब रात को आप कहां जाओगे ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय चर्चा समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

राज्य में बाढ़ की स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों नागौर अलवर और भरतपुर में बाढ़ आयी, भयंकर बरसात हुई और जो तबाही हुई है उससे हजारों लोग आज आसमान के नीचे पड़े हैं। मैं कल–परसों अलवर के दौरे पर गयी थी। वहां किशनगढ़बास, तिजारा और जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, कोटकासिम में जिस तरह से लोगों की तबाही हुई है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सिचाई विभाग ने जानबूझकर, जो काम करने चाहिये थे वह काम नहीं किये। भमोरी की घाटी में पहले से मालूम था कि वहां इतने बड़े बांध हैं, सात झांई के बांध हैं, जिनको छिनछिन कहते हैं, राई छिनछिन वहां पानी आता है लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार तिजारा के पास जो बहा, वह तो ईश्वर ने मदद की कि हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने से भिण्डूसी, तिजारा की बचत हो गयी और वहां पानी नहीं गया। नहीं तो हजारों लोग और मारे जाते। किशनगढ़बास के तो घरों में, दुकानों में, सब में पानी भर गया और इतनी बुरी हालत हो गयी कि दो दिन तक उनका पानी नहीं निकला। यह सारी तबाही हुई, इसके पीछे सिंचाई विभाग ने, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य कह रहे थे उनको मालूम होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की, तो मैं मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने सिंचाई विभाग से यह पूछा कि जब पिछले साल बाढ़ आयी थी, वही बांध टूटे थे जो इस बार टूटे है तो उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की। मुख्य मंत्रीजी से जब परसों

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

हमने बाढ़ के बारे में कहा था तो कहा कि इस बार बरसात जल्दी आ गयी। मैं मानती हूं कि बरसात जल्दी आ गयी, मानसून पहले आ गया लेकिन क्या 10 दिन के अन्दर ही सारी तैयारी हो जाती? 10 दिन बाद आता तो अभी 24,25 को आ गयी, बाद में 5 तारीख को आ जाती तो 10 दिन में ही सारी तैयारी सिंचाई विभाग करने वाला था क्या? भरतपुर में जो बाढ़ आयी है और जैसा अभी बता रहे थे कि यह भरतपुर अलवर की लड़ाई पिछले 100 वर्षों की है। जब हम भरतपुर से अलवर गये थे, मेरे पिताजी मिनिस्टर बने थे तब, उस वक्त भी यही चर्चा चलती थी यहां पानी भरतपुर का रोक लेते हैं और भरतपुर का अलवर रोक लेते हैं। यह लड़ाई होती थी। इसका मतलब यह है कि यह लड़ाई 100 वर्ष पुरानी है और राजाओं के जमाने की है। वहां से वह पानी जाता है तो क्या सिंचाई विभाग को यह मालूम नहीं है कि पानी वहां से जाता है, रोका जाता है और जब भरतपुर डूबने की हालत में था तो पानी क्यों नहीं रोका गया? यह सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। क्योंकि जिनके घर के लोग चले गये, जो लोग मर गये उन लोगों को खाली 10 हजार रुपये देकर यह नहीं कह सकते कि हमने इनको मुआवजा दे दिया। वह 10 हजार रुपये से क्या उनके आदमी को वापस ले आएंगे और जो सिंचाई विभाग की लापरवाही से लोग मरे हैं तो मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह 10 हजार रुपये बहुत कम हैं। जब दिल्ली के बम ब्लास्ट में एक-एक लाख रुपया मरने वालों को दिया जा रहा है तो राजस्थान में कम से कम 50 हजार रुपये तो दिये जाएं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि 50 हजार रुपये मरने वालों को, जिनको चोटें लगी हैं या जिनके घर बरबाद हुए हैं उनको 10–10 हजार रुपये दिये जाएं। जिनके यहां दुकानों में सब सामान बह गया है उनको भी मुआवजा दिया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, जो मेरे को सुनने को मिला, मैं जब कल दौरे पर गयी थी, वहां के लोग यह कह रहे थे कि तुम्हारे यहां इतना नुकसान हुआ है यह लिखने के लिये भी रुपया पहले मांगते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि तहसीलदार जाकर खुद देखें या बड़े आफिसर्स स्वयं जाकर देखें कि किसका नुकसान हुआ है। जिनकी हालत खराब हुई उनसे पैसे और मांगते हैं। चार औरतें पड़ी थीं, एक मकान पर मैं रूकी, तिजारा और किशनगढ़बास के बीच में। उनके दो-तीन दुकानें थीं छोटी-छोटी, ढाबा जिनको बोलते हैं। एक मकान, कमरा था, बह गया। वह औरतें रो रही थीं कि साहब पटवारी कोई यादव है वह कहता है कि एक हजार रुपये लाओ तो हम तुम्हारे यहां का लिखेंगे कि इतना नुकसान हुआ है। इस तरह के तो हालात हो रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तरह से उनके नुकसान का जायजा लें। किस तरह से उनके नुकसान के बारे में जानकारी करें। दूसरा निवेदन यह है आपसे, मैंने उस दिन भी बोला था, पिछले दो साल से बोल रही हूं, जयपुर और मेरे सांगानेर क्षेत्र में जो बंधे आते हैं, पिछले वर्ष रामचन्द्रपुरा के बंधे में एक

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

आदमी मर गया था। रामचन्द्रपुरा के ग्रामवासियों ने अपने पास से डेढ़ लाख रुपया लगाकर के वह बांध बनाया था। सिंचाई विभाग ने कोई भाग नहीं लिया। सिंचाई मंत्रीजी का मेरे पास पत्र तो बड़ा प्यारा आता है। बड़ी लम्बी चिट्ठी आती है। हमने जांच की, हम गये, हमारे सारे टैक्नीकल एडवाइजर गये और हमने बहुत काम किया। लेकिन जब काम होने का नाम आता है तो कोई काम अब तक नहीं किया गया है। हमारे गूलर के बांध को अगर नहीं बांधा जाता है तो उसके किनारे बसी हुई जो बस्तियां हैं चाहे वह सरस्वती कॉलोनी हो, चाहे वह सुभाष कॉलोनी हो, चाहे जयपुर दरवाजे की कॉलोनी, सब हरिजन कालोनियां हैं, किसी दिन भी बाढ़ से डूब जाएंगी और आपकी सरकार की जिम्मेदार होगी अगर वह आदमी मरेंगे। आज की स्थिति यह है कि अगर नाला पक्का नहीं किया सांगानेर का जिसमें पहले 80 में इतने आदमी मरे हैं, तो वहां के लोग मैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बड़ी सीरियस बात कर रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट का टाइम दें क्योंकि मेरे यहां के क्षेत्र के लोग मर जायेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये आप मुझे पांच मिनट टाइम अधिक देना। बाढ़ के लिये उस दिन मैंने इसलिये कहा था कि इतने जो मरे हैं वह मरे हैं, और तो मत मारिये। जो लोग बचे हैं उनको तो कोई संभाल लें। मैं आपको बता रही हूं कि गूलर के बांध के जो किनारे-किनारे, सांगानेर गांव के किनारे-किनारे जो मोहल्ले बसे हुए हैं उनको अगर शीघ्राति-शीघ्र पक्का नहीं कराया गया तो वहां के लोग किसी दिन भी बह जाएंगे।

एक दिन रात को बारह बजे मेरे पास फोन आया कि वहां की मिट्टी बह गयी। मैं उसी समय वहां गयी और वहां से फायर ब्रिगेड बुलायी, मिट्टी डलवायी। तब जाकर के वहां के लोग बचे। नहीं तो उसी दिन रात को वह कालोनी बह जाती। वहां ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी आपका सिंचाई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

गूलर बंधे का पानी जाता है नेवटे के बंधे में, नेवटे के बंधे का पानी चिरोटा के बंधे में, चिरोटा के बंधे का पानी जाता है छितरोली के बंधे में, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रामचन्द्रपुरा के बन्धे का पानी चंदलाई में। मैं हर बार क्वेश्चन भी पूछती हूं, हर बार ध्यानाकर्षण भी करती हूं मगर उसके बावजूद भी अब तक एक भी काम शुरू नहीं किये गये। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप बाढ़ से लोगों की जान और माल का जरा भी ध्यान रखना चाहते हैं संवेदनशील हैं तो तुरन्त इन सब बंधों के बारे में ध्यान दें और उनका काम करायें। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में दो दिन में ही बरसात ने 100 वर्ष की बरसात का रिकार्ड

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

कायम किया। कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके बाढ़ आयी है क्या ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, मैं नागौर का हूं। बाढ़ नागौर में नहीं मेड़ता में भी आयी है। सड़कें टूटी हैं। जून माह में सिर्फ 600 मिलीमीटर बरसात और औसतन एक माह में सिर्फ 37 मिलीमीटर की औसत है। उस औसत के मुकाबले में 600 मिलीमीटर बरसात। इसी तरह से वार्षिक औसत से भी यह 600 मिलीमीटर बरसात है, यह भी बहुत ज्यादा है। न कोई भविष्यवाणी थी, न कोई उम्मीद थी कि बरसात आएगी। 22 तारीख की...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अप्रत्याशित जैसा कह रहे हैं आयी, अनफोरसीन थी लेकिन यह जो बात कह रहे हैं कि फोरकास्ट नहीं थी...

श्री भंवरसिंह डांगावास : क्या कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : फोरकास्ट नहीं थी तो यह सत्यता से बहुत परे है। अगर आप लगातार टी. वी. देखते रहते; ज्यों ज्यों अरेबियन सी के अन्दर साइक्लोन का डिप्रेशन बढ़ रहा था, चार दिन तक जब तक कि गुजरात में आया है; वह आगे बढ़ रहा था, बराबर फोरकास्ट की जा रही थी। और यह अमेरिकन सरकार नाम की कोई चीज है उसके आफिसर्स जो रात दिन टी. वी. देखते रहते हैं, मैं देख रहा था, उस रात को सैटेलाइट से और मैं देखकर बता सकता हूं कि कल बरसात कहां होगी। एक दफे नहीं, मैं सिर्फ बादलों से कर रहा हूं। कि वहां बरसात होने वाली है और जो ईस्ट में बरसात थी वह फोरकास्ट गलत थी। मैंने डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलोजी से कहा कि यह जो फोरकास्ट हमने जो दी है यह बरसात वेस्टर्न और साउथ राजस्थान में होगी और बादल आज जो हैं वह जयपुर के ऊपर ईस्टर्न और आगे सीकर, झुंझुनूं और हनुमानगढ़ तक है। तो यह कैसे कह रहे हो। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। मीटिओरोलोजी डिपार्टमेंट ने कहा है मैं वही सूचना देता हूं। लेकिन यह बात बराबर मीटिओरोलाजी कल डिपार्टमेंट इस साइक्लोन की और जो बंगाल की पहले फोरकास्ट करता रहा और बाद में अरेबियन-सी की बराबर फोरकास्ट करता रहा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह मानकर चलते हैं कि जैसा उनका ज्ञान है वैसा हरेक व्यक्ति का है। लेकिन इतना मैं बता दूं आपने अनुमान लगाया होगा; अरब सागर का साइक्लोन आपने उठता हुआ देखा होगा, गुजरात के पास देखा होगा लेकिन वह टी वी. जो आप देखते हैं मैं भी देखता हूं और मैं यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि नागौर में 21 और 22 की रात की इतनी बरसात हो जाएगी। उसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। 22 तारीख को सतर्कता समिति की मीटिंग नागौर में होनी थी और मैं मेड़ता से चलकर जब बूंटाटी पहुंचा तो बूंटाटी में रास्ते बन्द थे।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

बसें जाना बन्द हो गयी थीं। ऐसी बातें इतने वरिष्ठ सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता किसी को असत्य बता कर बात करें, इसका मुझे खेद है। खैर....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : फोरकास्ट की बात कर रहा हूं या तो आपने देखा नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूं वह बिलकुल ट्रू है। फोरकास्ट बराबर हो रहा था।

श्री भंवरसिंह डांगावास : जहां तक राजस्थान सरकार के द्वारा तत्परता से कार्य करने की बात है....(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : वर्षा तो फ्राइडे को ही चालू हो गयी, आप तो सटर डे को गये थे नागौर।

श्री परसराम मदेरणा : बराबर कह रहे थे कि अब आपका साइक्लोन जो है वेस्टर्न राजस्थान में आ गया है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को क्या यह अधिकार है बीच में बोलें ?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये ना।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं बात क्या कहूं, जब कहने दें तब कहूं। खैर, जहां तक सरकार का तत्परता से काम करने का प्रश्न है। राजस्थान के उप मुख्य मंत्री ने शीघ्रातिशीघ्र नागौर में जाकर समस्या को हल करने के लिये सर्किट हाउस में कैम्प कर दिया। सारे अधिकारियों को और जन-प्रतिनिधियों को जितने भी आ सकते थे उनको बुला लिया और चेष्टा की जा सकती थी वह चेष्टा की। उसको विफलता का नाम देकर और राजनीतिक रंग देकर कोई माननीय सदस्य ऐसी बात करे कि ऐसा नहीं हुआ, वह मानने योग्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। बिराजें आप।....(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप अवश्य बोलें।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।....(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य की मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूं। एक बात इनसे निवेदन कर दूं कि अगर प्रशासन ने वहां राहत कार्य किया हो और प्रशासन उसमें सफल रहा हो तो आप अपने ईमान से कह दें या आप मेरे सर पर अपना हाथ रखकर कह दें कि प्रशासन सफल रहा। यह बात कहो यहां हाउस में।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस की गरिमा को देखते हुये, माननीय सदस्य, कृपया आप बिराज जाएं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : आपको क्यों एतराज हो रहा है।.... (व्यवधान) नहीं कोई बात नहीं, यह हमारे गणमान्य सदस्य हैं और यह अपनी भावना रखते हैं। मंत्री बनने की या न बनने की बात तो

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

इधर की है, आपकी नहीं है। आप तो जिन्दगी भर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि न तो आपका राज आना और न बनना।

श्री परसराम मदेरणा : आने वाला है। राजस्थान में तो आएगा।

(17.00)

श्री भंवरसिंह डांगावास : जहां तक मेरा वश पड़ेगा, मेरी कामना रहेगी नहीं आने दूंगा फिर भगवान जाने।

मैं नागौर जिले की बाढ़ की कुछ स्थिति बताना चाहता हूं। जिस तरह से पुरानी कहावत है बादल फट जाते हैं उस तरह से नागौर के आसपास बरसात हुई, मेड़ता में उसके मुकाबले नगण्य बरसात हुई है। लेकिन जितने भी पुराने बांध, यहां तक कि वर्षों पहले बने हुए बांध हरसोर ने भी जवाब दे दिया तो यह कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के किसी न किसी अधिकारी की त्रुटी रही है। मैं यह मानता हूं कि नागौर में विलम्ब से पम्प पहुंचे, आवागमन के साधन रुके, सड़कें टूटीं यह विलम्ब हुआ लकिन उस विलम्ब....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सब कुछ तो हो गया बाकी क्या रह गया ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मानव शक्ति के बाहर अगर विलम्ब हुआ है तो आपको सहन करना पड़ेगा। मैं दो-तीन बांधों का उदाहरण दूंगा। मालपुरा में टोरडी सागर और चान्दसेन दोनों के काजवे बने हुए हैं। अतिवृष्टि हुई थी, जब शिवचरणजी माथुर ने मुख्य मंत्री का चार्ज लिया था दूसरे दिन बाढ़ आयी थी और उस समय मैं वहां पर राज्य सेवा में था। उस काजवे से पानी निकलने के कारण आज तक उन बांधों में कोई हानि नहीं हुई। आज छोटे-छोटे बांध निर्मित किये जा रहे हैं, काजवे बनता नहीं है और इसके कारण से बूंटाटी तालाब में पानी पहुंचा, उसके पीछे के रूण के तालाब में दरार आयी और वहां से पानी आया, उस पानी ने आकर बूंटाटी तालाब को तोड़ा, उसके बाद आगे बांधों से बांध टूटते गये और पानी का बहाव होता गया। इस पर विचार करना है, हम कोई बांध बनायें तो विनाशकारी रूप न ले ले, भलाई के बजाय नुकसान नहीं कर दें, पहले यह सोचने की आवश्यकता है। नागौर जिले में अगर नागौर के अलावा कहीं पानी आया है, गत वर्ष मेरे यहां पादूका तालाब टूटा, मेड़ता के पास दो किलोमीटर सड़क बिलकुल बह गयी। इस वर्ष भी अगर देखा जाय तो सड़कों की सबसे ज्यादा हानि नागौर जिले में हुई है। सड़कों में 6–6 फीट खड्डे पड़ गये। यह कोई न कोई योजना ऐसी रही कि त्रुटिपूर्ण बांध बने।

अकाल राहत के कार्यों के अन्दर तालाब की पालों के ऊपर पानी चढ़ आया और उनकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं। यह सोचनीय विषय है, इस प्रशासन को यह सोचना चाहिये कि आयन्दा ऐसी चीज नहीं हो। मैं कम से कम यह बता सकता हूं कि काजवे

(श्री भंवरसिंह डागांवास)

अगर बन जाएगा तो शायद इन बांधों का पानी काजवे से निकल जाता और बांध नहीं टूटते।

मैं बाढ़ के जिले से आया हूं इसमें कोई शक नहीं है। बाढ़ कुछ हिस्से में, शहरों में आयी है परन्तु राहत कार्य भी 31/7 तक चालू रखने की आवश्यकता है। कई जगह अतिवृष्टि से और कई जगह सूखा भी है, कई जगह तालाबों में पूरा पानी भी नहीं आया है। तो अभी तक न तो हम काश्त कर सकते हैं, न हमारे पास कोई मजदूरी है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी देने के लिये फेमिन वर्क्स 31/7 तक बढ़ाने चाहिये। मैं राहत कार्यों में जो तुरन्त कार्य किया गया है उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाते हुए यह प्रार्थना करूंगा कि जन-मानस, पशुधन, खेतों की मिट्टी बह जाने से हानि, खेतों के ऊपर बालू मिट्टी आने से हानि की स्थिति में पूरी राहत किसानों को और जन-मानस को दी जाए ताकि उनको राहत मिल सके।

गत रात 11 से 12 बजे तक नागौर, मेडता और अन्य शहरों में वर्षा हुई है। मेरी प्रार्थना है सरकार से कि चेतावनी मान कर भी पहले जैसी स्थिति पुनः न बन जाए इसके लिये प्रशासन को सतर्क रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन।

श्री तैयब हुसैन (कामां) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आज बहुत गम्भीर मसले के ऊपर यह सदन विचार कर रहा है। बाढ़ और फ्लड जितना आया है और राजस्थान में नागौर, जोधपुर, पाली भरतपुर और अलवर में जितना नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि इतना नुकसान होना और उसका कोई इन्तजाम न होना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो पिछले साल जब 1995में बाढ़ आयी थी तो एक बात यह कही जाती थी कि 1979 के बाद बाढ़ नहीं आयी इसलिये कुछ फ्लड का कंसेप्ट ही बदल गया और अचानक लोग एकदम गिरफ्त में आ गये। इस तरह की बात पिछले साल कही गयी थी और पिछले साल के बाद जब भी बाढ़ की बात आयी तो इसके ऊपर लगातार बात चलती रही। अब समझ में नहीं आता कि इस साल क्या बहाना लिया जायेगा। इस दफा पूरी तरह से तैयारी क्यों नहीं थी और किस तरह से क्या-क्या कदम उठाये गये। माननीय हरिसिंहजी (कुम्हेर) के एक जवाब में उन्होंने बताया कि 104 बंध हैं जिनकी मरम्मत नहीं हुई। इस तरह से और सारे मामलात हैं। तो आज देखना यह है कि कितना इस तरह से काम हुआ, अलवर के कितने बंध और भरतपुर के कितने बंध पूरे हुए, दोनों जिलों के कितने बंध हैं। और जो भी बंध हैं उन पर क्या खर्च हुआ? जब कोई साहब जवाब देंगे तो मंत्री महोदय मैं समझता हूं इस पर रोशनी डालेंगे कि भी बंध क्या-क्या रकम सैंक्शन की गयी, कितना उस पर खर्चा हुआ और कितना उस पर इम्प्लीमेंट हुआ, कितना उस पर अमल किया गया, यह मेहरबानी करके बंध वाइज या प्रोजेक्ट-वाइज बताने की तकलीफ करेंगे ताकि लोगों को यह पता चल सके कि कितना पैसा खर्च हुआ था और कितना उस पर खर्च हुआ या नहीं हुआ।

(श्री तैयब हुसैन)

मैं यह समझता हूं कि चाहे सड़कों का मामला हो और चाहे बंध का मामला हो, इतना नुकसान होने के बाद कोई उनकी मरम्मत की तरफ, मैं तो समझता हूं कि मरम्मत तो दरकिनार रही किसी ने जाकर भी नहीं देखा कि उसकी असल हालत क्या है। इसी वजह से रूपारेल जहां से चलती है वहां से लेकर और भरतपुर तक कितने बंध हैं और कामां पहाड़ी तक भी कितने बंध हैं। अगर वे बंध सही हो जाते तो आज इतना पानी पहुंचने की या इस तरह की बात नहीं होती और दोनों जिलों में तबाही हुई है उससे बच जाते। मेरा तो यह कहना है कि इसमें पिछली दफा और जब यह मालूम था कि फ्लड की बात आ सकती है तो उस के लिये क्या उपाय किये गये? कितनी किश्तियां वहां पहुंच गयी? कितने लोगों को ट्रेंड किया गया? यह देखने की बात है। मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य जो चले गये हैं, हमारे नेता महोदय के बारे में कह रहे थे, टी.वी. और अन्य चीजें तो अब चली हैं, यह बात तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लें, सारे बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि जब बम्बई में बारिश हो जाए तो उसके 11–12 दिन बाद हमारे इस एरिया में बारिश आ जाती है। यह वैल नोन फैक्ट है कि 11 जून को बम्बई में बारिश हुई थी, उसमें 11–12 दिन जोड़ लीजिये, गांव के किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिये....

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : उदयपुर और पूरे हाड़ौती डिवीजन में बरसात नहीं हुई है। बम्बई से आती तो बीच में नहीं होती क्या? बम्बई से मानसून आया बीच में तो नहीं आया और आगे जाकर के मानसून बरसात कर गया। वह तो अलग ही सिस्टम बनता है। यह मानसून के पहले की बरसात है। यह मानसून नहीं है।

श्री तैयब हुसैन : मेरा अपना अनुभव है I am not yielding. please take your seat,

श्री कालूलाल गूजर : मानसून होता तो एक जैसा होता, चक्रवात बना और मानसून....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट से जानकारी लेने का प्रश्न है क्योंकि मेरे सामने भी यह प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न यह है कि जिस दिन ईस्टर्न राजस्थान में बारिश हुई है, डेफिनेटली टी वी. पर फोरकास्ट था, that monsoon has come in Delhi. रेगूलर मानसून की बात कह रहा हूं, मानसून आ गया है, आज कुछ मिलीमीटर बरसात दिल्ली में हुई है। यह नक्शा आज अभी राहत मंत्रीजी ने साइक्लोन का सीधा-सीधा आर-पार किया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने 23 तारीख को मोनिंग में चीफ सैक्रेटरी से यह कहा था कि मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट कुछ बात फोरकास्ट कर रहा है लेकिन आज वह रेगूलर मानसून आने की बात कह रहा है इसलिये ईस्टर्न राजस्थान में जिस साइक्लोन की बात कह रहे हैं वह आप ठीक कह रहे हैं। बम्बई

(श्री परसराम मदेरणा)

में बरसात हुई थी, गुजरात में साइक्लोन आगे चल रहा था और इधर वढ़ रहा था लेकिन उसके साथ ही साथ ईस्टर्न-वेस्टर्न बंगाल का मानसून भी बराबर आ रहा था ... (व्यवधान) मिले कि नहीं मिले, आप ज्यादा जानते हो। एक दफा नहीं टकराये, दो-तीन दफा टकराये। 1968 में दोनों ही मानसून डेगाना और मकराना पर टकराये थे और एक रात में 32 इंच वर्षा हुई थी। 1979 में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पर टकराये थे। इसलिये पहली बार टकराये हों, ऐसा नहीं है। हम आपसे टकराना नहीं चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टकराने में गड़बड़ न हो जाए।

श्री परसराम मदेरणा : तैयार हो जाओ टकराने को, हम भी तैयार हैं.... (व्यवधान)... हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, भगोड़े नहीं हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि साइक्लोन भी आया था वेस्ट बंगाल से और मानसून भी आया था। मैं यह नहीं कह रहा कि मानसून नहीं आया। ठीक है आपके हाड़ौती में नही आया था मानसून तो उधर से आ रहा है। मैं समझता हूं कि अभी तक यह टेक्नोक्रेट्स भी बहुत गलतफहमी में है, मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट भी गलतफहमी में है। मैंने बहुत सर्चिंग क्वेश्चन डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलोजिस्ट, मिस्टर कपूर से पूछा था कि यह मानसून भी इसमें सम्मिलित हुआ है या नहीं हुआ है। 23 तारीख को मेरे कहने पर चीफ सैक्रेटरी ने रात को उनको बुलाया। उनके मैंने कहा कि मिस्टर कपूर आप यह बात कह रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, उधर मानसून आ गया है, यह बात भी आप बराबर उसमें देते हुए जा रहे हो कि साइक्लोन आ रहा है। 24 तारीख को मैंने कहा, मोर्निंग में सब अखबारों में आया है, आप अखबार पढ़ लेना, साऊथ और वेस्ट राजस्थान में बरसात होगी। मैंने कहा कि बरसात कहां होगी। बरसात तो इधर होने जा रही है, जयपुर में बरसात होगी, कल शाम को जयपुर में जोरदार बारिश हुई। जयपुर से लेकर इस तरफ बादल है और मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि मानसून आ गया है, दिल्ली में आ गया है। अलवर और भरतपुर तो पास है। मैं समझता हूं कि दोनों ही मानसून इसमें सम्मिलित हुए हैं। यह प्रश्न ऐसा है जिस पर मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और अन्य सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स के अधिकारी जो यहां बैठे हैं, से इस बारे में जानकारी लेकर सदन को इन्फोर्म करना चाहिये कि रियलिटी क्या थी।

श्री तैयब हुसैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह मसला राजनीति से ऊपर उठकर हल करने का है। यह इस मसले का कोई हल नहीं है कि हम एक-दूसरे पर कोई बात कहें और उसके जवाब में दूसरी तरफ से कोई बात कही जाए। तिवाड़ीजी ने कहा कि टकराने की बात हो सकती है लेकिन यह मसला ऐसा नहीं है जिसमें टकराने की जरूरत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जैसे दोनों बादल टकराने पर बरसात होती है.... (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह मामला इस तरह का नहीं है कि उसमें ऐसी बात की जाए। इस मामले को तो हल करने की बात सोचनी चाहिए और जो लेप्सेज हुए हैं, कमियां हुई हैं, किसी से भी हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इक्वायरी करके, कमीशन बैठाकर जुडीशियली इंक्वायरी करके, आयोग बैठा कर, किसी तरह से थी जहां-जहां भी, जो-जो भी जिस काम के जिम्मेदार थे, जिम्मेदारी फिक्स करके उनको तय किया जाए, जितनी किसी की लैप्सेज हैं उसके मुताबिक उनको सजा दी जाए और डेटरेंट पनिशमेंट दिया जाए ताकि आयंदा इस तरह की बात हो तो आगे के लिये ऐहतियात रखें...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बात कही थी....

श्री तैयब हुसैन : Please, please. I am not yielding. मैं यह अर्ज कर रहा था, मिस्टर वी.पी. सिंह....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : एक छोटी सी बात है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात कही, उस पर एक ही बात कहना चाहता हूं 1940 में....(व्यवधान).... खतम हुआ। 50 साल पहले का जो साइकल हैं वह रिपीट हुआ उस वक्त हमारा जन्म नहीं हुआ था। प्रतिपक्ष के नेता बतायें कि 1940 से 1945 तक जो साइकल हुआ वही फिर हो रहा हैं। कृपया बतायें कि क्या यह सही है कि उस समय भी ऐसी की ऐसी ही फ्लड आयी थी, साइक्लोन्स आये थे और ये साइक्लोन्स पचास साल के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे 150 साल पहले का ही पूछ लोगे। मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मैं बता नहीं सकूंगा। दूसरी बात यह है कि इस सदन में जब कोई सीरियस मुद्दा डिस्कशन पर होता है तो आप खड़े होकर के your expression is always confusion, most confirmly.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। 1940–45 में ऐसे की ऐसे ही बरसात हुई थी। पचास साल बाद साइकल फिर रिपीट हो रहा है। इसकी थोड़ी-सी जानकारी मैं दे रहा हूं। क्या यह सही है या नहीं कि यह साइकल रिपीट नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : सार्वजनिक जीवन से रिटायर होने के बाद मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट में जाकर के यह पूछूंगा कि 50 साल में रिपीट होता है या नहीं होता है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ में आपको पहले सार्वजनिक जीवन त्याग कर चलना पड़ेगा। अपन दोनों ही जाकर के इसकी रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद में गिनीज बुक में इसका उल्लेख हो जाएगा। आप इनको बोलने दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आपको कोई चैलेंज थोड़े ही दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कनक्लयूड कीजिये।

श्री तैयब हुसैन : अभी तो मैंने शुरू किया है मोहतरम्। मैं यह अर्ज कर रहा

(श्री तैयब हुसैन)

था कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इसका समाधान हो। मैंने पहले भी अर्ज कि पिछले साल बाढ़ आयी थी, 1979 वाली कहानी कि साहब अब फ्लड आएगी ही नहीं, इस तरह का जो एक रहन बन गया था तो पिछले साल से हम सभी इस बात का जिक्र कर रहे थे। मिसाल के तौर पर पिछले साल जब इस तरह की मीटिंग हुई तो यह सुझाव दिया गया था कि हम जो कामां पहाड़ी का पानी है, रूपारेल का जो इधर से पानी आता है अब जो इसका तरीका बना हुआ है वह है कैंपी ड्रेन से हम गोवर्धन ड्रेन में डालते हैं कामां पहाड़ी ड्रेन से। तो गोवर्धन ड्रेन में डालने से वहां उन्होंने लिमिटेड कर रखा है। कभी 150 क्यूसेक्स लें, कभी 200 क्यूसेक्स लें। तो नतीजा यह है कि यह पानी पिछली साल बहुत अर्से के बाद निकला और चुनाचे कई जगह जमीन रह गयी और फसल नहीं हो सकी। तो मैंने यह कहा था कि इसको एग्जामिन करके इसको सीधा जमुना में डाल दिया जाए महराना होकर तो हमें इस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यू.पी. पानी लेने को तैयार नहीं है गोवर्धन ड्रेन से। तो वह सीधा पानी डाल दें जो कि नेचुरल फ्लो है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि पानी लिफ्ट करना पड़े। नेचुरल फ्लो है। उसके ऊपर में समझता हूं कि कोई तवज्जोह नहीं हुई। हमने कह दिया कि इनकी मरम्मत करा लीजिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि और तो दरकिनार जो कामां पहाड़ी ड्रेन के अन्दर कीकर खड़ी हुई है, दखनी कीकर वगैरह है और जो झाड़ खड़े हुए हैं उनकी भी किसी ने सफाई तक करने की तकलीफ नहीं की है। यानि किसी ने जाकर देखा तक नहीं है। तो क्या यह क्रिमिनल नेगलीजेंस नहीं है और अगर है तो इसमें क्या परेशानी है कि जिस आदमी की जिम्मेदारी है, मैं नहीं समझता कि सरकार इस बात के लिये है कि किसी अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो उसको नाजायज तौर पर डिफेंड करे और ह्यूमीटेरियन मामले में डिफेंड करे। तो मैं समझता हूं कि सरकार कोई लोगों की भलाई की बात नहीं कर रही है। तो मेरा यह कहना है कि यह सारे जो मामलात हैं इनको देखकर देखा जाए और अभी तो बारिश शुरू हुई है तो आगे के लिये इमीडियेटली क्या-क्या कदम उठाये जाएं कि उनकी फौरी तौर से मरम्मत की जाए।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जिसके ऊपर आफिसरों ने बिलकुल तवज्जोह नहीं दिया है क्योंकि खास तौर से जो टैक्नीकल आदमी हैं, मुझे इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि कुछ अधिकारी तो काफी इस मामले में सोचते हैं कि जो पब्लिक के आदमी कहें और कुछ आदमी यह समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह लास्ट वर्ड है। वरना मथुरा से लेकर अलवर की जो रेल लाइन गिरी है इससे भी रूपारेल नदी का रास्ता चैंज हुआ है। इस को आज तक कंसीडर नहीं किया गया है कि यह जो रेल लाइन गिरी है इसका क्या असर हुआ हैं। उसको एग्जामिन नहीं किया गया है। मेरा तो बहुत अदब के साथ यह कहना है कि इन सारे मामलात को देखा जाए।

अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इरिगेशन वाले इसका कोई जवाब दे सकते हैं

(श्री तैयब हुसैन)

कि यह जो झाड़ियां खड़ी हुई हैं वह तक साफ नहीं हुई हैं। पिछली साल हमारे माननीय इरिगेशन मिनिस्टर साहब मौके पर भी गये थे, उन्होंने कुछ हिदायत भी दी थी लेकिन मसला यह है कि हम बिलकुल टेल एण्ड पर हैं उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं होता। मैं याद कराना चाहता हूं कि इरिगेशन मिनिस्टर साहब के सामने बात आयी थी कामां रेस्ट हाउस पर कि 32 पम्प वहां से गायब हैं। आप कहकर आये उसके बाद भी आज तक उनका कोई पता नहीं है। 32 बड़े-बड़े पम्प जो खास तौर से फ्लड के लिये खरीदे गये थे वह लापता है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उनकी आप जांच करवायें।...

श्री देवीसिंह भाटी : उनका पता लगाकर आक्शन कर रहे हैं।

श्री तैयब हुसैन : खैर उसको भी आप चैक करा लीजियेगा। मैं समझता हूं कि जो इत्तला आपको दी है वह सही नहीं है, क्योंकि मैं भी कामां में ही रहता हूं तो मुझे भी उसका पता है कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। इसलिये जो आपको इनफॉर्मेशन दी गयी है मैं नहीं समझता कि वह सही है। वह इसी काम के लिये थे, क्योंकि जब फ्लड आता था 1979' और उसके पहले उस वक्त वह 32 बड़े-बड़े पम्प खरीदे गये थे पानी को पम्प आउट करने के लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह पोजीशन है।

इस वक्त भरतपुर का जो हाल है वह आपके सामने है और उसमें भी कामां क्षेत्र का सबसे ज्यादा हाल खराब हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास आउटलेट नहीं है। इन्होंने वहां भरतपुर के पास चिकसाना में तोड़ लिया। हमें अब यू.पी. वाले कहां तोड़ने दें? याने हम बिलकुल पानी में घिर गये। मैं इस समय धन्यवाद देता हूं माननीय भंवरलाल जी शर्मा को कि ये कामां गये और इन्होंने जाकर बात सुनी। हम मशकूर हैं इनके कि इन्होंने जाकर देखा कि हमारी क्या स्थिति है। पीछे से तो अलवर से सारा पानी आ गया और आगे कोई निकास नहीं है। आगे निकास नहीं होने की सूरत में हम क्या करें। हमने सुझाव दिया था कि इस पानी को सीधे जमुना में डाल दिया जाए। उस पर कोई गौर नहीं हुई। यह सब चीजें हैं। इस विवाद में जाने की क्या जरूरत है, इस बहस को छेड़ने की क्या जरूरत है कि बारिश दो दिन पहले आ गयी या ज्यादा आ गयी या कम आ गयी। सवाल तो इसका है कि क्या हमने कोई फ्लड के बारे में तैयारी की? क्या एक भी बोट हमने कहीं पहुंचाई। एक भी कोई वहां जाकर हमने इन्तजाम किया? याने इस बहस में नहीं पड़ते हुए कि यह मामला कैसा है, क्यों नहीं है मगर नार्मल टाइम में भी हमारी क्या तैयारी थी? पिछली साल भी कामां में सिर्फ एक बोट पहुंची थी और लोगों को इतने-इतने पानी में से होकर गुजरना पड़ा। पिछले साल से हमने क्या सबक लिया? और इस साल हमने कितना इन्तजाम कर लिया था। इस दफा तो कामां में सारे गांव डूबे हुए हैं। आज 29 तारीख तक वहां पर किसी तरह का कोई इन्तजाम नहीं है। लोग जो कढ़ाव शादियों में चावल पकाने के काम में आते हैं उनमें बैठ बैठकर आये हैं। मैं किस-किस गांव का नाम लूं, सारे गांव डूबे हुए हैं और उनमें

(श्री तैयब हुसैन)

निकलने का रास्ता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने को है नहीं, बच्चे मर रहे हैं। यह तो बाद में ही पता चलेगा कि कितनी केजुअल्टी हो गयी और कितने इन-फैन्ट्स की डैथ हो गयी है।

मैं तो यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज के हालात में भरतपुर में काफी इण्डस्ट्रीज हैं। भरतपुर की सारी इण्डस्ट्रीज बरबाद हो गयीं, सारी चीजें खराब हो गयीं। उनका क्या होगा? उसके बाद किसानों की जो हालत है और गांवों में जो आदमियों की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो उनकी साल भर की कमाई थी वह तो सारी की सारी आज खाद बन गयी है। भूसा उनके पास नहीं बचा है, खाने को अनाज नहीं बचा है और रहने को मकान नहीं बचा है। अगर सर-कार आज सब कुछ भी उनकी मदद कर दे तो भी वह एक साल के बाद कुछ उनके यहां पैदा होगा। इसके बारे में क्या विचार है और किस तरह से आप इसको मीट–आउट करेंगे? याने जो वक्ती तौर से मुआवजे की बात है वह तो अपनी जगह है लेकिन उनका किस तरह से मकान का मामला है? आज स्कीम है कि हजार रुपया दे देंगे लेकिन हजार रुपये में आज आता क्या है? कितने पूले आ जाते हैं? बारिश अभी बच रही है। यह इस तरह की चीजें हैं कि अनाज नहीं है, भूसा नहीं है और सारे के सारे गांव डूबे हुए हैं सारे गांव घिरे हुए हैं। आज कामां के अन्दर जिस कालोनी में मेरा अपना मकान है वहां कम से कम साढ़े तीन-तीन फुट पानी भर आया है। यह आज भी कामां शहर की पोजिशन है। सारा देहात ऐसा है कि जिसके चारों तरफ रास्ते नहीं हैं। उसके लिये क्या स्कीम है? क्योंकि मैं यह बड़े अदब से अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज तक जो हो गया है वह तो हो गया है लेकिन अब कौन से रेमीडियल मैजर्स आगे के लिये ले रहे हैं। बरसात आने वाली है इसमें हम क्या कर सकते हैं और जो लोगों के लिये दवा-इयां हैं, खाना है, बिस्तर है, क्योंकि कोई भी वेलफेयर स्टेट है उसके करने का यह फर्ज है। लोग छतों पर बैठे हैं। जो 23–24 को पानी आ गया, उसे 29–30 तक तो किसी ने वहां जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है। यह सब बातें हैं, इनकी मरम्मत की जाएं और आगे के लिये कार्यवाही की जाए। इरिगेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं, और तो दरकिनार, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो के.पी. ड्रेन में ढूंढ़, झाड़ और दखनी कीकर खड़ी हुई थी उसको भी नीलाम नहीं किया गया है। इससे महकमे को भी कुछ आमदनी होती। मैंने हर मीटिंग में कहा कि यह करो। कहा कि कर रहे हैं इसकी मंजूरी आयेगी। तो यह तो वही बात हो गयी कि जैसे फिरदोसी ने शाहनामा लिखा था महमूद का और जब उसको इनाम पहुंचा तब उसकी लाश दरवाजे से निकल कर आ रही थी। इस तरह से इसमें मदद होनी है तो ठीक बात है। मैं तो इसमें नहीं पड़कर के सीधी बात यही कहना चाह रहा हूं कि जो जिस बात के लिये जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाय और कमीशन करके, इन्क्वायरी करके जो भी दोषी हों उनको डेटरेंट, सख्त से सख्त सजा दी जाए और आयंदा के लिये स्कीम किया जाए।

(श्री तैयब हुसैन)

बिजली का मामला है, बिजली नहीं, पानी नहीं। वह तो खुद भण्डारी साहब ने कहा है कि अभी सिर्फ हम भरतपुर शहर को बिजली दे पाये हैं, देहात में नहीं दे पाये हैं। सारा सिस्टम तो कामां शहर का है, पानी बोलखेड़ा से आता है वह सिस्टम बरबाद हो गया है, सारा उखड़ गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना यह हुआ है इसको इमीजिएटली किया जाए और उसके मैजर्स दिये जाएं।

चतुर्वेदी जी तशरीफ रखते हैं। यानि सड़कों की मरम्मत कागजों में हो गयी हो तो हो गयी लेकिन जितनी सड़कें फ्लड में खराब हुई थी उनकी 1/4 की भी मरम्मत नहीं हो पायी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपका पत्र तो नहीं आया। मैंने पत्र दिया था।

श्री तैयब हुसैन : मैंने भेजा था आपको भी। बहरहाल आप यह चैक करा लीजिये कि जितनी सड़कों के आपने पैसे दिये वह मौके पर लगे हैं या नहीं लगे हैं। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो क्योंकि हम वहां टेल पर रहते हैं, उतनी चैकिंग नहीं होती है इसलिये जितना पैसा आप यहां से सैंकशन करते हैं वह भी नहीं लगता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : काम के हिसाब से सैंक्शन होता है। कभी आप फरमा दें कि यह सैंक्शन हुई हैं तो उसका मैं तुरन्त काग्नीजेंस लूंगा।

श्री तैयब हुसैन : मैं अर्ज कर दूं कि 1992–93 में पैसा सैंक्शन हुआ है और आज तक खर्च नहीं हुआ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप तो स्पेसिफिक काम फरमा दें किस काम के लिया हुआ था।

श्री तैयब हुसैन : वह अलग से है। इस वक्त यह जो सैलाब का मसला है, इस बाढ़ का मसला है इसको हम ह्यूमेनिटेरीयन ग्राउंड पर लेकर, मानवता के नाते लेकर, क्योंकि इतनी जबरदस्त मिजरी हुई है भरतपुर जिले में और खास तौर से कामां की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वहां की हालत इतनी खराब है, मैं समझता हूं कि आप खुद देखें कि किस तरह से वहां पर बरबादी हुई है। यह पानी अलवर से रूपारेल से चलकर चिकसाना तक और इधर यह गोवर्धन ड्रेन तक पहुंच कर तबाही करता है। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस बात को तवज्जोह देकर के लोगों को राहत दें। यही मेरी दरख्वास्त है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया इसका शुक्रिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ पर मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें सीकर जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और अभी तक सहायता मंत्रीजी को सूचना नहीं है इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है। जिस जिले मे आठ लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति जो नदी में बहा उसकी डैड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जिस लोसल कस्बे में सबसे पहले 21 तारीख को पानी आया इससे 6 से 7 फीट तक घरों में पानी भर गया। पूरे जिले में

(श्री अमराराम)

हजारों कच्चे और पक्के मकान नष्ट हो गये। जहां हजारों बीघा जमीन नष्ट हुई है, ऐसे सैंकड़ों कुएं हैं जो पूरे के पूरे मिट्टी से भर गये, उनकी मोटर, पम्पसैट खराब हो गये और वह किसान कई महीनों तक वापस नहीं बना पाएगा।

जहां तक लोसल कस्बे की बात है, वहां म्युनिसिपैलिटी है, दांतारामगढ़ तहसील का है और मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, वहां पर 7 से 8 फीट तक पानी भरा है और पानी आज नहीं, जब से यह कस्बा बसा है, उसका पानी बाहर नहीं निकलता है। उसको बाहर निकालने के लिये बार-बार और इस ढाई–तीन साल के पीरियड में ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जिसमें मैंने इस सदन में उसके लिये बात नहीं रखी हो। राज्य सरकार की तरफ से बार–बार यही उत्तर मिलता रहा है कि सरकार के पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह म्युनिसिपैलिटी छोटी है, उसकी इतनी इन्कम नहीं है कि वह अपने पानी को बाहर निकाल सके। इसलिये हर 5–10 साल के बाद वहां पर सैंकड़ों मकान, अभी भी वहां पर 200-250 कच्चे और पक्के मकान नष्ट हुए हैं। एक स्कीम पहले बनायी गयी थी 13 लाख की। जिसमें से 'ए' ओर 'बी' पार्ट में से 'ए' पार्ट पर 6 लाख रुपये खर्च किये गये वह भी मिट्टी के बराबर साबित हो गये। 'बी' पार्ट के लिये जब सरकार के नोटिस में लाया गया तब सरकार की तरफ से उत्तर मिला कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है। मात्र 15–20 लाख रुपये के कारण पूरे कस्बे को डूबो दिया गया और वह भी महज इसलिये कि सरकार के पास पैसे नहीं है। यह सबसे बुरी बात है।

जहां तक राहत का सवाल था, इतनी भयंकर बाढ़ आयी, बाढ़ कंट्रोल कमेटी है, इनका जो प्रोग्राम है वह केवल कागजों तक सीमित है। 21 तारीख को जब पानी भरा तब प्रेक्टिकल में देखने में आया कि पम्पसैट इनके पास हैं नहीं और जितने भी डीजल पम्प सैट थे, 2-4 पम्प सैट कस्बे में थे, वह पानी में डूब गये। जिला प्रशासन के पास जो पम्प सैट थे उनमें एक भी चलने की हालत में नहीं था। इनका जो फायर ब्रिगेड था, जिसको 22 तारीख को वहां पहुंचाया गया वह भी 23 तारीख को शाम को जाकर चालू हुआ। एक भी डीजल पम्प सैट लोसल में दो दिन तक चालू नहीं हुआ। जिन गांवों में पानी भरा है, अनोखू एक गांव है जिसके बारे में जिला प्रशासन ने अखबार में दे दिया कि पम्प सैट लगा दिया और पानी निकल रहा है। जबकि तीन दिन बाद में उन सब गांवों में मैं गया तो जाकर देखा कि पूरा पानी सूख गया था और दो मिस्त्री उस डीजल पम्प सैट को सुधारने में लगे हुए थे। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोले कि पानी तो सूख गया लेकिन इसको सुधार रहे हैं जिससे दुबारा बरसात आये तो पानी निकाला जा सके। जब ऐसी निष्क्रियता, जहां फ्लड कंट्रोल के लिये कमेटी है, एक भी साधन नहीं है। पूरे जिले में जितने इनके बांध थे वे टूट गये हैं जिससे नुकसान हुआ है।

जहां तक मुआवजे का सवाल है, अभी

(श्री ग्रमराराम)

मंत्रीजी ने वक्तव्य में कहा कि हमने इतने करोड़ रुपये वहां दे दिये हैं, सीकर में कितने दिये है उसकी सूचना ही नहीं हैं लेकिन 29 तारीख तक एक रुपया भी रिलीफ का नहीं दिया गया था। रिलीफ के जो नार्म्स बनाये गये है वह भी पता नहीं कब के बनाये हुए हैं, उसको डबल किया जाए ग्रौर उसमें जो पशुधन के लिये सहायता का नार्म्स नहीं है....

श्री मोहनलाल मोदी : कच्चे मकान के पांच सौ हैं।

श्री ग्रमराराम (धोद) : चार गुणा कर दें तो बहुत बढ़िया है लेकिन डबल तो कम से कम करें। एक उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह जमीन का कटाव या मिट्टी के आने के कारण जो उसका खेत बरबाद होता है उसके लिये कोई नार्म्स नहीं हैं। पशुधन के लिये कोई नार्म्स नहीं हैं। अगर कुआ बरबाद हो जाता है, दो लाख रुपये उसमें खर्च होते हैं उसके लिये कोई भी सहायता करने का रिलीफ एक्ट में कोई प्रोवीजन नहीं है इसलिये जिसकी जमीन बरबाद हो गयी, जिसका ट्यूबवैल बरबाद हो गया, पम्प सैट नीचे दब गया, पूरा कुआं मिट्टी से भर गया वह किसान कभी भी उठ नहीं सकता। इसलिये इस रिलीफ एक्ट में जो प्रोवीजन किये गये हैं इनको सुधार करके किसान की जमीन, किसान के कुएं के लिए ग्रौर पशुधन के लिये भी एक्ट बनाया जाए। इसके ग्रलावा, जो सहायता देनी है, 22 तारीख को बाढ़ से मकान गिरे हैं, ग्रभी 24 तारीख के बाद में बरसात नहीं हुई, पानी भी सूख गया, करीब-करीब निकल गया लेकिन वह सहायता ग्रगर जितनी जल्दी दी जा सकती है, चाहे कितनी भी हो, तो वह ज्यादा फायदेमंद होगी बजाय इसके कि यह एक महीने के बाद मिले। ग्रौर हालत यहां तक है, इस तरह के इनके ग्रधिकारी हैं, जो नमक का क्षेत्र है रेंवासा, जहां हमारे कलक्टर पहुंचते हैं। जितके नमक के प्लांट थे, सब पानी से भर गये, बरबाद हो गये। जब वे वहां दौरे पर गये तो वहां के मजदूरों ने फरियाद की कि हम यहां मजदूरी करते थे वह प्लांट सब बरबाद हो गये हैं, कई दिनों तक मजदूरी नहीं होगी, तीन दिन से हमारे चूल्हा नहीं जल रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि कलक्टर से ऊपर जिम्मेदार ग्रधिकारी जिले में नहीं होता ग्रौर कलक्टर फरमाते हैं कि ग्रापको चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है आप तो हवा खाइये। जिस सरकार के मंत्री को यह पता नहीं है कि सीकर जिले में बाढ़ ग्रायी है, जिस जिले का कलक्टर उन गरीबों को, जिनके तीन दिन तक चूल्हा नहीं जले, उनको कहे कि खाने की क्या जरूरत है ग्राप तो हवा खाइये, इससे बड़ी शर्मनाक बात न तो सरकार के लिये ग्रौर न जिला कलक्टर के लिये हो सकती है जो इस जनता को बेवकूफ समझता है ग्रौर ग्रपने को सबसे ऊपर समझता है। इसलिये ऐसे ग्रधिकारियों को, चाहे वह भरतपुर में सिंचाई विभाग के हों, चाहे सीकर का कलक्टर हो, कोई भी जनता से ऊपर नहीं है, जनता के साथ उन्होंने कोई धोखा-धड़ी की है तो उसके लिये वह सजा के हकदार है ग्रौर सरकार को उनके साथ निर्ममता से निपटना चाहिये जिससे ग्राने वाली बरसात के समय में लोगों को

(श्री ग्रमराराम)

जन-धन की हानि नहीं हो। इसके लिये पुख्ता इंतजाम किये जायं।

आपने मुझे समय दिया इसलिये मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बाढ़ पर चर्चा हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही संवेदनशील भावों से ग्रपने विचार व्यक्त किये। मेरे यहां बाढ़ तो नहीं ग्रायी क्योंकि बाढ़ ग्राने का हमारे यहां सवाल ही नहीं, सारा जिला पहाड़ी क्षेत्र है ग्रौर इस बनावट से बना हुग्रा है कि बरसात ज्यादा ग्राये तो भी पानी बहकर चला जाता है और कम आये तो ग्रकाल पड़ता ही है। पिछले वर्षों में कभी यह नहीं सोचा गया कि हमारे जिले में कुग्रों का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है ग्रौर जब भी बरसात ग्राती है, हजारों एम.सी.एफ.टी. पानी ऐसे ही फालतू बहकर चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में मैंने कई बार आंकड़े भी दिये हैं कि हमारे जिले का हजारों एम.सी.एफ.टी. पानी निरर्थक बहकर चला जाता है। उसका कहीं न कहीं एनीकट ग्रौर बांधों से रोककर जमीन में पानी रिचार्ज हो सके, इसका भी प्रयत्न करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी हमारा ग्रन्दर नहीं जाता ग्रौर कुएं रिचार्ज नहीं होते। इस कारण से हर साल जब भी कुएं गहरे करने जाते हैं तो कुएं दब जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं। ग्रगर ग्राप कृषि विपणन बोर्ड के ग्रांकड़े देखें तो मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा मेरे शिवगंज तहसील में इन लोगों को कुएं में खुदाई करते हुए या इस तरह से मौत हुई जिनको विपणन बोर्ड ने सहायता दी तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज की चर्चा में ग्रापने भी ध्यान दिया होगा, ग्रधिकतम बातें जो सदस्यों द्वारा कही गयीं, वह सिंचाई विभाग की ग्रकर्मण्यता के बारे में कही गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में 1990 में पहली बारिश में कमेड़ी बांध टूट गया था यह बांध बनने के बाद कभी पूरा भरा नहीं हुग्रा ग्रौर 1990 में जैसे ही बरसात ग्रायी ग्राधा ही भरने के बाद टूट गया था। इसी तरह नून बांध टूट गया था ग्रौर इसी तरह से कई सारे एनीकट टूट गये थे। उनके बारे में मैंने लगातार इस सदन में व्यक्तिगत रूप से मिलकर ग्रौर चीफ इंजीनियर्स से भी मिलकर ग्रपनी बात रखी कि इन बांधों की मरम्मत तो कम से कम करायी जाए। कमेड़ी बांध के बारे में जब भी मैंने ग्रपनी बात रखी तो सरकार कहती है कि बांध में भ्रष्टाचार हुग्रा है, जांच करा रहे हैं। मैं जब पूछती हूं कि जांच के रिजल्ट्स क्या आये तो कहते हैं कि कोई दोषी नहीं। जब कोई दोषी नहीं तो जांच किस बात की ग्रौर जब जांच नहीं तो ग्राज छह वर्ष हो गये, उस कमेड़ी बांध के पुनर्निर्माण के बारे में क्यों विचार नहीं किया गया ? जो बांध बन गया है, कम से कम उसको रोका जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो ग्रपनी बात बहुत छोटे में कहनी है लेकिन बहुत व्यथा हो रही है। ग्राज हमारे कुग्रों में पानी इतना नीचे चला गया है या तो हमारे

(श्रीमती तारा भण्डारी)

क्षेत्र के लोग खारा पानी पीते हैं या फ्लोराइड का पानी पी-पीकर विकलांग होते चले जा रहे हैं इसलिये छोटे छोटे एनीकट्स बनाकर, टूटे-फूटे एनीकट्स की मरम्मत करके यह जो नून बांध है, कमेड़ी बांध है, कैलाशनगर बांध है, ओडाना बांध है, इन सब बांधों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हमारे यहां अकाल चल रहा है और अकाल राहत कार्य बहुत अच्छे चले हैं। मैं उसके लिये मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि अकाल राहत के माध्यम से हमारे यहां बहुत बढ़िया काम हुए हैं। जिन गांवों को लोगों ने या जिन अफसरों ने रूचि दिखायी वहां काम बहुत अच्छे हुए हैं, काम सुचारु रूप से चल रहे हैं लेकिन एक तरफ तो राजस्थान के कई जिलों में भयंकर बाढ़ आ रही है लेकिन हमारे जिले में बरसात निरन्तर नहीं हो रही है, बरसात नहीं आ रही है। इसके लिये आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आज एक जुलाई हो गयी, शायद अकाल राहत कार्य बन्द भी किये जाएंगे। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे सिरोही-जालौर जिले में अभी कम से कम 15 जुलाई तक अकाल राहत कार्य प्रारम्भ ही रखे जाए, बन्द नहीं किए जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्या, मुख्य मंत्रीजी को आप सिरोही ले जाओ, मुख्य मंत्रीजी गये नहीं इसलिये बरसात सिरोही में हुई नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हम ले जाएंगे मुख्य मंत्री जी को और ढोल-बाजे भी बजा देंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : परम सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बाढ़ पर बयान दिया था, बड़ी अजीब बात है, मंत्रीजी ने हनुमानगढ़ जिले या गंगानगर जिले का कहीं भी नाम नहीं लिया। बहुत दुःख की बात है। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही किया था।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि चर्चा बाढ़ के ऊपर हो रही है और हनुमानगढ़ में कोई बाढ़ नहीं आयी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं बाढ़ की ही बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं, मंत्रीजी आप तो मंत्री के काबिल ही नहीं हो। मैं बाढ़ की ही बात कर रहा हूं। आपको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री सांवरलाल जाट : यहां पर बाढ़ की चर्चा हो रही है इसलिये आप अपनी....

श्री राधेश्याम गंगानगर : पिछली बार भी आपने यही बात कही थी और उसी दिन मुझे जवाब दिया था लिखित में कि बाढ़ आयी और आपने यहां सदन में यह कहा कि गंगानगर जिले में कोई बाढ़ नहीं आयी।

श्री सांवरलाल जाट : वहां कोई बाढ़ नहीं आयी है। यहां तो सदन के अन्दर बाढ़ की समस्या पर चर्चा हो रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज करता हूं, मैं वहां से आता हूं, मुझे भी जानकारी है, आप इस तरह खड़े होकर रौब से डराइये मत । 6-6 आदमी मरे हैं, कैसे मर गये ? छह व्यक्ति कैसे मरे हैं, आप बताओ । छह आदमी जो मरे हैं, अपने आप मर गये ? मकान गिरे हैं । बरसात इतनी जबरदस्त हुई कि पांच-पांच फुट पानी निचली बस्तियों के अन्दर भरगया....

श्री सांवरलाल जाट : वे मरे हैं, मेरे पास रिकार्ड है । बाढ़ से नहीं मरे हैं । यहां चर्चा बाढ़ के ऊपर हो रही है । आप परिभाषा पढ़कर आयें बाढ़ की ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : और आप, बाढ़ किसको कहते हैं, इसका इन्टरप्रिटेशन क्या है, किस चीज को बाढ़ कहते हो आप ? हनुमानगढ़ चलकर देखो, गंगानगर चलकर देखो । क्या बात करते हो आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सिरोही में बाढ़ है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, I stand to correct him. राज्य सरकार ने यह आदेश दिये हैं, उप मुख्य मंत्रीजी किस विभाग के हैं, मुझे पता नहीं लेकिन जिलाधीशों को निश्चित तौर पर आदेश दिये गये हैं कि जहां एक्सेस रेंस हो और एक्सेस रेंस के फलस्वरूप जहां भी लो-लाइंग एरिया के अन्दर मकान आये हुए हैं और उनका जो क्षति पहुंची है, Such areas should be treaed as flood affectad areas. यह आदेश कहां से गये हैं और वह कौनसी सरकार है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राहत मंत्रीजी, या तो मेरी समझ में डायरेक्टली मुख्य मंत्रीजी ने आपके ऊपर ही कोई आदेश दे दिये....

श्री सांवरलाल जाट : आदेश यहां से गये हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि मुख्य मंत्रीजी और राहत मंत्रीजी में लुकाछिपी का खेल, वह मैं कह रहा था, मैंने पढ़ा तब मैं कह रहा था, वह तो आपने सुबह जवाब दे दिया, बहुत सेटिसफाइड हो गया मैं उससे । मैं यह निवेदन कर रहा था, आप जो बात कह रहे हैं, यह जो डेमेज या क्षति हुई है, एक्सेस रेन की वजह से हुई है और अगर एक्सेस रेन है और उसके अन्दर कोई नुकसान हुआ हो....

श्री सांवरलाल जाट : यह मैं स्पष्ट कर दूं कि हनुमानगढ़ में केवल 22 मिलीमीटर वर्षा हुई है, केवल दीवार गिरने से बच्चे मरे हैं । 22 मिलीमीटर वर्षा को अगर आप एक्सेस रेन कहते हैं तो ठीक है । (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सैंकड़ों मकान गिर गये । (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप तो सब जानते हो, गांव के रहने वाले हो । भारत का प्रधान मंत्री गांव का रहने वाला है और राजस्थान का राहत मंत्री भी गांव का रहने वाला है । अपने गांव में भोपे होते हैं । भोपे होते हैं तो उनकी छाया आती है यूं, वह शरीर को हिलाते हैं तो मकान में कोई भोपा पड़ गया था या उसको छाया आ रही थी जो वह डिग-डिग

(श्री परसराम मदेरणा)

करके मकान गिर गये। The house was demolished because of execess rains.

श्री राधेश्याम गंगानगर : परम सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह जो स्पष्टीकरण दिया है, इससे मंत्रीजी के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपनी बात कहिये श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, आने वाले समय में मैंने विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व सी. एम. साहब को और मंत्री महोदय को पत्र लिखा था कि यहां बहुत भारी वर्षा हो सकती है और पिछली बार बहुत विनाश हुआ था। कृपया आप समय से पहले बाढ़ का इंतजाम करें, क्योंकि घग्घर फ्लड से हनुमानगढ़ में हर वर्ष 4000 क्यूसेक्स के करीब पानी आता है। पिछली बार इंतजाम नहीं करने के कारण वहां पानी बहुत आया। यहां की सरकार की तरफ से सम्माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय वहां पधारे। जब वहां पधारे, सर्किट हाउस में मीटिंग ली गयी। उस मीटिंग में मंत्रियों का और उप मुख्य मंत्री महोदय का आपस में कोई विवाद हो गया। मंत्रियों ने उस समय इस्तीफा भी दे दिया। उप मुख्य मंत्रीजी की बात नहीं मानी गयी। उप मुख्य मंत्रीजी वहां से रवाना हुए और हनुमानगढ़ को छोड़ दिया।

श्री हरिशंकर भामड़ा : ....उस समय मंत्रीजी थे ही नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हनुमानगढ़ को भगवान के सहारे छोड़ दिया। उप मुख्य मंत्रीजी ने अपना मुंह जयपुर की तरफ किया और बाढ़ का पानी हनुमानगढ़ में घुस गया और पांच सौ छह सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, आज तक इतिहास उसका साक्षी है। वह सड़कें वैसे ही पड़ी हैं, वह किसान वैसे ही रो रहे हैं। एक भी किसान को एक पैसा नहीं दिया गया। एक भी गरीब आदमी को छत मुहैया नहीं करवायी गयी, महीने भर लोग सड़क के ऊपर पड़े रहे। क्या यही हमारी संवेदनशीलता है? यह हमारी राजस्थान सरकार की क्या बढ़िया नीति है। हम चाहते हैं, आज राजस्थान के अन्दर इस हाउस में जितने भी माननीय सदस्य हैं, सब को चिंता है, सबने अपने अपने इलाके की बात, चाहे वह नागौर की बात हो, ऐसी बारिश एक शताब्दी के बाद हुई, रिकार्ड बीट हुआ, चाहे वह भरतपुर हो, लोग 6-6 दिन तक छतों पर खड़े रहे और चाहे अलवर की बात हो, चाहे जोधपुर और बीकानेर की बात हो। लोगों ने अपने-अपने तरीके से सारी बात की चिन्ता यहां हाउस में रखी है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि होगा कुछ नहीं, बोल-बुला कर रह जाएंगे, इधर वाले बोलेंगे, उधर वाले बोलेंगे, दस दिन बाद शांति हो जायेगी, किसी गरीब को फायदा होने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उसका कोई प्रोटेक्शन दिया जाए या उसको कोई फायदा दिया जाए, या सरकार की तरफ से, मैं कहता हूं हर वर्ष बारिश जहां भी ज्यादा आती है, क्यों नहीं आप मास्टर प्लान के तहत, उन निचली बस्तियों में मास्टर प्लान बनाकर उनको अच्छी जगह पर बसाते?

(१७५)

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पचास-पचास साल पहले जो लोग बसे हुए हैं, वह 60-60, 40-40 फीट के नीचे गहरे हैं, खड्डे जहां पहले पट्ठे हुआ करते थे उस जगह पर जब बसेंगे तो पानी आएगा। पानी आएगा वह गरीब आदमी जाएगा कहां, महंगी जमीन खरीद नहीं सकता। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यह नहीं है कि उनको नीचे की जगह से उठाकर मास्टर प्लान के तहत कहीं अच्छी जगह बसाया जाए और उस जगह की पूरी भराई करके बेचा जाए। क्या यह बाढ़ में या उसमें नहीं आता? आप किस तरह की मदद देना चाहते हैं? केवल मात्र आप किसी को, जिसके कम से कम पांच-पांच आदमी एक घर में मर गये हैं, पांच सौ रुपये या हजार रुपये देकर उसका दिल जीतना चाहते हैं? यह राजस्थान सरकार है? राजा जो होता है वह जनता का मालिक होता है और जनता की नजर होती है राजा पर कि राजा क्या कर रहा है। इस तरह यह राजा रहेंगे तो जनता क्या करेगी? आप पूर्व का जमाना देखिये। मेरा आज हाउस से निवेदन है, पिछली बार जैसे हनुमानगढ़ के मंत्रियों की लड़ाई में बंधे टूटे और हजारों करोड़ रुपयों का हनुमानगढ़ के अन्दर नुकसान हुआ, उसी तरह मैंने पूर्व में पत्र लिखा है मुख्य मंत्री महोदय को कि यह घटना दोबारा न दोहराई जाए, क्योंकि लाखों, सैकड़ों, हजारों परिवार सड़कों के ऊपर एक महीने तक पड़े रहे, यह सांवरमलजी जाट खुद और हमारे परसरामजी मदेरणा एक-एक घर में जाकर देख कर आये थे और यह बैठे हैं, सबूत हैं। आज जो आपको बहुत गुस्सा आया, पिछली बार मैंने आपसे प्रश्न किया था कुछ दिन पूर्व प्रश्न का जवाब आपने मुझे दे दिया लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। दूसरे दिन बाढ़ और अकाल पर बहस हुई। जब आप पढ़ रहे थे उसमें हनुमानगढ़ जिला भी नहीं था और गंगानगर जिला भी नहीं था, मैंने कहा साहब कि यह क्या, तो आपने यह फरमाया था, श्रीमान् सांवरलालजी जाट साहब बहादुर, आपने हुक्म किया था कि गंगानगर जिले में तो बाढ़ ही नहीं आयी। मैंने कहा यह जवाब आपने भेजा है, यह+++या आपका राज है, किसने भेजा है यह जवाब फिर बैठ गये जैसे पानी में भैंस बैठती है ना, वैसे बैठ गये। क्योंकि जवाब खुद का दिया हुआ था। मैं आज दोबारा उस बात को दोहराना चाहता हूं, चूंकि घग्घर नदी पंजाब से ठेठ होकर पाकिस्तान तक जाती है और कभी 30हजारसे लेकर 40-44 हजार क्यूसेक्स तक पानी उसके अन्दर होता है जो कभी भी विनाश का रूप धारण कर सकता है। इसलिये समय रहते वहां पूरे प्रबन्ध किये जाएं ताकि आने वाले समय में जनता को फिर कष्ट न भोगना पड़े और साथ ही राजस्थान के अन्दर जो तबाही हुई है, केवल मात्र हम हवाई सर्वेक्षण कर लें और ऊपर से यह फोटो टी.वी. पर लोगों को दिखा दें, उससे जनता का पेट नहीं भरता उपाध्यक्ष महोदय। जनता तो 6-6 दिन तक कामां और नगर में बैठी रही छतों के ऊपर, जिनको टट्टी, पेशाब, पानी और दवाई नहीं मिलती, उनसे पूछो जाकर कि उनको क्या तकलीफ होती है और जिनके पांच-पांच बच्चे हैं श्रीमान्‌जी, तो हंस कर

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कह दिया कि वहां बाढ़ तो नहीं आयी लेकिन दीवार गिरी थी। सम्माननीय, माननीय मंत्री महोदय, आप इतना अच्छा पद सम्भालते है, आप यह बात कह रहे हैं? छह आदमी मर जाएं, छह आदमियों की कोई गिनती नहीं। वर्षा से मरे हैं, आखिर वह दीवार गिरी....

श्री सांवरलाल जाट : मेरी बात सुनिये आप। जिस विषय पर चर्चा हो रही है.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : निचला इलाका था उसमें पानी चला गया, दीवार गिरी।

श्री सांवरलाल जाट : जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर बात कीजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आदमी मर गये, आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं। वाह, क्या कहने। जय हो प्रभु। आपकी जय हो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : मरने वालों को सहायता मिले पर जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर बात करिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसी तरह सरकार चलती रही, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं, मैं उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत थक चुके, कृपया इन से इस्तीफा ले लीजिये, इस राजस्थान को क्यों डुबोते हैं।

श्री सांवरलाल जाट : आप पैरवी नहीं कर सकते हैं तो आप घर चले जाएं इस्तीफा देकर।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ऐसा मालिक होगा तो राजस्थान डूबेगा, अवश्य ही डूबेगा। चिंतन नहीं है, डेढ़ मिनट में अपनी रिपोर्ट पढ़ कर मजे से यों बैठ गये। यह गम्भीरता है? बिलकुल कोई गम्भीरता नहीं है इनके अन्दर। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो स्थिति हुई है, बहुत गम्भीर है। आज रोना आता है। उन घरों में जाकर देखो जिनके साथ किस तरह की बरबादी हुई है। यहां बैठ कर हम बात कर लेते हैं लेकिन जिसके घर में नुकसान होता है, जिसका व्यक्ति जाता है, उससे जाकर पूछो, उसकी आत्मा में क्या आग लगी होती है। वह आग जब तक हम पूरी तरह उपाय नहीं करेंगे, नहीं बुझेगी। हम जिम्मेदार हैं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं। हम दोषारोपण चाहे किसी पर करें लेकिन सरकार जिसकी होगी, जो सरकार चलायेगा, दोषारोपण उसी पर होगा। जब अच्छाई उसको मिलेगी तब तो खुश होते हैं और जब बुराई का नम्बर आया, राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम-नीति हाउस में पूरी तरह स्पष्ट की जाए। क्या सेंटर की तरफ देख रही है कि वहां से जो अरबों रुपये मांगे हैं वह आयेंगे तब हम उन बच्चों को और जो बेबस लोग हैं उनको सम्भालेंगे या इनके पास भी कोई योजना है, इस बात का पूरा स्पष्टीकरण हाउस में होना चाहिये। धन्यवाद, जय हिन्द, आपने समय दिया।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में दो मिनट का समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहनजी ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : मैं तो माननीय, राजस्थान की गणना की बात कह रहा था । वह अपने हजारों-हजारों, लाखों-लाखों परिवार, यह कहां की बात कर रहे थे और हजारों करोड़ रुपये, यह कहां की बात हो रही थी सर । यह कोई गणना में कहीं गड़बड़ तो नहीं है ?

श्री मदन मोहन (खैरथल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आयी बाढ़ की विभीषिका से जिस तरह से राजस्थान की जनता परेशान हुई है, उसे राजस्थान का बच्चा-बच्चा जानता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब 1977 में पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री बने उस समय हिन्दुस्तान के सिंचाई मंत्री थे श्री सुरजीत सिंहजी बरनाला । उन्होंने तीन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और उसमें तय किया गया कि एक तो मसानी बैराज बनेगा हरियाणा के पास और दूसरा अजमेरीपुरा जो अलवर में सोडावास के पास है, वहां पर एक बैराज बनेगा और उसी के आधार पर नजबगढ़ में 13 करोड़ रुपये की लागत से नाले बनाकर उसका पानी जमुना में डाला जाएगा । माननीय उपाध्यक्ष जी, यह समझौता हो गया, सारी बातें तय हो गयीं, पैसे तय हो गये कि इतने पैसे केन्द्र सरकार देगी और इतने राज्य सरकार को खर्च करने पड़ेंगे । हरियाणा का मसानी बैराज तो बन कर तैयार हो गया और अभी-अभी हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंशीलालजी ने यह आदेश जारी कर दिये कि मसानी बैराज के कपाट पूर्ण रूप से बंद कर दिये जाएं और इनको खोलने की कोई अनुमति नहीं होगी । मैं स्वयं जाकर देखकर आया हूं कि वह कपाट बंद हो चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पड़ने वाले अलवर जिले के करीब सैकड़ों गांव बरबादी के कगार पर खड़े हैं । यदि अब बरसात हो गयी, उस दिन अलवर जिले के किशनगढ़ सब डिवीजन के एक भी गांव में बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा, आपको आज यह दावे से कहता हूं । जिस तरह से यह साहबी नदी आती है इसकी विभीषिका आपने देखी होगी और आज से पहले सुनी है कि कोठ-कासिम को पूर्ण रूप से तबाह करने का काम किया है तो साहबी नदी परियोजना ने किया है और इसी के आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब 13 करोड़ सेंटर गवर्नमेंट बैराज को बनाने के लिये देते है और 13 करोड़ रुपये ही हरियाणा सरकार को दिये जाते हैं तो हरियाणा सरकार तो वहां से, दिल्ली से जो 13 करोड़ रुपये तय हुए उसकी एवज में 106 करोड़ लाकर के उस बैराज का निर्माण कराती है लेकिन राजस्थान की सरकार सो जाती है । क्योंकि आज तक अजमेरीपुरा में जो बांध बनना चाहिये था उसकी नींव की ईंट भी नहीं रखी गयी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि अलवर और भरतपुर की जनता को यदि जिंदा देखना चाहते हैं आप और अलवर और भरतपुर की जनता को बाढ़ की तबाही से बचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अजमेरीपुरा के बांध का निर्माण कराना होगा और जो वहां पर बसे हुए गांव हैं उनको उठाना पड़ेगा । जो राजस्थान की सीमा है, राजस्थान की सीमा

(श्री मदन मोहन)

के ऊपर बांध बना और राजस्थान की सीमा में पानी भरेगा लेकिन उस पानी का उपयोग हरियाणा की जनता करेगी। मैं आप से यही निवेदन करता हूं कि यदि अजमेरीपुरा के अन्दर पुल बन गया तो उस पुल में जो पानी, जो मसानी बैराज बना है उसकी उपयोगिता खतम हो जाएगी, इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके, अजमेरीपुरा के बांध का निर्माण तुरन्त कराया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सहारणवास गांव है एक, पंचायत समिति कोटकासिम के अन्दर, वहां पर एक बच्चे की इस बाड़ की विभीषिका में मौत हुई है लेकिन आज तक उसके घर वालों को अलवर जिले के प्रशासन ने नहीं सम्भाला है, न उसको किसी प्रकार की सहायता दी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और भी निवेदन करता हूं, अकाल राहत मंत्री और सिंचाई मंत्रीजी दोनों से निवेदन करता हूं....

(18.00)

कि गत वर्ष में किशनगढ़ बास सब डिवीजन में बांध का पुनर्निर्माण हुआ है। लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं कि एक बांध का भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ। इसलिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यह भी मैं इस सदन में पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब यमुना का पानी भरतपुर और अलवर जिले के लिये लाया जाता है उस पानी की जरूरत कहां होगी। यदि वह अजमेरीपुरा का बांध बन जायेगा तो इसी के पानी से सिंचाई होगी। यदि पानी की सिंचाई के लिये हमको केन्द्र सरकार को भी इससे होने वाली उपज का कुछ हिस्सा देना पड़े तो भी देने में कोई दुःख नहीं होना चाहिये। हमें यमुना का पानी नहीं चाहिये हमें राजस्थान का ही पानी चाहिये। हमें राजस्थान की जनता को जिन्दा रखने के राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से बम्बारा का घाटा जो टूट गया और उसकी वजह से किशनगढ़ बास में करीब 6–6 फीट पानी भर गया। दुकानदार बरबाद हो गये। कम से कम 30 करोड़ का किशनगढ़ बास में नुकसान हुआ है। हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाकर पूछ लीजिये, खैरथल मण्डी का नाम सबसे ऊपर आता है, वह भी पूर्ण रूप से तबाह हो गयी। पूरी मण्डी पानी से भर गयी, लेकिन प्रशासन ने आज तक पूछताछ नहीं की, यह मैं आपसे दावे से कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और भी निवेदन करना है। किशनगढ़ सब डिवीजन के अन्दर करीब 2–3 हजार मकान गिरे हैं लेकिन उन 2–3 हजार मकानों के लिये उस सर्किल के पटवारी और तहसीलदार हैं उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। जितनी भूमि बरबाद हुई है उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि एस.डी.ओ. को नियुक्त करके राज्य सरकार

(श्री मदन मोहन)

द्वारा उसे ये ग्रादेश दिये जाएं कि वह एक-एक गांव में जाकर के उनकी रिपोर्ट ग्रपनी मौजूदगी में तैयार करवायें, जिससे गरीबों का भला हो सके, गरीबों के हितों की रक्षा की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ग्रापसे एक ग्रौर निवेदन है। जिस तरह यह बाढ़ ग्रायी ग्रौर बाढ़ ने 48 घंटे के ग्रन्दर ही इतना उग्र रूप धारण किया कि जिसको आप रोकने में सक्षम नहीं थे। लेकिन सरकार यदि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ग्राधार पर इस प्रकार की नीतियां बनाती तथा गत वर्ष जो बाढ़ आयी थी उसको रोकने के उपाय गत वर्ष में ही कर लिये गये होते तो आज बाढ़ की इस विभीषिका से बचा जा सकता था। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस ग्रजमेरीपुरा के बांध का पुनर्निर्माण तुरन्त प्रभाव से कराया जाय जिससे कि ग्रलवर और भरतपुर की जनता का भला हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन में बाढ़ जैसे गम्भीर मसले पर चर्चा हो रही है। राजस्थान के नागोर, अलवर व भरतपुर जिलों में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचायी है। मैं बाढ़ की बात करूं उससे पहले मुझे बड़े दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि नागोर से ग्राने वाले माननीय सदस्य के ऊपर सदन में यह ग्रारोप लगाया गया कि ये वहां राजनीति कर रहे थे। जबकि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजे हैं नागोर में राजनीति ग्राप कर रहे थे या ये कर रहे थे? इन्होंने बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं को बुलाकर जीपें दीं। बी.जे.पी. के प्रधान को कहा ग्राप हेलीकाप्टर ले जाइये ग्रौर खाद्य सामग्री डाल कर आइये। इनको कोई जीप दी क्या आपने? ये किस तरह की राजनीनि वहां कर रहे थे? आप ग्रब दूसरी बात कह रहे थे कि जब ग्रतिक्रमण हटा रहे थे तो ग्रतिक्रमण हटाने वालों के साथ दो सौ आदमियों के साथ ये कलक्टर से मिलने गये थे। जब नागौर में ग्रतिक्रमण हटा रहे थे तो ये नागौर में थे ही नहीं। उस दिन मैं वहां मौजूद था। मेरी मौजूदगी में जिला प्रशासन ने ग्रतिक्रमण हटाये ग्रौर हमने उनका समर्थन किया ग्रौर कहा कि ग्राप ग्रतिक्रमण हटाइये। ग्रब ये इतनी हल्की बात कह रहे हैं। ग्राप राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं....

श्री हरिशंकर भामड़ा : ग्राप बाद में जवाब सुनने के लिये तैयार हो जाएंगे न?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या?

श्री हरिशंकर भामड़ा : ग्राप जो कुछ कह रहे हैं उसका जवाब सुनने की क्षमता रखिये। मैं सबका जवाब दे दूंगा?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ग्राप सुनाग्रो मैं ग्रभी दे दूंगा जवाब ग्रापका। ग्रभी सुनाग्रो ग्राप....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं हर चीज का जवाब दे दूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सुनाग्रो ग्राप ग्रभी। मैं देने के लिये तैयार हूं ग्रापका जवाब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह बहस की जरूरत नहीं है, आप बोल लीजिये, फिर मैं बता दूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अतिक्रमण हटे उस समय मैं कलक्टर के साथ मौजूद था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने यह नहीं कहा कि अतिक्रमण के दिन। मैंने बरसात आने के बाद 24 तारीख को कहा है और 24 तारीख को मिर्धा जी वहीं थे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपने कहा 200 अतिक्रमण हटे उस दिन उन पर डंडे बरसाये गये। यह बात आपने अभी कही थी।

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 24 तारीख की बात है जब आपका सैक्रेटरी हेलीकाप्टर लेकर नागौर आयेगा। उस वक्त कलेक्ट्रेट पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, न वहां हरेन्द्र मिर्धा था, न मैं था। लेकिन नागौर वालों ने यही मांग की थी कि हमें किसी अच्छी जगह पर ले जाइये हमारा निकास एरिया डूब रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये देखिये यह बात है।

श्री हबीबुर्रहमान : न उस वक्त हरेन्द्र जी थे न कोई नेता था, लेकिन दो-ढाई सौ आदमी थे, वे सब एस.सी./एस.टी. के थे। वे मांग कर रहे थे कि हमें अच्छी जगह पहुंचाइये और उन पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप 24 तारीख को नागौर में थे ही कहां? आप 24 तारीख को मीटिंग में आये ही नहीं। आप थे ही कहां वहां?

श्री हबीबुर्रहमान : मेरा तो गांव पूरा घिरा हुआ था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यही तो मैं कह रहा हूं कि आप थे ही कहां? जबर-दस्ती आप....

श्री हबीबुर्रहमान : मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैं नहीं था, मेरा तो गांव पानी से घिरा हुआ था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : स्वयं मिर्धाजी 24 तारीख की रात को पहुंचे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे कहा था कि वो शाम तक पहुंचेंगे। और वे रात को पहुंचे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय डिप्टी सी.एम. साहब, 27 तारीख को आप ने मुझे कहा था कि आप कहां थे। आपने मुझे भी कहा था कि मैं हेलीकाप्टर से वहां पर ऊपर घूम रहा था तो नीचे मौजूद खड़ा था। गांव के 200 व्यक्ति मेरे साथ खड़े थे और वहां के एस.एच.ओ. ने आपको हरी झंडी दिखायी। आप वहां उतरे थे क्या?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कहां हरी झंडी दिखायी?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दिखायी कैसे नहीं? अब आपने देखा नहीं तो आपकी नजर कमजोर है .. (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस विधान सभा के प्रांगण का उपयोग जितना असत्य बोलकर कर सकते हैं करिये लेकिन यदि

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

जवाब सुनने की क्षमता हो तो एक-एक बात का जवाब भी सुनिये ।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसमें असत्य है तो या तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा या आप दे देना ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह भी सस्ता नारा है जो हरेक व्यक्ति दे देता है । क्योंकि मैं तो उप मुख्य मंत्री हूं । आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और मुझे उप मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप वहां बाढ़ की राजनीति करते हैं । हम बाढ़ की राजनीति नहीं करते उप मुख्य मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी के साथ मैं भी हेलीकाप्टर में नागौर 24 तारीख को गया था । हम वहां पर करीब पौने 5 बजे पहुंचे थे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं जल्दी पहुंच गये थे ।

श्री परसराम मदेरणा : साढ़े चार हो गये होंगे, उससे ज्यादा नहीं थे क्योंकि मैं जोधपुर गया तो मुझे पायलट कह रहा था और मैंने उससे पूछा भी था क्योंकि वही पालयट तो मुझे लेकर गया था तो मैंने उस से पूछा था कि वहां से जो फ्लाइट है नागौर से जोधपुर की आधा घंटे में और मैं जोधपुर में उतरा था तो ठीक 6 बज रहे थे और अपन आधे घंटे वहां रुक गये थे । मैं भी थोड़ी दूर गया था । आप भी थे कलक्टर से बात की । आपने भी की, मैंने भी बात की । मेरे निवेदन करने का मतलब एक तो यह है कि वो रात को आएंगे हरेन्द्र मिर्धा, मैंने आपसे जब कहा था और जब मेरा उनसे कंटेक्ट हुआ टेलीफोन पर कि आप सुबह 9.00 बजे रवाना हो गये थे और अब नागौर पहुंचे कब ? तो कि मैं पहुंचा साढ़े 3–4 के बीच में । जबकि वहां पर हमारा हेलीकाप्टर ही साढ़े चार बजे आया है मुझे यह जानकारी नहीं थी । यह तो मालूम था कि हेलीकाप्टर आया है लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि आप उसमें हैं । एक बात । दूसरी बात, उस वक्त नहीं आये इसलिये आपका यह कथन... (व्यवधान) इस्तीफे की कोई बात नहीं है । (व्यवधान) वे रात को आये और वे वहां पर थे नहीं ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जब आपने मुझे उस वक्त कहा था कि वे अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंच जाएंगे । यह आपने कहा था मुझे पता भी नहीं था । मगर मैंने 8.00 बजे मीटिंग बुलायी, उसमें इनको बुलाने का निमंत्रण भेजा था और ये मेरे से 8.00 बजे ही मिले थे । आपने यह कहा था कि वे अब पहुंचने वाले हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, वो तो साढ़े चार बजे पहुंच गये थे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : साढ़े पांच बजे आपने कहा कि वो पहुंचने वाले हैं । इसका मतलब आपको भी पता नहीं था कि साढ़े पांच बजे पहुंच गये । इसलिये मै 8.00 बजे मिला । 8.00 बजे रात को आये थे ।

श्री परसराम मदेरणा : साढ़े चार बजे

(श्री परसराम मदेरणा)

पहुंच गये थे एक बात। दूसरी बात.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मूल मुद्दे पर आयें साहब।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य, हम जब वहां पर पहुंचे तो एक हेलीकाप्टर आलरेडी वहां पर आया हुआ था। वह हेलीकाप्टर जोधपुर से आया था और उसमें फूड पैकेट्स थे। उसमें सैक्रेटरी था या नहीं, ये कह रहे हैं। मुझे तो कोई सैक्रेटरी मिला ही नहीं। यू.आई.टी. चेयरमैन उसमें जरूर थे पर वो हमारे साथ थे। उस हेलीकाप्टर में नहीं आये थे वह। वह हेलीकाप्टर हमसे करीब डेढ़-दो घंटे पहले आ गया था। वह तो वहां पर करीब दो बजे आ गया था।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न आज यह नहीं है कि किस हेलीकाप्टर में कौन आया। आप पहले भी नागौर गये थे। 27 तारीख को अपन भरतपुर भी गये, 28 को शायद आप नागौर दुबारा पधारे थे। 27 की रात को डीडवाना चले गये हों तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 27 को वहां पर थे। उसके बाद में दुबारा जब आप लोगों को इंचार्ज बनाया तो इस फ्लड की सीरियसनेस को देखकर मुख्य मंत्रीजी ने फिर दुबारा यह देखा है कि रिलीफ आपरेशन को दुबारा ओवरलुक किया जाना चाहिये, मानिटरिंग की जानी चाहिये। लेकिन वहां डिमोंस्ट्रेशन कर दिया और वे पहले ही डिमोंस्ट्रेशन कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि पहला हेलीकाप्टर आया उस वक्त भी हम डिमोंस्ट्रेशन कर रहे थे। इसका मतलब है कि बहुत पहले भी कर रहे थे। अभी मैं टकराऊंगा नहीं आपसे, आपकी बात का मैं अभी जवाब दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हेलीकाप्टर थे कितने ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि विषय बाढ़ के सम्बन्ध में है। यदि बाढ़ के बारे में कुछ भी कमी रही तो उसको बताने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि प्रशासन के व्यवहार में या प्रशासन के तरीके में मेरे जाने से पहले कुछ बदलाव आया और यह बात मुझे और लोगों ने भी कही कि आपके आने के बाद प्रशासन बहुत मुस्तैद हुआ है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ये बाढ़ पर बोलते-बोलते राजनीति पर आते हैं—(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कौन आया था, बात किसने स्टार्ट की थी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जो भी लोग वहां पर काम करने के लिये अवेलेबल हुए उसमें कोई बी.जे.पी. का सवाल नहीं था। उसमें माहेश्वरी सभा के लोग काम कर रहे थे, अग्रवाल सभा के कर रहे थे, जैन सभा के कर रहे थे, लायन्स क्लब के लोग कर रहे थे। वहां पर जिस किसी ने भी सहायता मांगी उसको हमने सहायता प्रोवाइड की है। अब यह कोइंसिडेंस है कि उसमें बी.जे.पी. के लोग आगे आकर काम कर रहे थे और स्वयं मिर्धा जी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि यह स्वयं दो सौ आदमियों को लेकर मेरे सामने आये और वे नारे लगाते हुए आये थे और मैंने इनसे पूछा था कि ये

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

नारे क्यों लगा रहे हैं। कल सुबह जब हम नाला साफ कर रहे थे मैंने इन लोगों से कहा था कि आप भी हाथ लगाइये तो उन्होंने मदद नहीं की और अब ये नारे लगा रहे हैं। अब यह नारे लगाने का समय नहीं है। अभी तो लोग परेशानी में हैं। सारे लोग काम लगे हुए हैं। यदि ये दो सौ आदमी काम में लग जाएं तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप इनका मेमोरेण्डम ले लीजिए, मैने मेमोरेण्डम ले लिया। उसके बाद भी जब लोगों ने नारे शुरू किये तो मैंने कहा कि देखिये यह बात पहले तय हो गयी थी कि इस वक्त काम की बात करिये। फिर मैंने जो सारी व्यवस्था मीटिंग में हुई थी वह इनके सामने बतायी कि ये व्यवस्थाएं हमसे की हैं। आप यह देखिये कि वे व्यवस्थाएं हुई कि नहीं। एक आदमी ने उस समय कहा कि अभी तक वहां पर पम्प नहीं लगे हैं। मैंने कहा कि आप जाकर देखिये, पम्प साढ़े पांच बजे के पहले वहां लग चुके हैं। बाद में उन्होंने कहां, हां, लग चुके हैं। मैंने कहा, आप यहां बैठे-बैठे बात कर रहे हो। देखिये 24 तारीख की शाम को पांच बजे यहां से ट्रक पम्प लेकर रवाना हुआ जो 25 तारीख को साढ़े तीन बजे वहां पहुंचा। वहां पर चार-पांच बजे ही पम्प लग गये। उसी समय ये प्रतिनिधि मंडल लेकर आये। मैंने कहा पम्प लग चुके हैं, आप जाकर देखिये।

श्री परसराम मदेरणा : 25 की बात होगी? हेलीपेड पर कलक्टर से कुछ लोगों ने जो वहां खड़े हुए थे, वे किसी पोलिटिकल पार्टी के नहीं नागौर के लोग थे। उन्होंने पम्प की बात की। कलक्टर ने कहा कि मैंने दो-तीन पम्प लगा दिये हैं। शायद आपको मालूम होगा मैंने उस समय कहा कि आपने छोटे पम्प लगा दिये हैं। कलक्टर ने यह कहा था कि पम्प जयपुर से रवाना हो गये हैं, वे 25 को लगे होंगे। अब यह प्रश्न कुल मिलाकर नारे लगाने का है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सवाल यह है कि आज नागौर में 29 पम्प लगे हुए हैं। यह तो 25 की बात है। उस समय, अध्यक्ष महोदय, जब पम्प लग गये उसके बाद भी लोगों ने कहा कि साहब पम्प लगे नहीं हैं, यह असत्य है। मैंने कहा जाकर देख लीजिए। फिर देख कर आये तो बोले पम्प लग रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : Here is parliamentary democracy. अगर लोगों को कोई राहत नहीं मिली है तो आपके खिलाफ कोई नारे भी लगायें, आप मुंह को सिलना चाहते हैं, you want to gag the expression of people.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : No question of desperation. It is a question of fact. विधान सभा के सामने इस प्रांगण में सही तथ्य आने चाहिये। यदि कोई प्रशासन की गलती हुई है, देखिये आप प्रशासन की आलोचना करें, उनकी गलती हुई है बताएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पम्प लग गये और आप कह रहे हैं कि नहीं लगे। अभी मिर्धा जी ने कहा कि वहां पर एक पम्प भी नहीं लगा है। अभी अपने भाषण में मिर्धा जी ने कहा कि वहां पर पम्प नहीं लगाये जबकि 29 पम्प वहां पर काम कर रहे हैं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय मैंने नहीं कहा वहां पम्प नहीं लगाये हैं। भामड़ा जी, इस 25 तारीख को शाम को पम्प लगे हैं और इस 25 तारीख की दोपहर को आप को ज्ञापन पेश किया है हमने।

श्री उपाध्यक्ष : मिर्धा जी आप कहिये, बोलिये आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : और मैं क्या कह रहा हूं आपसे।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : ज्ञापन के बाद में लगे हैं और आधे पम्प आज भी खराब हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप अभी कह रहे हो कि नहीं लगा था। 27 को भी कहा था कि नहीं लगे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा का सत्र हुआ था उस समय भी माननीय सदस्य ने कहा था कि नहीं लगे हैं और पम्प अभी तक नहीं लगे हैं, यह आप +++ कह रहे हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : किसने कहा जैन साहब किसने कहा अभी। अभी पम्प नहीं लगने का किसने कहा? (व्यवधान) आप प्रोसीडिंग देख लीजिये अभी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं 27 तारीख के लिए कह रहा हूं। जब विधान सभा शुरू हुई थी और उस समय जब बाढ़ की चर्चा हुई थी उस समय 27 तारीख को माननीय सदस्य ने कहा था कि अभी तक भी नहीं लगे। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : चीफ व्हिप महोदय ने बीच में खड़े होकर कह दिया.... (व्यवधान)....मैं यह कह रहा था कि राजनीति का प्रश्न नहीं है....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस राजनैतिक बहस के बजाय सही तथ्य सामने रखिये ताकि सरकार उसमें एक्शन भी ले। अब आप तथ्य तो रख नहीं रहे हो और राजनीति की बात कर रहे हो। बी.जे.पी. वालों को उन्होंने मदद कर दी, बी.जे.पी. वालों को गाड़ी दे दी, बी.जे.पी. वालों को सामान दे दिया, यह क्या बात है। वहां पर जो स्वयं सेवक काम कर रहे थे, किसी भी संस्था के रहे होंगे, जो काम कर रहा था उसको हमने सब साधन दिये। इन बातों से एक बात तो साबित होती है कि हमने साधन दिये। लोग साधन लेकर गये और लोगों को हमने सारा डिस्ट्रिब्यूशन का सामान दिया, खाने-पीने का सामान दिया, जिन्होंने कांट्रेक्ट करने की कोशिश की आपके करणू में कांट्रेक्ट नहीं हुआ था। उसी दिन बंसीलाल जी रात को दो बजे जाकर करणू में कांट्रेक्ट किया और दो बजे आकर हमको बताया गया....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : कौन है फिर बंसीलाल जी?

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : आपको यह तो जानकारी नहीं है कि पम्प दें तो कितने हार्स पावर के पम्प दें, कितने इंच के पम्प दें...

श्री हरिशंकर भामड़ा : 110 हार्स पावर के। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : भामड़ा जी कोई रास्ता ही नहीं था करण जाने का बंसीलाल जी गये किधर से ?

(18.18)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरिशंकर भामड़ा : पांच लाख लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा था। (व्यवधान).... सब पता है मुझे....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : जरा सुनने की हिम्मत रखिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप जो मर्जी आये बोलिये।....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपने बोलने का ठेका ले रखा है क्या ? (व्यवधान)... +++इस विधान सभा के प्रांगण का सदुपयोग करो।

श्री हरिशंकर भामड़ा : जनता के हित में बोलें तो समझ में आता है लेकिन आप जो मर्जी में आये बोल रहे हैं, जो बात थी ही नहीं वही बोल रहे हैं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनने की हिम्मत रखिये। आप काजू-किसमिस की प्लेटें खा रहे थे। जब वो दो सौ आदमियों के शिष्ट मण्डल को लेकर नारे लगाते हुए पहुंचे .. (व्यवधान) .. उस वक्त आप काजू किसमिस की प्लेटें खा रहे थे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : .. अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी के मध्य झगड़ा हुआ। जबकि मंत्रीजी मेरे से मिले ही नहीं वहां पर और उन्होंने कह दिया कि वहां पर झगड़ा हुआ। मैं वहां दो दिन रहा, उन दो दिनों में मंत्रीजी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मंत्रीजी खेत-खेत में घूम रहे थे, वहां सहायता करने के लिये और इन्होंने कह दिया कि जो मर्जी आये सो मत बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको मालूम नहीं है एक-एक इंच के पम्प लगा कर के 29 की संख्या बढ़ा रहे हो आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप सही बात बोलिये, यदि प्रशासन के लैप्सेज हुए हैं हम उन लैप्सेज को छिपाना नहीं चाहते....

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नहीं, सही बात बोलने का ठेका आपने ले रखा है क्या ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : बिलकुल ले रखा है। ले रखा है ठेका। (व्यवधान).... 10 आदमी या 100 आदमी बोलकर भी असत्य को सत्य नहीं कर सकते और एक आदमी सत्य को असत्य कर सकता है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : पहले राजनीति तो आप करते हो। राजनीति शब्द बोलना तो आपने शुरू किया। आपने कहा है कि राजनीति, राजनीति की बात तो आपने शुरू की है .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी आप ही हो हरिश्चन्द्र और तो हरिश्चन्द्र कोई

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

नहीं है । इस सदन के अन्दर आप ही एक हरिश्चन्द्र हो और तो सब+++हैं । आप ही सच बोलते हैं, आप+++बोलते हो, आप भी हरिश्चन्द्र नहीं हो । आप सत्य की बात करने लग गये यहां पर, आप भी हरिश्चन्द्र नहीं हो आप भी+++ बोलते हो जम कर के , हम एक भी +++नहीं बोल रहे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, हरिशंकर मैं ही हूं आपके सदन में दूसरा कोई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करिये इस शब्द को ।

श्री रामस्वरूप मीणा : बन गये हरिश्चन्द्र साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें । क्यों हाउस का समय खराब कर रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले इस बात पर फैसला हो जाए इन्होंने कहा कि सौ-सौ आदमियों का डेपुटेशन लेकर के ये वहां पर गये और ये प्रोवोक हुए । इनसे पूछा जाए ये क्यों प्रोवोक हुए ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह डिस्कस मैंने शुरू नहीं किया कि यह प्रोवोक हुए इन्होंने मुझे कहा कि आप कहां मिले है वहां (व्यवधान) ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टांग पर टांग धरकर के और आप ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी और बंसीलालजी हो गये सत्यवादी । बंसीलालजी और आप ही हैं सत्यवादी, और तो+++हैं सब । (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 24 पम्प लग गये । (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : हरिशंकरजी, हरिश्चन्द्र मत बनो । (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : बंसीलालजी और आप दोनों ही हो सत्यवादी और तो+++ हैं सारा सदन । (व्यवधान)+++ सदन को××× बताया है आपने और बंसीलालजी को सच्चा बता रहे हो आप जो कुछ कह रहे हो ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++है आप जो कुछ कह रहे हो । सदन सच कह रहा है जो कुछ कह रहा है । (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठें तो अच्छा है ।....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा: ये बंसीलाल कौन हैं ? कहां से आ गयी यह बीमारी बंसीलाल राजस्थान के सदन में ।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये ।.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : +++हो सकता है आपका वह, इसलिये आप नाम ले

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रहे हैं बंसीलाल का। राजस्थान का सदन है यह, हरियाणा का नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपंज करिये, इस शब्द को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आज यहां बतायें बंसीलाल हैं क्या?

श्री हबीबुर्रहमान : मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : है क्या यह बंसीलाल? था क्या? (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : बंसीलालजी का नाम कैसे आ गया राजस्थान के सदन में? इसको बताया जाए, कैसे बंसीलाल का नाम आया?

श्री हबीबुर्रहमान : मैं बताता हूं। बंसीलाल टेलीफोन पर डिप्टी सी. एम. साहब से टेलीफोन पर बात करता है। प्रशासन भी बंसीलाल का हवाला देता है कि बंसीलालजी से यह पूछ लो, काम सही चल रहा है। मैंने खुद कलेक्टर के ऑफिस में भी यह बात सुनी है और बंसीलालजी से मैंने झगड़ा किया है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा: यह बंसीलाल कौन है, यह बताया जाए। हरियाणा का मुख्य मंत्री है, कौन है, स्पष्ट करो इस बात को आप।

श्री हबीबुर्रहमान : मैंने बंसीलाल को कहा भी, क्यों झूठी रिपोर्ट करते हो? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मदेरणा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। धारीवाल साहब, आपने कहने नहीं दिया। (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले बताओ यह बंसीलालजी कौन हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब इसका फैसला होना चाहिये कि ये बंसीलाल हैं कौन। (व्यवधान) यह किसका + + + है?

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, आप बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता कोई बात कहना चाहते हैं। आप दो मिनट बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बिस हाउस मुख्य मंत्रीजी को छोड़कर के....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हेलीकाप्टर कब नीचे आया, कितने बजे आया, इस हेलीकाप्टर में कौन आया, इस सारी जांच के लिये एक आयोग का गठन कर दीजिए आप....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : और अध्यक्ष आपको बना दिया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बंसीलाल कौन बीमारी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और यह बंसीलाल कौन है, इसका भी आयोग बना दीजिए।....(व्यवधान)....

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : घनश्याम जी, अगर हेलीकॉप्टर की जांच कराएंगे तो दिल को बहुत दुःख होगा। ये बाकी जितने भी मंत्री हैं, सब हेलीकॉप्टर में आए हुए हैं और आप यहां बैठे हुए हो।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। मदेरणा साहब कोई बात कह रहे हैं। आप बिराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आप सब सच कह रहे हो। कौन हेलीकॉप्टर से आता है और कौन जाता है, जो ऊपर के ऊपर आता है वह आप की तरह से ऊपर के ऊपर ही वापस चला जाता है। याद रखना, वह आप की तरह ही जायगा, जो आया है ऊपर से।....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस में थोड़ी बहुत उत्तेजना हुई, उसको मैं डिफ्यूज कर रहा हूं। ऐसा है कि कोई बात इधर से कही गयी। इस सदन में मुख्य मंत्रीजी के अलावा मोस्ट एक्सपीरियेंस्ड पार्लियामेंटेरियन उप मुख्य मंत्रीजी हैं। वे इस आसन पर भी बिराजे हैं। सदन में जब मैं बाहर से आया तो करीब 2–3 मिनट तक तो वे बैठे बैठे ही बोल रहे थे। यह सदन की परम्परा है या नहीं, है यह आसन के सोचने की बात है। दूसरा, कोई बात थी तो आप उसका प्रतिवाद करना चाहते थे कि यह गलत कह दिया। लेकिन कई दफे हम लोग विरोधी पक्ष के मेम्बर लोग, आप ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं। आपकी जवाबदेही भी है, आप आंसरेबल भी हैं। उसके बाद में खड़े होकर आप जो कुछ भी ऐसी बात कहते तो आपका प्रतिवाद कर सकते थे लेकिन कोई बोलता है उसमें आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। यह तो सांवरमलजी भी नहीं कर रहे हैं।...

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूं। आप भी बार-बार खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिये मैं वही कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उस परम्परा का अनुसरण कर रहा हूं जो मुख्य मंत्रीजी ने कई वर्षों के प्रयत्नों के बाद में, विरोधी पक्ष के नेता की हैसियत से यहां पर स्थापित की है। मैं उन स्वस्थ परम्पराओं का अनुगमन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह खुशी है कि आप मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पदचिन्हों पर? आपके और मेरे दोनों के पद बराबर हैं। अपना इतना ऊंचा व्यक्तित्व नहीं है, अपन दोनों को ही गलत फहमी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये आगे डिबेट चलने दें जो हो गया, सो हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : समय की रेत के ऊपर जिनके पद चिन्ह स्थापित होते हैं, वे दूसरे लोग हैं। यह आयरनी आफ फेट है कि अपन दोनों की इम्पोर्टेंस पब्लिक लाइफ में हो गयी है। मुख्य मंत्रीजी आपको और मुझे अपने जाने के बाद में कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दूं, याद करेंगे बार-बार।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजनीति की बात कही

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

गयी, वह सर्वथा गलत है। जब डिप्टी सी. एम. साहब सारी उम्र नारे लगाते रहे और इन्होंने नारे लगाये नहीं, 10 मिनट लगा दिये तो इनको क्या तकलीफ हो गयी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं कहकर बाढ़ के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। दिनांक 20.6.96 को सुबह 10.00 बजे मूसलाधार बारिश नागौर में शुरू हुई। जिसमें नागौर के कुछ गांव पानी से घिरे, जिनमें नागौर प्रोपर शहर, नागौर के गांव हैं, सीगर, खींवसर, सांतवास, गोगोराव, देऊ, खजवाणा, कुचेरा गाजू, इनाणा, पटयासण, ताऊसर, चेनार हैं। इन गांवों में 5 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ था। मालपुरा और भराथल, नागौर के पास के गांव थे जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं, 4 गांव वे थे–डटाटी, सिलास, आकेली और बाबाजी की पौ। इन 4 गांवों में 5 से 10 फीट के बीच पानी भरा हुआ था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़-पीड़ितों को राहत पहुंचाने की बात की जा रही है। जब 27 तारीख को मैंने यहां से जाने के बाद मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, मैंने कहा साहब, आप कलेक्टर, नागौर को टेलीफोन करें या उनको निर्देश दें कि जो भी बाढ़-पीड़ित गांव हैं, जहां बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वहां स्वयं कलेक्टर जाएं। मैं 28 तारीख को वहां पहुंचा था। कलेक्टर सुबह 10 बजे कुचेरा पधारे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुचेरा के लिये टेलीफोन किया था मैंने।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : हां साहब, गया था, मैं कह रहा हूं। आपके यहां से टेलीफोन करने के पहले अगर जिला कलेक्टर नागौर के किसी भी गांव में गये हों....

श्री परसराम मदेरणा : आपकी इस संवेदनशीलता के लिये तो हम कायल हैं। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो बार-बार खड़े हो रहे हैं, मेरे कारण नहीं हो रहे हैं। कोई तिनका है जरूर थोड़ा सा।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब खड़े होने वाले के, सब के ही तिनका होगा, कुछ कह नहीं सकता।

श्री रिछपालसिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के इन गांवों में बाढ़ ने भारी तबाही मचायी। डेगाना गांव में अतिवृष्टि से एक ही परिवार के 6 लोग, गोवर्धन माली के परिवार के 6 व्यक्ति मारे गये जिनमें 2 लड़कियां, 2 लड़के और 2 वे खुद पति-पत्नी। केवल उसका एक नाती और एक बूढ़ी मां बची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि 1981 में नागौर में बाढ़ आयी थी तब भी ये गांव पानी से घिरे थे, इनमें भारी नुकसान हुआ था और 1981 के बाद में 15 साल के बाद में नागौर में वापस बाढ़ आयी है। अगर समय रहते, सरकार इस बारे में उचित उपाय करती तो इस बार यह भयंकर तबाही नागौर जिले में नहीं होती। इन गांवों में मवेशी इतने ज्यादा मरे हैं कि कुचेरा की प्रोपर गौशाला में 60 गाय मर गयीं जो अभी तक पानी में सड़ रही हैं, बदबू मार रही हैं। वहां की नगर

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

पालिका ने और वहां के लोगों ने कुछ काम ऐसे किये जो प्रशासन तो नहीं के बराबर कर सका। वहां के लोगों ने, 300 वहां के मुसाफिर जो बाहर के आये हुए उस गांव में फंस गये, तीन दिन तक उनको खाना खिलाया और उन लोगों को आगे के लिये बसें पकड़वायीं। अपनी निजी गाड़ियों से उनको छोड़ा और यह काम वहां जैन समाज नामक एक संस्था है, उसके सदस्यों ने किया। बंसीलालजी कहीं नजदीक ही नहीं थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर के जिन गांवों में बाढ़ से भयंकर नुकसान हुआ है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि अभी डेगाना में 3 व्यक्तियों को ही पैसे मिले हैं, उन 6 को मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की जमीन बरबाद हो गयी, लाखों का माल जिन व्यापारी वर्ग का भी बहा है, खाद के कट्टे बह गये, सीमेंट पड़ी-पड़ी खराब हो गयी, किराने का सामान बह गया, उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाकर राज्य सरकार उन गरीबों को राहत पहुंचाए। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानीजी जोशी (अनुपस्थित)।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की बात है। मैं एक ही मिनट में....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अभी। सबका नाम आ जाएगा।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मैं दो मिनट का समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्रीमान् डूडी साहब।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। सबसे पहले कोई बाढ़ आयी है तो जोधपुर जिले के अन्दर आयी है। 21-22 तारीख को और इससे पहले 13, 14 और 15 तारीख को वहां पर बरसात हुई भोपालगढ़ और ओसियां एरिया के अन्दर। उसके बाद में 19, 20, 21 और 22 तारीख को बरसात हुई। इस बरसात से पूरा एरिया पानी से घिर गया और पानी से घिरने के बाद में जो नागौर में जबरदस्त पानी बरसा वह सारे का सारा, पानी नागौर की बाढ़ से जो गांव चपेट में आये, वह पानी पूरा का पूरा भोपालगढ़ क्षेत्र में होकर लूणी नदी के अन्दर बहा।(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बंसीलालजी आ गये होंगे। मामड़ा जी के एक्स.एम.एल.ए. हैं, बुला लिया होगा, उनको क्या इतना दर्जा देना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यह चर्चा हो रही थी कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का काश्तकारों की जो पीढ़ियों की कमाई थी, नीचे के गांवों से जिनकी बस्तियां थीं, वे पूरी की पूरी तबाह हो गयी हैं। मैं जब 23 तारीख को भोपालगढ़ क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में गया तो मैंने यह देखा कि नीचे की बस्तियों के अन्दर जो गरीबों के घर थे, कम से कम पांच सौ घरों में से एक भी मकान नहीं बचा। जो रेबारी लोग बाहर रहते हैं उनके घरों पर ताले लगे

(श्री रामनारायण डूडी)

हुए थे, जो हाली थे लोगों के, उनका पूरा सामान नष्ट हो गया। पूरा का पूरा तालाब भर गया और तालाब भरने के बाद इस बात का विवाद पैदा हुआ कि इसका पानी किधर से निकाला जाए क्योंकि मंगेरिया की सड़क ऊंची ली हुई थी। उस विवाद के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण, यदि दो दिन पहले वह तालाब भर गया था और 22 तारीख की रात को जो बरसात हुई, उससे सारा तालाब ओवरटोप हो गया और करीबन पांच सौ घर पूरे के पूरे बह गये। और कम से कम पांच सौ घरों के अन्दर दरारें पड़ी हुई हैं। एक भी मकान वहां पर रहने लायक नहीं है। यह स्थिति तो मैं केवल एक गांव की ही निवेदन कर रहा हूं। उसके पास ही आपका लवारी गांव है, रड़ोद, है सुरपुराखुर्द है, हिंगोली है, आसोप है। जितने भी गांव जो लो-एरिये के अन्दर थे, उनके घर वगैरह डेमेज हो गये। तालाब और एनीकट वगैरह टूट गये। उनके अलावा खींवसर होते हुए यह पानी आगे बढ़ा। उधर से खजवाना और नागौर का पानी भी खींवसर में आया था और उसके बाद में जो बाढ़ बनी खींवसर के आगे बरबट्टा होते हुए भोपालगढ़ कांस्टीट्यूएंसी में मोरनावड़ा गांव से एंटर होती है। अध्यक्ष महोदय, मोरनावड़ा से लगाकर लूणी नदी तक का कम से कम 80 किलोमीटर रेंज और दो किलोमीटर की चौड़ाई के अन्दर, 61 गांव आपके प्रशासन ने जोधपुर जिले के बताये हैं, उनमें से कम से कम 55 गांव भोपालगढ़ कांस्टीट्यूएंसी पंचायत समिति भोपालगढ़ और पंचायत समिति औसियां के हैं, वे सम्मिलित हैं। उन सारे गांवों के अन्दर कच्ची बस्तियों में जो लोग ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं वे शिड्यूल्ड कास्ट के भाई हैं। आज भी चांदरक के अन्दर मैं रात को आया तो दो–तीन फीट पानी पड़ा है। फड़ासला के अन्दर चार-पांच फुट पानी पड़ा है, आपके बापीनी और जो रिड़मलसर है, वहां पर पूरा का पूरा पानी करीबन 20 फुट पानी, जैसे कोई यूनानी लोग खैबर के दर्रे से आये हों, वैसे के वैसे एक नाला, प्रोशॅन जो है, पूरा का पूरा उस डिप्रेशन के अन्दर भरा है और कम से कम 20 फुट पानी 25 तारीख की शाम जो जब हम लोग वहां देखने के लिये गये थे, उस वक्त था। जब मैं कल गया तो वहां कम से कम 10 फुट पानी अभी तक पड़ा है। साढ़े सात के करीबन मैं वहां था। यह हालत है। आज भी सारे लोग घरों के बाहर बैठे हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन ग्रामीण लोगों को भी जिन्होंने इस आपातकाल के अन्दर और उन स्वयं सेवी संस्थाओं को भी जिन्होंने पूरे इलाके के अन्दर लोगों की मदद की, धन्यवाद देना चाहता हूं। आटा पानी दिया, चाय-पानी दिया। मैं प्रशासन की बात याद करूंगा। प्रशासन ने कितना किया, वह भी ऑन रिकार्ड है और उसके बाद में जो तबाही मची है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि आप आते हैं तो बरसात अच्छी होती है, बाढ़ आती है, बहुत बढ़िया बात है। 1979 के अन्दर भी बाढ़ आयी। यह दृश्य जब हमारे सामने आता है, उस वक्त मैं भी बिलाड़ा से एम.एल.ए. था और वही नागौर के अन्दर परबतसर से लगाकर अजमेर की घाटियों, पीसांगन और आपके रास्ते में राताडूका, कूकड़ी वगैरह से जो पानी आया, वह लूणी नदी और जोझरी

(श्री रामनारायण डूडी)

नदी के अन्दर आया। आज भी वही स्थिति उन बंधों की माननीय इरिगेशन मंत्री महोदय है। आप मुझे कोई भी एक बांध बता दें, जिसकी आपने 16 साल के अन्दर रिपेयर करवायी हो। कोई भी एनीकट, जिसे आपने रेंसकर बुरवाया हो। आज जैसी स्थिति भगवान नहीं करे। जिस प्रकार से नागौर के अन्दर एक ही रात के अन्दर 300 मिलीमीटर बरसात हुई। आज भोपालगढ़, जहां तहसील हैड क्वार्टर है, वहां पर 431 मिलीमीटर बरसात हुई है। यदि ऐसी बरसात की माप गर्जसिंहपुरा और आसोप में लिया गया होता तो कम से कम 600 मिलीमीटर बरसात इस एरिया के अन्दर हुई है और कम से कम 600 मिली-मीटर बरसात आपके फड़ासला, बेदु, बापीनी, रायमरवाड़ा, कपूरिया, तापू वहां पर अपने आप ही इतनी बरसात हुई है कि वहां पूरे के पूरे धोरे जल मग्न हो गये और जिससे काश्तकारों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किसी भी काश्तकार की मेड़बंदी नहीं रही ट्यूबवैल साफ हो गये, कुओं में मोटरें रह गयीं। हमारे एक्स. एम. एल ए. रणजीतसिंहजी ने, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वे तीन दिन बाद. डोवरा अपने कुएं पर रह गये थे। चारों तरफ से घिर गया। हम लोग भी वहां पर नहीं पहुंच पाये। चार दिन के बाद में देखा तो कम से कम उस व्यक्ति के पांच लाख का नुकसान हुआ, इससे भी ज्यादा है। पूरे एरिया के अन्दर एक-एक काश्तकार का यदि नुकसान का मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी काश्तकार का दो और तीन लाख के बीच से कम का नुकसान नहीं हुआ है। राज्य सरकार क्या भरपाई करेगी? अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण पीढ़ियों से संचित पूंजी का नुकसान हो गया। अब यह संवेदनशील सरकार जो काश्तकारों के बलबूते पर बैठी है, हम यह चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अन्दर, जो मानसून अभी आगे है, किस प्रकार से बाढ़ से बचाव करने के लिये आप क्या बचाव कार्य करने जा रहे हैं। यदि थोड़ीसी भी बारिश हो गयी, रात को साढ़े नौ बजे जब मैं ओसियां से रवाना हुआ तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और शायद आज यह समाचार आया कि आंधी आयी थी तार टूट गये बिजली का करंट लगने से तिवरी, मथानिया वगैरह के अन्दर चार आदमी मर गये। तो ऐसे हालात के अन्दर यदि वापस बरसात हो गयी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक भी थेला, कल की पुख्ता जानकारी के आधार पर, इरिगेशन मंत्री श्री देवीसिंह जी भाटी साहब, भोपालगढ़ एरिया के अन्दर एक भी थैला मिट्टी का, चाहे आज बरसात हो जाए और गर्जसिंहपुरा के तालाब और एनीकट के पास थैले वगैरह नहीं दिये तो वह पूरा गांव बह सकता है। जितने भी बड़े-बड़े तालाब हैं वहां पर आपने बाढ़ बचाव का काम नहीं किया। आपका कोई उच्च अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा। एक जे ईएन. मोटर साइकिल लेकर घूमता है, कहीं नाला आ गया वहीं रुक गया, भोपालगढ़ तक जाता है। पी. डब्ल्यू. डी. की सारी रोड डेमेज हो गयीं, आवागमन के सारे रास्ते बंद हो गये। कल बिजली वालों ने पांच-दस गांवों में खम्भे खड़े करवाये उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मगर बाकी

(श्री रामनारायण डूडी)

दूसरे डिपार्टमेंट का एक भी आदमी अभी तक वहां नहीं पहुंचा। तहसीलदार, थानेदार, डी. वाई. एस. पी. गाड़ियां लेकर घूमते हैं और जब उनसे पूछते हैं, भाई, आप आटा लेकर आये, आपके पास कोई सिरकी है, कि वह तो अभी तक हमें दी ही नहीं। ओसिया पंचायत समिति के अन्दर गवर्नमेंट के रिकार्ड के मुताबिक 3200 परिवारों का इन्होंने सर्वे बताया है और कम से कम 10,000 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अपन थोड़ा सा संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे तो काफी माननीय सदस्य आ जाएंगे नहीं तो रात को एक बजे तक भी यह पूरा नहीं होगा जो लिस्ट मेरे पास है।

श्री रामनारायण डूडी : 3200 परिवार इन्होंने बताये। 3178 परिवार आन रिकार्ड बताये हैं, वहां 10,000 परिवार इफैक्टेड हुए। और आपने जो सहायता दी है वह बहुत कम है क्योंकि आप हेलीकाप्टर में घूमे होंगे, सारे अधिकारी गाड़ियां लेकर घूमे होंगे, इनके चैयरमैन आदि जो कोई भी हैं उनको शायद साथ में पैकेट देकर हेलीकाप्टर में ऊपर से गिरवाये होंगे कि फलाना चैयरमैन आये हैं और हेलीकाप्टर से कुछ पैकेट गिराये हैं, उनकी संख्या 3500 है, 3500 पैकेट जिसमें चना, मखाणे आदि होते हैं 525 सिरकियां दीं हैं, मतलब 6 परिवारों के पीछे एक सिरकी गवर्नमेंट रिकार्ड के अनुसार अब 6 परिवारों में कितने आदमी होंगे, लगभग 30 आदमियों के बीच में। वह कहां छिपेंगे ? वह लोग धोरों पर बैठे हैं घरों में पानी घुसा हुआ है। 6.75 क्विटल गेहूं का आटा दिया है मनुमोग, मनुमोग लिखा हुआ था कल एक गाड़ी घूम रही थी। एक आदमी पर आपने आधा किलो दिया, यह आपकी सहायता है। आप आधा किलो से किसी आदमी को जिन्दा रखना चाहते हैं ? 6 या 10 परिवारों के बीच में एक मेणिया देकर उनको इस मानसून की बरसात में जिसमें आने वाले वक्त में वह एक महीने तक अपने घरों के अन्दर नहीं जा पाएंगे, यदि आप जिन्दा रखना चाहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : अब आप एक मिनट में समाप्त करने की कृपा करें।

श्री रामनारायण डूडी : 5 क्विटल आपने मेणिया दिया है पंचायत समिति को, मैं ओसियां की बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आपने लाखों करोड़ों रुपये डीजल के अन्दर फूंक दिये, हवाई सर्वेक्षण में फूंक दिये, पूरी पिक्चर आपके सामने है, आप जयपुर के अन्दर कण्ट्रोल बोर्ड लगाकर देख लेवें, बटन दबाकर देख लीजिये कि यह गांव इफैक्टेड एरिया है, आप वीडियो रील मंगवा लेते। जो इफैक्टेड परिवार है उन तक किसी प्रकार की राजकीय सहायता एक नये पैसे की नहीं पहुंची। दो रुपये पर कैपिटा आपको सहायता दी है, यह राजस्थान की संवेदनशील गवर्नमेंट है। इससे घटिया और क्या स्थिति हो सकती है ?

मैं यह चाहता हूं कि आज जो कुए नष्ट हो गये हैं, आपने नर्सरी योजना के अन्दर उनको कनेक्शन दिये, वह इस साल चलने के नहीं हैं, क्या उनको आप बंद

(श्री रामनारायण डूडी)

करेंगे, उनके बिल बंद करेंगे ग्राप ? काश्तकारों ने तीन-तीन बार बुवाई की पर आज भी एक दाना नहीं उगा है। भोपालगढ़, श्रोसियां और फलौदी के ग्रन्दर मैंने खुद मेरी ग्रांखों से खेतों में जाकर देखा है, एक बाजरे का दाना नहीं उगा है। क्या ग्राप उनके लिये बीज की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बिराजें ग्राप। ग्रब बिराजने की कृपा करें।

श्री रामनारायण डूडी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोग्रापरेटिव का लोन ग्रापने पहले वितरित कर दिया, ग्राज उनके पास बीज खरीदने के लिये ग्रनाज खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। तो क्या यह एडीशनल लोन ग्राप उन काश्तकारों को देंगे जो इफैक्टेड हैं? दूसरा, क्या ग्राप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ग्रन्दर जिन लोगों के कुए प्रभावित हुए हैं उनको बिना ब्याज लोन देंगे ? क्योंकि जो क्रय शक्ति थी। जो पीढ़ियों का धन था वह एक रात में बह कर चला गया।

ग्रध्यक्ष महोदय, यह कुछ बातें मैंने बतायीं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ग्राप समय रहते, मानसून ग्रब शुरू हुग्रा है, जो परिवार इफैक्टेड है उनको बसाने के लिये त्वरित गति से काम करेंगे तब जाकर लाभ होगा। एक लाख रुपये ग्रभी ग्रापने जोधपुर में, मैंने कल बात की, ग्रखबार में था कि देवड़ाजी गये तो हमने एक लाख रुपये उनके डिपार्टमेंट से दिये हैं, दिये होंगे। तो जो लोग इफैक्टेड हुए हैं उन तक सहायता पहुंचे। कोई राजनीति नहीं हो। बाढ़ उन सब लोगों के लिये है चाहे वह कांग्रेस में है, चाहे बी.जे.पी. में है ग्रौर चाहे किसी भी दल के ग्रन्दर है। कहां लोगों ने काम किया, किसने काम नहीं किया, जिन्होंने इन हालात के ग्रन्दर लोगों की मदद की उन लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु सरकार की निष्क्रियता रही, प्रशासन ने सहायता देने में कंजूसी बरती। यह ग्रांकड़े जो मैं ग्रापको बता रहा हूं सिरकी है, तिरपाल है, ग्राटा है यह बहुत ही कम है ग्रौर यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। ग्रापने समय दिया, धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री राकेशजी मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में 20 साल बाद में रिकार्ड तोड़ बरसात से बाढ़ ग्रायी। यह नागौर जिले के लिये दूसरा चांस है। हालांकि इससे 20 साल पहले बाढ़ ग्रायी उस समय सरकार यदि कोई पर्याप्त ग्रौर माकूल व्यवस्था करती तो शायद ग्रब वापस ऐसी स्थिति नागौर जिले में तो नहीं होती। क्योंकि हमेशा नागौर जिले में गौर नहीं किया जाता है, इस बार भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राज राजस्थान में ग्रापकी सरकार है तो ग्राप कम से कम इस पर गौर फरमाएं ताकि ग्राने वाले समय में ऐसी दुर्दशा कहीं नहीं हो।

नागौर जिले में 14 मौतें हुई हैं उनमें से करीब 10 को राहत दी गयी है ग्रौर 4 को राहत नहीं दी गयी है, तो जो 4 बचे हैं उनको भी राहत दिलावें ग्रौर गांव में यह सुनने में आया है कि 14 नहीं कम से

(श्री राकेश मेघवाल)

कम 20 आदमी मरे हैं. हमारा लिस्ट में नाम नहीं है हमारे यहां भी दब गया, पानी में डूब गया, तालाब में मिले नहीं, तो इसकी भी जांच करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मरने वालों को 10/10 हजार रुपये मुख्य मंत्रीजी ने अपने कोष से दे दिये लेकिन किसी के चोटें आयी हैं, किसी के पैर में पट्टी के नीचे दबने से पैर मे फ्रैक्चर हो गया या मकान गिर गया, झुग्गी, झोंपड़ी वालों की झोंपड़ी बह गयी उनको भी तुरन्त कोई सहायता दिलावें। आज वापस बारिश आ सकती है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को आज तक राहत नहीं मिल पायी है। मरने वालों का नाम लिस्ट में आ जाता है लेकिन झुग्गी–झोंपड़ी वालों का और बहने वालों का नाम लिस्ट में नहीं आता है। यह प्रशासन लापरवाही जरूर करता है। अगर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को यह सही सूचना दे. तो उसमें मुख्य मंत्रीजी कहीं कोताही नहीं बरतेंगे, यह मुझे विश्वास है। कई बार ऐसा हो जाता है कि राजनीति भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि अगर यहां से सही रिपोर्ट चली जाएगी तो यह गांव कांग्रेस का है, यह गांव बी.जे.पी. का है, ऐसा नहीं होगा।

मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में तो राजनीति नहीं लावें। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी राजनीति से ऊपर उठकर इन कार्यों में तत्परता से कार्य करते हैं। हम सभी माननीय सदस्यों को चाहिये कि इस मामले में राजनीति नहीं लावें और गरीब तबके के लोग, जो बाढ़ में हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको नुकसान व राहत दिलावें। आस-पास में इधर-उधर से थोड़ा बहुत करके और सरकार से दिलावें। चुनावों के लिये भी तो लोग चन्दा करते हैं तो उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिये चन्दा इकट्ठा करके उनको राहत दिलायी जा सकती है। यह भी एक व्यवस्था हो सकती है। आप माननीय सदस्य हैं, सभी अपने-अपने क्षेत्र में यह करवायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ठेकेदार से भी ले सकते हैं?

श्री राकेश मेघवाल : हां, अगर आप किसी से भी लें दान में, सबका सहयोग हो सकता है, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे राजनीतिज्ञ हों, या जे. ईएन. हों। सब मानव हैं, इंसान हैं किसी से भी लिया जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी खजाने से दिलाओ पहले।

श्री राकेश मेघवाल : सरकारी खजाने से तो जो नियम बना है दस-दस हजार का, वह मुख्य मंत्रीजी ने हाथों-हाथ उसी समय दे दिया। लेकिन जो अपना खजाना है, उसमें से थोड़ा बहुत सब लोग देवें और दिलावें। नागौर जिले में मेरे एरिया का जो गच्छीपुरा गांव है उसमें भी 2 आदमी मरे हैं। उनको 10–10 हजार रुपये मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं और डेगाना में 6 मरे हैं उनको भी दिये हैं। लेकिन कुछ लोग रह गये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : जो मर गये

(श्री मोहनलाल मोदी)

उनको दे दिये लेकिन जो जिन्दा हैं उनका क्या हुआ ?

श्री राकेश मेघवाल : डेगाना में 6 को दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा अगर 3 को दिया है तो 3 को और राहत दिलाने की कृपा करावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दो तो मैं अभी भुगतान कर दूंगा।.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : कैजुअल्टी हुई है उनको 50–50 हजार रुपये की इमिजियेट रिलीफ दी गयी है, जो मरे हैं हरियाणा में। राजस्थान उसका पड़ौसी है, हरियाणा से बड़ा है, 10–10 हजार रुपये दिये यह बहुत कम है। आपको तुरन्त उस वक्त दिलवाना चाहिये जब हरियाणा की रिपोर्ट आ रही थी, आपके पास नहीं आयी, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास दूसरे राज्यों में जो अनुदान दिया जाता है, राहत दी जाती है, उसकी भी सूची है।

श्री रामनारायण चौधरी : हरियाणा की सरकारी सूची तो आपके पास में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किन-किन राज्यों में किस प्रकार की राहत दी जाती है यह पूरी आल इंडिया की सरकारी फीगर्स हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : फिर आपने 10 हजार क्यों रखे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सबकी फीगर्स हैं।....(व्यवधान)....

श्री राकेश मेघवाल : मैं आपको अभी नाम बता दूंगा जिन 3–4 को नहीं दिया। जिन आदमियों को नहीं दिया उनकी लिस्ट मैं अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : अभी तो शुरू ही किया है। स्पीड बनते-बनते बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नागौर का मामला है इसलिये पूरा समय देवें। क्योंकि पहले ही इस पर गौर नहीं किया जाता और फिर आप भी थोड़ा गौर करावें और मुझे समय प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप फरमायें।

श्री राकेश मेघवाल : इस बाढ़ में कई भैंसें, पशु एवं पक्षी और बहुत से तार टूट कर गिर गये तो उससे भी 4–5 भैंसें मर गयीं। मंगलाना में बहुत-से जानवर सड़क के किनारे, तालाबों के किनारे मरे हुए पड़े हैं। लेकिन हरिजन कहते हैं कि हमारे लिए भी कोई उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे तो खुद की झोंपड़ी बह गयी, हमारे खुद के मकान ढह गये। हम हमारे मकानों में से अपने बीवी-बच्चों को निकालें या उन जानवरों को उठाकर वहां ले जायें। इसलिये इसमें हरिजनों को भी विशेष तौर से जिनकी झोंपड़ियां बह गयीं या मकान ढह गये उनको विशेष व्यवस्था कर राहत दी जावे। ऐसे मामलों में हरिजन ही एक ऐसा

(श्री राकेश मेघवाल)

आदमी है जो पशुओं को इधर-उधर उठा कर उनको दफनाता है या बाहर ले जाता है। उनसे बीमारी फैलती है। सड़क के किनारे जहां भी जाते हैं बदबू ही बदबू आती है। तालाब के किनारे जाते हैं, गांव वालों से मिलने जाते हैं तो बदबू ही बदबू आती है। पूरे एरिया में बीमारी फैलने की आशंका है।

मेरे ख्याल से चिकित्सा मंत्रीजी ने ध्यान दिया दिया होगा इसलिए आप जिले के सी.एम.एच.ओ. को निर्देश प्रदान करावें कि प्रत्येक गांव में एक टीम भेज कर सर्वे कराया जाए कि कहां-कहां बीमारी फैल रही है। उनको तुरन्त दवाइयां उपलब्ध करवायें और इसकी व्यवस्था पूरे नागौर जिले में भी करें।

नागौर जिले में परबतसर एरिया में 25 बांध और एनीकट हैं। शायद नागौर जिले में सर्वाधिक हैं। उनकी हालत जर्जर हो गयी है जिसके कारण ज्यादातर इसकी वजह से ही बाढ़ आयी है। अगर वह समय रहते ठीक हो जाते, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी यह कहा था कि 25 के 25 बांध टूटे हुए पड़े हैं, एनीकट टूटे हुए पड़े हैं, माननीय मंत्री जी से भी निवेदन किया था, लैटर भी लिखकर दिया था, यहां मीटिंग हुई थी उसमें भी यह कहा था कि बांधों की रिपेयरिंग करायी जाए। यहां से पानी डेगाना एनीकट में जाता है तो इधर से यह बाढ़ आयी है और बकरी गांव डूब गया।

पूरे मकराना की आबादी 70 हजार है। मकराना पूरे देश की विश्व विख्यात मार्बल मण्डी। उसमें काला नाड़ा के नाम से एक चर्चित एरिया है। पूरे गांव का पानी उस काले नाडे में जाता है और उस काले नाडे में आज यह स्थिति है कि प्रत्येक घर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच फीट तक पानी में डूबा हुआ है आज बारिश नहीं है फिर भी। माननीय सदस्य, रूपाराम जी का घर वहीं है। यह खुद फंस गये थे काले नाडे में। आदमियों ने जाकर तगारी और फावड़े लेकर दीवार तोड़ी तब जाकर वह खानों में पानी चला गया नहीं तो यह काले नाडे में काफी लोग डूब जाते। इसकी कोई माकूल व्यवस्था करावें। इनको तो थाने ले जाकर बिठा दिया कि माननीय विधायक महोदय नहीं डूब जाए। वहां के अनुसूचित जाति के सभी लोग उस काले नाडे में रहते हैं। माननीय विधायक महोदय तो अकेले हैं इनके चारों तरफ अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं। उनकी सुरक्षा का पूरा बन्दोबस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करें।

श्री राकेश मेघवाल : बोरावड़ में एक तालाब है। बोरावड भी 35 हजार की आबादी का एक गांव है। यह बोरावड़ भी पानी से घिरा हुआ है और अब भी घिरा हुआ है। (व्यवधान) संक्षिप्त तो, ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं काफी समय बोलता और अच्छा भी बोलता लेकिन मुझे भी दुःख है कि इसमें दीवार गिरने से मुझे खुद को 20 लाख का नुकसान हो गया। इसलिये दर्द के मारे मेरा दिल बैठ गया है। इसलिये बोल नहीं सकता। खान नम्बर 49 और 50 कुमारी रेंज में, जहां मेरा मार्बल का शोरूम आता है, वह खान सड़क के तीन फीट नीचे आधी सड़क टूटकर उस खान में गिर गयी। हालांकि यह माल टूटकर मेरी

(श्री राकेश मेघवाल)

खान में गिरने से मुझे ही नुकसान हुआ है उस समय अगर राजस्थान रोडवेज की कोई बस होती तो वह बस उस खान में गिर सकती थी और जन हानि भी हो सकती थी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खान नम्बर 49 और 50, जो सड़क के अन्दर कटिंग किया हुआ है, उसको डम्पिंग करके मलबा भर कर उसको समतल कराया जाये ताकि आने वाले समय में राजस्थान रोडवेज की कोई बस या वहां से मार्बल के 20–20, 30–30 टन के भरे हुए ट्रक जाते हैं वह उसमें नहीं गिरे और मुझे 20 लाख रुपये का जो नुकसान हुआ है, मुझे एक सदस्य होने के नाते तनख्वाह थोड़ी मिलती है इस लिये उसका भी मुआवजा दिलाने की कृपा करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री बृजेन्द्र सिंह जी सूपा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देगा।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसा है, जो माल टूटा है वह माल बुक्स में दिखाया हुआ है। 25 लाख का इंश्योरेंस है इसलिये इन्कम टैक्स की चिन्ता आपको नहीं करनी है मुझे करनी है। 25 लाख का इंश्योरेंस है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इन्कम टैक्स की रेड पड़ने वाली है आपके ऊपर। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहता हूं, परन्तु बहुत कम समय में अपनी बात कहने का कष्ट करें। श्री बृजेन्द्र सिंह जी।

(19.00)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से सभी चिन्तित हैं। उसी में मैं अपने आपको जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि भरतपुर में जो बाढ़ से तबाही हुई उसके कारण वहां की आम जनता, जो छतों पर बैठी हुई है उसके कारणों पर जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस समय भरतपुर में पानी की आवक हो रही थी उसकी सूचना पूर्व में वहां की जनता को क्यों नहीं दी गयी ? क्योंकि सरकार बिलकुल अनदेखी कर रही थी और वह इस इन्तजार में थी कि कब भरतपुर में पानी आये और कब चारों ओर तबाही फैले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भरतपुर में पानी ने प्रवेश किया उसी समय वहां के अधिकारी बड़े शांत भाव से 25 तारीख को बीस सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में कहीं भी यह जिक्र नहीं हो रहा था कि नगर में पानी प्रवेश कर गया है और नगर से पानी आकर भरतपुर में आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर में तीन नदियों से पानी आता है–बाणगंगा, गम्भीरी और रूपारेल से। वहां का एक सिस्टम है, हमारा वह सिस्टम बिगड़ चुका है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिये सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं

(श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा)

उठाया, वहां के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे वहां का यह सिस्टम ठीक किया जा सके। क्योंकि 1995 में जब बाढ़ आयी थी तो भरतपुर के कुछ हिस्सों में तबाही हुई थी। इससे पहले 1972 में गम्भीरी नदी से बाढ़ उत्पन्न हुई उससे हमारे भरतपुर जिले के आधे हिस्से में बहुत ही तबाही हुई और उसका भी एक सिस्टम था, जो सिस्टम बाद में ठीक भी किया गया था। उसके बाद में 1995 में जब बांध का हमारा सिस्टम डगमगा गया, उसको वहां ठीक नहीं किया गया, क्योंकि वहां के जो बांध हैं, भरतपुर जिले के, वह एक तरह से टूट गये और टूटने के बाद वहां के पानी का सिस्टम बिलकुल खतम हो गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान उन मासूम बच्चों की तरफ नहीं गया, जो मासूम बच्चे छतों पर भूख से बिलबिला रहे थे। उन महिलाओं की तरफ नहीं गया जो महिलाएं असहाय होकर बाढ़ में फंसी हुई छत पर बैठी हुई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रशासन ने जब सरकार को सूचना दी कि हमारे यहां भयंकर बाढ़ आयी हुई है हमें एयर फोर्स और आर्मी की सुविधा दिलायी जाए। यह प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद भी एयर फोर्स और आर्मी की सुविधा हमें प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि सरकार ने उनसे सम्पर्क किया या नहीं किया मगर एयर फोर्स की जो सुविधा हमें मिलनी चाहिये थी, जो सहायता हमें मिलनी चाहिये थी वह समय पर उपलब्ध नहीं हुई। यह कारण भी माननीय मंत्रीजी ध्यान में रखें, क्योंकि हमारे भरतपुर जिले में जो तबाही हुई है और जो हमारी जन-धन की हानि हुई है, उससे वहां की जनता में रोष व्याप्त है। मैं स्वयं भरतपुर में गया था। मेरी गाड़ी पटपरा मौहल्ले में रोक ली गयी थी और रोकने के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहां के विधायक हो। कई लोग मुझे जानते थे उन्होंने कहा यह तो बयाना से हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि हमने समझा शायद आप बी.जे.पी. के विधायक हैं, अन्यथा हम आपको जाने नहीं देते। जनता में रोष है और जनता में रोष इस कारण से है कि उनको समय पर अगर सूचना हो जाती तो वास्तव में अपने बचाव में वह कुछ न कुछ कर सकते थे।

मैं साथ ही आपके माध्यम से सरकार का यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पड़ौस में बयाना क्षेत्र के कुछ गांवों में भी बाढ़ आयी है, जिसमें कई गांव डूब चुके हैं और अतिवृष्टि से वहां नुकसान हुआ है, अतिवृष्टि से कई गांव तबाह हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को आप आगाह करें कि उन गांवों में कोई इन्तजाम जैसे उनके रिंग बांध हैं, उनको बनवाया जाए क्योंकि गम्भीरी नदी से जो पानी आता है वह गांवों के कटाव में लगा हुआ है और कई गांव ऐसी स्थिति में आ गये है कि अगर गम्भीरी नदी में दुबारा पानी आया तो गाव उजड़ जाएंगे। यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जो गांव हैं उनके खेतों में रेता डाल दिया गया है, खेती कट चुकी है। वहां फसल उगने में मेरे खयाल से बीसों साल लग जायेंगे फिर भी वहां फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है

(श्री बृजेन्द्र सिंह)

कि सर्वे कराकर वहां के सिस्टम को ठीक किया जाय। खास तौर से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पानी का वहाव बयाना तहसील के कुछ गांवों में है उसमें खास तौर से हमारी ककुन्द नदी है जो वन्द वारेठा का ओवर फ्लो पानी निकलता है, वह सिल्ट हो चुकी है। उसकी जब तक खुदाई नहीं की जाएगी, पानी से हमेशा कम से कम 10—12 गांव घिरे रहेंगे, उसकी खुदाई करायी जाए।

यही नहीं, माननीय अध्यक्ष, माननीय विधायक श्री हरिसिंहजी के गांव को जाते हैं तो उस रोड का नाम है सिकन्दरा से खेड़ला। उस रोड की स्थिति यह है कि पहाड़ है और उस पहाड़ से पानी बहुत तेजी के साथ आता है जिससे कई गांव बरबादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे गदैखार इत्यादि। गदैखार में पानी आ जाता है और चीखरू में भी आता है, छज्जा मोरोली में भी पानी आता है। इस तरह से उस पहाड़ के किनारे डण्डा लगाना अति आवश्यक है। अगर डण्डा नहीं लगाया गया तो वहां बहुत भयंकर नुकसान होगा।

हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप कह रहे थे कि आपने पत्र नहीं लिखा। मैंने स्वयं ने लिखा है कि आपके पत्र के जवाब में कि हमारे बयाना विधान सभा क्षेत्र की सड़कें बिलकुल क्षीण हो चुकी हैं, उनकी कहीं कोई मरम्मत नहीं हुई, 19/5 में टूटने के बाद एक भी पुलिया आपकी ठीक नहीं हुई और पुलिया ही नहीं बल्कि रिमेटलिंग तो कहीं हुआ ही नहीं पूरे बयाना विधान सभा क्षेत्र में, आप जांच करा लीजिये। अब आप कहेंगे कि 1996 में बाढ़ आ गयी इससे फिर वह गयी होगी....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं-नहीं ऐसा नहीं कहेंगे और मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शायद बयाना नगरपालिका की सड़कों के लिये काफी पैसा इस बार दिया है बात शायद आपकी जानकारी में होगी।

श्री बृजेन्द्र सिंह : मेरी जानकारी में माननीय मंत्रीजी बिलकुल है और उसका कार्य आपने इतनी धीमी गति से चला रखा है कि मेरे खयाल में आधा किलोमीटर सड़क भी अब तक पूरी नहीं हुई है। इस धीमी गति से कार्य चल रहा है। उस पैसे का क्या हुआ आप बतायें ? आप बताएं कि कितने महीने में आधा किलोमीटर सड़क पूरी हुई ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस बरसात के बाद निश्चित रूप से 31 मार्च, 1997 तक पूरी हो जाएंगी, जितनी अधूरी हैं ?

श्री बृजेन्द्र सिंह : मैं आपका आभारी हूं। वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्रीजी हमेशा घोषणा करते हैं और उनकी किसी घोषणा पर कभी अमल नहीं हुआ। (व्यवधान) आपने कहा कि पैच वर्क हो जाएगा, नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। अभी श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा की बात हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : आपने कहा कि मरम्मत हो जाएगी, वह मरम्मत नहीं हुई यह सिर्फ घोषणा करते हैं और....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अभी तो बृजेन्द्र सिंह जी सूपा के यहां की बात हो रही हैं, बयाना की बात हो रही हैं। आप बिराजें अभी।

श्री विष्णु मोदी : इस सदन को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्यों लम्बी कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह : मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विश्वास दिलाया। मुझे विश्वास है कि शायद सड़कें पूरी हो जाएंगी अगर धीमी गति से भी चलीं तो साल भर में उम्मीद हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय पूरा करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह : परन्तु जितनी गति से काम चल रहा है उससे उम्मीद नहीं है। दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं कि पुलियाएं जो सड़क की बन रही हैं उसमें एक परात सीमेंट की, कम से कम आठ परात बजरी की और सात परात मिट्टी मिलाकर उन पुलियाओं का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में उन पुलियाओं का पहली बरसात में ज्यादा पानी नहीं आया जिन पुलियाओं पर, पहली बरसात में ही पता नहीं पड़ता है कि वह कहां गयीं आपकी पुलियाएं। पुलियाओं पर डामर नहीं हुई, कम्पलीट नहीं हुई, फिर भी उनके पेमेंट हो रहे होंगे मुझे ऐसा लगता है, आप इसका जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय गुलाब सिंहजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात तो कही ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप कहना ही नहीं चाह रहे ऐसे तो सारी रात भर भी कह सकते हैं। कहना चाहें तो अपन तीन मिनट में अपनी बात कह सकते हैं। अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह : मै मेरी बात एक मिनट में खतम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से जितना नुकसान हुआ है, मैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बसेडी के गांवों में नुकसान हुआ है। बसेडो में गांव है हज्जुपुरा और हज्जुपुरा में पानी भरने के कारण एक 7वर्षीय लड़की की मौत हो गयी। जिसकी सूचना भी शायद आपके पास नहीं होगी, तो उसकी जांच करायें। सत्यबीर कोली की लड़की उसमें डूब कर मर गयी और उसका कारण भी एक सड़क ही है। सड़क से पानी रुक गया है और गांव में पानी का फ्लो, सड़क से पानी उस गांव में पहुंच जाता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो उस सड़क पर पुलिया बनवायी जाए या सड़क को और एक किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए जिससे उस गांव में पानी नहीं आए।

ऐसी स्थिति में मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। वहां पर पार्वती डेम टूटा हुआ

(श्री बृजेन्द्र सिंह)

है। उसमें पांच इंजीनियर पहले बह गये, मर गये। उसका क्या हुआ यह तो आपको मालूम है। उसका कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि उसका पानी हमारे पूरे क्षेत्र में तबाही मचा देता है और नदी का पानी गांवों में बरबादी के कगार पर है। अगर ऐसी बरसात दुबारा उधर से हो गयी तो कई गांव नष्ट हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार को ताड़ना दी जाए। जिससे यह शीघ्र ऐसे बांधों की मरम्मत कराएं।

एक माननीय सदस्य : आपको ताड़ना दे रहे हैं कि बैठ जाइये।

श्री बृजेन्द्र सिंह : मै तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको ताड़ना नहीं दे रहा हूं। मैं तो समय की बात कह रहा हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह : सारे बांध टूटे हुए हैं और कई बांध तो ऐसे भी हैं जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उनका बी.सी. रेश्यो पूरा नहीं आता। क्यों बी.सी. रेश्यों में दिक्कत क्या है, बी.सी. रेश्यो पूरा नहीं आता जिससे उनको प्रोफिट हो सके। कारण क्या है कि उसमें मछलियो का ठेका होता है उसकी राशि को इन्क्लूड नहीं करते और साथ में सरकार यह बात भूल जाती है कि उससे बाढ़ पर नियंत्रण होगा। ऐसे बांधों की भी मरम्मत करवायी जाए। जैसे छुरेरी बांध है, खानखेड़ा का बांध है, उन बांधों की भी मरम्मत कराना अति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही नहीं है, वहां के जिन बांधों पर काम चला उन पर जो मिट्टी डाली वह बहुत ही कम समय में डाली। जून में उन पर कार्य चालू हुआ। मिट्टी दबी नहीं और पहली बरसात में बांध टूट गये। तनावर और दमदमा के बांध टूटने से बयाना कालेज की बी. ए. की परीक्षाएं पीछे हटानी पड़ी, क्योंकि वहां पलो से, पानी के बहाव से एक जीप पानी में लुढ़क गयी। एक लड़की बह गयी जिसको पकड़ लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इन काफी गम्भीर बातों को ध्यान में रखें और अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो हमें मजबूर होकर के यहां अनशन पर बैठना पड़ेगा और यही नहीं अगर आपने ज्युडिशियल कमीशन नहीं बैठाया तो हम सब यहां विधान सभा में आपके समक्ष धरने पर बैठेंगे। दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों के खिलाफ आप अवश्य कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंहजी।

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जैसलमेर जिले में बाढ़ से हुई आपदा के बारे में बताना चाहता हूं। जैसलमेर जिले में पोकरण तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कोई गांव ऐसा नहीं रहा जिसमें अतिवृष्टि से मकान न गिरे हों। सम पंचायत समिति के कई गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 20 तारीख से बरसात शुरू हुई और 21-22 तक इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि कई गांवों के अंदर में पानी भर गया। पोकरण शहर के अन्दर भी नहर का पुल इतना छोटा था कि शहर के अन्दर पानी आ जाने से कई गरीब घरों

(श्री गुलाब सिंह)

को क्षति पहुंची है। नोख में पानी फलौदी से जोड़बाप होता हुआ वह पानी जा गिरा और चारों तरफ से रास्ता घिर गया सिर्फ एक बिगुमपथ साइड से रास्ता खुला रहा वह भी धोरों के ऊपर से होते हुए कुछ घर खाली रहे। वहां तक जाना पड़ा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दौरे के बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ और जैसलमेर जिले के जिलाधीश, एस. डी. एम; तहसीलदार सभी नोख में तो लगे रहे लेकिन बाकी कई जो गांव इसकी चपेट में आये उनको संभालने के लिये सिवाय पटवारियों के कोई नहीं पहुंचा। आज भी कई पंचायतें, कई गांव, घर ऐसे हैं जहां तक सिवाय पटवारी के कोई नहीं गया है। गांव में जितने भी कच्चे मकान थे वह सब ढह गये हैं। कई गरीब ऐसे हैं जो आज भी बाहर बैठे हैं। उनके लिये छप्पर-छाया का कोई बंदोबस्त नहीं है। उनका सामान, आटा अनाज, वगैरहा सब भीग जाने से चन्दे पर वह निर्भर हैं। नोख के अन्दर शुरू-शुरू में नातना, विगुमपथ सभी लोगों ने चन्दा करके अच्छी सामग्री भेजी, उनको सहायता दी। उन दोनों पंचायतों का मैं आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब से दौरा करके पधारे हैं तब से प्रशासन ने नोख को तो सभी तरह की सहायता पहुंचाई है लेकिन बाकी जगह नहीं गये हैं। सड़कें सब टूट चुकी हैं, धोरे काफी टूट चुके है। उन सबको वापस देखना है। पानी तालाबों के अन्दर इतना भर चुका है जिससे मलेरिया फैलने की पूरी आशंका है। डाक्टरों के पास आने-जाने के साधन नहीं हैं। रास्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं, इसलिये साकड़ा और फलसूद के दोनों डाक्टर्स के पास गाड़ी अगर नहीं हुई तो एक-एक के नीचे सत्तर-सत्तर गांव हैं। वह पूरे नहीं पड़ पाएंगे। कई नर्स सबसेंटर खाली पड़े हैं, वहां पर कोई दवा दारू की व्यवस्था नहीं है। इसलिये सरकार इसके ऊपर पूरा ध्यान दें।

बीज की व्यवस्था करें। बरसात की वजह से जो खेती करनी है, लोगों के पास बीज नहीं है। बीज की व्यवस्था की जाए। को–आपरेटिव सोसायटी जो इस वक्त लोन दे रही है वह देकर के वापस उसके पहले के खाते में जमा कर देती है काश्तकार वैसा का वैसा वंचित रह रहा है। जो भी गरीब इस बाढ़ से पीड़ित हैं उनको पोलिथीन जल्दी उपलब्ध करवाया जाए ताकि जो बाहर बैठे हैं वह अपने बच्चों को और अपने सामान को जो भी बचा पाएं हैं, उसको ढक सकें। कई घरों में रात को दो बजे पानी आ जाने की वजह से कई लोग बच्चों को लेकर बाहर पड़े रहे और दो दिन और दो रात तक घरों में घुसने से डर रहे थे, क्योंकि घर गिर रहे थे। उनके पास भी कोई साधन नहीं है। आज कई सुशक्त लोग भी नोख, आसकंदरा, नाचना, पोकरण इनमें कई ऐसे हैं जो घरबार छोड़कर बाहर बैठे हैं और उनके मकान ढह गये।

खडीनों के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी खडीन वापस ठीक कराये जाएं। नमक का जो रिन है उसमें सैंकड़ों टन नमक निकाला हुआ, जो टीले लगाये पड़े थे वह सब गलकर बह गये हैं, और उनकी मशीनरी और इंजन वगैरहा

(श्री गुलाब सिंह)

सब उसके अन्दर रह गये हैं। उनको भी सहायता दी जाए।

जैसलमेर जिले में ज्यादातर कंकरीट सड़कें थीं। यह पोकरण-सांकड़ा और पोकरण-फलसूद साइड की सभी सड़कें साफ हो चुकी हैं। सिर्फ डामर वाली एक-दो जगह से टूटी है और कुछ चल रही हैं लेकिन जिन रोड्स पर बसें चलती थीं वह सभी रोड्स खराब हैं। उनको ठीक तुरन्त करने के लिये आदेश दिये जाएं। पोकरण के अन्दर, पोकरण-जैसलमेर रोड जिस पर पुल को तोड़कर पानी निकासी की गयी थी उस पुल को तुरन्त ठीक किया जाए, बड़ा बनाया जाए। जिससे वहां पानी आइन्दा न रूके। पोकरण चौराहे से स्टेशन तक जो रोड है उसके पानी के कटाव से इस गैलेरी से लेकर इतना खड्डा हो गया है और करीब दो सौ फिट तक वह खड्डा है उसको भी दूर करके ठीक करने की व्यवस्था की जाए। जैसलमेर जिले में जो गरीब असहाय बैठें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मुझको भी बोलने का समय मिलना चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : जरूर मिलेगा। बिराजें आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 12 बजे से लगातार यहां बैठा हुआ हूं कि आपकी निगाह पड़े, पीछे से चल जाएं तब आवाज हो जाए। आप इतना ध्यान तो दें स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सदस्य की उम्र का ध्यान रखें। उनको पहले बोलने का मौका दें आप।

श्री अध्यक्ष : रूपारामजी बोल लें उसके बाद आप ही आ रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी बुलाता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अप्रत्याशित घटनाएं काफी घट जाती हैं राहत मंत्रीजी। आज मैं मेरे गुसलखाने में फिसल गया। मेरी हिप बोन तो नहीं टूटी लेकिन बड़ा दर्द हो रहा है। यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। मैंने डाक्टर को बताया है, मलहम लगाने का बोला है। मैं थोड़ी देर बाद में लगवाऊंगा। कई दफा, he is not feeling well. इसलिये आप इनको अवसर दे दीजिये। इनकी तबियत ठीक नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल लें। रूपाराम जी बाद में बोल लें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो....(व्यवधान)... बहुत शान्ति से बोलूंगा। यह तो आपके जिले की बात है। इतना तो आप भी समझें।

अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है वह तो आप समझते हैं कि पूरा नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं राज्य सरकार की निगाह में यह बात लाना चाहता हूं कि यह मानसून की बारिश तो

(श्री मोहनलाल मोदी)

है नहीं, प्री मानसून है । उसके अन्दर आज जनधन की इतनी हानि हुई है, कम से कम आप इतनी व्यवस्था तो करें कि आगे हम इस हानि से बचें । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क रहता तो मैं नीमकाथाना की बात बताना चाहता हूं कि वहां यह हानि नहीं होती । हम लोग 22 तारीख को जिले में मीटिंग में बैठे हुए थे । उस वक्त यह बात आ गयी थी कि लोसल के अन्दर पानी भर रहा है अगर उस वक्त प्रशासन यह व्यवस्था करता कि हमारी दूसरी जगहों पर इस तरह की बात हो सकती है, नीची जगहों में तो वहां कोई व्यवस्था करता, तो यह हानि नहीं होती, मेरे यहां एक भी कहीं किसी जगह प्रशासन ने पम्पिंग सैट की पहले व्यवस्था नहीं की । आप अन्दाजा लगाइये कि आपने इतना रुपया कलक्टर्स को दे दिया फिर वह किसलिये दिया है ? क्या अग्रिम व्यवस्था करना उनका फर्ज नहीं था ? अकाल राहत मंत्री साहब को तो यह पता ही नहीं है कि नीमकाथाना में सीकर जिले में भी कुछ नुकसान हुआ है । वहां चार आदमी मर गये । तीन तो हमारे आर. एस.ई.बी. के कारण करंट से मर गये । मैं बताना चाह रहा हूं कि 20 तारीख को मैंने एक्स.ईएन; आर. एस. ई. बी. को यह कहा कि हजामपुर के अन्दर दो गायें करंट से मर गयीं । आप उसकी व्यवस्था करिये । कोई व्यवस्था वहां पर नहीं हुई । आप अन्दाजा लगाइये कि भारतीय जनता पार्टी के राज में गऊएं मर जाएं, बहुत बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है और फिर भी उसकी व्यवस्था नहीं हो । अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख का वाकया है, यह 20 तारीख के बाद भी उन तारों को खींचा नहीं गया फिर वहां पर तीन आदमी करंट से मर गये । अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति, यानि ठीक है कि विपत्ति आती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता । यह तो एक अलग चीज है लेकिन जिस कार्य को हम कर सकते थे वह काम भी नहीं हुआ । मैं मेरे यहां आपको इतना बता देना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी प्रशासन सतर्क रहता तो कम से कम नीमकाथाना के अन्दर तो यह स्थिति नहीं होती । नापावली के कुछ लोग आये । मैं आपको बताना चाहता हूं एस.डीओ. के पास वहां कैरवालो का जोहड़ टूट करके उसका पानी पुरानेबास में आ गया और वह चला गया नापावली में । वहां के 20-30 आदमी एस. डी.ओ. के पास आये और एस.डी.ओ. से कहा कि पम्पिंग सैट की व्यवस्था करो नहीं तो गांव डूब जाएगा । उसने कहा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है । अब यह बताइये आखिर पम्पिंग सैट भी नहीं दे सके छोटे-मोटे उनको । कम से कम किसी को ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा इतना मन सन्तोष के लिये तो हो, लेकिन वह भी नहीं हो पाया । वह तो कोई भगवान की कृपा हो गयी कि उसके बाद वहां पानी बरसा नहीं वरना सारा का सारा गांव तबाह हो जाता । मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि खेतों के अन्दर, अब यह तो कहते हैं कि अतिवृष्टि हो गयी, अकाल भी पड़ेगा साहब । आप देखें जितना लोगों ने खेतों में बीज डाला था एक भी दाना नहीं उगा वहां और ऐसी हालत हो गयी है कि वहां न चारा मिलेगा न अनाज मिलेगा । आप उन लोगों को राहत देने की बात करेंगे । क्या राहत है । अभी हमारे

(श्री मोहनलाल मोदी)

जिलाधीश के यहां मीटिंग हुई उसमें पांच सौ रुपये तो एक कच्चे घर के देंगे और एक हजार रुपये एक पक्के मकान के देंगे। आप बताइये कि जानवरों का कहीं कोई उसमें लेन देन नहीं है क्या होगा उनका ? कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से, मेरे यहां गरीब दो-तीन भाइयों का एक एक दो मंजिला मकान था वह एकदम दो फाड हो गया, उसको बिलकुल खाली करना पड़ा। आज उसकी क्या स्थिति है। एक किलो आटा आपके सब डिवीजन में किसी को दिया नहीं, एक रुपया किसी को सहायता के तौर पर दिया नहीं, कहीं लोगों को घरों में से निकालने की व्यवस्था नहीं की। सैकड़ों घरों में पानी भर गया, हजारों कच्चे मकान ढह गये और कई जानवर मर गये, आदमी मर गये लेकिन उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। बहुत से लोग तो उधर सरकार की तारीफ करने वाले बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने भी तो बांटा होगा। भगवान ने खूब दिया है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो आपको बांट देता हूं जो भी बांटना होता है। जो कुछ हमसे हो सकता है उसमें तो हम कमी नहीं रखते हैं आपको पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको यह पता नहीं है कि मोदीजी नीमकाथाना के हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मुख्य मंत्रीजी से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां एक जोहड़ है। बहुत छोटे से काम की व्यवस्था करने की बात है। उस जोहड़ में सारा पानी आकर भरता है। उसकी वजह से नीमकाथाना में यह तबाही मचती है। उस सम्बन्ध में मैंने कई दफा लिखा भी है, डी. आर. डी. ए. में भी कहा है कि एक तो इस जोहड़ की खुदाई करवा दीजिए। उसके अन्दर एक हजार फीट के करीब पाइप लाइन पड़े तो यह पानी दूसरे जोहड़ों में चला जाए तो यहां तबाही नहीं हो। सारे गांव का पानी आता है, नीमकाथाना मंडी का उसमें भी यही स्थिति है कि यह दो हजार फीट पाइप लाइन डालकर इस पानी को निकालने की व्यवस्था हो जाए, तो यह सेफ हो सकता है। सारा पहाड़ी इलाका है, अध्यक्ष महोदय, बहुत बार निवेदन कर चुका हूं मैं कि यह पानी बेकार जाता है, नुकसान करता है। मेरे यहां बांध बंधवा दिया जाए। लेकिन आज तक कोई बांध नहीं बनाया गया।

मै सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने झालरा बांध के लिए बराबर लिखा, आपका जवाब भी आया लेकिन आज तक उसका कोई लाभ नहीं हुआ। कोई उसमें आया नहीं कि यह बांध बने। यह पानी बेकार जाए, गावों का नुकसान करे और लोगों का नुकसान करे। यदि वहां बांध बन जाए तो पानी का भी उपयोग हो और जनधन की हानि भी नहीं हो। मैं इतना ही निवेदन करके आपसे यह कहना चाहता हूं कि आगे की व्यवस्था आप निश्चित रूप से करें, अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि आगे बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है उसके अन्दर यह स्थिति दुबारा पैदा नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपारामजी।

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को मैंने इस बाढ़ पर अपने संक्षिप्त विचार रखे थे। समय को ध्यान में रखते हुए मैं 5–7 मिनट ही बोलूंगा। लेकिन मेरी जो समस्या है वह यह है कि एक तो प्राकृतिक प्रकोप के उपरान्त बाढ़ आती है लेकिन मेरी समस्या है कृत्रिम प्रकोप जो लोगों द्वारा पैदा की हुई समस्या है। 27 के बाद में 28 तारीख को मैं मुख्य मंत्रीजी से सचिवालय में मिला। मेरी उनसे इस समस्या पर बात हुई थी। मैंने उनको विस्तार से समझाया। कलक्टर से और कमिश्नर से भी मेरी बात हुई। मैं इस समस्या के बारे में इस सदन का आश्वासन चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि अभी स्थायी समाधान हो। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मकराना की समस्या है वह 'यू' आकार की मार्बल की खाने हैं। जिनकी ऊंचाई है 100 से 120 फीट की। पूर्व में 'यू' आकार के बीच से इस तरह दर्रा था। जिससे प्राकृतिक पहाड़ों का, नदियों का जो पानी था वह दर्रे से निकलकर के आगे खाटू जाया करता था। 1968 में मकराने के आसपास एक नदी के रूप में 500 से 700 मीटर चौड़ी और 8 से 5 फीट गहरी नदी बही थी। अगर वह आज आ जावे तो कम से कम हजारों लोगों के मरने की संभावना हो सकती है।

दूसरी बात है उसी 'यू' आकार में एक तालाब है। तालाब में पानी भरने की क्षमता थी आठ-दस बीघा और आज बची है एक बीघा। कारण कि वहां मलबा सस्ता मिलता है, लोगों द्वारा मलवा डाल-डालकर के पानी का जो बहाव है, पानी के भरने की क्षमता है वह आज से 100 साल पहले जो मेरी ढाणी बसी हुई थी उधर उन्होंने रवाना कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को भी शायद आपने मेरी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। मैं गंभीर इतना हूं कि आंसू-आंसू बाकी हैं। अगर रोने से, चिल्लाने से, आंसू आने से ही मेरी गंभीरता का पता लगे तो हो सकता है कि मेरा दिल भी रो पड़े। अध्यक्ष महोदय, समय मैं ज्यादा लेता नहीं, बार-बार बोलता नहीं और आपके आदेश की अवहेलना कभी मैं करता नहीं। गरिमा की आप बात करते हैं सदन की। विधायकों की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन की गरिमा कहां से रहेगी। हम सब कह रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। इस बात का भी पता होना चाहिये। क्योंकि कुछ माननीय विधायक बोलने के लिये ही बोलते हैं, कुछ की आदत है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो विधायक असत्य बोलते हैं उनके लिये 4-5 आदमियों की कमेटी फटाफट गठित करके भेज दी जाए कि आप सच बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। काफी माननीय विधायकों ने यही कहा कि मरने वाले हैं या मर जायेंगे। बाढ़ में मरने में, समय संक्षिप्त है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि बाढ़ का प्रकोप ज्यादातर उन लोगों पर होता है आजकल भी: बुजुर्ग श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हुए कुछ लोग अपने मकान बना लेते हैं। 5–7 साल बरसात नहीं आई तो वे सोचते हैं कि ठीक है। जब 8–10 साल बाद बरसात आएगी तो प्राकृतिक बहाव तो अपना रास्ता खोज

(श्री रूपाराम)

मेगा और वह लोग कहेंगे डूब मरे, डूब मरे। तो मरोगे ही डूब करके नदी में क्यों बैठे हो? लेकिन इसी बात का इसी चीज का ज्ञान हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नहीं है कि यह मकान बना रहे हो तो मकान बनाने से खुद तो मरेंगे ही नदी के अंदर मलबा डाल कर नदी को रोक लोगे तो दूसरे भी मरेंगे। मेरी जो समस्या है वह भी इसी तरह की है। अवैध खानों का काम जारी होना, अवैध खानों की वजह से मलबा डालना और लोगों द्वारा मलबा डालकर मकान बनाया जाना। यह मेरी समस्या है।

18 तारीख को मैंने एक टेलीग्राम दिया था माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कलक्टर को, एस.पी. को, ए.सी.एम. को और ए. डी.एम. को। 18-6-1996 के टेलीग्राम में मैंने लिखा कि बाढ़ आ सकती है या साधारण बरसात आते ही बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। 19 तारीख को, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील हैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा नमूना बता देता हूं, 19 तारीख को उन्होंने कहा कि हम आपको 6–6, 7–7, इंच के 3–4 पम्प लाकर दे दे तो कुछ पानी निकल जाएगा। ताकि बरसात से आने वाला पानी जगह बना लेगा। 2 इंच का पाइप लेकर आये ए. सी. एम.। मुझे कह रहे हैं कि देखिये, मैंने कहा कि बहुत बढ़िया लाये यह तो। मैं इंजीनियर हूं, मिस्त्री हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं लेकिन मिस्त्री हूं, मशीनें बनाता हूं। मैंने कहा कि आपको इंचों की नाप का ध्यान है तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है और मैंने उनको और सी. आई. को कहा कि आप अधिकारी बनने के पहले ज्ञानी थे और अधिकारी बनने के बाद मैं आपका ज्ञान कहां चला गया। मैंने कहा कि यह डेढ़ दो इंच का पाइप उठा लाये। जो नदी आ रही है, जिसकी लम्बाई, चौड़ाई अथाह है नदी के उस पानी को उठाने के लिये आप डेढ़ इंच का पाइप लेकर आये हैं। उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूं मेरे पास तो यही है। मैंने कहा ठीक है।

24 तारीख की एक बहुत ही रोमांचक बात है। हालांकि जब मैं बोलता हूं तो लोग हंसते रहते हैं। पता नहीं क्या मेरा चेहरा भी हंसने के लायक है? 22 तारीख को साढ़े सात–आठ बजे जब बरसात पूरी रात बरसी तो हमारी बस्ती के 6-7 हजार लोगों में कोई नहीं सोया। मैं खुद कई बार इस तरह से महसूस कर चुका हूं कि ज्यों ही मैंने चारपाई के नीचे बरसात में हाथ दिया तो मुझे लगता है कि पानी आ गया दीखता है। मैं देखता हूं लाइट करके तो चप्पले तो नीचे चली गयी, फिर उठता हूं। हमारी पिछले 5–7 साल से यही हालत होती जा रही है। आठ बजे ए. सी. एम. मकराना, सी. आई. मकराना ट्रैक्टर लेकर इतने-इतने पानी में आ रहे थे। 5–7 पुलिस वाले थे। मैंने कहा कि बाढ़ तो आ गयी। अब मरने वाले हैं तो आओ तालाब तोड़ते हैं। मैंने हाफ पेंट और बनियान पहनकर, चार और मेरे भाइयों को साथ में ले लिया और तगारी, फावड़ा, गैंती ले ली। मैंने कहा कि आपके पास में मजदूर कितने हैं? तो कहा कि मजदूर तो वहां पर कर लेंगे। प्रभावशाली लोगों की खानें होने की वजह से एक सिंगल मज-

(श्री रूपाराम)

दूर नहीं आया। सी. आई. और ए. सी. एम. लट्ठ लेकर, छाता ताने खड़े-खड़े देख रहे थे और मैं और मेरे चार भाई, एक मैंने मेरा बावरी दोस्त, एक माली और एक और व्यक्ति इस प्रकार तीन व्यक्ति और थे। आठ बजे से लेकर डेढ़ बजे तक हम उस माट को तोड़ते रहे। इधर 200 फीट गहरी खान थी, उधर 25 फीट गहरा बांध था। बीच में आठ फीट की दीवार थी। मैंने कहा कि सावधानी से तोड़ना है अगर थोड़े भी चीथ गये तो मर जाओगे। मैंने सी.आई. और ए.सी.एम. को कहा कि आप यह फिल्म बना लें ताकि कैदी से छुट्टी के बाद में जो काम करवाते हो ना लोगों से उनकी हालत भी यही होगी। आप लट्ठ लेकर खड़े हैं और हम पांच भाई काम कर रहे हैं। तीन भाई मेरे बीमार हो गये, मैं बीमार नहीं हुआ लेकिन डेढ़ बजे जब घर जाकर सोया तो कुछ पानी कम पड़ा। मैंने और मेरे भाइयों ने पानी तोड़ दिया। 5 बजे फिर गया तो पानी फिर चढ़ गया था। मैं ट्रैक्टर लेकर इतने पानी में गया। ट्रैक्टर उधर छोड़कर के हम वापस तैरते–तैरते 8–7 व्यक्ति आये। घर जाकर वापस शाम को पता लगा कि जिला कलक्टर और मैडम जो कमिश्नर अजमेर हैं, वह आये हुए हैं। मैंने पता लगाना चाहा तो पता चला कि वह तो पहले हो चले गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह जानकारी में लाना चाहता हूं कि मुझे इतना दु:ख हुआ कि मजदूरी करने के लिये तो हम और उनको हम कोई सलाह नहीं दे सकते, हम उनको यह बता नहीं सकते। जब उन्होंने पूछा कि एम. एल. ए. कहां है तो कहा कि एम. एल. ए. अंदर है बाढ़ में बाहर नहीं आ सकता। मैंने जब ए.सी.एम. से बात की और कहा कि आपने जान-बूझकर के मुझे क्यों नहीं अधिकारियों से मिलने दिया। फिर मैंने 28 तारीख को सी. एम. साहब से मिलने के बाद में मैडम से बात की। कलक्टर से रात को ग्यारह बजे बात की तो कलक्टर पूछ रहे हैं कि आपके पास टेलीफोन है, क्या मैंने कहा कि टेलीफोन है तो कहा कितने ? मैंने कहा कि आप नम्बर पूछ रहे है या फिर मेरे टेलीफोनों की संख्या पूछ रहे हैं ? उन्होंने कहा कि क्यों ? मैंने कहा कि मेरे 18-19 टेलीफोन हैं। घर में मेरे चार टेली-फोन हैं। आपको भली-भांति पता है। उन्होंने कहा हां, मुझे ए. सी. एम. ने मना कर दिया है कि क्या करोगे जाकर के एम. एल. ए. अन्दर पानी में पड़ा है। बड़ी शर्म की बात है। आप गरिमा की बात करते हैं, पर हमारी गरिमा कहां गयी। मैं उस खान में फंसा हूं, मुझे 10 आदमियों ने पकड़ कर निकाला, मेरे जूते अन्दर रह गये। मैं यह टाक लगाये बैठा था। अगर मैं यह पानी नहीं तोड़ता तो उन प्रभावशाली लोगों की जो खानें खुदी हुई हैं, जो गलत खानें आबंटित की हुई हैं वे प्रभावशाली लोग तोड़ने नहीं देते। लट्ठ लेकर 20 आदमी अन्दर बैठे थे। मैंने कहा कि या तो मैं मरूंगा या मारूंगा। ए. सी एम. और सी. आई. भी हस रहें थे। मैंने कहा कि यह आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है ? मैं पक्ष और विपक्ष में होने की वजह से नहीं बता रहा हूं लेकिन मेरा दिल रो रहा है।

यह समस्या मैं कम से कम 1982–

(श्री रूपाराम)

83 से रख रहा हूं लेकिन पिछले 1991 के बाद में जो अवैध खानें खुदने लगीं, अवैध बस्तियां बसने लगीं। उसके बाद में लगातार साल में चार चिट्ठियां जिला कलक्टर को या प्रशासन को लिखता हूं। समस्या घटने के बजाय बढ़ते-बढ़ते सुरसा की तरह मुंह फैला लिया है। मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे ऐसी व्यवस्था बता दीजिये या कोई विकल्प बता दीजिये कि थोड़ी सी बरसात आने के बाद में हमारे नहीं मरने की सम्भावना कितनी है? मैं यही चाहता हूं। चाहे मुझे दो दिन में बता दें, तीन दिन में बता दें लेकिन बता दीजिये अन्यथा हमारा विधायक होना या न होना, मैं मेरी जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो खुद के अधिकारों की रक्षा ही नहीं कर पा रहा हूं, जनता की कहां से करूंगा।

अन्यथा मैं समझता हूं कि मैं जब मेरी जनता के सुख-दुःख की बात यहां नहीं कह सकता और कहने के बाद में कुछ उसमें सुधार नहीं करवा सकता तो मेरा विधायक बनना व्यर्थ है। मैं उधर मेरे धन्धे से गया और इधर इस काम से गया। दूसरा जो छोटा सा सुझाव है वह यह है.... समय के लिये तो मैंने ही कह दिया था, पांच मिनट ही हुए हैं ज्यादा नहीं हुए हैं।

छोटा सा सुझाव यह है कि खानें जो अवैध खुद रही हैं उनको बन्द किया जाए 133 में खान बन्द है, 1991 से कुर्क हैं वह और खुदी जा रही हैं, क्योंकि प्रभावशाली आदमी हैं। डेढ़ साल पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला और उन्होंने तुरन्त फोन करके कलक्टर को कहा और बन्द करवा दी, बन्द हो गयी खानें। यह मैं इसका आज भी धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं कि एक सैकण्ड में उन्होंने बुला करके खान को बंद कराया। खान नम्बर 19-ए, खान 19(1)ए व 19(1)बी, ये तीन खानें अवैध खुद रही हैं, उनको भी बंद कर दिया जाए।

तीसरी, जो बस्ती बसी है कल को वह बस्ती भी मरेगी। उन बस्ती के पूरे घरों को उजाड़ने की जरूरत नहीं है। अवैध बसी है पूरी लेकिन कुछ उनके घर जो पानी में पहले से ही मलबा डाल कर बैठे हैं उनको हटाया जाए।

चौथा, यह है कि बाढ़ आयी। अब मैं आपको जो होने वाली व्यवस्था है उसके बारे में बताता हूं। बाढ़ में जो राहत कार्य हैं उसमें निष्पक्षता और ईमानदारी बरती जाए ताकि लोगों को जो राज्य सरकार का धन खर्च होने वाला है वह सही दिशा में मिल सके। इस पर मैंने चार लाइनें लिखी हैं लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार तक मुझे आश्वासन दिया जाए कि आपकी समस्या का समाधान होने वाला है अन्यथा मैं बुधवार-वृहस्पतिवार को यहां पर धरना दूंगा। मैं तो जानता भी नहीं हूं, मुझे कुछ लोगों ने कहा धरना देना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि धरना नहीं दूं तो कानून हाथ में लेकर जेल जाऊं क्या? जब अधिकारों का हनन होता है तो क्या करें। कानून हाथ में लें तो दो जूते मार करके अन्दर कर देंगे और आप मदद करेंगे हमारी अन्दर जाने में। क्या करेंगे बचने के लिये। इस पर मैंने चार लाइनें लिखी हैं –"राहत

(श्री रूपाराम)

देने वालों की सूरतें; बाढ़ आते ही सवेरे कुछ आलाकमान, आला अधिकारी हंसने लगे।" यह मैंने उनके लिये नहीं लिखी है जो गलत कार्य नहीं करते हैं और ईश्वर से डरते हैं।

"एक आलाकमान सवेरे जोर से हंसने लगा, आलाकमान, आला अधिकारी।" मैडम ने पूछा, क्यों जी आप हंस क्यों रहे हो। तेरे को पता नहीं बाढ़ आयी है। तो आपको क्या तकलीफ है? तो बाढ़ वालों को बाढ़ मिलेगी, राहत देने वालों को ही राहत मिलेगी। इस पर मैंने लिखा है–

"राहत देने वालों की सूरतें,
अचानक फिर से खिलेगी।
नाम बाढ़ वालों का होगा,
राहत तो हमें ही मिलेगी।"

पक्षपात नहीं होगा, एक-एक आदमी को एक ही देंगे। जिनको बाढ़ मिल गयी उनको बाढ़ ही देंगे, जिनको बाढ़ नहीं मिली है उनको राहत ही देंगे, पक्षपात नहीं करेंगे। पक्षपात नहीं होगा, एक आदमी को एक ही देंगे। मुफ्त में लुटा रहे हैं हम, क्या वापस लेंगे। हम तो मुफ्त में लुटा रहे है वापस थोड़े ही लेंगे। ब्याज पर लेने वालों को भी हम कब पूरा देते हैं। पांच पर्सेण्ट पहले रखो, यह खुले आम कहते हैं। आर.एफ.सी. वालों से पूछो ना। तो उन्होंने कहा कि ब्याज पर देते हैं तो हम पूरा नहीं देते। यह तो फोकट में लुटा रहे हैं, हमारे हिसाब से लुटायेंगे। इस पर सरकार ध्यान रखे, गौर करे।" चाहे बाढ़ ले लो, चाहे राहत ले लो। चाहे आफिस में टहलो, चाहे सड़कों पर टहलो। हम हमारे हिसाब से ही देंगे। करेंगे काम मनमाना निडर होकर। गिरेंगे लगाने वाले ही लंगी, हमें तो लगेगी ठोकर। गिरेंगे लंगी लगाने वाले ही, हमें तो लगेंगी ठोकर।" कहने का मतलब यह कि शिकायत करने इधर-उधर भटकते रहेंगे पर हम जो काम करेंगे वह तो करेंगे।

मैं एक बार फिर यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो राहत कार्य दिये जा रहे हैं उनमें निष्पक्षता, ईमानदारी बरतें और मेरे क्षेत्र में जो कच्चे मकान बने हुए थे मिट्टी के और मुण्ड़ के– रानीगांव, रामस्या, खारडीया, सरनावड़ा, कल्याणपुरा, बिणजारी, सिणिया, नूनछड़ा, झिलयामिलया, नालाधणा, मंगलपुरा, उचेरिमा, नौशेरिया, मनानी और गोलड़ी हैं। इनमें करीब-करीब हर गांव में 15–20 कच्चे मकान गिर गये हैं। अगर आपकी इस तरह के कच्चे मकान गिरने के उपरांत कोई राहत देने की व्यवस्था हो, तो उनका भी सर्वे करा कर राहत दी जाए।

एक बार मैं फिर, मान्यवर, ए.सी.एम. से बात हुई 24 तारीख को राकेशजी के खुद के भी 15-20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 21 तारीख को उनकी थप्पियां टूट गयीं और मकराना ए.सी.एम. 24–25 तारीख को पूछ रहे थे कि उनके क्या हुआ। यह प्रशासन की सक्रियता की बात बता रहा हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रेवती प्रसाद जी।

श्री रेवती प्रसाद कोली (बैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बैर में ऐसी बाढ़ आ रही है जो पहले न तो कभी मेरे पुरखों ने देखी और न मैंने देखी। 17 बांध टूटे हैं बैर में एक ही रात में।

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

17 बांध टूटने से सब पानी वैर में आया और वैर में आकर भरतपुर गया।....

श्री परसादीलाल मीणा : उस समय आप क्या कर रहे थे ?

श्री रेवती प्रसाद कोली : मैं बोल रहा हूं, बीच में क्या कर रहा हो। 17 बांध टूटने से नुकसान हुआ। यह सब कमी, जितनी कमी, जितनी कमी मिली है वह सब प्रशासन, सिंचाई विभाग की मिली हैं। भरतपुर, कलक्टर साहब को टेलीफोन किया, वायरलैस कराये, उनका कोई जवाब नहीं आया। यह कहा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपके बांध के या पानी का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। यह सब कमी प्रशासन, सिंचाई विभाग की है। आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तो बाढ़ नहीं आयी है लेकिन सिवाना के अन्दर क्षेत्र है भाकरड़ा कहलाता है।....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं बोल रहे इसलिए यह बोल लेते हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : छपनी पहाड़ियों से उतर करके पानी करीबन 14-15 गांवों को प्रभावित करता है। पिछली बरसात के अन्दर भी कम से कम 100 से ऊपर पशु, एक-दो व्यक्ति और पचासों कुओं की जमीन, कई ढाणियां उस पानी के बहाव में चली गयीं। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो छपनी पहाड़ी का पानी है और उन पहाड़ों से वेग से पानी आता है और जो जमीन पास में है, वह बिलकुल बालू रेत है वहां पर। पानी जिस वेग से आता है उस वेग से वह अपना रास्ता बदल करके उस बालू के अन्दर अपना नया रास्ता बना लेता है और उसके फलस्वरूप यह घटनाएं घटती हैं। मैंने यह सूचना माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी दी कि उस क्षेत्र के अन्दर या तो उन पहाड़ियों के पास के अन्दर छोटी छोटी दीवारें, जिनको बचाव बांध का नाम दिया जाता है, वह कुछ बना दी जाएं तो वेग से उतरता हुआ पानी जरा कुछ थम जाएगा, थमने के बाद वह पानी आगे जाएगा तो इतने वेग से नहीं निकलेगा और वह आगे जाकर इस प्रकार से नुकसान नहीं करेगा। यह गांव पहाड़ों के पास में ही बसे हुए हैं और पास में ही बिलकुल बालू रेती है और इसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं वहां घटती हैं। अध्यक्ष महोदय, धारणा गांव एक ऐसा है उसी क्षेत्र का, जिसके अन्दर बालू रेत ने जाकर के तीन बार धारणा गांव को रेती के अन्दर डुबो दिया है। नीचे मकान, उसके ऊपर और मकान और उसके ऊपर अगर रेती आ गयी तो और मकान। तीसरी बार मकान उस धारणा गांव के अन्दर बन गये हैं। यह स्थिति उस क्षेत्र की है। पिछली बार जरा तेज बारिश आयी थी, इसी कारण से धारणा के 80 बीघे खेत को हमने जाकर देखा और 10 मिनट के अन्दर उस 80 बीघे खेत के अन्दर बालू रेत 12–12, 13–13 फीट ऊंची फैल गयी। उसके अन्दर जो मकान, वेरे, झोंपड़ियां थीं वह सारे के सारे दब गये। इस प्रकार की तबाही उस क्षेत्र के अन्दर होती है। यह स्वाभाविक है, अभी हाल में ज्यादा

(श्री टीकमचन्द कांत)

पानी बरसा है। ऐसा तीन बार हो चुका है। अब अगर कहीं पानी ज्यादा बरस गया तो फिर ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। सैकड़ों बीघा उपजाऊ भूमि इस बहाव में खतम हो गयी। रमणिया गांव, सेला गांव, मुम्बाड़ी गांव, मीरा गांव, इनके अन्दर कोई न कोई मकान, कोई न कोई ढाणी, कोई न कोई बेरा प्रत्येक बार जाता है। इसलिये कोई न कोई इस प्रकार की योजना बनायी जाए जिससे कि उस क्षेत्र में पहाड़ों से गिरता हुआ पानी रुक सके। शायद अकेला इरिगेशन डिपार्टमेंट इसे न कर सकता हो, तो जल संग्रहण वाले भी साथ आ जाएं, वन विभाग वाले साथ आ जाए, या सहायता विभाग सोच करके ऐसी योजना बनाये जिससे इस क्षेत्र में नुकसान होता हुआ तो कम से कम रुक सके। बाकी प्रकृति कब किस समय किस प्रकार की करवट लेती है क्या पता? आज हम बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं।

अब यह जरूर साबित हो गया है कि जब राम रूठ जाता है तो न तो राज के हाथ की बात है, न जनता के हाथ की बात है। आन्ध्र में नुकसान करता हुआ यह चक्रवात केरल, मद्रास, गुजरात को बरबाद करता हुआ राजस्थान के इन जिलों के अन्दर विभीषिका फैलाता हुआ अब आगरा और उत्तर प्रदेश....(व्यवधान)....आन्ध्र में भी हुआ है। कौन कहता है ...

श्री परसराम मदेरणा : अपने को उधर कहां ला रहे हो।

श्री टीकमचन्द कांत : मैं यह नहीं कहता कि यह चक्रवात कहां-कहां गया। यह कह रहा हूं कि आन्ध्र के अन्दर भी चक्रवात के कारण जो पानी आया।

श्री अध्यक्ष : अभी अपने सिवाना की तरफ ही चलें।

श्री टीकमचन्द कांत : मेरे कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में अभी जो शिक्षा मिल रही थी कि 100 साल पहले जो दुर्घटना हो गयी थी उसका अभी तक अध्ययन करते, 100 साल से चेतते तो प्रकृति न मालूम कब प्रकोप करती। इसके लिये सबको सावधान रहने की आवश्यकता होगी और 100 सालों के बीच के अन्दर जो सरकारें रहीं उन सरकारों ने बराबर अध्ययन नहीं किया। ये विभीषिकाएं किसी भी समय हो सकती हैं। लाटूर के अन्दर जो भूकम्प आया था उसमें करीब 40 हजार से ऊपर लोग खतम हो गये। उस विभीषिका का ध्यान किसने रखा था? इस प्रकृति से लड़ाई तो मानव लड़ रहा है। मेरे खयाल में उस पर विजय नहीं पा सकता, सावधानी आवश्यक है, प्रकृति जब प्रकोप कर जाए तो उसका सामना अकेला ही नहीं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी करें। राजनीति में हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, हम सबको भी मिल कर सक्रिय होकर इस प्राकृतिक विभीषिका का सामना इस प्रकार करना चाहिये कि हमारा अपना जितना सहयोग हो सकता है, हमें देना चाहिये। इसमें भी मैंने लोगों को राजनीति करते हुए देखा है। बाढ़ राजनीति है? प्राकृतिक प्रकोप राजनीति है? इसके अन्दर राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिये? हमारे ज्ञापन देने के बाद पम्प लगे, पम्प ज्ञापन से पहले रवाना हो गये। यह किस प्रकार की बात है?

(श्री टीकमचन्द कांत)

एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि हनुमानगढ़ के नीचे के हिस्से में पानी भर गया, जिससे लाखों परिवार बरबाद हो गये। हनुमानगढ़ के थोड़े से निचले हिस्से में पानी भर गया, इतनी छोटी-सी जगह में हजारों करोड़ रुपये, हजारों करोड़ रुपये तो केन्द्र की सरकारें किसी यूरिया घोटाले में या....

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपको ज्ञान नहीं है। अभी आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। पिछले साल बाढ़ आयी थी जिसमें पांच सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, यह पिछली बाढ़ की बात थी। आप अभी ज्ञान प्राप्त कीजिये, अभी आपको टाइम लगेगा।

श्री टीकमचन्द कांत : आने वाली सरकारें और पूरा समाज इस विभीषिका को कैसे दूर करे? लोग कह रहे हैं कि फ्रांस और चीन जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं उसका भी असर है, हो भी सकता है। इसलिये सब प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर चर्चा करें कि प्रकृति किस समय प्रकोप कर जाएगी, किस समय हमको बहा कर ले जाएगी। पन्द्रह वर्ष पहले राजधानी की क्या हालत हुई थी। सरकार यहीं थी, सारे सेक्रेटरी यहीं थे, मुख्य मंत्रीजी भी यहीं थे। उस समय क्या हालत हुई थी, यहा भी कई जगह साफ हो गया था। इसलिये यहां पर चर्चा इस प्रकार की हो कि जब प्रकृति प्रकोप करने जा रही है तो उससे यह मानव समाज कैसे बचे। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरजी चौधरी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं आप पर कोई चार्ज नहीं लगाता पर मेरे टाइम पर पक्षपात वाली बात हो गयी। एक माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे, दूसरे टाइम पर मेरा नम्बर था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें तो ठीक रहेगा। मैंने इसलिये उनको दिया कि वह बोलने वाले थे। वह बोलने के लिये नहीं खड़े हुए तो मैंने दूसरों का नाम पुकारा। आप इस तरह की बात करने लग गये। आपकी पार्टी के सचेतकजी ने जो लिस्ट दी है उसी के अनुरूप बुला रहा हूं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : ये हमारे ठाकुर साहब कुछ भी कर सकते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि बाढ़ के संदर्भ में माननीय सदस्यों ने आज सदन में अपने विचार रखे। बाढ़ की विभीषिका से सभी सदस्य वाकिफ हैं। पूर्वी राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में 2—4 साल में बाढ़ आ जाया करती है लेकिन हमारे पश्चिमी इलाके नागौर में बाढ़ की स्थिति पिछले 30-40 सालों में अब की बार ही देखी है।

मेरे यहां सन् 1968 में बाढ़ आयी थी। उस समय सुखाड़ियाजी का मंत्रिमंडल था। मैं निवेदन करूं कि उस समय सारी मिनिस्ट्री मौके गयी और जिन गरीबों के मकान नष्ट हुए, मवेशी मरे उनको आर्थिक सहायता दी गयी। सारी बातें देखी गयीं। मेरे यहां अब की बार सरकार के नार्म्स से ज्यादा बरसात हुई है। मैं समझता हूं कोई अधिकारी नहीं आया। भामड़ाजी जरूर हमारे यहां आये थे 29 तारीख को। नावां

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

में और कुचामन में 10–20 मिनट बी. जे. पी. कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग लेकर चले गये। किसी गांव वाले या किसी जन-प्रतिनिधि को नहीं पूछा कि आपके यहां बरसात की क्या हालत है।

मेरा निवेदन है कि बाढ़ की जो हालत है उसमें गरीब आदमी ज्यादा इन्वाल्व है, पैसे वाले या शहरी आदमी हैं उनका तो इसमें एक पर्सेण्ट भी इन्वाल्वमेंट नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार पक्षपात नहीं करती है तो गांव वालों के जिनके मकान गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है उनके बारे में क्या इरादा रखती है? मैं सरकार पर यह चार्ज लगा रहा हूं। पिछले साल भी मेरे यहां अतिवृष्टि से ढाई सौ, पौने तीन सौ मकान डेमेज हो गये थे जिनकी लिस्ट कलक्टर को भेजी थी उनमें से सिर्फ 35 आदमियों को पैसा मिला है। बाकी के लोग आज तक बैठे हुए हैं। अब की बार जब मैं गया तो मैंने कहा बाढ़ से नुकसान हो गया है तो उन्होंने कहा "कांई करा सा आगली साल का ही पैसा कोनी मिल्या, कुण माथा फोड़ी करे"। मेरा निवेदन यह है कि अगर सरकार ईमानदारी से बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना चाहती है तो पिछले साल की बकाया की लिस्ट जो कलक्टर के पास भेजी हुई है, मेहरबानी करके पहले तो उनका पेमेंट करें। कल-परसों मैं गांव में ग्राम सभा थी वहां गया था उसमें पटवारी को एक या दो-दो फार्म दिये थे जबकि गांव में 10–10, 20–20 50–50 कच्चे घरों का नुकसान हुआ है। मेहरबानी करके उनके असेसमेंट की सही रिपोर्ट तो मंगवाओ। रिलीफ आपकी मर्जी है देनी है तो देओ नहीं तो वैसे बताओ, इस तरह से पक्षपात तो मत करो। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो बता दें कि हम इस तरीके से काम करेंगे। किसान की खेती बोयी थी खराब हो गयी, तो किसान को क्या मदद दोगे, गरीब को क्या मदद दोगे?

बाढ़ से किसान को नुकसान है तो फायदा भी किसान को है। सैकण्ड टाइम रबी की फसल होगी तो उसमें किसान को फायदा होगा। वाटर लेवल जो नीचे चला गया है वह भी ऊपर आयेगा। ऐसी बात नहीं है अब यह बाढ़ तो प्राकृतिक प्रकोप है, किसी के हाथ की बात नहीं है, यह तो भगवान की मर्जी होती है तब होती है। सरकार ने सारे दिन सदन में बहस करवा ली। अब सरकार क्या करना चाहती है वह बताये?

मारवाड़ी में एक कहावत है "कोढ़ में पांव हो गयी"। पिछले साल फेमिन हो गया अब इस साल फ्लड आ गयी। पिछले साल फेमिन में मेरे इलाके के करीब 50 लाख रुपये सैंक्शन हुए थे जिनमें से 28 लाख रुपये कलक्टर ने एक जे.ईएन. के कहने से कैंसिल कर दिये। मुख्य मंत्रीजी परसों पधारे थे तो मैंने निवेदन किया था कि जिस तरीके से 28 लाख रुपये की सैंक्शन एक जे.ईएन. के कहने से कैंसिल करवा दी, आप ने रिलीफ क्या दी हमें यह बता दो? यह पक्षपात वाली बात थी। जहां बी जे.पी. के सरपंच या उनका कोई हिसाब नहीं था वहां उन्होंने रिलीफ कैंसिल करवा दी। ऐसा तो मत करो, आपको यदि रिलीफ देनी है तो ईमानदारी से सबको दो वरना हमें मालूम है कि आप क्या रिलीफ दोगे जिनसे भगवान

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

ही रूठ गया तो आपके राजी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये आप मेहरबानी करके पक्षपात मत करो। बिना पक्षपात किये जिस आदमी का नुकसान हुआ है उस हिसाब से उस आदमी को रिलीफ दो। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। अब के आपकी तरफ से दो बुला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 बज गये अब उत्तर दिलाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई अलवर जिले से सटता हुआ है और गत सात दिनों से बांदीकुई और भरतपुर के मध्य जो रेल चलती थी वह रेलगाड़ी ठप्प हो गयी है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति बांदीकुई के पीछे लगातार जो चार वार्ड हैं उनमें अभी भी ढाई फुट पानी भरा हुआ है और करीब चार हजार की आबादी के लोग हैं वह ढाई-ढाई और तीन-तीन फुट पानी में आ जा रहे हैं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक बाढ़ के बारे में तो सहायता देने का प्रोविजन है लेकिन अतिवृष्टि और मूसलाधार बरसात से जो क्षति होती है उसके बारे में बाढ़ और राहत के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। केवल मात्र यह है कि बाढ़ से जो जन हानि होती है, पशुधन की हानि होती है उसी के बारे में प्रोविजन है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस बारे में भी प्रोविजन किया जाए क्योंकि बाढ़ से तो बहुत कम नुकसान हुआ है और मूसलाधार बरसात से और अतिवृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।

मेरा निवेदन करना है कि मेरे बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र में जगह-जगह रास्तों का कटाव हो गया है, बिजली के खम्भे टेड़े हो गये हैं, सड़कें टूट गयी हैं और जो भी निर्माण के कार्य थे उनकी क्षति हुई है जो कि लाखों से भी ज्यादा के हैं। 50 लाख से भी ज्यादा के हैं। इन सारी चीजों का वापस रेस्टोरेशन हो और और भी राजस्थान के क्षेत्रों में जहां अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उनको भी आप बाढ़ की सहायता के रूप में लें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से 300 करोड़ रुपये मांगे हैं जिसमें से 100 करोड़ तो सहायता के रूप में और 200 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन और री-कंस्ट्रक्शन के लिये मांगे हैं बांधों के लिए, सड़कों लिए और और चीजों के लिए मांगे हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार जिसने गयी साल 21 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को नहीं दिये, अभी भी 300 करोड़ की जगह 3 पैसे भी नहीं दे तो राजस्थान सरकार अपने बलबूते पर बाढ़ की सहायता के लिए क्या इन्तजाम करने वाली है? यह माननीय मंत्री महोदय बतायें।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि यह जो बाढ़ आयी है आज मात्र यह चर्चा हुई है कि 7 दिन पहले मानसून आ गया, साइक्लोन आ गया और यदि यही 7 दिन बाद आ जाता तो आपके पास ऐसे कौन से प्रिवेंन्टिव मैजर्स थे जिससे कि

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

राजस्थान को बाढ़ की विभीषिका से आप बचा सकते थे ? मेरा यह भी निवेदन है माननीय मंत्री महोदय कि आप इस बात के लिये लोगों पर रेस्पांसिबिलिटी तय कीजिए। भरतपुर जिले के लिये भी, नागौर जिले के लिये भी और और भी जिलों के लिये भी कि कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने समय रहते हुए तत्परता नहीं बरती जिसके कारण से पानी का जहां भराव था वहां पानी का समय पर निकास नहीं हो पाया और जिससे कि जन-धन की हानि और पशु-धन की हानि हुई। आज करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी यह फसल तो गयी और अगली कई सालों तक इस का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके कांसिम्वेंसज इफेक्ट्स बहुत लम्बे होंगे। इस बात के लिये किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में अभी आप कह रहे थे कि इसी साल की बाढ़ की इति-श्री इसको मानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी पूरा जुलाई का महीना है। वापस जुलाई में अगर हैवी रेन होती है तो हमने ऐसे कौन से इस तरह के प्रिकाशनरी मैजर्स एडाप्ट कर लिये या कौन सी ऐसी बात कर ली कि वापस अगर ज्यादा पानी बरसे तो जन तबाही नहीं होगी। यह तो अकाल की तरह से हो गया। हर साल अकाल पड़ेगा हर साल पैसा मिलेगा। हर साल बाढ़ आएगी, पानी आएगा भगवान की मर्जी से, ईश्वर की कृपा से और वरुण देवता की कृपा से दो-तीन साल से भारी वर्षा हो रही है और भारी वर्षा होती है हर साल तो यह तो टैक्नोक्रेट्स के लिये एक तरह से दीपावली मन गयी। बाढ़ आती है राजस्थान की जनता के लिये, लोग मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं और टैक्नोक्रेट्स की कोई मानीटरिंग करने वाला नहीं है। आज किसी ने कह दिया कि इतने पम्प आएंगे, इतने पम्प खरीदने हैं उसमें पैसा खा रहे हैं। आज किसी ने कह दिया कि इतने पैकेट्स दे रहे हैं, आप देखिये तो सही उन पैकेट्स को जानवर खा रहे हैं और पानी में बह रहे हैं। उसकी मानीटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आपने सहायता दी, 100 पैसा आपने खर्च किया और 10 पैसा भी माननीय मंत्री महोदय पब्लिक के काम में नहीं आया। 90 प्रतिशत जो खर्चा है वह नौकरशाही पर खर्च होगा। इस तरह से बाढ़ राहत पर जो भी खर्चा हुआ है वह सब खर्चा नौकरशाही और लालफीताशाही के कारण हो रहा है। वास्तव में इमदाद नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन करना यह है कि आने वाले सालों के लिये राजस्थान सरकार एक परमानेन्ट व्यवस्था बनाये जिसके द्वारा यह देखें कि कहीं भी कोई बांध बनता है, एनीकट बनता है तो उसमें पानी का भराव इधर से होगा और इमरजेंसी के समय पर पानी का अगर इसमें ज्यादा इनपुट हो गया तो पानी का आउटपुट इस तरीके होगा। जब तक पानी के निकास के लिये आप नहीं सोचेंगे तब तक कोई नया बांध नहीं बनायें, नये जान-लेवा और प्राणलेवा बांध और एनीकट लोगों के लिये तैयार नहीं करें।

मान्यवर, हमारे यहां कभी बाढ़ भी आई तो पूरा का पूरा पानी या तो हरियाणा में गया या फिर राजस्थान की बारिश का

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पानी यू.पी. में चला गया। करोड़ों रुपयों की तबाही, खेतों की तबाही हो गयी और पानी भी हमारे यहां नहीं रुका। यदि आप वाटरशेड बनाते, यदि आप जलसंग्रहण के जो क्षेत्र हैं वह नये-नये स्थापित करते। तो यह बाढ़ के पानी से हमारा वाटर लेवल है वह एक तरीके से री-साइकलिंग होता और री-साइकलिंग होकर पानी नीचे जमीन में जाता। लेकिन उसकी चिन्ता किसी को नहीं है, क्योंकि यह विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। जब तक आप बाढ़ को इरिगेशन से, बाढ़ को अण्डर-ग्राउण्ड वाटर से और बाढ़ को और सारे डिपार्टमेंट्स से नहीं जोड़ेंगे, योजना नहीं बनायेंगे तो हर साल जहां भी कहीं बाढ़ होगी यह व्हाइट एलीफेंट्स करोड़ों रुपये खा जाएंगे। पब्लिक फाइनेंस का लोस होगा। मेरा निवेदन करना यह है कि आगे के सालों के लिए एक स्थायी योजना बनायी जाए जिस से कि बाढ़ के लिए बचाव सही समय पर किया जाए और जन-धन की हानि नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्राकृतिक आपदा जो वर्तमान में आयी है इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने कुछ उपाय ढूंढे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी अवसर पर खुद पहुंचे भी हैं और कुछ मंत्री गण भी पहुंचे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं समय पर उन्होंने कुछ कदम भी उठाये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि गत वर्ष भी यह विभीषिका हुई और इसके लिए करोड़ों रुपये दिए गये। यह समझ में नहीं आता कि इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर बाढ़ कैसे आयी। उन अवरोधों के कारण जो नदियों के मार्ग में आ गये उन्हें हटाये जाने में विभाग को क्या दिक्कत थी? जो बंधे टूटने वाले थे उनको सुधारा क्यों नहीं गया? यह प्रश्न सामने आता है। मैंने गयी बार भी कहा था कि बाणगंगा का जो रास्ता है जो रास्ता जमवा रामगढ़ तक आता है फिर यदि मोड़ नहीं दिया गया तो यह निश्चित है कि भरतपुर फिर डूबेगा। मैंने रूपारेल का नाम नहीं लिया। बाणगंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। उसका मुंह अगर उधर मोड़ा जाए, बाढ़ उतर गयी थी इसलिये उसके बहाव को मोड़े जाने के प्रयास किए जाने चाहिये थे। वह नहीं हुए और नहीं हुए तो विभीषिका इस प्रकार से आयी है कि आस-पास के क्षेत्र पूरे जलमग्न हैं। मैं भी चिन्तित हूं, मेरे परिवार के लोग भी सारे वहां फंसे हुए हैं और किसी की कोई खबर नहीं है। कोई एक भी बचा या सब खतम हो गये।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हम लोग राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, इतने चिन्तित हैं नागौर के लिए, हनुमानगढ़ के लिए, सीकर के लिए, पाली के लिए, फलोदी के लिए और बीकानेर के लिए – यह चारों तरफ की स्थितियों का एक ही कारण समझ में आता है कि समय पर कदम नहीं उठाये गये। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि अभी जो विभीषिका हुई है फिर कभी इस तरह की विभीषिका नहीं हो इसके सम्बन्ध में कदम उठायें। जयपुर नगर भी 1981 की बाढ़ में जलमग्न हो गया था हमने प्रोजेक्ट बनवाकर सारे नाले

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बनवाये। उन अवरोधों को ठीक करने की कोशिश की। मैं यह नहीं कहती कि प्राकृतिक आपदा जयपुर में फिर नहीं आ सकती। भगवान की मर्जी है लेकिन जो मनुष्य बचाव कर सकते हैं उसमें अगर कोताही बरती जाएगी, पैसा तो खर्च होगा और कह भी दिया जाएगा कि काम जो किया था वह बाढ़ में बह गया। उसके ऊपर यकीन किस को होगा? मुझको तो नहीं होगा। मैं तो यही समझूंगी कि कोताही बरती गयी। राज्य के पैसे के बारे में जनधन की हानि के लिये कौन जिम्मेदार है, इन सब को देखना पड़ेगा। इसका मूल्यांकन होना चाहिये कि कितना रुपया हमने दिया, कितना काम में आया, कितना काम में क्यों नहीं आया और जो काम में आया वह सही रूप से काम में क्यों नहीं लिया गया? इसका मूल्यांकन जब तक नहीं होगा आगे लगाया जाने वाला पैसा भी बरबाद होता रहेगा। इसलिए एक विभाग नहीं समस्त विभाग जो इसके लिये उत्तरदायी हैं, उन सब के प्रति जागरुक रहकर हमें कदम उठाना पड़ेगा। जांच भी करानी चाहिये और आगे के लिये सावधान रहकर सारी व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि अब यह स्थिति है कि बचाव के लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन दो दिन बाद जो स्थिति होने वाली है वहां पर हमको चिकित्सा क्षेत्र की ईकाइयां बनाकर टुकड़ियां बनाकर वहां भेजनी चाहिये जिससे बीमारियां नहीं फैलें। वहां पर जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनको जागरुक करें और अगर वह अकेले पूरा काम नहीं कर सकते हैं। सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया है इसलिये राजकीय स्तर पर सफाई की व्यवस्था के बारे में तात्कालिक कदम उठाये जाने चाहिये। यह काम बहुत जरूरी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो बंधे बहकर टूटकर के एक के बाद एक, अभी रेवती जी कह रहे थे कि 17 बंधे टूट गये, और माननीय विधायक भी यहां पर बन्धों की चर्चा कर रहे थे। हमारा सारा पानी बहकर चला गया, साल भर हम त्राहि-त्राहि करेंगे लेकिन अगर हम जल संसाधन के हिसाब से इतना पानी सुरक्षित करने की इस समय भी कोई योजना बना लें तो भी अभी समय है। आप तो कह रहे हैं एक महीना, फिर जुलाई का महीना लेकिन मैं तो समझती हूं कि भादवा तक बरसात आती है और अभी आषाढ़ चल रहा है। हम तीन महीने पानी की प्रतिक्षा करते हैं कि पानी अच्छा आ जाए तो धरती में भी पानी हो, खेती भी हो, कुए भी भरे, बांध भरे तो चारा भी हो। इन सारी व्यवस्थाओं को हम सुरक्षित रख सकें इसलिये भी हमको तात्कालिक कदम उठाने चाहिये। इन सब के बारे में सरकार चिन्तित है, काम करेगी लेकिन विभाग के अधिकारी उन्हें पूरा-पूरा सहयोग करें तभी यह छवि ठीक रह सकती है अन्यथा बहुत नुकसान होने वाला है इससे सावधान करना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अपने राजस्थान के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है उस बाढ़ की स्थिति में जहां देवी प्रकोप या ईश्वर की अनुकम्पा से अतिवृष्टि तो जिम्मेदार है ही लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिनकी वजह से ये जो हमारे सरकारी

(श्री भीमराज भाटी)

अधिकारीगण हैं या सिचाई विभाग के अधिकारीगण हैं, और दूसरे जो सरकारी महकमों के लोग हैं जिनको बराबर पता है, माननीय मंत्री महोदय, यहां बिराजमान है, इन्होंने विभिन्न जिलों की मीटिंगें ली थीं, उन मीटिंगों में उन जिलों के विधायक थे, इरिगेशन सैक्रेटरी थे, इरिगेशन विभाग के चीफ इंजीनियर थे और सारे लोग मौजूद थे। उन मीटिंगों की मिनिट्स उठाकर देखें, वापस उन मिनिट्स को पढ़ें, उन मिनिट्स में यह तय किया गया था कि 1990, 1991, 1992, 1993 की बाढ़ में जो बंधे क्षतिग्रस्त हुए हैं या जो इस तरह की सरकारी सम्पत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके लिये रिनोवेशन के नाम से, री-कंस्ट्रक्शन के नाम से सरकार पैसा उपलब्ध कराये। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं सिचाई विभाग ने, माननीय मंत्री जी ने मीटिंग्स ले लीं, माननीय मंत्रीजी, उन मिनिट्स में यह बात आयी हुई है कि 1990 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियां हैं उनके ऊपर पैसा मंजूर किया जाएगा और उन सरकारी सम्पत्तियों को दुरुस्त किया जायेगा। जैसे हरिसिंह जी (कुम्हेर) आज सुबह कह रहे थे कि 180 बांध भरतपुर जैसी जगह में टूटे। हमारे पाली जिले में भी कई बांध टूटे। विभिन्न जगह में नागौर में, परबतसर में कई बांध टूटे तो उन सरकारी सम्पत्तियों को क्यों नहीं पैसा उपलब्ध कराया गया? उनके सारे एस्टीमेट्स बनवाये गये, उन एस्टीमेट्स के ऊपर सरकार ने सैंक्शन क्यों नहीं दी? उन एस्टीमेट्स को कहां ले जाकर अटका दिया गया? क्यों उन एस्टीमेट्स के ऊपर, क्यों उन सम्पित्तियों के ऊपर वित्तीय मंजूरी नहीं जारी की गयी? उसके लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनको रिकार्ड में लिया जाना चाहिये और यह जो जान माल की क्षति हुई है, यह जो हजारों-करोड़ों रुपयों का राजस्थान की जनता को नुकसान उठाना पड़ा है उसके लिये उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी ठहरानी चाहिये, उनकी जिम्मेदारी नत्थी करनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नदी नाले जो बारिश के सीजन में कहर बरपाते हैं उन नदी नालों के बहाव की वजह से यह बाढ़ बार-बार जब कभी भी ज्यादा बारिश हो जाए तो उन नदी नालों की वजह से यह बाढ़ का रूप लेती है। उन नदी नालों के प्राकृतिक प्रकोप को रोकने के लिये वह जो प्राकृतिक उनका बहाव है, पानी अपने आप अपना लेवल ढूंढता है, वाटर टैक्स इट्स ओन लेवल। तो वह नदी नालों का जो प्राकृतिक बहाव है उन नदी नालों के ऊपर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सर्वे करवा लीजिये, पूरे राजस्थान में लोगों ने और विशेषकर प्रभावशाली लोगों ने कोई नदी नहीं छोड़ी जिस नदी के ऊपर अतिक्रमण करके, कोई म्युनिसिपैलिटी के नालों का आप पता करवा लीजिये, नालों के प्राकृतिक बहाव की रोकथाम करके उसके ऊपर अतिक्रमण करके उसके ऊपर, जैसे मेरे पड़ौसी साथी माननीय सदस्य कह रहे थे, उस प्राकृतिक बहाव को रोककर, उसके ऊपर फीलिंग करके उसके ऊपर नाजायज मकान नहीं बना लिये हो। चाहे वह असरदार लोग थे, चाहे आपकी नगर परिषद ने उस बहाव को रोककर उस ऐसी जगह पर मकानों की परमीशन दी है उन अतिक्रमणों

(श्री भीमराज भाटी)

का आप पता करवाइये, वह जो नगर परिषद की अनुमति से मकान बने हैं, उनका आप सर्वे कराकर पता लगाइये। आप पानी का जो प्राकृतिक बहाव है उस बहाव को रोक नहीं सकते और यह जो कहर बरपाती है, मुझे याद है मेरे गांव में, पाली में 20–20 फीट नदी चली है, बस स्टैंड तक पानी आया है लेकिन एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, एक भी मकान को क्षति नहीं पहुंची लेकिन जब से उस नदी पर वहां कहीं उद्योग वालों ने अपने नाजायज कब्जे करके आगे तक बढ़ गये हैं, कई ऐसी बस्तियां प्रभावशाली लोगों ने और अपने वोट बैंक के हिसाब से बनवा दी हैं, तो उस प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करके यह जो नदी है, आज की तारीख में हालत यह है कि जब कभी पाली में बरसात आएगी, पिछले साल भी बरसात आयी, पूरा दुर्गादास नगर भर गया, पूरा आदर्श नगर भर गया, पूरा तिलक नगर, नेहरू नगर है उसमें 6–6 फीट, 7–7 फीट पानी भर गया। यह जो बाढ़ के कारण हैं उन कारणों की तरफ जाना चाहिये।

मान्यवर, आपकी जो लो लाइन लोकेलिटीज हैं, चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी बस्ती में हो, किसी भी इलाके में हो, तो लाइन लोकेलिटीज में पानी के निकास का जब तक आप प्रोपर बन्दोबस्त नहीं करेंगे, बाढ़ तो आज आयी है, मई, जून, जुलाई में आपके मानसून आता है, आपके पास पूरे 7–8 महीने बचते हैं, उन 7–8 महीनों में क्या तो आपका राहत मंत्रालय काम करता है, क्या आपके सिंचाई विभाग के अधिकारीगण हैं वह काम करते हैं? जब वह 8 महीने काम नहीं करते हैं, जब बाढ़ आती है तब एक्टिव होते हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी प्रसन्न होते हैं कि मैं नागौर गया उसके बाद से वहां प्रशासन मुस्तैद हो गया, मुझे कोई कोताही नहीं है यह कहने में। माननीय सदस्य अभी यहां तारीफ कर रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी वहां नागौर गये, मुख्य मंत्रीजी ने वहां दौरा किया तो वहां प्रशासन एक्टिव हो गया। क्यों नहीं आपका प्रशासन, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को दर दर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसी बात हो तो घूमना भी पड़ता है लेकिन यह नौबत नहीं आनी चाहिये कि मुख्य मंत्रीजी जाएं और प्रशासन के अधिकारी वहां पर एक्टिव हों। उप मुख्य मंत्री जी नागौर में जाकर छाती पर बैठे और प्रशासन आपका एक्टिव हो। आप लोगों को, जो आपकी मौजूदगी के पहले, जो आपके जाने के पहले इस तरह से प्रशासन के जो लोग निष्क्रिय थे उन लोगों का पता करना चाहिये। उन लोगों का जन प्रतिनिधियों से पता करना चाहिये, आपके जो वेरियस चैनल्स ऑफ इन्फार्मेशन हैं, जो आपके कार्यकर्तागण हैं उनसे पता करना चाहिये कि आपके जिले में कौन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से इनएक्टिव थे। इस बात का पता लगाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : आपके जाने के बाद तो कोई एक्टिव हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में बाढ़ आयी तो नहीं लेकिन अकाल की स्थिति है। आज पीने के पानी की समस्या है लेकिन जो बाढ़ से सम्भावित

(श्री भीमराज भाटी)

कारण है वह मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं। अकाल राहत के नाम पर जो बाढ़ बचाव के काम जगह-जगह गांवों में मंजूर किये गये हैं वह काम, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है इस सदन में कहते हुए कि मुख्य मंत्रीजी का जिला होते हुए भी अकाल राहत के और विशेषकर बाढ़ के बचाव के काम जून के प्रथम हफ्ते और दूसरे हफ्ते में मंजूर किये गये। 30 जून आपकी आ गयी, 30 जून में वह बाढ़ बचाव के काम बन्द हो गये। उस बाढ़ बचाव के काम बन्द हो जाने से, मैं आपको इस सदन में कहना चाहता हूं कि पाली विधान सभा क्षेत्र में मांडावास, पांचपदरिया, खूटाणी, धींगाणा, कुलथाणा अभी तो आप हेलीकाप्टर लेकर भरतपुर, नागौर और जैसलमेर घूम रहे हो, पिछले साल भी आप हेलीकाप्टर लेकर घूमे, कुलथाणा और धींगाणा। आधे पैकेट गिरेंगे, आधे पानी में गिरेंगे, आधे आपके पैकेट भ्रष्टाचार में डूब जाएंगे। यह जो आपके बाढ़ बचाव के काम हैं वह चालू हो जाने चाहिये थे चार महीने पहले जब आपने अकाल मंजूर किया था फरवरी के महीने में या जनवरी में वह चालू नहीं किये, चालू हो भी गये तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो बाढ़ बचाव के काम हैं, ऐसे जो सरकारी काम हैं जिनकी वजह से गांवों की बाढ़ की वजह से जो सुरक्षा हो सकती है उस सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देकर उन कामों को जारी रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : बिलकुल समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव है कि यह जो प्राकृतिक विपदा आयी है उस प्राकृतिक विपदा में, अभी माननीय अकाल राहत मंत्रीजी कह रहे थे कि मैंने 5 जून को बाढ़ की मीटिंग की, 5 जून को धन आबंटित कर दिया। 5 जून को जब बरसात की सीजन आने लग गयी, जब नार्मल मानसून 27 तारीख तक, 25 जून तक एक्सपेक्टेड है तो 5 जून को आपने बाढ़ के बारे में चर्चा करके और बाढ़ का धन स्वीकृत करने की क्या तकलीफ थी? अब जो बाढ के बाद सरकार से उम्मीद करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मार्फत मैं चन्द निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके बाढ़ ने बहुत भयंकर अपना प्रकोप दिखाया है, सारी आपकी जो सरकारी वसूली है, आज गांव में कोई भी आदमी चाहे कोई-सा भी जिला ले लीजिये, जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाका रहा है उस सारे इलाके में मेहरबानी करके सरकारी वसूली आप स्थगित करवा दीजिये। मेहरबानी करके उन लोगों को खाद, बीज दिलाकर उनकी दवाई, विशेषकर के जो हमारे पशुपालक हैं, भारी बरसात की वजह से उनके जो भेड़, बकरियों वगैरह के खुर होते हैं वे कच्चे पड़ जाते हैं, उन खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं. हजारों जानवर अभी हमारे मरेंगे। अभी उन जानवरों के मरने की शुरूआत नहीं हुई है। जब ज्यादा बरसात में घूमते हैं तो उनके खुर कच्चे पड़ जाते हैं, हजारों भेड़-बकरियां, हजारों का पशु धन हमारा खतम होगा इसलिये उनकी दवाइयों की माकूल व्यवस्था करवाइये। एक और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा ही मिनट लूंगा।

(श्री भीमराज भाटी)

. मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि इस बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उसकी वजह से जहां-जहां से भी पानी गुजरा है, उस जमीन को इस बाढ़ ने खेती के लायक नहीं छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से और राजस्थान की सरकार से यह निवेदन है कि जिन लोगों की खेती की जमीन खराब हुई है और जो पानी जिन लोगों के खेतों से गुजर कर कोई खेत की बांट का या खेत का कोई नामो-निशान नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करके उन खेतों को विशेष योजना बनाकर चाहे बुलडोजर चलाकर वह जमीन जिसके ऊपर 3–3, 5–5 फीट बालू और रेत आ गयी है, उस रेत को हटवाकर वहां बुलडोजर लगाकर, उस खेती योग्य जमीन पर बाढ़ ने जो तबाही मचा दी, उस जमीन को वापस खेती योग्य बनाने के लिये मेहरबानी करके आप जो प्रधान मंत्री से तीन अरब, चार अरब रुपये की कोशिश कर रहे हैं, उस पैसे का अधिकतम सदुपयोग खेती योग्य जमीन को वापस खेती योग्य बनाने के लिये करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से जोधपुर, नागौर, अलवर, भरतपुर, इन स्थानों पर काफी चर्चा हुई या काफी नुकसान हुआ लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि सीकर में भी अतिवृष्टि से और कुछ वहां के स्थानीय बंधों के टूटने के कारण कई क्षेत्र ऐसे रहे जहां भूमि का काफी कटाव हुआ और उस कटाव की वजह से काफी मकान भी गिरे, काफी नुकसान भी हुआ। कई जगह तो हालात ऐसे बन गये कि खेत के खेत में 20–20, 25-25 फीट गहरे खड्डे हो गये और काफी चौड़ी ऐसी पट्टी गिर गयी जैसे अमानीशाह नाले के ऊपर पट्टी गिरी है, वैसी पट्टी गिर गयी जिससे वह जमीन भविष्य में भी काश्त के योग्य नहीं रही और अतिवृष्टि के कारण काफी बड़ी संख्या में मकानों का नुकसान हुआ है। खास तौर से हरिपुरा, जुराखड़ा, बराल, श्यामगढ़, राणोली, किशनपुरा, सूजावास, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पहाड़ी इलाकों से होकर पानी गुजरता है और इस पानी की वजह से कुछ मौतें भी हुई हैं। सीकर जिले में करीब 11 मौतें हुई हैं। जिनमें से 6–7 तो पानी की वजह से हुई है और बाकी मौतें इस अतिवृष्टि में बिजली में करंट आने से हुई है। इसी तरह से पशुधन का भी नुकसान हुआ है, लोगों के कच्चे मकान भी काफी गिरे हैं और जहां कहीं भी इस तरह की वारदात हुई है, नुकसान तो किसी न किसी तरह से उस गरीब का हुआ ही है और ऐसे लोगों के लिये सहायता के नाम पर जो नार्म्स बना रखे हैं, 1000-1500-2500 रुपये, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। एक तो आपका अमाउंट इतना कम है और दूसरा, जिस गति से आपका सर्वेक्षण चल रहा है, आपके वहां लोगों से, तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से जो इन्फोर्मेशन आ रही है, उसमें इतनी देरी हो रही है कि समय रहते उस गरीब को यदि यह सुविधा नहीं मिली तो वह तो फिर बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जो कुछ भी सहायता करने जा रहे हैं, वह तो एक दीगर बात है लेकिन जिस गरीब के पास में रहने के लिये एक मकान भी नहीं रहा, कम से कम आप उसको जी.सी. शीट दिलवाकर उसके रहने योग्य कोई छप्पर की तो व्यवस्था करायें। बरसात फिर सिर पर है और सीकर में बाढ़ की स्थिति तो नहीं है, जैसा कि आपने आंकलन किया है लेकिन सीकर में इस बार जो बरसात हुई है, यह करीब 300 मिलीमीटर बरसात तीन दिन में, 22-23-24 तारीख को हो गयी जो कि एक रिकार्ड बरसात है। इतनी बरसात सीकर जिले में मैं समझता हूं, मुझे तो ऐसा कम से कम याद नहीं पड़ता। इससे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब अपन ने नुकसान ही नुकसान की बात की लेकिन इससे कुछ फायदा भी हुआ है। अपने यहां कहावत "मेहा तो बरस्या भला और होणी हो सो होय"। इस मामले में माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा पर इन्द्र देवता की बड़ी मेहरबानी हुई कि वाटर रिर्चाजिंग की वजह से पानी का लेवल ऊपर आया है लेकिन कुछ ऐसी कमियां रही हैं जिनकी वजह से इतना पानी नहीं गिरने के बावजूद जो कुछ भी यह व्यवस्था बनी है, इसके पीछे आखिर कारण क्या रहे। जो कुछ भी बंधे हमारे वहां बने हुए हैं, उन बंधों की आज क्या स्थिति है। विभाग के अधिकारियों को भी इस बात का पता है कि हल्की सी बरसात को और हल्के से पानी के बहाव को ये बंधे सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेग्लीजेंसी की वजह से स्थिति ऐसी है कि उनके ऊपर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक शोभावती नदी आती है जो गणोली नदी से मिलकर सीकर में हर साल बड़ी तबाही मचाती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि शोभावती डेम के बारे में प्रपोजल सरकार के पास काफी अरसे से मूव किये हुए हैं, यदि समय रहते आप इस डेम को स्वीकृत करायेंगे तो इससे एक और जहां पानी की वजह से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा, स्थानीय लोगों की कृषि योग्य भूमि में जो कटाव होता है, उससे बचा जा सकेगा।

साथ ही साथ एक सबसे बड़ा नुकसान और हो रहा है वहां पर कि रैवासा की एक जमीन है जहां लवण उद्योग है, जहां करीब 10–12 इण्डस्ट्रियलिस्ट आसाम से और बाहर के इलाकों से आकर अपना नमक का उद्योग वहां लगा रखे हैं। इस बरसात से उन नमक के उद्योगों में करीब 7–7, 8-8 फीट पानी भर गया और वह पूरी की पूरी इण्डस्ट्रियल यूनिट बिलकुल खराब हो गयी और उन सब पर बैंक का लोन है। ऐसी स्थिति में वे न तो लोन का चुकारा करने की स्थिति में है। वे पहले ही परेशान होकर आसाम से और ऐसी जगहों से माइग्रेट होकर यहां आये थे। आज उनकी स्थिति यह है कि वे बिलकुल सड़क पर बैठे हुए हैं। उनकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

इन सारे हालात को मध्य नजर रखते हुए, बरसात का आना भी निश्चित है, कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि का होना भी प्राकृतिक नियम है लेकिन कुछ मानव निर्मित समस्याएं हैं, उनको जब तक हम नहीं रोकेंगे, तब तक इस समस्या के प्रति आप भले ही चाहे कितने संवेदनशील हो लें या प्रतिपक्ष

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इस मामले में चाहे कितने जोर-शोर से अपनी चर्चा को सुबह से सायंकाल तक कर लें, इसका कोई निदान नहीं है। इसके निदान के लिये यह जरूरी है कि हमें यह तय करना होगा कि आखिर इसके पीछे ऐसे कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से यह बरसात का पानी जब जमीन पर गिरता है तो यह बजाय खुशहाली पैदा करने के वहां पर तबाही मचाता है। इस मामले में कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें एक अदना सा अधिकारी और वहां का आम आदमी भी जानता है कि पानी के फ्लो का जो रास्ता है, उस रास्ते पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं और इसके साथ-साथ जो पुराने बंध बने हुए हैं, लगातार पानी की आवक होने की वजह से धीरे-धीरे, उनकी जो डेप्थ कायम की थी, उसमें मिट्टी का भराव हो गया है। अब इनके हिसाब से, इन्होंने तो यह तय कर रखा है कि इस बांध की ऊंचाई और उसमें पानी के भराव की क्षमता 20 मीटर है लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी के जमा होने की वजह से उसकी भराव क्षमता मुश्किल से अब 10 मीटर रह गयी है और बाकी का पानी ओवर फ्लो होकर जिस तरह से खेतों से गुजरता है तो नुकसान तो जायज है। इसलिये बंधों के मरम्मत के साथ-साथ आप यह भी सुनिश्चित करें कि बंधों की भराव क्षमता वास्तव में आपने जो तय की थी, उतनी ही है या नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : पारीक साहब, शोर्ट करें। एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत संक्षेप ही बोल रहा हूं। मैं आपको एक जानकारी यह देना चाहूंगा कि सीकर में बाढ़ की स्थिति नहीं होने के बावजूद भी करीब 11 मौतें हुई हैं जिनमें से 6–7 मौतें तो पानी की वजह से हुई हैं और बाकी मौतें पानी में करंट आने की वजह से हुई है तो इन मामलों में सरकार को आप विशेष निर्देश दें, उनकी सहायता करें और पशुधन का ह्रास हुआ है। अभी हमारे यहां गवर्निंग कौंसिल कमेटी की मीटिंग थी, उस समय यह जानकारी में आया कि बाकी सब तो मदद कर रहे हैं लेकिन मवेशियों के मरने पर सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मवेशी गरीब काश्तकार के धन के रूप में है तो किसी न किसी रूप में काश्तकार को यह मदद मिलनी चाहिये. बरसात का मौसम सिर पर है। उनको आप जल्दी से जल्दी जी. सी. शीट देकर और इस तरह की कोई अन्य सुविधा देकर उनके सिर पर कोई छप्पर योग्य चीज उपलब्ध करवाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय भवानी जी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी कोई स्थिति तो नहीं है लेकिन बांसवाड़ा जिले का अब की बार ऐसा दुर्भाग्य रहा कि रबसात नहीं हुई। पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारा क्षेत्र पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, अधिकांश आदिवासी सुबह मजदूरी करते है तो शाम को अपने परिवार का गुजारा कर पाते हैं। उस क्षेत्र में महिलाओं की यह स्थिति है कि तन ढंकने के लिये

(श्री भवानी जोशी)

उनके पास में कपड़ा नहीं है। अपने तन को एक तरफ से कपड़े से ढंकते हैं तो दूसरी तरफ उघड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हजारों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर रहे हैं. भुखमरी की स्थिति है, पानी के अभाव में जमीन में खड्डे हो जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है। उस खड्डे के गंदे पानी का उपयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं और असंख्य लोग बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि कई लोग उलटी–दस्त के शिकार हुए हैं। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि 31 तारीख तक अकाल राहत कार्य चालू रखें जाएं और लेबर की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं हो कि काम की घोषणा हो जाए और लेबर की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो वहां पर भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। पीने के पानी की जो समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है वह समुचित व्यवस्था करायें। जिन लोगों ने अपनी जमीन में बीज बो दिये और वह बीज उगे नहीं हैं वे लोग अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन लोगों को येन-केन प्रकारेण कोई राहत दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जितेन्द्रजी।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभीषिका के ऊपर बात हो रही है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हुई अतिवृष्टि के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, 48 घंटे के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में साढ़े पांच सौ मिलीमीटर बारिश हुई। उस भयंकर विलप्व की रात में वहां हमारे बने हुए करीबन एक दर्जन बांध ताश के पत्तों की तरह बह गये और मोरवी काण्ड होते-होते बचा। वहां एक जसरापुरा बांध टूटा उससे एक लोयल गांव के अन्दर दस-दस फीट पानी घुस गया और उसका वेग इतना ज्यादा था, वह समय सायंकाल का था, अगर रात्रि का समय होता तो सारा गांव बह जाता।

महोदय, मेरे कुछ जो महत्वपूर्ण बांध टूटे हैं उनकी ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें चिरानी, बीमावाली ढाणी, जसरापुर, हुडिया, तेपराग्वार, सुनारी, सावां की ढाणी, दलेलपुरा आदि करीबन इस तरह के एक दर्जन बांध टूट गये। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन बांधों के अलावा जान–माल की हानि होने का पूरा चांस था लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण यह बचाव हो गया।

महोदय, मैं पहले तो मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खेतड़ी रायल स्टेट के अन्दर जिस समय उन्होंने इसी तरीके से बांध बनाये थे पहाड़ी स्थान है और बारिश की वजह से उन्होंने बांध बना रखे थे लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार जो डी.आर.डी.ए. से लिस्ट आयी है उसमें खेतड़ी, जिसमें ठिकाने में सीकर एवं झुंझुनूं जिले में सर्वाधिक बांध थे, एक भी बांध स्वीकृत नहीं हुआ है। मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांधों के बारे में जो आज से सौ साल पहले सोच था वहां के शासकों का, आज वर्तमान शासकों का भी वही सोच हो और इस तरह के जो

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पहाड़ी स्थान है उनको वरीयता दी जाए।

महोदय, इस बारिश के कारण जो सबसे बड़ा दूसरा नुकसान हुआ। हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, आपके अखबार की कतरन है, उसके बारे में मुझे अब तक ध्यान है, जिसमें आपने लिखा था कि "सड़क के ऊपर अगर गड्ढे हैं तो वह मेरे जिगर के फफोले मालूम होते हैं मुझे"। महोदय, यहां तो जिगर ही बह गया। वहां पर माधोगढ़ में हमारा कम्युनिकेशन था पुल का, ताश के पत्तों की तरह वह पुल बह गया। खेतड़ी नगर और शिमला गांव के बीच में रेपट बना रखा था वह पानी में उड़ गया और बीच में शिमला से लेकर मिहाड़ा जाटवास गांव है उसके बीच में दस-दस फीट मेन रोड के ऊपर पानी चढ़ा हुआ है। मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिये। जो पहाड़ी स्थान हैं उनके ऊपर विशेष तौर से आपको यह बताने की आवश्यकता होगी। आप माधोगढ़ पर ब्रिज बनाइये और दो–तीन मैंने आपको नोट कराये हैं, उनके ऊपर ब्रिज बनाइये। मैं निवेदन करना चाहूंगा की इस भयानक पानी के कारण महत्वपूर्ण बांध हैं, कृपया सिंचाई मंत्रीजी नोट करें, शिशुवाला बांध एक महत्वपूर्ण बांध है, तातीजा, बीलवा और यह नानोवाली बावडी इतने आवश्यक बांध है कि अगर यह नहीं बनाये गये और दुबारा अतिवृष्टि अगर कभी हुई तो उसके अन्दर भारी जन–धन की हानि हो सकती है।

अन्त में, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बारिश के अन्दर भरतपुर डूब गया और उसमें ऐसे बैक्टीरिया और वाइरल इंफेक्शन स्प्रेड होगा, आज से साल भर पहले मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि इस तरह का रेजीस्टेंस, वाइरस पैदा होते हैं जिनका ट्रीटमेंट एक महीने तक भी नहीं हो पाता है। इसलिये you must be very much conscious about it. मलेरिया, इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस और आपके गेस्ट्रोएन्टाइटिस, they can spread anytime. भरतपुर, अलवर इसके सबसे बड़े विक्टिम होंगे। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि दुबारा से यह बाड़मेर का काण्ड रिपीट न हो, आपने सतर्कतापूर्वक उसे कण्ट्रोल किया, उसी तरह करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमान् घनश्यामजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उत्तर दिलवायें, अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी ने छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्ररहमान जी, (अनुपस्थित)। श्री विष्णुजी।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): आपको क्या लेना–देना बाढ़ से ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बाढ़ से क्या सम्बन्ध है आपका ?

श्री विष्णु मोदी : वह बताता हूं साहब अभी बताता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनको समय कम ही देना आप।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, बारिश ज्यादा हुई उससे आपदा स्थिति बनी, जान–माल और पशुधन की हानि हुई। आप इतनी बारिश मे कुछ नहीं कर सकते थे, पानी आ गया, जितना नुकसान होना था, हो गया। अध्यक्ष महोदय, यह जो आज सुबह किताब दी है, एक विश्लेषणात्मक विवरण, उसमें ही लिखा है कि यह जो मानसून राजस्थान में आया, वह 1972 में जो मानसून आया था उसी रास्ते से मानसून आया और 1972 के मानसून की यह रिपोर्ट थी कि उसने इतना ही हेवोक मचाया था। इसके बावजूद यह सरकार; जो संवेदनशील सरकार अपने आप को कहती है, 18 तारीख को मानसून आता है, 18 तारीख को बाड़मेर में बारिश होती है, 20 को माउन्ट आबू में होती है; 21 को फिर जैसलमेर, पोकरण बाड़मेर, चौहटन, जोधपुर, ओसियां और फलौदी में होती है, 22 को भोपालगढ़ में, ओसियां फलोदी में नागौर और सीकर में होती है और 23 तारीख को नागौर, सीकर, झुंझनू खेतड़ी और उदयपुरवाटी में होती है और 24 को फिर अलवर और भरतपुर में बारिश होती है तो राज्य सरकार को, अगर यह काम्पीटेंट होती, अगर राज्य सरकार के अन्दर संवेदनशीलता होती, अगर राज्य सरकार में 1972 के आंकड़ों का विश्लेषण होता तो कम से कम आदमियों की जितनी मौतें हुई हैं उससे बचा जा सकता था। सतर्कता बरती जा सकती थी, लोगों में अनाउंसमेंट किया जा सकता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ओलावृष्टि हुई थी तब भी मैंने इसी सदन में कहा था कि आपका कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो मौसम विभाग से आपका सम्पर्क रखता हो। आपने इसमें लिख दिया कि मौसम विभाग भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सका।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे मौसम बरसात नहीं आती ?

श्री विष्णु मोदी : अब उजला जी, आपको जानकारी नहीं हो उस सब्जेक्ट में....

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : आप यह बता दें कि एक बीघा में बाजरी कितनी होती है ? यह तो बता दें जरा।

श्री विष्णु मोदी : एक बीघा की बाजरी भी बता दूंगा मैं आपको।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : यह बताइये साहब कि एक बीघा में बाजरी कितनी होती है ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सरकार पर आरोप है कि इसकी इन्काम्पीटेंस से, इसकी इनएफिसियेंसी से यह जानें गयी हैं और उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेवार है तो इस प्रदेश का सिंचाई विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. और अकाल राहत विभाग है। अलवर में जो बांध टूटे, अलवर-भिवाड़ी जो नेशनल हाइवे बना है उस नेशनल हाइवे पर सारा पानी रूका, जब नेशनल हाइवे टूटा तो उसके बाद एक के एक बांध टूटते चले गये। भरतपुर के अन्दर पिछले साल बाढ़ आयी थी और उस बाढ़ से हुए नुकसान का, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कब आपने पैसे सैंक्शन किये। भरतपुर में तो बाढ़ आनी ही थी, अगर इतनी बारिश नहीं होती तो भी बाढ़ आती, क्योंकि आपके जितने बांध टूटे थे; उन

(श्री विष्णु मोदी)

बांधों की आप मरम्मत नहीं करा सके। आपने एक मार्च को पैसा सैक्शन किया, 31 मार्च को पैसा लेप्स हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : खेंच दिया मीटर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बस हो गया नैक्स्ट।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, जब पाकिस्तान के अन्दर दंगे होने पर आदमी मर जाते हैं तो उस पर बेनजीर भुट्टो पर एफ.आई.आर. हो जाती है, जब दिल्ली में हाई कोर्ट आदेश देकर नरसिंह राव का नाम एफ. आई. आर. में जुड़वा देता है तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री, सिचाई विभाग के मंत्री और राहत विभाग के मंत्री के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जाय और उनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स की जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : कोर्ट में जाओ, यहां क्यों कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ताम्बी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सन् 1972 हो या 1982 हो....

श्री अध्यक्ष : अब ये चर्चा यही समाप्त है। अब प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : 5 से 7 मिनट तक लूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था का कोई मुकाबला नहीं।

श्री जुबेर खान : टोडाभीम में भी बाढ़ आयी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : 1996 का वर्ष हो बाढ़ राजस्थान में आती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार इस बाढ़ की रोकथाम की न तो पहले कभी तैयारी करती है और जगह-जगह पानी की रूकावट और नाले बन्द होने से, उन पर अतिक्रमण होने से यह समस्या गम्भीर बनी हुई है। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे अकाल का मामला हो चाहे बाढ़ का मामला हो इसका एक मास्टर प्लान बनना चाहिये। हर जिले की कहां क्या स्थिति है इस सरकार के पास न कोई जानकारी उपलब्ध है। जब बाढ़ आती है उसके बाद सरकार जगती है इसके पहले सरकार सोती रहती है। आप इस मामले को उठा के देख लें कि तीनों बार जो स्थिति बनी है वो इन्हीं कारणों से बनी है और इसके बाद अकाल के बारे में, बाढ़ के बारे में कहा जाता है कि जो बांध टूट गये हैं या एनीकट टूट गये हैं या अधूरे हैं सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी। सरकार के पास यह जानकारी है या नहीं कि 1990 और 1992 के भी तालाब, एनीकट टूटे हुए पड़े हैं। खास तौर से पंचायतों के तालाब और एनीकटों की हालत सबसे गम्भीर है, टूटे हुए हैं आज तक क्षतिग्रस्त है वह तैयार नहीं हुए हैं। अकाल राहत विभाग कितना काम्पीटेंट है, कितना सक्रिय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अकाल मंत्रीजी सरवाड़ में, इनके स्टेटमेंट मैं देखता रहता हूं जिनमें यह होता है कि मैंने यह आदेश दे दिया है कि गांवों में कोई तालाब, नाड़ी टूटे-फूटे, अधूरे नहीं रहेंगे। अब इनके आदेश कौन मान रहा है कहां जा रहे हैं मुझे पता नहीं। हमारे जिले में हमारे क्षेत्र में तो अनेक एनीकट आज भी टूटे पड़े हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तालाब, नाड़ी की बात करते हैं, अकाल की बात भी मैं साथ-साथ करना चाहता हूं कि इस बार अकाल राहत कार्यों में शुरूआत करने में देर हुई, घोषणा में देर हुई उससे पहले परीक्षण राहत कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुए और जिस प्रकार से राजनैतिक आधार पर काम आरम्भ हुए उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अपने 45 साल के सार्वजनिक जीवन में राजस्थान में मैंने इस बार पहली बार देखा कि अकाल का राजनीतिकरण कर दिया गया। कई क्षेत्रों में इतना भेदभाव और इतनी विषमता श्रमिक लगाने में हुई। भीलवाड़ा जिले के लिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों के आप आंकड़ें देख लें डेढ़ लाख मजदूर लगा करते थे। जनसंख्या बढ़ने के बाद आज हमारा अन्दाजा यह था कि 2 लाख मजदूर भीलवाड़ा जिले में लगने चाहिये थे। यह सरकार जो अपने–आपको संवेदनशील सरकार कहती है....

श्री सांवरलाल : यह बाढ़ के ऊपर चर्चा है और अकाल के ऊपर अलग से चर्चा रखवा देंगे। यह बाद में कीजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं दोनों बात साथ कह रहा हूं। आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको तकलीफ क्या हो रही है?

श्री सांवरलाल : मेरे को तकलीफ यह हो रही है कि आप फालतू समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : समय जाया नहीं कर रहा हूं मैं कहूंगा अपनी बात। समय तो आपने जाया किया है जो हमारी राशि बरबाद कर दी।

श्री अध्यक्ष : ताम्बी साहब, अकाल पर तो आप पहले भी बोल चुके हैं। अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही है, तो बाढ़ पर कहिये न आप।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति पैदा हो रही है उसके कारण आज लोगों को गांवों से पलायन करना पड़ा और उन्हें 4–4 महीने से भुगतान नहीं हुआ। यह गम्भीर स्थिति भी है।(व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसा तालाब या एनीकट नहीं है, सारे एनीकट बन चुके हैं और एक भी एनीकट ऐसा नहीं है जहां कार्य नहीं चल रहा है। सारे एनीकट बन चुके हैं। सारे काम चल रहे हैं। यह असत्य बोल रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चुनौती देना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक दर्जन एनीकट पड़े हैं ऐसे। अकाल राहत विभाग को लिख कर दिया ये भीलवाड़ा से आने वाले विधायक महोदय को मालूम ही नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

है कहां के एनीकट हैं और कहां टूटे हुए हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 12 एनीकटों की लिस्ट मैंने जिला प्रशासन को ढाई महीने पहले दी थी कि ये गत बाढ़ के कारण एनीकट टूटे हुए पड़े हैं और आज तक वो एनीकट नहीं बने हैं।

श्री रामरिछपाल नुवाल : एक भी स्थान ऐसा बता दो, एक भी जगह ऐसी बता दो जहां टूटे पड़े हैं....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, मैं बता दूंगा।

श्री रामरिछपाल नुवाल : एक-एक स्थान मेरा देखा हुआ है। चाहे गंगापुर हो, चाहे जहाजपुर हो, चाहे आसींद हो, चाहे मांडलगढ़ हो....

श्री रतनलाल ताम्बी : अच्छा मैं बताता हूं, नाम बताता हूं साहब। मै टोटल नाम बता रहा हूं। और ये गांव कहां हैं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं मैं गांव बताकर पंचायत भी बता सकता हूं कौन से गांव में हैं।....(व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : ये सदन को गुमराह कर रहे हैं भीलवाड़ा के अन्दर जितने भी एनीकटो पर काम चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : गणेशपुरा एनीकट, गणेशपुरा एनीकट कौनसी पंचायत में है इनको पूछो तो सही कम से कम। दिहाड़ा एनीकट, गणेशपुरा एनीकट, गाहरोली एनीकट, जो टूटे हुए हैं, उन्हें गिना रहा हूं, खेड़ा का एनीकट, मानकपुरा का एनीकट यह मानकपुरा कौनसी पंचायत में है यह भी नहीं बता सकते। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के मामले में मैं अधिकारपूर्वक कहता हूं, चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि एनीकट टूटे हुए हैं या तो यह सदस्य बोल रहे हैं यह रिजाइन दे दें या मैं देने को तैयार हूं। आप सदन की कमेटी बना दें मौके पर एनीकट टूटे हुए हैं मैं बता सकता हूं।

श्री रामरिछपाल नुवाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो कहे उसके लिये तैयार हूं। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कह रहा हूं एनीकट टूटे हुए हैं। सदन की आप कमेटी बना लें वो एनीकट ज्यों के त्यों टूटे पड़े हैं आज भी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब। माननीय मदेरणा साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बाढ़ के समय में विधान सभा में जो आश्वासन दिये गये थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। विधान सभा की प्रोसीडिंग में आप देख लें पंडेर गांव में जहां बाढ़ के पानी से सैंकड़ों मकान गिर गये और गिरने के बाद विधान सभा में आश्वासन दिया था कि रोकथाम की योजना तैयार की जाएगी। आज 3 साल बाद उनकी रोकथाम की कोई योजना नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष : अभी अकाल की चर्चा नहीं हो रही है। अभी बाढ़ की हो रही है आपकी बातें काफी हो गयी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं बाढ़ की बात कह रहा हूं । तीन साल पहले जो घर बह कर चले गये, उसके बाद रोकथाम की व्यवस्था नहीं हुई और इस बार भी जब बरसात आएगी तो उन गांवों की क्या स्थिति होने वाली है क्योंकि इस बार जगह जगह नालों पर बड़ी तादाद में अतिक्रमण होने से पानी का बहाव मुड़ गया, पानी दूसरी तरफ प्रवाहित होने लग गया और इसी कारण आज बाढ़ की स्थिति कई जगह बनी हुई है । इसलिये मेरा आग्रह यह है कि बाढ़ क्यों आती है, उसकी रोकथाम की व्यवस्था कैसे हो और कब हो यह व्यवस्था इस प्रशासन को पहले करनी चाहिये । इस साल आपने जैसा बताया कि 5 जून को हमने मीटिंग की थी, 5 जून के बाद पन्द्रह दिन में आपने क्या क्या व्यवस्था कर ली ? इसलिये यह सब योजनाएं जो जिलेवाइज हालात हैं उनके आधार पर बननी चाहिये । मेरा इस मामले में यह भी निवेदन है कि जितने भी नाले–नालियों और नदियों के बहाव में जो बड़ी तादाद में अतिक्रमण कहीं भी हैं, उनको हटाकर पानी की बराबर निकासी की जाए तो काफी हद तक रोकथाम हो सकेगी । यही मुझे कहना था ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । माननीय प्रतिपक्ष के नेता पधार जाएं । श्री हबीबुर्रहमानजी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे । यह तीसरी बार नाम पुकारा है आपका मैंने....(व्यवधान) आपका नाम ही नहीं लिया है, आप बिराजें ।

श्री हबीबुर्रहमान : अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट ही लूंगा । अध्यक्ष जी, मेरे मुण्डावा क्षेत्र में बाढ़ से ग्रस्त पूछेराय, खाजू, रूण, गजवाड़ा, सररूवाज और 10–15 गांवों में पानी भर गया आज मैं डिप्टी सी. एम. साहब से यह कहूंगा कि अभी भी मेरे चार गांव जैसे ताऊसर, चेनार, कमलीसर और जीवन बेरा हैं उनमें आप किश्तियों की व्यवस्था कीजिये । अभी भी वहां दो–दो इंच के पम्प लगे हुए हैं । नागौर में 10 हार्स पावर के 10 पम्प आये हैं लेकिन उसमें से अभी भी दो चालू हैं । रात को मैं नागौर से निकला हूं । आज नगरपालिका वालों ने भी भूख हड़ताल कर रखी है । मैं चाहूंगा कि मेरे ताऊसर और चेनार में किश्तियां चलें जीवन बेरा और कमलीसर गांव बिलकुल डूबे हुए हैं वहां पर भी किश्तियां भेजकर यह मालूमात करें कि गांव के लोग कहां हैं । आज ताऊसर और चेनार का यह पूरा पानी जीवन बेरा और कमलीसर चला गया है वहां के लोगों की ढाणियों का पता नहीं, लोगों का पता नहीं जानवर चले गये । मैं चाहूंगा कि वहां फौज बुलाये, किश्तियां लगाकर उन लोगों का पता लगायें और उनके लिये खाने के पैकेट पहुंचायें, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलना है । रामस्वरूपजी दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाढ़ के ऊपर यह जो चर्चा चल रही है, बाढ़ आने के पहले सरकार को सही समय पर सूचना नहीं मिलती है उसके कारण समस्या पैदा होती है । माननीय मंत्रीजी आपका जो मौसम विभाग है । कंट्रोल करें । आप उस पर सारी कमी मौसम विभाग की है । अबकी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बार जितनी भी तबाही जो राजस्थान के अन्दर हुई है इस सारी तबाही का कारण आपका मौसम विभाग ही है। इस मौसम विभाग की जानकारी उल्टी चल रही है। जहां पर ये कहता है कि बूंद पानी नहीं बरसेगा वहां तो मूसलाधार वर्षा हो रही है और जहां ये घोषणा करता है कि मूसलाधार वर्षा होगी वहां पर एक बूंद पानी नहीं पड रहा है। आखिर इसकी जांच क्यों नहीं करायी जाए? आज सारा सदन यह प्रस्ताव पारित करे कि मौसम विभाग फेल हो चुका है। मौसम विभाग के जो कर्मचारी, अधिकारी नियुक्त हैं उनको बदला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मौसम विभाग में वे लोग लगने लगे जो लोग सिफारिशी लोग हैं वो मौसम विभाग में आने लग गये, अयोग्य व्यक्तियों को मौसम विभाग में लगाया जाने लग गया। इसके कारण हमारा मौसम विभाग फेल है। उसके कारण आपको, हमको और सारे सदन को सबको सुनना पड़ रहा है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि मौसम विभाग को सही समय पर सही जानकारी हो, इसके लिये विभाग को सुधारा जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जो बाढ़ आती है और जिसके कारण भरतपुर में बाढ़ आती है। भरतपुर में पानी जाता है सवाई माधोपुर का। सवाईमाधोपुर में एक पांचना बांध है हमारा, जिस पर गम्भीरी नदी को रोका गया है। पांच नदियां जहां रोकी गयी हैं। पांचना बांध पिछले साल टूट गया था। पाचना बांध टूटने के बाद में सारा पानी उसी में गम्भीरी नदी में होकर निकल जाता है और उसी के कारण हमारा पूरा भरतपुर तबाह हो जाता है। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि हमारे पाचना बांध को आप बंधवाएं, उसमें उस नदी के पानी को आप रुकवाएं ताकि हमारा भरतपुर डूब में नहीं आये, हमारा भरतपुर बरबाद नहीं हो और मेरा पांचना बांध बंध जाए, जिससे मेरा क्षेत्र जिला सवाईमाधोपुर सिंचित हो सके....

श्री अध्यक्ष : विराज जाएं, विराजे आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : लिफ्ट योजना के जरिये पानी मिल सके और यह तबाही से भरतपुर बच जाएगा। आपका अधिक समय नहीं लेते हुए पुनः यही निवेदन करूंगा कि आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं हमेशा आपके लिये आखिरी दम तक यहां लड़ता हूं, आखिरी समय पर, आखिरी सीमा पर मैं ही बैठा हुआ हूं, सीटें खाली पड़ी हैं मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, सुबह आता हूं शाम तक रहता हूं, 12 बजे तक चलाओगे तो 12 बजे तक रहूंगा, तीन बजे तक चलाओगे तो तीन बजे तक रहूंगा। इसलिये मुझे अवसर देने की आप मेहरबानी करें, दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राहत मंत्री जी ने अप्रत्याशित जो बारिश हुई।

(श्री परसराम मदेरणा)

अप्रत्याशित का मैं अर्थ लगाता हूं अनएक्स्पेक्टेड, अनफोरसीन। मैं उनकी इस राय से, अध्यक्ष महोदय, सहमत नहीं हूं। क्योंकि जब से आपका यह डिप्रेशन अरजेंसी में बनना शुरू हुआ है, बराबर लगातार टी.वी. पर इस बात की वार्निंग आ रही थी कि गुजरात और राजस्थान की तरफ यह साइक्लोन बढ़ेगा। स्थिति तो यह थी, सबसे पहले बरसात माउंट आबू में 20 तारीख को ही हो गयी। और 21 तारीख को पोकरण, जैसमेर, चौहटन, बाड़मेर वगैरह, मैंने 20 की रात को बाड़मेर टेलीफोन किया कि बरसात आयी है या नहीं, बरसात नहीं है बादल है, रात में हो सकती है। अगर मैं यहां बैठे-बैठे उस सेटेलाइट के थिक क्लाउड्स को देख कर यह अंदाज लगा सकता हूं कि बाड़मेर में बरसात होगी, तो अनएक्स्पेक्टेड रात को ऊपर से बादल फट गया ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अभी हमारे माननीय सदस्य मौसम विभाग के बारे में कुछ चर्चाएं कर रहे थे। यह बात है कि मीटिओरोलाजिकल डिपार्टमेंट की यह जो सब फोरकास्ट हो रही थी 20, 21, 22 को या 23 तक वह सही नहीं निकल रही थी। इसलिये 23 तारीख को मार्निंग में मैंने चीफ सैक्रेटरी को टेलीफोन किया कि आज तक जो रोजाना बरसात होती है, उसका बुलेटिन निकलता रहा है, वह बुलेटिन आज तीन दिन हो गये, बरसात हो रही और डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलोजिस्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट के अण्डर में काम करता है, वह बुलेटिन क्यों नहीं निकला है? वहां पर कोई मिस्टर कपूर है उन्होंने उनको अपने घर पर बुलाया और मुझे टेलीफोन किया कि यह बुलेटिन आज से निकलना शुरू हो जाएगा और शाम को बुलेटिन आया। बुलेटिन के नीचे फोरकास्ट के बारे में लिखा हुआ था, 23 तारीख के बुलेटिन में। डेली बुलेटिन इश्यू होता है। कहां-कहां बरसात राजस्थान के कौनसी जगह में रेन गेज है, उसमें उसका उल्लेख होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसको बहुत मेटिकुलिएस डिटेल में देखता रहता हूं। पूरी मानसून की, मौसम है इसलिये कि यह मालूम रहे कि कहां पर कितनी बरसात हुई है। दूसरा यहां पर नहीं गोविन्द सागर, पोंग, गांधी सागर और माही इनमें बराबर पानी का भराव जो रहता है, आज कितना प्लस हुआ है मैं मेरी पेंसिल से लिखता हूं रोज, इसलिये लिखता हूं कि यह मल्टी-परपज डेम हैं बिजली भी पैदा होगी और रबी की फसल के ऊपर हमारे आसार बनेंगे, सम्भावनाएं बनेंगी। इसलिये यह कहना कि उस दिन यह हुआ, मैंने उनसे पूछा कि फोरकास्ट आज ही यह की है आपने इसमें कि "दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बरसात होगी"। आज मैं टी.वी. देख रहा था। टी.वी. में जो बरसात है वो जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू के ऊपर से सीधी गंगानगर के एक पोर्शन में है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली गया था। डायरेक्टर जनरल मीटिओरोलाजिकल मुझे नहीं मिला, दूसरे लोग मिले थे। मैंने कहा कि आपकी फोरकास्ट गलत जा रही है। इसलिये इसका सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है, माननीय सदस्य। यहां के मौसम विभाग में कुछ नहीं है, यह तो रेनगेज नापने वाले लोग हैं यहां पर।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि पश्चिमी राजस्थान मे जब यह बरसात हुई 20, 21, 22 को और 23 को भी, नागौर में 23 को हुई बरसात, 24 को ईस्टर्न राजस्थान में हुई। उस दिन टी.वी. पर 23 की रात को यह भी फोरकास्ट था कि रेगुलर मानसून आ चुका है। दिल्ली में आज बरसात हुई है। वह सिर्फ 10 मिली-मीटर हुई है। दूसरे दिन टोरेंशियल रेन सुबह मार्निंग में दिल्ली में हुई थी, 24 को मार्निंग में। इसलिये यह अंदाज नहीं लगाना कि यहां पर यह साइक्लोन किस तरफ पर आ रहा है। साइक्लोन का मतलब वहां कोई मछुआरों के मरने के लिये चेतावनी नहीं थी। यह साइक्लोन डिप्रेशन बनने के बाद में उसकी मानसून बन करके और इधर राजस्थान की तरफ, जब कच्छ में अनाप-शनाप बरसात हो गयी, बहुत से लोग मरे थे और मानसून इधर बढ़ रहा था। यह तो कुदरत का ही खेल कहिये। एक बात और, 20 तारीख को मैंने सुमेर-पुर बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहां छींटे तो बहुत कम हुए हैं लेकिन पुरवाई चल रही है। मानसून में पुरवाई चलने के बाद में तो 6 घंटे में बरसात आती है, यह बरसात क्यों नहीं आ रही है? आएगी जरूर। लेकिन पुरवाई भी इस साइड से आती है, यह डायरेक्शन है। पुरवाई जो है, मुझे वह दोहा याद नहीं है, श्री पूनम-चन्द जी यहां हैं नहीं अभी। पुरवाई हवा चलने का मतलब है बरसात निश्चित तौर से आएगी। आपकी तो पुरवाई-हरवाई का मुझे कुछ मालूम नहीं, मुख्य मंत्रीजी. यह कुछ पुरवाई में आपके मिनिस्टर कुछ समझते हैं या नहीं समझते? रहने वाले तो गांव के हैं वो। लेकिन पंजाब केसरी में 29 तारीख को यह आया कि "मुख्य मंत्री और राहत मंत्री में लुका-छिपी का खेल", आप इनसे कांटेक्ट कर रहे थे और ये आपसे मिले नहीं, भोपाल से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : यह गलत है, मैं इसको गलत मान लेता हूं। आज सुबह तो आपके मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था, मैं जवाजा गया हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भोपाल से इनको टेलीफोन नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : कहीं से किया होगा आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो आप भोपाल का बता रहे है।

श्री परसराम मदेरणा : भोपाल का इसलिये समझ रहा हूं कि आप सीधे भोपाल गये थे। शायद उस वक्त कह रहे थे या जोधपुर से किया होगा लेकिन ये तो खुद कह रहे थे कि मुझसे मुख्य मंत्रीजी बात करना चाहते थे, मैं जवाजा गया हुआ था।

श्री सांवरलाल : मैंने कह कहा?

श्री परसराम मदेरणा : यह मुझे मालूम नहीं। इसमें डेट नहीं लिखी कि आपने कब कहा। आप कब कहते हैं और कब नहीं कहते और किसको क्या कहते हैं वो तो आपका प्रिंसिपल प्राइवेट सैक्रेटरी या पी.ए.

(श्री परसराम मदेरणा)

मानता है लेकिन यह बात आयी थी। मेरा निवेदन करना यह था कि आठ जिलों के अन्दर इससे जन-धन की और पशुधन की तबाही हुई है। वो आठ जिले है—जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर....

(21.00)

अध्यक्ष महोदय, जान-माल की व्यापक पैमाने पर अपार क्षति नहीं हुई लेकिन सैकड़ों गांव इसमें डूब गये और हजारों कच्चे-पक्के घर डिमोलिश हो गये। अभी तक असेसमेंट शायद कर रहे होंगे, जो पार्शल या कम्पलीट डैमेज्ड हैं। पेयजल की आपूर्ति बहुत प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हुई। रेल और सड़क का यातायात कई जगह ठप्प हो। मींस आफ कम्युनिकेशन नहीं रहे, जहां पर पानी स्टेग्नेंट हुआ और जहां-जहां पानी का रश आया वहां पर पशु, भेड़, बकरियां मर गयीं। वहां पर आज भी सड़ांध, बदबू आ रही है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। जहां पर यह सड़ांध है, वहां पर बीमारियां न फैल जाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में कुछ बीमारियां होती हैं। यह कोई दूसरी महामारी का रूप धारण नहीं कर ले। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री जी को टोल पर अपनी टीम को लगानी चाहिये।

मैं एक उदाहरण देता हूं मुख्य मंत्रीजी, कई दफे असेसमेंट, ब्यूरोक्रेसी की बात, लापरवाही की बात, अव्यवस्था की बात, कुव्यवस्था की बात यहां पर आयी। 27 तारीख को शोकाभिव्यक्ति के बाद सीधे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ भरतपुर गया था। भरतपुर की आफिसर्स की मीटिंग में हमको यह इम्प्रेशन दिया गया कि इसका लेवल 9 फीट है लेकिन एम.डब्ल्यू.एल., पी.बी.एल. के ऊपर तीन फीट पानी ऊपर आ गया है, 13 फीट पानी है। मोती झील में जो ब्रीच हुआ वह नीचे दो फीट पर है। अब आप आये आज 11 फीट पानी है और रात तक पानी घट जाएगा। घटने के बाद यह पानी कम हो जाएगा, कम होते ही हम ब्रीच को प्लग कर देंगे, यह कहा था। उसके बाद ज्योंही अपन रवाना हुए तो अपन यह सोच ही नहीं रहे थे और वहां पर यह बात बतायी भी नहीं गयी थी कि पानी भरतपुर शहर में चढ़ रहा है। 1995 में जो फ्लड आयी है, वह फ्लड तीनों ही रिवर्स का आया था। रूपारेल का भी आया था, आपका सीकरी का डैम टूट गया था, बाणगंगा स्पेट में थी और गम्भीरी भी स्पेट में थी। उसके बाद भरतपुर में मोती झील बची। इसका पूरा श्रेय, जिस वक्त अक्टूबर में यहां पर बाढ़ पर चर्चा हो रही थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ले रहा था। उन्होंने बहुत तारीफ लिखी है कि हमने मोती झील को बचा लिया हमारे प्रयत्नों से। उस वक्त तो आपने बहुत फोरसाइटेडनेस दिखायी। लेकिन इस वक्त वहां पर चीफ इंजीनियर हमको यह कहे कि पानी नीचे उतर जाएगा, तो हम निश्चित होकर के कुम्हेर चले गये, हम डीग जाना चाहते थे लेकिन पैट्रोल नहीं था, पायलट ने कह दिया कि पैट्रोल नहीं है। कुम्हेर की रोड सब्मर्ज्ड थी। हमको इम्प्रेशन यह दिया कि कुम्हेर के अन्दर 40 गांव मेरुंड हैं, सब्मर्ज्ड वह भी नहीं हैं। लेकिन पानी और आएगा कामां और बाड़ी

(श्री परसराम मदेरणा)

साइड से इस प्रकार का कोई भी ग्राकलन उस दिन न तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को था न टैक्नोक्रेट्स को। हम भी निश्चित होकर के ग्रा गये कि मोती झील का पानी निकल जाएगा। 4 ड्रेंस बनी हुई हैं खाली करने के लिये, एक तो स्टेट के वक्त से है ग्रौर 1969 के बाद से 3 ड्रेंस ग्रौर हैं। यह भी हमको बताया गया था कि इन तीनों ड्रेंस से हम पानी निकालते हैं, चारों से निकल जाएगा। इधर पानी पीछे ग्रा नहीं रहा है, पानी का फ्लो कम है ग्रौर मैंने एक बात कही भी थी कि बाढ़ कब आयी थी जिसकी वजह से चिकसाना बांध की वजह से नुकसान हुग्रा था। कलक्टर ने कहा, उनकी तारीफ करूंगा कि उनके फादर की डेथ होते हुए भी वे वहां मौजूद थे। फादर की डेथ के दूसरे या तीसरे दिन ही ग्रा गये। उन्होंने कहा कि 1972 में मिस्टर अनिल जब वहां पर कलक्टर थे तो उस वक्त चिकसाना बांध को लोगों ने वहां से तोड़ दिया था, ग्रभी भी कुछ उसको तोड़ा गया है बचाने के लिये। कल जो स्थिति देखी मुख्य मंत्रीजी, जब आप साथ थे, तो बिलकुल भरतपुर के ग्रन्दर सिर्फ लो-लाइंग एरिया नहीं है दूसरी बस्तियों में भी 4-4, 5-5 फीट तक पानी था। यह स्थिति उस दिन 27 तारीख को नहीं थी। ग्रब यह कैसे हुग्रा और कैसे नहीं हुग्रा। ग्रभी वे कह रहे थे, चौमूं से ग्राने वाले माननीय सदस्य...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इधर बैठा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप किधर से किधर बैठते हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं ग्रापके ज्ञानवर्द्धन के लिये 29 जून की दैनिक नवज्योति का जो ग्रग्रलेख है, वह पढ़ना चाहूंगा---

"स्वयं को कल्याणकारी बताने वाली सरकार तथा पारदर्शी होने एवं संवेदनशीलता का दिन-रात ढिंढोरा पीटने वाले जिला प्रशासनों के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण हालत चिन्ताजनक होने के साथ-साथ शर्मकारी भी हैं। बाढ़ बचाव व राहत कार्य दोनों की विफलता अभिप्रमाणित होती है। यह स्थिति तब रही है जब कि प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय मौसम के विभाग कई दिन पूर्व ही पूर्व में पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की चेतावनियां लगातार दे रहे थे ग्रौर जिला एवं राज्य प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। उसे चेत तब ग्राया जबकि मानसून के मौसम में होने वाली वर्षा 2 दिनों में ही हो गयी ग्रौर व्यापक तबाही मचा गयी।"

एडिटोरियल कंटीन्यू -- "यह भी दुःखद विडम्बना ही है कि भरतपुर जिला लगातार ग्रतिवृष्टि ग्रौर बाढ़ का शिकार होता रहा है। प्रत्येक बाढ़ से व्यापक तबाही होती है, बांध भारी संख्या में टूटते या क्षतिग्रस्त होते हैं लेकिन प्रशासन द्वारा इसकी स्थायी रोकथाम के प्रबन्ध आज तक नहीं किये गये। इससे ग्रधिक प्रशासनिक उपेक्षा एवं लापरवाही का उदाहरण क्या होगा कि तीन साल पूर्व बाढ़ का वर्षा से टूटे बांधों की मरम्मत ग्राज तक नहीं हुई है।"

ग्रापके लिये जो रिलेवेंट पोर्शन है, चौमूं से ग्राने वाले माननीय सदस्य ग्रपनी जगह पर आ गये हैं "माना कि प्राकृतिक प्रकोपों पर किसी इन्सान का बस नहीं है

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन जहां आये दिन प्रकृति का कहर होता ही रहता है वहां इसके पुख्ता प्रबन्ध तो किये ही जा सकते हैं ताकि उस कहर से होने वाली क्षति की व्यापकता को कम किया जा सके। परन्तु यह सब व्यवस्थाएं करने व देखने की फुर्सत किसको थी? सत्ताधारी पार्टी का संगठन, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, मंत्रिमण्डल का विस्तार करने के लिये दबाव की राजनीति खेलता रहा। मुख्य मंत्रीजी पहले केन्द्र में पार्टी की सरकार को बहुमत जुटाने में लगे रहे। वहां से फुर्सत मिली तो फिर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त हो गये। इससे तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई जायजा ले आये। क्या यह दुःखद आश्चर्य नहीं है कि जब बाढ़-पीड़ितों को बचाव व राहत के युद्ध-स्तर पर व्यवस्था करने एवं उसकी सतत निगरानी की आवश्यकता थी तत्कालीन महत्व का प्रश्न बाढ़ पीड़ितों के बचाव एवं उन्हें राहत प्रदान करने का है।"

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तबाही हुई है और जो आज स्टेग्नेंट वाटर है, यह कह देना कि वहां अचानक बरसात हो गयी है। बरसात इस साइक्लोन से राजस्थान के अन्दर 20, 21 और 22 तारीख को हो रही है, मौसम विभाग तो यह फोरकास्ट कर रहा था। अखबारों में आ रही थी। डिप्टी डायरेक्टर, हाइड्रोलाजी उसको दे रहा था लेकिन टी.वी. के ऊपर आपकी जो सैटेलाइट पिक्चर थी, वह बहुत क्लियर थी। उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं था। उसको देखते-देखते मेरा भी सिक्स्थ सैंस डवलप हो गया है, मै कह देता हूं कि कल यहां पर बारिश होगी, घने बादलों को देखकर। इसलिये यह अचानक ही थी, अनफोरसीन थी, ऐसा नहीं था, गुजरात में भारी तबाही हो रही थी। मानसून इधर निकल रहा था और हो सकता है कि आप ने जो नक्शा बनाया है, उसमें आप साइक्लोन को सीधा अलवर और भरतपुर से पार करके हरियाणा की ओर ले गये। मैं समझता हूं कि दोनों ही मानसून यहां पर टकरा सकते हैं। रेगूलर मानसून भी आ गया था और यह मानसून था। ऐसी सूरत में जो आज नुकसान हुआ है, क्षति हुई है और खास तौर से यहां पर पानी अभी स्टेग्नेंट है और मवेशी वहां पर मरी हुई पड़ी हैं, इमीजिएटली उस मवेशी को निकलवाने के लिये आपने आदेश दिये हैं। मेरी कलक्टर, जोधपुर से भी बात हुई थी और अब आप करणु की बात कर रहे थे। वहां पर कौन पहले पहुंचा? किस वक्त कौन गये? बंसीलालजी गये, कोई भी गये लेकिन कल शाम को उसमें आप जाकर खड़े होते हैं करणु के पानी के किनारे, वहां पर बहुत दुर्गन्ध आ रही है, वहां पर सड़ांव है। ऐसी सूरत में मैंने कलक्टर, जोधपुर से कहा कि आपने एक जगह तो निकलवायी है लेकिन जो पानी पड़ासोली गांव में भरा हुआ है, उसमें मवेशी अन्दर है और मवेशी को निकलवाना चाहिए, नहीं तो वहां पर बीमारी और महामारी फैलेगी। यही स्थिति आज आपकी रिडमलसर के अन्दर है। वहां पर गायें बीच में रह गयी हैं। पानी वहां पर हालांकि 18 फीट से 11 फीट पर आ गया है, जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कल रात को वहां पर जाकर आये हैं। लेकिन एक जगह नहीं है, ओसियां तहसील में हयूंडी में भी यही स्थिति

(श्री परसराम मदेरणा)

है और जहां जाखड़ों की ढाणी है, वहां पर तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर रास्ता अभी जाने का है ही नहीं, अभी एक्सेसिबल नहीं है। पानी काफी इकट्ठा हो गया है। जहां पर स्टेग्नेंट पानी है, वहां पर उस पानी को साफ किया जाए और यह जो क्षति हुई है, इस क्षति के सम्बन्ध में सबसे पहले आपको दवाइयों और चिकित्सा का प्रबन्ध करना चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है।

(21.12)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

दूसरा, मेरा सुझाव है कि स्टेग्नेंट पानी को पम्पसेट लगाकर बाहर निकालना चाहिये, क्योंकि इसके अन्दर मवेशी दबी हुई है, लेकिन वह मवेशी अब गल गयी होगी और उसको निकालने का अब एक ही तरीका है, मैंने तो कलक्टर से कहा था कि आप कुछ तराकू लोगों को ले जाओ और मवेशी को वे आइडेंटिफाई कर ले और पानी भी करीब पांच या सात फुट है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में बाहर निकाला जा सकता है। उन्होंने कुछ बाउण्ड डाउन भी किया है, तहसीलदारों को और पटवारियों को। किस हद तक ये ग्राम खाली होंगे स्टेग्नेंट पानी में? लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने यहां पर सुझाव दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी टोटली आर्मी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिये। जब एक के बाद एक बाढ़ आती गयी है, पम्पिंग सेट हम वहां से ले रहे हैं, बुलडोजर लिये हैं, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आर्मी से और आर्मी वाले बुलडोजर लगाकर वहां से रवाना हो गये। लुहावड़ा आये और लुहावड़ा से फड़ासलिया आये। और फड़ासलिया के बाद में वह पानी थोड़ा सा भी निकला नहीं। रहे तो दो दिन थे और फिर चले गये। बुलडोजर एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन में आपने काफी सस्ते दामों में बेचे हैं, और अब मैं समझता हूं कि ऑक्शन होने के लिये पचास बुलडोजर आपके पास में हैं, वहां पर। अगर यह स्थिति है तो बुलडोजर लगाने की भी आवश्यकता है, वहां पर डिप्लाय उनको किया जाना चाहिये।

जिस वक्त अक्टूबर में यहां पर भरतपुर की बाढ़ के बारे में चर्चा हुई थी, मैं आफिसर्स गैलेरी की तरफ पूछ रहा था कि टोटल लॉस कितना हुआ है? जब माननीय हरिसिंहजी ने, 365 वर्क्स के बारे में जो सभी प्रकार के काम हैं, उस पर उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने उसमें एस्टीमेट करीबन 13 करोड़ का लगाया है। 13 करोड़ के अगेंस्ट में जैसा कि मुझे जानकारी मिली है आपने 6 या 7 करोड़ रुपये दिये हैं और वे 7 करोड़ रुपये के जो काम आपने हाथ में लिये हैं, वे कितने काम कम्प्लीट हो गये, कितने काम अधूरे रह गये? क्योंकि सीकरी का बांध पिछली दफे ही टूटा है, इस वक्त भी तीन जगह से ब्रीच हुआ है और तीन जगह से ब्रीच होने के बाद में जो रिपेयरमेंट, जैसा कि वे लोग कह रहे थे आपके, अभी तक एप्रोचेबल नहीं है तो कोई इरिगेशन का आदमी वहां पर अभी तक एक सेंड बैग लेकर नहीं पहुंचा है। यह तो अभी इकजाही मामला है। आज एक जुलाई प्रारम्भ हुई है और माननीय राहत मंत्रीजी, पिछली साल भरतपुर में जो बाढ़ आयी थी, तीनों सिस्टम में, सीकरी में भी आयी थी, रूपारेल की, बाणगंगा की बाढ़ भी आयी थी और गम्भीरी की बाढ़

(श्री परसराम मदेरणा)

भी आयी थी। तीनों की बाढ़ आने के बाद यह सिस्टम एक दूसरे से भरतपुर से मिले हुए हैं।

मैं अभी यहां पर देख रहा था, भरतपुर स्टेट की फ्लड कंट्रोल मैनुअल मेरे हाथ में है। उस फ्लड मैनुअल में यह बात लिखी है कि मिडल आफ दा जून के अन्दर 'हर हैड के ऊपर और जहां पानी आगे छोड़ा जाता है, सीकरी के अन्दर 29 कैनाल हैं, 29 स्लूसेज हैं, टवेंटी नाइन। तो वहां पर सभी प्रकार के सामान उनके पास होने चाहिये। स्टाफ के वे 15 जून को डिप्लाय कर देते थे और उसके साथ में छोटी-छोटी चीजें, देखने में तो यह दिखती की बड़ी–बड़ी लच्छेदार बात करो। मैंने इसको देख करके लिखा है, खाली सीमेंट के बैग, टोकरी, बल्ली, सुआ, टार्च, सैल, लॉलटेन, पेट्रोमैक्स, मेनटल, कुदाल, सब्बल, समली, बैल्ट, चैन पुल्ली, ब्लाक, बाल्टी, कोवर, घुग्घी, रेनकोट, मुझे मालूम नहीं घुग्घी क्या है। रेनकोट, छतरी, जी.आई. शीट, गिट्टी, बाण, रस्सी, मिट्टी का तेल, बाण गनी बैग। इस तरह से 26 सामान बाढ़ के उपाय के लिये इन लोगों को उपलब्ध करवाते थे, भरतपुर स्टेट के अन्दर। सिस्टम बड़ा साइंटिफिक है। सिर्फ साइंटिफिक जो चीज नहीं थी, वह केवल मोती झील के एक्सेस पानी को ड्रेन आउट करने के लिये जो चकसाना जाता है, सिर्फ आपके एक गिर्राज नहर थी। उसके बाद में आपने उसके ऊपर तीन नहरें और बना दीं, तो यह आपने व्यवस्थाएं, एक तो पिछले साल के टूटे हुए थे, सिंचाई मंत्रीजी ज्यादा जानते हैं कि वे वर्क्स रिपेयर हुए कि नहीं हुए। रिपेयर हुए और वे ही वर्क वापस टूट गये। इसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता काफी नीचे दर्जे की रही है और यह एक जांच का विषय है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी निश्चित तौर से किसी न किसी अधिकारी को लगाएंगे।

अब जब आप राहत देने के लिये जा रहे हैं, क्वेश्चन राहत का है और राहत तीन तरह से है। एक, जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं या पार्शल या कम्प्लीट, उनको राहत देने का है। आपको राशन की राहत देने का है, आपको मवेशी की राहत देने का है। बिजली, पानी, सड़कें और संचार के सभी साधन और पीने का पानी नहीं है, जगह-जगह बिजली के खम्भे गिर गये हैं, वहां पर अभी तक सब जगह खम्भे खड़े नहीं किये गये हैं। मैं आज ही सुबह कलक्टर, जोधपुर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि और जगह तो हमने बिजली रेस्टोर कर दी है लेकिन यह पानी नागौर से सोयले के पास से आगे बीस फीट तक गया है, इसके अन्दर अभी तक खम्भे ज्यादा गिरे हुए हैं। दो-तीन दिन में रेस्टोर करने के लिए उसको टॉप प्रायोरिटी मैं दे रहा हूं। मैंने कहा सब ट्यूबवैल बन्द है। वहां गंदा पानी है, सड़ांध वाला, उनको मजबूरी की हालत में पीना पड़ रहा है, क्योंकि पास में पांच-छह गांव हैं, उनमें सबमें ट्यूबवैल है। सबके सब ट्यूबवैल खराब है, चल नहीं रहे हैं। वे बिजली से चल रहे थे। इसलिए इन सर्विसेज को रेस्टोर किया जाना चाहिये।

मुख्य मंत्रीजी, यहां पर अब मानसून आ गया है और आपने खरीफ का लोन दिया, सी.सी. बैंक से और मिनिमम क्रेडिट

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने फिक्स की, यह केवल पोकरण, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि बैंक डिफाल्टर नहीं हो इसलिये उन्होंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन बहुत से जिलों के अन्दर यह काइंड में दिया गया है बीज और खाद काइंड में जो दिया गया है वह पानी के अन्दर बह गया। अब उनके पास न बीज है, न खाद है और उनकी जमीन कितनी नष्ट हुई है, इसका तो आप अन्दाजा ही नहीं लगा सकते। यह बिलकुल ठीक कह रहे थे उस वक्त एप्रोचेबल नहीं था, पहले हमने कोशिश भी की हम जा नहीं सके। यह कह रहे हैं, रंजीत सिंह जी का एस्टीमेट पांच लाख का है, मैं समझता हूं दोनों ही ट्यूबवैल डूब गये। वह कह रहे थे कि इनको वापस रिपेयर कराओ। एक ओपन था, एक ट्यूबवैल था अब कोई मतलब नहीं है सब खराब हो गये हैं इसलिए मुझे दोनों ही ट्यूबवैल खरीदने पड़ेंगे, पूरा का पूरा जाव गया है। लोगों का एस्टीमेट आपके साथ में भी जिला प्रमुख थे, तो रंजीत सिंह जी का नुकसान 10 या 12 लाख से कम नहीं हुआ है। इसी तरह से लोगों के जाव पूरे के पूरे खतम हो गये हैं उसमें कितना रिक्लेमेशन में आप दे सकेंगे या नहीं देंगे, कुछ लोन की व्यवस्था करेंगे ? मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपेक्स बैंक और नाबार्ड से बात करके, ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि यह अनफोरसीन घटना हो गयी है और उनके खाद और बीज बह गया, तो उसमें एडिशनल क्रेडिट लिमिट अपेक्स बैंक नाबार्ड से बात करके फिक्स करता आया है पहले भी इसलिये इसकी एडिशनल क्रेडिट लिमिट फिक्स करवाइये और इसके साथ ही कामर्शियल बैंक लैण्ड रिक्लेमेशन के लिये कितना लोन काश्तकारों को दे सकते हैं, उस सम्बन्ध में भी इनको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिये।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि आपने राहत का मापदण्ड तय कर रखा है। पास ही की स्टेट हरियाणा और पंजाब में, जहां मृतकों के परिवारों को आप 10 हजार रुपये दे रहे हैं वहां पंजाब और हरियाणा 50 हजार रुपये देते हैं। पक्के मकान जो वहां पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, वह दोनों 10–10 हजार देते हैं और आप 3500 दे रहे हैं। आंशिक रूप से क्षति होने पर पक्के मकान का वे पांच–पांच हजार दे रहे हैं और आप एक हजार दे रहे हैं। कच्चे मकान के अन्दर हरियाणा पांच हजार और पंजाब छह हजार दे रहे हैं और आप केवल 1500 दे रहे हैं और वह उसमें जिसमें जी. सी. शीट लगी हुई है, नहीं लगी हुई है उसको आप हजार रुपये दे रहे हैं। कच्चे मकानों का जो आंशिक नुकसान हुआ है उसमें वो 2500–3000 दे रहे हैं और आप 500 दे रहे हैं। पूरी तरह से जो झोपड़ियां नष्ट हो गयी हैं उसमें आप एक हजार देते हैं और वह देते हैं जी. सी. शीट वाले को दो हजार। गाय–बैल के मरने पर वह चार–चार हजार रुपये दे रहे हैं और अपन एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। फसल की जो क्षति हुई है, अभी तो फसल थी नहीं लेकिन कई जगह जिन लोगों ने कुओं से खेती कर रखी थी उसमें 700–1000 रु. वह दे रहे हैं लेकिन अपन एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। पशुओं के चारे के लिये वह 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और छोटे पशुओं को साढ़े सात रुपये दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जो ज्यादा इफेक्टेड हैं फ्लड में और

(श्री परसराम मदेरणा)

एक्सेस रेन में, अभी तक आप जो कुछ भी फूड के पैकिट्स वगैरह दे रहे थे, जितना भी आपने आटा, राशन दिया है वह भी कितनी फैमिलीज को मिला है ? आपने टेम्प्रेरी शैल्टर भी दिये है सिरकी वगैरह के वह 6 फैमिली में एक सिरकी दी है । इसलिये आपको इस काइटेरिया को बदलना चाहिये और बदलने के बाद में कम से कम मिनिमम राहत जो दूसरी नेबरिंग स्टेट्स दे रही है, मेरा आपसे सजेशन है कि मिनिमम राहत देने का निर्णय लें । .

इसके साथ ही अभी मैंने अखबार में पढ़ा था, परसों एक स्टेटमेंट आया है आपके सिंचाई सचिव का कि सीकरी बांध को चार एजेंसीज को, भरतपुर के जितने भी इरिगेशन वर्क्स डैमेज हो गये हैं, सीकरी बांध को रिपेयर करने का काम इंदिरा गांधी कैनाल को दिया है, कामां पहाड़ी डैम, गुड़गांवा कैनाल और गोवर्धन व भरतपुर फीडर को सिंचित क्षेत्र विकास विभाग को दिया है, गिर्राज कैनाल, रंजीत नगर ड्रेन और डी.सी.एफ.सी. बीसलपुर प्रोजेक्ट को दिया है और भरतपुर के 40 सिंचाई से सम्बन्धित छोटे-मोटे बांधों की मरम्मत का कार्य आपने सिंचाई विभाग को दिया है । आपने जो मरम्मत का कार्य दिया है वह मरम्मत निश्चित तौर पर हो सकती है अगर आगे कंटिन्युअस बरसात नहीं हो । तो जहां-जहां डैमेज हुए हैं उनके प्रोटेक्शन वर्क्स को लेना चाहिये लेकिन आपने जिस तरह से अलग-अलग एजेंसीज को देकर इस काम को टाइम बाउंड प्रोग्राम में कम्पलीट कराने के आदेश और निर्देश दिये हैं । मेरी समझ में नहीं आया, पिछली दफे 363 काम थे और मुझे जानकारी दी है कि उसमें से बहुत से कामों को हाथ में ही नहीं लिया गया । एक रूपारेल का पानी आया है, बाणगंगा का पानी भी आ सकता है, गम्भीरी का पानी भी आ सकता है । राहत मंत्रीजी, अभी अप्रत्याशित बरसात का कोई भरोसा नहीं है और मीटिरियोलोजिकल डिपार्टमेंट को फोरकास्ट अगर आप सही नहीं मानते हैं, शायद अब देनी शुरू भी कर दे, क्योंकि मानसून आ गया है, कम से कम टेलीविजन पर आप हमेशा देख लीजिये कि मानसून किस तरफ बढ़ रहा है और उस पर निश्चित तौर पर आपको टाइमली प्रिवेंटिव स्टैप्स लेने चाहिये ।

एक मेरा सजेशन मुख्य मंत्रीजी से यह है कि जहां-जहां पानी स्टेग्नेंट हुआ है और सबसे ज्यादा मकान जो नष्ट हुए हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के है । हालांकि इंदिरा आवास योजना अभी उन सबके लिये लागू कर रखी है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं । अब आप रिडमलसर को ही ले लीजिये, एक भी तो घर बचा नही है । उस गांव में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि गांव डूब में आया हुआ है । ऊपर जो टीबे हैं वह 100 फीट ऊपर है और चारों तरफ ही टीबे हैं, थोड़ासा रास्ता है उससे वहां पानी आ गया, या वह सड़क बनी हुई है उस तरफ रास्ता है, जो एप्रोच रोड है फलौदी टु नागौर से रिडमलसर को जोइन करती है । मेरा निवेदन करना यह है कि कब तक आप इनको बैठे-बैठे खिलाते रहेंगे आगे आपकी कच्ची सड़कें बनी हुई हैं चापासर वगैरह की, इनको रिलीफ में लेकर या प्लान में लेकर इन लोगों को कोई एम्प्लायमेंट दे दिया जाए । सबके पास जमीन भी नहीं है

(श्री परसराम मदेरणा)

और जमीन है भी तो इतनी जमीन नहीं है कि आगे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, सब कुछ नष्ट हो गया कुछ भी लेकर दौड़ नहीं सके, कोई कैश या गहना होगा वह लेकर ऊपर टीबों पर गये तो मुझे मालूम नहीं लेकिन किसी आदमी के पास मैंने बिस्तर वगैरह नहीं देखे जब मैं रिडमलसर में 25 को गया, बिलकुल जैसे थे वैसे वो निकल कर भागे वहां से। ऐसी सूरत में इंदिरा आवास योजना में जो 15,000 रुपये आप दे रहे हैं, दूसरी जगह एक दफे नहीं देकर एक साल के लिये अगर इस फ्लड इफेक्टेड एरिया में पूरे राजस्थान का पैसा लगाकर इन गरीब आदमियों के मकान बना दिये जाएं तो मैं समझता हूं इनके मकान बन जाएंगे नहीं तो कोई भी मकान या हाउस होल्ड के जितने भी बिलोंगिग्स हैं, एक आदमी लाइफ लोंग भी अर्न करते-करते उसको अर्न करता है। इसमें आपके चीपिया भी शामिल है, तवा भी शामिल है, बेलन-चकला भी, मुख्य मंत्रीजी, इस पर आपने सेल टैक्स हटाया, वह भी शामिल है और फूकनी भी उसमें शामिल है, जो वहां रह गयी, तो आदमी के लिये एक-एक चीज को वापस लाना जब आमदनी नहीं है तो बहुत मुश्किल है।

मैं यह चाहूंगा कि जो मवेशी बच गयी हैं वेस्टर्न राजस्थान में हो और चाहे ईस्टर्न राजस्थान में हो। आपने भरतपुर की यह बात नहीं की है, भरतपुर में सबसे बड़ी प्रोब्लम अगर आने वाली है तो पशुओं के चारे की आने वाली है। दूसरे क्षेत्र नागौर और जोधपुर में भी चारे की प्रोब्लम है। इसलिये जब तक घास नहीं उग जाए, 15 दिन हो या महीने भर हो, आपको चारे की व्यवस्था करनी चाहिये, क्योंकि एक बहुत साइंटिफिक सिस्टम जो तीनों ही नदियों का है, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तरफ पानी आने से इतनी बड़ी तबाही हो गयी है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की तबाही हो गयी है। मैं समझता हूं कि इसमें चाहे टेक्नोक्रेट्स की गलती हो, चाहे दूसरे लोगों की गलती हो। 27 तारीख को तो उनको यह अनुमान ही नहीं था कि यह पानी मोती झील में बढ़कर भरतपुर में तबाही मचा सकता है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ सैक्रेटरी और मैं मिस लीड किये जा सकते हैं और हम मिस लीड होकर वहां से आये हैं, मुख्य मंत्रीजी। दूसरे दिन जब यह आया कि भरतपुर में स्थिति बिगड़ रही है तो मैंने सोचा कि हमको जो इन्फोर्मेशन दी थी वह गलत दी थी। फिर मैंने पूछा कलक्टर से, कि आप उठकर बीच में चले गये थे, रोड तोड़ रहे थे वे लोग। वे अपने गांव को बचाने के लिये तोड़ रहे थे या दूसरे गांवों में पानी डाल रहे थे। उन्होंने कहा वह एक तरफ पानी आ गया था। उस वक्त तो सब जगह पानी नहीं था उसके बाद में 4–4, 5–5 फीट पानी सब जगह फैल गया। कब तक इस पानी को आप

(21.30)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

निकाल सकोगे। नागौर में तो दो दफे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय वहां पर गये। और जाने के बाद में वहां पम्प लगे और वह कह रहे हैं कि पानी वहां पर से सब निकाल दिया। सब पानी नहीं निकला है। आज भी किले के आगे वाला जो गेट

(श्री परसराम मदेरणा)

है, वहां के कलक्टर मुझे बता रहे थे, मैंने बात की थी उनसे 11 बजे। एक एरिया बच गया जिसमें से हम पानी निकाल रहे हैं, वहां पर पानी भरा हुआ है। बाकी अन्य जगहों से हमने पानी खाली किया है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे पास परमानेंट नावें हों, हमारे पास पम्प्स हों। बाढ़ से पहले जितनी भी आवश्यक वस्तुएं बांधों के ऊपर और हैड वर्क्स के ऊपर जरूरी हैं। अगर भरतपुर स्टेट 26 चीजों को देकर वहां पर स्टाफ भेज सकता हैं, तो हमने इस प्रकार की व्यवस्था उस वक्त की थी क्या ? मैं समझता हूं यह व्यवस्था नहीं हुई और उसी का परिणाम है कि यह ह्यूमन ट्रेजड़ी हुई, लोस कोलोसल है और आगे मानसून पूरा पड़ा हुआ है। इसलिये अब सरकार को जो लेप्सेज रह गये हैं, इस सम्बन्ध में किसी न किसी एजेंसी से इसकी जांच करवानी चाहिये।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि पानी एकाध गांव में नहीं गया है। रिडमलसर से रूण का पानी जब रवाना हुआ, मैं डिस्टेंस तो पूरा नहीं कह सकता लेकिन कम से कम 50 किलोमीटर से कम नहीं हुआ, 60 किलोमीटर भी हो सकता है। 60 किलोमीटर का पानी आकर हैड अप हो सकता है 18 फीट, पूरा गांव डूब सकता है और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि करणु व रिडमलसर के अन्दर कुछ गायें पानी में डूबी हुई हैं। वहां लोग तो नीचे जा नहीं सकते, बहुत दूर रहकर आधा-आधा किलोमीटर वे खुद टीबों पर हैं। लेकिन करणु के अन्दर तो इतनी दुर्गन्ध है, सड़ांध है। उस पानी को निकालने के लिये एक पम्प भेजा है आपने और वह भी मेरे समक्ष में छोटा है। जयपुर में जो पम्प थे, अभी मैंने 25 तारीख को कलक्टर को डिप्टी सी.एम. के सामने यह बात कही कि यह बहुत छोटे पम्प हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि 8 पम्प का मैंने आर्डर दे रखा है और जयपुर से रवाना होने वाले हैं। वहां पर एक छोटा पम्प जो पड़ा हुआ था वह करणु में भेज दिया। उससे जो पानी स्टेग्नेंट हुआ है, वह पानी निकलने वाला नहीं है और करणु बहुत बड़ा गांव है। रिडमलसर इतना बड़ा गांव नहीं है। रिडमलसर में तो 80 घर हैं हालांकि गांव बहुत बड़ा है, कुछ ढाणियों में रहते हैं पांच पांच, छह–छह, आठ–आठ मील दूर। मैं जब 25 तारीख को गया तो 25 तारीख को जाने के बाद पानी रिडमलसर से चाडी की तरफ रवाना हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे 23 को ही बता दिया कि आपके गांव में पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है। मैंने कहा अभी तो रिडमलसर है न बीच में। उस समय पानी नहीं आया। रिडमलसर में पानी 24 तारीख को आया।

मुख्य मंत्रीजी जहां जाते हैं वहीं पर तबाही हो जाती है। अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी मेरे यहां बरसात नहीं हो रही हैं। मैंने कहा मुख्य मंत्रीजी को ले जाओ तो रातों–रात ही बरसात हो जाएगी। लेकिन मैं जब वहां पर चला गया तो मेरी जो कुछ तपस्या की हुई है, चाडी वाले चिल्लाने लग गये कि पानी चाड़ी में आएगा, यह आया है। यह मुझे मुख्य मंत्रीजी, अब मालूम पड़ा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

बुजुर्गों ने ही मुझे यह बात बतायी कि संवत् 1941 के अन्दर चाडी में पानी आया था, 112—113 साल पहले। मैंने कहा चिन्ता मत करो यह पानी नहीं आएगा। पानी जिस तरफ से रवाना हुआ है इसके आगे टीबे हैं और इतना पानी पीछे आ नहीं रहा है और जो आ रहा है वह एक—दो दिन में बन्द हो जाएगा। जब तक दूसरी बरसात नहीं हो जाएं।

वहां पर रोड पर जो पानी निकालने वाले थे, रोड पर एडिशनल एस. पी. और डीवाई.एस.पी. खड़े थे, मैं रात को 9.30 बजे करणु और रिडमलसर की रोड पर जो पानी आ रहा था, वहां से 100 गज दूर था। मैंने रात को जीपों की लाइट में वहां खड़े होकर देखा। मैंने कहा कि पानी चाडी की तरफ नहीं जायेगा। आप फालतू चिल्ला रहे हो यह पानी सीधा कुम्हारों की ढाणी सिपाहियों की ढाणियों की तरफ जाएगा और आगे रूक जाएगा। वह पानी जो आ रहा है वह बुकसों की ढाणियों में, वहां बड़े-बड़े टीबे हैं पानी वहां रह जाएगा। मैं तो जहां जाता हूं, जिस तरह दूध का उफान देते है, वह पानी रूक जाता है। आप जाते तो वहां पर खूब बरसात होती है। आपके आने के बाद में 1990 के बाद में फ्लड चार दफे आ गयी। हालांकि उससे फसल भी हुई ऐसी बात नहीं है। वह गोल्डन पीरियड रहा है। 1990 से लेकर अब तक पूरे हिन्दुस्तान भर में और राजस्थान के लिये भी, यहां अच्छी फसल होती है। भरतपुर के लोग हमेशा से पानी की मांग करते हैं। भरतपुर की जमीन समतल है, इसका पूरा सिस्टम ही इस तरह से बिछाया हुआ है कि पानी इनन्डेट होकर आगे निकले। छोटी—छोटी कैनाल हैं, बंधे भरे हुए हैं फिर आगे स्लूसेज हैं और इसका पानी कुल मिलाकर अजान डैम के अन्दर तीनों ही सिस्टम का पानी आया है। अजान के बाद चिकसाना जाने के लिये मोती झील बनी हुई है। मोती झील के आगे चार ड्रेंस हैं। लेकिन यहां पानी एक्सेस हुआ है, यहां पर हम एस्टीमेट नहीं कर सके और इसका भी परिणाम यह हुआ कि भरतपुर का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पानी में डूबा। जो कुछ इन्फोर्मेशन हमको 27 तारीख को दी थी और 27 को आने के बाद मुझे प्रेस वालों ने टेलीफोन किया, मैं प्रेस से कम मिलता हूं हालांकि कई लोग बहुत पब्लिसिटी, they always itch for this. मैंने कहा कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पानी नीचे उतर रहा है। मोती झील में पानी 11 फीट है लेकिन कल तक पानी की नोर्मलेसी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जो कुछ भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां कमिश्नर बैठे हैं, चीफ इंजीनियर मौजूद थे और चीफ इंजीनियर को मैंने परसों टेलीफोन किया कि आप वहां मौजूद थे, आप कह रहे थे कि पानी दो फीट तक आ जाएगा 24 घंटे में और आप कब तक रहे वहां पर, उन्होंने कहा मैं तो उसी रात को जयपुर आ गया। मैंने कहा आपने तो मुझे पूरी तसल्ली दी थी कि पानी नीचे उतर जाएगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त तो ऐसे हालात थे। इसका मतलब है कि राजस्थान का चीफ इंजीनियर इस बात का अनुमान नहीं लगा सके और वहां प्रशासन को और हमको मिस लीड करके जयपुर आ जाए तो इसमें टेक्नोक्रेट्स पार्ट के ऊपर और दूसरे प्रशास-

(श्री परसराम मदेरणा)

निक अधिकारियों के असेसमेंट के अन्दर बहुत बड़ी गलती रही है, लापरवाही रही है। इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा कोलोसल डेमेज हुआ है।

मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी, एक हाई आफिसर्स से, चाहे वह मेम्बर ग्राफ रेवेन्यू बोर्ड हो या कोई दूसरा सीनियर ग्रादमी हो ग्रौर नहीं तो थानागाजी से ग्राने वाले माननीय सदस्य टेक्नोक्रेट हैं, इस ग्रसेम्बली की एक कमेटी बना दी जाए, जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स, जिसमें डाक्टर वगैरह भी यहां हमारे साथ हैं ग्रौर दूसरे इंजीनियर्स हैं, वह जाकर इस सम्बन्ध में देखें कि कहां पर यह लेप्स हुए हैं, किसकी वजह से यह ग्रव्यवस्था रही है जिसका परिणाम ग्राज जनता को भुगतना पड़ रहा है ग्रौर जनता त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे इसलिये निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों को बोलने दीजिये। उसका कारण यह था कि ग्राप ग्रगर जाकर एक्चुग्रली गांव में पूरी स्थिति को देखते ग्रौर वहां खड़े होकर लोगों की दयनीय स्थिति देखते हैं, बूढ़ों ग्रौर बच्चों को बुखार ग्राया हुग्रा है, लोग टीबों पर पड़े हुए हैं, 25 ग्रौर 26 तारीख तक तो सिरकियां भी नहीं थी। ऐसी सूरत में जब वहां की जनता के प्रतिनिधि यहां पर आते हैं ग्रौर ग्रपनी बात कहना चाहते हैं कि मेरे यहां ग्राज यह स्थिति है ग्रौर लोगों को राहत पहुंचायी जानी चाहिये गवर्नमेंट के द्वारा। मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट सब राहत पहुंचा सकती है और मेरा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वोलंटरी आर्गेनाइजेशंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस तत्परता से ग्रौर कर्तव्य परायणता से, जब फलोदी के लोगों ने वाप के ग्रन्दर कैम्प लगाया और जब करणु देखने के लिए गये उधर से पानी नहीं ग्रा रहा था। हेलीकोप्टर वगैरह से एक दो दफा कुछ पैकेट फैंके गये थे। कलक्टर भी परसों गया था। परसों का मतलब 29 तारीख को। उसके पहले 23 को तो पानी ग्रा गया ग्रौर वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ग्रादमी नहीं गया। ग्रब यह कह रहे हैं कि हमने सारस्वतजी को भेजा। तो उनका गांव भी पास में है, देवगांव, उसके एडजोइनिंग विलेज है। उन्होंने देखा होगा कि मेरे गांव में भी ग्रगर कोई तबाही हुई हो तो वह भी देख आऊं ग्रौर वह रास्ता भी जानते होंगे, क्योंकि वह देवगांव के रहने वाले हैं, जो करणु के पास है। ऐसी सूरत में जहां पर पानी भरा हुग्रा है या कुछ गांवों की जो लिस्ट दी थी ग्रापको, ग्राज भी पानी तो कई गांवों में भरा हुग्रा है। ग्राप पम्प सैट लगाकर पानी को ड्रेन ग्राउट कीजिये तथा पंजाब ग्रौर हरियाणा जो राहत दे रहा है वह ग्राप राहत दीजिये। पशुग्रों के बचाव के लिये और उनके चारे के सम्बन्ध में कम से कम मैं तो यह मांग करूंगा कि आपको एक महीने के लिये इसकी व्यवस्था करनी चाहिये।

राशन का जहां तक सवाल है, चारपांच दिन तो वोलंटरी आर्गेनाइजेशंस पर रहे। ग्रध्यक्ष महोदय, जब मैं रिलीफ मिनिस्टर था तो एक दफा मैं पाली के ग्रन्दर गया ग्रौर पाली में एक गांव में जाने के बाद वहां पर लोगों ने कहा कि ये पूड़ियां कोई 24 घंटे पहले की हैं। यह ग्रा तो गयी है ग्रौर यह दो दफा ग्रा गयी हैं लेकिन

(श्री परसराम मदेरणा)

इसमें बदबू आती है। मैंने उस पूड़ी को खाने की कोशिश की बदबू आ रही थी इसलिये मैं तो कलक्टर से यह कह रहा था कि आप बाजरे का आटा और प्याज दे दो लोगों को। चने भी दिये हैं लोगों ने, वह वोलंटरी आर्गेनाइजेशंस ने दिये, वह मैंने खुद ने तय करके दिलवाये. चार बोरी चना तो मैंने ओसियां के लोगों को इकट्ठा करके और जो छोटे बच्चे हैं, और जो बीमार पड़े हैं, उनके लिये बिस्कुट की भी व्यवस्था करो। उसके बाद कलक्टर ने व्यवस्था की है इसमें कोई दोराय नहीं है, बाजरे का आटा भी भेजा है और प्याज भी भेजे हैं। मैंने कहा दाल मसाले वगैरह कहां पकायेंगे, गेहूं की तो पांच, रोटियां बनानी पड़ेगी उसको और बाजरे का एक टिक्कड़ सेंका नहीं और वहां पर ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। यह अलवर भरतपुर वालों को मालूम है कि बाजरे से गर्मी होती है, मुख्य मंत्रीजी को गर्मी नहीं होती है, यह बाजरी खाते हैं और मैं तो बारह महीने ही खाता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लास्ट ईयर आप सबको खिलाने वाले थे न।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो लास्ट ईयर खिलाने वाले थे लेकिन वह बाजरी दो साल बाद बोदी पड़ जाती है लास्ट ईयर चाडी में अकाल था और इस साल बरसात हुई है। ताजी बाजरी होती है वह ज्यादा टेस्टफुल होती है और मैं पुरानी बाजरी आपको खिलाना नहीं चाहता था लेकिन मैं आपको जरूर खिलाऊंगा यह मुझे याद है। अभी वहां पर बाजरी की बुवाई हो गयी है और बुवाई से जो ताजी बाजरी आएगी जब मानसून सैशन के बाद में जो दूसरा सैशन बुलाया जाएगा वह सात-आठ दिन का औपचारिक और कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन की पूर्ति के लिये, उस वक्त मैं निश्चित तौर पर ध्यान रखूंगा और सभी माननीय सदस्यों को बाजरी खिलाऊंगा।

लेकिन मैं अब यह कह रहा हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है, लोगों में बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है और इस सदन में कोई राजनीति हम नहीं करना चाहते। मुख्य मंत्रीजी ने 27 तारीख को यह कहा था कि प्रश्न राजनीति का नहीं है लोगों को राहत देने का है। मैं यह समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो यह कहा है अक्षरशः मैं तो उसे ब्रह्म वाक्य मानता हूं। आप यह सब डिस्क्रिमिनेशन छोड़कर थोड़ा बहुत कुछ मामला तो है. क्योंकि वह बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। अभी नागौर वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पंज रहे थे वह ज्यादा तो नहीं करते हैं लेकिन आटे में नमक जितनी थोड़ी राजनीति तो करते हैं वह उनको नहीं करनी चाहिये और मुख्यमंत्रीजी की तरह विशाल दिल रखना चाहिये, सहृदयता से सभी की सहायता करनी चाहिये।

मेरे पास में रिलीफ डिपार्टमेंट नौ-दस साल तक रहा। इतना किसी के हाथ में यह कर्म भी नहीं रहा। यहां बी.जे.पी. के जितने भी लोग, हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि आप अपनी पार्टी के लोगों के काम सैंक्शन कर रहे हो। मैंने हमेशा मेरी पार्टी के लोगों को कहा कि ऐसा नहीं है फेमिन के अन्दर या फ्लड के अन्दर कोई डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कर सकता चाहे आप खुश रहें या नाराज हों या अप्रसन्न हों क्योंकि यह ह्यूमेनिटेरियन वर्क है।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. वाले तो करते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह तो वह जाने कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है । लेकिन थोड़ा बहुत एलिमेंट आया है वहां पर, ऐसा नहीं आना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी का निर्देश चलता है लेकिन मुख्य मंत्रीजी के निर्देश की अनुपालना सभी को करनी चाहिये, यह कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है । यह उनका इन्टरनल मैटर है, मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कहता हूं कि पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकरके जहां तक राहत का प्रश्न है, आज तो स्थिति ऐसी थी; क्योंकि हमको वोट आन अकाउण्ट से बजट पास करना है । बजट नहीं होता तो पहले दिन ही मेरी रिक्वेस्ट यह होती कि दस-पन्द्रह दिन के लिये यह हाउस एडजोर्न कर दिया जाय ताकि लोग जाकर प्रशासन के साथ रिलीफ के लिये जुड़ सकें, अब सम्भव नहीं है केवल सैटरडे और सनडे को ही लोग जा सकते हैं । और वहां जाकर इस नेचुरल केलेमिटी में लोगो को राहत देने का मामला है ।

अब चूंकि बरसात बन्द हो गयी और बरसात बन्द होते ही कल फिर मानसून सक्रिय हो गया है । जोधपुर में कल 23 मिलीमीटर बरसात हुई और मानसून आने वाला है । अब हम देख नहीं सकेंगे टी.वी. लेकिन कम से कम टी. वी. देखने वालों को पता लग जाएगा कि आज मानसून किस तरफ है, और किस तरफ घने बादल हैं और कहां बरसात होने वाली है । बरसात निश्चित तौर पर होगी, आज तारीख एक है । पूरा का पूरा मानसून सीजन पड़ा हुआ है और आगे भी नदियां लपेट में आ सकती हैं । इसलिये टाइमली स्टेप लेकर हम लोगों को राहत देनी चाहिये । जहां पर ब्रीच टैंक्स हैं, जिनको हम रेस्टोर कर सकते हैं, इनको वार फुटिंग पर, रात दिन करके उनको रेस्टोर करना चाहिये ताकि जब बाढ़ आये तो इन लोगों की तबाही नहीं हो इन शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूं कि राहत का क्राइटेरिया जो उन्होंने बना रखा है इस पर उनको निश्चित तौर पर लिबरली, आपकी हरियाणा और पंजाब की तरह वित्तीय स्थिति नहीं है लेकिन एक मामले में आप खुद को फिस्कल मैनेजमेंट में महारथ हासिल है और मैं चाहूंगा कि क्राइटेरिया बदलना चाहिये । आज के क्राइटेरिया में जो राहत है वह कोई मायने नहीं रखती है । जिनको इतना बड़ा लोस हुआ है, बाकी खाद और बीज की व्यवस्था करने के लिये आपको रिवाइज्ड क्रेडिट लिमिट फिक्स कराने के लिये चाहे आपको नाबार्ड से करनी पड़े, नहीं तो लोग काश्त से महरूम रह जाएंगे । मै समझता हूं कि अब मंत्रीजी को सुपर सोनिक स्पीड से बोलेंगे, बतायें कि लाइटली जो बाढ़ की सम्भावना है, उस सम्बन्ध में आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं और इरिगेशन मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्ट करेंगे कि भरतपुर, अलवर में जो बांध टूटे हैं उनको रेस्टोर करने का मामला आप इस सीजन में लेंगे या सीजन के बाद लेंगे ? बाकी सर्विसेज को रेस्टोर करने का, वार फुटिंग पर की जा सकती है । जहां तक बिजली का सवाल है । सड़कें भी मान लो अगर पूरी रिपेयर्स नहीं होती है तो पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब आपको जितना एक कम्यूनिकेशन जहां खड्ढे पड़ गये हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

क्योंकि जहां पानी रहा वहां तीन–तीन, चार–चार फीट के खड्ढे हैं, उनके लिए एडहाक अरेंजमेंट भी किया जाए। परिवहन के लिये सड़कों की मरम्मत भी आपको वार फुटिंग पर ही इस सीजन के अन्दर, चाहे बरसात हो रही हो फिर भी करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का इस सदन में उल्लेख किया है। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कि इस बार जो वर्षा आयी वह अचानक आयी और अधिक मात्रा में आयी। कई माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि इस शताब्दी की अधिकतम वर्षा हुई है इससे स्थिति की गम्भीरता का सही प्रकार से अनुमान लगाया जा सके कि दो दिन में 23 इंच वर्षा हो जाए और उस 23 इंच वर्षा के कारण हानि न हो या किसी भी प्रकार के सिस्टम से उस हानि से जनता को बचाया जा सके, इसकी सम्भावनाएं बहुत कम रह गयी हैं। हमें इस वास्तविकता को मानकर चलना चाहिये कि अचानक इस प्रकार की वर्षा हो तो उसके परिणाम किस प्रकार के निकलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने बताया है कि किस-किस जिले में किस-किस क्षेत्र में दो दिन में कितनी-कितनी वर्षा हुई है। वह वर्षा असामान्य थी और उसके कारण से निश्चित है कि नुकसान भी उसी के अनुरूप होगा।

माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि इतने मकान टूट गये, इतने पशु मर गये, इतनी जन-धन की हानि हुई। कई प्रकार की हानि का उन्होंने जिक्र किया। मैं उन आंकड़ों में इसलिये नहीं जाना चाहता कि अभी तक सर्वे हो रहा है और सर्वे होने के बाद में वास्तविक स्थिति का पता लगेगा।

अब इस बाढ़ से किस प्रकार बचा जाय उसके सम्बन्ध में विचार करना बहुत आवश्यक है। यह नहीं है कि बाढ़ पहली बार आयी है। इसके पहले भी कई क्षेत्रों में ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सब लोगों ने भी देखा होगा लेकिन 1952 से लेकर अब तक जब-जब भी राजस्थान में बाढ़ की स्थिति बनी है मैंने स्वयं ने इस बाढ़ की स्थिति को देखा है। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पहले बाढ़ जैसलमेर में आयी और जैसलमेर में जिस प्रकार की बाढ़ आयी है शायद, 1969 की बात है, उस प्रकार की बाढ़ की स्थिति राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ की सम्भावनाएं रहती हैं उन क्षेत्रों में भी बाढ़ नहीं आयी है।

श्री परसराम मदेरणा : 1962 के पहले, मुझे इसलिये मालूम है क्योंकि मैं 1962 में पहली दफा डिप्टी मिनिस्टर हुआ था और जब यह बाढ़ जैसलमेर में आयी थी। मैं सुखाड़िया जी के साथ जीप में गया था और वह 1962 के पहले की बात है, 1968 में तो मकराना और नावां में बाढ़ आयी थी और वह बहुत जबरदस्त बाढ़ थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी भी वर्ष आयी हो। मैं वर्ष के लिये विवाद नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खड़ा करना चाहता लेकिन यह बात जरूर है कि मदेरणा साहब अकाल राहत मंत्री बने उसके बाद आयी। आप खुद ही कह रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो बाद में बना हूं बाढ़ पहले आ गयी थी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह इसलिये नहीं कह रहा कि उस समय जैसलमेर में जाकर के देखा नदियां बन गयीं थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काहे से गये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो बस से गये थे। जहां टीले थे उन टीलों में से नयी-नयी नदियां बन गयी और पोकरण से लेकर, गुलाबसिंह जी को याद होगा कि जैसलमेर तक सड़क से चलना आसान नहीं था। इतने मवेशी मरे थे सड़क के आसपास कि कोई गिनती कर सके इसकी सम्भावना नहीं थी। गांवों में मकान भी ढहे, सब कुछ हुआ। फसल तो थी नहीं और फसल की कोई हानि भी नहीं हुई। भयंकर बाढ़ थी, अब उस समय उस बाढ़ की कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जैसलमेर में इस प्रकार की बाढ़ आएगी।

अब यह सही है कि हम इतनी वर्षा की कल्पना नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते थे उसके कारण से आज इस बात का आप यहां आरोप लगाये कि मौसम विभाग की जानकारी को आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं और इस कारण से सारी स्थिति पैदा हो गयी। मौसम विभाग का चार्ट मेरे पास पूरा है। उस चार्ट को पढ़ने के बाद आप यह नहीं कह सकते कि ईस्टर्न राजस्थान में वर्षा होगी और इस प्रकार की वर्षा होगी, उसकी उन्होंने कोई भविष्यवाणी की हो या उसके लिये सावधानी बरतने को कहा हो। अब ऐसी स्थिति में वहां बाढ़ आयी। पोकरण में जिस प्रकार की बाढ़ आयी, मैं ऐसा समझता हूं कि जैसलमेर में जो बाढ़ आयी है उसके बाद में यह दूसरी इस क्षेत्र में बाढ़ आयी है। उसी प्रकार से फलौदी में दो-तीन वर्ष पहले वर्षा हुई थी। काफी अच्छी वर्षा हुई लेकिन फलौदी में, बाप में और नोख की तरफ इस प्रकार की वर्षा होगी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

भरतपुर, अलवर और बाकी के जिलों में जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति बनी है तो आप खुद अन्दाज लगा लें कि भरतपुर के इतिहास में लोग कहते हैं कि दो दिन के अन्दर इतनी अधिक वर्षा कभी भी नहीं हुई।

आज आप बांध के ब्रीच होने की बात कहते हैं। कई बांध पूरे के पूरे पानी में आ गये। कितने ब्रीचेज हुए हैं, मैं कह नहीं सकता। पानी का रिसाव होगा, पानी कम होगा तब ही उस बात की जानकारी होगी कि किस प्रकार की स्थिति है। प्रश्न यह आता है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। एक तो है तात्कालिक समाधान और एक है लोंग रेंज कि किस प्रकार से व्यवस्था की जाए। अब लगता है कि कुछ प्रकृति की साइकिल बदली है। राजस्थान में पिछले पांच वर्षों से इस प्रकार की बदल आ रही यह प्रत्यक्ष में दीखती है। संयोग की बात है कि जिन जिलों में अधिक वर्षा होती थी, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती थी लेकिन इस बार इनमें वर्षा नहीं हुई, खेती के लायक वर्षा हुई है, बाकी अधिक वर्षा नहीं हुई है।

अब ऐसी स्थिति में जहां वर्षा होती थी वहां तो वर्षा हुई नहीं, जहां वर्षा नहीं होती है वहां अधिक वर्षा हुई है। नागौर में मदेरणा साहब भी मुझे कह रहे थे कि 1944 में इस प्रकार की स्थिति बनी थी।

श्री परसराम मदेरणा : 1942-43 में मैंने इसलिये कहा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ही बताया है मुझे, कोई किताब नहीं देखनी है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आप सड़का देख लीजिये, सड़का के अन्दर बरसात आयी है, लोग कहते हैं। और वह सड़का की 1942-43 की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1942, 1943, 1944 होगा, अब दो वर्ष पीछे चले जाएं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1944 की वर्षा और जिस प्रकार की वर्षा आयी, उसका अनुमान आप लगा सकते है। मैंने नागौर जिले में एक बार परबतसर, नावां, कुचामन, सांभर इधर बहुत जोर की वर्षा हुई थी जिसमें सांभर में उस समय नया बनाया हुआ अपोक बांध, भारत सरकार ने बनाया था, वह टूट गया और नावां के पास एक नयी नदी बन गयी, कुचामन में पानी भर गया, मकराना में पानी भर गया। वह उस समय बरसात देखी थी नागौर जिले में और बाकी कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। अब इसका तात्कालिक ईलाज तो मैं बताऊंगा लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अलवर और भरतपुर यह दो जिले ऐसे हैं कि भरतपुर में तो बहुत बढ़िया सिस्टम था इसमें कोई संदेह नहीं है।

(22.00)

भरतपुर की जिस पुस्तक का आप जिक्र कर रहे हैं मेरी भी पूरी पढ़ी हुई है। एक बहुत बढ़िया सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम में कहीं यह नहीं लिखा होगा कि 23 इंच वर्षा आ जाए तो उसका क्या ईलाज किया जाए। अब ऐसी स्थिति में मैं स्वयं यह मान कर चलता हूं कि गये साल भी बाढ़ आयी। उसके पहले शायद 1972 में बाढ़ आयी, फिर 1979 में बाढ़ आयी, फिर 1995 में बाढ़ आयी और अब 1996 में फिर बाढ़ आयी।

श्री परसराम मदेरणा : 1981 में जयपुर में आयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भरतपुर की बात कर रहा हूं। अब यह चार 1972, 1979, 1979 के बाद में 1995, 1996 इन चार वर्षों के अन्दर बाढ़ आयी। अब इस बाढ़ में जिस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है वह सिस्टम रेस्टोर होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की कोई कंसलटेंसी हमको मिल जाए या यहां नहीं मिले तो करोड़-डेड़ करोड़ रुपया खर्च होगा कोई विदेशी कंसलटेंसी इस सम्बन्ध में ली जाये कि अलवर और भरतपुर में इस पानी की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रुकावट किस प्रकार से हो ग्रौर इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। लेकिन उसका इन्तजार किये बिना मैं मदेरणा साहब को ग्रौर इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी काम जल्दी से जल्दी रेस्टोर किये जा सकते हैं उनको रेस्टोर करने की हम कोशिश करेंगे। ग्रब कहां-कहां रेस्टोर होगा पानी का लेवल कितने दिन में नीचे जाता है, वहां काम करने लायक स्थिति बनती है या नहीं बनती है, यह सब इस पर निर्भर करेगा। लेकिन कोशिश सरकार की यह होगी कि ग्रलवर ग्रौर भरतपुर जिले में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार की नहीं बने, ग्रगर वर्षा ज्यादा ही हो गयी तो किसी के वश की बात होगी नहीं। लेकिन जो कुछ नुकसान कम किया जा सकता है उसको कम करने की पूरी चेष्टा की जाएगी ग्रौर मैं जल्दी ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी बात करूंगा कि हमको कोई अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए या बाहर से किसी कंसल्टेंट एजेंसी को बुलाना पड़े तो बुला कर इन दो जिलों में इस बाढ़ की स्थिति से किस प्रकार से बचा जाए वह कंसल्टेंट की रिपोर्ट ग्रा जाए उसके बाद में लोंगरेंज पालिसीज उसके ग्राधार पर बनायी जा सकती है, उसका काम करें।

अब रहा कि तत्काल किस प्रकार से राहत दी जाए। मैंने ऐसा विचार किया है कि ग्रलवर ग्रौर भरतपुर की अलग-ग्रलग तहसीलें उन सब तहसीलों के लिए ग्रभी पानी कम नहीं हो रहा है। पानी है भी। जिस-जिस तरफ़ से रास्ते खुलते जाएंगे राहत सामग्री भेजी जाएगी ग्रौर हर क्षेत्र के लिए चाहे डीग हो, चाहे कामां हो, चाहे किशनगढ़ हो, चाहे नगर हो या ग्रौर कोई क्षेत्र ग्रलवर का हो, उन सब क्षेत्रों में एक-एक ग्राफिसर मैं नियुक्त करूंगा। उस ग्रॉफिसर के साथ मेडिकल टीम होगी, क्या राहत दी जाए उसके लिये सामग्री होगी। वह ग्रॉफिसर उसी क्षेत्र में रहेगा, जब तक इस प्रकार के सारे काम पूरे नहीं हो जाएं ग्रौर उसके ग्राधार पर लोगों को किसी प्रकार की राहत मिले। ग्रब उस सम्बन्ध में विचार तो यह है कि जो नये रिक्रूट्स आये हैं, ग्राई.ए.एस. ग्रॉफिसर्स, उनको बहुत बढ़िया ज्ञान होगा। इन क्षेत्रों में लगा दें। मैंने ग्राज ही मुख्य सचिव से कहा है कि इन सारे क्षेत्रों को आइडेंटीफाई करके इस प्रकार के ग्रधिकारियों को वहां नियुक्त किया जाए। अलग-ग्रलग टीम्स बनें।

मैं इस बात के लिये सावधान हूं कि इस वर्षा के बाद सबसे बड़ा संकट कहीं हो सकता है तो इस बात का होगा कि कहीं बीमारियां नहीं फैले। इसके लिये हमने सावधानी पूरी बरती है और सावधानी बरतने के साथ-साथ भविष्य में बीमारियां पैदा नहीं हों, इसके लिये हर क्षेत्र में जो भी उनको साधन उपलब्ध कराने हैं, वह साधन भी उपलब्ध कराएगी सरकार ग्रौर साधनों के साथ में मेडिकल डाक्टर्स की, बाकी के नर्सिंग स्टाफ की वहां टीम भी नियुक्त करेगी, ताकि एक क्षेत्र में, एक तहसील में जितना भी एरिया फ्लडेड है उस एरिया में जाकर उन लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके।

आपने एक बात फोडर की कही मैं मानता हूं फोडर की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्राज ही राजस्थान के बाहर कुछ सरकारों से बातचीत की है कि कहीं चारा मिल सकता है। राजस्थान में भी मैंने कलक्टर्स से पुछवाया कि कहीं चारा उपलब्ध हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ग्रधिक चारा इसके लिये उपलब्ध करा सकते हैं लेकिन ग्राज इस बात पर भी विचार चल रहा है कि चारे का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्या हम कोई फोडर किसानों को पशुग्रों के लिये दे सकते हैं, उपलब्ध हो सकता है या नहीं हो सकता उसके बारे में पूरी जानकारी करने के बाद सरकार इस बात की पूरी तरह से कोशिश करेगी कि जब तक चारा नहीं उगे, कोई न कोई ग्रल्टरनेटिव फोडर की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी समस्या ग्रा रही है पीने के पानी की। बरसात तो खूब हुई है, बाढ़ आयी है लेकिन पीने के पानी की समस्या है ग्रौर पीने के पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, गांवों के कुग्रों में बरसात का पानी ग्रा गया ग्रौर सब कुछ इस प्रकार की स्थिति बन गयी तो उन कुग्रों में दवाई डाल कर पानी को शुद्ध किया जाए, ज्यादा अच्छा है कि हैण्ड पम्प्स के पानी का लोग उपयोग करें तो उसके कारण मैं समझता हूं कंटेमिनेशन कम से कम होगा और उस ग्राधार पर लोग पीने के पानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं लेकिन इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि जिनमें बिलकुल ही पानी भरा है वहां पानी लोगों को किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए। ग्राज तो मदेरणा साहब ग्रौर इस सदन के माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि गाड़ियां नहीं जा सकती, ट्रक नहीं जा सकते, ट्रैक्टर नहीं जा सकते। हवाई जहाज से कितने पानी के पैकेट्स आप डालेंगे ग्रौर कितना खाना डालेंगे इसकी भी एक सीमा है ग्रौर इस ग्राधार पर राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय भी इस प्रकार की स्थिति होती है हमें सेना की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

श्री परसराम मदेरणा : ज्यों ही रास्ते खुल जाय टैंकर्स की व्यवस्था कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां आवश्यकता है, टैंकर्स की व्यवस्था हम करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर के अन्दर बरेठा वाला पानी का सिस्टम जो है, क्योंकि पानी नीचे ग्रा गया ग्रौर ऊपर लोग बैठे हैं। हजारों फैमिलीज ऐसी थी जो लेट्रीन वगैरह भी मकान के ऊपर से कर रही थी वह पानी भी बहुत खराब हो चुका है। इसलिये टैंकर्स की व्यवस्था करें, जैसा कि वह कह रहे थे कि टैंकर लगा रहे हैं तो इमीजिएटली मान लो रेस्टोर नहीं भी कर सकते हैं, ग्राप टैंकर्स की व्यवस्था करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने ग्रापको बता दिया न। चालू भी है ग्रौर डिटेल में मैं नहीं जा रहा। लेकिन मैंने ग्रापको समस्या का जिक्र किया कि जो पीने के पानी की समस्या है उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाये जिसमें टैंकर्स भी हैं, जिसमें पानी को शुद्ध करने का काम है, कहीं ग्रावश्यकता हो तो पानी की बड़ी-बड़ी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मस्कें या पानी के ढोल लोगों के पास पहुंचाने का भी है उस आधार पर इस समस्या का समाधान कर पायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सेना के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस समय चाहा हेलीकाप्टर दिया, जिस समय चाहा आर्मी चली गयी और जिस समय नावें जितनी मांगीं नावें भी ले गये। लेकिन आर्मी से सब सुविधाएं लेने में और सहायता लेने में कुछ समय लगता है, आर्मी का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और आर्मी के लोग जितने भी काम करते हैं उन सबकी तनख्वाह भी हम को देनी पड़ती है, जितना भी उनका खर्चा होता है वह सब राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। हमने कल ही इस बात का निश्चय किया है कि राजस्थान आर्म्स कांस्टेब्युलीरि की एक बटालियन इस बात की तैयार की जाए और उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाए ताकि जिस समय भी मौका आये उस समय वह लोग एक एक्सपर्ट के रूप में वहां पहुंच सकें। उसके लिये कितने नावों की आवश्यकता होगी, उन नावों के बारे में भी विचार किया है कि कुछ नावें भी उपलब्ध करायें और क्या-क्या उपकरण जो आपने बताये हैं, वह सारे उपकरण जो अभी मैन्युअल में लिखे हुये थे, आपने बताया वह सारे उपकरण किस प्रकार से उपलब्ध कराये जाये किस प्रकार से पानी में तैरने की, पानी में नाव चलाने की, नाव के माध्यम से लोगों को सहायता देने की, यह सारी व्यवस्थाएं हों यह उनको इस बात का प्रशिक्षण देंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक-दो दिन के प्रशिक्षण से काम नहीं चलेगा उसमें समय लगेगा। लेकिन हमने इस बात की तैयारी कर ली है कि हमारी एक यूनिट को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए और मैं समझता हूं कि प्रशिक्षण का काम चालू होगा तो भविष्य में इसी प्रशिक्षण के आधार पर हम काफी लाभ उठा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने नमक उत्पादन की बात कही कि नुकसान हुआ है लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका आज के समय में कोई असेसमेंट नहीं हो सकता। हम भी चाहते हैं कि नमक उत्पादन का काम चले और इसलिये चले कि जो लोग, लेबर वहां लगी हुई है वह लेबर आउट आफ एम्प्लायमेंट न हो और उन लोगों को इस प्रकार का रोजगार मिलता रहे। यह सारा असेसमेंट करने के बाद में किस प्रकार की कार्यवाही से, किस प्रकार की सहायता से यह काम वापस चालू हो सकता हैं और चालू होकर लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से विचार कर रहे हैं। असेसमेंट मैंने अभी मंगवाया है उससे कोई सही असेसमेंट नहीं है। केवल एरिया बता दिया कि इतना एरिया फ्लडेड है, उसमें कितने कुए बने हुए थे, कितने क्यार बने हुए थे उनकी क्या स्थिति है, वह आगे वर्केबिल हैं या नहीं हैं। आज के दिन उनके लिए कहना कठिन है। इसलिये उस सम्बन्ध में भी जो जानकारी हो सकती है वह जानकारी हम करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि सरकार राहत का जो मापदण्ड है उस मापदण्ड को थोड़ा बढ़ाये। हरियाणा और पंजाब का उदाहरण दिया। मदेरणा साहब ने यह भी कहा कि यहां पर पशु अगर मर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाएं तो उनको किसी प्रकार की राहत के रूप में राशि नहीं दी जाती है और भी कई बातें उन्होंने कही। लेकिन आप एक बात का ध्यान रख कर बोलें कि राहत आज मैं मुख्य मंत्री हूं तो मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। कोई भी सरकार अपनी पाकेट से, सरकार का कोई भी मंत्री अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर रहा है। यह सब सरकार का पैसा है। यह सरकार का पैसा यहां लगे या वहां लगे लेकिन जायगा वह जनता के काम में। अब इनमें प्रायोरिटीज तय करनी हैं कि किस प्रायोरिटी के आधार पर किस क्षेत्र में कितना रुपया दिया जाए। कई माननीय सदस्यों ने मांग की कि इनको कम्पेनसेशन मिले। मैं समझता हूं कि दूसरे देशों की बात तो मैं कह नहीं सकता लेकिन हिन्दुस्तान में आज तक इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो क्षति होती है उस पर कहीं भी कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता है। यह केवल सहायता दी जाती है। सहायता का मापदण्ड आप हरियाणा और पंजाब का लें, तो दूसरे राज्य भी हैं जिनमें सहायता का मापदण्ड अलग-अलग है और अलग-अलग सहायता का मापदण्ड होने का कारण स्पष्ट है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, उस आर्थिक स्थिति के आधार पर सहायता का मापदण्ड बनाया जाता है। अब आप एकदम सहायता बढ़ाने की बात कहें कि इसको हरियाणा के मुकाबले लिया जाए या इसके मुकाबले लिया जाए, मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है। यह सम्भव होता तो मैं समझता हूं कि परसराम जी मदेरणा जिस समय राहत मंत्री थे उस समय भी राहत बढ़ा देते। लेकिन उस समय भी बजट की पोजिशन ऐसी नहीं थी कि जिसके कारण से वह राशि बढ़ायी जा सकती हो या पशुओं का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति या उसके लिये कोई राहत दी जाती हो या चारे के लिये किसी प्रकार की सहायता दी जाती हो या पीने के पानी के लिये किसी प्रकार की सहायता दी जाती हो, यह सब चीजें नहीं थी और आज आप मुझे उलाहना दें कि आप पशुओं के लिये किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहे हो, तो महाराज, यह परम्परा तो आपकी डाली हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां 1967 का जो फेमिन हुआ उससे पहले पी.आई. के पैसे तो देते थे लेकिन राजस्थान के रिलीफ डिपार्टमेंट के पास एक टैंकर नहीं था। 1967-68 और 1969-70 के जून तक मैंने 100 टैंकर्स की एक फ्लीट खड़ी कर दी थी साइंटिफिक एज में जो बात हम 20 साल पहले कर रहे थे या 15 साल पहले कर रहे थे। उसके बाद भी पास वाली स्टेट भी जो आज रिलीफ दे रही है, जो क्राइटेरिया है। मैंने पंजाब और हरियाणा की जो बात कही है, पहले वह भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसका अमाउण्ट बढ़ाया है और आप जैसा फिस्कल विजार्ड जो मैनेज कर सकता है मामले को अगर लोगों को थोड़ी बहुत भी राहत नहीं दी जाएगी। आज रुपये की कीमत घट गयी है तो इस पर कोई न कोई आपको विचार करना चाहिये। परसराम जी, परसराम जी करके इस मामले को उठा करके मेरे ऊपर सरका दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आप पर इसलिए सरका रहा हूं कि आप इस पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहुत जिम्मेदारी के साथ विचार कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जिम्मेदारी में क्या करूं? कल प्राइम मिनिस्टर के सामने आप खड़े हो गये कि मेरा 21 करोड़ रुपया नहीं दिया। 300 करोड़ रुपया मुझे और चाहिये। वह 300 करोड़ रुपये आपने वर्क्स रेस्टोरेशन के लिये मांगे हैं। वास्तव में खर्चा तो होगा मैं यह नहीं कहता कि खर्चा नहीं होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन चूंकि नेचुरल केलेमिटी है। गांवों में लाखों की पापुलेशन इफेक्ट हुई है। सरकार को इस व्यवस्था को, इस क्राइटेरिया को, कुछ न कुछ तो बदलना चाहिए। यह तो बिलकुल ही कई साल पुराना पड़ा हुआ है। परसराम जी के वक्त का था तो उसे 20 साल हो गये। मैंने तो कई बातें और चालू की थीं। पहले फेमिन में पक्की सड़कें नहीं बनती थीं, टैंकर्स नहीं थे, कई व्यवस्थाएं उस वक्त बदली हैं। ट्यूबवैल नहीं खोदते थे इसलिये आपको इस साइंस और टैक्नोलाजी की एज के अन्दर जो है the world has become a globle village और उस वक्त जो है कम्प्यूटर्स और इलेक्ट्रोनिक्स की एज में राजस्थान का मुख्य मंत्री हमारे पास हेलीकाप्टर कहां था, हवाई जहाज भी नहीं थे। अब हेलीकाप्टर भी आपके पास है, हवाई जहाज भी है और हेलीकाप्टर अगर कोई बड़ा भी खरीदने की आवश्यकता है तो उसके लिये आपको प्रयास करने चाहिए। मैं इसको लग्जरी नहीं मानता हूं। यह आप के लिये, स्टेट के लिये आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था....

श्री रामनारायण चौधरी : बम्बई और बंगाल गये होंगे। आप तो अध्ययन के लिए थाइलैण्ड भी हो आए, फिलिपाइन भी हो आए, इजराइल भी हो आए, अमेरिका भी हो आए और एक्सपीरिएंस आपके पास हैं। उसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूर मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लाभ में किसी प्रकार की राजनीति नहीं आएगी। पूरा लाभ आपको मिलेगा। मैं इसलिये कह रहा था कि पुराने नार्म्स हमने बदले हैं। 1992 के पहले जो नार्म्स थे, 1992 में बदले हैं। आप सब लोगों को जानकारी है। पहले केवल 10 हजार रुपये, 500 रुपये मिलते थे पार्शियल डेमेज पक्का हाउस के वह एक हजार किये। कच्चे हाउस के 200 थे वह 500 किये। फुली डैमेज पक्का हाउस के 1750 थे वह 3500 किये। कच्चा हाउस का 1000 से 1500 किये। कच्चा हाउस विद मड माल्स इसको 500 से 1000 रुपये किये। यह सारे बढ़ाये हैं। 1986 में, 1990 में बढ़ाये, 1992 में बढ़ाये और आज जिस प्रकार की स्थिति आयी है मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार से एक बार नेशनल केलेमिटी रिलीफ फण्ड और प्रधान मंत्रीजी कल आए हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि मैं इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट से और प्लानिंग कमीशन से राय लूंगा। एक बार दो-तीन दिन में ही उस राय का फैसला हो जाए तो मैं इस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा और मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत जो कमी है उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि यह चालू मिक्सचर है। मैं आपको कह दूं ... नहीं, आप चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हो रही है ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें भी जा रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें इस पाइंट को आपको रेज करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उसमें भी इस बात को उठाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह ज्यादातर बात, प्रधान मंत्री अभी हैं यह कर्नाटक की बात को पूरे हिन्दुस्तान में यूनिफार्मली लागू करना चाहते हैं इसलिये मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर ही कह दिया कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। यह कर्नाटक नहीं है, राजस्थान में दूसरा मामला है। यहां 600 फीट तो पानी गहरा है। इसमें आप प्रायोरिटी मिनिमम कामन प्रोग्राम में ड्रिंकिंग वाटर को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। आपने, तो मुख्य मंत्री जी आपकी तरफ इशारा किया कि मुख्य मंत्री जी बता देंगे हमको। वह भी आप एक नोट तैयार करके पार्टी का ले जाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं 4-5 तारीख को....

श्री परसराम मदेरणा : ढाणियों में बिखरे हुए लोग, आज अलवर और भरतपुर के लोग भी यह नहीं सोच सकते कि वहां पर डेजर्ट एरिया के अन्दर एक-एक खेत में अपने अलग-अलग घर बनाये हुए आदमी मीलों तक बैठा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4-5 तारीख की मीटिंग में राजस्थान का पक्ष रख कर मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले। पानी के प्रश्न पर, बाकी के प्रश्नों पर और उधर नेशनल केलेमिटी रिलीफ फण्ड है, उसकी जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलायी जाए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह देख रहा हूं कि पी.एच.ई.डी. जिन ढाणियों को पानी देने के प्रपोजल मंगा रहा है, जिस तरह से गांवों के अन्दर, रिडमलसर के अन्दर घर तो हैं 600, गांव में हैं 80 घर। इसी तरह की यह एक पाइंट के ऊपर ढाणियां है। पानी कहां से लाएंगे पानी नीचे हैं ही नहीं, फ्लोराइड हैं, नाइट्रेट है और उसमें डिजाल्व साल्ट ज्यादा है। पानी का सोर्स वहां से 20 किलोमीटर दूर है। एनरुट विलेजेज में आधे में पानी नहीं पहुंच रहा है। ढाणियों में पानी कहां मिलेगा। यह सब मिसनमबर्ड है। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि पानी की समस्या बहुत बड़ी है राजस्थान में डेजर्ट के अन्दर इसको साल्व करने के लिये आपको निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर बताना चाहिये कि यह कर्नाटक या बिहार नहीं है। पानी अपने तालाब का तो कोई पीता नहीं है। पोखर के अन्दर जो यू पी. में और बिहार में और कर्नाटक में है। यहां पर तालाब हैं, तालाब के अन्दर जो पानी आता है, रेन वाटर मवेशी भी वहीं पीते हैं और आदमी भी वहीं पीते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आप दोस्ती करने में काफी माहिर हैं इसलिए नये प्रधान मंत्री जी से भी पुराने हिसाब से आप परिचय

(श्री शिवनाथ सिंह)

रखिये और दोस्ती करिये तो राजस्थान का फायदा होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोस्ती की जरूरत ही नहीं है। आपके भरोसे सरकार चलती है। आप थोड़ी आंख दिखा दीजिये। सब काम हो जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : आपसे अच्छी दोस्ती होने के बाद प्रधान मंत्री ज्यादा दिन टिकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात है क्या ? मुझे अपनी शक्ति का आज तक पता नहीं था। आपने मुझे ज्ञान करा दिया इसके लिये बहुत अच्छा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, अभी मदेरणा साहब ने कहा कि गरीब जिनके मकान–वकान टूट गये हैं। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत उन गरीबों के मकान बनाये जाएं। इस सम्बन्ध में भी हमने कुछ निर्णय लिये हैं। मैं अभी तक फाइनल उनको नहीं कर पाया हूं लेकिन राज्य सरकार की इच्छा है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत इस फ्लड राहत में जितने लोगों को भी सहायता दी जा सके, इस प्रकार की सहायता दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ आयी उससे पहले पिछले दो महीने से लगातार राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार की बैठकें चल रही हैं कि बाढ़ की स्थिति को किस प्रकार से निपटा जाए। लगभग 107 या 117 करोड़ रुपये हमने बाढ़ के पुराने कामों की मरम्मत करवाने के लिये और बाकी की व्यवस्था करने के लिये अलग-अलग विभागों को दिये हैं। अब उम्मीद यह नहीं थी, यह मैं स्वीकार करता हूं कि 30 जून के पहले-पहले वर्षा आ जाएगी, इसकी दिमाग में कल्पना ही नहीं थी और कल्पना इस आधार पर नहीं थी....

श्री परसराम मदेरणा : कल्पना कैसे नहीं थी। आज से 10 दिन पहले, भोपाल से पहले आपने प्रोग्राम बनाया था हनुमानगढ़ जाने का। इसका मतलब है आप फोरसाइटेड तो थे। क्योंकि पिछली दफा वहां पर बाढ़ आयी थी, कुछ लोग मिले होंगे आपको कि ऐसी स्थिति घग्घर में फिर हो सकती है, क्योंकि ऊपर पानी बरस रहा था, हिमाचल के अन्दर। तो उसको देखकर आपने खुद ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और आपने लोगों को डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि मैं इमीजिएटली हनुमानगढ़ आ रहा हूं। तो यह अन्दाज तो आप लगा रहे थे, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अन्दाज था, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि इसके कारण से मैं यह समझ सकूं कि 30 जून के पहले-पहले वर्षा आ जाएगी। हनुमानगढ़ भी मुझे जाना था, बाड़मेर भी मुझे जाना था लेकिन बाड़मेर जाने के पहले ही और हनुमानगढ़ जाने के पहले ही यह अतिवृष्टि हो गयी और उसके कारण से काफी नुकसान हो गया। इसलिये मैं सीधा जोधपुर आया, फलौदी गया, यह सब कुछ देखा। नुकसान होने की तो सीमा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट इरिगेशन से जोधपुर में पानी लाने वाले थे, अब वह ब्रीच हो गया तो निश्चित रूप से उसमें समय भी लगेगा, उसमें साधन भी लगेंगे और इस कारण से कई चीजें है, योजनाएं बनती हैं हैं लेकिन यदि प्राकृतिक कोई बाधा सामने खड़ी हो जाए तो वे योजनाएं पूरी तरह से सफल हो जाएं, इसकी संभावना नहीं है। उसमें फिर खर्चा करना पड़ेगा। वहां पर पम्प हाउसेज पानी से भर गये, कई जगह लाइनिंग उखड़ गयी, कई जगह लम्बे-चौड़े ब्रीच हो गये। उन सारी व्यवस्थाओं को देख कर ही इस बात की मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल जाए और हम भी इस बजट में जो अलग-अलग मदों में से कौन-कौन सा रुपया निकाल कर इन कामों के ऊपर खर्च किया जाए उसकी व्यवस्था तो करें।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर के कायना और तख्तसागर में भी एक-डेढ़ महीने का पानी जोधपुर को पिलाने लायक आ गया। आया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आया है।

श्री परसराम मदेरणा : तो वह थोड़ी सी इधर राहत मिल जाएगी जब तक आप उसको रिपेयर करवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी काम पर लगे हुए हैं। अभी आपने जैसे कहा कि आई. जी. एन. पी. को भी काम दिया है, आवास विकास को भी काम दिया है, बाकी के विभागों को भी काम दिया है। वह काम इसलिये दिया है कि इस मानसून के डर से कोई काम ऐसे ही यदि हाथ में लिये जा सकते हैं जिनको तत्काल हम रेस्टोर कर सकें, तो अलग-अलग विभागों को काम दिये है और अलग-अलग जिम्मेदारियां उनको सौंपी हैं ताकि वह काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएं।

श्री परसराम मदेरणा : सड़कों का काम यदि इमीजिएटली, अगर मान लो पी.डब्ल्यू.डी. के If their hands are full, there are alternatives. There is a technical agency, those very people you have deputed, you see, in the Bridge Corporation.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी हालत यह है कि कई क्षेत्रों में तो अप्रोच ही नहीं हो पाती। इसलिये इस समस्या को आपको समझना पड़ेगा। कौन से काम दिये जा सकते हैं उनका आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे और उस क्षेत्र में कौन सा बांध है जो आवश्यक रूप से जल्दी से जल्दी तैयार हो ताकि भविष्य में मानसून की वर्षा के कारण से और अधिक नुकसान नहीं हो सके। उस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये अभी हमने विभाग तय किये हैं और विभागों को कौन-कौन सा काम दिया जाए वे काम तो अभी निर्धारित करने हैं और वह निर्धारित तभी होंगे जब उन क्षेत्रों में अप्रोच हो सके और उसकी वास्तविक जानकारी मिल सके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 3-4 तारीख को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में आप जा रहे हैं और 3-4 दिन में प्लानिंग कमीशन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से प्रधान मंत्रीजी तय कर लेंगे, 8 तारीख को आप जवाब देंगे आम बजट की बहस का, उस समय इसमें जितनी भी रिलीफ की घोषणा हो जब तक भारत सरकार का भी पैसा मिल जाए, यह एक साथ हो जाए तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार का पैसा मिले, मुझे अपने बजट को....

श्री परसराम मदेरणा : एक बात और है कि अगर आपने यह....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बजट के आधार पर बोलूंगा। मैं इस आवेश या जोश में कुछ घोषणा करूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं तो 8 तारीख की कह रहा हू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 8 को भी करूं, चाहे 10 को भी करूं, यह कोई आवश्यक नहीं है कि मैं 8 तारीख को घोषणा कर देऊंगा। मैं इस बात को समझता हूं कि इस का भार, वित्तीय भार कितना पड़ेगा उसका सारा मुझे असेसमेंट करना है और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं कौन से विभाग से कितना रुपया निकाल सकता हूं, कौन सी एक्टिविटिज को बन्द कर सकता हूं, आज के दिन मैं नहीं कर सकता। मैं यहां नहीं कहना चाहता कि 8 तक करूंगा लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। अब भारत सरकार से पैसा अच्छा मिल जाए तो मुझे सहायता राशि बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सबको ही मालूम है कि पिछले 4 वर्षों में बजट बढ़ते-बढ़ते 12 हजार करोड़ के लगभग हो गया और 12 हजार करोड़ रुपये, आज मैं कह सकता हूं, आप माने या नहीं माने कि अन्य राज्यों में भारी टैक्सेशन हुआ है, राजस्थान में टैक्स में मैंने रिलीफ दी है और इस आधार पर यदि यह सदन चाहे, तो मैं और आप चाहें जितना रुपया बढ़ा दें, चाहे जितना खर्च कर दें, एक फ्लड रिलीफ के नाम से कोई टैक्स लगाने की आप इजाजत दें तो मैं इस पर विचार करके आपके सामने आ सकता हूं। लेकिन जो भी साधन हैं उन साधनों को....

श्री परसराम मदेरणा : 8 तारीख का बता रहे हैं लेकिन मैं यह मुख्य मंत्रीजी, निवेदन कर रहा था कि गांवों के अन्दर इसके अगर एक्सेसबल है कि नहीं है जाकर इसको देखेंगे। अगर टोटली ही आपने गवर्नमेंट मशीनरी पर ही छोड़ दिया कि लोग जो गांवों में बैठे हुए हैं, यह तो माठपुर और पालपुर जाकर के 21 गांवों की कोई बात है। मुझे बराबर यहां बैठे हुए 23 तारीख की शाम को लोग कह रहे थे, 24 तारीख को कह रहे थे कि पानी कठमूर और आगे बढ़ गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो मैंने ही कहा था आपको।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपने सुबह ही कहा था। उस वक्त तो आपने मेरे गांव में ही डाल दी थी। बाढ़ वहां रिडमलसर में ही नहीं आयी थी लेकिन लोगों को यह वहम था कि आगे निकल गया खींवसर से पानी और पानी जो प्रोसीड हो रहा है वह वहां पर आगे से आगे लगातार चल रहा था। वहां पर अण्डर ग्राउण्ड सिस्टम है, यह लोगों को सब

(श्री परसराम मदेरणा)

मालूम है। अब मुझे बडा आश्चर्य हुआ कि सीकरी से ऊपर हम जा नहीं सके, तीन जगह से टूट गया है लेकिन कोई अभी नहीं पहुंचा है। आप गांव के दो आदमियों को लगा दीजिये वे रात को जाकर के किसी न किसी रास्ते से, एक तरफ कहीं न कहीं रास्ता खुला मिलेगा आपको, तो चाहे उनको इतने पानी में भी जाना पड़े लेकिन देख कर आ सकते हैं कि बीच कितना है, कितना नहीं है। गांव के लोग चारों तरफ से घूम कर जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है। इसलिये सरकारी मशीनरी के ऊपर आप पाबन्दी लगाइये, उनको बाउण्ड डाउन कीजिये, बाउण्ड डाउन अगर आप नहीं करेंगे तो यह तो रोड के खुलने के बाद में जीपों में बैठ कर आराम से हाथ में लेकर के पिकनिक की तरह से वहां जायेंगे और वे तो आयेंगे एक महीने के बाद में।

श्री रामनारायण चौधरी : इस बात का पता नहीं चला सरकार की तरफ से और इधर से कि कितनी पापुलेशन ऐसी है जिनको आज आपको फीड करना पड़ रहा है, आपको उनको राहत पहुंचानी पड़ रही है, आपको कम्पनसेशन देना पड़ रहा है। कितनी पापुलेशन ऐसी है राजस्थान की जो प्रभावित हैं व आपके ऊपर निर्भर है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह ठीक है, मैंने वक्तव्य में बता दिया। मदेरणा साहब अभी कह रहे थे कि सरकारी अधिकारियों को पाबन्द किया जाए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कहां-कहां नुकसान हुआ है वहां वे पहुंच जाए। वह इसलिये नहीं पहुंच पाते कि उनको पता नहीं है और गांव वाले पहुंच जाते हैं। इस सदन के कई माननीय सदस्य हैं कि बाढ़ की उनको सूचना मिल गयी लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं जा पाये। अब इससे आप यह अन्दाज लगायें कि सरकारी कर्मचारी उसके तो प्राण नहीं है और बाकी के लोगों के सब के प्राण हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा मतलब यह नहीं था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका तो मतलब यही है कि....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा हूं कि एम.एल.ए. भी अगर नहीं जा सके, मुझे माफ करना कि हम भी सुविधा-भोगी हो गये, पैदल जाना नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह मुझे पता नहीं था।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो देखिये, लोगों को....

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखिये, मैं अपने डिफेंस में नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : गांव के लोगों को आप साथ लेकर के....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको बता देऊं ...

श्री परसराम मदेरणा : उन लोगों को पता है, नजदीक के गांव वालों को मालूम है कि कैसे जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डिफेंस में नहीं खड़ा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुआ हूं लेकिन जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। आप कल भी गये, दो दिन पहले भी गये थे, कामां में पहुंचने का रास्ता आज भरतपुर की तरफ से नहीं है। भंवरलालजी कोसी, मथुरा होते हुए उधर से पहुंचे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : सारे कामां ही जाएंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : सारे के सारे कामां थोड़े ही जाएंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे कामां में थोड़े ही जा रहे हैं, सारे के सारे काम करेंगे, कामां नहीं जाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कल आपने देखा होगा और मैंने भी देखा कि 27 तारीख को यह कह रहे थे कि कामां में अब ज्यादा पानी नहीं रहा है आगे निकल गया है गोवर्धन ड्रेन में। वहां जो आफिसर्स बात कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे थे, हमको कह रहे थे लेकिन कल आपने देखा कि कामां में बिलकुल शीट आफ वाटर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीट आफ वाटर है।

श्री परसराम मदेरणा : कामां में नहीं है, पहाड़ी तहसील के गांवों में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, इन चारों में, नगर में भी पानी भरा हुआ था, कामां में था, पहाड़ी में था, सीकरी में था, डीग में था, कुम्हेर में था, भरतपुर में था। पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेशन के कुछ काम हाथ में लेना चाहते हैं तो आप को देखना पड़ेगा कि कौनसी चीज इमीजिएटली रेस्टोर हो सकती है और कौनसी चीज ऐसी है जो इमीजिएटली रेस्टोर नहीं हो सकती, उसके लिये कोई लम्बा समय लेना पड़ेगा, इस आधार पर मैं कह रहा हूं। केवल पहुंचाने का प्रश्न हो तो किसी को ही पहुंचा दें। पांच आदमियों को नाव से पहुंचा देंगे, हेलीकाप्टर से पहुंचा देंगे लेकिन उससे कोई रेस्टोरेशन का काम नहीं होने वाला है।

इसलिये मैंने यह कहा था कि ज्यों-ज्यों पानी खुलता जाएगा, त्यों-त्यों करेक्ट असेसमेंट होगा और उस असेसमेंट के आधार पर कौन से काम जल्दी लिये जाने हैं उन कामों को लेने की कोशिश की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इसलिये कर रहा था कि यहां पर एक चर्चा यह भी आयी कि कई क्षेत्रों में जहां अनावृष्टि के कारण से अकाल राहत कार्य खोले गये थे वे काम बंद हो गये हैं। कई जिलों में वह काम चालू करने का हमने फैसला किया है। एक-दो जिले बाकी रहते हैं उनको मैं कल देखूंगा। अकाल राहत में जो कार्य चालू होने के बाद पूरे नहीं हुए हैं इसके बाद में भी पूरे नहीं होंगे, उनको जे. आर. वाई. से और बाकी की स्पेशल स्कीम्स के मातहत जो अधूरे काम हैं उन अधूरे कामों को पूरा करवाने की चेष्टा की जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं शायद आप लोग नाराज नहीं हो तो कहूं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन के आधार पर सेंट्रल रिलीफ फंड की एक कमेटी अपाइंड की थी जिसके कृषि मंत्री चेयरमैन थे। मैं भी उस कमेटी का सदस्य था. हर साल वह कमेटी बनती है, इस साल शायद मैं सदस्य नहीं रहूं। उस कमेटी की मीटिंग की मेरे पास सूचना आयी थी। मेरे एक पारिवारिक सदस्य बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे इस कारण से मैं मीटिंग में नहीं गया और मैंने कृषि मंत्रीजी को इत्तला कर दी कि इस कारण से मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता आप दूसरी मीटिंग की व्यवस्था कर दीजिये। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि आप नहीं आएंगे, तो जो स्टेटस आएंगी उनके बारे में अलोकेशन कर दिया जाएगा लेकिन बाकी की जो स्टेटस रह गयी, और उन्होंने ही मुझे कहा बिहार वाले नहीं आ रहे हैं, तेलुगुदेशम के नहीं आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के नहीं आ रहे हैं और एक किसी स्टेट का नाम और लिया कि इन-इन स्टेट्स के लोग इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट मीटिंग में तय कर लेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में मैं गया तो हरियाणा पैसा ले गया, जैसे अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, पंजाब को पैसे मिल गये, उड़ीसा को पैसे मिल गये, हिमाचल प्रदेश को पैसे मिल गये और चार राज्य सरकारें पीछे रह गयीं। जब मैं गया तो मुझे बताया कि केवल 8 करोड़ रुपया रहा है, और 8 करोड़ रुपये में आप चारों राज्य सरकारें बंटवारा कर लें। मैंने कहा, 8 करोड़ रुपये में से मेरे हिस्से में 2 करोड़ रुपये आयेंगे, भारत सरकार में यदि इतनी ही गरीबी आ गयी है तो मैं 2 करोड़ रुपये छोड़ता हूं। सारी स्टेट्स ने कहा कि हम 8 करोड़ रुपये नहीं लेंगे। क्वेश्चन यह आया कि आपने सारा रुपया चार राज्यों को क्यों बांट दिया जबकि बाढ़ की स्थिति सब जगह एक ही प्रकार की थी। वहां मुझे जानकारी मिली कि भारत सरकार ने जो बाढ़ का असेसमेंट किया है उसमें राजस्थान में रेयर सिवियरिटी नहीं है इसलिये इसका पैसा नहीं मिलेगा। मेरे पास सब कागज थे, मैंने उनको वहां ठीक ढंग से रखा। पहले उनसे मंजूर कराया कि राजस्थान में भी रेयर सिविरिटी है और इसलिये इस फंड में से राजस्थान भी लेने का हकदार है। वहां चेयरमैन साहब कहने लगे कि मेरे पास आठ से नवां करोड़ रुपया नहीं है। मैं तो यहां से जाता हूं और प्रधान मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि मैं इस कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं कर सकता। वे जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं चेयरमैन को वाक आउट नहीं करने दूंगा। आप यहां बैठिये और बैठने के बाद चारों राज्यों कि वास्तविक स्थिति क्या है उसका आकलन करिये और आकलन करने के बाद में आप भारत सरकार के वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री या किसी से मिले और मिल करके हमारे हिस्से का पैसा दिलाइये।

उस समय तय हुआ कि 21 करोड़ रुपया राजस्थान को, 21 करोड़ रुपया बिहार को, 21 करोड़ रुपया तेलुगुदेशम की सरकार को और 8 करोड़ रुपया शायद अरुणाचल प्रदेश को दिया था। उस समय मैंने जो बातचीत की, उसका जिक्र मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहता कि कहा बातचीत की, लेकिन उसमें से आज तक एक पैसा नहीं मिला है। मदेरणा साहब जिस 21 करोड़ रुपये की बात कर रहे थे, मैंने कल प्रधान मंत्रीजी से कहा कि वह 21 करोड़ रुपया तो पहले भुगतान करा दो और इस बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है, उस क्षति में भारत सरकार क्या सहायता देती है, एक तो उस कमेटी की मीटिंग दुबारा बुलवाओ और भारत सरकार जो सहायता देती है वह सहायता राजस्थान को भी दिलवाओ।

श्री परसराम मदेरणा : उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर साढ़े छह फुट हाइट का था, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आप हाथ पकड़ने के आदी हो। आप जाकर किसी न किसी के हाथ-पांव पकड़ों दुबारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान के लिये आवश्यकता हुई तो हाथ भी पकड़ूंगा, पांव भी पकड़ूंगा, कुर्ता भी पकड़ूंगा, धोती भी पकड़ूंगा ....(व्यवधान) ... लेकिन गला नहीं पकड़ूंगा। लेकिन मैं आपको स्थिति बताता हूं कि भारत सरकार ने यहां पर टीम भेजकर के किस प्रकार का आकलन कराया है और भरतपुर की बाढ़ की स्थिति को रेयर सिवियरिटी नहीं मानकर रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 21 करोड़ रुपये उनसे मंजूर कराये जिसमें से एक पैसा भी आज तक नहीं दिया तो कल देंगे, देना पड़ेगा उनको, बच नहीं सकते। इसलिये नहीं बच सकते कि केन्द्र सरकार में आन्ध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम सरकार भी पार्टनर है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं और मैं उनको चिट्ठियां लिख रहा हूं कि जिस दिन आपको 21 करोड़ रुपये मिल जाएंगे उसी दिन मुझे भी 21 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। इसलिए आप सरकार बनाने में शामिल है, आप उन पर दबाव डालेंगे तो ठीक प्रकार से काम रहेगा। मेरी उनसे बातचीत भी हुई है और शायद चार-पांच तारीख को यह अवसर मिलेगा कि हम सब मिलकर भारत सरकार से कहेंगे कि 21 करोड़ रुपये का भुगतान करो और आगे के बारे में कोई इस प्रकार की योजना बनाकर हमें सहायता दो।

अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी स्थिति में कई संस्थाओं ने बहुत काम किया है। मैं उन संस्थाओं की प्रशंसा करूंगा। खास तौर से जितने भी वोलंटरी आर्गेनाइजेशन हैं चाहे वे गांव के हों या शहर के हों, उन सब लोगों ने राहत कार्यों में खूब प्रकार का काम किया है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार का संकट आया है उस संकट में वह जिस प्रकार की कार्यवाही करते हैं वह प्रशंसनीय है और उनकी कार्यवाही चालू रहनी चाहिये। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप राहत बढ़ाने के लिये मुझसे कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि यह सरकार का बजट है, मेरे घर का बजट नहीं है, इस बजट में जितनी गुंजाइश होगी वह रेस्टोरेशन के काम पर भी होगी, भविष्य में बाढ़ से क्षति नहीं हो उन चीजों के काम पर भी होगी और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सहायता देने के काम पर भी होगी।

मैं समझता हूं कि वोलंटरी एजेंसीज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के लिए राजस्थान विधान सभा के सदस्य एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। मेरा विश्वास है कि इसकी अगुवायी श्री धनखड़ साहब करेंगे कि एक विधायक को क्या-क्या देना चाहिये उस आधार पर बाकी के विधायक भी स्वीकार लेंगे। उससे जनता और वोलंटरी आर्गेनाइजेशंस में एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज के आधार के ऊपर हम कुछ न कुछ उन संस्थाओं को प्रेरित कर सकेंगे जो प्रेरणा से और लोगों से धन इकट्ठा कर ले, काम भी कर लें। जिन लोगों के पास धन नहीं है वे व्यक्तिगत रूप से सेवा में लग जाएं और किस प्रकार से काम करें वह इसको देखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में रेस्पोंस तो धनखड़ साहब का मिलना ही चाहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता के साथ मैं भी पूरे साल का वेतन इस राहत कार्य में देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साल भर की तनख्वाह ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपके साथ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास तो नहीं है, इतना मैं नहीं दे सकता। एक माह का केवल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम सब एक महीने की तनख्वाह के अनुरूप रुपया दें और जितने भी अधिकारीगण हैं वे भी एक-एक महीने की तनख्वाह दें तो आर्थिक संकट तो टल जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले शुरूआत हमको अपनी तरफ से करनी चाहिये। एक-एक महीने की तनख्वाह सब विधायक देंगे ऐसा मैं समझता हूं कि सबकी स्वीकृति है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी तरफ से मैं देती हूं, मेरी तरफ से शुरूआत कर देती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और स्वीकृति के आधार पर यह एक प्रेरणा मिलेगी, लेकिन इसके साथ-साथ मैं धनखड़ साहब को निराश नहीं करना चाहता। उन्होंने एक वर्ष की पूरी तनख्वाह दी है, मैं उसको भी लेने को तैयार हूं और मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अपनी तरफ से राहत देने में और इस विभीषिका से हम कैसे स्थायी रूप से बचें, इस सम्बन्ध में और तात्कालिक रूप से जो काम करने हैं उनको करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं बरतेगी। हमारे पास जितना धन है वह लगायेगी, आवश्यकता हुई तो बाहर से भी लेने की कोशिश करेंगे। मदेरणा साहब ने एक बात कही कि किसानों के लिये बैंकों से ऋण की व्यवस्था की जाए। मैंने कल ही इस सम्बन्ध में बातचीत की है और दो-तीन दिन में बातचीत करके....

श्री परसराम मदेरणा : यह अपेक्स बैंक अपने लेवल पर भी कर सकता है। अपेक्स बैंक ने पहले अपने लेवल पर किया

(श्री परसराम मदेरणा)

है। इसलिये नाबार्ड की तो बात मैं इसलिये कह रहा था कि ज्यादा अमाउण्ट की बात है लेकिन थोड़े अमाउण्ट की बात तो अगर इनके पास में वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन ठीक है अपेक्स बैंक की तो अपेक्स बैंक ही कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपेक्स बैंक से या को-आपरेटिव बैंक से या लैण्ड डवलपमेंट बैंक से या कमर्शियल बैंक से इन सारे बैंकों से किस प्रकार से सहायता ली जा सकती है उस सम्बन्ध में विचार करूंगा।

अन्त में मैं एक अपील करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सदन के हर माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति का मूल कारण एक है कि जहां पानी का आवक है वहां पर एन्क्रोचमेंट हो गया, जहां से पानी की निकासी है वहां पर एन्क्रोचमेंट हो गया और एन्क्रोचमेंट की ऐसी हालत है कि आज के कुछ दिन पहले मैं जयपुर शहर को देखने गया था। अमानीशाह के नाले में भी लोगों ने मकान बना लिये हैं। अब अमानीशाह का नाला कभी आ जाए तो क्या हालत होगी इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। उनको कई बार वार्निंग भी दे दी। अब ऐसी स्थिति में एन्क्रोचमेंट को जबरन हटाना पड़ेगा। जबरन एन्क्रोचमेंट हटाया जाए उसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा। अभी हमने उदयपुर में कुछ एन्क्रोचमेंट हटाये। सरकारी जमीन थी उस सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा लोगों ने कराया। किसी गरीब से पैसा ले लिया और कब्जा करा दिया। उस पर गरीब ने थोड़ा-सा इनवेस्टमेंट किया और छोटा-मोटा मकान बनाया। सरकारी जमीन के ऊपर एन्क्रोचमेंट कर लिया उसको हटाया तो हटाने का नतीजा यह हुआ कि कलक्ट्री को घेरने की कोशिश की गयी। वहां कलक्ट्री को बचाने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज किया उसके कारण से आलोचना हुई। यह सब बातें हुईं। तो कम से कम आप इस राजस्थान को किस प्रकार की प्राकृतिक विपदा से बचाना चाहते हैं, तो हमें एकरूपता अपनानी पड़ेगी कि इस प्रकार के स्थानों पर जिन लोगों ने किसी प्रकार का एन्क्रोचमेंट किया है उस एन्क्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की जाए और मैं समझता हूं कि इस सदन का पूरा सहयोग इस बात के लिये निश्चित रूप से मिलेगा कि एन्क्रोचर्स को हम किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतें। मैं नहीं चाहता कि गरीबों के झोंपड़े उठा कर फेंक दिये जाएं। उनको भी किस प्रकार से अच्छी जमीन पर बसाने की कार्यवाही की जाए यह भी सरकार करेगी लेकिन एन्क्रोचमेंट करने वालों का यह मामला ठीक प्रकार से बैठेगा नहीं। अब यह जो एन्क्रोचमेंट करने की स्थिति बनती है आप इस बात को भी मानकर चलें कि जितनी भी पापुलेशन बढ़ेगी उतनी किसी प्रकार की स्थिति बनने वाली नहीं है। पापुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, गांव में रहने वालों के पास रोजगार नहीं है तो वह शहरों में आते हैं। शहरों में आकर जमीन नहीं मिलती तो जहां भी जमीन मिले उसी के ऊपर अपना झोंपड़ा और मकान बनाते हैं, ऐसी स्थिति में आज एक दिन के कारण से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मूल रूप से जितनी आबादी बढ़ेगी, आप यह मानकर चलें कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक बाढ की ही समस्या नहीं है अकाल की भी समस्या है, शिक्षा की भी समस्या है, चिकित्सा की भी समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। यह समस्याएं खड़ी होंगी तो अब मैं निवेदन करना तो नहीं चाहता लेकिन मैंने कारण बताये और यदि निवेदन करने से कोई रोकथाम हो सकती हो तो मेरा इस सम्बन्ध में भी निवेदन है कि हम लोगों को इस बात के लिए समझायें कि जितनी जनसंख्या कम होगी, जितना परिवार छोटा होगा उतना ही परिवार सुखी होगा और उसके साथ ही साथ कई समस्याओं का समाधान भी इसमें से निकलेगा।

यही मोटी बातें हैं जिन मोटी बातों को लेकर मैंने उनको आपके सामने रखी हैं। माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया है वह भाषण परसों तक मुझे उपलब्ध हो जाएगा और उनमें कहां-कहां किस-किस प्रकार की उन्होंने बातें कही हैं उनके कौन-कौन से बांध टूटे हैं, कौन-कौन सी सड़कें टूटी हैं, कौन-कौन सी नहरें टूटी हैं– उनका एक पूरा चैप्टर बनाकर अलग-अलग कौन-कौन सी प्राथमिकता के आधार पर काम लिये जा सकते हैं, किस प्रकार के काम तो योजनागत कार्यों में लिये जाएंगे, किस प्रकार के काम अकाल राहत कार्यों में, बाढ़ राहत कार्यों में लिये जा सकते हैं उन कामों के लिये पूरी-पूरी चेष्टा की जाएगी। डर मुझे भी लगता है। जैसा कि परसराम जी ने कहा कि मानसून तो अभी शुरू हुआ है। उम्मीद तो उस समय हम यह करते थे कि 15 जुलाई तक बरसात होगी लेकिन आ गयी बरसात 30 जून के पहले ही। अब भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि भविष्य में मानसून का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से इस आपदा से बचा जाए और बचने के लिये किस प्रकार के काम किये जाएं निश्चित रूप से वह काम अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी सम्भव होगा करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.45 बजे मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला दौसा के अभावग्रस्त ग्राम

32. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला दौसा में इस वर्ष कितने ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं? अभावग्रस्त ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त सभी ग्रामों के लिए राहत कार्य खोलने के प्रस्ताव आने के बाद भी राहत कार्य स्वीकृत नहीं किये?

(3) दौसा जिले में कुल कितने राहत कार्य खोले गये हैं? स्वीकृत राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दौसा में इस वर्ष (संवत् 2052) के कुल 1037 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। अभावग्रस्त घोषित गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट–'अ")

(2) जी, नहीं। आवश्यकतानुसार राहत कार्य खोले गये थे।

(3) दौसा जिले में कुल 380 राहत कार्य खोले गये हैं। स्वीकृत राहत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"ब")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री

33. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली), श्री विष्णु मोदी (पुष्कर), एवं श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री से उत्पादन होना प्रारम्भ हो गया है? यदि हां; तो उक्त इकाई में वर्तमान में कुल कितने स्ट्रीम्स हैं और उनमें से कितने स्ट्रीम्स कार्य कर रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन होना प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब से और वर्तमान में कितना उत्पादन कार्य हो रहा है तथा कितने श्रमिक कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इकाई में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन और मजदूरी का चुकारा किया जा रहा है? यदि हां, तो गत 6 माह में कितनी-कितनी राशि का इस मद में चुकारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इकाई से प्राप्त सूचना के आधार पर सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में परीक्षण के तौर पर उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। उक्त इकाई में वर्तमान में कुल चार स्ट्रीम्स है जिसमें से एक स्ट्रीम को चालू कर दिया गया है, एक और स्ट्रीम के शीघ्र ही चालू होने की सम्भावना है।

(उद्योग मंत्री)

(2) ग्राइंडिग इकाई में परीक्षण के तौर पर लगभग 360 टन का वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 1996 से प्रारम्भ किया गया था। नियमित वाणिज्यिक उत्पादन होना अभी शेष है। उक्त इकाई में वर्तमान में कुल 1574 श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हैं।

(3) जी, हां। श्रमिकों/कर्मचारियों को गत छः माह में किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाईमाधोपुर में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को भुगतान किए गये वेतन/मजदूरी की राशि का विवरण :—

क्र.सं.	माह	राशि (लाखों में)
1.	दिसम्बर, 1995	26.49
2.	जनवरी, 1996	26.18
3.	फरवरी, 1996	25.56
4.	मार्च, 1996	27.79
5.	अप्रेल, 1996	27.00
6.	मई, 1996	26.87

जिला पाली के राशन सामग्री विक्रेताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

34. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में राशन सामग्री के लिये उचित मूल्य की दुकानें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं? उचित मूल्य की दुकानें खोलने के बारे में सरकार के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में राशन का गेहूं और उपभोक्ताओं के लिये केरोसिन एवं शक्कर आदि के 1 जनवरी, 1994 से 10 जून, 1996 तक के कितने मामलों में किन-किन धाराओं में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला रसद अधिकारी कार्यालय

(श्री भीमराज भाटी)

पाली द्वारा वर्ष 1994 से 10 जून, 1996 तक विभिन्न मामलों में दर्ज मुकदमों में से कितने मुकदमे कौन-कौन से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर करवाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में राशन सामग्री के लिये उचित मूल्य की दुकानें पर्याप्त संख्या में है। 2000 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान खोलने का मापदण्ड निर्धारित है।

(2) पाली जिले में गेहूं, चीनी एवं केरोसिन आदि के 1 जनवरी, 1994 से 10 जून, 1996 तक जितने मामलों में जिन-जिन धाराओं में जिन-जिन व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज हुए है, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जिला रसद कार्यालय, पाली में वर्ष 1994 से 10 जून, 1996 तक दर्ज मुकदमों में से जितने मुकदमे जिन-जिन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर करवाये गये हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झुन्झुनूं की पेयजल व्यवस्था

35. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनूं जिले में पीने के पानी की विकट समस्या के समाधान हेतु सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है ?

(2) मौजूदा गर्मी के मौसम में पानी के संकट के निराकरण हेतु कौन-कौन से कार्य हाथ में लिये गये हैं, तथा उनकी अभी तक क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कुल 253.21 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न मदों के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में आबंटित की गयी है।

(2) ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने के उद्देश्य से स्वीकृत कार्यों एवं उनकी प्रगति का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

प्रपत्र "क"

पेयजल संकट निवारण हेतु स्वीकृत कार्य एवं उनकी प्रगति का विवरण

क.सं.	खण्ड का नाम	कार्य का प्रकार	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगति का विवरण
1	2	3	4	5
1.	झुन्झुनू	पूर्व में खोदे गये नलकूपों को चालू करना	21	18 नलकूपों को चालू कर दिया है।
	,,	पूर्व में खोदे गये हैण्डपम्पों को चालू करना	23	23 हैण्डपम्पों को चालू कर दिया गया है।
	,,	नये हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य	23	12 हैण्डपम्पों कार्य पूर्ण हो चुका है।
	,,	नये नलकूप बनाना	5	3 नलकूप खोदे गये, 1 नलकूप को चालू किया गया।
	,,	पुनर्गठन एवं ग्रीष्म आगमेंटेशन कार्य (ग्रामीण योजना)	12	बजट उपलब्ध होने पर कार्य चालू होगा।
2.	खेतड़ी	पूर्व में खोदे गये नलकूपों को चालू करना	30	11 नलकूपों को चालू कर दिया है, 15 नलकूपों के विद्युत सम्बन्ध हेतु डिमाण्ड नोट जमा कराये गये। 4 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।
	,,	पूर्व में खोदे गये हैण्डपम्प चालू करना	24	24 हैण्डपम्प स्थापित कर चालू किये गये।
	,,	नये हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य	21	15 हैण्डपम्प चालू किये गये, शेष का कार्य प्रगति पर है।
	,,	पुनर्गठन एवं ग्रीष्म आगमेंटेशन कार्य (ग्रामीण योजना)	20	बजट उपलब्ध होने पर कार्य चालू होगा।

नोट :—इसके अतिरिक्त विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में पाये गये खराब हैण्डपम्पों में से लगभग 90% को ठीक कर दिया गया है एवं शेष का कार्य प्रगति में है।

जिला बीकानेर में अवैध रूप से संचालित बसें

36. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में बिना परमिट के अवैध रूप से बसें चलाई जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं इस वर्ष में कब कितनी बसों की किस-किस मार्ग पर चलने की शिकायत प्राप्त हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि परमिट-धारी बस चालकों ने यातायात मंत्री व मुख्य मंत्री की शिकायतें की और इस पर कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य मंत्री व यातायात मंत्री ने विभाग को दिये थे ? यदि हां, तो कब एवं क्या निर्देश दिये ? क्या विभाग द्वारा इन आदेशों की पालना की गयी ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग ने बिना परमिट चलने वाली बसों के मालिकों पर पैनल्टी व कर की बकाया निकाली है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस बस मालिक पर कितनी राशि बकाया निकाली गई ? उसमें से कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गयी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन परमिटधारी बस मालिकों ने तंग होकर अपने परमिट विभाग को वापस जमा करा दिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन ने किस-किस रूट की कौन-कौनसी बस का परमिट कब-कब जमा कराया तथा इससे सरकार को कितनी आय का नुकसान हुआ ?

(5) इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां । गत 3 वर्षों में एवं इस वर्ष में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	शिकायतों की संख्या	शिकायतों का संक्षिप्त विवरण एवं मार्ग	वि. विवरण
1	2	3	4
93–94	4	बीकानेर से डूंगरपुर, कोलायत, कालू, सुजानगढ़, इत्यादि की ओर जाने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध संचालन	
94–95	7	बीकानेर से अहमदाबाद, घूमली, जग्गासर, धन्तीर, घोलेरा, करणीसर इत्यादि मार्गों पर अवैध संचालन ।	
95–96	23	बीकानेर से पूनरासर, नोखा, गैरसर,	

(राज्य मंत्री, यातायात)

1	2	3	4
		सीथल, जोधासी, पनपालसर, नापासर, जग्गासर एवं कोलायत से असुनोखा इत्यादि मार्गों पर अवैध संचालन ।	
96–97	4	नोखा–पांचु मार्ग इत्यादि पर अवैध संचालन ।	

(2) जी, हां । उप सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र दिनांक 1.5.95 के द्वारा बीकानेर-जग्गासर मार्ग के अनुज्ञापत्रधारियों की शिकायत की प्रति प्रेषित करते हुए नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये । एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक 28.7.95 को माननीय यातायात मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

(3) विभाग ने बिना परमिट व परमिट से अधिक मार्ग पर चलने वाली कुछ बसों के विरुद्ध पेनल्टी व कर अवधारण सम्बन्धी बकाया राशि का निर्धारण कर-अवधारण सम्पूर्ण होने के बाद ही निश्चित हो पाएगा और इसके पश्चात् ही वसूली सम्भव होगी ।

(4) राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 (डी) के अन्तर्गत मंजिली वाहनों का कोई भी अनुज्ञापत्रधारी अपने अनुज्ञापत्र कराधान अधिकारी के पास जमा करा सकता है और ऐसी अवधि के लिये कर की छूट नियमानुसार प्राप्त कर सकता है । अनुज्ञापत्रधारी राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.35 के उप नियम 3 के अन्तर्गत स्वेच्छा से अपने अनुज्ञापत्र को समर्पित कर निरस्त करवा सकता है । मार्च, 1995 से मार्च, 1996 तक अनुज्ञापत्रधारियों ने नियम 4 (डी) के अन्तर्गत 5 एवं नियम 5.35 (3) के अन्तर्गत 202 अनुज्ञापत्र जमा/निरस्त करवाये गये । यह एक सामान्य प्रक्रिया है ।

(5) बिना परमिट व परमिट में वर्णित मार्ग से हटकर चलने वाली वाहनों के अवैध संचालन के विरुद्ध विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाती है । गत तीन वर्षों में बीकानेर जिले में बिना परमिट चलने पर बसों के विरुद्ध कुल 716 चालान बनाये गये हैं और 12,51,000/– की शास्ति राशि वसूल की गयी है ।

पांचना बांध से नादौती एवं टोडाभीम के ग्रामों को पेयजल

37. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर तहसील करौली में पांचना बांध का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितनी लागत आई ?

(2) पांचना बांध से नादौती एवं टोडाभीम के कौन-कौन से ग्रामों को पानी दिया जा रहा है एवं कौन-कौन से ग्रामों को और पानी देने का सरकार विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(3) क्या सरकार नादौती तहसील के ग्रामों को लिफ्ट सिचाई योजना द्वारा पानी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार इंन्दिरा लिफ्ट योजना को चालू रखने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इन्दिरा लिफ्ट योजना द्वारा नादौती एवं टोडाभीम तहसील को पानी दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? इस योजना की प्रगति रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । जिला सवाईमाधोपुर तहसील करौली में पांचना बांध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । इस बांध पर माह 5/96 तक 3897.80 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं, तथा इस बांध पर निर्माण की कुल अनुमानित लागत 4900 लाख रुपये हैं ।

(2) पांचना बांध से नादौती तहसील के 3 गांव केमला, कुंजेला एवं रौसी तथा टोडाभीम के एक गांव भोटवाड़ा में पानी दिया जा रहा है । इस बांध से नादौती तहसील के छह गांव क्रमशः केमला, रौसी, कुंजेला, खेड़ली, खेड़ला व पलवाटा तथा तहसील टोडाभीम के नौ गांव क्रमशः भोटवाड़ा अलयवाड़ा, शेखपुरा पट्टी, कलवाडी, राडोली, शेखपुरा, किरवाड़ा, डुब्बी, महेसवा को पानी दिया जाना प्रस्तावित है ।

(3) जी, नहीं । पांचना बांध से किसी गांव को लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी देना योजना में प्रस्तावित नहीं है ।

(4) इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं की हाइड्रोलोजिकल स्टेडी रिपोर्ट के आक्षेपों की पूर्ति कर केन्द्रीय जल आयोग को जांच हेतु भिजवा दी गयी है एवं इस योजना के अन्य पहलू जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग वन, वन्य जीव विभाग से मंजूरी एवं कमाण्ड की मृदा का सर्वे इत्यादि का कार्य प्रगति पर है । परियोजना की रिपोर्ट का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन पर होने तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति होने पर परियोजना का निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(5) जी, हां । इन्दिरा जलोत्थान योजना द्वारा नादौती एवं टोडाभीम तहसील के क्षेत्र को पानी दिया जायेगा । परियोजना की हाइड्रोलोजी की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में सितम्बर, 1995 से लम्बित है ।

विधायकों को पंचायत समिति की जीप

38. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा विधायकों को विकास कार्य एवं अन्य योजनाओं के अवलोकन हेतु पंचायत समिति की जीप महीने में एक सप्ताह देने के आदेश है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन आदेश में विसंगतियों के कारण क्रियान्वयन होने में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

व्यावहारिक कठिनाइयां ग्राती रहती है। यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार कार्यवाही कर विसंगतियों को दूर कर स्पष्ट ग्रादेश जारी करने का विचार रखती हैं?

(3) पंचायत समिति/जिला परिषद् के वाहनों के सम्बन्ध में वर्तमान में क्या-क्या निर्देश/ग्रादेश प्रचलित हैं। ग्रादेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन वाहनों के नियन्त्रण ग्रधिकारी विकास ग्रधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी है? यदि हां, तो विधायकों को प्रधान के साथ ग्रथवा उनके द्वारा अन्य ग्रधिकारियों के साथ निर्देश की शर्तों का क्या ग्रौचित्य है?

(5) क्या सरकार जिला पूल की तरह उपखण्ड पूल बनाकर जीप एवं वाहन का नियन्त्रण ग्रधिकारी उपखण्ड ग्रधिकारी को बना कर जीपों के दुरुपयोग तथा नियमों की ग्रवहेलना दूर करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। जो ग्रादेश हैं इनकी विकास ग्रधिकारियों को सख्ती से पालना हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) जी, नहीं। आदेश में किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं है।

(3) ग्रादेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(4) जी, हां। इन वाहनों के नियंत्रण अधिकारी विकास ग्रधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी ग्रधिकारी हैं। किन्तु पंचायत समिति के संवैधानिक निर्वाचित ग्रध्यक्ष होने के कारण ही प्रधान के साथ समन्वय स्थापित कर दौरे करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि प्रधान ही पंचायत समिति का संस्था प्रधान होता है जबकि विकास अधिकारी केवल कार्यालय ग्रध्यक्ष होता है।

(5) जी, नहीं।

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्र.एफ. 17( ) प्र. 1/ग्राविप/96/2151 जयपुर. दि. 29.6,96

समस्त विकास अधिकारीगण।

विषय : विधायकों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।

प्रसंग : विभागीय आदेश क्र.एफ 17 (ई) () ग्राविप प्र,1/84/3455 दिनांक 30.8.84

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक ग्रादेश के जरिए विधायकों को विकास कार्य, राहत कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम एवं ग्रन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निरीक्षण के दौरे करने के लिये पंचायत समिति की जीप दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। ग्रतः इस

सम्बन्ध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशों की सख्ती से पालना की जावे ।

उपर्युक्तानुसार आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जावे

उप शासन सचिव एवं पदेन्
उप विकास आयुक्त (प्र.1)

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ. 17 (ई) (2) विविध/प्रशा.1/ग्राविप/95/1984 जयपुर, दि. 4.5.95

परिपत्र

विभागीय सम संख्यक परिपत्र क्रमांक 5658 दिनांक 25.10.94 द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग में मितव्ययता बरतने हेतु निर्देशित किया गया था । किन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि सम्बन्धित अधिकारीगण वाहनों के उचित एवं नियमानुकूल उपयोग के प्रति सावचेत नहीं हैं । अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला परिषदों/पंचायत समितियों के वाहनों के उपयोग में निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावे :—

(1) जिला परिषद के वाहनों के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पंचायत समिति के वाहनों के लिये सम्बन्धित विकास अधिकारी इन वाहनों के लिये रख–रखाव, सही लॉग बुक भरने तथा विभागीय निर्देशों की पालना कराने के लिये जिम्मेदार अधिकारी होंगे ।

(2) जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के वाहन अपने अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर ही प्रयोग में लिये जायेंगे ।

(3) जिला परिषद के वाहन को जिले से बाहर राजकीय कार्य से ले जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पुर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी ।

(4) जिला परिषद के वाहन का उपयोग जिला परिषद के प्रमुख द्वारा एक महीने में 7 दिन से अधिक नहीं किया जायेगा ।

(5) पचायत समिति के वाहन का उपयोग पंचायत समिति के प्रधान द्वारा एक महीने में 10 दिन से अधिक नहीं किया जायेगा ।

(6) राज्य मुख्यालय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आमन्त्रित की गयी बैठकों हेतु जिला परिषद के वाहन को जयपुर लाने की अनुमति रहेगी ।

(7) पंचायत समिति के वाहन को जिला परिषद अथवा जिला प्रशासन द्वारा बुलायी गयी बैठकों में भाग लेने हेतु ले जाने के लिये भी अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

(8) जिला परिषद एवं पंचायत समिति के प्रत्येक वाहन की लॉग-बुक की जांच महीने के अन्त में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिससे कि ईंधन की कुल खपत, कुल दूरी तथा वाहन किस प्रयोग में लाया गया तथा ईंधन की प्रति लीटर माइलेज/किमी क्या रही ? इन सबका ब्योरा रखा जा सके ।

(9) चूंकि देश में पैट्रोलियम उत्पादों पैट्रोल, डीजल इत्यादि की बहुत कमी है । राज्य सरकार की यह मंशा है कि वाहन का उपयोग जब बहुत आवश्यक हो तभी किया जावे तथा वे स्थान जो रेल अथवा सड़क मार्ग से सीधे जुड़े हुए हैं तथा जहां पर रेल अथवा बस सुविधा उपलब्ध हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जावे ताकि वाहनों पर होने वाले व्यय को सीमा में रखा जा सके ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति का दायित्व होगा कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद की अधिकारिता से बाहर की यात्रा का विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को नियमित रूप से प्रेषित करेंगे ।

यदि विभाग द्वारा जानकारी करने पर यह पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशों की पालना की जा रही है तो सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को उक्त कृत्य के लिए उत्तरदायी समझा जायेगा ।

ह०
(भगवान सिंह मीणा)
उप शासन सचिव एवं पदेन्
उप विकास आयुक्त (प्रशा.1)

जिला परिषद/पंचायत समिति के वाहन द्वारा क्षेत्र से बाहर (अधिकारिता से बाहर) की गई यात्रा का विवरण पत्र

क्र.सं.	वाहन संख्या	अधिकारी/प्रमुख/प्रधान का नाम जिसने यात्रा की	यात्रा का प्रयोजन	की गई यात्रा की दूरी (कि.मीटर में)
1	2	3	4	5

सक्षम अधिकारी की अनुमति का क्रमांक व दिनांक	व्यय किया गया पैट्रोल/डीजल (लीटर में)	विशेष विवरण
6	7	8

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण की मेरे द्वारा व्यक्तिशः जांच कर ली गई है, तथा यात्रा सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही की गई है।

हस्ताक्षर नियंत्रण अधिकारी,
(सचिव जिला परिषद/
विकास अधिकारी) पंचायत समिति

तारांकित प्रश्न संख्या–39

(स्थगित)

जिला अलवर के उद्योगों से आय

40. श्री मदनमोहन (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले में स्थित उद्योगों से कितना राजस्व सरकार को प्राप्त होता है।

(2) क्या सरकार बागवानी को उद्योग मानती है ? यदि हां, तो बागवानी क्षेत्र का रीको द्वारा अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्थित उद्योगों से विभिन्न विभागों एवं एजेंसीज द्वारा कर/शुल्क प्राप्त होता है। ऐसे राजस्व का केवल उद्योगों के लिये स्रोतवार संकलन नहीं किया जाता। उपलब्ध सूचना के आधार पर यह भी विनिश्चित करना सम्भव नहीं है कि अलवर जिले में केवल उद्योगों से कितना राजस्व प्राप्त होता है।

(2) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योगों की व्यापक परिभाषा में फ्लोरीकल्चर तथा टिशूकल्चर को सम्मिलित करते हुए इनके प्रदेश में विकास हेतु उपाय किये जा रहे हैं। औद्योगिक नीति जून, 1994 के अनुच्छेद 15.6 के अनुसार शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी फ्लोरीकल्चर तथा टिशूकल्चर इकाइयों के लिये अनुदान का प्रावधान किया गया था। इसी सन्दर्भ में रीको द्वारा फ्लोरीकल्चर के विकास हेतु एक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

नियंत्रित वस्तुओं के वितरण की देखभाल हेतु गठित समितियां

41. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सस्ती तथा नियंत्रित वस्तुओं के वितरण की देखभाल करने तथा पंचायतों में ऐसे कार्यों के लिये राशन विक्रेताओं की नियुक्ति में परामर्श हेतु उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कोई कमेटियां बनायी गयी हैं ? क्या उनमें विधायकों से परामर्श तथा चर्चा करना भी अनिवार्य रखा गया है ? यदि हां, तो इन कमेटियों में किन-किन लोगों को किस आधार पर सदस्य बनाया गया है ? विधायकों को जिला स्तर पर अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में परामर्श हेतु कोई व्यवस्था करना क्यों नहीं आवश्यक समझा गया है ?

उत्तर

जी, नहीं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विधायकों से परामर्श एवं चर्चा करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों एवं अतिरिक्त क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन निम्नानुसार किया हुआ है :-

जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिये:-

1- जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी -अध्यक्ष

2- नगरपालिका/नगर परिषद के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि -सदस्य

3- जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो) -सदस्य

4- जिला रसद अधिकारी -सदस्य सचिव

जिला मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रों के लिये :-

1- जिला रसद अधिकारी -संयोजक

2- जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत सामाजिक कार्यकर्ता (दो) -सदस्य

3- सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच/प्रशासक अथवा सम्बन्धित नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासक अथवा उनका प्रतिनिधि -सदस्य

4- सम्बन्धित पंचायत समिति का सदस्य -सदस्य

कोटा संभाग की पेयजल व्यवस्था

42. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी गांव में हैण्डपम्प जनसंख्या के आधार पर लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो कितनी जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प लगाया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा संभाग के अनेक गांवों में पीने के पानी की समस्या है तथा हैण्डपम्पों के माध्यम से ही पेयजल उपलब्ध होता है ?

(श्री भरतसिंह)

(3) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में पशु पेयजल की अलग से कोई योजना नहीं होने के कारण गांव से लगे हुए हैण्ड पम्पों से ही किसान अपने पशु को पानी पिलाते हैं जिससे हैण्डपम्प पर आधारित भीड़ रहती है तथा हैण्डपम्प भी अधिक खराब होते हैं ?

(4) क्या कोटा संभाग में अलग से पशु पेयजल की व्यवस्था करने की विभाग की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में 250 की जनसंख्या पर हैण्डपम्प लगाये जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। जनजातीय क्षेत्रों में यह मापदण्ड प्रति 100 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प एवं विशेष रूप से बारां जिले के सहरिया आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 150 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प लगाये जाने के मापदण्ड हैं।

(2) कोटा संभाग में कुल 5619 आबाद ग्राम हैं जिनमें से 5216 ग्रामों को हैण्डपम्प योजनाओं से एवं शेष 373 ग्रामों को क्षेत्रीय, पाइप लाइन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। संचारित योजनाओं में से 297 ग्रामों की पेयजल योजनाओं में निर्धारित मापदण्डों के विरुद्ध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय की मात्रा का सर्विस स्तर 50 प्रतिशत से कम होने के कारण समस्या है। समस्याग्रस्त ग्रामों में 307 नये हैण्डपम्प, 18 नये नलकूप एवं एक खुले कुएं के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाकर कार्य प्रगति में है।

(3) जी, हां। संभाग में ग्रामीण पेयजल योजनाएं 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मांग पर आधारित हैं जिनमें पशुओं की पेयजल मांग सम्मिलित नहीं है। ग्रीष्मकाल में यदि हैण्डपम्पों के अतिरिक्त अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं तो पशुओं की पेयजल मांग की पूर्ति भी हैण्डपम्पों के माध्यम से होती है। हैण्डपम्प उत्तर संख्या–1 में उल्लेखित मापदण्डों के आधार पर लगाये जाते हैं एवं विभाग द्वारा विशेष मरम्मत अभियान चलाकर इन्हें समय–समय पर ठीक किया जाता है।

(4) जी, नहीं। भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं की पेयजल मांग पूर्ति हेतु 40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा की संवर्द्धन योजनाएं केवल 112 मरुस्थलीय जिलों में ही स्वीकृत की जा सकती हैं जिनमें कोटा संभाग के जिले सम्मिलित नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) हेतु निगम बस सेवा

43. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में जयपुर से परिवहन विभाग द्वारा कहां-कहां पर बसें संचालित की जा रही हैं ? संचालित की जाने वाली बसों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी जयपुर के निकट होने के कारण यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बसें पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो अब सरकार इस समस्या से उबारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार जयपुर रेलवे स्टेशन से कस्बा बस्सी को यात्रियों की संख्या को देखते हुये सीधी बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी को सीधी बस सेवा द्वारा दौसा से वाया चाकसू, तूंगा, कोटखावदा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जनता ने इस मांग को लेकर कई बार लिखित एवं मौखिक ज्ञापन प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निजी वाहनों को जयपुर से बस्सी क्षेत्र में संचालन हेतु 69 बसों को परमिट जारी किये हुए है । इसके अलावा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 219 परिचक्र दैनिक चलाये जा रहे हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "एक" पर है ।

(2) निगम की बसों को वर्तमान में औसतन 65 से 75 प्रतिशत यात्री भार उपलब्ध हो रहा है । जिससे प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं ।

(3) जी, नहीं । सम्भावित यात्री भार को देखते हुए यह सीधी बस सेवा चलाये जाने का वर्तमान में विचार नहीं है ।

(4) जी, नहीं । सम्भावित यात्री भार को देखते हुए इन मार्गों पर बस सेवा चलाने का वर्तमान में विचार नहीं है ।

(5) जी, हां । दौसा-चाकसू मार्ग पर सम्भावित यात्री भार को देखते हुए सेवाओं का संचालन नहीं किया गया परन्तु बस्सी गांव से घाटगेट के लिये 10 परिचक्रों की वृद्धि की गयी ।

परिशिष्ट "क"

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के निम्न मार्गों पर निगम द्वारा वर्तमान में वाहन सेवाएं संचालित की जा रही हैं :-

1.	घाटगेट से चारणवास वाया कानोता--बस्सी	2 परिचक्र दैनिक
2.	घाटगेट से लवाण वाया कानोता--बस्सी--माधोगढ़ रोजवाड़ी--भूडला	4 ,,
3.	घाटगेट से लवाण वाया कानोता--बस्सी--चक--	3 ,,

	बॉसखो फाटक–बॉसखो गांव–राजपुरा–रोजवाड़ी–भूडला		
4.	घाटगेट–तूंगा वाया कानोता–बस्सी-चक–बस्सी गांव–माधोगढ़	30	,,
5.	घाटगेट से पाटन वाया कानोता–बस्सी–चक–बॉसखो फाटक–बॉसखो गांव	2	,,
6.	घाटगेट से बनियाना वाया कानोता–बस्सी–चक–बॉसखो फाटक–बॉसको गांव–पाटन–माटेडी–डिगारिया	6	,,
7.	घाटगेट से खानवास वाया कानोता–बस्सी–चक–बॉसखो फाटक–बॉसको गांव–राजपुरा–रोजवाड़ी–भूडला–लवाण–देवरी बालाजी	2	,,
8.	घाटगेट से नॉगल वाया कानोता–बस्सी–चक–बॉसखो फाटक–बॉसखो गांव–पाटन	2	,,
9.	घाटगेट–बस्सी वाया कानोता	16	,,
10.	घाटगेट से करणगढ़ वाया कानोता–बस्सी–लालगढ़	2	,,
11.	घाटगेट से लालगढ़ वाया कानोता–बस्सी	2	,,
12.	घाटगेट से मंपुर वाया कानोता–बस्सी	2	,,
13.	घाटगेट से रुपाड़ी वाया कानोता–बस्सी–माधोगढ़–तूंगा	6	,,
14.	घाटगेट से महादेवपुरा वाया कानोता–बस्सी–लालगढ़–माधोगढ़	4	,,
15.	घाटगेट से सांभरिया वाया कानोता	2	,,
16.	घाटगेट से सांभरिया–अचलपुरा वाया कानोता	10	,,
17.	घाटगेट से बैनाड़ा वाया कानोता–कूथाड़ा	17	,,
18.	घाटगेट से बैनाड़ा वाया कानोता–खेड़ी	7	,,
19.	रेलवे स्टेशन से कानोता वाया घाटगेट	11	,,
20.	घाटगेट से नायला वाया कानोता	43	,,
21.	घाटगेट से पापड़ वाया कानोता–हीराला–गीलावाला	12	,,
22.	घाटगेट से नक्चीघाटी वाया कानोता–हीराला–गीलावाला	6	,,

तहसील महुआ का क्षतिग्रस्त बांध

44. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील (महुआ) का बांध बड़ा गांव टूट गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार इस बांध को दुबारा बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । बांध का एक भाग वर्ष 1962 से टूटा हुआ है ।

(2) जी, हां । बड़ा गांव खेड़ला गांव की आबादी व महुआ हिण्डौन राजमार्ग की सुरक्षा पर नजर रखते हुए बांध का भराव आर. एल. 110 फीट से घटाकर आर. एल. 106 फीट तक रखने हेतु बांध की मरम्मत करवा दी गयी है । वेस्ट वीयर ऐस्केप का निर्माण शीघ्र किया जायेगा ।

आगरा नहर से पेयजल व्यवस्था

45. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि डीग कस्बे के लिये आगरा नहर से कोई पेयजल परियोजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना पर हुये व्यय सहित प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

डीग कस्बे के आगरा कैनाल से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक योजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत आगरा कैनाल से 4 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान सरकारों के मध्य एक अनुबन्ध किया जाना है । इस अनुबन्ध हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने जून, 1996 में सहमति प्रदान की है । अनुबन्ध होने के पश्चात योजना का क्रियान्वयन हो सकेगा । योजना पर अभी धन-राशि व्यय नहीं हुई है ।

सिमलवाड़ा (डूंगरपुर) के अकाल राहत कार्य

46. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति सिमलवाड़ा डूंगरपुर में वर्ष 1994–95 से 1996–97 तक किन-किन पंचायतों में कितनी-कितनी राशि के अकाल राहत कार्य करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने में पंचायतों के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सिमलवाड़ा जिला डूंगरपुर के किसी गांव को वर्ष 1994–95 में अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया था । अभाव स्थिति की घोषणा न होने के कारण राहत कार्य शुरू नहीं किया । वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में (संवत 2052) सिमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र में कुल 266 कार्य स्वीकृत किये गये । स्वीकृत

(राज्य मंत्री, सहायता)

अकाल राहत कार्यों की पंचायतवार कार्य एवं स्वीकृत राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। राहत कार्य विभागीय व डी.आर.डी.ए. कार्यों पर उपलब्ध रोजगार के अवसर तथा उस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही स्वीकृति किये गये हैं। इससे कोई पक्षपात नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

औद्योगिक क्षेत्र कोटा की भूमि पर आवासीय भवन

47. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में उद्योग हेतु दी गयी भूमि को आवासीय कालोनी में बदल दिया गया है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या यह भी सही है कि माला रोड कोटा में 21 बीघा उद्योग हेतु आबंटित भूमि को आवासीय प्लाट काट कर करोड़ों रुपयों का नाजायज लाभ अधिकारियों की मिली भगत से उठाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी अनुमति किन नियमों के तहत दी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषियों की जांच करवा कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कोटा में उद्योग हेतु दी गयी भूमि को आवासीय कॉलोनियों में नहीं बदला गया है।

(2) माला रोड कोटा में उद्योग हेतु आवंटित भूमि को आवासीय प्लाट काटकर नहीं बेचा गया है, और न ही उसकी अनुमती दी गयी है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के गांवों हेतु पेयजल व्यवस्था

48. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, कोटपूतली में खारे पानी से ग्रसित कितने गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बीजाहेड़ा के समस्त पेयजल स्रोतों (हैण्ड पम्पों) का पानी खारा होने के कारण वहां पेयजल समस्या गंभीर बनी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

खारे पानी वाले 19 ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। 19 ग्रामों में से 9 ग्राम विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित किये जा चुके हैं। शेष 10 ग्रामों हेतु उपयुक्त जल स्रोत हेतु सर्वेक्षण के आधार पर, योजना बनायी जायेगी एवं धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित की जा सकेगी।

(3) उल्लेखित ग्राम में स्थापित 3 हैण्डपम्पों में से 2 हैण्ड पम्पों का पानी खारा है एवं एक हैण्ड पम्प का पानी मापदण्डों के अनुसार है। उचित जल स्रोत का सर्वेक्षण कर पुनर्गठन योजना बनायी जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के खारे पानी से ग्रसित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वर्तमान योजना का प्रकार	कोड नं.
1	2	3	4
1.	छादेड़ा	क्षेत्रीय	3
2.	सांगटेडा	,,	27
3.	मोलाछेड़ा	,,	29
4.	तलवा	हैण्डपम्प	54
5.	मीरापुर	,,	56
6.	द्वारिकापुरा	क्षेत्रीय	57
7.	रूपपुरा	हैण्डपम्प	62
8.	फतेहपुरा खुर्द	क्षेत्रीय	63
9.	मैराजपुरी	पी. एण्ड टी.	69
10.	सुजातनगर	क्षेत्रीय	70
11.	पावटा अनीर	हैण्डपम्प	72
12.	जगदीशपुरा	,,	76
13.	हैसियावास	,,	90

1	2	3	4
14.	जोधपुरा	हैण्डपम्प	93
15.	कीरतपुरा	,,	101
16.	मेहरामपुरा राजपूत	,,	107
17.	बड नगर	पाइप्ड	129
18.	मोखरी	पी. एण्ड टी.	132
19.	बीजाखेडा	हैण्डपम्प	26

नोट :–क्रम संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 17 एवं 18 पर उल्लेखित ग्राम विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर दिये गये हैं।

राष्ट्रीय राज मार्गों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम

49. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8, 11 व 13 पर पिछले 6 माह में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई ? उनमें कितने व्यक्ति मारे गये, कितने हताहत हुये ?

(2) सरकार द्वारा मरने वाले. एवं हताहत होने वालों को क्या सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध करवाई गयी ?

(3) उक्त दुर्घटनायें होने के क्या कारण रहे हैं ? सरकार इस प्रकार हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 एवं 11 पर दिनांक 1–1–96 से 31.5.96 तक कुल 2299 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें कुल 730 व्यक्ति मारे गये एवं 2825 व्यक्ति घायल हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 राजस्थान राज्य से नहीं गुजरता है।

(2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार "बिना दोष के उत्तरदायित्व" के सिद्धान्त अनुसार मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी को राशि रुपये 50,000/– एवं स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को राशि रुपये 25,000/– का मुआवजा वाहन स्वामी से दिलाया जाता है। टक्कर मार कर भाग जाने की स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं से मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को राशि रुपये 25,000/– एवं स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को 12,500/– की राशि का मुआवजा देय है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में मुआ-

(राज्य मंत्री, यातायात)

बजे के प्रकरणों को त्वरित गति देने की दृष्टि से प्रत्येक जिले से मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण स्थापित किये हुए है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार घायल व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उपचार सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) दुर्घटना होने के मुख्य कारण–(1) वाहन चालक के द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से वाहन चलाना, (2) सड़कों पर क्षमता से अधिक वाहनों का संचालन, (3) खराब मौसम, (4) वाहनों की यांत्रिक खराबियां आदि हैं। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय किये हैं, जैसे वाहनों की संयुक्त सघन जांच, ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार, ड्राईविंग स्कूल एवं ड्राईविंग ट्रेक का निर्माण, राज मार्गों पर अतिक्रमण हटाना, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन इत्यादि।

पंचायत समिति अन्ता के ग्राम रक्सपुरिया की विचाराधीन लिफ्ट योजना

50. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति अन्ता के ग्राम रक्सपुरिया के पास राइट मैन कैनाल से रक्सपुरिया लिफ्ट योजना के नाम से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं?

(2) यदि हां, तो रक्सपुरिया लिफ्ट स्कीम को स्वीकृत करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लिफ्ट योजना को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां!

(2) रक्सपुरा लिफ्ट योजना के प्रस्ताव अप्रेल, 1995 में तैयार हो गए थे। लिफ्ट योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में अत्यधिक व्यय आता है जिसके लिये राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। अतः मुख्य अभियंता (सिंचाई) राजस्थान ने रक्सपुरा लिफ्ट योजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई संभाग, कोटा को दिनांक 28.4.95 को लिखा था कि लाभान्वित होने वाले काश्तकारों से इस योजना के संचालन एवं रख-रखाव का खर्चा उनके द्वारा वहन किए जाने की सहमति प्राप्त करें तथा इस कार्य हेतु इनकी समिति गठित करवाएं।

(3) जी, हां। लिफ्ट योजना की स्वीकृति लाभान्वित होने वाले काश्तकारों द्वारा उनकी समिति बनाकर एवं उनके द्वारा इसके संचालन एवं रख-रखाव का खर्चा वहन करने की सहमति देने पर निर्भर करता है। इसके अलावा चम्बल दायीं मुख्य नहर में पर्याप्त क्षमता होना भी आवश्यक है।

तहसील माण्डल की पुनर्गठित ग्राम पंचायतें

51. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मांडल तहसील की ग्राम पंचायत संतोषपुरा में ग्राम कीर खेड़ा, मालीखेड़ा और स्टेशन खेड़ा सम्मिलित हैं? यदि हां, तो क्या यह पंचायत पुनर्गठित गजट में भी अंकित है?

(2) क्या यह भी सही है कि मालीखेड़ा, कीरखेड़ा और स्टेशन खेड़ा से निर्वाचित वार्ड पंच इस समय ग्राम पंचायत मांडल के सदस्य हैं जबकि इन गांवों को पंचायत पुनर्गठन के तहत संतोषपुरा में मिला रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इन वार्ड पंचों को नई पंचायत संतोषपुरा के वार्ड पंच मानकर इस पंचायत के सदस्य के रूप में बैठने का आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या संतोषपुरा पंचायत, पंचायत समिति मांडल के वार्ड पंचों की ओर से व पंचायत समिति मांडल की ओर से कीरखेड़ा, मालीखेड़ा एवं स्टेशन खेड़ा से निर्वाचित वार्ड पंचों को गजट नोटिफिकेशन पंचायत पुनर्गठित के अनुसार संतोषपुरा पंचायत के सदस्य मानते हैं?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत की मीटिंगों में भाग लेने हेतु आदेश जारी करने के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान राजपत्र दिनांक 11.9.92 में अधिसूचित की गयी स्थिति के अनुसार मांण्डल तहसील के दिनांक 10.2.95 को घोषित राजस्व ग्राम क्रमशः कीर खेड़ा, मालीखेड़ा एवं स्टेशन खेड़ा ग्राम पंचायत संतोषपुरा में सम्मिलित है।

(2) जी, हां। यह सही है कि राजस्व ग्राम मालीखेड़ा, कीरखेड़ा एवं स्टेशन खेड़ा के वार्ड पंच वर्तमान में ग्राम पंचायत मांडल के वार्ड पंच हैं। पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना दिनांक 10.9.1992 जारी होने के समय उक्त तीनों राजस्व ग्राम नहीं होकर राजस्व ग्राम मांडल के मजरे जात थे। (ई आर.ओ.) (एस.डी.ओ.) भीलवाड़ा द्वारा उक्त तीनों ग्रामों को पूर्व में राजस्व ग्राम माण्डल के मजरे जात होने के कारण संतोषपुरा पंचायत के वार्डों के गठन बाबत जो प्रकाशन दिनांक 9.9.94 को किया गया, उसमें संतोषपुरा व गुडा राजस्व ग्राम व उनके मजरों को ही लिया गया। इस प्रारूप प्रकाशन पर किसी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 1.10.94 को इसी अनुरूप वार्डों का अन्तिम प्रकाशन कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में निर्वाचन सम्पन्न हो जाने के पश्चात अब वार्ड पंचों के प्रतिनिधित्व में किसी भी प्रकार का फेरबदल किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

(3) जी, नहीं। पचायतों के निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित वार्ड पंचों के सम्बन्धित वार्डों से प्रतिनिधित्व में इस स्टेज पर किसी भी प्रकार का फेरबदल किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

(4) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन नहीं है और पूर्व में वर्ष 1995 में हुए निर्वाचन उपरान्त पंचायतों की बैठकों की कार्यवाही नियमानुसार हो रही है व प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

तहसील पचपदरा एवं उप तहसील गिड़ा के अभावग्रस्त ग्राम

52. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील पचपदरा और उप तहसील गिड़ा के गिड़ा आर. आई. क्षेत्र के कुल कितने ग्राम अभावग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील पचपदरा व गिड़ा आर. आई. सर्किल में 1 जनवरी, 1996 से 10 जून, 1996 तक कुल कितने मजदूर राहत कार्यों पर लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील पचपदरा और उप तहसील गिड़ा के गिड़ा आर. आई. क्षेत्र के कुल 288 गांव अभावग्रस्त हैं। अभावग्रस्त गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"क")

(2) तहसील पचपदरा व गिड़ा आर. आई. सर्किल में 1 जनवरी, 1996 से 10 जून, 1996 तक कुल 9095 मजदूर राहत कार्यों पर लगाये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–"ख")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत गणेश्वर की ढाणी ग्वार की पेयजल व्यवस्था

53. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नीमकाथाना की ग्राम पंचायत गणेश्वर की ढाणी ग्वार में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ? क्या ग्राम के लोगों को 2–3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोगों के पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या जलदाय विभाग नीमकाथाना द्वारा गणेश्वर से पाइप लाइन दिये जाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस समस्या का समाधान कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। उल्लेखित ग्राम परम्परागत स्त्रोत योजना से लाभान्वित था परन्तु योजना का स्रोत एक नलकूप बन्द है। वर्तमान में ग्राम वासियों को 5 हैण्ड पम्पों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कार्यरत है।

(2) जी, हां। ग्राम गणेश्वर में प्रस्तावित नये नलकूप से ग्राम ग्वार को पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 4.96 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 1997–98 में पूर्ण होना सम्भावित है।

निगम की बसों से सड़क दुर्घटनाएं

54. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्ष 1995-96 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु निगम की बसों से दुर्घटना होने के कारण हुई ?

(2) सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा क्या इस हेतु सरकार की कोई नीति बनाने का विचार है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या सरकार निगम की बसों के चालकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही अथवा गाड़ियों को तीव्रगति से संचालित करने के सम्बन्ध में कोई कठोर नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से वर्ष 1995–96 में 5,157 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उसमें से परिवहन निगम की बसों से इस अवधि में 478 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशिष्ट रूप से कई महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं। यथा वाहनों की संयुक्त संघन जांच कार्यवाही, ड्राइविंग लाइसेन्स प्रक्रिया में सुधार, ड्राइविंग स्कूल एवं ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण, राजमार्गों से अतिक्रमण हटाना, सड़क चिन्हों का नवीनीकरण, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव इत्यादि।

(3) निगम प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निगम प्रशासन ने बसों की छतों पर यात्री न बिठाने, बिना फिटनेस प्रमाण–पत्र के बस मार्ग पर न चलाने, वाहन चालकों के पास यात्री वाहन चलाने का लाइसेंस होने पर ही वाहन पर लगाने, यांत्रिक कमी वाले वाहनों को मार्गों पर न उतारने के निर्देश प्रबन्धकों को जारी किये हैं। इसी प्रकार चालक/परिचालक को वर्दी में ड्यूटी देने, ड्राइवर को नशे की हालत में न हो को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं। वाहन चालकों को ट्रेनिंग कोर्स में रिफरेशर कोर्स कराने, उनकी स्वास्थ्य परीक्षण आदि की भी व्यवस्था की है।

पचानपुरा (माण्डलगढ़) बांध की डूब में आई भूमि के विस्थापितों को मुआवजा

55. श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पचानपुरा बांध (माण्डलगढ़) में कितनी जमीन डूब में आयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

(2) इनमें से कितने किसानों को मुआवजा दिया गया, कितनों को डूब के बदले जमीन दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने किसान ऐसे बच गए, जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला व डूब की जमीन के बदले अन्य जगह जमीन भी नहीं दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे किसानों के बारे में सरकार क्या विचार रखती है।

उत्तर

(1) पचानपुरा बांध (माण्डलगढ़) के निर्माण में कुल 1533 बीघा जमीन डूब में आयी है। विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है।

(2) पचानपुरा बांध (माण्डलगढ़) में डूब में आई भूमि में से कुल 39 काश्तकारों को मुआवजा चुकाया गया है, तथा 56 काश्तकारों को डूब में आयी भूमि के बदले भूमि उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा आबंटित की गयी हैं। विवरण प्रपत्र "ब" एवं "स" में दर्शाया गया है।

(3) परियोजना पर ऐसे 35 काश्तकार बच गये जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला व डूब की जमीन के बदले अन्य जगह जमीन भी नहीं मिली। विस्तृत विवरण प्रपत्र 'द' में दर्शाया गया है।

(4) ऐसे किसानों को सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है। जिसके लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति कुम्हेर की पंचायतों के सचिवों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

56. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतों के कुछ सचिवों के विरुद्ध विभाग में अनियमितता सम्बन्धी अथवा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें वर्तमान पंचायतों के चुनाव होने के पश्चात् प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किन के विरुद्ध और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

पंचायत समिति, कुम्हेर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यरत सचिवों में से केवल श्री अमरचन्द शर्मा, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, अजान के विरुद्ध विभाग में अनियमितता सम्बन्धी तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत वर्तमान पंचायत चुनाव के पश्चात् प्राप्त हुई है, जिसकी जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट- 2

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का विवरण

नगर निगम, जोधपुर द्वारा दिनांक 30.3.96 तक क्रय किये गये लोडर एवं मशीनों का विवरण

क्र.सं.	मशीन का नाम	संख्या	खरीदने का दिनांक	टेण्डर का दिनांक	टेण्डरदाता का नाम एवं दर	मशीन की टेस्टिंग का प्रमाणीकरण किसने किया
1.	एस्केवेटर जे.सी.वी. लोडर	1	8.5.95	बिना टेण्डर राज्य सरकार की स्वीकृति से।	बिना टेण्डर	निगम सदस्यों की समिति एवं तकनीकी अधिकारी द्वारा
2.	फ्रन्ट एण्ड लोडर एस्कोर्ट	4	5.5.95 (2) 16.5.95 (2)	"	"	"
3.	डम्पर ट्रक (अशोका लीलेन्ड)	2	5.10.95	डी.जी.एस. एण्ड डी. दरों पर बिना टेण्डर	" —	तकनीकी अधिकारीयों द्वारा —
4.	सीवर जेट क्लीनिंग मशीन	2	21.10.95	बिना टेण्डर राज्य सरकार की स्वीकृति से।	"	"

नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त सूचनानुसार इन आधुनिक नौ मशीनों से प्रतिदिन प्रति मशीन प्रति औसतन 8 से 12 घण्टे कार्य लिया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रति मशीन प्रतिदिन नागरिकों की जन सुविधाओं एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार औसतन 300 घण्टे प्रतिमाह कार्य कर रही है।

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

URBAN IMPROVEMENT BOARD JAIPUR

No. 1336/UIB/58. Dated 24.2.60

To

Shri Vassumal

Sub :—Allotment of plot in Scheme. Kaelh Boda Road

Ref :...Your application No. 4099

Dated—21.6.89

This is to inform you that you have been allotted Plot No. 21 measuring approximately 177.7 sq. yds. in the above Scheme at Rs. 11 per sq. yard as Nazrana and Rs. 159.37 per aera per annum as Urban Assessment. The allotment has been made on the following conditions :—

1. The allotment will be subject to Revenue Standing Order No. 1 and regulation of the area.

2. If it is subsequently found that you possess a plot in the area of the Urban Improvement Board the allotment will be liable to be cancelled.

3. The land will be non transferable till a house is consctructed on it according to the plan approved by the Urban Improvement Board.

4 The land will be used only for constructing one residential building only and for no other purpose

5. A house will be constructed on the plot within 2 years of this allotment. failing which the land will revert to the Board on refund of 75% of Nazrana deposited by you.

6. The construction of the building will be according to the sanctioned bye-laws of the Scheme concerned.

7. The Board reserve the right to make changes in the plan of the scheme if and when found necessary,

8. The allottee will have to pay–/8/– per sq. yds. extra. if and when a sewer line is laid in the Scheme.

You are, therefore, requested please to deposit the following amount within a month of the receipt this of letter failing which the allotment will be treated as cancelled without any further notice :—

1.	Nazrana	Rs. 177.70
2.	Extra charges for corner plot @ 10% if any	Rs.
3.	Urban Assessment for the period from.... ... .to........at Rs........Per annum	Rs.
4	Cost of site plan	Rs 5.00
		TOTAL Rs. 182.70
5.	Amount already deposited if any,	Rs.
	NET amount to be deposited	Rs. 182.70

This may be acknowledged.

Secretary,
Urban Improvement Board,
Jaipur.

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूची

कार्यालय: नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज०)

आबंटित भू-खण्डों की सूची, दूध तलाई योजना, उदयपुर हैण्डीक्राफ्ट एसोसिएशन

क्र.सं.	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या	नाम	क्षेत्रफल	राशि रु.48/- प्रति वर्ग फीट की दर से	कब्जा दिनांक	अवैध निर्माण की नियमन राशि	नियमन राशि जमा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	श्री कुतबुद्दीन S/o श्री मोहम्मद हुसैन	240'–0"	11520–00	3-8-1991	6777–00	23.3.96
2	2	श्री कैलाशचन्द सिंघवी S/o श्री हजारीलाल	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	30.1.96
3	3	श्रीमती मीरा वरवानी w/o श्री कन्हैयालाल	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96
4	4	श्री ज्योति टायज	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96
5	5	महा लक्ष्मी साड़ी	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96
6	6	श्री बसन्ती लाल S/o श्री भगवती लाल	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	11.1.96
7	7	श्री प्रथमेष S/o श्री विजय सिंह जैन	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96

1	2	3	4	5	6	7	8
8,	8,	श्री फीदा हुसैन S/o श्री फजल हुसैन	200'-0"	9600-00	3-8-1991	2660-00	10.1.96
9,	9,	अलंकार हैण्डी क्राफ्ट	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	
10.	10.	श्री बाबा टायल	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	30.1.96
11	11	श्रीमती बिना देवी w/o श्री जयपालदास	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	11.1.96
12	12	श्री तैयब अली S/o श्री अकबर अली	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	11.1.96
13	13.	श्रीमती दयावंती कटारिया w/o श्री प्रभुदास	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	30.1.96
14.	14.	श्री विश्वनाथ S/o श्री पुरुषोतम सोनी,	397'-6"	19080-00	,,	8560-00	11.1.96
15.	15.	राजा साड़ी सेन्टर,	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	29.12.95
16	16	श्रीमती सुलोचना w/o मदनलाल कटारिया	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	29.12.95
17	17	राजस्थान हैण्डी क्राफ्ट	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	
18,	18,	श्रीमती रजनी डेम्बला w/o श्री मनोहर	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	11.1.96
19.	19.	याकूब अली S/o श्री असगर अली	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	
20	20	लक्ष्मी टायल	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	
21.	21	श्रीमती सोसर बाई w/o श्री मनोहर लाल	540'-0"	25920-00	,,	5068-00	11.1.96
22	22.	श्री गजेन्द्र कुमार S/o श्री बलवंत राज	540'-0"	25920-00	,,	4240-00	29.12.95

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	अशोक बैग सेन्टर	450'-0"	21600-00	3-8-1991	4294-00	10.1.96
24	24	अब्बास अली S/o श्री मोहम्मद हुसैन	450' 0"	21600-00	,,	4240-00	23.3.96
25	25	श्री हीरालाल S/o श्री मोहनलाल साहू	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	,,
26	26	श्रीमती मंजूदेवी w/o श्री डाडम चन्द कुमावत	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	11.1.96
27	27	नाकोडा हैण्डी क्राफ्ट	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	23.4.96
28	28	श्रीमती सुशीला देवी w/o श्री शंकरलाल डागी	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	23.4.96
29	29	श्रीमती विमला गुप्ता w/o श्री सुभाष	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	10.1.96
30	30	श्री किशोर थदवानी S/o श्री नन्दलाल	450'-0"	21600-00	,,	4240-00	29.12.95
31	31	श्रीमती मीनाक्षी w/o श्री मुन्नालाल जैन	450' 0"	21600-00	,,	4348-00	10.1.96
32	32	आर डिसाईट	302'-6"	14496-00	,,	4025-00	11.1.96
33	33	श्री ताहीर अली S/o श्री अकबर अली	302'-6"	14496-00	,,	4025-00	11.1.96
34	34	श्री दिलीपकुमार S/o श्री सुखराम	302'-6"	14496-00	,,	3988-00	11.1.96
35	35	श्री असगर अली S/o श्री कमरूद्दीन	245'-0"	11760-00	,,	2984-00	15.1.96
36	36	टायज एण्ड साड़ी सेन्टर	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	10.1.96
37	37	श्री किशनलाल S/o श्री सखावत राय	200'-0"	9600-00	,,	2660-00	10.1.96

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	अशोक डिलाईट	200'–0"	9600–00	3-8-1991	2660-00	10.1.96
39	39	श्रीमती जुबेदा बानू S/o श्री हुसन अली	200'–0"	9600–00	,,	2660-00	,,
40	40	श्री भगवतीलाल S/o श्री हीरालाल सिंघवी	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	11.1.96
41	41	सिटीजन हैण्डी क्राफ्ट	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	,,
42	42	कैलाश कंगन स्टोर	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96
43	43	श्रीमती अरुणा बापना S/o श्री राजकुमार	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	10.1.96
44	44	श्री मोहम्मद हुसैन S/o श्री अब्बास अली	200'–0"	9600–00	,,	2660–00	2.2.96
45	45	श्रीमती कंचन फोता w/o श्री अशोक पदवानी	200'–0"	9600–00	,,	3160–00	,,
46	46	श्री दिनेश कुमार S/o श्री कन्हैयालाल जैन	200'–0"	9600–00	,,	2624–00	,,
47	47	श्रीमती कामी बाई w/o श्री द्वारकादास	200'–0"	9600–00	,,	3340–00	10.1.96
48	48	श्री राजकुमार S/o श्री मीलाराम	270'–0"	12960–00	,,	3304–00	11.1.96

सचिव
नगर विकास न्यास
उदयपुर (राज०)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची)

सोमानी मार्ग व मार्बल पार्क के क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूची

1.	श्री छोटू पुत्र श्री पन्ना	फावड़े वाला
2.	श्री रमेश पुत्र श्री रामपाल	,,
3.	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जौहरी	,,
4.	श्रीमती कन्चन पत्नी श्री रतन	झाडू वाली
5.	श्रीमती शान्ति पत्नी अजुर्न	,,
6.	विमला पुत्री श्री भंवर	,,
7.	श्रीमती भौंरी पत्नी छोटू	,,

रिशिष्ट-6

संख्या–55 का विवरण)

ण		वर्ष 1995–96 के वितरण का विवरण					
शीर्ष 2702 सिंचाई		लेखा शीर्ष 2701 मध्यम सिंचाई			लेखा शीर्ष 2702 लघु सिंचाई		
स्थापना	योग	सामग्री	स्थापना	योग	सामग्री	स्थापना	योग
7	8	9	10	11	12	13	14
8.13	111.73	—	—	—	94.60	121.50	176.10
6.39	44.39	5 50	20.38	25.88	8.50	20.96	29.46
8.53	154.53	5.50	11.12	16.62	40.00	124.00	134.00
7.20	24.20	—	—	—	10.00	33.63	43.63
2.26	103.76	—	—	—	18.00	78.00	96.00
0.30	79.75	—	—	—	3.50	107.35	110.85
9.75	73.75	—	—	—	15.00	52.11	67,11
6.46	12.50	20.00	7.65	27.65	3.30	9.00	12.30
—	2.00	—	—	—	2.60	—	2.60
2.45	16.45	—	—	—	4.54	38.45	42.99
4.62	16.32	—	—	—	3.05	15.84	18.89
0.97	29.17	—	—	—	5.16	30.00	35.16
3.84	84.34	—	—	—	25.00	46.82	71.82
8.10	18.25	16.00	2.60	18.60	15.00	9.61	24.61
5.03	27.68	25.00	27.64	52.64	6.50	10.75	17.25
6.29	8.59	—	—	—	6.50	15.31	21.81
6.21	21.49	—	—	—	11.50	10.32	21.82
4.00	40.90	4.30	6.50	10.80	14.00	59.59	75.59

1	2	3	4	5	6	7
19.	सिचाई खण्ड द्वितीय उदयपुर	—	—	—	6.85	23.0(
20.	,, प्रथम चित्तौड़गढ़	6.08	27.48	33.56	22.00	43.9
21.	,, द्वितीय चित्तौड़गढ़	3.19	26.25	29.44	6.30	31.0
22.	,, प्रथम भीलवाड़ा	4.00	34.90	38.80	6.40	56.0(
23.	,, द्वितीय भीलवाड़ा	1.00	10.66	11.66	6.00	31.4
24.	सिचाई खण्ड कोटा	13.00	14.00	27.00	7.09	8.0
25.	सिचाई खण्ड बून्दी	2.00	30.76	32.76	93.25	17.8
26.	सिचाई खण्ड झालावाड़	—	—	—	14.76	11.9
27.	सिचाई खण्ड बारां	—	—	—	82.25	33.2
28.	सिचाई खण्ड बिलास बारां	—	—	—	30.00	17.3
29.	सिचाई खण्ड जाखम नहर धरियावद	—	—	—	0.90	1.8
30.	सिचाई खण्ड कांकरोली	—	—	—	6.05	38.0
31.	सिचाई खण्ड डूंगरपुर	—	—	—	13.70	30.5
32.	सिचाई खण्ड बांसवाड़ा	—	—	—	3.05	23.3
33.	सिचाई खण्ड गंगानगर	125.00	105.00	230.00	—	—
	योग–	223.09	326.93	550.02	629.87	905.7

परिशिष्ट–1 जु

पा

(अतारांकित प्रश्न

क्र.सं.	खण्डीय कार्यालय का नाम	वर्ष 1994–95 के वितरण का विवर				
		लेखा शीर्ष 2701 मध्यम सिंचाई			लेखा श लघु	
		मरम्मत	स्थापना	योग	सामग्री	स
1	2	3	4	5	6	
1.	सिंचाई खण्ड जयपुर	—	—	—	63.60	[illegible]
2.	सिंचाई खण्ड दौसा	6.00	10.12	16.12	18.00	[illegible]
3.	सिंचाई खण्ड सवाईमाधोपुर	15.00	8.88	23.88	76.00	[illegible]
4.	सिंचाई खण्ड सीकर	—	—	—	7.00	1
5.	सिंचाई खण्ड अलवर	—	—	—	21.50	8
6.	सिंचाई खण्ड भरतपुर	—	—	—	9.45	7
7.	सिंचाई खण्ड टोंक	—	—	—	14.00	[illegible]
8.	सिंचाई खण्ड धौलपुर	20.50	7.00	27.50	6.04	
9.	सिंचाई खण्ड डीग	—	—	—	2.00	
10.	सिंचाई खण्ड प्रथम अजमेर	—	—	—	4.00	1
11.	सिंचाई खण्ड द्वितीय अजमेर	—	—	—	1.70	1
12.	सिंचाई खण्ड जोधपुर	—	—	—	8.20	2
13.	सिंचाई खण्ड पाली	—	—	—	40.50	4
14.	सिंचाई खण्ड सिरोही	1.00	12.87	13.87	10.15	
15.	सिंचाई खण्ड जवाई नहर सुमेरपुर	25.00	25.33	50.33	22.65	
16.	सिंचाई खण्ड मेड़ता सिटी	—	—	—	3.30	
17.	सिंचाई खण्ड जालौर	—	—	—	16.28	
18.	सिंचाई खण्ड प्रथम उदयपुर	1.32	13.68	15.00	6.90	3

8	9	10	11	12	13	14
29.85	—	—	—	6.65	33.90	40.55
65.90	13.90	29.10	43.00	12.00	22.19	34.19
37.30	17.90	17.15	35.05	6.25	46.66	52.91
62.40	2.50	34.50	37.00	5.00	86.20	91.20
37.40	1.80	11.95	13.75	5.00	55.50	60.50
15.09	9.00	16.10	25.10	0.90	4.85	5.75
111.07	5.00	15.60	20.60	7.00	52.00	59.00
26.73	—	—	—	6.00	15.95	21.95
115.48	—	—	—	14.00	68.55	82.55
47.32	—	—	—	18.00	17.00	35.00
2.70	—	—	—	2.20	—	2.20
44.05	—	—	—	8.00	61.24	69.24
44.20	—	—	—	15.85	47.50	63.35
26.35	—	—	—	4.00	42.28	46.28
—	125.00	140.00	265.00	—	—	—
1534.64	251.40	340.29	591.69	357.60	1339.06	1696.66

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची)

परिशिष्ट "क"

तहसील पचपदरा में बाढ़ बचाव हेतु ग्रामीण/असित रोजगार योजना एवं अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण

क.सं.	नाम कार्य
1.	कनाना पारलु बाढ़ बचाव
2.	विठूजा बाढ़ बचाव कार्य
3.	सांकरेणा बाढ़ बचाव कार्य
4.	जेठन्तरी बाढ़ बचाव कार्य
5.	सगाणा बाढ़ बचाव कार्य
6.	जसोल बाढ़ बचाव कार्य
7.	गोल सोढ़ा बाढ़ बचाव कार्य
8.	कलावा बाढ़ बचाव कार्य
9.	मरकोट बाढ़ बचाव कार्य

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का विवरण)

कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ आगारों में चालक/परिचालकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	आगार का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत पद		रिक्त पद	
		चालक	परिचालक	चालक	परिचालक	चालक	परिचालक
1.	कोटा आगार	213	213	193	204	20	09
2.	बूंदी आगार	187	187	175	172	14	15
3.	बारां आगार	192	192	170	180	22	12
4.	झालावाड़ आगार	163	163	164	160	—	03